माला, खंड 35, अंक 10

शुक्रवार, 1 अगस्त, 2003

10 श्रावण, 1925 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY

No. 35

Date 22/3/04

(खण्ड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला खंड 35, तेरहवां सत्र, 2003/1925 (शक)

अंक 10, शुक्रवार, 1 अगस्त, 2003/10 श्रावण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 181–184	2-35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	35-468
तारांकित प्रश्न संख्या 185–200	35-126
अतारांकित प्रश्न संख्या 1686–1871	126-468
सभा पटल पर रखे गये पत्र	468-483
राज्य सभा से संदेश **और** **राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक**	488
सभा का कार्य	484-488
समिति के लिए निर्वाचन	
रबड़ बोर्ड	483
बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक–पारित	519-540
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी. एच. पांडियन	519-520
श्री अनादि साहू	520-524
श्री रमेश चेन्नितला	524-527
श्री अरुण कुमार	528-529
श्री गिरधारी लाल भार्गव	529-531
श्री रामदास आठवले	531-532
प्रो. रासा सिंह रावत	532-536
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	536-539
खण्ड 2 से 16 और 1	539
पारित करने के लिए प्रस्ताव	540

***किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।**

विषय	कॉलम
संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक–विचाराधीन	540-550
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	540-541
श्री माधव राजवंशी	542-548
श्री अनादि साहू	549-550
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	550-596
(एक) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदि के सामाजिक–आर्थिक और राजनीति उत्थान के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन–वापस लिया गया	550-569
डा. सत्यनारायण जाटिया	552-560
डा. वी. सरोजा	561
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	562
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	568
श्री रामदास आठवले	562-569
(दो) श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए उपाय विचाराधीन	570-596
श्री बसुदेव आचार्य	570-585
श्री रामजीलाल सुमन	586-592
श्री सुरेश रामराव जाधव	592-594
प्रो. रासा सिंह रावत	594-596

लोक सभा

शुक्रवार, 1 अगस्त, 2003/10 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए।*)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियाँ की गई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं।

अब, मैं प्रश्न काल शुरू करता हूँ। प्रश्न संख्या–181.

....*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैंने राष्ट्रीय फसल बीमा नीति के संबंध में सूचना दी है। कृपया इसे मुझे 'शून्य काल' के दौरान उठाने की अनुमति दें....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले दिनों मेरे द्वारा बेरोजगारी का सवाल उठाने पर कहा था...*(व्यवधान)* लेकिन उस दिन हाउस नहीं चला। मैंने बेरोजगारी के सवाल पर एडजर्नमेंट मोशन दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : **मैंने बार–बार कहा है कि आपने जो विषय एडजर्नमैंट मोशन के माध्यम से रखने की कोशिश की है, मैं उस पर जीरो आवर में बोलने की परमिशन दूंगा।**

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : **अध्यक्ष महोदय, इससे पहले आज मुझे जीरो आवर में बोलने के लिए एलाव किया जाए।**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल कबूल किया था कि आज आपका जीरो आवर में पहला नम्बर रहेगा। इसके बाद ही मैं किसी दूसरे सदस्य को बोलने का चांस दूंगा।

[अनुवाद]

अब प्रश्न संख्या–181। श्री वाई. जी. महाजन अनुपस्थित। श्री रतिलाल कालीदास वर्मा।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[हिन्दी]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का आबंटन

\+
***181. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**

श्री वाई. जी. महाजन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा में खाद्यान्न का आबंटन किया गया;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने उपरोक्त योजना के अंतर्गत उन्हें आबंटित खाद्यान्न का उचित रूप से उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

वर्ष 2000–01, 2001–02 और 2002–03 के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अधीन खाद्यान्नों के राज्यवार आबंटन का ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है।

अंत्योदय अन्न योजना के अधीन आबंटित खाद्यान्नों के दुरुपयोग कि किसी विशिष्ट घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2002–03 के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अधीन विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए आबंटन का लगभग 85.58% उठान हुआ था।

अनुबंध

2000–01, 2001–02 और 2002–03 के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अधीन कुल खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का राज्यवार आबंटन का ब्यौरा

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन		
		2000–01	2001–02	2002–03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15.57	186.84	261.58
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.13	6.35
3	असम	0.00	28.15	118.24
4.	बिहार	0.00	150.00	420.00
5.	छत्तीसगढ	7.19	86.22	120.71
6.	दिल्ली	0.00	2.40	13.44
7.	गोवा	0.00	0.98	3.07
8.	गुजरात	0.00	61.75	136.50
9.	हरियाणा	0.00	27.35	46.97
10	हिमाचल प्रदेश	1.97	23.62	33.06
11.	जम्मू–कश्मीर	0.00	25.41	47.42
12.	झारखंड	0.00	91.63	153.94
13.	कर्नाटक	0.00	84.11	200.37
14.	केरल	5.96	71.46	100.04
15.	मध्य प्रदेश	15.81	189.72	265.61
16.	महाराष्ट्र	0.00	267.86	420.72
17.	मणिपुर	0.00	1.91	10.72
18.	मेघालय	0.00	3.52	11.81
19.	मिजोरम	0.00	3.16	4.42
20.	नागालैंड	0.00	2.84	7.94
21.	उड़ीसा	0.00	88.47	212.32
22.	पंजाब	0.00	19.72	30.12
23.	राजस्थान	9.32	111.78	156.49
24.	सिक्किम	0.00	1.18	2.82
25.	तमिलनाडु	0.00	35.48	290.50
26.	त्रिपुरा	0.00	7.92	19.00
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	260.79	685.42
28.	उत्तरांचल	0.00	11.45	32.05
29.	पश्चिम बंगाल	0.00	109.93	307.79
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.82	1.80
31.	चंडीगढ	0.00	0.32	0.89
32.	दादरा और नगर हवेली	0.07	0.84	1.18
33.	दमन और दीव	0.00	0.18	0.25
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.04	0.17
35.	पांडिचेरी	0.00	1.13	3.85
	जोड	55.87	1960.08	4127.53

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले 1.5 करोड़ परिवारों को अन्त्योदय योजना के तहत दिए जाने वाले 25 किलो अनाज की सीमा बढ़ा कर 35 किलो प्रति महीने प्रत्येक परिवार को देने की योजना बनाई गई है और इन परिवारों की संख्या दो करोड़ तक ले जाने की सरकार की मंशा है। इसके तहत दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल दिया जाना है। इससे संबंधित मेरा "क" सवाल यह है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो गरीबों को दिए जाने वाले अनाज का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं और अनाज उन लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : गुजरात के बारे में बताएं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : मैं उस पर भी आ रहा हूं। मेरे सवाल का "ख" भाग है कि अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत क्या बुजुर्गों, निश्चित आय के नीचे जीने वाले गरीब परिवार के लोगों, विकलांगों और आदिवासियों का कोई विशेष ख्याल रखा गया है या नहीं? राज्यों को जो खाद्यान्न बांटा जाता है, उनमें सबसे ज्यादा बिहार को 420 हजार टन अनाज दिया जा रहा है, राजस्थान को 156.49 हजार टन और गुजरात को 136.50 हजार टन अनाज दिया जा रहा है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कितने प्रश्न पूछेंगे? आप केवल एक प्रश्न पूछिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : जिन राज्यों में अधिक अनाज जाता है वहां से शिकायतें बहुत आ रही है कि वहां गरीबों तक सही तरह अनाज नहीं पहुंच रहा है। हमें यह बात दो महीने पहले न्यूजपेपर में भी पढ़ने को मिली थी। मैं जानना चाहता हूं कि आप उन राज्यों के प्रति क्या कार्रवाई कर रहे हैं जो गरीबों तक सही तरह अनाज नही पहुंचाते हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने जो सवाल किया है, जहां तक अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न के परसैंटेज का सवाल है, मुझे बताते हुए खुशी है कि गत वर्ष इसके अंतर्गत 87 परसैंट अनाज का उठाव हुआ है। यहां गुजरात की थोड़ी बात हुई। मैं उसके बारे में बता दूं कि यहां 2001–2002 में 91.89 हजार टन और 2002–2003 में पुनः 84.64 हजार टन उठाव हुआ। 2003–2004 में भी उठाव की बहुत अच्छी स्थिति रही है।

जहां तक गरीबों का सवाल है, अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा जो चिन्हित परिवार बताये गये हैं, उन तक अनाज पहुंचाने का काम राज्य सरकारें करती है और उस अनाज के आबंटन और उठाव पर पूरी निगरानी, देखभाल और उसकी जिम्मेदारी, ताकि गरीबों तक अनाज पहुंचे, उसके लिये हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनमें ऐसे व्यक्तियों की पहचान करके, जो विकलांग हैं, खासकर जो रूग्ण अवस्था में हैं, बूढ़े और विधवायें हैं, उनका विशेष ख्याल रखा गया है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि ऐसे कौन से राज्य है जहां से ऐसी शिकायतें आई हैं कि वहां गरीबों तक सही ढंग से अनाज नहीं पहुंचा है?

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, किसी राज्य विशेष से ऐसी शिकायत नहीं आई है, बावजूद इसके जो निगरानी समितियां बनी हुई हैं, अगर कोई शिकायत हमारे ध्यान में लायी जायेगी, उस पर कार्यवाही की जायेगी....*(व्यवधान)* जहां तक बिहार राज्य की बात है, वहां 84 प्रतिशत अनाज का उठाव हुआ है।

[अनुवाद]

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्नों का समुचित उपयोग नहीं किया है? लेकिन उत्तर केवल राज्यों को चावल और अन्य खाद्यान्नों के आबंटन से संबंधित है और इस 'योजना' के अंतर्गत उठाए गए अनाज से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। यह मेरी पहली टिप्पणी है।

दूसरी बात यह है कि देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता इतनी अधिक है कि इस सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दी गई राजसहायता को 9,000 करोड रुपए से बढ़ाकर 24,000 करोड कर दिया गया है जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के संबंध में केवल 55 प्रतिशत अनाज का उठाव हुआ है। पर्याप्त उपलब्धता है। आपूर्ति उपलब्ध है जबकि मांग कम है, इसका मतलब है, सरकार द्वारा दी जाने वाली इस सुविधा का गरीब लोग लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार का इस पर क्या कार्रवाई करने का विचार है?

यह भी रिपोर्ट है कि गरीबी रेखा के ऊपर के स्तर (ए. पी.एल.) पर 30 प्रतिशत अनाज का उठाव हुआ है और शेष 70 प्रतिशत बेकार पड़ा है। इसलिए, बी.पी.एल. या ए.पी.एल. के बावजूद एक समान मूल्य प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव है, और यह रिपोर्ट है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी, या वह वही स्थिति बनाए रखेगी?

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो डॉटा पूछा है, उसका अलग से जवाब लिखकर हम उन्हें भिजवा देंगे। जहां तक अन्त्योदय अन्न योजना का सवाल है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इस योजना का परसेंटेज अच्छा चल रहा है। सभी राज्यों में आबंटन और उठाव–दोनों का परसंटेज अच्छा है। जहां तक लोगों तक अन्न पहुंचाने का प्रश्न है, उसकी बहुत अच्छी परफौर्मेंस रही है। जब भी हमारे

सांसद अपने जिलों में जाते है, उन्हें अन्त्योदय अन्न योजना के बारे में शिकायत 'न' के बराबर मिलती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक करोड परिवारों की जगह डेढ़ करोड़ परिवारों के लिये यह प्रावधान रखा है, उसकी जानकारी मंगवाई जा रही है। इन डेढ़ करोड परिवारों के बाद, गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों में से 25 प्रतिशत लोगों को 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो की कीमत पर चावल मुहैय्या होगा। देश के गरीब लोगो के लिये यह अपने आप में एक महती योजना है जो बहुत सक्सैसफुली चल रही है। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे इस योजना को आगे बढ़ाने में अधिक से अधिक सहयोग करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष जी, गुजरात सरकार रिपिटिडली केन्द्र सरकार से और संबंधी मंत्रालय से ज्यादा अनाज देने की मांग कर रही है। गुजरात में बी.जे.पी. की सरकार है। उनके मुताबिक गुजरात मे 35 लाख परिवार बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं। उनके द्वारा रिपिटिड डिमांड होने के बावजूद एन.डी.ए. सरकार से जुड़े हुये जो राज्य है, उन्हे ज्यादा अनाज आबंटन किया गया है। गुजरात मे बी.जे.पी. की सरकार है और केन्द्र मे बी.जे.पी. की सरकार होने के बावजूद गुजरात को कम अनाज क्यो दिया जाता है। अनाज देने का क्राइटीरिया क्या है। मै क्राइटीरिया जानने की डिमांड रहा हू किस बेसिस पर अनाज अलॉट किया जाता है। आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों को आप ज्यादा अनाज क्यों देते है और गुजरात को कम अनाज क्यो दिया जाता है। गुजरात सरकार का केन्द्र के अंदर कुछ क्लाउट नही है, उनके आदमी नही है, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं या गुजरात में बी.जे.पी. की सरकार होने के बावजूद ऐसा सोचते है कि ठीक है, सब चलता है, ये तो हमारे लोग हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, गुजरात के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहां 35 लाख संख्या इनकी है लेकिन हमारी केन्द्र मे कुछ चलती नहीं है। मैं इस विषय पर आपसे जवाब चाहता हूं।

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गुजरात के बारे में खास तौर से जानकारी चाही है, मैं गुजरात के पिछले तीन वर्षों के आंकडे आपकी सेवा मे प्रस्तुत कर रहा हूं। गुजरात को वर्ष 2001–2002 में बी. पी. एल. के लिए 8695 लाख टन, ए.पी.एल. के लिए 5700 लाख टन और अंत्योदय योजना मे 0.618 लाख टन, इस तरह से कुल 15013 लाख टन अनाज दिया गया। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मेरा सवाल क्राइटीरिया का है, आपने किस बेसिस पर एलोकेशन की है, डिमांड की तुलना मे उसका बेसिस क्या है–यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने कितना दिया, उसमें मेरा इंटरैस्ट नहीं है। उसका बेसिस क्या है। गुजरात को और अनाज देने से मना करने का आपका बेसिस क्या है।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, जो अलॉटमैन्ट होती है, वह सूबों के लिए होता है। गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए प्लानिंग कमीशन के पैरामीटर्स बने हुए हैं, जिनके अनुसार गरीबों की पहचान होती है और जो अलॉटमैन्ट होता है उसके लिए रूरल डेवलपमैन्ट से हमारे पास सिफारिशें आती है। हम सीधे किसी सूबे को अलॉट नहीं करते हैं। आपने कहा है कि गुजरात ने ज्यादा अनाज की मांग की है, मैं कहता हूं कि सब सूबो मे प्लानिंग कमीशन के अपने गरीबों की रेखा के मपादंड है, जिनकके अनुसार हर सूबे में अलॉटमैन्ट होता है। आंध्र प्रदेश मे या और सूबों में गरीबी की संख्या ज्यादा है। जो सूबाई सरकार ने गरीबों की पहचान की है, उनकी संख्या ज्यादा है। यदि मै सबके आंकड़े दूंगा तो बहुत लम्बा उत्तर हो जायेगा। फिर भी माननीय सदस्य कहेंगे तो मैं उनके पास जानकारी पहुचा दूगा। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : गुजरात के बारे मे बता दीजिए।

श्री शरद यादव : गुजरात का हो या कहीं का भी सवाल हो, अलॉटमैन्ट हम रूरल डेवलपमैन्ट की सिफारिश के अनुसार करते है और इन्होंने जो कुछ कहा है उसे हम देख लेंगे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : केन्द्र और राज्य के प्लानिंग कमीशन के डाटा मे बहुत बडा डिफरैन्स है।..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको दो बार बोलने का मौका दिया है। अब आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इस विसंगति को दूर करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यो, को जानकारी **है कि आबंटन योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी अनुपात पर आधारित है...*(व्यवधान)***

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, खाद्यान्नों को खुले बाजार मे बेचा जा रहा है. *(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : मुझे गर्व अनुभव हो रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो भी आबंटन किया गया है उसे आंध्र प्रदेश द्वारा उठाया जा रहा है। हम शत–प्रतिशत उपयोग कर रहे हैं। मैं अन्य माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि अपने राज्यों के लिए पूर्ण आबंटन प्राप्त करने के लिए अपने मुख्य मंत्रियों पर दबाव डालें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, आप कृपया अपना प्रश्न माननीय मंत्री से पूछ सकते हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस : महोदय, हमें केरल के लिए पर्याप्त आबंटन नहीं मिल रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठिए।

श्री के. येरननायडू : यह बहुत अच्छी योजनाओं में से एक है...*(व्यवधान)* कृपया अनुमति दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री के. येरननायडू : यह अच्छी योजनाओं में से एक है। लेकिन भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को खाद्यान्न नहीं प्रदान कर रही है। वे उन सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न नहीं प्रदान कर रहे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। वे केवल 15 प्रतिशत परिवारों को आबंटित कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त कोष है। यह अच्छी योजनाओं में से एक है। भारत सरकार ने समाज के कमजोर तबकों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान करने का भी एक निर्णय लिया है यहां तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार को निर्देश दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री के. येरननायडू, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। आप इस योजना को अनावश्यक रूप से क्यों उल्लेख कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : उक्त उल्लिखित परिस्थितियों के मद्देनजर इस योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। क्या सरकार इस योजना का विस्तार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए करेगी? ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी का उत्तर तो सुन लीजिए।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह अंत्योदय अनाज योजना 2000–2001 से शुरू की गई थी। भारत सरकार की तरफ उस समय इसमें 56 हजार टन अनाज का आबंटन था जो 2001–2002 में 19 लाख टन बढ़ गया। 2002–2003 में 41 लाख टन का आबंटन हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अंत्योदय अन्न योजना बहुत सफल रही है। माननीय नायडू जी ने भी यही बात कही निश्चित तौर पर यह योजना सफल है। इसीलिए प्रधान मंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त के घोषणा की थी कि हम इसका विस्तार करेंगे। वित्त मंत्री महोदय ने पिछले बजट में 50 लाख और लोगों को इसमें शरीक किया। अब 15 प्रतिशत नहीं, 23–24 प्रतिशत लोग इस स्कीम में आ जाएंगे, यानी बिलो पावर्टी लाइन के 100 में से 24 लोग इस स्कीम में आ जाएंगे।...*(व्यवधान)*

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह योजना सफल रही है और जैसा येरननायडू जी ने कहा कि इसका विस्तार होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का उत्तर तो सुन लें।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि देश भर में इसका एवरेज 87 प्रतिशत उठाव रहा है। इसका सक्सैस 87 प्रतिशत है। निश्चित तौर पर यह स्कीम सफल है लेकिन जैसा कहा गया कि इसका विस्तार करना चाहिए लेकिन हमें साधनों का भी ख्याल करना पडता है। इस पर सबसिडी ढाई हजार करोड रुपये के लगभग आ रही है। निश्चित तौर पर यह योजना सफल है, इसका विस्तार होना चाहिए, लेकिन हमारे पास साधन सीमित हैं। इसे देखते हुए, कैसे विस्तार किया जाए, क्या किया जाए, सरकार ने अभी 50 लाख की संख्या बढाई है, आगे भी विचार करेंगे कि किस तरह से इस सफल योजना को बढाने का काम किया जा सकता है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी विसंगति

सामने आ गई है। आज से तीन दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में एक बैठक की थी, उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि उठाव के मामले में राज्य सरकारों की ओर से ठीक से उठाव नहीं किया जा रहा है।..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब इस पर चर्चा होगी, तब आप विस्तार से कहे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा की मांग कर सकते हैं। मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। अब और कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं होना चाहिए। मुझे अगले प्रश्न पर जाना है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पण्डा : महोदय इस प्रश्न पर कृपया पूर्ण चर्चा की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये आज की प्रश्न–सूची में 20 माननीय सदस्यों के प्रश्न हैं, मैंने तय किया है प्रतिदिन कि कम से कम पांच प्रश्न तो होने ही चाहिए। जिस विषय पर आप चर्चा चाहते हैं, मैं चर्चा दूंगा। उस समय आप अपने प्रश्न विस्तार से पूछ सकते है। अभी मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। प्लीज बैठिये। अमर राय प्रधान जी, अगला प्रश्न आपका है। आप पूछिए मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास 20 नाम हैं, प्रश्न पूछने के लिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

परिसीमन आयोग

***182. श्री अमर राय प्रधान : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या परिसीमन अधिनियम, 2002 के अनुसार सरकार को परिसीमन आयोग का गठन करना था;

(ख) क्या इस आयोग का गठन कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसमें कौन–कौन सदस्य हैं और यह आयोग कब से काम करना शुरू कर देगा;

(घ) क्या इस आयोग द्वारा बांग्लादेश की सीमा के भीतर भारतीय एन्क्लेवो में रहने वाले भारतीय नागरिकों की जनगणना न करने के कारणों की जांच किए जाने की भी संभावना है;

(ड) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो नवीनतम परिसीमन करते समय मतदाता सूची में इन भारतीय नागरिकों को शामिल न किए जाने का क्या औचित्य है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) जी, हां। परिसीमन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार, 12.07.2002 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह, जो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और सदस्यों के रूप में श्री बी.बी. टंडन, निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसचिवीय सहयोग से अपने गठन के दिन से ही कार्य करना आरंभ कर दिया था।

(घ) जी नहीं।

(ड) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) विदेश मंत्रालय ने यह सूचना दी है कि बांग्लादेश में 111 भारतीय एन्क्लेव हैं, जिन पर भारत का प्रशासनिक नियंत्रण या पहुंच नहीं है। इस समय, बांग्लादेश में भारतीय एन्क्लेवों में जनसंख्या का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं है, क्योंकि इन एन्क्लेवों में 1951 में कोई जनगणना नहीं की गई है। अतः बांग्लादेश के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित भारतीय एन्क्लेवों में रहने वाली जनता के संबंध में परिसीमन कार्य करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ अमर राय प्रधान का ही प्रश्न रिकार्ड पर जाएगा, कुछ और नहीं।

...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को परिसीमन आयोग गठित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम, मैं सुस्पष्ट तौर पर यह जानना चाहूंगा कि आयोग के गठन का आधार 1991 की जनगणना है अथवा 2001 की जनगणना। जैसा कि आप जानते हैं कि इस अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसचित जनजातियों की जनसंख्या में तीन प्रतिशत वृद्धि हुई है। यदि ऐसा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या परिसीमन आयोग को इन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या के अनुसार संसद अथवा विधानमंडलों में सीटें देने का समुचित निदेश दिया गया है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार से अनेक मंत्री हैं, लेकिन उन्हें बिहार के बारे में जानकारी नहीं है। मैं एक अनुपूरक प्रश्न बिहार के बारे में पूछना चाहता हूं....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब बिहार पर चर्चा हो, तब पूछिएगा। यह सदन नियमों के अनुसार चलता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : दूसरी बात यह कि माननीय मंत्री महोदय अथवा विदेश मंत्रालय को 111 भारतीय एन्क्लेवों की जानकारी कहां से प्राप्त हुई, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। भारत–पाक समझौता, 1958 जिसे नेहरू–नून समझौतों के नाम से भी जाना जाता है, में भारत और पाकिस्तान दो पक्षकार थे और बांग्लादेश का नामो–निशान नहीं था। इस समझौते में 130 भारतीय एन्क्लेव और 95 पाकिस्तानी एन्क्लेव के विनिमय की बात कही गई थी। तत्पश्चात् पाकिस्तान का पाकिस्तान और बांग्लादेश में द्विविभाजन हो गया। दो एन्क्लेव उस समय से बांग्लादेश में पहले ही विलय हो चुके हैं। यदि ऐसा है तो मैं माननीय मंत्री महोदय, से बडे ही साफ तौर पर यह जानना चाहता हूं कि क्या बांग्लादेश से घिरे भारतीय एन्क्लेव की जनता जंगल राज में रह रही है? आपने अपने उत्तर में बताया था "इस समय, बांग्लादेश में भारतीय एन्क्लेवों में जनसंख्या का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं है, क्योंकि इन एन्क्लेवों में 1951 से कोई जनगणना नहीं की गई है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अमर राय प्रधान जी, प्रश्न पूछिए। आप स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। आप सिर्फ प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि 1951 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या 37,000 थी, वंदेमातरम् संगीत के अनुसार भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की संयुक्त जनसंख्या 33 करोड थी। इस अनुपात के चलते तो आज यह दो लाख से अधिक होगी। वे भारतीय नागरिक हैं। महोदय, जब माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय उप प्रधान मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष में थे, तो हमारे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि यद्यपि वे जंगल राज में रह रहे हैं परंतु वे भारतीय नागरिक हैं। महोदय, यदि ऐसा है तो फिर यह कर्तव्य हो जाता है...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि इन व्यक्तियों के लिए कौन उत्तरदायी हैं? किसी न किसी को तो इनका उत्तरदायित्व लेना ही होगा। यदि भारत सरकार नकार देती है, तो इस 2 लाख जनसंख्या का क्या होगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, प्रश्न समझकर उत्तर दें।

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली : महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न परिसीमन आयोग जिस आधारवर्ष पर कार्य करेगा। उससे संबंधित है। संसद के पिछले सत्र में संविधान (संशोधन) विधेयक पारित होने के पश्चात् परिसीमन कार्य 2001 की जनसंख्या के आधार पर होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों में परिवर्तन होगा।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जहां तक बांग्लादेश राज्य सीमा में भारतीय एन्क्लेवों का संबंध हैं, बांग्लादेश राज्य सीमा में 111 भारतीय एन्क्लेव हैं और बांग्ला देश के 51 एन्क्लेव भारत की राज्य सीमा में हैं... *(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान : महोदय यदि आप भारत–पाक समझौता, 1958 जो नेहरू–नून समझौता भी कहलाता है के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट और पुराना इतिहास देखें तो यह संख्या 130 और 95 थी...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : महोदय, भारत और बांग्लादेश के बीच में 1974 में ऐसा समझौता हुआ था और इसमें इस मुद्दे का विशेष रूप से समाधान नहीं किया गया था। तत्पश्चात्, एक दूसरे की राज्य सीमा में स्थित एन्क्लेवों के बारे में अंतिम निर्णय करने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान बांग्लादेश के साथ बात–चीत करने के प्रयास किए गए हैं, चूंकि एक राष्ट्र का दूसरे में कोई प्रशासनिक नियंत्रण न होने के कारण, जहां तक एन्क्लेव का सवाल हैं, इन्हें प्रशासनिक नियंत्रण के अभाव में हमारे अपने परिसीमन प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया है।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, बांग्लादेश से घिरे भारतीय एन्क्लेवों में जंगल राज में रह रही दो लाख से अधिक जनसंख्या इतनी ज्यादा एकाकी है कि वहां न तो कोई स्कूल है, न कोई शिक्षा है, न पंचायत है न पुलिस है, न सेना है, और न कोई आनन्द शेष बचा है। वे ऐसी दयनीय दशाओं में रह रहे हैं परंतु मजेदार बात यह है कि बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत सरकार की सदाशयता से बांग्लादेश सरकार को बांग्लादेशी एन्क्लेवों में जनगणना करने की अनुमति दी गई और ऐसे बांग्लादेशियों को जो मतदाता हैं, भारत की राज्य सीमा से होकर बांग्लादेश जाकर मत देने, मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति भी दी गई। हमने उन्हें यह अनुमति दी है।

अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस स्थिति में बांग्लादेश से किसी प्रकार की बातचीत करेगी ताकि भारत के एन्क्लेव में जनगणना कराने की हमें अनुमति मिले और वहां की जनसंख्या जो लगभग दो लाख है, भारत की सीमा में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

श्री अरुण कुमार जेटली : महोदय, इस बहुत ही संवेदनशील मामले में माननीय सांसद द्वारा व्यक्त चिन्ता को तो मैं समझ ही रहा हूं। आखिरकार एक दूसरे की सीमा में ये एन्क्लेव होते हैं। माननीय सदस्य ने स्वयं ही इस मुद्दे को विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाया है और मेरे साथी, श्री जसवंत सिंह जी जो उस समय विदेश मंत्री थे, ने माननीय सदस्य को सूचित किया था कि कृतक बल गठित करने की कार्रवाई चल रही है, जो सीमांकन का कार्य करेगा और यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद एन्क्लेवों के विनिमय की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत सरकार के लिए यह गंभीर महत्व का विषय है और इसीलिए सरकार इस दिशा में पर्याप्त उपाय कर रही है।

श्री अमर राय प्रधान : मात्र 52 वर्ष ही तो हुए हैं! यही तो देश का दुर्भाग्य है...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस : महोदय, वास्तविकता यह है कि परिसीमन का कार्य संविधान संशोधन के अनुसार 2001 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। कुछ राज्य, समस्या का सामना कर रहे हैं और विशेषकर केरल जैसा राज्य जहां परिवार नियोजन बहुत सफलता पूर्वक चलाया गया और आज भी चल रहा है वहां कुछ जिलों में निर्वाचन क्षेत्र समाप्त हो रहे हैं और उन्हें अन्य जिलों में मिलाया जा रहा है। इससे असतुलन पैदा हो रहा है इससे समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। क्या सरकार परिसीमन आयोग से परामर्श करके परिसीमन के प्रयोजन से जिले को एक इकाई के रूप में मानने का विचार करेगी? उदाहरणार्थ मेरे जिले त्रिचूर में एक निर्वाचन क्षेत्र समाप्त हो रहा है जबकि माल्लपुरम में तीन और निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में आ रहे हैं। इस प्रकार आप परिवार नियोजन का पालन न करने वाले लोगों को पुरस्कृत कर रहे हैं और ठीक इसी के साथ ही परिवार नियोजन का पालन करने वालों को तिरस्कृत भी कर रहे हैं। अतः क्या सरकार इस समस्या को प्रशमित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाबत जिले को एक इकाई मानने पर विचार करेगी।

श्री अरुण जेटली : महोदय, संविधान द्वारा आदेश मिलने के बाद ही, इस सभा ने परिसीमन अधिनियम को अनुमोदित किया है। इसका वर्ष 2002 से अनुमोदन किया गया था। अब, पिछले संविधान संशोधन के अनुकरण में यह अधिनियम संशोधित किया गया और अधिनियम के द्वारा परिसीमन आधार का निर्धारण किया जाएगा जिसे परिसीमन आयोग कार्यान्वित करेगा। भारत सरकार और इस सभा ने वर्ष 2002 में अधिनियम पारित करते समय इस मुद्दे पर स्पष्ट कर दिया था कि जिन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण पर अमल नहीं हुआ

है उन्हें पुरस्कृत नहीं किया जाएगा और जिन राज्यों ने जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल किया था उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। अतः हमने यथा निर्धारित स्तर पर सीटों की संख्या निर्धारित की है और प्रत्येक राज्य के संबंध में सीटों की संख्या सापेक्षिक रूप से नियत की है।

श्री ए. सी. जोस : आपने केवल राज्य के संबंध में ही रोक लगाई है। समस्या यह है कि किसी जिले से निर्वाचन क्षेत्र कम हो रहे हैं। दो या तीन जिलों में निर्वाचन क्षेत्र कम हो रहे हैं और तीन अन्य जिलों के निर्वाचन क्षेत्र बढ़ रहे हैं। एक छोटे जिले में तीन निर्वाचन क्षेत्र बढ़ गये है। अतः इसे जिलेवार होना चाहिए।

श्री अरुण जेटली : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री अरुण जेटली : महोदय, अधिनियम में राज्य को एक इकाई के रूप में लेने का प्रावधान है और एक राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों की सख्या वही रहेगी। यदि हम जिले को इकाई के रूप में लेंगे, तो इससे राज्य के अंदर और भी असमानतायें उत्पन्न होंगी क्योंकि तब एक राज्य में ही असमान आकार के निर्वाचन क्षेत्रों का अस्तित्व बना रहेगा। जो कि परिसीमन का उद्देश्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, 30 साल के बाद यह परिसीमन आयोग बना है। इन 30 सालों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या काफी बढ गई है। जनसंख्या इसलिए नहीं बढ़ी कि उनके बच्चे ज्यादा पैदा हुए, बल्कि इसलिए बढ गई है कि बहुत सारी जातियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में जोड़ दी गई। इसका सबसे बडा इफैक्ट आपके यहां महाराष्ट्र में हुआ है, जहां शिडयूल्ड कास्ट्स की पोपुलेशन जस्ट डबल हो गई है। कमीशन बनने के बाद सरकार ने पहले निर्णय लिया कि 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जायेगा। हम लोगों ने उस समय मांग की थी और जब सर्वदलीय समिति की बैठक में हम लोगों ने कहा था कि 2001 के आधार पर परिसीमन करो तो मंत्री जी ने कहा कि 2001 के आधार पर परिसीमन अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक जनगणना की रिपोर्ट अधिसूचित नहीं की गई है, पब्लिश नहीं की गई है। यदि हम 2001 के आधार पर परिसीमन करेंगे तो नहीं होगा और 1971 के आधार पर ही हमें चुनाव कराना पड़ेगा, जिसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स काफी लूजर रहेंगे। इस परिस्थिति में आपने उसे 1991 चेंज किया। बाद में मंत्री जी ने हाउस को एश्योरेंस दिया कि नहीं, 2001 के आधार पर परिसीमन संभव है और आपने 2001 को आधार मानने का निर्णय ले लिया। लेकिन अभी तक 2001 को सेंसस रिपोर्ट अधिसूचित नहीं की गई है, नोटीफाई नहीं की गई है। मैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से पर्सनली जाकर मिला था, चूंकि एक नही, दो नहीं, उसमें 17–18 सीटें लोक सभा की शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स की बढ़ने वाली हैं और 53 विधान सभा की सीटें बढ़ने वाली हैं। आर. जी. आई. ने कहा कि हम अक्तूबर के पहले नोटिफिकेशन नहीं कर सकते। आपका इलैक्शन कमीशन और उसके आगे डीलिमिटेशन कमीशन उसके आधार पर ही चलेगा। वैसी स्थिति में मुझे यह शंका है कि सरकार की यह कांस्प्रेसी है कि 1971 के आधार पर अगला चुनाव हो। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने 1991 के आधार को बदलकर क्यों 2001 किया है, क्या सरकार 2001 के आधार पर चुनाव कराएगी, फिर परिसीमन होगा और यदि होगा, तो कैसे होगा, जबकि अभी तक 2001 की सेंसस रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई है? हो सकता है कि सरकार अन्त समय में कह दे कि यह डीलिमिटेशन कमीशन का मामला है, यह इलैक्शन कमीशन का मामला है, यह आर. जी.आई. का मामला है, हम क्या करें। वैसी परिस्थिति में शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स सबसे ज्यादा सफर होगा। सरकार इस बात की क्या गारण्टी दे रही है, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, 1991 के आधार पर डीलिमिटेशन हो, यह कानून हमने इस सदन में बनाया था। उसके बाद इसी सदन में अधिकतर राजनैतिक दलों के सदस्यों ने यह मांग करनी आरम्भ की कि 1991 के बजाय 2001 के आधार पर परिसीमन किया जाये। इसलिए किया जाये, क्योंकि यह डीलिमिटेशन 2031 के चुनाव तक चलने वाला है, जो इस बार होगा। इसी सदन के अंदर उसकी मांग हुई थी और मैं इस बात पर सख्त एतराज करता हूं, जो रामविलास जी ने कही कि सरकार का षडयंत्र था, क्योंकि इस सदन के हरेक सदस्य ने उसके पक्ष में अपना मत डाला, तभी

जाकर 1991 को 2001 माना गया। उस समय भी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस साल के अन्त तक सेंसस की रिपोर्ट पब्लिश होगी, क्योंकि संविधान में लिखा है कि लास्ट पब्लिश्ड सेंसस के आधार पर चुनाव होना चाहिए। जैसे ही रिपोर्ट पब्लिश होगी, हमने बाकी सारी कार्रवाई पूरी की हुई है, उस रिपोर्ट को डीलिमिटेशन कमीशन के पास भेज दिया जायेगा और प्रयास यह होगा कि जितनी जल्दी डीलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे सकता है, डीलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे।

श्री राम विलास पासवान : मेरा सीधा सवाल सरकार से था, उस दिन मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि टैक्नोलोजी इतनी बढ़ गई है कि 2001 सैंसस के आधार पर परिसीमन किया जायेगा। मैं सरकार से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, चूंकि सरकार यहां जवाब दे रही है, डीलिमिटेशन कमीशन यहां जवाब देने के लिए नहीं आयेगा, दूसरी कोई एजेंसी नहीं आयेगी, कि क्या सरकार 2001 सैंसस के आधार पर चुनाव परिसीमन करेगी और यदि 2001 सैंसस के आधार पर चुनाव नहीं होगा तो शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स की किस जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेण्टेशन मिलेगा, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री अरुण जेटली : जिस वक्त सेंसस की रिपोर्ट आयेगी, सरकार तुरंत उसे डीलिमिटेशन कमीशन के सामने भेज देगी और सरकार का यह प्रयास होगा कि जितनी शीघ्र से शीघ्र डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ जाये, जितनी जल्दी डीलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट देगा, उसे हम नोटिफाई करेंगे।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. मन्दा जगन्नाथ : महोदय हाल में परिसीमन आयोग ने हैदराबाद में कहा कि इसे वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लागू करना संभव नहीं है...*(व्यवधान)* महोदय, संशोधन के पहले परिसीमन आयोग ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह इतना बडा मुद्दा है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको दो प्रश्न पूछने दिये, इससे ज्यादा अवसर मैं नहीं दे सकता। जब चर्चा आयेगी तो आपको इस विषय पर मौका मिलेगा। आप जानते हैं कि जब दलितों के प्रश्न पर चर्चा आये तो उस समय आप यह प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह एस.सी. एस.टी. से जुडे लोगों का प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको दो बार प्रश्न पूछने का मौका दिया क्योंकि मैं जानता था कि आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक प्रश्न पर तीन-तीन बार सवाल पूछने का टाइम कैसे दे सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : एस. सी., एस. टी. से संबंधित पार्लियामेंट की भी एक फोरम है। आप सब लोग मिलकर कान्सपिरेसी कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं केवल आप पर ही चर्चा नहीं लगा रहा, मैं कांग्रेस पार्टी पर भी चार्ज लगा रहा हूं। ...*(व्यवधान)* सब लोग मिले हुए हैं। क्या इसी तरीके से काम होगा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राजैया जी, आप प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, 2001 का जो प्रस्ताव आया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब मैं आपको चर्चा उपस्थित करने की अनुमति दूंगा, तब आप पूछिये।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने आपको दो बार प्रश्न पूछने का मौका दिया। बाकी सदस्यों के भी प्रश्न हैं। मैं आपको इससे ज्याद टाइम नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अगर 2001 की सेंसेस के आधार पर चुनाव नहीं हुआ तो मैं घोषणा करता हूं कि मैं इसी सदन में धरने पर बैठ जाऊंगा। ...*(व्यवधान)* यह कोई मजाक नहीं है।...*(व्यवधान)* आप दोबारा 1971 की सैंसस के आधार पर चुनाव कराना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की लोक सभा और विधान सभा सीटें ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगर मेरे माध्यम से पूछना है, तो मेरी इजाजत से पूछिये। अभी आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको समुचित उत्तर नहीं मिलता, तो आप किसी अन्य नियम के तहत प्रश्न पूछ सकते हैं। दोबारा मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं समझ गया था कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक विशेष मामला मानते हुए मैंने श्री रामविलास पासवान को दो बार प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मंत्री महोदय को जो ठीक लगा, उन्होंने जवाब दिया है। यदि आप मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप किसी अन्य नियम के अंतर्गत प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अपना प्रश्न पूछने के लिए आप समूची सभा की कार्यवाही रोक नहीं सकते। कृपया सभा की कार्यवाही में बाधा मत डालिए। कृपया बैठ जाइए।

श्री राम विलास पासवान : यह अध्यक्षपीठ का कर्तव्य है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि यह मेरा कर्तव्य है तो आपको भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। यदि मैं आपको बैठने के लिए कहूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। आप सभा से ऊपर नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : महाराष्ट्र में सभी दलित शिव सेना में जा रहे हैं। आठवले जी, आप इसकी चिन्ता मत कीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, एस.सी.,एस.टी., के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।...*(व्यवधान)* यह किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवाजी माने : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर कब आयेगा? इस तरह तो हमारा प्रश्न आयेगा ही नहीं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न हो गया है। मंत्री जी उत्तर दें।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवाजी माने : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न आने तक 12 बजे जायेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस संबंध में 20 बार मिल चुका हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने आपको परमीशन दी थी। आपका और मेरा इस विषय पर कोई झगड़ा नहीं है। आपका गवर्नमेंट से झगड़ा है। आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : आप सरकार से उत्तर दिलवाइये। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : महाराष्ट्र में सब दलित शिवसेना में जा रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी आप क्या काम कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में सभी दलित शिव सेना में जा रहे हैं। मै आठवाले जी को कह रहा था कि आप चिन्ता न करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही बात नहीं है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना

+

***183. श्री राजैया मल्याला :**

श्रीमती निवेदिता माने :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती पेंशन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही अन्य वित्तीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने गैर सरकारी बीमाकर्त्ताओं के इस अनुरोध पर विचार किया है कि उन्हें भी इसी प्रकार की योजना के लिए समान सहायता प्रदान की जाए; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) योजना की मुख्य विशेषताएं विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) इस समय इस प्रकार की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(घ) और (ङ) जी, हां। विचार करने के पश्चात्, यह निर्णय किया गया है कि वर्तमान स्थिति में केवल यही योजना और वह भी केवल भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

विवरण

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना—मुख्य विशेषताएं

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। योजना में 9 प्रतिशत के प्रतिलाभ पर पेंशन के लिए व्यवस्था है। बजटीय आबंटन के माध्यम से सरकार जीवन बीमा निगम को, प्रतिलाभों में आने वाली कमी को पूरा करेगी।

पात्रता

- 55 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के भारतीय नागरिक इसके पात्र हैं।
- परिवार से एक व्यक्ति आवेदन कर सकता है। परिवार से तात्पर्य पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे और आश्रितों से है।
- जीवन बीमा निगम द्वारा आयु का कोई भी वैध प्रमाण स्वीकार किया जाएगा।

लाभ

- पेंशनभोगी को जीवन पर्यन्त पेंशन।
- पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में उसके नामित व्यक्ति को बीमा का क्रय मूल्य वापस कर दिया जाएगा।
- न्यूनतम पेंशन 250 रुपए प्रतिमाह और अधिकतम पेंशन 2000 रुपए प्रतिमाह।
- पेंशन के भुगतान का तरीका—मासिक, तिमाही, अर्ध वार्षिक या वार्षिक, विकल्पानुसार।

प्रीमियम

मासिक पेंशन के लिए एकमुश्त देय एकल प्रीमियम—न्यूनतम 33,335/— रुपए और अधिकतम 2,66,665/— रुपए।

छोड़ने के विकल्प

15 वर्ष के पश्चात् पेंशनभोगी के पास विकल्प होगा कि यह योजना से नाम वापस ले लें। उस स्थिति में संपूर्ण क्रय मूल्य उसे वापस कर दिया जाएगा।

क्रय सुविधा

पालिसी के तीन वर्ष पूरा होने के पश्चात् जमा करायी गयी कुल प्रीमियम राशि का 75 प्रतिशत तक ऋण के रूप में लेने की अनुमति दी जाएगी। ऋण पर ब्याज की दर का निर्धारण समय—समय पर जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजैया मल्याला, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राजैया मल्याला : अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद। यह बहुत अच्छा है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराने के लिए प्रश्न पर बहुत उदार है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने केवल प्रश्न नम्बर 183 है। मंत्री जी उत्तर दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राजैया जी, आप प्रश्न पूछिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजैया मल्याला, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न क्यों नहीं पूछते?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते? आप प्रश्न पूछिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजैया मल्याला : महोदय, यह जानना काफी अच्छा है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रश्न पर बहुत उदार है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ...*(व्यवधान)* हाल ही में, सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों हेतु राजसहायता प्राप्त योजना शुरु की है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या समाज के किसी वर्ग से कोई प्रतिकूल टिप्पणी आई है। इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और इन शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न पूरा हुआ, अब मंत्री जी उत्तर दें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। और क्या सरकार की मंशा के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है?

मैं काफी तेज बोल रहा हूँ। माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि क्या वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है और यदि कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है तो इस बारे में सरकार क्या करना चाहती है? मैंने अब तक कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं सुनी है। लेकिन श्री पवन कुमार बंसल और मेरे मित्र श्री विलास मुत्तेमवार ने इस बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है। यदि मुझे उन्हें सुनने का अवसर नहीं मिलता तो भी वे अपनी प्रतिकूल टिप्पणी के संबंध में मुझे लिख सकते हैं और हम निश्चित तौर पर उस पर गौर करेंगे।

श्री राजैया मल्याला : महोदय वक्तव्य में इस बात का उल्लेख है कि योजना छोड़ने का विकल्प चुनने पर धनराशि का 15 वर्ष पश्चात् भुगतान किया जायेगा। यदि इसका भुगतान 15 वर्ष बाद किया तो इसका कोई उपयोग नहीं रह जायेगा। यदि भुगतान छः वर्ष बाद किया जाता है तो यह उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस पर विचार करने जा रही है या नहीं।

श्री जसवंत सिंह : अब तक तो कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। योजना की पूर्णावधि के संबंध में एक टिप्पणी की गई है। टिप्पणी की गई है कि वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना की पूर्णावधि को कम किए जाने की जरूरत है। अवधि तय करना कार्यपालिका अर्थात सरकार का काम नहीं हैं यह बीमांकिक गणना पर आधारित है और बीमांकिक गणना के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि धनराशि की लॉक–इन अवधि करीब 15 वर्ष रहने की जरूरत है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि हम अनवरत इन योजनाओं की समीक्षा करते रहते हैं। यद्यपि यह नई योजना है, एक अच्छी योजना हो तो भी हम योजना की सम्पूर्णता पर ढिलाई पूर्ण रवैया नहीं अपनायेंगे। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है हम उसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन मैं यह आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं कि मैं लॉक–इन अवधि में करने में समक्ष हो सकूंगा, लेकिन हम निश्चित तौर पर इसकी जांच करेंगे, लेकिन यदि जांच नतीजे सकारात्मक रहे, तो हम फिर इस पर गौर करेंगे। लेकिन इसे आश्वासन नहीं माना जाना चाहिए।

श्री के. मलयसामी : महोदय, वक्तव्य में कहा गया है कि न्यूनतम प्रीमियम 33 हजार रुपये और अधिकतम प्रीमियम, 2.66

लाख रुपये है। मैं लघु गणना कर सकता हूं। योजना बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। यह केवल नाममात्र की है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि यदि मैं बैंक में 2.66 लाख रुपये 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर निवेश करूं तो मुझे प्रतिमाह 2 हजार से अधिक का लाभ मिलेगा, जबकि वे केवल 2 हजार रुपये की पेंशन दे रहे हैं। यह क्या है? मैं 2,66,665 रुपये का निवेश करता हूं तो ब्याज के रूप में मुझे दो हजार से अधिक की राशि मिलेगी जबकि आप 2 हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन दे रहे हैं। इस योजना में क्या बड़ा आकर्षण है?

श्री जसवंत सिंह : यहां कई प्रमाण दिये गये हैं और माननीय सदस्य को यह योजना अच्छी नहीं लगी। यह स्वैच्छिक योजना है। यदि माननीय सदस्य को योजना अच्छी नहीं लगी तो वे इसे न लें।

अध्यक्ष महोदय : श्री के. मलयसामी, आप बीमा न कराइये, आप अपना धन बैंक में रखिए।

श्री के. मलयसामी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकारी उपक्रम ऐसा कर सकता है। उन्हें इसे आकर्षक बनाना चाहिए। उन्हें वरिष्ठ नागरिकों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक उपाय करने हेतु आगे आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ये पहले ही कह चुके हैं कि यह एक स्वैच्छिक योजना है।

डा. वी. सरोजा : यदि सरकार कोई योजना लाती है तो ये वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करना चाहिए। इसमें पेंशन के अलावा अन्य लाभ भी होने चाहिए। ऐसी योजना क्या जिससे लाभार्थियों को ही लाभ न पहुंचे?

श्री ए. सी. जोस : कई वरिष्ठ नागरिक यहाँ हैं। वे सभी उत्तेजित हैं।

श्री जसवंत सिंह : दूसरी बात, योजना का पूरा सिद्धांत यह था कि घटती ब्याज दर पर 9 प्रतिशत का लाभांश जो वास्तव में प्रतिमाह लाभांश पर 9 प्रतिशत से कुछ ज्यादा है, हमें उस पर कुछ कठिनाइयां थीं। मैं बैंकर नहीं हूँ लेकिन माननीय सदस्य मेरे अधिकारियों के साथ बैठकर वास्तविक लेखा पर संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन यह योजना इसलिए तैयार की गई थी क्योंकि जब निवेश पर लाभांश घट रहा है-क्योंकि ब्याज दर का आधार ही कम हो रहा है-तब वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह महसूस किया गया कि जो पेंशनधारक हैं, उनकी जो जीवन की बचत है, उसके आधार पर उनके पास ऐसा स्रोत हो जिस पर उन्हें मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर 9 प्रतिशत का निश्चित लाभांश प्राप्त हो सके। यदि माननीय सदस्य का कहना है कि आज देश में ऐसा कोई बैंक है जो 9% का ब्याज देता हो तो मेरे हिसाब से बैंक में पैसा रखना ठीक है लेकिन मुझे ऐसे किसी बैंक की जानकारी नहीं है जो 9 प्रतिशत का लाभांश देता हो। अतः यह सैद्धांतिक प्रश्न बन जाता है। हम योजना पर 9 प्रतिशत का प्रतिफल दे रहे हैं। यह निवेशक को मिलने वाला अधिकतम प्रतिफल है। हमने इसे केवल वरिष्ठ नागरिकों हेतु ही सीमित किया है। मैं दोहराता हूं कि यह स्वैच्छिक योजना है। यदि नागरिकों को यह ठीक न लगे तो इसमें निवेश की कोई बाध्यता नहीं है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय बीमा देश में बढ़ रहा क्षेत्र है। यह एक योजना है। बड़ी संख्या में और योजनाएं आएंगी। मंत्री महोदय अभी बीमांकिक गणना का उल्लेख कर रहे थे। बीमांकिक क्षेत्र कठिन क्षेत्र है और देश में इस क्षेत्र में पर्याप्त लोग उपलब्ध नहीं हैं।

हैदराबाद में स्थापित किए गए बीमा विनियामक प्राधिकरण ने हैदराबाद में एक संस्थान शुरू करने का अच्छा निर्णय लिया है। यह अच्छा काम कर रही थी और लंदन स्कूल ऑफ ऐक्च्यूरीज के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। जब ऐसी स्थिति थी इसे-भारत सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है-जैसा कि हमने प्रेस में सुना। यदि यह सही है तो मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इसे ठीक करेंगे और संस्थान को प्रोत्साहित करेंगे और बीमांकिक प्रणाली के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देंगे।

श्री जसवंत सिंह : बीमांकिक विज्ञान और वर्तमान विश्व में इसकी सार्थकता के बारे में दो पहलू हैं, हैदराबाद में आई आर डी ए द्वारा स्थापित संस्था तथा क्या यह अथवा बीमांकिक संबंधी कार्य जारी रखेगा अथवा नहीं। आप प्रशिक्षित बीमांकक प्राप्त करना मुश्किल है। वस्तुतः बीमांकिक अवधारण का संपूर्ण विज्ञान प्रायः अप्रचलित विज्ञान हो गया है तथा वित्त, विशेषकर, बीमा के क्षेत्र में बीमांकिक विज्ञान के कुल महत्व की काफी पुनर्समीक्षा हुई है। आई. आर. डी. ए. भी इस ओर ध्यान दे रहा हैं। अब मेरे पास आई. आर. डी. ए. के नए अध्यक्ष हैं... *(व्यवधान)* मैं कृतज्ञ हूं कि माननीय सदस्य ने अध्यक्ष की हमारी

पसंद की प्रशंसा की है। परन्तु संस्था बंद होने नहीं जा रही है। संस्था के साथ कुछ कठिनाइयां थीं जिन्हें दूर कर लिया गया है। संस्था चलती रहेगी तथा हम निश्चित तौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से बीमांकिक व्यापार को देश में विस्तार करने और इसका आधुनिकीकरण करने का प्रयास करेंगे।

[हिंन्दी]

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और उनका अभिनन्दन करना चाहूंगा क्योंकि सीनियर सिटिजन्स के लिए ऐसी स्कीम शुरू करने की बहुत वर्षों से मांग चली आ रही थी। मैं जानकारी चाहूंगा कि सरकार क्या कोई सैक्रिफाइस करने वाली है, कोई सबसिडी इंटरेस्ट पर देने वाली है और साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि इस स्कीम को कितना रैस्पांस मिला?

इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा और सुझाव दूंगा कि क्या सरकार इस योजना को तीन महीने के बाद रिव्यू करेगी और इस समय विद ए डिसइंसेटिव, कम्प्लशन भी कर सकते हैं कि यदि कोई सीनियर सिटीजन बीमार हो जाता है, क्या उसकी प्रिमेच्योर विदड्राल के लिए कोई प्रोविजन करने पर भी सोचेगी?

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि मैं सही–सही याद करूं तो पहला मुद्दा राजसहायता से संबंधित है। जब पहली बार इस योजना की घोषणा की गयी थी तो स्वयं मैंने इसकी घोषणा की थी; हमने जीवन बीमा निगम को आश्वस्त किया था कि इस योजना के तहत जमा की गयी धनराशियों और जीवन बीमा निगम द्वारा की गयी वास्तविक उगाही से जीवन बीमा निगम की आय में जो अंतर आएगा उसकी भरपाई सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी। हमारा लक्ष्य इस योजना के तहत 100,000 अंशदाताओं को लाना है। 100,000 अंशदाताओं के आधार पर, हमारा आकलन यह है कि जीवन बीमा निगम को दी जाने वाली राजसहायता की राशि प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये तक होगी। हम इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।

जहाँ तक इस योजना की प्रगति का सवाल है। 100,000 अंशदाता बनाने का लक्ष्य है। मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार योजना शुरू होने के पन्द्रह दिन के भीतर अंशदाताओं की संख्या 34,000 पार कर चुकी है। इसका अर्थ है कि इस योजना के लक्ष्य को एक–तिहाई से अधिक अंशदान पहले ही प्राप्त हो चुका है।

क्या हमारे पास तिमाही आधार पर समीक्षा की प्रणाली है? व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि समीक्षा हेतु तिमाही आधार अपनाना इस प्रकार की योजनाओं के लिए काफी धीमा तरीका है। इसीलिए, मैं इस योजना को लागू करने के समय ही कह चुका हूं कि मैं वस्तुतः इस योजना की प्रगति के बारे में साप्ताहिक आधार पर जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा।

एक और बात है। मैं पाता हूँ कि इस योजना के अधिकांश अंशदाता शहरी क्षेत्र के हैं। मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि इस योजना के 80 प्रतिशत अंशदाता शहरी क्षेत्र के हैं और 20 प्रतिशत अंशदाता ग्रामीण क्षेत्र के हैं। मैं इस आंकडे से प्रसन्न नही हूँ। इसका अर्थ यह है कि जीवन बीमा निगम इस लाभ को ग्रामीण जनता तक पहुंचाने हेतु उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह अपनी पुरानी आदत से ग्रसित है जो हम सभी के पास है कि हम अपने कार्यालयो से बाहर फील्ड में जाने के बजाय अपने कार्यालयों में बैठे रहना पसंद करते हैं। मैने उनके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस योजना के तहत अंशदान की कुल धनराशि का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से तथा 50 प्रतिशत हिस्सा शहरी क्षेत्रों से होना चाहिए।

मैं यहां एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। पूर्व के माननीय सदस्य याद कर सकते हैं कि दो योजनाएं लागू की गयीं थीं तथा मैने विशेषकर उनसे इसे बढावा देने का अनुरोध किया था। मैं पाता हूँ कि इस 80 प्रतिशत शहरी अंशदाताओं में से भी अधिकांश भारत के पश्चिमी हिस्से यथा, महाराष्ट्र और गुजरात से आते हैं। पुनः मुझे यह स्थिति भी स्वीकार्य नहीं है। इस योजना को आवश्यक रूप से पूर्व के क्षेत्रों को, उडीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहुंचना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : यह योजना राजस्थान में भी पहुंचनी चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस योजना को बढ़ावा दें भले ही वे इस योजना को पसंद न करते हों। इसे दक्षिण भारत में भी बढावा दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उनसे हमें शामिल करने के लिए कहें और हमें इसे बढ़ावा देने में खुशी होगी।

चीन को आमों का निर्यात

***184. श्री बी. वेंकटेस्वरलु :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन को फलों और सब्जियों के संबंध में भारत के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या चीन ने भारत के प्रधान मंत्री की हाल की चीन यात्रा के बाद भारतीय आमों के आयात में गहन रुचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने चीन को आमों का निर्यात आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के आमों का निर्यात किया गया है;

(ङ) चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान चीन को अनुमानतः कितनी मात्रा में आमों का निर्यात किया जाएगा और इस निर्यात से अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है;

(च) क्या अन्य फलों और सब्जियों का निर्यात बढाने के लिए चीन के साथ कोई बातचीत चल रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) चीन के साथ फलों और सब्जियों के व्यापार में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान चीन को फलों और सब्जियों (ताजे और प्रसंस्कृत) के निर्यातों का कुल मूल्य क्रमशः 25.93 लाख रुपए और 181.73 लाख रुपए रहा है।

(ख) से (घ) प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के बाद भारत ने निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में हाल ही में आमों की एक खेप भेजी है

(ङ) इस स्तर पर चीन को आमों के निर्यात का अनुमान लगाना समयपूर्व है।

(च) से (ज) चीन को प्रस्तुत अन्य ताजे फलों और सब्जियों के लिए पादप स्वच्छता संबंधी प्रोटोकोल पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, हाल ही में कुछेक फलों और सब्जियों के आयात शुरू करने पर विचार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री बी. वेंकटेस्वरलु : माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि वर्ष 2001–02 के दौरान फलों और सब्जियों का कुल निर्यात 25.93 लाख रुपए का हुआ था। और वर्ष 2002–03 के दौरान यह बढकर 181.73 लाख रुपए का हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चालू वर्ष के दौरान विशेषकर जून में माननीय प्रधान मंत्री के चीन दौरे के पश्चात् फलों और सब्जियों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्री अरुण जेटली : मैं इसका सविस्तार उल्लेख करूंगा। जहां तक फलों और सब्जियों का सवाल है, इनका निर्यात चीन को करने में कुछ कठिनाई थी वह भी इस साधारण वजह से कि जहां तक भारतीय फलों और सब्जियों का सवाल है, चीन में इनकी विभिन्न प्रकार की स्वच्छता और पादप–स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र की जरूरत पडती है।

पिछले दो वर्षों से, हमने चीन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है कि चीन भारत से विभिन्न 17 प्रकार के फलों और सब्जियों को नियमित आधार पर खरीद सकता है। इस प्रकार, प्रधान मंत्री जी के दौरे के दौरान आम को एक वस्तु के रूप में स्वीकृति मिलना इस दिशा में पहला कदम है। अब हमने चीन से अनुरोध किया है कि वह शेष 16 वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग–अलग स्वीकृति देने के बजाय सभी को एक साथ यथाशीघ्र स्वीकृति दे। मैंने इसके लिए अनुरोध करने हेतु चीन के राज्य मंत्री के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठक की थी। चीन की सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है।

इस प्रकार, फलों और सब्जियों का निर्यात आम मार्गों से नहीं हो रहा था। मैंने जिस तुच्छ आंकडे का उल्लेख किया है वह विभिन्न सीमा मार्गों से हो रहे सीमा व्यापार का एक हिस्सा है। अब इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। हमें प्रथम कुछ वर्षों में इसे सुनिश्चित करना होगा। जहां तक वर्तमान स्थिति है, सिर्फ आम के निर्यात को स्वीकृति मिली है। जब एक बार अन्य वस्तुओं को भी स्वीकृति मिल जाती है तो निर्यात की मात्रा में

पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार, अभी हम ऐसे चरण में हैं जहां से हम देख रहे हैं कि इन फलों और सब्जियों का हमारा व्यापार कैसे बढ़ने जा रहा है। फलों और सब्जियों के निर्यात हेतु कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

श्री बी. वेंकटेस्वरलु : महोदय, प्रधान मंत्री जी के हाल के चीन दौरे के परिणामस्वरूप, दोनों देशों के बीच अनेक द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन समझौतों, विशेषकर व्यापार संबंधी समझौतों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गई है; क्या नाथु ला पास और सिक्किम के रास्ते द्विपक्षीय व्यापार शुरू हुआ है अथवा नहीं; आम और सब्जियों के अलावा चीन को और किन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है; तथा भारत चीन से किन वस्तुओं का आयात कर रहा है।

श्री अरुण जेटली : जहाँ तक नाथु ला से होकर सीमा चौकी व्यापार शुरू करने का प्रश्न है, इसे चालू करने से पहले हमें वहां सीमा शुल्क चौकी स्थापित करनी होगी और विभिन्न प्रशासनिक कदम उठाने होंगे। वहाँ से होकर व्यापार शुरू करने से पहले यथोचित समय लगेगा। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हू कि हमारे पास दो सीमा चौकियां पहले से ही मौजूद हैं–एक हिमाचल प्रदेश में और एक उत्तरांचल मे। परन्तु सीमा व्यापार भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापार का काफी तुच्छ हिस्सा है। हमारा कुल द्विपक्षीय व्यापार पांच बिलियन डॉलर का है। पांच बिलियन अमरीकी डॉलर 20,000 करोड़ रुपये से भी अधिक होता है। इसकी तुलना में सीमा व्यापार सिर्फ करीब 9 करोड़ रुपये का है। इस प्रकार, मुख्य व्यापार आम व्यापारिक मार्गों से हो रहा है।

जहां तक सामान्य व्यापार का सवाल है, चीन के साथ हमारा व्यापार और निर्यात पिछले कुछ वर्षों में पर्याप्त रूप से बढ़ा है। चीन से होने वाले आयात में भी प्रति वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। इनमें से अधिकांश अंतवर्ती उत्पादों तक सीमित है जिनका उपयोग औद्योगिक कार्यकलापों हेतु किया जाता है। पिछले वर्ष, चीन को होने वाले हमारे निर्यात में एक वर्ष में 106 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है तथा व्यापार अंतर काफी कम हुआ है। हम आशा कर रहे हैं कि इस वर्ष हम चीन के साथ अपने व्यापार असंतुलन को काफी हद तक दूर कर पाएंगे।

पिछले वर्ष चीन को निर्यात की गयी वस्तुओं में से महत्वपूर्ण वस्तुएं इस्पात, इस्पात और लोहा से संबंधित विभिन्न वस्तुएं, प्लास्टिक–वस्तुएं और विभिन्न प्रकार के रसायन रहे। इनमें से अधिकांश वस्तुएं अंतवर्ती उत्पाद है जिनका प्रयोग औद्योगिक उत्पादन हेतु किया जाता है।

श्री वी. वेत्रिसेलवन : अध्यक्ष महोदय, मेरा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कृष्णागिरि धर्मपुरी जिले में है जिसमें तमिलनाडु के अन्य जिलों की तुलना में आम और सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। धर्मपुरी में आम की सर्वाधिक पैदावार होती है परंतु आम उत्पादक अपना उत्पाद बेचने हेतु सुविधाओं की कमी तथा निर्यात हेतु उनके उत्पाद की खरीद की कमी के कारण अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। चीन में भारतीय आमों की काफी मांग है। हम आमों का निर्यात करके पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। तथा अपने फल और सब्जी उत्पादकों की स्थिति मे सुधार ला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए। समय की कमी है। यदि प्रश्न काल समाप्त हो जाता है तो आप अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पा सकेंगे। यदि उत्तर जानना चाहते है तो प्रश्न पूछिए।

श्री वी. वेत्रिसेलवन : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का चीन और अन्य देशों को निर्यात करने हेतु धर्मपुरी जिले से आमों और सब्जियों की खरीद करने का कोई प्रस्ताव है। यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने वाली है?

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि भारत के विस्तृत क्षेत्रफल पर आमों की खेती विशेष रूप से की जाती है। विश्व भर में आम की मांग बढ़ रही है। वास्तविकता तो यह है कि हमारे खाद्य निर्यातों में दो भारतीय खाद्य वस्तुएं, एक आम और दूसरा बासमती चावल अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिष्ठापित हो गई है। मुद्रा अर्जन की दृष्टि से आम का स्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब अंगूर का व्यापार भी बढ़ रहा है। हमारा प्रयास भारतीय आम की संकल्पना को अंतर्राष्ट्रीय रूप से लोकप्रिय बनाना है।

मध्याह्न 12.00 बजे

इसके परिणामस्वरूप 'एपिडा' ने तमिलनाडु सहित देश के सभी भागों के आमों की बिक्री लोकप्रिय बनाने के लिए विश्व भर में आम्र–प्रदर्शनियां आयोजित की हैं। ये आयोजन विभिन्न महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्थलों पर आयोजित किए गए हैं। उदाहरण के लिए यह इंगलैंड के सेलफ्रिज स्टोर्स पर कई दिन तक आयोजित की गई ताकि इसे मीडिया में महत्व मिले। भारतीय आम की मांग बढ़ने के कारण इसकी बिक्री में भी वृद्धि हुई है।

आमों को लोकप्रिय बनाने के साथ–साथ, भारतीय आमों के स्वास्थ्य मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कराने संबंधी समस्या का समाधान भी करना था। जापान और आस्ट्रेलिया के अलावा सभी देशों ने अब इन्हे मान्यता दे दी है।

[हिंन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा : महोदय, आम एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट कमोडिटी है। आम निर्यातकों के सामने बहुत सी समस्यायें हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आम के एक्सपोर्ट प्रोमोशन के लिए मैंगो बोर्ड बनाने पर विचार कर रही है?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदय, एपीडा इस काम को कर रही है। इस अकेले फूड आइटम को एपीडा देख रही है। इसलिए अलग से बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 185 – श्री दलपत सिंह परस्ते उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मृत्यु दण्ड

***185. श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मृत्यु दण्ड के प्रावधान को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में प्रतिष्ठित वकीलों और अन्य विशेषज्ञों की राय ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूती कपड़ा उद्योग

***186. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :**

श्री शिवाजी माने :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सूती कपड़ा उद्योग गम्भीर संकट से गुजर रहा है और अनेक मिलें बन्द हान के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन स्थितियों का कोई आकलन किया है जिनके कारण इस उद्योग में संकट पैदा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इनके परिणामस्वरूप सरकार को कहां तक सफलता मिली है?

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन) : (क) से (ङ) जी नहीं। सूती वस्त्र उद्योग किसी गम्भीर संकट का सामना नहीं कर रहा जो बढे हुए घरेलू उत्पादन और निर्यात में वृद्धि से भी स्पष्ट है। तथापि, विभिन्न आंतरिक और बाह्य कारणों से कुछ इकाइयां रुग्ण हो गयी हैं अथवा रुग्णता के कगार पर हैं। अनेक ईकाइयों के मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को भी संदर्भित किए गए है।

कपास कताई क्षेत्र में किए गए त्वरित अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि लगभग 35 प्रतिशत ईकाइयां लाभ कमा रही हैं, 38 प्रतिशत ऐसी हैं जिनके लिए उन्हें रुग्णता की ओर आगे बढ़ने से रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और जिनके पुनरुद्धार की सम्भावना है जबकि शेष ईकाइयां ऐसी स्थिति में हैं कि उनका पुनरुद्धार तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक कि संवर्धक भारी निवेश के साथ आगे न आएं।

रुग्ण होने वाले और रुग्णता की ओर बढ़ने वाली ईकाइयों के प्रमुख कारण अप्रचलित प्रौद्योगिकी, उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप लागत में कमी का अभाव, खराब प्रबंधन और ऋण

देयता (ब्याज भुगतान) का भारी बोझ, कपास की निम्न उत्पादकता और गुणवत्ता और राजकोषीय नीति व्याख्या में प्रारम्भिक विकृति है।

बजट 2003–04 में, राजकोषीय सुधार को पूरा किया गया जिसमें वस्त्र उद्योग के सभी उप–क्षेत्रों को समान अवसर दिया गया है। मूल सीमा शुल्क को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था। कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) को भारतीय कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वर्ष 2000 में प्रारम्भ किया गया था। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि सरकार वस्त्र उद्योग की रुग्णता को रोकने के उद्देश्य से अर्थक्षम/सम्भावित रूप से अर्थक्षम एककों के अधीन ऋण घाटा को पुनर्गठन करने के लिए एक तंत्र पर विचार कर रहा है।

30 जून, 2003 की स्थिति के अनुसार, उत्पादकता बढ़ाने और संक्रमण कम करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत, 109 कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए पी एम सी) का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और 262 जिनिंग व प्रैसिंग एककों को सहायता प्रदान की गई है। फार्म और उद्योग के बीच सतत् सम्पर्क प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने एकीकृत कपास कृषि को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

बजट 2003–04 की घोषणाओं से विशेषकर बुनाई/प्रसंस्करण और संगठित क्षेत्र में भी निवेश को गति मिलेगी। बजट 2003–04 में जैसा कि वादा किया गया है, ऋण पुनर्गठन के लिए तंत्र को अन्तिम रूप देने के उद्देश्य से सरकार सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श कर रही है।

[अनुवाद]

निवेशित पूंजी की वापसी

***187. श्रीमती कान्ति सिंह :**

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1990 के दशक में बड़ी संख्या में शुरू की गई पौधारोपण कंपनियों ने निवेशकों से भारी धनराशि एकत्रित की थी और ये कंपनियां अब उनकी इस निवेशित धनराशि को वापस नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों को निदेश दिए हैं कि निवेशकों को उनकी धनराशि ब्याज सहित वापस की जाए;

(घ) यदि हां, तो क्या निवेशकों को यह धनराशि वापस करने में इन कंपनियों की दक्षता के बारे में सरकार द्वारा कोई आकलन किया गया है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) सेबी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 664 सामूहिक निवेश योजना कंपनियों द्वारा कथित रूप से 3518 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

(ग) सेबी ने सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11–ख के अंतर्गत 605 सामूहिक निवेश योजना कंपनियों को यह निर्देश जारी किए थे कि वे इस आदेश की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर पेशकश की शर्तों के अनुसार निवेशकों को देय लाभों सहित योजनाओं के अंतर्गत जुटाई गई धनराशि की वापसी–अदायगी कर दें।

(घ) और (ड) सेबी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 158 कंपनियों ने अपने निवेशकों को 1365 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी–अदायगी कर दी है। इसके अतिरिक्त 560 कंपनियों और उनसे जुड़े पदाधिकारियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार में कार्य करने और/या पूंजी बाजार में प्रवेश करने से विवर्जित कर दिया गया है। उनके मामले चूक, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वास भंग और सार्वजनिक धन के दुर्विनियोजन के स्पष्ट अपराधों के लिए उनके विरुद्ध सिविल/आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को भी भेजे गए हैं। सेबी न 190 कंपनियों और उनके निवेशकों के विरुद्ध अपने निवेशकों को वापसी–अदायगी के लिए अपनी सामूहिक निवेश योजना को बंद करने में असफल रहने पर आपराधिक अभियोजन शुरू किया है। 49 चूककर्त्ता सामूहिक निवेश योजना कंपनियों के मामले में सेबी ने पुलिस प्राधिकारियों से अनुरोध किया है कि इन कंपनियों और/या

उनसे जुड़े अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें।

वैश्विक निवेश समझौता

***188. श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्रीमती प्रभा राव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वैश्विक निवेश समझौते पर विश्व संगठन द्वारा बातचीत करने के विरुद्ध विकासशील देशों के समर्थन की मांग कर रही है;

(ख) क्या प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में बातचीत का सुझाव दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कैनकून में सितम्बर 2003 में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन के प्रस्तावित मंत्रियों के सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण का किन-किन देशों ने समर्थन किया है; और

(घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में विकसित देशों द्वारा रखा गया प्रस्ताव कहां तक विकासशील देशों के हितों के विपरीत है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा में कहा गया था कि निवेश संबंधी बहुपक्षीय कार्यढांचे पर वार्ताएँ कैनकुन में पांचवे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में वार्ताओं की रूपरेखाओं पर सहमति से लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर उस सम्मेलन के बाद होगी। दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा के आधार पर, व्यापार एवं निवेश के बीच संबंध पर डब्ल्यूटीओं के कार्यदल मे एक स्पष्टीकरण संबंधी कार्यवाही चल रही है।

स्पष्टीकरण प्रक्रिया में विचाराधीन एक तत्व निवेश की व्याप्ति और परिभाषा है और इसमें निवेश के एक रूप में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल है। विचार-विमर्श में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित सभी तत्वों को स्पष्ट करने और उनका विश्लेषण करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि किसी सम्भव बहुपक्षीय कार्यढांचे में इन तत्वों पर एक सामान्य सहमति की जा सके।

भारत ने सरल रूपरेखाओं जिनसे किसी प्रस्तावित करार के अंतर्गत दायित्वों के निर्देश और स्वरूप के किसी विचार का पता नहीं लगता, पर आधारित वार्ताओं को शुरू करने के बारे में अपनी चिन्ताएं व्यक्त की हैं। भारत सहित कुछ विकासशील देशों का यह तर्क है कि इस स्तर पर किसी संभव बहुपक्षीय कार्यढांचे अथवा इसके घटकों के बारे में प्रस्तावकों के बीच भी अलग-अलग विचार हैं और स्पष्टता की कमी है। अतः दोहा में शुरू की गई स्पष्टीकरण प्रक्रिया को जारी रखना चाहते थे। इस स्थिति को बारह देशों के एक समूह जिसमें भारत, बंगलादेश, क्यूबा, मिस्र, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, वेनेजुअला, जांबिया और जिम्बाबवे शामिल हैं; द्वारा सरल रूपरेखाओं का प्रस्ताव करने वालू यूरोपीय समुदाय द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज (डब्ल्यूटी/जीसी/डब्ल्यू/491) के उत्तर में 8 जुलाई, 2003 के एक संयुक्त दस्तावेज (डब्ल्यूटी/जीसी/डब्ल्यू/501) मे दोहराया गया था।

नैरोबी में पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के व्यापार मंत्रियो, ढाका में द्वितीय एलडीसी व्यापार मंत्रियों और मारीशस में अफ्रीकी यूनियन के व्यापार मंत्रियो की हाल की बैठकों में ऐसी ही स्थिति व्यक्त की गई है।

इसके अतिरिक्त 26 विकासशल देशों के एक समूह जिसमें भारत, अर्जेन्टीना, बोलिविया, बोत्साना, ब्राजील, चिली, चीन, कोलम्बिया, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, एक्वाडोर, ईआई साल्वाडोर, गेबन, ग्वाटेमाला, हांडूरास, मलेशिया, मैक्सिको, मोरक्को, मिकारागोवा, पाकिस्तान, प्रागवे, पेरू, थाइलैंड, उरूग्वे, वैन्जुअला और जिम्बाबवे शामिल है, ने 6 जून, 2003 को व्यापार वार्ता समिति को एक कागजात (टीएन/सी/डब्ल्यू/13) प्रस्तुत किया है जिसमें निवेश के मुद्दे पर उन्होंने इस स्थिति को दोहराया है कि गहन विचार-विमर्श के बावजूद स्पष्टीकरण के लिए पता लगाए गए बहुत से विषयों के संबंध में अब भी मतभेद मौजूद हैं और आगे विश्लेषण किए जाने की जरूरत है तथा स्पष्ट सहमति द्वारा कैनकुन में निर्णय की जाने वाली किन्हीं रूपरेखाओं को वार्ताओं के ढांचे और सुस्पष्ट विषय-वस्तु के संबंध में निश्चितता प्रदान किए जाने की जरूरत है।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

***189. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :**

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच कुल कितना व्यापार हुआ;

(ख) क्या सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने की संभावना का पता लगा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्वास पैदा करने के उपाय के रूप में दोनों देशों के उन कुल वस्तुओं के आयात की स्वीकृति दी है, जिन पर पहले दोनों देशों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दोनों देशों के बीच कौन–कौन सी वस्तुओं पर व्यापार प्रतिबंध लगा हुआ है, और इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान पाकिस्तान के साथ हुए भारत के कुल व्यापार के आँकड़े निम्नानुसार हैं:–

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
2000–2001	186.83	64.03	250.86
2001–2002	144.01	74.76	208.77
2002–2003	205.81	44.52	250.33

(ख) और (ग) पाकिस्तान सहित सभी देशों के साथ व्यापार संधियों को बढ़ाना सरकार की नीति है। डब्ल्यूटीओ के एक सदस्य के रूप में भारत सरकार पाकिस्तान को डब्ल्यूटीओ का एक अन्य सदस्य होने के कारण परम मित्र राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा दे रही है। परन्तु पाकिस्तान ने डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत इस आवश्यकता का अभी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। भारत सार्क अधिमानी व्यापार करार (साप्टा) के अंर्तत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन (सार्क) सदस्य देशों के साथ टैरिफ रियायतों को आदान–प्रदान भी कर रहा है। व्यापार संवर्धन के अन्य उपायों में व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडलों को भेजना और बुलाना, मेलों और प्रदर्शनियों तथा क्रेता–विक्रेता बैठकों में भाग लेना शामिल हैं।

(घ) से (च) यद्यपि भारत ने पाकिस्तान से किसी विशिष्ट मद के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है परन्तु पाकिस्तान द्वारा अपने आयात के लिए केवल 600 भारतीय मदों को अधिसूचित किया गया है।

प्रधानमंत्री की शांति पहल के उत्तर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 6 मई, 2003 को दिए गए अपने वक्तव्य में यह घोषणा की थी कि सार्क पर बल देने के लिए पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार की सकारात्मक सूची में 78 अतिरिक्त मदों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इनमें दूध, प्याज, फल, बीज, मूँगफली का तेल और खली, रसायन, धातुएँ और अर्द्ध कीमती पत्थर आदि शामिल हैं। इस संबंध में पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा बाद में एक औपचारिक आदेश जारी किया गया था।

भारत से आयातों के लिए पाकिस्तान की सकारात्मक सूची में उल्लिखित मदों (600+78) के अतिरिक्त अन्य मदों की भारत से आयात की अनुमति नहीं है।

डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में वृद्धि

***190. श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्तावधि के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में वृद्धि से हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी हां। पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय रुपया सहित विश्व की अनेक मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर के मूल्य में कमी आई है।

(ख) और (ग) अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में वृद्धि के बावजूद अप्रैल–मई, 2003–2004 के दौरान पण्य वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य में 11.12% की वृद्धि प्रदर्शित

हुई है और 2002–2003 में 52 बिलियन डॉलर के हुए रिकार्ड निर्यातों से 2002–2003 में 19.2% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है।

(घ) रुपये की विनिमय दर मोटे तौर पर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। तथापि, आरबीआई द्वारा स्वदेश और विदेश स्थित वित्तीय बाजारों में घटनाक्रमों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है तथा समय–समय पर आवश्यक समझे गए समुचित आर्थिक, विनियामक तथा अन्य उपायों से अपने बाजारी संकार्यों का सावधानी पूर्वक समन्वय किया जाता है।

सहकारी बैंकों में घोटाला

***191. श्री सवशीभाई मकवाना :**

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी के बड़ी संख्या में हाल ही में पकड़े गए मामलों के मद्देनजर सरकार का विचार गुजरात में और देश के अन्य भागों में चल रहे सहकारी बैंकों की कार्यशैली की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले छह माह के दौरान राज्य–वार कितने बैंक घोटालों की सूचना मिली है और इन घोटालों में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) क्या धोखाधड़ी के इन मामलों में आरोप निर्धारित करने में अत्याधिक विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) घोटाला करने वालों पर मुकदमा चलाने और ऐसी धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 1.1.2003 से 30.6.2003 तक की अवधि के दौरान राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी)/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से संबंधित कोई धोखाधड़ी/बैंक घोटाला नहीं था। तथापि, उसी अवधि के दौरान 98 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा धोखाधड़ी के 117 मामलों की सूचना दी गई है जिनमें 6047.7 लाख रुपये की कुल राशि अंतर्ग्रस्त थी। पिछले छः महीने के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित धोखाधड़ियों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से विवरणियां/विधरण मंगाकर तिमाही आधार पर धोखाधड़ियों में शामिल बैंकों की स्थितियों की समीक्षा कर रहा है। धोखाधड़ियों की घटनाओं को नियंत्रित करने/रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को समय–समय पर मार्गनिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। बैंकों को यह सलाह दी गई है कि सामान्य नियम के रूप में बैंकों में हुई धोखाधड़ियों के सभी मामले, चाहे बाहरी व्यक्तियों द्वारा या स्वयं उनके द्वारा या बैंक कर्मचारियों की मिली–भगत से या स्वयं बैंक कर्मचारियों द्वारा किए गए हों, को निश्चित रूप से जांचकर्ता एजेंसियों को भेज जाना चाहिए। आपराधिक मामले, जहां कहीं उपयुक्त हों, बैंक के इस निष्कर्ष के तत्काल बाद न्यायालयों में दायर किए जाने चाहिए कि धोखाधड़ी की घटना हुई है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, एक मामले, जिसमें बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मामला उठाने के पश्चात् ही पुलिस शिकायत दर्ज की थी, को छोड़कर दोषी पाए गए अन्य मामलों के संबंध में आरोप लगाने में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है।

(ङ) शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के प्रबंधन द्वारा की गई धोखाधड़ियों/घोटालों की जांच, उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार/सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार, जैसा मामला हो, द्वारा की जानी अपेक्षित होती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण की प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं यथा मांग मुद्रा बाजार से उधार लेने से यूसीबी को रोकना, अलग–अलग व्यक्तियों/शेयर दलालों/अन्य किसी कंपनी को शेयरों की प्रतिभूति के बदले प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उधार देने से उन्हें रोकना और समाशोधन के लिए पेश किए गए लिखतों के बदले बैंकर चैक/भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट जारी करने पर तब तक रोक लगाना जब तक इसकी आय एकत्रित नहीं हो जाती तथा संबंधित पार्टियों के खाते में जमा नहीं हो जाती। इन बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि उन्हें निदेशक मण्डल की एक लेखापरीक्षा समिति गठित करनी चाहिए जिसे आन्तरिक लेखापरीक्षा/सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों एवं भारतीय रिजर्व

बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करनी चाहिए तथा ऐसी रिपोर्टों में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई की निगरानी करनी चाहिए।

विवरण

पिछले 6 महीनों के दौरान आरबीआई को सूचित किए गए धोखाधड़ियों का ब्यौरा जिसमें मामलों की सं., बैंकों की सं. एवं अंगतर्ग्रस्त राशि दर्शायी गई है

राज्य	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त बैंकों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (राशि लाख रु. में)
गुजरात	17	15	392.62
कर्नाटक	15	14	5004.73
उडीसा	1	1	0.82
मध्य प्रदेश	2	2	29.62
तमिलनाडु	4	4	20.27
असम, मेघालय, मणिपुर	2	2	3.88
आन्ध्र प्रदेश	3	3	48.66
राजस्थान	1	1	1.40
महाराष्ट्र	65	49	519.25
केरल	7	7	26.45
कुल	117	98	6047.70

बैंकों को नगदी सहायता

*192. **श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के अनेक बैंकों से जमाकर्त्ताओं ने अज्ञात कारणों से अकस्मात् अपनी धरराशि वापस ले ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक अकस्मात् और अनपेक्षित नकदी की कमी का सामना करने वाले बैंकों को नकद सहायता प्रदान करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी बैंक ने अकस्मात् और अप्रत्याशित नकदी की कमी से उबरने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अकस्मात् और अप्रत्याशित नकदी समस्याओं का सामना कर रहे बैंकों को नगदी सहायता दे सकता है। हाल ही में ऐसी सहायता आईसीआईसीआई बैंक लि. को दी गई थी जिसे गुजरात में निकल रहीं कुछ प्रेस रिपोर्टों से प्रेरित होकर बड़े पैमाने पर किए गए आहरणों का सामना करना पड़ा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार की प्रतिभूतियों के लिए 809 करोड़ रुपये चार दिन के लिए दिए थे, ताकि यह बैंक प्रत्याशित भारी नकदी आहरणों को पूरा कर सके।

चीन के साथ व्यापार

*193. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तथा चीन के बैंको ने व्यापार में मदद करने हेतु मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या प्रमुख व्यापारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक तथा सैन्ट्रल बैंक ऑफ चीन से आपस में मिलकर सहयोग करने हेतु अनुरोध किया है ताकि दोनों देशों की बैंकिंग नीतियों में सहक्रिया बनी रहे; और

(ग) यदि हां, तो भारत और चीन दोनों देशों में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु सहयता देने पर कहां तक सहमति हुई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (ग) भारतीय प्रधानमंत्री के चीन दौरे के दौरान जून 2003 में एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत दोनों

देश वित्तीय संवाद एवं सहयोग तंत्र शुरू करने पर सहमत हुए हैं। पारस्परिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीन ने चीनी निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंक से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य वाले क्रेता की साख–उधार का प्रस्ताव किया है।

राज्य वित्त निगमें

*194. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की भारतीय रिजर्व बैंक को राज्य वित्त निगमों के संबंध में एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने की अनुमति देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की देश में सभी राज्य वित्त निगमों के पूरे कार्यकरण को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का विनियामक प्राधिकरण बनाने की भी कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुप्ता समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य वित्त निगमों के समग्र पुनर्गठन/पुनर्पूजीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के लिए राज्य वित्त निगमों के संबंध में पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने अथवा राज्य वित्त निगमों के लिए राष्ट्रीय स्तर के विनियामक प्राधिकरण को बनाने की कोई योजना नहीं है। जी.पी. गुप्ता समिति ने राज्य वित्त निगमों को पुनर्पूजीकरण करने सहित कई सिफारिशें कीं। राज्य वित्त निगम के पुनर्पूजीकरण के संबंध में केन्द्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक, आईडीबीआई एवं एसआईडीबीआई से परामर्श किया था। भारतीय रिजर्व बैंक/केन्द्र सरकार राज्य वित्त निगमों में शेयरधारक नहीं होते हैं। चूंकि राज्य वित्त निगम राज्य की सत्ता होती है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य वित्त निगमों के पुनर्पूजीकरण के लिए निधि प्रदान करना उचित नहीं पाया गया है। आईडीबीआई एवं एसआईडीबीआई ने उनकी संकटपूर्ण वित्तिय स्थिति के कारण पुनर्पूजीकरण की लागत में हिस्सेदारी हेतु अपनी असमर्थता जताई है। अतः राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वित्तीय संस्थाओं से दीर्घावधि वित्त को आकर्षित करने के लिए राज्य वित्त निगमों को अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली में सुधार लाना चाहिए तथा उनकी अर्थक्षमता को पुनः स्थापित करना चाहिए।

जनजातीय लोगों का उत्थान

*195. **डा. एन. वेंकटस्वामी** :

श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय लोगों के बीच सर्वाधिक पिछड़े समुदायों अर्थात् आदिम जाति समूहों और स्वदेशी जनजातीय समूहों के उत्थान हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनके उत्थान के लिए कितने गैर–सरकारी संगठनों को सहायता दी गई;

(घ) चालू वर्ष के बजट में गैर–सरकारी संगठनों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ङ) इन संगठनों द्वारा धनराशि का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) और (ख) जी, हां। आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) का उत्थान सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1998–99 में सरकार ने एक विशेष योजना प्रारम्भ की है।

यह योजना, राज्य सरकारों एवं गैर–सरकारी संगठनों के जरिए कार्यान्वित की जाती है। उनके उत्थान के लिए कोई भी कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत शुरू किया जा सकता है।

(ग) आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए वर्ष 2000–01 के दौरान 13 गैर सरकारी संगठनों को, वर्ष 2001–02 के दौरान 21 गैर–सरकारी संगठनों को और वर्ष 2002–03 के दौरान 15 गैर–सरकारी संगठनों को सहायता दी गई।

(घ) चालू वर्ष 2003–04 के दौरान गैर–सरकारी संगठनों के लिए 6 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ङ) संगठनों द्वारा इन निधियों का उपयोग कई कार्यक्रमों जैसे :– सचल औषधालय, आदिम जनजातीय समूह के बच्चों के लिए छात्रावासों, अस्पताल और हथकरघा तथा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण, आवासीय तथा गैर–आवासीय स्कूलों की स्थापना, बढ़ईगिरी, वन उत्पाद, वस्त्र, हस्तशिल्प आदि के क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम, संस्कृति और खेल, सौर विद्युतीकरण और मशरूम तथा बांस की खेती आदि के लिए किया गया।

[हिन्दी]

खराब खाद्यान्नों का निपटान

*196. **श्री सुन्दर लाल तिवारी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) से खराब खाद्यान्नों को निपटाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय खराब खाद्यान्नों की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(घ) भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को इसके कारण कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम से कहा गया है कि वे क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों को पशुचारे के रूप में वर्गीकृत करते हुए इसे सूखा प्रभावित राज्यों में निशुल्क उपलब्ध करवाकर इसका निपटान करें और खाद्यान्नों की शेष मात्रा को निर्धारित प्रक्रियानुसार वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचें लेकिन यह बिक्री उस आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर नहीं होनी चाहिए जो इस प्रयोजनार्थ तय की गई हो। 30.6.2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा सूचित क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की स्टॉक स्थिति निम्नानुसार है:–

जिंस	मात्रा (टन में)
गेहूं	18389
चावल	97696
धान	2008
जोड़	118093

भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की बिक्री से प्राप्त राशि के अंतर के आधार पर आरक्षित (रिजर्व) मूल्यों पर की गई गणना के अनुसार 30 जून, 2003 को उपलब्ध 1,18,093 टन क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के संबंध में लगभग 107.03 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया है।

भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए किए गए/किए जा रहे विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:–

(i) स्थापना लागत में कमी करना;

(ii) मार्गस्थ और भंडारण हानियों में कमी करना;

(iii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं हेतु देश के विभिन्न भागों के डिपुओं में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार सुनिश्चित करने के लिए बेहतर 'इन्वेंट्री प्लानिंग' अपनाना;

(iv) वसूल किए गए, भंडारित और जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाए रखना;

(v) पुराने और क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का त्वरित निपटान करना;

(vi) सतर्कता और सुरक्षा को सुदृढ़ करना;

(vii) गैर–परम्परागत राज्यों में वसूली पर अधिक ध्यान केंद्रित करना।

[अनुवाद]

निर्यात में धोखाधड़ी

*197. **श्री शिवराजसिंह चौहान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात में धोखाधड़ी करने के आरोप में अनेक निर्यातकों को पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी फर्मों के राज्य–वार नाम क्या हैं और कितनी धनराशि का इस प्रकार का निर्यात किया गया और प्रत्येक मामले में अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन प्रत्येक निर्यातकों के विरुद्ध और समग्र निर्यातकों के विरुद्ध क्या निवारणात्मक और सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान धोखाधड़ी से निर्यात करने वाली 615 फर्मों का पता लगाया है। इनमें 2805.15 करोड़ रुपये का कुल शुल्क अंतर्ग्रस्त है और प्रत्येक मामले संलग्न विवरण । तथा ।। में उपलब्ध हैं। अंतर्ग्रस्त माल को जब्त करने और कुछ मामलामें में अर्थदंड लगाने, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निरूद्ध करने और गिरफ्तार करने जैसे दाण्डिक उपायों के अलावा निवारक उपायों के रूप में बेईमान निर्यातकों द्वारा धोखाधड़ी से निर्यात करने के प्रयासों को रोकने के लिए निर्यात कार्गो के जांच तथा मूल्यांकन से संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। संवेदनशील जिन्सों पर कार्रवाई करने और संवेदनशील गन्तव्यों को इनके निर्यात के प्रति अधिकारियों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए स्वतः सीमाशुल्क निकासी प्रणाली में जांचों को शामिल किया गया है। राजस्व आसूचना निदेशालय भी ऐसी धोखाधड़ियों के संबंध में आवधिक रूप से आसूचना एकत्र करता है और इसे देश के सभी सीमाशुल्क गृहों को प्रचारित करता है। दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्यात संवर्द्धन स्कीमों में ही विभिन्न सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से कुछ निम्न रूप से हैं:–

(i) अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंस वास्तविक प्रयोगकर्ता शर्त के अधीन होते हैं और ये अहस्तांतरणीय होते हैं।

(ii) निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल स्कीम के अंतर्गत आयातित पूंजीगत माल निर्यात बाध्यता के पूरा होने तक वास्तविक प्रयोगकर्ता शर्त के अधीन होता है।

(iii) डीएफआरसी स्कीम के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात के लिए एक विनिर्दिष्ट मिलीभगत है।

(iv) 17 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की डीईपीबी दर वाली मदों के संबंध में मूल्य सीमा अनभिप्रेत लाभ को रोकने के लिए विनिर्दिष्ट है। 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की डीईपीबी दर वाले उत्पादों के संबंध में वर्तमान बाजार मूल्य (पीएमवी) के सत्यापन के लिए अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं तथा निर्यातक से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है कि डीईपीबी स्कीम के अंतर्गत लाभ वर्तमान बाजार मूल्य के 50 प्रतिशक से अधिक नहीं होगा।

(v) प्रतिअदायगी सीमा, अधिक बीजक द्वारा उच्चतर प्रतिअदायगी के लाभ को रोकने के लिए प्रतिअदायगी के सभी उद्योग दर में विनिर्दिष्ट की गई है। संवेदनशील स्थानों को निर्यात किए गए माल के लिए वर्तमान बाजार मूल्य संबंधी जांचों की व्यवस्था की गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान आसूचना महानिदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मामले

राज्य	फर्म का नाम	एससीएन में कथित रूप से पता लगाई गई नियमितताओं के साथ स्कीम का नाम	अंगर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
गुजरात	मै. अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	अधिक डीईपीबी लेने के लिए सीडी रोम के निर्यात में अधिक मूल्यांकन	7829 लाख (घोषित मूल्य) डीईपीबी की मांग की गई राशि 1332 लाख रुपये

1	2	3	4
	मै. इंटरकंटिनेंटल (इंडिया)	तदैव	2215 लाख (घोषित मूल्य) डीईपीबी की मांग की गई राशि 541 लाख रुपये
	मैं क्लोरोटैक्स	तदैव	1223 लाख (घोषित मूल्य) जिसे कम करके 67.23 लाख रुपये किया जाना है।
	मै. एडवांस एक्सपोर्ट्स	तदैव	466 लाख (घोषित मूल्य) डीईपीबी द्वारा नकारा गया 48 लाख रुपये अधिक
	मै. कांची इम्पैक्स प्रा. लि.	प्रतिअदायगी लेने के लिए घटिया किस्म के परिधान का अधिक मूल्यांकन	160 लाख (घोषित मूल्य) 23.76 लाख रुपये की प्रतिअदायगी का दावा
	मै. सोनू एक्सपोर्ट्स	इसे अधिक मूल्यांकन द्वारा घटिया मात्रा और किस्म के कपड़े के निर्यात	15.45 लाख (घोषित मूल्य)
	मै. एंग्लो फ्रेंच ड्रग्स और इंडस्ट्रीज़, गुजरात	निर्यात बाध्यता का पूरा न करना। ईपीसीजी स्कीम का दुरुपयोग	86.35
	मै. पायनियर एम्ब्रोइडिज, गुजरात	तदैव	27.11
तमिलनाडु	फाउंडेशन गारमेंट्स, चेन्नई	निर्यात आय का प्राप्त न होना – प्रतिअदायगी स्कीम का दुरूपयोग	9.10
	स्फेरो स्पोर्ट्स, चेन्नई	तदैव	2.66
	क्लासिक क्लाथिंग, चेन्नई	तदैव	14.57
	अफाक लैदर, चेन्नई	तदैव	18.46
	पेन क्लॉथिंग, चेन्नई	तदैव	14.68
	प्लानिप्पा इंडस्ट्री, चेन्नई	तदैव	3.40
	टैक्स इंडिया, चेन्नई	तदैव	0.91
	इंडिया लैदर, चेन्नई	तदैव	2.60
	स्लैक्ट लैदर, चेन्नई	तदैव	1.05
	अन्नाई अभिरिमी लैदर	तदैव	1.92

1	2	3	4
	एल्पाइन क्लॉथिंग, चेन्नई	निर्यात प्रतिफल का प्राप्त न होना – का दुरूपयोग	6.38
	लैटिन एक्सपोर्ट्स, चेन्नई	तदैव	2.37
	शाह गारमेंट्स, चेन्नई	तदैव	0.19
	इण्ड फेब्रिक्स, चेन्नई	तदैव	0.02
	बिग ब्रदर्स, चेन्नई	तदैव	7.14
	पायल एक्सपोर्टस्, चेन्नई	तदैव	62.13
	आकाश ट्रेड, इंटरनेशनल, मदुरै	तदैव	34.12
	अपडेट क्लॉथिंग, चेन्नई	तदैव	15.42
	भारत इम्पैक्स, चेन्नई	तदैव	126.49
	वाई.के. एक्सपोर्ट, चेन्नई	तदैव	102.46
	श्रीपाल गारमेंट, चेन्नई	तदैव	42.18
	धनेश्वर ओवरसीज, चेन्नई	तदैव	15.42
	चम्पा फेब्रिक, चेन्नई	तदैव	67.38
	ग्लोबल नेटवर्क्स एंट, चेन्नई	भार की गलत घोषणा – डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	7.19
	एस.एस. एंट, चेन्नई	तदैव	6.49
	स्टार इंटरनेशनल, चेन्नई	प्रतिअदायगी स्कीम का दुरूपयोग	14.39
	केवीएस एक्सपोर्ट, चेन्नई	तदैव	65.60
	जेमिनी गारमेंट, चेन्नई	तदैव	124.19
	मरकनटाइल इंडिया, चेन्नई	मात्रा की गलत घोष्णा/अधिक घोषणा – डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	176.37
	प्रेज़ीडेंसी किड लैदर लि., चेन्नई	जॉब वर्क्स ब्यौरे को दबाना – डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	87.26
	फिरोज एंड कम्पनी, चेन्नई	जॉब कार्य ब्यौरे के संबंध में गलत घोषणा – डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	2.43

1	2	3	4
	रॉयल लिंक, चेन्नई	तदैव	14.46
	बालाजी इंड कारपोरेशन, चेन्नई	तदैव	4.89
	अदरनी एक्पोर्ट, चेन्नई	तदैव	11.02
	सियास सिस्टम, चेन्नई	तदैव	55.89
	वेस्ट एशिया ट्रेडिंग कं., चेन्नई	तदैव	2.23
	सेवन स्टार लॉजिस्टिक्स, चेन्नई	निर्यात माल का अधिक मूल्यांकन बैंक उगाही प्रमाणपत्र की धोखाधड़ी – डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	46.23
	ट्रांस इंड इम्पेक्स, चेन्नई	तदैव	26.57
	एग्जिम इंजीनियरिंग, चेन्नई	तदैव	13.27
	श्री महालक्ष्मी ऑयरन एंड स्टील, चेन्नई	तदैव	13.35
	प्राइम स्टोन एंड मोनुमेंट्स, चेन्नई	तदैव	13.35
	ग्लोबल नेटवर्क, एंट., चेन्नई (2 एससीएन जारी की गई – हवाई और समुद्र द्वारा निर्यात)	अपात्र प्रतिअदायगी का लाभ लेना– प्रतिअदायगी स्कीम का दुरूपयोग	57.70
	तिरूमुला ट्रेडर्स, चेन्नई (जहाज द्वारा)	तदैव	38.41
	तिरूमुला ट्रेडर्स, चेन्नई (समुद्र द्वारा)	तदैव	32.25
	पैकर सी फूड	डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	0.99
	पैकर सी फूड	तदैव	3.58
	मैटल सेल, चेन्नई	वास्तविक उपयोगिता शर्त का उल्लंघन – डीईईसी स्कीम का दुरूपयोग	25.00
	नम्बयूनाकी एक्सपोर्ट	अपात्र शुल्क प्रतिअदायगी का लाभ लेने के लिए अधिक बीजक द्वारा घटिया माल का निय्रात	14.98

1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	पशुपति ट्रेडर्स, सिकन्दराबाद	विवरण की गलत घोषणा – अधिक मूल्यांकन – डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	62.27
	विष्णु मर्चेंट, सिकन्दराबाद	तदैव	135.81
	बाबू एंट., गुन्टूर, आ. प्र.	अधिक मूल्यांकन – प्रतिअदायगी का दुरूपयोग	62.84
	विष्णु मर्चेंट, हैदराबाद	विवरण/मूल्य की गलत घोषणा – डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	77.89
	श्री सरिता सिंथेटिक लि., आ.प्र.	प्रतिअदायगी स्कीम (निर्यात माल का अधिक मूल्यांकन)	5.92
उत्तर प्रदेश	मैं क्रिएटिव एक्सपोर्ट, वाराणसी	अधिक प्रतिअदायगी का दावा करने के लिए अधिक मूल्यांकन द्वारा टी–शर्ट का निर्यात करने के लिए पार्टी ने प्रयास किया	7.20
	सेलम ट्रेडिंग इंक., नौएडा	तदैव	169.37
	मै. सफेटेग इंटरनेशनल	प्रतिअदायगी स्कीम का दुरूपयोग	103
	डी.के. ब्रदर्स	अधिक मूल्यांकन, गलत घोषणा, घोखाघडी से प्रतिअदायगी का लाभ	23.39
	एलैक्स एंटरप्राइसिस	प्रतिअदायगी का घोखाघडी से लाभ	42.90
	बृज इम्पैक्स इंटरनेशनल	अधिक मूल्यांकन, गलत घोषणा, घोखाघडी से प्रतिअदायगी का लाभ	70.56
केरल	बेबी मैरीन एक्सपोर्ट, कालीकट	डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	319.60
	बेबी मैरीन एक्सपोर्ट, कालीकट	तदैव	214.12
	कैपिथन एक्सपोर्टिंग कं., किलॉन	तदैव	174.90
कर्नाटक	एस.के. एंट.	अपात्र प्रतिअदायगी शुल्क का लाभ लेने के लिए अधिक बीजक द्वारा घटिया माल का निर्यात	12.66
	एन.एम. एक्सपोर्ट	तदैव	61.67

1	2	3	4
	बराका ओवरसीज़ ट्रेडर, मैंगलोर	डीईपीबी क्रेडिट का गलत लाभ लेना	174.77
	बराका ओवरसीज़ ट्रेडर, मैंगलोर	तदैव	31.78
	बराका ओवरसीज़ ट्रेडर, मैंगलोर	तदैव	287.27
	स्टर्लिंग फूड, मैंगलोर	तदैव	36.88
	स्टर्लिंग फूड, मैंगलोर	तदैव	45.76
	बेबी मेकिंग प्रोडक्ट	तदैव	162.30
	बेबी मेकिंग प्रोडक्ट	तदैव	288.42
	मायू बॉटर फूड	तदैव	8.58
	संगमकाशी सिल्क ईंडस्ट्री इंड., बंगलौर	डीईईसी स्कीम का दुरूपयोग	40.43
	ट्रेंडस् इम्पैक्स, बंगलौर	तदैव	22.17
	नमस्ते एक्सपोर्ट, बंगलौर	निर्यात प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ, प्रतिअदायगी वापिस की जानी है	1.23
	फेब्रिटैक्स एक्सपोर्ट, बंगलौर	निर्यात पर बकाया नहीं प्रतिअदायगी	16.75
	कास्मो लैदर एक्सपोर्ट	सीमाशुल्क अधिसूचना 160/92 और एग्जिम नीति की शर्तों का उल्लघंन	21.06
	टैक्सपोर्ट ओवरसीज़	प्रतिअदायगी शुल्क का दुरूपयोग	5.00
	ब्लयू स्ट्रीट फैशन	प्रतिअदायगी शुल्क का दुरूपयोग	1.00
	अलबियर क्लोथिंग	तदैव	38.00
	एसआरएफ लि.	डीईईसी स्कीम	63.45
	पलीरा सिल्क	ईपीसीजी स्कीम	30.35
	ओजावत इंड. लि. एंड ऐ एंड ऐ जिप्पर	तदैव	238.23
	मधारिका वियर एंड कम्पनी	शुल्क प्रतिअदायगी का दुरूपयोग	4.28 (बंगलौर का.ब.नो.) 1.88 (मुम्बई का.ब.नो.)
	लीला स्कोटिश	तदैव	5.84 (बंगलौर का.ब.नो.) 0.36 (चेन्नई का.ब.नो.)

1	2	3	4
	च्वाइस एप्रैल	निर्यात बाध्यता पूरा न करना	37.56
	मैसूर पोलिमर्स एंड रबड़ प्राड.	तदैव	65.67
	कोजी सिल्क (प्रा.) लि.	डीक स्कीम का दुरूपयोग	13.01
	शेट्रॉन लि.	निर्यात बाध्यता पूरा न करना	446.16
	सिल्क फेब एक्सपोर्ट	डीक स्कीम का दुरूपयोग	61.83 (चेन्नई का.ब.नो.) 155.30 (कलकत्ता का.ब.नो.)
	मोटोराला (आई) लि.	डीक स्कीम का दुरूपयोग	96.17
	तदैव	डीक स्कीम का दुरूपयोग, निर्यात बाध्यता का पूरा न करना	75.82
	टीटीक. लि.	डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	3.93
	बेल कंट्रोल लि. मैसूर	डीक स्कीम का दुरूपयोग	61.84
	विलकिंसन स्वार्ड	निर्यात बाध्यता का पूरा न करना	27.91
	स्टम्प शियुल समोपा एंड संस	डीक स्कीम का दुरूपयोग	132.32
	पायरी कालसेँन एंड संस	ईपीसीजी स्कीम	7.24
	एटी एंड एस. ननजंगुड	निर्यात प्रतिफल की प्राप्ति न होना, जहां प्रतिअदायगी का दावा किया था	24.95 (जेडीजीएफटी को अंतरित मामला)
	सनवियर एंड ग्रुप क.	प्रतिअदायगी शुल्क का दुरूपयोग	290.94
	प्रभा एंट.	डीईपीबी स्कीम – अपात्र क्रेडिट का दावा	18.78
	मोटोराला	डीक स्कीम के तहत निर्यात बाध्यता पूरा न करना	61.08
	अमीशा इंट.	शुल्क मुक्त कच्ची सामग्री का विपथन और ब्रिक और अवशिष्ट का निर्यात	491.80 (बंगलौर का.ब.नं.) 20.94 चेन्नई, का.ब.नो.)
	सरसरी ट्रेडिंग कारपो.	शुल्क मुक्त कच्ची सामग्री का विपथन और घटिया माल का निर्यात करना	जांचाधीन
महाराष्ट्र	मर्चेंट एक्सपोर्ट (इंडिया) मुम्बई	डीईपीबी स्कीम (निर्यात माल का अधिक मूल्यांकन)	12.65
	मै. डेल्स्टर आडियो वीडियो लि.	अग्रिम लाइसेंस का दुरूपयोग	17.19

1	2	3	4
	गणेश यार्नटैक्स एक्सपोर्ट/आदित्य एक्सपोर्ट, मुम्बई	तदैव	41.06
	मै. जुपिटर एक्सपोर्ट	अधिक डीईपीबी का धोखाधड़ी से दावा	80.56
	मै. कांची इम्पैक्स कारपो.	अधिक प्रतिअदायगी का दावा करने के लिए अधिक मूल्यांकन द्वारा कम आरएमजी मूल्य का निर्यात	–
	मै. स्टेनले इंड. (इंडिया) लि.	अधिक डीईपीबी के दावे के लिए निर्यात माल की गलत घोषणा	490.00 (एफओबी) 6.28 निश्चित मूल्य
	मै. केएसई इंक.	अधिक शुल्क अदायगी वापसी का दावा	0.41
	मै. वरूण कॅन्टिनेंटल लि.	भार की गलत घोषणा करके अधिक डीईपीबी का दावा	एफओबी घोषित मूल्य 1346.15 की बजाए वास्तविक मूल्य 656.51
	मै. विश्वज्योति इम्पेक्स, मुम्बई	अधिक डीईपीबी दावा	22.53
	मै सली एक्सपोर्ट	अधिक प्रतिअदायगी का दावा	48.00
	मै. एइन शाम एक्सपोर्ट	अधिक प्रतिअदायगी का दावा	59.00
	मै. साना इंटरनेशनल एंड मै. युनिवर्सल एक्सपोर्ट	डीक और डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	130.60
	मै. सुरवंशी टैक्सटाइल्स, महाराष्ट्र	तदैव	58.04
	मै. ग्लोबल-बोर्ड लि., मुम्बई	तदैव	213.08
	गार्डन कोर्ट, डिस्टीलिरिस, मुम्बई	निर्यात उत्पाद की गलत घोषणा अर्थात् शोधित स्प्रिट के रूप में डिनेचर एल्कोहल। प्रतिअदायगी	408.00
	सिधा सेवा एक्सपोर्ट, मुम्बई	सिलेसिलाए परिधान के निर्यात का अधिक बीजक। प्रतिअदायगी	37.79
	केएसई, इंटरनैशनल, मुम्बई	अध्याय शीर्षक की गलत घोषणा	0.41
	सेजल इंटरप्राइसिस, मुम्बई	आरएमजी के रूप में निर्यातित चिन्दीस/पुरानों प्रयोग किया कपड़ा प्रतिअदायगी	12.41
	एलीट, मुम्बई	प्राप्त न किए गए निर्यात प्रेषण प्रतिअदायगी	16.41

1	2	3	4
	विकी एक्सपोर्ट, मुम्बई	राज्य क्रेडिट प्रतिअदायगी स्कीम के तहत रूस को आरएमजी का निर्यात, इसके तीसरे देश अर्थात् दुबई को विपथन और निर्यात का अधिक बीजक बनाकर धोखाधड़ी से प्रतिअदायगी का लाभ लेना। प्रतिअदायगी	10.68
	दिव्या एंटरप्राइसिस, मुम्बई	तदैव	78.80
	कोयना ग्लास वर्क्स, मुम्बई	तदैव	114.87
	निप एक्सपोर्ट, मुम्बई	तदैव	388.76
	क्लासिक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मुम्बई	तदैव	269.78
	एसवी एक्सपोर्ट, मुम्बई	तदैव	55.94
	मै. प्रिसिशियन शियर एंड नाइवस प्रा. लि., मुम्बई	निर्यात माल का अधिक बीजक बनाकर प्रतिअदायगी का धोखाधड़ी से लाभ लेना और तीसरे देश नामतः दुबई को राज्य क्रेडिट वापसी अदायगी स्कीम के तहत रूस को धोखे से निर्यातित माल भेजना। प्रतिअदायगी	22.8
	मै. नगीनदास इंवे. प्रा. लि., मुम्बई	तदैव	141.98
	मिनाल एक्सपोर्ट, मुम्बई	तदैव	190.41
	गीतांजली एक्सपोर्ट, मुम्बई	अधिक प्रतिअदायगी का दावा करने के लिए निर्यात के रूप में अपेक्षित आरएमजी का अधिक मूल्यांकन	182.19
	मै. लैदर इंडिया	तैयार चमड़े के रूप में अर्ध तैयार चमड़े का निर्यात	80.82
	मै. मर्सेना एंट.	धोखाधड़ी से डीक लाइसेंस प्राप्त किया	101.75
	मै. स्लैक्टिव मिनरल और कैलर इंड.	डीईपीबी का धोखाधड़ी से दावा	48.79
	सीता कर्मिशियल, मुम्बई	अधिक प्रतिअदायगी का दावा करने के लिए निर्यातित अपेक्षित आरएमजी का अधिक मूल्यांकन	71.48

1	2	3	4
	दीपक एक्सपोर्ट, मुम्बई	तदैव	85.18
	एसेस टैक्सटाइल, मुम्बई	तदैव	624.71 (प्रतिअदायगी) 67.67 (डीईपीबी)
	मै. माता संतोषी इंट. मार्केटिंग प्रा. लि.	निर्यात उत्पाद की गलत घोषणा अर्थात शोधित स्प्रिट की डि–नेचर एल्कोहल के रूप में	211.00
	मै. एलोरा इंट., मुम्बई	स्थानीय बाजार को शुल्क मुक्त सामग्री का विपथन। शत–प्रतिशत ईओयू	584.00
	मै. ब्राइट इम्पेक्स एंड (ii) नेहा इम्पेक्स	प्रतिअदायगी का लाभ देने के लिए धोखाधड़ी से निर्यात	1) 13.00
			2) 22.25
	मै. अल्का एक्सपोर्टस	विवरण, मात्रा और मूल्य में गलत घोषणा। डीईपीबी	138.45
दिल्ली	वन्दना एक्सपोर्ट, दिल्ली	अधिक शुल्क प्रतिअदायगी का दावा	18.15
	सेम ओवरसीज़, दिल्ली	तदैव	0.73
	ए.बी. क्रिएशन, नई दिल्ली	तदैव	116.13
	दीप फैशन, नई दिल्ली	तदैव	178.83
	गौतम बुद्धा ओवरसीज़, नई दिल्ली	तदैव	197.19
	गीता इंटरनेशनल, नई दिल्ली–60	तदैव	123.09
	नीलकमल इम्पेक्स, दिल्ली	तदैव	232.72
	शीबा इंटरप्रा., दिल्ली–92	तदैव	215.48
	गंगा यमुना एक्सपोर्ट, नई दिल्ली	तदैव	20.00
	डी.एस. इंटरनेशनल, नई दिल्ली	तदैव	236.68
	डी.जे. ओवरसीज़, नई दिल्ली	तदैव	62.71
	विदिशा मेक्सिमा एग्ज़िम, दिल्ली	तदैव	122.57
	मै. युनीकार्न इंड., दिल्ली	वास्तिक उपयोगिता शर्तों के तहत आयोजित सिंथेटिक रबड़ का विपथन	229.52

1	2	3	4
	मै. उत्सव एक्सपोर्ट, नई दिल्ली	सस्ते और घटिया माल के निर्यात द्वारा प्रतिअदायगी स्कीम का दुरूपयोग	14.27
	बी.एस. इंटरनेशनल, नई दिल्ली	तदैव	130.98
	उत्सव क्रिएशन, नई दिल्ली	तदैव	15.85
	एच.एस. फैशन एक्सपो, नई दिल्ली	तदैव	11.72
	वास इंटरनेशनल, नई दिल्ली	तदैव	17.61
	डी.के. इंटरनेशनल, नई दिल्ली	तदैव	12.68
	एस.पी. इंटरनेशनल, नई दिल्ली	तदैव	10.83
	वरूणा ओवरसीज, नई दिल्ली	तदैव	26.23
	एमबेल एप्रेल्स, नई दिल्ली	तदैव	10.11
	ग्रेटवे इंटरनेशनल, नई दिल्ली	तदैव	16.54
	राजेश्वरी एसोसिएट, नई दिल्ली	तदैव	112.10
	प्रोमोसेल एक्सपोर्ट, नई दिल्ली	तदैव	93.00
	मै. एन.के. फैशन, नई दिल्ली	तदैव	56.80
	मै. रेवा एक्सपोर्ट, नई दिल्ली	तदैव	37.67
	मै. रहमान फैशन, नई दिल्ली	तदैव	56.44
	यूनीकार्न इंड., नई दिल्ली	तदैव	5.22
	ओबराय इंड., नई दिल्ली	तदैव	17.99
	ऑक्सफोर्ड फैशन, नई दिल्ली	तदैव	22.58
	मै संध्या ओवरसीज	तदैव	6.65
	मै. पैसिफिक इंटरनेशनल	तदैव	6.00
	मै. देविन्दर फैब्रिकेट्रस	तदैव	13.00
	मै. एम.एस. फैशन एक्सपो	तदैव	11.00
	मै. तेग बहादुर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट	तदैव	90.00
	यूनीकॉर्न इंड., नई दिल्ली	डीएफआरसी स्कीम का दुरूपयोग	35.26

1	2	3	4
	ओबराय इंड, नई दिल्ली	तदैव	135.14
	ऑक्सफार्ड फैशन, नई दिल्ली	तदैव	170.96
	मै. डाइमेंशन ओवरसीज, नई दिल्ली	डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	3.84
			45.42
	मै. यूनीफार्म इंड., नई दिल्ली	तदैव	240.40
	मै. छाबड़ा इंड., नई दिल्ली	तदैव	349.29
	मै. ओबराय इंड., नई दिल्ली	तदैव	417.31
	मै. बोनिती इंड., नई दिल्ली	तदैव	38.00
	अरावली इंडिया लि.	खराब किस्म के पाइपों के निर्यात द्वारा प्रतिअदायगी स्कीम का दुरूपयोग	692.00
	परफेक्ट माइक्रो प्रा. लि.	निर्यात माल का अधिक बीजक, प्रतिअदायगी स्कीम	1701.00
	मै. विजय ओवरसीज़	डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग निर्यात माल का अधिक बीजक	16.06
	मै. आधुनिक ओवरसीज	तदैव	38.33
	मै. एस.वाई. इंटरनेशनल	आरएमजी और चीथडों का अधिक बीजक। प्रतिअदायगीस्कीम	13.25
	मै. सेलम ट्रेडिंग	प्रतिअदायगी स्कीम का दुरूपयोग	169.00
	मै. ए.बी. क्रिऐशन	तदैव	116.00
	मै. दीप फैशन	तदैव	179.00
	मै. गौतम बुद्ध	तदैव	197.00
	मै. गीता इंटरनेशनल	तदैव	123.00
	मै. नीलकमल इम्पेक्स	तदैव	233.00
	मै. शिवा इंटरप्रा.	तदैव	215.00
	मै. गंगा यमुना एक्सपोर्ट	तदैव	20.00
	मै. डी.एस. इंट.	तदैव	237.00
	मै. डी.जे. ओवरसीज़	तदैव	63.00

1	2	3	4
	मै. विदिशा मेक्सिमा इम्पेक्स	तदैव	123.00
	मारवल्स क्रिएशन्स, नई दिल्ली	प्रतिअदायगी स्कीम (निर्यात माल का अधिक मूल्यांकन)	11.34
	ममता फैशन	तदैव	31.57
	मै. एस.के. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, नई दिल्ली	अधिक प्रतिअदायगी के दावे के लिए अधिक मूल्यांकन	13.41
	लक्की एक्सपोर्ट	डीक स्कीम का दुरूपयोग	316
	मै. सुन्दरम एक्सपोर्ट प्रा. लि., दिल्ली	डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	104
	मै. नेटकम्पवेयर प्रा. लि.	तदैव	42
	मै. एशियन एक्सपोर्ट	डीक स्कीम का दुरूपयोग	28
	मै. यूनिवर्सल गारमेंट	प्रति अदायगी स्कीम का दुरूपयोग	7
	मै. एथेनिक	तदैव	4
	मै. हिन्दुस्तान फाइबर	ईपीसीजी स्कीम का दुरूपयोग	23
	मै. मेहटरसॅन	ईपीसीजी स्कीम का दुरूपयोग	147
	मै. पदमिनी पॉलिमर्स लि.	डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	1977
	मै. क्लासिक आईटीएम	तदैव	28
	मै. पदमिनी पॉलिमर्स लि.	डीक स्कीम का दुरूपयोग	781
	मै. चाणक्य एक्सपोर्ट	प्रतिअदायगी स्कीम का दुरूपयोग	41
	मै. सुन्दरम एक्पोर्ट	प्रतिअदायगी स्कीम का दुरूपयोग	22
	मै. श्याम एक्सपोर्ट	डीक स्कीम का दुरूपयोग	116
	मै. एथेनिक एक्सपोर्ट	प्रतिअदायगी स्कीम का दुरूपयोग	266
	मै. हर्शिता लिमिटेड	डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	930
	मै. जेनसंस एक्सपोर्ट	डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	10
	मै. कास्मो फिल्म लि.	डीईपीबी स्कीम का दुरूपयोग	6
	मै. मोनिका ओवरसीज	डीएफआरसी स्कीम का दुरूपयोग	264

1	2	3	4
	डेल्टा ओवरसीज	धोखाधड़ी से प्रतिअदायगी शुल्क का लाभ	34.83
	जे.के ड्रग्स	डीक स्कीम के तहत अग्रिम लाइसेंस का दुरूपयोग	127.14
	इंडो एक्सपोर्ट हाऊस	धोखाधड़ी से प्रतिअदायगी शुल्क का लाभ	30.98
	नीलम एक्सपोर्ट	धोखाधड़ी से प्रतिअदायगी शुल्क का लाभ	21.10
	व्योमा इंटरनेशनल	धोखाधड़ी से प्रतिअदायगी शुल्क का लाभ	20.10
	महावीर इम्पैक्स, सीकर (राजस्थान)	शत प्रतिशत ईओयू स्कीम का दुरूपयोग	182
राजस्थान	दी च्वाइस	बिक्री प्रतिफल का प्राप्त न होना, प्रतिअदायगी स्कीम	0.74
	मधुर एक्सपोर्ट	तदैव	4.95
	वाया जोधपुर	तदैव	0.55
	शार्प एक्सपोर्ट	तदैव	0.81
	आर.एन. एक्सपोर्ट	तदैव	16.38
	मै. रोची राम	तदैव	0.71
	मै. राजस्थान वॉच	तदैव	1.54
	मै. टैटो वॉच	तदैव	1.81
	मै. राजस्थान वॉच	तदैव	10.53
	मै. टैटो वॉच	तदैव	3.91
	मै. क्राफ्ट स्टूडियो	तदैव	1.00
	मै. गोयल फैशन	तदैव	0.03
	मै. आशीष एप्रैल	तदैव	0.23
	मै. गोयल ओवरसीज	*तदैव*	*0.05*
	मै. रहिमा क्रिएशन	तदैव	0.10
	मै. गोयल एक्सपोर्ट कारपो.	तदैव	0.05
पंजाब	मै. एसआरएसजी इंट. और अन्य पांच फर्में	प्रतिअदायगी/डीईपीबी स्कीम के तहत विवरण, मूल्य और भार के अनुसार गलत घोषणा	306.00

1	2	3	4
	तदैव	तदैव	493.00
	इंडीप इम्पेक्स	प्रतिअदायगी स्कीम के तहत दुबई को निर्यातित नीलामी किए गए प्रेक्षण का भाग, निर्यात प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ	39.21
	केनन स्टील, लुधियाना	डीईपीबी स्कीम (निर्यात माल का अधिक मूल्यांकन)	33.25
पश्चिम बंगाल	पियरलैस कंसलटेंसी प्रा.लि.	अनियमित डीईपीबी क्रेडिट	328.22
	एम.बी. इनोटेक (इंडिया) लि.	डीटीए में विपथन और निर्यात के समय भार की गलत घोषणा	49.93
	अंजना इम्पेक्सपोर्ट प्रा. लि.	प्रतिअदायगी का अनियमित दावा	5.27
	एरिस सिस्टम एंड सर्विसिस	डीईपीबी क्रेडिट का अनियमित लाभ	563.61
	कृपाल एक्सपोर्ट, एफईपीजेड, सैक्टर 1, एसडीएफ भवन, 24 परगना (एन)	निर्यातक ने धोखाधड़ी से प्रतिअदायगी अर्जित करने के लिए माल के एफओबी मूल्य को बढ़ाकर दो बिलों द्वारा सिलेसिलाए परिधान के निर्यात का प्रयास किया	8.57
	नार्थ ईस्ट क्लॉथियर्स प्रा. लि.	प्रतिअदायगी का अनियमित दावा	420.66
	अमित इम्पेक्स	तदैव	46.95
	लोकनाथ एक्सपोर्ट	निर्यातक ने धोखाधड़ी से प्रतिअदायगी अर्जित करने के लिए माल के एफओबी मूल्य को बढ़ाकर एक बिल के तहत सस्ती किस्म की शत प्रतिशत सूती बुनी हुई टी-शर्ट के निर्यात का प्रयास किया	29.12
	फेल्कॉन मैरिन एक्सपोर्ट	मछली और समुद्री उत्पाद के निर्यात के संबंध में गलत डीईपीबी क्रेडिट का लाभ लेना	1910
	आईटीसी (आईबीडी) लि.	मछली और समुद्री उत्पाद के निर्यात के संबंध में गलत डीईपीबी क्रेडिट का लाभ लेना	563
	सन बायोटेक्नॉलोजी लि.	मछली और समुद्री उत्पाद के निर्यात के संबंध में गलत डीईपीबी क्रेडिट का लाभ लेना	536
	मेगनम एक्सपोर्ट	मछली और समुद्री उत्पाद के निर्यात के संबंध में गलत डीईपीबी क्रेडिट का लाभ	357

1	2	3	4
	कोरलाइन एक्सपोर्ट	मछली और समुद्री उत्पाद के निर्यात के संबंध में गलत डीईपीबी क्रेडिट का लाभ लेना	311
	वीजे इम्पेक्स	मछली और समुद्री उत्पाद के निर्यात के संबंध में गलत डीईपीबी क्रेडिट का लाभ लेना	301
	आईएफबी एग्रो	मछली और समुद्री उत्पाद के निर्यात के संबंध में गलत डीईपीबी क्रेडिट का लाभ लेना	210
	मै. आरएसआई लि.	अधिक डीईपीबी लेने के लिए सीडी रोम के निर्यात में अधिक मूल्यांकन	1660 (घोषित मूल्य) दावा की गई अधिक डीईपीबी 317.06
बिहार	कल्याणपुर सीमेंट लि.	ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात बाध्यता को पूरा न करना	59.05
	जीनथ एक्सपोर्ट लि.	डीक स्कीम के तहत निर्यात बाध्यता को पूरा न करना	16.75
झारखंड	इंडियन एल्यूमीनियम कम्पनी लि.	ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात बाध्यता को पूरा न करना	37.16
	ओमनी ऑटो लि.	ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात बाध्यता को पूरा न करना	8.28
गोवा	आरबीए एक्सपोर्ट, गोवा	निर्यात उत्पाद की गलत घोषणा के द्वारा अधिक डीईपीबी का लाभ लेना	160.00

विवरण-II

उन कम्पनियों के ब्यौरे जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2000–01 से 2002–03 और चालू वर्ष में जून, 2003 तक निर्यात संवर्द्धन स्कीम का दुरूपयोग किया है

पश्चिमी जोन

मुम्बई II (सीमाशुल्क)

वर्ष	क्रम सं.	निर्यातकों के नाम	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये में)	ध्यान में आई अनियमितताएं/की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
2000–2001	1.	मैसर्स वी इन एक्पोट्र्स	6.12	जाली प्रतिअदायगी दावे
	2.	मैसर्स फेड एक्सपोट्र्स	8.54	

1	2	3	4	5
	3.	मैसर्स स्पेन एक्सपोर्ट्स	186	
2001–2002		मामला – 1 (न्हावा शेवा)	680.46	जाली प्रतिअदायगी दावे
	1.	मैसर्स इन्वेक्स इंडिया इंटरनेशनल		
	2.	मैसर्स अम्बे इंडस्ट्रीज		
	3.	मैसर्स खुराना कारपोरेशन		
	4.	मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स		
	5.	मैसर्स तरुण इंडस्ट्रीज		
	6.	मैसर्स गुप्ता कारपोरेशन		
	7.	मैसर्स अजंता इंटरनेशनल		
	8.	मैसर्स ट्रीब्यूट कारपोरेशन		
	9.	मैसर्स पंजाब ट्रेडर्स		
	10.	मैसर्स साईबाबा इंटरप्राईसेस		
	11.	मैसर्स शर्मा ट्रेडर्स		
	12.	मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स		
	13.	टी.के. ब्रदर्स		
		मामला–2	11.76	
	1.	मैसर्स सफला इंडस्ट्रीज		
2002–2003		मामला – 1 (न्हावा शेवा)	466	बिना वास्तविक निर्यात के प्रतिअदायगी का दावा
	1.	मैसर्स शेठ इंडस्ट्रीज		
	2.	मैसर्स जैन इंडस्ट्रीज		
	3.	मैसर्स रीतेश मैटल कारपोरेशन		
	4.	मैसर्स सुप्रीम आर्ट वर्क्स		
	5.	मैसर्स गुजरात इंडस्ट्रीज		
	6.	मैसर्स कनकोर्ड मैनु. कम्प.		

1	2	3	4	5
	7.	मैसर्स एमिनल इंडस्ट्रीज		
	8.	मैसर्स एन्कर कैमल्स		
		मामला सं. 2 (न्हावा शेवा)	75	
	1.	मैसर्स [illegible] ओवरसीज़		
	2.	मैसर्स मेफायोर इंटरप्राईसेस		
	3.	मैसर्स सफिकार एंड कम्प.		
	4.	मैसर्स स्वान इंटरनेशनल		
	5.	मैसर्स गोल्ड ऐज़ हैन्डीक्राफ्ट		
	6.	मैसर्स एरोमा इंटरप्राईसेस		
	7.	मैसर्स गुप्ता कैमिकल्स		
	8.	मैसर्स बी एंड आर इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स		
	9.	मैसर्स स्वान ट्रेडर्स		
		मामला सं. 3 (एसीसी) मुम्बई		
	1.	मैसर्स ऑरेंज एक्सपोर्टर्स	49.89	
पश्चिमी ज़ोन				
वडोदरा (सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)				
2001–02	1.	मैसर्स कोलोराइट इंडस्ट्रीज	201.16	बिना वास्तविक निर्यात के प्रतिअदायगी का दावा *9 व्यक्ति गिरफ्तार
	2.	मैसर्स [illegible] लिम.	357.40	
2002–03	1.	मैसर्स सुरेश डाइंग	25.97	बिना वास्तविक निर्यात के प्रतिअदायगी का दावा
	2.	मैसर्स [illegible]	482.81	
	3.	मैसर्स कॉस्मिक टैक्स. प्रा. लि.	65.83	
	4.	मैसर्स रामेश्वर ओवरसीज	128.37	

1	2	3	4	5
	5.	मैसर्स पायल टैक्सटो	75.84	
	6.	मैसर्स दुपोन्ट सिन्थेटिक	12.97	
	7.	मैसर्स सर्वेश्वर	110.61	
	8.	मैसर्स बनयान कैमिकल	38.49	समय सीमा समाप्त होने के बाद घटिया माल का निर्यात करना * सीगेट में लंबित
	9.	मैसर्स शिव शक्ति टैक्स.	80.94	बिना वास्तविक निर्यात के प्रतिअदायगी का दावा
	10.	मैसर्स आदित्य यार्न प्रोक.	60.50	
	11.	मैसर्स राजू फैब्रिक्स	71.78	
	12.	मैसर्स गोपी प्रोक.	116.86	
	13.	मैसर्स सिद्धांत एक्सपोर्टर्स	72.99	
	14.	मैसर्स एर्सेंट अप्रैल्स	21.16	
	15.	मैसर्स सिद्धी विनायक	352.81	
	16.	मैसर्स श्री शक्ति इंट.	1300	
	17.	मैसर्स शिव मैटल कारपो.	563	
	18.	मैसर्स करनावती गारमेंट्स एंड मैटरेस	145.81	
अहमदाबाद (सीमाशुल्क)				
2000–01	1.	मैसर्स नवीन सेल्स कारपो.	1.32	शुल्क छूट पास बुक का अधिक मूल्यांकन/अधिक मूल्यांकन
	2.	मैसर्स आर.एस. इंटरनेशनल	21.84	* निर्यात अनुमत्य नहीं। मामले निर्णीत
	3.	मैसर्स तुलसी वियर	0.72	
	4.	मैसर्स रॉबिन्सन इम्पैक्स	4.22	
	5.	मैसर्स विमल इंटरनेशनल	21.96	

1	2	3	4	5
	6.	मैसर्स टी एण्ड टी ओवरसीज़	94.50	निर्यात बाध्यता को पूरा न करना
				* कारण बताओ नोटिस जारी किए गए
	7.	मैसर्स इलीट	14.43	अधिक मूल्यांकन/अधिक बीजांकन
				* निर्यात अनुमत्य नहीं। मामले निर्णित
2001–02	1.	मैसर्स किरन फैशन	1.72	–उपरोक्त–
	2.	मैसर्स सीतानाथ शिपिंग कम्प.	20.06	–उपरोक्त–
2002–03	1.	मैसर्स कार्तिक ओवरसीज़	7.37	अधिक मूल्यांकन/मूल्यहास की गलत घोषणा
	2.	मैसर्स देव इम्पैक्स	3.52	* निर्यात अनुमत्य नहीं/कारण बताओ नोटिस जारी किए गए
	3.	मैसर्स वेस्टर्न सिल्क	106	
	4.	मैसर्स जिनाल कारपो.	4.95	
	5.	मैसर्स एकता एक्सपोर्टर्स	5.71	
2003–04	1.	मैसर्स एसवाईपी एग्रो फूड्स लि.	00.00	मूल्यहास की गलत घोषणा
				* जांचाधीन
जयपुर (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)				
2002–03	1.	मैसर्स पिंक लाइन	126.66	अधिक मूल्यांकन
				* जांचाधीन
	2.	मैसर्स अनिता टैक्सप्रिंट	723.31	अधिसूचना सं.53/97–सीमाशुल्क, दिनांक 3.6.97 का गलत प्रयोग
				* कारण बताओ नोटिस जारी किए गए
मुम्बई–I (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)				
2000–01	1.	मैसर्स उमाजी ओवरसीज़	35.74	शुल्क का कम भुगतान
				* कारण बताओ नोटिस जारी किए गए
2001–02	2.	मैसर्स स्काई वे ऐप्रैल्स	18.52	निर्यात बाध्यता को पूरा नहीं करना
	3.	मैसर्स एतेश इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	3163.27	निर्यात बाध्यता को पूरा नहीं करना
				* कारण बताओ नोटिस जारी किए गए/मामले जांचाधीन

1	2	3	4	5
2002–2003	1.	मैसर्स क्रिस्टल एक्सपोर्टर्स	1989	निर्यात बाध्यता को पूरा नहीं करना
	2.	मैसर्स तिरूपति फैब्रिक्स	450	* कारण बताओ नोटिस जारी किए गए/मामले जांचाधीन
	3.	मैसर्स शिवशक्ति टैक्सटाइल	425	
	4.	मैसर्स सह्याद्रि एग्रीकल्चर फार्मस्	84.57	
मुम्बई–III (सीमाशुल्क)				
2000–01	1.	मैसर्स क्वालिटी एलॉय्स एक्सप. प्रा. लि.	1503	अधिक मूल्यांकन/मूल्यह्रास की गलत घोषणा
	2.	मैसर्स श्री बालाजू एक्सपोर्ट्स	288.55	* कारण बताओ नोटिस जारी किए गए/निर्णित मामले
	3.	मैसर्स कनोजा एक्सपोर्ट्स	600	
	4.	मैसर्स भारत एक्सपोर्ट्स कारपो.	20.62	
2001–02	1.	मैसर्स हिताची ज्वैलरी इंक.	55.70	
मुम्बई – I (सीमाशुल्क)				
2001–01	1.	मैसर्स मेहमल इंट.	7.79	जांचाधीन
	2.	मैसर्स [illegible] ट्रेडिंग	0.91	–तदैव–
	3.	मैसर्स कोबीएस एंड कोरान	20.04	–तदैव–
	4.	मैसर्स यूरो एशिया एंड ओवरस.	9440	–तदैव–
	5.	मैसर्स बाबा इम्पैक्स	158.50	–तदैव–
	6.	मैसर्स नवनीत ट्रेडिंग	70.44	–तदैव–
	7.	मैसर्स अम्बे एक्सपोर्ट्स	117.86	–तदैव–
	8.	मैसर्स पेसीफिक इंट.	5.20	–तदैव–
	9.	मैसर्स कोलोम्बिया एक्सपो.	114	–तदैव–
	10.	मैसर्स एनटेल [illegible]	1.74	–तदैव–
	11.	मैसर्स ओरिन्ट ओवरसीज	7	–तदैव–
	12.	मैसर्स महाराजा इंटरना.	130	–तदैव–

1	2	3	4	5
	13.	मैसर्स मनीश इम्पैक्स		–तदैव–
	14.	मैसर्स सूर्या इंटरप्रा.		–तदैव–
	15.	मैसर्स पैरामाउंट ट्रेडिंग	60	–तदैव–
	16.	मैसर्स भाग्य लक्ष्मी गारमेंट्स	21.81	–तदैव–
	17.	मैसर्स यश फ्रेट	2440	–तदैव–
	18.	मैसर्स एस.पी एक्सपोट्र्स	10.74	–तदैव–
	19.	मैसर्स आर.एस. एक्सपोट्र्स	12.05	–तदैव–
	20.	मैसर्स वेल्को ओवरसीज़	22.26	–तदैव–
	21.	मैसर्स टी.सी. एक्सपोट्र्स	27.96	–तदैव–
	22.	मैसर्स सलम पारस	1.91	–तदैव–
	23.	मैसर्स विशाल टैक्सटाइल	13.64	–तदैव–
	24.	मैसर्स महावीर एक्सपोर्टर्स	9.72	–तदैव–
	25.	मैसर्स सिमरन एप्रैल्स	1.99	–तदैव–
	26.	मैसर्स सीरज	0.68	–तदैव–
	27.	मैसर्स ए.ए. इम्पैक्स	5.13	–तदैव–
	28.	मैसर्स अक्षय एक्सपोर्टर्स	23.82	–तदैव–
	29.	मैसर्स ए.वी.जी. एक्सपोर्टर्स	1.99	–तदैव–
	30.	मैसर्स एम.आर. इम्पैक्स	25.30	–तदैव–
	31.	मैसर्स संसार मैटल	10.28	–तदैव–
	32.	मैसर्स एवरेस्ट फ्लेवर	158.76	–तदैव–
	33.	मैसर्स चाणक्य इम्पेक्स	36.87	–तदैव–
	34.	मैसर्स सुपर इम्पेक्स	5.23	–तदैव–
	35.	मैसर्स अश्क इंट.	65.92	–तदैव–
	36.	मैसर्स विशाल एक्सपोट्र्स	6.29	–तदैव–
	37.	मैसर्स ट्रेड एड इंडिया	2.80	–तदैव–

1	2	3	4	5
	38.	मैसर्स आशा एक्सपोर्ट्स	3.30	–तदैव–
	39.	मैसर्स ईस्ट एशिया ट्रेडिंग	6.91	–तदैव–
	40.	मैसर्स एवज जैन	3.24	–तदैव–
	41.	मैसर्स वीरून्दवन एक्सपोर्ट्स	31.26	–तदैव–
	42.	मैसर्स रिया इंट.	20.82	–तदैव–
	43.	मैसर्स मिलमैट फार्मा	2.83	–तदैव–
	44.	मैसर्स इशी एक्सपोर्ट्स	19.43	–तदैव–
	45.	मैसर्स सिन्धु एप्रैल्स	129.22	–तदैव–
	46.	मैसर्स रेशम एक्सपोर्ट्स	425	–तदैव–
	47.	मैसर्स रामा सिन्टेक्स	10.85	–तदैव–
	48.	मैसर्स दीप इंट.	27.19	–तदैव–
2001–2002				
	1.	मैसर्स नेहा ट्रेडिंग	214.90	–तदैव–
	2.	मैसर्स सुरभि इम्पेक्स	6.26	–तदैव–
	3.	मैसर्स गुलाब दास एंड कंप.	57	–तदैव–
	4.	मैसर्स जी.एस. इंट.	0.27	–तदैव–
	5.	मैरार्स दीपा एंड ओआरएस.	7	–तदैव–
	6.	मैसर्स ओवरसीज़ ट्रेडिंग	126	–तदैव–
	7.	मैसर्स सीता कमर्शियल		–तदैव–
	8.	मैसर्स खाकी इंटर. प्रा.	146	–तदैव–
	9.	मैसर्स अल. मादीना ओवरसीज़	297	–तदैव–
	10.	मैसर्स इंडिया इम्पैक्स	81	–तदैव–
	11.	मैसर्स जेलानी इंट	353	–तदैव–
	12.	मैसर्स काजल इंडिया एक्सपोर्ट्स	318	–तदैव–
	13.	मैसर्स एस.के. इंट	226.55	–तदैव–
	14.	मैसर्स केनन इंट.	2.64	–तदैव–
	15	मैसर्स एस्ट्रो इम्पैक्स	1.59	–तदैव–

1	2	3	4	5
	16.	मैसर्स पैरामाउन्ट इंटरप्रा.	3.13	—तदैव—
	17.	मैसर्स जे. एण्ड जी. एक्सपोर्टर्स	158.34	—तदैव—
	18.	मैसर्स तनवी ओवरसीज़	131	—तदैव—
	19.	मैसर्स सी तरंग	14.31	—तदैव—
	20.	मैसर्स माइको इंड.	11.73	—तदैव—
	21.	मैसर्स खुशबु इंट.	101.73	—तदैव—
	22.	मैसर्स सेन्चुरी डेनिम	44.86	—तदैव—
	23.	मैसर्स ब्रानो फैशन	53.54	—तदैव—
	24.	मैसर्स रिजेंसी इंट.	73.23	—तदैव—
	25.	मैसर्स सागर गारमेंट्स	7.10	—तदैव—
	26.	मैसर्स सिद्धार्थ इंट.	0.78	—तदैव—
	27.	मैसर्स बायोमा एक्सपोट्र्स	5.6	—तदैव—
	28.	मैसर्स जालाराम ओवरसीज़	2.73	—तदैव—
	29.	मैसर्स प्रिस्टाइन एक्सपोट्र्स	6.47	—तदैव—
	30.	मैसर्स स्केम	2.04	—तदैव—
	31.	मैसर्स केडिबो एक्सपोट्र्स	18.04	—तदैव—
	32.	मैसर्स इनवोगू एप्रैल्स	12.19	—तदैव—
	33.	मैसर्स परसॅन ओवरसीज़	24.78	—तदैव—
	34.	मैसर्स मोंगिपा रोड़वेज़	21.62	—तदैव—
	35.	मैसर्स वजीर एक्सपोट्र्स	33.20	—तदैव—
	36.	मैसर्स विपिन इंटरप्रा.	85.24	—तदैव—
	37.	मैसर्स अम्बेडकर इंड. कारपो.	23.45	—तदैव—
	38.	मैसर्स महेश एक्सपोट्र्स इम्पोट्र्स	11.18	—तदैव—
	39.	मैसर्स सोनीलिका	108.62	—तदैव—
	40.	मैसर्स भीम इंटरप्रा.	33.53	—तदैव—
2002—03				
	1.	मैसर्स एम.डब्ल्यू. इम्पैक्स	6.69	—तदैव—
	2.	मैसर्स राजश्री इंटरप्रा.	17.31	—तदैव—
	3.	मैसर्स काई आवेरसीज.	3.98	—तदैव—

1	2	3	4	5
	4.	मैसर्स जेबरा टैक्सटाइल	11.88	–तदैव–
	5.	मैसर्स समा क्रिएशन्स	3.42	–तदैव–
	6.	मैसर्स रसद एक्ज़िम	1.84	–तदैव–
	7.	मैसर्स क्लासिक इम्पैक्स	4.91	–तदैव–
	8.	मैसर्स डेल्टा इंटरप्रा.	4.07	–तदैव–
	9.	मैसर्स विट्टसी एक्सपोर्ट्स	4.53	–तदैव–
	10.	मैसर्स पवन इम्पैक्स	3.60	–तदैव–
	11.	मैसर्स मुद्दासिर एक्सपोर्ट्स	5.10	–तदैव–
	12.	मैसर्स सूर्या फैशन	12.89	–तदैव–
	13.	मैसर्स साई पॉलिमर्स	3.29	–तदैव–
	14.	मैसर्स मिराज एक्ज़िम	7.06	–तदैव–
	15.	मैसर्स पी.डी. इम्पैक्स	7.43	–तदैव–
	16.	मैसर्स खैतान सिद्दकी	3.40	अधिक मूल्यांकन/अधिक बीजांकन गलत घोषणा
	17.	मैसर्स आर. सी.	17.50	
	18.	मैसर्स लवली इंटरप्रा.	5.84	
	19.	मैसर्स पामस ट्रेडिंग	12.17	
	20.	मैसर्स वेल वर्थ इंट.	7.08	
पूर्वी जोन				
कोलकाता (सीमाशुल्क)				
	1.	मैसर्स श्याम सुन्दर इंटरप्रा.	200	अधिक मूल्यांकन/जाली प्रतिअदायगी दावा
	2.	मैसर्स रामापति एक्सपोर्ट्स	100	
	3.	मैसर्स मधुर टैक्सटाइल	15	
	4.	मैसर्स मिलेनियम स्टार	14.10	
	5.	मैसर्स लक्ष्मी ओवरसीज़	135	
	6.	मैसर्स ग्रीन कॉर्प इम्पेक्स	21.32	
	7.	मैसर्स अंजु एक्ज़िम प्रा. लि.	81.14	

1	2	3	4	5
	8.	मैसर्स अंजु इंट.	55.96	
	9.	मैसर्स संतोष ओवरसीज़	2.5	
दक्षिणी जोन				
कोचीन (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)				
	1.	मैसर्स सीना इंटरनेशनल	20.46	माल की गलत घोषणा
				* अर्थदंड/अधिरोपित मोचन जुर्माना
कोयम्बटूर				
1.		मैसर्स वी.एस. एक्सपोर्ट्स	6	अधिक मूल्यांकन
				* रोकी गई प्रतिअदायगी अधिरोपित शास्ति
बंगलौर				
2000–01				
	1.	मैसर्स केनन स्टीलस्	47.99,	अधिक बीजांकन/मूल्यह्रास की गलत घोषणा/मात्रा
	2.	मैसर्स लक्ष्मी ओवरसीज़	3.60	* निर्णीत
	3.	मैसर्स कूरीकल एक्सपोर्ट्स	.33	
	4.	मैसर्स कूरीकल ओवरसीज़	.95	
	5.	मैसर्स सेल्फ नीटिंग वर्क्स	22.89	मामले अधिरोपित शास्ति
	6.	मैसर्स ट्रेड वेल्यू एक्सपोर्ट्स	1.01	
	7.	मैसर्स केसकेड क्रिएशन	14.43	
	8.	मैसर्स खातिर इंट.		
	9.	मैसर्स विनय निटवियर	7.75	
2001–02				
	1.	मैसर्स बैरी एक्सपोर्ट्स	22.83	
	2.	मैसर्स स्टाबिन एक्सपोर्ट्स	.65	
	3.	मैसर्स एश्वर्य एक्सपोर्ट्स	.61	
	4.	मैसर्स सुकुमार एक्सपोर्ट्स	4.63	
2002–03				
	1.	मैसर्स स्वीटी इंट.	256	

1	2	3	4	5
	2.	मैसर्स माइक्रो इंटरप्रा.	4.22	
	3.	मैसर्स सदगुरू एक्सपोर्ट्स	16.07	
	4.	मैसर्स संजार एक्सपोर्ट्स	7.24	
चेन्नई (निवारक)				
2000–01				
	1.	मैसर्स राजा साबारी एक्सपोर्ट्स	.29	धोखाधड़ी वाला निर्यात
	2.	मैसर्स मेरिल एक्सपोर्ट्स	16.34	* सात (7) व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। माल जब्त किया गया।
	3.	मैसर्स मनबा इंटरप्रा.	5.28	
	4.	मैसर्स ट्रस्ट वर्थ इंटरप्राइसेस	3.18	
	5.	मैसर्स लीला स्कोटिश लेक	4.97	
	6.	मैसर्स स्मिथ एक्सपोर्ट्स	3.92	
	7.	मैसर्स एमएम एक्सपोर्ट्स		

उन कम्पनियों के ब्यौरे जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2000–01 से 2002–03 और चालू वर्ष में जून, 2003 तक निर्यात संवर्द्धन स्कीम का दुरूपयोग किया है।

उत्तरी जोन

चण्डीगढ़ – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

वर्ष	क्रम सं.	निर्यातकों के नाम	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये में)	अनियमितता/की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
2000–01				
	1.	मै. गगन इंटरप्राइसिस	12.14	निर्यात उत्पाद की गलत घोषणा/डीजीएफटी द्वारा डीईपीबी लाभ मना किया गया
	2.	मै. मेघना इम्पैक्स	158.05	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
	3.	मै. वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट	4.05	तदैव
2001–02				
	4.	मै. एल्फा इन्टरनेशनल	32	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/12 लाख रुपये वसूल कर लिए गए, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया

1	2	3	4	5
	5.	मै. एशेसिएटेड इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट	6	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
	6.	मै. एटीएम इन्टरनेशनल	20	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
	7.	मै. बेम एक्पोर्ट्स	95	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
	8.	मै. चुग एक्सपोर्ट्स	6	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/2.05 लाख रुपये वसूल किया गए, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
	9.	मै. गोल्डन टूल्स	3	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
	10.	मै. जैना इन्टरनेशनल	22	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/6 लाख रुपये वसूल किये गए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
	11.	मै. मेगा एक्पोर्ट्स	5	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
	12.	मै. पारकर इन्डस्ट्रीज	37	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
	13.	मै. तिवारी ब्रादर्स	57	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
	14.	मै. ईगल फॉरजिंग्स	21	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया

1	2	3	4	5
	15.	मै. जाम्बा एक्सपोर्ट	17	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
	16.	मै. एक्ज़िम इन्टरनेशनल	43	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/निर्गम के लिए आयुक्त (सी) को मसौदा, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
2002–03				
	17.	मै. मानालक्ष्मी सेल्स एजेंसी	35.43	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/फर्म मौजूद नहीं थी, डीजीएफटी प्राधिकारी ने कोई डीईपीबी स्क्रीप्ट जारी न करने का निर्देश दिया।
	18.	मै. जेएएस निटवियर	17.4	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
	19.	मै. किराग एक्सपोर्ट्स	4.9	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/फर्म मौजूद नहीं थी, डीजीएफटी प्राधिकारी ने कोई डीईपीबी स्क्रीप्ट जारी न करने का निर्देश दिया।
	20.	मै. बाश इन्टरनेशनल	14.15	तदैव
	21.	मै. रॉयल इन्डस्ट्रीज लि.	1590	100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी स्कीम का दुरूपयोग/कारण बताओ नोटिस जारी किया।
	21.	मै. पंजाब एक्सपोर्ट्स	562	तदैव
	22.	मै. फैशन वर्ल्ड	42	तदैव
	23.	मै. लियो निट फैब.	94	तदैव
	24.	मै. हिमाचल फिलामेंट्स	29	तदैव
	25.	मै. हिमाचल फिलामेंट्स प्रा. लि.	120.70	तदैव

1	2	3	4	5
	26.	मै. क्लासिक वूल एंड फाइबर	20.03	आयातित कच्ची सामग्री को देशी सामग्री द्वारा प्रतिस्थापित करना/ मामला जांचाधीन है।
दिल्ली (सीमाशुल्क)				
2000—01				
	27.	मै. फ्यूचर मै. मन्द्रा एक्सप. एंड मै. संजीव गारमेंट्स	206	अधिक बीजक बनाना।
	28.	मै. ब्राइट इंटरप्रा.	3.05	अधिक प्रतिअदायगी दावा।
	29.	मै. दुग्गल एक्सपो.	5.08	आरएनजी का गलत वर्गीकरण।
	30.	मै. माजिद इंटर.	1.85	अधिक प्रतिअदायगी दावा लेने के लिए गलत घोषणा।
	31.	मै. शुक्ला इम्पेक्स	3.16	आरएजी के रूप में चीथड़ों के निर्यात का प्रयास।
	32.	मै. सेफॉम मिल्क	50.33	निर्यात बाध्यता पूरी न करना।
	33.	मै. सुपीरियर ओवरसीज़	0.80	अधिक बीजक बनाना।
	34.	मै. रिया इंडिया	3.60	अधिक बीजक बनाना।
	35.	मै. पाइनियर इंट.	1.85	अधिक बीजक बनाना।
	36.	मै. निशा इंटरप्रा.	5.27	गलत घोषणा, पार्टी अस्तित्व में नहीं।
2001—02				
	37.	मै. युनीकार्न इंड.	433	डीईपीबी का दुरूपयोग।
	38.	मै. छाबड़ा इंड.	1413	तदैव
	39.	मै. ओबराय इंड.	415	तदैव
	40.	मै. बोनिता इंड़	252	तदैव
	41.	मै. जेप फैशन	800	वस्तु की गलत घोषणा।
	42.	मै. दिग्विजय डिजाइन	2.41	अधिक बीजक बनाना।
	43.	मै. श्री गणेश	0.23	अधिक प्रतिअदायगी दावे की गलत घोषणा।

1	2	3	4	5
	44.	मै. बीईई ईएसएस एक्सपो.	7.29	अधिक बीजक बनाना
	45.	मै. शन्कोक इंट.	0.46	अधिक बीजक बनाना
	46.	मै. शरॉय इंट.	0.52	अधिक बीजक बनाना
	47.	मै. मालिनी एक्सपोर्टर्स्	1.78	अधिक बीजक बनाना
	48.	मै. ग्लोबल एक्सपोर्ट्स्	0.07	प्रतिअदायगी की गलत घोषणा
	49.	मै. बीजी फैशन	3.26	अधिक बीजक बनाना
	50.	मै. शेसटिक इंटर.	9.12	अधिक बीजक बनाना
2002–03				
	51.	मै. जय अम्बा फूड्स	3.13	अधिक बीजक बनाना
	52.	मै. सूर्या मैटल	1.08	अधिक बीजक बनाना
	53.	मै. पनेक्स ओवरसीज़	9.9	भाड़े की गलत घोषणा
	54.	मै. पीबीजी एक्सपोर्ट्स्	7.00	तदैव
	55.	मै. ओरियंट क्राफ्ट लि.	3.93	तदैव
	56.	मै. एसपीएल इंड. लि.	3.50	तदैव
	57.	मै. गौरव इंड.	13.6	तदैव
	58.	मै. इनस्टाइल एक्सपोर्ट्स्	2.20	तदैव
	59.	मै. इनस्टाइल एक्सपोर्ट्स् प्रा.	0.76	तदैव
	60.	मै. मोलडेमा एक्सपोर्ट्स्	5.78	तदैव
	61.	मै. ट्रेंड सैटर्स	1.25	तदैव
	62.	मै. चुनाव इंट.	1.08	तदैव
	63.	मै. आदि इंड. लि.	28.25	तदैव
	64.	मै. ग्लेज़ गारमेंट्स	2.00	तदैव
	65.	मै. फोरमोस्ट इंडिया	3.59	तदैव
	66.	मै. ट्रेंड सैटर्स	9.78	तदैव
	67.	मै. ऑरचिड ओवरसीज़	1.32	तदैव

1	2	3	4	5
	68.	मै. गुप्ता एग्ज़िम	3.03	तदैव
	69.	मै. पर्ल ग्लोबल	1.10	तदैव
	70.	मै. साही एक्सपोर्ट्स्	4.40	तदैव
	71.	मै. पी इम्प्रो	1.08	तदैव
	72.	मै. पर्ल एजेंसी	0.50	तदैव
	73.	मै. मोना डिजाइन	0.14	तदैव
	74.	मै. टी.एच.ई. मैकर्स	2.82	तदैव
	75.	मै. जे.बी. एक्सपोर्ट्स्	1.91	तदैव
	76.	मै. साहनी क्रिएशन	1.98	तदैव
	77.	मै. कार्नेल ओवरसीज़	0.44	तदैव
	77.	मै. बुटीक इंटरनेशनल	2.28	तदैव
	78.	मै. केआईएसएच एक्सपोर्ट्स्	4.46	तदैव
	79.	मै. वी. एंड एस. इंट.	1.45	तदैव
	80.	मै. आरएमएक्स जॉस	0.26	तदैव
	81.	मै. जी/पी.टी. ओवरसीज़	0.65	तदैव
	82.	मै. ट्रांससवर्ल्ड ट्रेडिंग लि.	0.35	तदैव
	83.	मै. कृष्णा ओवरसीज़ एंड अदर्स	54.19	तदैव
	84.	मै. ग्लोपन इंट. एंड अदर्स	53.08	तदैव
लखनऊ, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क				
	85.	मै. बृज इम्पैक्स	51.15	डीआरआई लखनऊ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गय।।
	86.	मै. डेल्टा ओवरसीज़	34.83	तदैव
	87.	मै. रोटोमेक एक्सपोर्ट्स्	13.57	तदैव
2000–01				
	88.	मै. गगन इंटरप्राइसिस	12.14	निर्यात उत्पाद की गलत घोषणा/ डीईपीबी का लाभ मना किया गया।

1	2 3	4	5
89.	मै. मेघना इम्पैक्स	158.05	डीईपीबी का धोखाधड़ी से लाभ लिया/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
90.	मै. वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट	4.05	तदैव
2001–02			
91.	मै. अल्फा इंटरनेशनल	32	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/12 लाख रुपये वसूल किए गए, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
92.	मै. एसोसिएटेड इम्पोर्टर्स् एंड एक्सपोर्टर्स्	6	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
93.	मै. एटीएम इंटरनेशनल	20	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
94.	मै. बेनी एक्सपोर्टर्स्	95	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
95.	मै. चुग एक्सपोर्टर्स्	6	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
96.	मै. गोल्डन टूल्स	3	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
97.	मै. जैना इंटरनेशनल	22	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
98.	मै. मेगा एक्सपोर्टर्स्	5	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
99.	मै. पारकर इंडस्ट्रीज	37	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

1	2 3	4	5
100.	मै. तिवारी ब्रदर्स	57	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
101.	मै. ईगल फोर्जिंग	21	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
102.	मै. जम्बा एक्सपोर्टस्	17	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
103.	मै. जेएएम निटवियर	17.1	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
104.	मै. साइटेग एक्सपोर्ट्स	4.00	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
105.	मै. बाश इंटरनेशनल	14.15	धोखाधड़ी से डीईपीबी का लाभ लेना/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
106.	मै. रॉयल इंडस्ट्रीज लि.	15.90	शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख का दुरूपयोग/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
107.	मै. पंजाब एक्सपोर्टस्	562	शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख का दुरूपयोग/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
108.	मै. फैशन वर्ल्ड	42	शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख का दुरूपयोग/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
109.	मै. लियो निट फैब.	94	शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख का दुरूपयोग/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
110	मै. हिमाचल फिलामेंट्स	29	शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख का दुरूपयोग/कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन योजनाओं का कार्य निष्पादन

***198. श्री रामशकल :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय क्रियान्वित की जा रही विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त प्रत्येक योजना के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वित की जाने वाली नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) निर्यात संवर्धन स्कीमों का अनिवार्य उद्देश्य अग्रिम लाईसेंसों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता युक्त कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती वस्तुओं, घटकों तथा उपभोज्य वस्तुओं को शुल्क मुक्त पहुंच उपलब्ध कराकर निर्यातों के लिए वस्तुओं के विनिर्माण को सुविधाजनक बनाना या शुल्क मुक्त संपूर्ति स्कीम के माध्यम से निर्यातित वस्तुओं के विनिर्माण में पहले से प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों तथा मध्यवर्ती वस्तुओं की संपूर्ति करना है। चूंकि निर्यातों के बाद निर्यातक उत्पादन में लगने वाली कच्ची सामग्रियों और निविष्टियों पर शुल्क से छूट के पात्र हैं अथवा निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त निविष्टियों पर शुल्क माफी के हकदार हैं इसलिए वे वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीम के अंतर्गत शुल्क वापसी अथवा शुल्क ऋण हकदारी पासबुक स्कीम (डीईपीबी) के अधीन शुल्क ऋण के हकदार हैं। तुलनात्मक कम लागतों पर निर्यातों के लिए उत्पादन आधार की सुविधा प्रदान करने के लिए पूंजीगत माल और कल पुर्जों निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम (ईपीसीजी) के अंतर्गत निर्यात दायित्व के लिए 5% शुल्क पर आयातित करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त रत्न और आभूषण क्षेत्र में विशेष स्कीमें हैं जिनमें शून्य शुल्क पर निविष्टियों के आयात और संपूर्ति की अनुमति है।

घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में अनुमत बिक्रियों को छोड़कर माल और सेवाओं के अपने पूर्ण उत्पादन के निर्यात के लिए वचनबद्ध इकाइयां माल के उत्पादन और सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्यातोन्मुख इकाइयाँ (ईओयू) स्कीम, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ईएचटीपी) स्कीम अथवा सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क (एसटीपी) स्कीम के अंतर्गत स्थापित की जा सकती है। इसी प्रकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों को विशिष्ट रूप से शुल्क मुक्त अंतः क्षेत्रों के रूप में निरूपित किया गया है जिन्हें आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में माल के निर्माण और सेवाएं प्रदान करने के लिए इकाइयों को अनुमति देने हेतु व्यापार प्रचालनों तथा शुल्कों और टैरिफों के प्रयोजनार्थ विदेशी क्षेत्र समझा गया है।

इसके अतिरिक्त, शुल्क हकदारी छूट स्कीम के जरिए सेवाओं के निर्यात का संवर्धन करने के लिए एक पहल की गई है। निर्यातों में अधिक विकास दर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में एक अन्य नई स्कीम लागू की गई है जो 25 करोड़ के न्यूनतम कारोबार वाले निर्यातों में 25% अथवा अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाले स्टेटस होल्डरों के लिए है।

उन सभी स्कीमों के ब्यौरे निर्यात और आयात नीति 2003–04 और प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2003 को लागू हो चुके हैं। इन दस्तावेजों को 8 अप्रैल, 2003 को सभापटल पर रखा जा चुका है। ये ससंद पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं। इन ब्यौरों को डीजीएफटी की वेबसाइट http:dgft.delhi.nic.in से भी प्राप्त किया जा सकता है।

सभी निर्यात संवर्धन उपायों की एग्जिम नीति तैयार करने की प्रक्रिया में हर वर्ष समीक्षा की जाती है। वर्तमान एग्जिम नीति का समग्र बल विश्व बाजार में भारतीय माल और सेवाओं को और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रक्रियात्मक सरलता और पारदर्शिता के जरिए सौदेबाजी की लागत में कमी करने पर जोर दिया गया है।

[अनुवाद]

निजी गैर-जीवन बीमा कंपनियां

***199. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य :**

श्री रामदास आठवले :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी गैर–जीवन बीमा कंपनियां कार्यरत हैं;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इन कंपनियों के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या इन निजी बीमा कंपनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कारोबार शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो आज की तारीख तक ग्रामीण बीमा धारकों से प्रीमियम के रूप में उक्त कंपनियों द्वारा कुल कितनी राशि की उगाही की गई है; और

(ङ) ये कंपनियां ग्रामीण लोगों की कितनी मदद कर रही हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) ऐसी आठ कंपनियां हैं।

(ख) इन बीमा कंपनियों के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के मानदंड निर्धारित किए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से वर्ष 2001–02 के दौरान 14.23 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2002–03 में सकल प्रीमियम 52.65 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ था।

कृषि ऋणों के लिए नए मार्गनिर्देश

***200. श्री वी. वेत्रिसेलवन :**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में कृषि ऋणों के संबंध में बैंकों द्वारा लागू किए जाने वाले नए मार्गनिर्देशों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि ऋण पर ब्याज दर में भी कमी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इससे किसानों को कितना लाभ होगा; और

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा, राज्यवार, कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए किसानों को कुल कितना ऋण वितरित किया गया?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय बैंक संघ ने 12 जुलाई, 2003 को सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा है कि वे 15 जुलाई, 2003 से 50,000 रुपये तक के फसल ऋणों पर अधिकतम 9 प्रतिशत वार्षिक का ब्याज दर प्रभारित करें। ब्याज दर में कमी का लाभ उन अधिकांश फसल ऋण खाता धारकों को होगा जो छोटे या सीमांतिक किसान हैं।

(च) पिछले तीन वर्ष के लिए वाणिज्यिक बैंकों का राज्य–वार बकाया कृषि ऋण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मार्च अंत 1999, 2000 व 2001 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि हेतु दिए गए राज्य–वार बकाया अग्रिम

	मार्च 1999	मार्च 2000	मार्च 2001
	1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	7183	9470	12431
हरियाणा	1312	1585	1924
हिमाचल प्रदेश	157	167	199
जम्मू–कश्मीर	168	164	135
पंजाब	2745	3170	3706
राजस्थान	1894	2261	2790
चंडीगढ़	294	421	727
दिल्ली	611	1704	2951
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	468	464	465
असम	331	314	323
मणिपुर	19	29	19
मेघालय	17	19	19

	1	2	3
नागालैंड	22	24	22
त्रिपुरा	52	51	57
अरुणाचल प्रदेश	12	15	13
मिजोरम	5	6	5
सिक्किम	8	7	7
पूर्वी क्षेत्र	3842	4411	5094
बिहार	1225	1279	1207
झारखंड			163
उड़ीसा	730	783	801
पश्चिम बंगाल	1883	2345	2919
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र	6020	6929	7975
मध्य प्रदेश	2577	2881	2969
छत्तीसगढ़			140
उत्तर प्रदेश	3462	4048	4751
उत्तरांचल			115
पश्चिमी क्षेत्र	7481	11142	13670
गुजरात	2253	2455	2960
महाराष्ट्र	5158	8620	10651
दमन व दीव	1	1	1
गोवा	67	64	56
दादरा व नगर हवेली	1	1	1
दक्षिणी क्षेत्र	16203	17017	19676
आन्ध्र प्रदेश	5196	5671	6343
कर्नाटक	4358	4367	5210
केरल	1844	1936	2069
तमिलनाडु	4751	4978	5991
पांडिचेरी	51	53	61
लक्षद्वीप	1	12	1
सम्पूर्ण भारत	41210	49434	59310

[हिन्दी]

पेटेंट कानून में परिवर्तन

1686. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कंपनियां खाद्य उत्पादों का पेटेंट कराने के संबंध में विदेशी कंपनियों से काफी पीछे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मौजूदा विधिक जटिलता इसका प्रमुख कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मौजूदा पेटेंट कानूनों में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परिवर्तन द्वारा भारतीय कंपनियां किस हद तक और किस तरह से लाभान्वित होंगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत, खाद्य उत्पादों के लिए पेटेंट लेने की अनुमति नहीं है और वे प्रदान नहीं किए जाते। इस श्रेणी में केवल प्रक्रिया पेटेंटों पर ही विचार किया जाता है।

(ग) से (ङ) पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 (मई, 2003 से चालू किया गया) में, पेटेंट कानूनों में काफी बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का संबंध अन्य बातों के साथ-साथ जिन विषयों से है, वे हैं – पेटेंटों के लिए 20 वर्षों की एकसमान अवधि लागू करना, अनिवार्य लाइसेंस के उपबंधों में

परिवर्तन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, राष्ट्रीय/सार्वजनिक हितों का संरक्षण, आदि। इसके अलावा 'ट्रिप्स' समझौते सहित, डब्ल्यूटीओ समझौते का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते। भारत का यह दायित्व है कि वह उन सभी क्षेत्रों के लिए उत्पाद पेटेंट व्यवस्था लागू करवाए, जिनके लिए इस समय उत्पाद पेटेंटों की अनुमति नहीं है। इसमें खाद्य उत्पाद भी आ जाते हैं। भारतीय पेटेंट कानून के तहत ये बदलाव 1 जनवरी, 2005 से ही लागू किए जाने हैं। भारतीय पेटेंट कानूनों में परिवर्तनों और प्रशासनिक ढांचे के आधुनिकीकरण का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कम्पनियों सहित सभी आविष्कारकों के पेटेंट अधिकारों से प्राप्त होने वाले लाभों के लिए प्रयास करने व उनका सुनिश्चय करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारी

1687. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय के विभिन्न विभागों और उपक्रमों में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) कुल कार्यरत कर्मचारियों में से अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के पृथक-पृथक कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के समूह-वार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) जनजातिय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातिय वित्त एवं विकास निगम नामक एक उपक्रम है और भारतीय जनजातिय सहकारी विपणन विकास संघ (मर्यादित) नामक एक शीर्ष स्तरीय सहकारी समिति है। मंत्रालय, एनएसटीएफडीसी और ट्राइफेड से संबंधित ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

क्रम सं.	संगठन	ग्रुप	कर्मचारियों की कुल की संख्या	विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की संख्या			
				अनु. जा.	अनु. जन.जा.	अ.पि.व.	सामान्य
1	मंत्रालय	ए	18	3	–	–	15
		बी	26	2	–	1	23
		सी	26	6	1	3	16
		डी	15	4	2	1	8
		कुल	85	15	3	5	62
1	एनएसटीएफडीसी	ए	15	3	6	–	6
		बी	8	–	1	2	5
		सी	11	3	1	2	5
		डी	11	7	–	–	4
		कुल	45	13	8	4	20
1	ट्राइफेड	ए	12	1	2	–	9
		बी	39	4	3	1	31
		सी	229	48	36	15	130
		डी*	–	–	–	–	–
	कुल		280	53	41	16	170

* ट्राइफेड के प्रशासनिक नियमावली के अनुसार उनके कार्यालय में ग्रुप डी का कोई कर्मचारी नहीं है।

[अनुवाद]

अफगानिस्तान के साथ व्यापार समझौता

1688. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत द्वारा अफगानिस्तान के साथ किसी अधिमानी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौता कब तक लागू हो जायेगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और अफगानिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय अधिमानी व्यापार करार पर 6 मई, 2003 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। करार के अनुसार भारत ने मेवों, ताजे फलों, बीजों, औषधीय जड़ी बूटियों और कीमती पत्थरों की 38 मदों के आयात पर अफगानिस्तान को 50 से लेकर 100 प्रतिशत तक टैरिफ रियायत प्रदान की है। अफगानिस्तान द्वारा चाय, भेषजीय उत्पादों, चीनी और सीमेंट सहित 8 मदों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की जा रही है।

(ग) यह करार तब तक प्रवृत रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्षकार इस करार को समाप्त करने को अपनी मंशा के बारे में दूसरे पक्षकार को छः माह का नोटिस देकर इस करार को समाप्त नहीं कर देता है।

पेंशन निधि

1689. श्रीमती रेणुका चौधरी :

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और विदेश की कई म्यूचुअल फंड कंपनियों और कोष प्रबंधन कंपनियों ने पेंशन निधियों की संख्या को छह तक ही सीमित रखने के विरोध में सरकार के पास अभ्यावेदन भेजे हैं जैसा कि पूर्व में निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो पेंशन निधि योजनाओं की संख्या बढ़ाने के लिए इन कंपनियों द्वारा क्या कारण दिए गए;

(ग) क्या रक्षा सेवाओं के अलावा, नए सरकारी भर्तियों की बढती संख्या प्रत्येक वर्ष करीब 33,000 के मद्देनजर अत्याधिक पेंशन निधि योजनाओं का प्रबंधन मुश्किल है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने और अधिक पेंशन निधि योजनाओं के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों पर क्या निर्णय लिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) बजट 2003–2004 में घोषित नयी पेंशन प्रणाली पर म्यूचुअल फंड उद्योग तथा बीमा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श के दौरान अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें उन संस्थाओं की संख्या अप्रतिबंधित रखने का सुझाव दिया गया है, जिन्हें पेंशन योजनाएं संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसा सुझाव दिए जाने के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ–साथ बैंकिंग क्षेत्र, म्यूचुअल फंड क्षेत्र तथा बीमा क्षेत्र में भागीदारों की संख्या पर कोई प्रतिबंध न लगाना, कठोर प्रवेश मानदण्डों सहित बाजार आधारित मुक्त नीति, पेंशन क्षेत्र के लिए एक पृथक विनियामक की बड़ी संख्या में भागीदारों को नियंत्रित करने की क्षमता तथा अधिक भागीदारों के साथ जनसाधारण को अपेक्षाकृत तेजी से शिक्षा प्रदान करना शामिल है।

(ग) और (घ) पेंशन निधि प्रबंधकों की संख्या जो नयी पेंशन प्रणाली को संचालित करेंगे, सरकार द्वारा निश्चित नहीं की गई है।

हथकरघा श्रमिक

1690. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

श्री बीर सिंह महतो :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य में कुल कितने हथकरघा बुनकर हैं;

(ख) वर्ष 2001–02, 2002–03 के दौरान इन हथकरघा बुनकरों को राज्य–वार क्या सुविधाएं दी गईं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी राशि जारी की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) वर्ष 1995–96 के दौरान कराई गई हथकरघा एवं विद्युतकरघा की संयुक्त जनगणना के अनुसार देश में हथकरघा बुनाई एवं इससे जुड़ी गतिविधियों के क्षेत्र में 65.51 लाख लोग लगे हुए थे। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2001–02 के दौरान हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने संपूर्ण देश में निम्नलिखित सहित अनेक योजनाएं कार्यान्वित कीं:–

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. मिल गेट कीमत योजना।
3. विपणन परिसरों की स्थापना।
4. प्रचार एवं प्रदर्शनी योजना।
5. निर्यात योग्य उत्पाद विकास एवं उनके विपणन की योजना।
6. परियोजना पैकेज स्कीम।
7. हथकरघा विकास केन्द्र/गुणवत्ता रंगाई केन्द्र।
8. विपणन विकास सहायता योजना।
9. कार्यशाला–सह–आवास योजना।
10. स्वास्थ्य पैकेज योजना।
11. समूह बीमा योजना।
12. थ्रिफ्ट योजना।
13. प्रवर्तन तंत्र की स्थापना।
14. राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र।

उपर्युक्त योजनाएं वर्ष 2002–03 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं के रूप में चालू रहीं:–

1. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. विपणन प्रोत्साहन योजना।
3. मिल गेट कीमत योजना।
4. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
5. कार्यशाला–सह–आवास योजना।
6. बुनकर कल्याण योजना।
7. हथकरघा निर्यात योजना।
8. हथकरघा (वस्तु उत्पादनार्थ आरक्षण) अधिनियम, 1985

उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को क्रमशः 8802.10 लाख रुपये और 10875.00 लाख रुपये की राशि अवमुक्त की गई थी। वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान अवमुक्त की गई राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

बुनाई एवं इससे जुड़ी गतिविधियों में हथकरघा बुनकरों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	बुनाई एवं इससे जुड़ी गतिविधियों में लगे लोगों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	490616
2.	अरुणाचल प्रदेश	53473
3.	असम	2322268
4.	बिहार	110732
5.	छत्तीसगढ़	28362
6.	दिल्ली	6708
7.	गोवा	25
8.	गुजरात	57936
9.	हरियाणा	22810

1	2	3
10.	हिमाचल प्रदेश	65099
11.	जम्मू-कश्मीर	51847
12.	झारखंड	56975
13.	कर्नाटक	177562
14.	केरल	63153
15.	मध्य प्रदेश	27744
16.	महाराष्ट्र	80901
17.	मणिपुर	482087
18.	मेघालय	#
19.	मिजोरम	#
20.	नागालैंड	126228
21.	उड़ीसा	246782
22.	पांडिचेरी	7369
23.	पंजाब	13160
24.	राजस्थान	71915
25.	सिक्किम	1228
26.	तमिलनाडु	607675
27.	त्रिपुरा	291761
28.	उत्तर प्रदेश	401362
29.	उत्तरांचल	19322
30.	पश्चिम बंगाल	686254
	कुल अखिल भारत	6551354

मिजोरम और मेघालय से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

विवरण-II

वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान अलग-अलग हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को अवमुक्त की गई सहायता का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	अवमुक्त की गई वित्तीय सहायता	
		2001-2002	2002-2003
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1613.93	1320.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	498.67	66.92
3.	असम	950.85	1133.42
4.	बिहार	6.50	6.25
5.	छत्तीसगढ़	61.90	89.71
6.	दिल्ली	23.68	164.02
7.	गोवा	0.00	0.00
8.	गुजरात	241.80	113.01
9.	हरियाणा	44.04	17.57
10.	हिमाचल प्रदेश	99.78	239.82
11.	जम्मू-कश्मीर	66.11	127.96
12.	झारखंड	0.00	8.60
13.	कर्नाटक	480.64	498.57
14.	केरल	926.24	1197.77
15.	मध्य प्रदेश	96.72	114.20
16.	महाराष्ट्र	94.26	124.06
17.	मणिपुर	25.04	608.57
18.	मेघालय	12.74	19.73

1	2	3	4
19.	मिजोरम	11.00	53.96
20.	नागालैंड	377.20	163.88
21.	उड़ीसा	57.79	159.99
22.	पांडिचेरी	1.23	0.00
23.	पंजाब	29.38	43.41
24.	राजस्थान	66.01	86.53
25.	सिक्किम	3.99	2.97
26.	तमिलनाडु	2104.99	3020.54
27.	त्रिपुरा	25.97	27.35
28.	उत्तर प्रदेश	769.86	985.24
29.	उत्तरांचल	40.25	79.22
30.	पश्चिम बंगाल	71.53	401.97
	कुल	8802.10	10875.90

[हिन्दी]

कालीन बुनकरों के लिए रेशम धागे

1691. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर जम्मू-कश्मीर में कालीन बुनकरों के लिए सस्ते दर पर रेशम धागे उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) घरेलू कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) जी, हां। स्पन रेशम धागे का आयात ओ जी एल के अंतर्गत स्वीकृत है और अब यह कालीन बुनकरों के लिए आसानी से उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) घरेलू कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाये गए हैं वे इस प्रकार से हैं : कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन, क्रेता-विक्रेता बैठकें, मैट्रोज में बिक्री प्रदर्शनियों का आयोजन, भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, नई दिल्ली में प्रत्येक छमाही में भारतीय कालीन एक्सपोज़, इत्यादि।

[अनुवाद]

यूएस-64

1692. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई, 2003 के बाद यूटीआई की यूएस-64 यूनिट की कुल कितनी संख्या की पुनःखरीद (रिडीम) की गई;

(ख) क्या सरकार ने यूटीआई-I की विभिन्न योजनाओं में पुनः निवेश करने के लिए किसी प्रोत्साहन प्रस्ताव की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और योजनावार कुल कितनी राशि का पुनः निवेश किया गया?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टाटा समूह में वीएसएनएल का निवेश

1693. श्री किरीट सोमैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को टाटा समूह की कंपनियों में वीएसएनएल के निवेश के निर्णय के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ङ) वीएसएनएल प्रबंधकों द्वारा टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड (टीटीएसएल) में 1200 करोड़ रुपये का निवेश करने के निर्णय के संबंध में एक विवाद उत्पन्न हुआ था। सरकार की इच्छा थी कि अंतिम निर्णय लेने से पूर्व, बोर्ड द्वारा प्रस्तावित उप-समिति द्वारा समिति के निम्नलिखित विस्तारित कार्यक्षेत्र के अनुसार अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से वीएसएनएल द्वारा लक्षित कंपनी में ऐसा कोई निवेश करने की वांछनीयता का सावधानीपूर्वक विश्लेषण तथा विचार किया जाए:

i. वीएसएनएल द्वारा अलग-अलग समय पर टीटीएसएल में किए जाने वाले निवेश का अध्ययन करना तथा उसकी प्रमात्रा तथा मूल्यनिर्धारण/कीमत का निर्णय करना;

ii. टीटीएसएल में निवेश की ट्रांशों तथा आवधिकता का निर्णय करना;

iii. निवेश के संबंध मे वीएसएनएल के हितों के सर्वोत्तम संरक्षण हेतु टीटीएसएल के साथ शेयरधारक करारों तथा अन्य संविदात्मक व्यवस्थाओं संबंधी वार्ताएं करना, उन्हें अंतिम रूप देना तथा उन्हें निष्पादित करना;

iv. टीटीएसएल में टीटीएसएल द्वारा हासिल की जाने वाली सुनिश्चित उपलब्धियों से सहबद्ध निवेश वापस लेने की शर्तें निर्धारित करना;

v. टीटीएसएल द्वारा निवेश को उपयोग में लाने तथा उसे प्रयोज्य करने के तरीके में एक संरचनात्मक भूमिका निभाना;

vi. किन्हीं ऐसे अतिरिक्त निवेश अवसरों को अभिज्ञात करना तथा उनकी प्रमात्र का निर्धारण करना जो अधिक आकर्षक है तथा उन्हें बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत करना;

vii. ऐसे अन्य कार्य जो उसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाएं।

उप-समिति के निर्णय के अनुसार, वीएसएनएल द्वारा सात वर्षीय अवधि में टाटा टेली सर्विसेज़ में इक्विटी के रूप में 835.80 करोड़ रु. की राशि का निवेश किया जायेगा। पहले 4 वर्षों में 636.80 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया जायेगा तथा शेष राशि का निवेश वीएसएनएल तथा टाटा टेली सर्विसेज़ द्वारा परस्पर सम्मत की जाने वाली समय सारिणी तथा तरीके के अनुसार किया जाएगा।

भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैन्डर्ड्स) को सुचारु बनाना

1694. **श्री बी. वी. एन. रेड्डी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) के कार्यकरण को सुचारु बनाया है जिसे मार्च, 2003 में पेय मिनरल वाटर के मामले में मानकों को लागू करने में लापरवाह पाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरे क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। बोतल बंद पानी में कीटनाशकों के अवशेषों की मौजूदगी के बारे में एक गैर-सरकारी संगठन विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट को देखते हुए सरकार ने उपभोक्ता मामले विभाग में अपर सचिव श्रीमती सतवन्त रेड्डी की अध्यक्षता में 5 फरवरी, 2003 को एक जांच समिति का गठन किया था। समिति ने 25 मार्च, 2003 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यकरण के संबंध में रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो के संबंध में जांच समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

विवरण

जांच समिति की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें

- भारतीय मानक ब्यूरो की, विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करके मानक विकसित और प्रतिपादित करने की एक सुस्थापित प्रणाली है। मानक बनाने के लिए सहमति एक अनिवार्य प्रक्रिया संबंधी सिद्धान्त और एक आवश्यक शर्त है।

इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो ने उत्पाद प्रमाणन के लिए उपयुक्त आवश्यकताओं के संबंध में इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन गाइड 7 – 1982 को अपनाया है। प्रारूप मानकों पर वैज्ञानिक, उपभोक्ता संगठनों और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा व्यक्त अभिमतों को ध्यान में रखा जाता है। समग्र रूप से पैकेज में रखे पेयजल के लिए इन दो मानकों के प्रतिपादन के समय निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो के सचिवालय ने उपयुक्त अनुभागीय समितियों की शिनाख्त करने, इच्छुक क्षेत्रों से परामर्श करने, अनुभागीय समिति के समक्ष टिप्पणियां प्रस्तुत करने तथा प्रत्येक गुणवत्ता पैरामीटर के संबंध में निर्णयों को रिकार्ड करने का अपना विहित कार्य किया है। मानकों में उन सभी विशेषताओं और अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है जो अवाश्यक हैं। इनमें अपेक्षित सीमा निर्धारण मूल्य तथा परीक्षण पद्धतियां भी विनिर्दिष्ट हैं।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 सितम्बर, 2000 को जारी दो अधिसूचनाओं के जरिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनिय के तहत पैकेज में रखे पेयजल और पैकेज में रखे प्राकृतिक खनिज जल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया था। इन अधिसूचनाओं को जारी करने से पूर्व खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के नियम 3 के तहत गठित खाद्य मानक संबंधी केंद्रीय समिति में विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की गई थी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की अध्यक्षता में इस समिति ने भारतीय मालक ब्यूरो के मानकों पर विचार किया और उनको खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत अपनाए जाने के लिए उपयुक्त पाया। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम मानकों के तहत तथा साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के तहत पेस्टनाशी अवशेषों के लिए विनिर्देशन "पता लगाए जाने की सीमा से कम" हैं।

- समिति ने पाया कि पैकेज में रखे पेयजल और पैकेज में रखे खनिज जल के लिए मानक उपयुक्त हैं और इन दो मानकों में पेस्टनाशी अवशेषों की पता लगाने की सीमाएं अन्य खाद्य मदों जैसे दूध, फल, सब्जियों और खाद्यान्न, जो मानव द्वारा दैनिक रूप से ग्रहण की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं, में पेस्टनाशी अवशेषों की तुलना में उचित हैं। उदाहरण के लिए मौजूदा परीक्षण पद्धतियों से पैकेज में रखे जल में डी डी टी की मात्रा का 0.02 पी पी एम के स्तर तक पता लगाया जा सकता है जबकि दूध और दूध के उत्पादों में (वसा के आधार पर) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत 1.25 पी पी एम तक इसकी अनुमति दी जाती है।

- पैकेज में रखे पेयजल के संबंध में 2 मानक कोडेक्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा–निर्देशों से सहायता लेकर प्रतिपादित किए गए। उस समय तक कोडेक्स ने पेस्टनाशी अवशेषों के पता लगाने और निर्धारण के लिए संगत परीक्षण पद्धति पर सहमति नहीं दी थी। इसलिए भारतीय मानक ब्यूरो की संबंधित तकनीकी समिति ने भारतीय मानक ब्यूरो की अन्य तकनीकी समिति द्वारा स्थापित परीक्षण पद्धति मानक को अपनाने का निर्णय लिया जो फलों, सब्जियों और मृदा में पेस्टनाशी अवशेषों के लिए निर्धारित की गई थी। ये मानक परीक्षण पद्धतियां विशेष रूप से पेय जल के लिए नहीं थीं। चूंकि उस समय तक एक सहमत कोडेक्स परीक्षण पद्धति उपलब्ध नहीं थी इसलिए किसी एक व्यक्ति अथवा संगठन को अपनायी गई परीक्षण पद्धति में इस कमजोर लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

- संबंधित क्षेत्र में मानकों को गतिशील रखने और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों के अनुरूप बनाये रखने के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय मानक ब्यूरो एक इनबिल्ट एलर्ट सिस्टम की व्यवस्था करके मानकों में निरंतर सुधार के प्रयास करेगा जिससे आने वाली समस्याओं को भयानक रूप धारण करने से पहले समाप्त किया जा सकेगा।

- भारतीय मानक ब्यूरो के पास विभिन्न क्षेत्र के वैज्ञानिकों का एक कोर ग्रुप होना चाहिए जिनको महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अद्यतन वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के साथ संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। ये वैज्ञानिक भारतीय मानक ब्यूरो के प्रबंधन को विशिष्ट मानकों को अपडेट करने और संशोधित करने की आवश्यकता के बारे में उनकी समीक्षा की तारीख से पहले भी जानकारी देते रहेंगे।

* प्रारूप मानकों को भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर दिया जाना चाहिए। ताकि उनके बारे में इच्छुक व्यक्तियों और समूहों से टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। इसको अखबारों और इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर विज्ञापन देकर जनता के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

* मानक प्रतिपादन एक स्वैच्छिक कार्य है और भारतीय मानक ब्यूरो मानक प्रतिपादन हेतु गठित तकनीकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई भुगतान नहीं करता यहां तक कि यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते के रूप में भी भुगतान नहीं किया जाता। इसके परिणामस्वरूप कई बार वैज्ञानिक संगठन और उपभोक्ता संगठन तकनीकी समितियों की बैठकों में भाग नहीं ले पाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।

* भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम में यथानिर्धारित प्रमाणन प्रक्रिया प्रमाणन विनियमन और प्रचालन मैनुअल आदि के शामिल उपायों का विनिर्माण यूनिटों को लाइसेंस देने में अनुपालन किया गया है। निगरानी निरीक्षण तथा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में मानक की अपेक्षाओं के साथ उनकी अनुरूपता का आकलन करने के लिए फैक्ट्री और बाजार से नमूने लेने का कार्य भी किया गया। अनुपालन न किए जाने पर चिह्नांकन को रोक दिए जाने सहित की गई कार्रवाई के उदाहरण यह दर्शाते हैं कि स्कीम के तहत अपेक्षित पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग की गई। तथापि, निगारानी निरीक्षणों और नमूनों के परीक्षण की बारम्बारता के लिए निर्धारित लक्ष्यों में कुछ कमियां पाइ गईं। यह भी पाया गया है कि प्रमाणन के लिए मौजूदा मांगों के अलावा पैकेज मे रखे पेयजल के लिए 750 लाइसेंस शामिल किए गए जिनके मानव शक्ति जैसे अतिरिक्त संसाधन प्रदान नहीं किए गए। भारतीय मानक ब्यूरो की सभी प्रमाणन और प्रवर्तन गतिविधियों के लिए मानव शक्ति की कमी है इसलिए निगरानी निरीक्षणों में कमियां पाई गईं। इसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

* जब पैकेज में रखे जल जैसे आम खपत की किसी मद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया जाता है तो उपभोक्ताओं के प्रति भारतीय मानक ब्यूरो की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ जाती है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले भारतीय मानक ब्यूरो को अपने संशोधनों की स्वयं ही पूरी समीक्षा करनी पड़ेगी। मानव शक्ति और अन्य संसाधनों की अपर्याप्तता का पता लगाया जाए और चुनौती को स्वीकार करने से पहले उन कमियों को पूरा करने के तरीकों का पता लगाया जाए किन्तु यदि भारतीय मानक ब्यूरो एक बार इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है तो उसको इसका निष्पादन ईमानदारी से करना चाहिए तथा मानदंडों के अनुपालन न किए जाने के लिए औचित्य के रूप में मानव शक्ति अथा संसाधनों की कमी का जिक्र न करे।

* भारतीय मानक ब्यूरो प्रत्येक उत्पाद के परिक्षण और निरीक्षण के लिए एक स्कीम तैयार करता है। यह स्कीम संबंधित मानकों के निहित विशिष्टियों पर समुचित विचार करने के पश्चात् निरूपित की जाती है परन्तु एक बार निरूपित की गई परीक्षण और निरीक्षण स्कीम उस उत्पाद के सभी लाइसेंसधारी विनिर्माताओ पर लागू हो जाती है। यूरोपीय निर्देशों में यह देखा गया है कि बिक्री के लिए बोतलों अथवा कंन्टेनरों में भरे जाने वाले जल के नमूना परीक्षण तथा विश्लेक्षण की बारम्बारता उत्पादन की क्षमता के अनुसार न्यूनाधिक होती है। यह सुझाव दिया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो परीक्षण की बारम्बारता की वांछनीयता को उत्पादन के साथ जोड़ने पर विचार करे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सभी लाइसेंसधारियों के लिए एक ही परीक्षण तथा निरीक्षण स्कीम बनाने के बजाए भारतीय मानक ब्यूरो कच्चे पानी की गुणवत्ता, उसे शुद्ध करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी तथा एक दिन में संशोधित किए जाने वाले जल की मात्रा को ध्यान में रखे और उस विनिर्माताओं इकाई के लिए परीक्षण तथा निरीक्षण स्कीम विकसित करे।

* भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद विशिष्ट समितियां स्थापित करने पर विचार कर सकता है जैसा कि ए एफ एन ओ आर (फ्रैंच मानक निकाय) में है जिसमें कम से कम आवश्यक वस्तुओं के प्रमाणन हेतु बाहरी विशेषज्ञ की भागीदारी का प्रावधान है। इससे भारतीय मानक ब्यूरो परीक्षण और निरीक्षण समिति के संबंध में परामर्श हेतु प्रयोगशालाओं के चयन और स्कीम के समग्र कार्यान्वयन की प्रभावकारिता अधिदेश निकाय, यथा स्वास्थ्य सेवा

महानिदेशालय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अथवा इसके नामिति को शामिल कर सकेगा।

- भारतीय मानक ब्यूरो की केंद्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद के अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लिए गए नमूनों के परीक्षण के लिए 13 अन्य प्रयोगशालाओं की सेवाओं का भी उपयोग किया गया। पर्यवेक्षण तथा लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने हेतु यह अनिवार्य था। प्रयोगशालाओं की मान्यता का आधार प्रयोगशालाओं की क्षमता के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मानक रहे हैं। प्रयोगशालाओं ने मानक में विनिर्दिष्ट परीक्षण पद्धति का अनुपालन किया गया तथा अपनी रिपोर्टें यथा समय समुचित रूप से तैयार किए गए प्रपत्र में प्रस्तुत कीं जिनमें विशिष्ट तथा प्रस्तुत किए गए नमूनों के लिए प्राप्त किए गए मूल्यों का उल्लेख किया गया है।

- भारतीय मानक ब्यूरो, भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय ने वर्ष 1947 में स्थापित भारतीय मानक संस्थान के कर्मचारी, वृन्द, परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का प्रभार संभालते हुए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत 1 अप्रैल, 1987 से सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया। यह संस्थान 50 वर्षों से भी अधिक समय से देश के मानकीकरण आंदोलन का सफलतापूर्वक संवर्धन तथा विकास कर रहा है। इसने मानकों का सुमेलित विकास, वस्तुओं के लिए चिह्नांकन और गुणवत्ता प्रमाणन की व्यवस्था की है। तथापि, अब भारतीय मानक ब्यूरो को अपनी भीतरी क्षमताओं को पुनः सक्षम बनाने की आवश्यकता है। भारतीय मानक ब्यूरो की वर्षों पूर्व निरूपित की गई मौजूदा प्रक्रियाएं अब गोपनीयता एवं विश्वसनीयता की दृष्टि से कुछ धूमिल हुए प्रतीत होती हैं। तथापि, सरकार अधिक पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। निर्णय लेने में भी लोगों की अधिक भागीदारी है। कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा वेबसाइट के बढ़ते हुए प्रयोग से कम लागत पर जनता तक पहुंचना संभव हो गया है। भारतीय मानक ब्यूरो इन परिवर्तनों के आलोक में अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करे तथा अपने कार्यकलापों में और अधिक पारदर्शिता लाए। तकनीकी समिति के सदस्यों की सूची, प्रारूप मानक, लाइसेंसधारियों की सूची तथा उनकी वर्तनाम स्थिति को इसके वेबसाइट में डाला जाए तथा उसे हर माह उद्यतन किया जाए। कारखाने अथवा मार्किट से लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्टों को वेब पर दर्शाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाए।

- विकसित देशों में पेयजल के लिए केवल एक ही मानक है और सभी देशों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि मावन उपभोग के लिए सभी प्रकार का पेयजल, भले ही वह वितरण नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराया जाता हो अथवा बोतलों के जरिए उन मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अब समय आ गया है जब सरकार/निगम अपने वितरण तंत्र के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अपने तंत्र को दुरुस्त बना लें।

- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत अन्य खाद्य उत्पादों में संदूषकों की स्वीकार्य सीमाओं की भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में कृषि तथा बागवानी के प्रयोजनार्थ पेस्टनाशी तथा उर्वरकों के उपयोग के स्वीकार्य स्तर के संबंध में भी व्यापक चर्चा की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जब तक कृषि के लिए पेस्टनाशी एवं उर्वरकों का उपयोग किया जाता रहेगा उनका खाद्य पदार्थों तथा जल पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

- इस उद्योग के लिए वाटर–रि–चार्जिंग सिस्टम को अनिवार्य बना दिया जाए। पैकेज में रखे पेयजल उद्योग स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करने हेतु कतिपय दिशा–निर्देश बनाए जाने अपेक्षित हैं ताकि इन उद्योगों की स्थापना प्रदूषण मुक्त क्षेत्र में करनी सुनिश्चित की जा सके।

- जब भी भारतीय मानक ब्यूरो कोई मानक निर्धारित करता है, तब वह उसके अनुरूप परीक्षण पद्धति भी निर्धारित करे। संशोधित मानकों (फरवरी, 2003 का संशोधन संख्या 4) में यह कहा गया है कि विश्लेषण अन्तर–राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित परीक्षण पद्धति द्वारा ही किए जाएं जिसमें अवशिष्ट सीमा निर्धारित की गई है। यह अस्पष्ट है तथा इससे प्रयोगशालाओं को परीक्षण पद्धति का चयन करने की स्वतंत्रता मिल जाती है जिसके कारण भ्रान्तियां उत्पन्न होती हैं क्योंकि इसमें विभिन्न प्रयोगशालाओं के परिणामों के बीच तुलना करने की छूट नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय पोषाहार

संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, भारतीय विष-वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान आदि जैसे शीर्षस्थ अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल करके एक विशेषज्ञ समिति का गठन करे जो आई एस : 13492 तथा आई एस : 14543 में विनिर्दिष्ट मामलों की समीक्षा के लिए जल की गुणवत्ता के मूल्यांकवन कार्य में संलग्न हों ताकि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा अपनाई जाने वाली परीक्षण पद्धति निर्धारित की जा सके।

जनजातीय विकास सहकारी निगम

1695. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने जनजातीय विकास सहकारी निगम (टी.डी.सी.सी.) का गठन किया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में विभिन्न राज्यों को कितना अनुदान प्रदान किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उन राज्यों में प्रत्येक जनजातीय विकास सहकारी निगम द्वारा राज्य-वार कितना कार्य किया गया?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जिन राज्यों ने जनजातीय सहकारी विकास निगम का गठन किया है, वे हैं:-

आंध्र प्रदेश

गुजरात

मणिपुर

राजस्थान

झारखंड

मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र

त्रिपुरा

केरल

उड़ीसा

मेघालय

पश्चिम बंगाल

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष	निर्मुक्त धनराशि	जिसके लिए अनुदान निर्मुक्त किया गया	प्रयोग की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2000-2001	150.00	लघु वन उत्पाद संचालन के लिए	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए।
		2001-2002	520.00	(i) लघु वन उत्पाद का प्रापण (ii) शेयर पूंजी का संचालन (iii) गोदाम/वेयर हाऊस का निर्माण	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए।
		2002-2003	480.00	लघु वन उत्पाद के लिए प्रापण	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित हैं।

1	2	3	4	5	6
2.	गुजरात	2000–2001	150.00	लघु वन उत्पाद संचालन के लिए	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित हैं।
		2001–2002	–	–	–
		2002–2003	–	–	–
3.	केरल	2000–2001	–	–	–
		2001–2002	–	–	–
		2002–2003	225.00	(i) शेयर पूंजी को सशक्त करना (ii) लघु वन उत्पाद संचालन के लिए (iii) गोदाम/वेयर हाऊस का निर्माण	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित हैं।
4.	मेघालय	2000–2001	–	–	–
		2001–2002	47.00	लघु वन उत्पाद संचालन के लिए	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए।
		2002–2003	100.00	–तदैव–	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित हैं।
5.	उडीसा	2000–2001	192.00	लघु वन उत्पाद संचालन के लिए	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए।
		2001–2002	200.00	–तदैव–	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए।
		2002–2003	400.00	–तदैव–	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित हैं।
6.	राजस्थान	2000–2001	–	–	–
		2001–2002	251.61	(i) शेयर पूंजी को सशक्त करना (ii) लघु वन उत्पाद संचालन के लिए (iii) लघु वन उत्पाद यूनिट का निर्माण	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए।
		2002–2003	119.37	(i) शेयर पूंजी को सशक्त करना (ii) गोदाम/वेयर हाऊस का निर्माण	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित हैं।
7.	महाराष्ट्र	2000–2001	350.00	(i) लघु वन उत्पाद संचालन के लिए (ii) गोदाम/वेयर हाऊस का निर्माण	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए।
		2001–2002	200.00	लघु वन उत्पाद संचालन के लिए	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित हैं।

1	2	3	4	5	6
		2002–2003	–	–	–
8.	त्रिपुरा	2000–2001	–	–	–
		2001–2002	62.06	लघु वन उत्पाद संचालन के लिए	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए।
		2002–2003	122.00	लघु वन उत्पाद संचालन के लिए	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित हैं।
9.	पश्चिम बंगाल	2000–2001	–	–	–
		2001–2002	–	–	–
		2002–2003	53.63	लघु वन उत्पाद संचालन के लिए	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय चर्म परिसर

1696. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय चर्म परिसर की स्थापना के लिए स्वीकृति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो रोजगार प्रदान करने के लिए चर्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य में एक अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा परिसर स्थापित करने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। किसी उपयुक्त स्थल पर एक चमड़ा परिसर की स्थापना करने की योजना, चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास करने संबंधी ऐसे प्रस्ताव का एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना में 400 करोड़ रुपये की राशि के परिव्यय की व्यवस्था की गई है तथा जिसमें अनेक योजनाएं/पहलें समाविष्ट हैं। इन योजनाओं/पहलों का उद्देश्य भारतीय चमड़ा उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है ताकि इस क्षेत्र में रोजगार उत्प्रेरित किया जा सके।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

1697. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दसवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल में और अधिक गोदाम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष में इस पर कितनी धनराशि आबंटित की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1698. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में विदेशी सहायता से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

30.6.2003 की स्थिति के अनुसार

क्र.स.	परियोजना का नाम	स्रोत	आरम्भ करने की तारीख	मुद्रा	ऋण/ अनुदान की राशि (मिलियन)	संचयी आहरण (मिलियन)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम	जर्मनी	22.6.99	डयूश मार्क	2.00	2.00
				यूरो	30.68	0.59
2.	ग्रामीण जल आपूर्ति	जर्मनी	5.7.96	डयूश मार्क	39.01	28.08
				यूरो	28.12	4.15
3.	कलकत्ता गंदी बस्ती सुधार	यूके	1.1.91	यूके पाउंड	16.94	1.44
4.	कलकत्ता पर्यावरणीय सुधार	यूके	8.11.01	यूके पाउंड	28.30	0.00
5.	उत्तरी बंगाल तराई विकास चरण–III	नीदरलैंड	30.11.94	एनएल गिल्डर	10.30	5.91
6.	भारतीय भू–विज्ञान सर्वेक्षण (जीएसआई–सीएल)	फ्रांस	23.11.98	यूरो	2.91	1.21
				फ्रेंच फ्रांक	11.05	11.05
7.	कलकत्ता नगर पालिका निगम (सीएमसी–डब्ल्यूबीएलए–1)	फ्रांस	23.11.98	यूरो	5.62	2.12
				फ्रेंच फ्रांक	17.63	17.63
8.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	जापान	28.2.95	जापानी येन	955.17	744.81
9.	तीस्ता नहर जल–बिजली परियोजना (आईडीपी–72)	जापान	23.1.91	जापानी येन	6120.75	489.23
10.	बक्रेश्वर टीपीएस एवं विस्तार (आईडीपी–72)	जापान	28.2.95	जापानी येन	8336.75	657.96
11.	पश्चित बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना	जापान	25.2.97	जापानी येन	11087.00	9354.79
12.	बक्रेश्वर टीपीएस परियोजना–II	जापान	12.12.97	जापानी येन	32300.69	21170.17
13.	बक्रेश्वर टीपीएस परियोजना–III	जापान	24.3.99	जापानी येन	11537.00	8624.89
14.	बक्रेश्वर टीपीएस विस्तार (आईडीपी–147)	जापान	31.3.03	जापानी येन	36771.00	0.00
15.	पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना–II	जापान	10.5.02	जापानी येन	3127.00	139.44
16.	कलकत्ता परिवहन आधारभूत ढांचा विकास	जापान	25.2.97	जापानी येन	10679.00	4161.06

1	2	3	4	5	6	7
17.	तीस्ता नहर जल–बिजली परियोजना (आइडीपी–040)	जापान	18.12.86	जापानी येन	7882.21	277.65
18.	पुरुलिया पंप जल भंडारण	जापान	28.2.95	जापानी येन	20520.00	9359.67
19.	पश्चिम बंगाल गलियारा विकास	एशियाई विकास बैंक	10.12.02	अमरीकी डॉलर	210.00	2.19
20.	कलकत्ता पर्यावरणीय सुधार	एशियाई विकास बैंक	18.12.01	अमरीकी डॉलर	220.00	4.52

सिक्किम विधान सभा में सीटों का आरक्षण

1699. श्री एम. के. सुब्बा : क्या विधि और न्याय मंत्री तमंगों और लिम्बों को जनजातीय सूची में शामिल करने के बारे में 25 अप्रैल, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5133 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचनाएं एकत्र कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को सिक्किम के मुख्यमंत्री से तमंगों और लिंबों को, जिन्हें हाल ही में जनजातियों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, सिक्किम राज्य की विधान सभा में पृथक रूप से आरक्षण प्रदान करने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। सरकार अभी इस मामले पर विचार कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व व्यापार संगठन के मुद्दे पर चीन के साथ समन्वय

1700. डा. बी. सरोजा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन विश्व व्यापार संगठन के दोहा विकास चक्र की जारी वार्ता में सामान्य हित में मुद्दों पर समन्वयपूर्वक कार्य करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु किन मुद्दों/क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) "पाटन रोधी" मुद्दे का किस तरह से समाधान किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत और चीन दोहा कार्यक्रम में शामिल विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से विकासशील देशों की चिन्ताओं से संबंधित मुद्दों पर मिलकर कार्य कर रहे हैं। इन मुद्दों में ट्रिप्स एवं लोग स्वास्थ्य, डब्ल्यूटीओ के मौजूदा करारों के बारे में कार्यान्वयन संबंधी चिंताएं, विकासशील देशों के लिए विशेष एवं अलग प्रकार के व्यवहार, तथा कृषि एवं गैर–कृषि उत्पादों एवं सेवाओं के लिए वर्तमान बाजार पहुंच संबंधी वार्ताओं के विकासात्मक पहलू शामिल हैं।

(ग) पाटनरोधी मामले सामान्यतः घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई पूर्णतः प्रलेखित याचिका के आधार पर प्रारंभ किए जाते हैं जिसमें कथित पाटन, क्षति और दोनों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य होता है। विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्वतः जांच पड़ताल भी शुरू कर सकता है यदि वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन नियुक्त सीमाशुल्क समाहर्ता से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से इस बात के लिए संतुष्ट हो कि पाटन की मौजूदगी, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और दोनों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं। इस जांच से संबंधित

निर्यातकों को निर्धारित प्रश्नावली में सूचना प्रदान करने तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दी जाने वाली सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने का अवसर दिया जाता है।

भारत और चीन के बीच मौजूद द्विपक्षीय तंत्र जैसे संयुक्त आयोग, व्यापार संबंधी कार्यदल, पाटनरोधी मामलों सहित दोनों देशों के बीच किसी भी द्विपक्षीय मुद्दे पर कार्य करने के लिए मंच प्रदान करते हैं।

बुल्गारिया से गेहूं का आयात

1701. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997–98 और 2002–03 के बीच के किसी वर्ष में बुल्गारिया से बड़ी मात्रा में गेहूं का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उस विशेष वर्ष में हमारे देशी गेहूं की तुलना में सीमा शुल्क सहित आयातित गेहूं का प्रति क्विंटल मूल्य क्या था;

(घ) क्या सरकार ने रोमानिया, बुल्गारिया और हंगरी को निर्यात के लिए वस्तुओं की मांगों का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन देशों को निर्यात बढाने के लिए क्या प्रयास किए और इसके क्या परिणाम निकले?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999–2000 के दौरान देश में गेहूं की जरूरत के कारण बुल्गारिया से 137.20 करोड़ रुपये मूल्य के 2.37 लाख मी. टन गेहूं की कुल मात्रा का आयात किया गया है।

(ग) वर्ष 1999–2000 में गेहूं की आयात कीमत और स्वदेशी गेहूं की कीमत की तुलना करना संभव नहीं है। इन दोनों में व्यापार की गयी किस्मों समेत विभिन्न कारक शामिल होते हैं।

(घ) जी, नहीं। तथापि, रोमानिया, बुल्गारिया और हंगरी को किए गए निर्यात की मुख्य मदें अन्य मदों के साथ–साथ वस्त्र, सूती धागे, फैब्रिक्स, निर्मितियां, कृषि उत्पाद, औषधि एवं भेषज, धातु विनिर्माण, तम्बाकू अविनिर्मित और मशीनरी तथा यंत्र हैं।

(ङ) इन देशों के साथ व्यापार के स्तर को बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों में से कुछ कदमों में शामिल हैं:– भारतीय और यूरोपीय कम्पनियों को शीघ्र सूचना एवं सहायता प्रदान करना, शीर्षस्थ व्यापार एवं उद्योग संगठनों, निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य संगत निकायों के जरिए व्यापार संबंधी सूचना का प्रसार करना, व्यापार शिष्ट मण्डलों का आदान–प्रदान, भारतीय कम्पनियों को मध्य एवं पूर्व यूरोपीय देशों में प्रमुख व्यापार मेलों में और विलोमतः भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना; व्यापार सेमीनार आयोजित करना; मध्य एवं पूर्व यूरोपीय देशों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की बैठकें आयोजित करना और संयुक्त आयोग की बैठकों तथा अन्य उच्चस्तरीय विचार विनियमों/बैठकों/दौरों के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में और अधिक वृद्धि करने के तौर–तरीकों पर विचार–विमर्श करना। इन कदमों के फलस्वरूप इन देशों के साथ समग्र व्यापार में वृद्धि हुई है।

लोक सभा और राज्य विधान सभाओं का परिसीमन

1702. **श्री होलखोमांग हौकिप :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए गठित परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इसे सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना

1703. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य के हथकरघा क्षेत्र की व्यापक विकास योजना के लिए दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को अनुमोदित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल)) : (क) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र के व्यापक विकास हेतु सहायता की अवमुक्ति संबंधी प्रस्तावों पर विचार योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राप्त व्यावहारिक प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत केरल सरकार का कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) केरल सरकार को अब तक 1313.20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है जिसमें 53 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना के बुनियादी निवेश घटक के लिए 123.82 लाख रुपये तथा योजना के विपणन प्रोत्साहन घटक के लिए 1189.40 लाख रु. गए हैं। इस राशि में से केरल सरकार को अभी तक 1250.84 लाख रुपये की राशि अवमुक्त की जा चुकी है।

महिला शाखाएं

1704. **श्री परसुराम माझी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों ने महिला शाखाओं की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक बैंकवार और शाखावार स्थापित की गई ऐसी शाखाओं की संख्या कितनी है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित बैंकों ने विद्यमान शाखाओं को परिवर्तित कर महिला शाखाओं की स्थापना की है।

1. ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स : 5
   (नई दिल्ली–2, जयपुर–1, अहमदाबाद–1, देहरादून–1)
2. इलाहाबाद बैंक–1 (नई दिल्ली)
3. इंडियन ओवरसीज बैंक–1 (चेन्नई)
4. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर–1 (मुहम्मा)
5. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया–1 (मुम्बई)
6. विजया बैंक–1 (माण्ड्या, कर्नाटक)

राष्ट्रीय कर अधिकरण

1705. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयकर कानूनों की एक जैसी व्याख्या हेतु एक राष्ट्रीय कर अधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अधिकरण के कब तक स्थापित होने की संभावना है; और

(घ) इस ओमबुड्समैन (लोकपाल) से कर विवादों के निपटारे में कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) कर विवादों के निपटान के लिए राष्ट्रीय कर अधिकरण की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। इस प्रस्ताव में यह सुझाव दिया गया है कि आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलें राष्ट्रीय कर अधिकरण के समक्ष दायर की जाएंगी और राष्ट्रीय कर अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाएंगी। चूंकि यह प्रस्ताव विचाराधीन ही है, अतः उस समय को निर्धारित कर पाना संभव नहीं है कि कब तक अधिकरण को स्थापित किए जाने की सम्भावाना है। इस प्रस्ताव में यह

सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय कर अधिकरण की स्थापना से कर विवादों को तत्काल निपटाने में सहायता मिलेगी, जो आयकर कानूनों की समान व्याख्या पर आधारित हैं।

[हिन्दी]

हौज़री निर्यात

1706. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2001–02 और 2002–03 के वर्षों के दौरान हौज़री उत्पादों के निर्यात में क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) 1999–2000 और 2000–2001 के वर्षों की तुलना में निर्यात में कितनी वृद्धि दर्ज की गई; और

(ग) हौज़री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) डीजीसीआईएंडएस के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान हौज़री उत्पादों सहित सिलेसिलाए परिधानों के निर्यात निम्न अनुसार हुए:–

(मिलियन अमरीकी डॉलर में)

	1999–2000	2000–2001	2001 2002	2002–2003
हौजरी उत्पादों सहित सिलेसिलाए परिधान	4464.3	5087.0	4618.7	5031.5
पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि/कमी	5.8%	13.9%	–9.2%	8.9%

(ग) सरकार हौज़री उत्पादों सहित सिलेसिलाए परिधानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय कर रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं:–

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाए परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। इसने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को भी बढ़ा कर 5 करोड़ रु. कर दिया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गयी है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यहास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीतिगत उपायों से मशीनों की लागत को भी कम कर दिया गया है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलता है।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), विशेषकर अपैरल के डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(6) परि–परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं सृजित की गई हैं ताकि आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्यातक, वस्त्र उत्पादों का पूर्व–परीक्षण करवाने में सक्षम हो सकें।

(7) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए अपैरल पार्क निर्यात योजना नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) नामक एक योजना शुरू की गई है।

राज्यों को वित्तीय सहायता

1707. श्री थावरचन्द गेहलोत :

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को शीर्षवार सहायता सहित कितनी विदेशी सहायता दी गई;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिन राज्यों ने निर्धारित धनराशि का विहित समय सीमा में उपयोग नहीं किया तथा निर्धारित अवधि में उपयोग न किए जाने के कारण धनराशि व्यपगत हो गई, उसका वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) धनराशि का दुरुपयोग करने वाले राज्य कौन–कौन से हैं; और

(घ) राज्य सरकारों ने कितनी धनराशि की बाबत केन्द्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता अनुमोदित योजना परिव्यय प्राप्त करने के लिए सकल ऋण/सकल अनुदान के रूप में जारी की जाती है। लक्षित योजना परिव्यय को प्राप्त करने में यदि कोई कमी रह जाती है तो उस राज्य की सामान्य केन्द्रीय सहायता में से अनुपातिक रूप से कटौती की जाती है। राज्य योजना में निर्धारित स्कीमों के अंतर्गत सहायता उनके संबंधित दिशा–निर्देशों के द्वारा शासित की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत राज्य सरकारें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए निधियों के यथोचित उपयोग हेतु अपनी राज्य विधायिकाओं के प्रति जवाबदेह होती हैं।

विवरण

वर्ष 2000–01, 2001–02 और 2002–03 के दौरान वार्षिक योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	2000–01			2001–02			2002–03		
		सामान्य केन्द्रीय सहायता	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	अन्य	सामान्य केन्द्रीय सहायता	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	अन्य	सामान्य केन्द्रीय सहायता	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	803.62	1442.34	518.80	854.43	3755.84	482.32	1107.46	1905.69	478.58
2	अरुणाचल प्रदेश	437.87	0.00	153.14	442.87	0.32	167.62	482.78	2.21	119.64
3	असम	1077.58	78.26	388.43	1047.97	93.25	432.05	1200.25	51.33	523.88
4	बिहार	1281.05	63.67	511.09	1180.64	16.83	244.74	1253.33	0.64	581.01
5	छत्तीसगढ़	113.69	0.00	165.56	322.35	7.17	113.30	360.94	11.22	203.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	गोवा	60.42	0.00	70.72	70.74	0.00	61.92	52.18	0.00	41.69
7	गुजरात	421.16	891.24	701.89	465.58	1604.96	730.98	481.42	940.81	1512.54
8	हरियाणा	175.65	296.66	118.04	194.66	151.93	43.92	204.30	120.89	158.05
9	हिमाचल प्रदेश	521.24	56.40	375.28	529.50	38.16	460.03	593.45	33.99	667.83
10	झारखंड	121.11	0.00	194.12	384.43	0.00	53.73	411.97	0.00	145.11
11	जम्मू–कश्मीर	1017.91	15.71	623.40	987.00	38.05	997.51	1097.89	37.83	1169.45
12	कर्नाटक	469.81	579.50	473.63	529.68	1691.74	625.89	560.57	463.60	949.64
13	केरल	465.1	77.16	139.76	536.04	96.99	156.41	498.07	730.10	231.31
14	मध्य प्रदेश	806.48	172.68	520.14	775.43	819.60	326.29	810.73	735.10	480.81
15	महाराष्ट्र	450.81	318.70	472.28	768.68	289.23	191.89	614.26	377.83	699.92
16	मणिपुर	304.58	19.57	89.26	303.67	16.27	255.64	351.06	10.18	206 43
17	मेघालय	265.74	8.15	130.87	263.00	43.12	102.68	290.29	8.11	110.19
18	मिजोरम	312.24	1.89	85.65	312.24	3.49	144.16	343.46	20.91	143.01
19	नागालैंड	310.33	0.00	112.37	325.13	1.06	133.36	358.15	3.76	92.10
20	उड़ीसा	499.83	516.34	438.28	597.38	310.50	378.86	640.39	621.89	644.22
21	पंजाब	129.25	187.15	229.88	250.61	209.58	205.76	269.58	111.92	202.93
22	राजस्थान	528.82	248.42	412.65	599.90	99.12	290.75	571.85	273.77	517.59
23	सिक्किम	198.67	0.50	67.19	205.57	1.92	95.81	221.63	4.18	65.02
24	तमिलनाडु	663.44	775.14	314.12	702.22	340.19	217.56	706.69	269.72	385.95
25	त्रिपुरा	410.35	0.03	249.14	454.85	3.67	238.05	505.84	0.89	141.68
26	उत्तरांचल	26.07	9.73	439.98	538.00	17.41	593.13	581.80	200.71	822.31
27	उत्तर प्रदेश	1930.75	1697.90	1351.74	1908.46	606.37	992.02	2341.01	709.35	1246.42
28	पश्चिम बंगाल	1000.36	636.09	419.65	1040.59	688.45	343.96	1103.75	631.24	450.40
	योग	14803.93	8093.23	9767.06	16591.62	10945.22	9080.34	18015.10	8277.87	12991.04

[अनुवाद]

मिनरल वाटर

1708. **डा. चरण दास महंत** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा ,करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने बोतल बंद पानी निर्माता कंपनियों के परिसरों में हाल ही में यादृच्छिक सर्वेक्षण किया था और पानी की बंद बोतलों में मल पर पोषित होने वाले जीवाणु पाये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोतल बंद पानी विनिर्माता अभी भी अमूल्य जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का प्रस्ताव इस संबंध में और कौन से कदम उठाने का है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारतीय मानक ब्यूरो अपनी परीक्षण और निरीक्षण तथा निगरानी निरीक्षणों की स्कीम के जरिए यह सुनिश्चित करता है कि उसके लाइसेंसधारी संगत भारतीय मानकों में निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार पैकेज में रखे पेय जल और प्राकृतिक खनिज जल का विनिर्माण कर रहे हैं। तथापि, एहतियाती उपाय के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो ने नमूनों के विफल होने पर की जाने वाली कार्रवाई के अपने नियमों को और कड़ा किया है। लाइसेंसधारी को अब अत्यन्त जरूरी अपेक्षा की पूर्ति में पहली बार विफल होने/असंतोषजनक निष्पादन पर स्टाप मार्किंग के तहत रख दिया जाता है।

फिर से खरीदे जाने योग्य अधिमानता से जुड़े शेयरों की खरीद

1709. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन भारतीय कंपनियों, जिन्होंने फिर से खरीदे जाने योग्य अभिमानता से जुड़े शेयरों के जरिए धनराशि जुटाई है, तो पांच वर्षों की अनिवार्य अवधि से पूर्व इनकी खरीद की जाने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ चुनिंदा कम्पनियों के अनुरोध पर फिर से खरीदे जाने योग्य अधिमानता से जुड़े शेयरों को समय से पूर्व खरीदे जाने की अनुमति दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो फिर से खरीदे जाने योग्य अधिमानता से जुड़े शेयरों को खरीद हेतु 5 वर्षों की अनिवार्य अवधि की शर्त छोड़ने की अनुमति हेतु किन कंपनियों ने सरकार के समक्ष अभ्यावेदन किया था;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने उन कंपनियों के कार्यकलापों की जांच करने के लिए कोई कदम उठाये हैं जिन्हें अपनी आरपीएस की खरीद करने की अनुमति दी गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ज) सेबी, पांच वर्ष की अनिवार्य अवधि से पहले मोचनीय अधिमानी शेयरों के स्मयपूर्व मोचन को विनियमित नहीं करता।

[हिन्दी]

विदेशों में व्यापार मेलों में आईटीपीओ का शरीक होना

1710. **श्री पी. आर. खूंटे** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में वर्ष 2001, 2002 और चालू वर्ष के दौरान आयोजित उन व्यापार मेलों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत की ओर से भारतीय व्यापार संबंधन संगठन (आईटीपीओ) शरीक हुआ; और

(ख) व्यापार मेलों के दौरान हुए व्यापार का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष

विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) विदेशी मेलों में भारतीय संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) भागीदारी के ब्यौरे निम्नानुसार है:–

वर्ष	मेलों की संख्या
2001	47
2002	48
2003 (जून तक)	26

उपरोक्त वर्षों के दौरान विदेशी मेलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

2001

(1) हाइमटेक्सिल, फ्रैंकफर्ड, जन. 2001, (2) डोमोटेक्स, हनोवर, जनवरी, 2001, (3) कन्ज्यूमएक्सपो, मास्को रूस जनवरी, 2001, (4) इंटरनेशनल हाउसवेयर शो, शिकागो, यू एस ए 14–17 जनवरी, 2001, (5) इंटरनेशनल हार्डवेयर शो, कोलोन (जर्मनी) फरवरी, 2001, (6) ढाका इंटरनेशनल फेयर, ढाका, फरवरी, 2001, (7) खारतूम इंटरनेशनल फेयर, खारतूम (सूडान), फरवरी, 2001, (8) इंडएक्सपो, दुबई, फरवरी, 2001, (9) एक्सपोक्मर, पनामा, मार्च, 2001, (10) वर्ल्ड वॉच क्लॉक ज्वेलरी शो, मार्च, 2001, (11) आईएफई इंटरनेशनल फूड एंड ड्रिंक, लंदन (यूके), मार्च, 2001, (12) एशिया पेसिफिक लेदर फेयर, हांगकांग, मार्च, 2001, (13) फूडेक्स, जापान 13–16 मार्च, 2001, (14) त्रिपोली इंटरनेशनल फेयर, त्रिपोली (लीबिया), अप्रैल, 2001, (15) बीजिंग इंटरनेशनल फेयर, बीजिंग, अप्रैल, 2001, (16) हनोवर फेयर, हनोवर, अप्रैल, 2001, (17) कुवैत इंटरनेशनल फेयर, कुवैत, अप्रैल, 2001, (18) म्यूबा फेयर, म्यूबा, बासल, मई, 2001, (19) 12वां इंडिया होम फर्निशिंग्स फेयर, 2001, टोक्यो जापान 15–17 मई, 2001, (20) इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट शो, टोक्यो, 15–17 मई, 2001, (21) बिजनेस शो, टोक्यो, जापान, 22–25 मई, 2001, (22) अल्जिरियर्स इंटरनेशनल फेयर, अल्जियर्स, जून, 2001, (23) जेसीआई, कैसाब्लांका, जून, 2001, (24) 22वां इंडिया गार्मेन्ट फेयर, ओसाका, 24–26 जुलाई, 2001, (25) इंटरनेशनल फैंसी वुड एंड कन्फेक्शनरी शो, यूएसए, 9–11, जुलाई, 2001, (26) नैशनल हार्डवेयर शो, शिकागो, अगस्त, 2001, (27) सीपीडी–डुसेलडोर्फ (जर्मनी), अगस्त, 2001, (28) इज्मिर इंटरनेशनल फेयर, इज्मिर, अगस्त, 2001, (29) डब्ल्यूएसएस, लास वेगास, 1–4 अगस्त, 2001, (30) प्रेट–ए–पोर्टर, पेरिस, सितम्बर, 2001, (31) फैशन वर्ल्ड, पेरिस, सितम्बर, 2001, (32) इंडियन एक्जीविशन, साओ पाओलो, सितम्बर, 2001, (33) वर्ल्ड फूड, मॉस्को, सितम्बर, 2001, (34) तेहरान इंडस्ट्री फेयर, तेहरान (ईरान) सितम्बर, 2001, (35) सायटेक्स, जोहानेसबर्ग, सितम्बर, 2001, (36) इंटरगिफ्ट, मैड्रिड, सितम्बर, 2001, (37) पी सी एक्सपो, टोक्यो, जापान, सितम्बर, 2001, (38) अनूगा फूड फेयर, कोलोन (जर्मनी), अक्टूबर, 2001, (39) ककै–2001 डुसेलडोर्फ (जर्मनी), अक्टूबर, 2001, (40) एक्विप ऑटो, पेरिस, फ्रांस, 16–12 अक्टूबर, 2001, (41) 5वां जापान स्टोन फेयर, टोक्यो, जापार, 30 अक्टूबर–2 नवम्बर, 2001, (42) एएपीईएक्स शो, लास वेगास, यूएसए 30 अक्टूबर–2 नवम्बर, 2001, (43) बगदाद इंटरनैशनल फेयर, बगदाद, नवम्बर, 2001, (44) इम्पोर्ट शॉप, बर्लिन, नवम्बर, 2001, (45) 3रा चीन हाई टेक फेयर, चांगिंग, चीन, 16–20 नवम्बर, 2001, (46) इनकेम टोक्यो 2001, टोक्यो, जापान, 27–30 नवम्बर 2001, (47) एएफएल–आर्टिजियानो, मिलान (इटली), दिसम्बर, 2001।

2002

(1) हाइमटेक्सिल, फ्रैंकफर्ड, जन. 2002, (2) डोमोटेक्स, हनोवर (जर्मनी) जनवरी, 2002, (3) विसेन्जा ज्वेलरी फेयर (इटली), जनवरी, 2002, (4) खारतूम इंटरनैशनल फेयर (सूडान) जनवरी, 2002, (5) इंटरनेशनल हाउसवेयर शो, शिकागो, यूएसए जनवरी 2002, (6) अटलांटा गिफ्ट एंड होम फर्निशिंग्स शो, 12–16 जनवरी, 2002, (7) म्यूबाप्लस, बासल, फरवरी, 2002, (8) डब्ल्यूएसए, लास वेगास, 6-9 फरवरी, 2002, (9) इंटरनेशनल हार्डवेयर शो, कोलोन (जर्मनी) मार्च, 2002, (10) फूडेक्स, जापान, 13–16 मार्च, 2002, (11) एक्सपो कमर इंटरनैशनल कमर्शियल एक्जीविशन, पनामा, 6–10 मार्च, 2002, (12) त्रिपोली इंटरनेशनल फेयर, त्रिपोली (लीबिया), 2–12 अप्रैल, 2002, (13) वर्ल्ड वॉच एंड क्लॉक एंड ज्वेलरी शो, बासेल (स्विटजरलैंड), 04–11 अप्रैल, 2002, (14) हनोवर फेयर, हनोवर (जर्मनी) 15–20 अप्रैल, 2002, (15) फोयरे दे पेरिस (फ्रांस), 30 अप्रैल–12 मई, 2002, (16) एपीएलएफ–हांगकांग 8–10 अप्रैल, 2002 (भाग 1) 9–12 अप्रैल, 2002, (भाग 2) (17) टीआईबीसीओ, इंटरनेशनल कन्ज्यूमर गुड्स फेयर, बुखारेस्ट (रोमानिया), 29 मई–04 जून 2002, (18) 13वां इंडिया होम फर्निशिंग्स फेयर,

टोक्यो, जापान, 21–23 मई, 2002, (19) 2रा इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट फेयर, टोक्यो, जापान, 21–23 मई 2002, (20) कवरिंग्स इंटरनैशनल स्टोन एंड टाइल एक्सपोजिशन, न्यू ऑरलैंडो, यूएसए, 6–9 मई, 2002, (21) अल्जियर्स इंटरनैशनल फेयर, अल्जियर्स (अल्जीरीया), 12–21 जून, 2002, (22) विसेन्जरा II, विसेन्जा (इटली) 8–13 जून, 2002, (23) एनएसीडीएस मार्केट प्लेस, सान डियागो, कैलिफोर्निया, यूएसए 15–18 जून, 2002, (24) इंटरनेशनल फैंसी फूड एंड कन्फेक्शनरी शो, न्यूयार्क, यूएसए 7–9 जुलाई, 2002, (25) ब्रिकोलेज एंड एक्सपो, फेरागिस्ता, साओ पाओलो, ब्राजील, 17–21 जुलाई, 2002, (26) 23वां इंडिया गार्मेंट फेयर, ओसाका, जापान, 23–25 जुलाई, 2002, (27) जाम्बिया एग्रीकल्चरल एंड कमर्शियल शो, लुसाका (जाम्बिया) 1–5 अगस्त, 2002, (28) सीपीडी डुसेलडोर्फ (जर्मनी) 4–6 अगस्त, 2002, (29) प्रेट-ए-पोर्टर पेरिस (फ्रांस), 30 अगस्त 2002 – 2 सितम्बर, 2002, (30) डब्ल्यूएसए – द शू शो, लास वेगास, यूएसए, 1–4 अगस्त, 2002, (31) नैशनल हार्डवेयर शो, शिकागो, यूएसए, 11–13 अगस्त, 2002, (32) एक्सपो इंटरनैशनल, रूजाक, मैक्सिको, 28–30 अगस्त, 2002, (33) टीआईपी-ब्रुसेल्स (बेल्जियम), 6–9 सितम्बर, 2002, (34) वीएनवी-बुडापेस्ट (हंगरी) 13–19 सितम्बर, 2002, (35) विसेन्जारो, विसेन्जा (इटली), 7–12 सितम्बर, 2002, (36) एक्सपोहोगार-बार्सिलोना (स्पेन) 27 सितम्बर, 1 अक्टूबर, 2002, (37) इंटरनेशनल फूड वेयर, शारजाह (युएई), 29 सितम्बर-4 अक्टूबर, 2002, (38) ऑटोमेकैनिका, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी, 17–22 सितम्बर, 2002, (39) सायटेक्स, जोहानेसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, 1–5 अक्टूबर, 2002, (40) तेहरान इंडस्ट्री फेयर, तेहरान (ईरान), 2–6 अक्टूबर, 2002, (41) यूगांडा इंटरनैशनल ट्रेड फेयर, कम्पाला (यूगांडा), 3–10 अक्टूबर, 2002, (42) सियाल फूड फेयर पेरिस (फ्रांस), 20–24 अक्टूबर, 2002, (43) डब्ल्यूपीसी एक्सपो, टोक्यो, जापान, 16–19 अक्टूबर, 2002, (44) सार्क ट्रेड फेयर, काठमांडू, नेपाल, 25–29 अक्टूबर, 2002, (45) बगदाद इंटरनैशनल फेयर, बगदाद (ईराक), 1–10 नवम्बर, 2002, (46) इम्पोर्ट शोप, बर्लिन (जर्मनी), 8–9 नवम्बर, 2002, (47) एपीईएक्स शो, लास वेगास, यूएसए, 5–8 नवम्बर, 2002, (48) एएफ-एल, आर्टिजियानो इन फियेरा इंटरनेशनल-हैंडीक्राफ्ट्स सेलिंग एक्जीविशन, मिलान (ईटली), 29 नवम्बर-7दिसम्बर, 2002।

2003 (जून तक)

(1) हाइमटेक्सिल, फ्रैंकफर्ड, जर्मनी, 8–11 जनवरी, 2003, (2) डोमोटेक्स, हनोवर, जर्मनी, 8–14 जनवरी, 2003, (3) विसेन्जारो, विसेन्जा (इटली), 12–19 जनवरी, 2003, (4) खारतून इंटरनेशनल फेयर, खारतून (सूडान), 15–25 जनवरी, 2003, (5) पेपर वर्ल्ड, फ्रैंकफर्ट (जर्मनी), 31 जनवरी – 4 फरवरी, 2003, (6) अटलांटा इंटरनैशनल गिफ्ट एंड होम फर्निशिंग्स मार्केट, अटलांटा, यूएसए, 10–14 जनवरी, 2003, (7) डब्ल्यूएसए-लास वेगास, यूएसए, फरवरी, 2003, (8) इंटरनेशनल स्प्रिंग फेयर, बर्मिंघम (यूके), 3–7 फरवरी, 2003, (9) इंडियन एक्जीबिशन, मॉस्को (रूस), 17–21 फरवरी, 2003, (10) म्यूबाप्लस, बासल, स्विट्जरलैंड, 14–23 फरवरी, 2003, (11) एडीस अबाबा इंटरनैशनल ट्रेड फेयर, एडीस अबाबा (इथीयोपिया), 24 फरवरी-2 मार्च 2003, (12) इंटरनेशनल हार्डवेयर शो, कोलोन (जर्मनी) 9–12 मार्च, 2003, (13) फूडेक्स 2003, टोक्यो, जापान, 11–14 मार्च, 2003, (14) एक्सपोकमर इंटरनेशनल कमर्शियल एक्जीविशन, पनामा सिटी, पनामा, 12–16 मार्च 2003, (15) कवरिंग्स – इंटरनेशनल स्टोन एंड टाइल एक्सपोजिशन, न्यू औरलैंडो, यूएसए, 24–27 मार्च 2003, (16) ट्रेड सर्विसेस शो, सियाल, मार्च 2003, (17) त्रिपोली इंटरनेशनल फेयर, त्रिपोली (लीबिया), 2–12 अप्रैल, 2003, (18) वर्ल्ड वॉच एंड क्लॉक एंड ज्वेलरी शो, ज्यूरिख, स्विटजरलैंड, 3–10 अप्रैल-11 मई, 2003, (19) फोयरे दे पेरिस, पेरिस, फ्रांस, 30 अप्रैल-11 मई, 2003, (20) 14वां इंडिया होम फर्निशिंग्स फेयर, टोक्यो, जापान, 27–29 मई, 2003, (21) 3रा इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट्स फेयर, टोक्यो, जापान, 27–29 मई 2003, (22) विसेन्जारो इंटरनेशनल एक्जीबीशन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वरफेयर एंड वॉचेज, विसेन्जा, इटली, 7–12 जून, 2003, (23) अल्जियर्स इंटरनेशनल फेयर, अल्जियर्स (अल्जीरिया) 11–19 जून, 2003, (24) एफ आई ए लिसबोआ इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट्स एक्जीबीशन, लिस्बन, पुर्तगाल, 28 जून – 6 जुलाई, 2003, (25) दार-अस-सलाम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, दार-अस-सलाम, तंजानिया, 29 जून-9 जुलाई, 2003, (26) फैंसी फूड शो, न्यूयार्क, यूएसए, 29 जून-1 जूलाई 2003।

(ख) वर्षवार के लिए व्यापार का विवरण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	किया गया व्यापार (लाख रुपये में)
2001	1,04,582.91
2002	1,20,081.58
2003 (जून तक)	28,234.52

[अनुवाद]

त्रिपक्षीय व्यापार

1711. **श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक त्रिपक्षीय गुट बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) त्रिपक्षीय व्यापार हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) इन देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने में यह नया ग्रुपिंग कितना सहायक होगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठते है।

(घ) विदेश मंत्री की ब्राजील यात्रा के दौरान दक्षिण – दक्षिण सहयोग को आगे और बढ़ाने के उद्देश्य से भारत – ब्राजील – दक्षिण अफ्रीका (आई बी एस ए) वार्ता मंच को शुरू करने के लिए भारत – ब्राजील – दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों के बीच 6 जून, 2003 को त्रिपक्षीय बैठक हुई थी।

आई बी एस ए वार्ता मंच असल में एक व्यापारिक ब्लॉक नहीं है बल्कि एक ऐसा समूह है जिसमें इन तीन देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की परिकल्पना की गई है। व्यापार इस त्रिपक्षीय सहयोग का वस्तुतः एक महत्वपूर्ण भाग होगा।

बागानी फसलों का निर्यात

1712. **प्रो. उम्मारेड्डी वैंकटेस्वरलु :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बागानी क्षेत्र के निर्यात में इस वित्त वर्ष में प्रत्याशित वृद्धि नही हुई;

(ख) यदि हां, तो बागानी क्षेत्र के निर्यात में धीमी गति से वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विदेशी आयातकों ने बागानी क्षेत्र के उत्पादों की घटिया गुणवत्ता और पैकिंग की शिकायत की है;

(घ) यदि हां, तो बागानी क्षेत्र के परम्परागत निर्यात की ओर ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या वर्ष की शेष अवधि में बागानी क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई संवर्धनात्मक अभियान अपेक्षित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान बागान क्षेत्र, विशेष रूप से चाय, कॉफी एवं प्राकृतिक रबड़ में निर्यातों की धीमी वृद्धि के मुख्य कारण हैं:

- ईराक को चाय के निर्यातों में आई कमी (अप्रैल–मई, 2003 के दौरान कोई निर्यात नहीं हुआ था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 3.19 मिलियन किग्रा. का निर्यात हुआ था), रूसी परिसंघ द्वारा चाय की कम खरीद, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया तथा केन्या जैसे अन्य चाय उत्पादक एवं निर्यातक देशों से कडी प्रति–स्पर्धा, ईरान द्वारा चाय के आयातों पर प्रतिबंध।
- प्राकृतिक रबड़ (एनआर) की घरेलू कीमत का अंतर्राष्ट्रीय कीमत से अधिक होना जिससे निर्यात आकर्षक नहीं रहे हैं।
- कॉफी के उत्पादन में कमी जिसके कारण कॉफी के निर्यातों में गिरावट आई।

(ग) और (घ) हाल में विदेशी आयातकों से चाय, कॉफी तथा प्राकृतिक रबड़ जैसी बागान वस्तुओं के मामले में खराब गुणवत्ता और पैकेजिंग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) बागान वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए परामर्शदाताओं के माध्यम से चाय, कॉफी तथा प्राकृतिक रबड के लिए मध्यावधि निर्यात कार्यनीतियां तैयार की गई है

जिन्हें संबंधित वस्तु बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यनीति के एक भाग के रूप में प्रमुख निर्यात बाजारों में संवर्धनात्मक अभियान चलाए जा रहे हैं। भारतीय चाय, कॉफी एवं प्राकृतिक रबड़ के अनिवार्य प्रचार की व्यवस्था करने तथा उनकी गुणवत्ता संबंधी क्षति को बढ़ाने के लिए बोर्ड प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भी भाग ले रहे हैं। क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करने तथा लक्षित निर्यात के देशों के संबंध में संगत बाजार सूचना उपलब्ध कराने के माध्यम से भारतीय निर्यातकों को उनके विपणन प्रयासों में संवर्धनात्मक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

भारतीय स्टेट बैंक की विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयां

1713. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का विचार विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थित बैंक की ऑफशोर इकाइयों के जरिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में स्थित निर्यातकों को सस्ते ऋण उपलब्ध करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी बैंकिंग इकाईयां (ओबीयू) आर.बी.आई. के ऋण संबंधी निर्देशों की सीमा में नहीं आती है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक की विदेश स्थित बैंकिंग इकाईयां विशेष आर्थिक क्षेत्रों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी दरो पर अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगी; और

(घ) यदि हां, तो उन सेवाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हे भारतीय स्टेट बैंक विशेषकर आर्थिक क्षेत्रों में प्रदान कराए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार अपतटीय बैंकिंग इकाईयों (ओबीयू) को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैंक की विदेशी शाखा के जैसा ही माना जाएगा। चूंकि अपतटीय बैंकिंग इकाईयां वैश्विक रूप से प्रतियोगी दरों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से निधियां जुटाने की स्थिति में होंगी, इसलिए, ग्राहकों की विदेशी मुद्रा निधि अपेक्षाओं को प्रतियोगी दरों पर पूरा किया जा सकता है जिससे निर्यातकों को फायदा होगा।

(ख) अपतटीय बैंकिंग इकाईयों को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों तथा भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं पर लागू सभी विवेकपूर्ण मानदण्डों का अनुपालन करना पड़ता है।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक प्रतियोगी दरों पर अपतटीय बैंकिंग इकाईयों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसइज़ेड) में स्थित इकाईयों के ग्राहकों को सभी प्राप्त सेवाएं मुहैया कराएगा। इन सेवाओं में, अन्य बातों के साथ–साथ, विदेशी मुद्रा ऋण, ब्याज और विनिमय जोखिम कम करने के लिए ग्राहक विशिष्ट सहायता निवेश क्रियाकलाप, अनिवासी भारतीयों तथा पात्र निवासियों के लिए जमा उत्पाद आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी

1714. श्री मानसिंह पटेल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कई राज्यों से कालाबाजारी और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के मामलों की सूचना नही मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसी कार्रवाई करने के पश्चात् कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 केन्द्र तथा राज्य सरकारों को उन लोगों को नजरबंद करने की शक्तियां प्रदान करता है जिनकी गतिविधियां, समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधक पाई जाएं। इस अधिनियम को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि जमाखोरी तथा कालाबाजारी आदि जैसी अनैतिक व्यापारिक व्यवहारों की रोकथाम की जा सके। अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने अथवा अनुमोदन किए जाने के बाद सात

दिन के भीतर इस संबंध में केन्द्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है जिसमें आदेश दिए जाने के कारणों के साथ-साथ अन्य ब्यौरों का उल्लेख किया गया हो। राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों से समय-समय पर यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अधिनियम के उपबंधों के तहत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजें। राज्य सरकारों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान तथा 25.7.2003 तक जारी किए गए नजरबंदी आदेशों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2000 के दौरान	वर्ष 2001 के दौरान	वर्ष 2002 के दौरान	1.1.2003 से 25.7.2003 तक
गुजरात	179	98	80	56
तमिलनाडु	28	37	17	04
उड़ीसा	01	05	01	–
असम	–	–	01	–
उत्तर प्रदेश	04	07	–	01
मध्य प्रदेश	13	02	–	–
कुल	229	149	99	61

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उक्त अवधि के दौरान अधिनियम के तहत नजरबंदी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है।

[अनुवाद]

पाटनरोधी उपाय

1715. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत के घरेलू उत्पादों को सस्ते आयात से बचाने के लिए पाटनरोधी उपायों को अपना रही है और क्या इसने पाटनरोधी उपायों का प्रयोग करने के लिए जांच करने की विशेषज्ञता हासिल कर ली है;

(ख) 1995 में पाटनरोधी उपायों के लागू होने के समय से पाटनरोधी उपायों के कितने मामले भारत के विरुद्ध हुए हैं और भारत द्वारा गत एक वर्ष के दौरान और किन-किन देशों की ऐसी कितनी जांच की गई;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों ने पाटनरोधी उपायों को और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल और न्यूनतम पक्षपातपूर्ण बनाने के लिए इनमें संशोधन की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विधि में कब संशोधन होगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, पाटनरोधी जांच पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, (डीजीएडी) द्वारा सामान्य तौर पर पाटन, क्षति तथा पाटित वस्तु और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग की ओर से पूर्णतः प्रलेखित याचिका प्राप्त होने के बाद शुरू की जाती है। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन द्वारा हुई व्यापार विकृति एवं उसके घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति को दूर करना है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नही होते हैं।

डीजीएडी में व्यावसायिक योग्य अधिकारियों का एक ऐसा दल है जिनके पास पाटनरोधी मामलों पर कार्रवाई करने का अपेक्षित अनुभव है।

(ख) पाटनरोधी कार्रवाई के बारे में डब्ल्यूटीओ सचिवालय द्वारा संकलित एक रिपोर्ट के अनुसार 1995 के बाद भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध दिसम्बर, 2002 तक 44 (चौवालीस) पाटनरोधी उपाय लागू किए गए हैं। वर्ष 2002–2003 में डीजीएडी ने 30 (तीस) उत्पादों की पाटनरोधी जांच शुरू की थी जिनमें विभिन्न देश अर्थात इण्डोनेशिया, थाइलैण्ड, द. अफ्रीका, मैसिडोनिया, चीन, सिंगापुर, कोरिया, अमरीका, कनाडा, उक्रेन, रूस, ईरान, ईयू, ताइवान, पोलैंड, रोमानिया, वेनेजुएला, नीदरलैंड, सऊदी अरब, यूके, आस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, टर्की, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिलिपींस, यूएई शामिल थे।

(ग) और (घ) डब्ल्यूटीओ के दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ऐसी वार्ताएं किए जाने की व्यवस्थ की गयी है जिनका उद्देश्य पाटनरोधी एवं सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करारों की मूल अवधारणाओं, सिद्धांतों और प्रभावकारिता का संरक्षण करते हुए, इन करारों के नियमों में सुधार करना और उन्हें स्पष्ट करना है। वार्ताओं के प्रारम्भिक चरण में भागीदारों को व्यापार विकृतिकारी व्यवहारों समेत उन प्रावधानों का उल्लेख करना होता है, जिनमें वे परवर्ती चरण में सुधार और स्पष्टीकरण चाहते हैं।

पाटनरोधी करार में सुधार एवं स्पष्टीकरण की मांग करने वाले विभिन्न देशों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। इन वार्ताओं को जनवरी, 2005 तक पूरा किया जाना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

मतदाता पहचान पत्र

1716. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मतदाता पहचान पत्र बनाने का कार्य किन राज्यों में चल रहा है और किन राज्यों में अगले कुछ महीनों में इसके शुरू होने की संभावना है;

(ख) क्या जिन नागरिकों की 30 जून, 2003 तक 18 वर्ष की आयु हो गई है, उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.सी. थामस) : (क) से (ग) निर्वाचकों को फोटो पहचान–पत्र जारी करने की स्कीम को राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के संपूर्ण प्रभार के अधीन सीधे लागू किया जा रहा है। निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकृत निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी किए जाने का आधार है। निर्वाचक नामावलियों को प्रत्येक वर्ष अर्हता की तारीख के रूप में वर्ष की 1 जनवरी से पुनरीक्षित किया जाता है। ऐसे सभी व्यक्ति, जो उस तारीख को 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं या उससे अधिक आयु के हैं, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार नामावली में रजिस्ट्रीकृत हो जाने पर, वे निर्वाचक फोटो–पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। अतः, निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी करने की स्कीम एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिनको पूरा करने के लिए कोई समय–सीमा नियत नहीं की जा सकती है, क्योंकि अधिक संख्या में व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मताधिकार के लिए पात्र हो जाने के साथ ही निर्वाचकों के आवागमन के कारण निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण एक सतत् और निरंतर चलने वाली (नामांकन फाइल करने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बीच की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर) प्रक्रिया है। ऐसे निर्वाचक, जो वर्तमान कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं, सदैव इस कार्यक्रम का शेष भाग होंगे। आयोग का लगातार यह प्रयास है कि उन निर्वाचकों को, जो पिछले अभियान में छूट जाते हैं और नए निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो–पहचान–पत्र उपलब्ध कराए जाएं। तारीख 30.07.2003 को निर्वाचक फोटो पहचान–पत्रों के जारी किए जाने की प्रगति को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

भारत निर्वाचन आयोग

मतदाता फोटो पहचान पत्रों की प्रगति पर प्रास्थिति रिपोर्ट

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल निर्वाचक	निर्वाचक जिन्हें त्रुटिहीन पहचान पत्र जारी किए गए	प्रतिशत (4, 3 का कितना प्रतिशत है)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	54,936,102	32,549,914	59.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	663,066	288,040	43.44
3.	असम	14,426,221	67,479	0.47
4.	बिहार	45,453,577	17,092,234	37.60
5.	छत्तीसगढ़	13,333,596	9,620,499	72.15
6.	गोवा	936,085	559,634	59.78
7.	गुजरात	33,238,195	22,213,432	66.83
8.	हरियाणा	12,247,273	10,713,212	87.47
9.	हिमाचल प्रदेश	4,069,878	2,731,903	67.12
10.	जम्मू-कश्मीर	6,163,274	2,251,824	36.54
11.	झारखंड	16,233,841	7,385,389	45.49
12.	कर्नाटक	37,231,412	33,388,007	89.68
13.	केरल	21,548,000	20,519,000	95.22
14.	मध्य प्रदेश	35,347,783	21,855,970	61.83
15.	महाराष्ट्र	61,468,890	44,455,999	72.32
16.	मणिपुर	1,503,402	1,033,733	68.76
17.	मेघालय	1,280,766	1,033,575	80.70
18.	मिजोरम	505,587	378,768	74.92
19.	नागालैंड	1,012,541	697,609	68.90
20.	उड़ीसा	25,567,097	19,987,030	78.17

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	16,394,079	8,366,305	51.03
22.	राजस्थान	33,788,459	26,311,914	77.87
23.	सिक्किम	266,168	132,242	49.68
24.	तमिलनाडु	49,327,491	31,662,414	64.19
25.	त्रिपुरा	1,930,718	1,495,315	77.45
26.	उत्तरांचल	5,568,898	3,203,225	57.52
27.	उत्तर प्रदेश	99,685,000	62,830,538	63.03
28.	पश्चिमी बंगाल	46,462,519	38,946,215	83.82
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	230,555	126,216	54.74
30.	चंडीगढ़	503,930	278,499	55.27
31.	दादरा और नगर हवेली	118,964	58,618	49.27
32.	दमन और दीव	77,146	45,645	59.17
33.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	8,256,176	5,699,482	69.03
34.	लक्षद्वीप	37,888	23,588	62.26
35.	पांडिचेरी	614,823	611,479	99.46
	संपूर्ण भारत का योग	650,429,400	428,614,946	65.90

[अनुवाद]

गैर-सरकारी शेयर बाजार

1717. **श्री मोहन रावले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने गैर–सरकारी शेयर बाजार के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए राज्य सरकारों की सहायता मांगने हेतु उन्हें पता लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे शेयर बाजार किन राज्यों में चल रहे हैं; और

(घ) सेबी ने इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाए किए हैं अथवा करने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों को कई अवसरों पर लिखा है, कि वे पुलिस को लगातार सजग रहने तथा उन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सहायता करें, जो कि प्रतिभूति संविदा (विनियम), अधिनियम (एसपीआरए), 1956, की धारा 19 के उल्लंघन में प्रतिभूतियों का अवैध व्यापार कर रहे हैं, जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। इस संबंध में और विशिष्ट सूचना तथा प्रेस लेख, समय–समय पर

मुख्यमंत्रियों को भेज कर यह अपेक्षा की गई है कि वे इस मामले की जांच करें तथा प्रतिभूतियों के अवैध व्यापार में संलिप्त पाए गए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करें।

(ग) अवैध व्यापार के संबंध में जिन राज्यों के नाम विभिन्न शिकायतों तथा लेखों में सामने आए हैं, वे हैं – बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

(घ) ऊपर भाग (क) तथा (ख) यथाउल्लिखित राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखने के अलावा, सेबी ने इस संबंध में विभिन्न कदम उठाये हैं, जिनमें अन्यों के साथ–साथ ये शामिल हैं: निवेशकों को प्रतिभूतियों के अवैध व्यापार में भाग लेने से रोकने के लिए प्रमुख समाचारपत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी करना, विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों को अपने व्यापार टर्मिनल के अवैध व्यापार के उद्देश्य से किए जा रहे कथित दुरूपयोग को ऐसे दुरूपयोग में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करके रोकने के बारे में लिखना, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ संयुक्त निरीक्षण करना और दलाली निकायों के परिसर में तलाशी तथा जब्ती प्रचालन कराना, जिससे प्रतिभूतियों के अवैध व्यापार को रोका जा सके तथा ऐसे व्यापार में संलिप्त कथित दलाली निकायों को प्रतिभूतियों में लेनदेन करने से विवर्जित किया जा सके।

[हिन्दी]

लोक अदालतें

1718. **श्री आदि शंकर : क्या विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1 जनवरी, 2003 से अब तक राज्यवार कितनी लोक अदालतें लगाई गई हैं;

(ख) लोक अदालतों में राज्यवार कितने वाद भेजे गए और कितने वाद निपटाये गये; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार उनमें से कितने वादों को निपटाया जा चुका है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

फूलों का निर्यात

1719. **डा. डी. वी. जी. शंकर राव :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश से फूलों का निर्यात बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के फूलों का निर्यात हुआ है; और

(ग) फूलों का निर्यात करने वाले प्रमुख राज्य कौन–कौन से हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यातों की मात्रा और मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रुपये)
2001–2002	18822	12,743
2002–2003	23078*	17,487

(स्रोत: (मूल्य) : डीजीसीआई एण्ड एस) (आंकडे निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित)

(* 2002-2003 के लिए मात्रा संबंधी आंकडे जनवरी 2003 तक उपलब्ध हैं;

स्रोत: (मात्रा) : एपीडा)

(ग) ताजे फूलों का निर्यात मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र से किया जाता है जबकि सूखे हुए फूलों का निर्यात मुख्यतः तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से किया जा रहा है।

किसान क्रेडिट कार्ड

1720. **श्री श्रीनिवास पाटील :**

डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के निर्धारित लक्ष्य को कई बैंकों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी राज्यों में समान रूप से किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने के लिए निर्धारित लक्ष्य और उसकी तुलना में उपलब्धि निम्नानुसार है:

(कार्ड लाख में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		सहकारी बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2000–01	25	23.90	45	56.14	5	6.48
2001–02	33	30.72	60	54.36	7	8.34
2002–03	25.81	26.81	65	45.79	7	9.64

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2001 में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कराए गए एक अध्ययन में कुछ क्षेत्रों में कार्ड जारी करने के संबंध में धीमी प्रगति के लिए भूमि अभिलेखों के नवीकरण के अभाव की वजह से इसके कार्यान्वयन में परिचालनात्मक समस्याओं, भूमि जोत के छोटे आकार, धनी किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड लेने में दिलचस्पी न दिखाने, ग्रामीण जनता के बीच योजना के अपर्याप्त प्रचार को उत्तरदायी ठहराया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बैंकों को परामर्श दिया है कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में जानकारी प्रदान करें और योजना का व्यापक प्रचार करें। बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे इसके पूर्ण कवरेज के लिए उपयुक्त कार्य योजना तैयार करें और कारगर निगरानी के लिए शाखा–वार और महीने–वार लक्ष्य निर्धारित करें। इसके अलावा, बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे किसान क्रेडिट जारी करने के कार्य में तेजी लाएं और मार्च 2004 तक योजना के अंतर्गत सभी पात्र खेतिहर किसानों को शामिल करें।

घरेलू हीरा उद्योग

1721. **श्री जी. गंगा रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्तर पर हीरा काटने और पॉलिश करने के उद्योग में भारत का हिस्सा 70% है;

(ख) क्या चीन में सस्ता श्रम होने के कारण चीन की नजर इस उद्योग पर है; और

(ग) पुर्नस्थापना (रिलोकेट) के संकट सहित श्रम समस्याओं और घरेलू हीरा उद्योग के संकटों के कारण श्रम नीतियों, बुनियादी अड़चनों आदि की समीक्षा करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) भारत विश्व में सबसे बड़ा तराशने और पॉलिश करने का केन्द्र है। तराशे हुए और पॉलिश किए गए विश्व के हीरों में भारत का हिस्सा मूल्य के अनुसार लगभग 60%, मात्रा के अनुसार 85%

और नगों के अनुसार 92% है। विश्वभर में आभूषणों के जड़े जाने वाले 12 हीरों में से 11 भारत में तराशे और पॉलिश किए जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) श्रमिक नीति की समीक्षा करना और उनका उन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है ताकि उत्पन्न हो रही आवश्यकताओं के अनुसार इसकी प्रासंगिकता को सुनिश्चित किया जा सके। श्रमिक नीति काफी सीमा तक अनेक श्रम कानूनों द्वारा विनियमित की जाती है जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और सरकार की समग्र आर्थिक नीति के ढांचे के भीतर सुरक्षा के रूप में कामगारों के हितों की रक्षा करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने वैश्वीकरण की चुनौतियों को पूरा करने के उद्देश्य से श्रम सुधारों की प्रक्रिया आरम्भ की है। तदनुसार कुछ महत्वपूर्ण श्रम कानूनों में उन्हें समसामयिक बनाए रखने के उद्देश्य से संशोधन करने के लिए कदम उठाए गए हैं। प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय हीरा उद्योग द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति योजना

1722. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजना में कुछ परिवर्तन लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन का ब्यौरा क्या है इन परिवर्तनों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों के लिए न्यूनतम वार्षिक आय संबंधी मानदंड की पुनरीक्षा करेगी;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस छात्रवृत्ति योजना का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्ष 2003-04 में इस योजना से कितने छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (घ) जी, हां। अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ छात्रवृत्ति दर और न्यूनतम आय सीमा में भी संशोधन करना शामिल है।

इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए कोई निश्चित समय-सीमा सूचित करना संभव नहीं है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि उच्चतम वार्षिक आय सीमा, व्यावसायिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित है और उच्चतम आय सीमा दो वर्ष बाद संशोधित की जाती है।

(छ) वर्ष 2003-04 में इस योजना से लगभग 7.09 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है।

गुजरात में सहकारी बैंकों के नुकसान की भरपाई

1723. श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में सहकारी बैंकों के नुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार द्वारा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक बैंक को कितनी धनराशि की भरपाई की गई है;

(घ) क्या अन्य राज्यों के सहकारी बैंकों के नुकसान की भी भरपाई की जायेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार

ने गुजरात में सहकारी बैंकों के नुकसान की भरपाई नहीं की है।

(ग) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

खाद्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

1724. **श्री रामदास रूपला गावीत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक भारत में खाद्य परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में कुछ धनराशि प्रदान करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने हाल ही में "खाद्य और औषधि क्षमता निर्माण परियोजना" नामक एक नई परियोजना के लिए 54 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण अनुमोदित किया है। यह परियोजना स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। इस परियोजना के घटकों में से एक घटक खाद्य सुरक्षा है जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा हेतु सरकार की पर्यवेक्षण तथा विनियामक क्षमता को मजबूत बनाना, उपभोक्ताओं को शिक्षित करना तथा निजी क्षेत्र में संबंधित कुशलता को उन्नत करना जैसे कार्यकलाप शामिल हैं।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र से संबंधित इस परियोजना को देश के विभिन्न भागों में कार्यान्वित किया जाएगा।

बैंक और बीमा क्षेत्र में हड़ताल

1725. **श्री पदमसेन चौधरी** :

श्री एम. के. सुब्बा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश के बैंकों तथा बीमा कंपनियों के अधिकारी तथा कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर गए थे;

ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों तथा बीमा कंपनियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से उनकी मांगों के संबंध में वार्ता की है; और

(घ) यदि हां, तो इस वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) बैंकों एवं कुछ बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं स्टाफ ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी कम करने, आकार कम करने, छंटनी, श्रम कानून में परिवर्तन, विशेष सुरक्षा उपायों आदि से संबंधित सरकार की आर्थिक नीति के विरुद्ध 21.5.2003 को एक दिन की हड़ताल की थी। अधिकारियों की एसोसिएशनों/कर्मकार संघों के प्रतिनिधियों ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने प्रबंधनों के साथ विचार-विमर्श किया था। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, मुम्बई ने भारतीय बैंक संघ के प्रतिनिधियों एवं बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ बैठक भी आयोजित की थी और हड़ताल वापिस लेने के लिए उनके साथ विचार-विमर्श किया था। तथापि, सुलह की कार्यवाही विफल रही।

[अनुवाद]

बैंक ऋणों की वसूली

1726. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के कतिपय बैंक दिए गए ऋणों की वसूली के लिए बल प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें बैंकों से ऋणों की वसूली के लिए बल प्रयोग न किए जाने का अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऋणों की वसूली के लिए बैंकों से बल प्रयोग न

किए जाने की बात कहने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुछ विदेशी बैंकों के विरुद्ध मुख्यतः क्रेडिट कार्ड देय राशि, आटो/कार ऋण आदि से संबंधित ऋणों की वसूली के लिए बल/धमकियों का प्रयोग किए जाने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, संबंधित विदेशी बैंकों ने इन आरोपों से इन्कार किया है और भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि उन्होंने अपने वसूली एजेंटों को सलाह दी है कि ऋणों की वसूली के लिए ग्राहकों से मिलते समय विनम्र रहें/असमय न मिलें।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 मई, 2003 को ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता के संबंध में बैंकों को मार्ग निर्देश जारी किए हैं, जिनमें बैंकों को ऋणदाताओं के रूप में सलाह दी गई थी कि ऋणकर्ताओं को असमय लगातार तंग करने, ऋणों की वसूली के लिए बल प्रयोग करने जैसे उत्पीड़न का सहारा न लें।

आवासीय विद्यालय

1727. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान जनजातियों के लिए कितने आवासीय विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में, विशेषकर मुम्बई में, ऐसे कितने विद्यालय खोले गए; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान मुम्बई में ऐसे विद्यालयों के लिए किन-किन स्थानों को चिन्हित किया गया?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उरांव) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अब तक जनजातीय छात्रों के लिए छठी से बारहवीं कक्षा के 84 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए निधियां जारी की हैं। मंत्रालय, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन 84 विद्यालयों को पूरी तरह कार्यशील बनाने के लिए शेष राशि जारी करने को प्राथमिकता देता है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार को 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए निधियां जारी की गई है। साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में गैर-सरकारी संगठनों को छः आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। मुम्बई में कोई आवासीय विद्यालय स्थापित नहीं किया गया है। मुम्बई में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बैंक डकैतियां

1728. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लूट-पाट, डकैती और धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मई, 2003 तक देश के सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में लूट-पाट, डकैती और धोखाधडी की कितनी घटनाएं घटी हैं और इसके परिणामस्वरूप सरकारी कोष से कुल कितनी लूट की गई;

(घ) इन घटनाओं में कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और उनसे कितनी धनराशि की वसूली की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने बैंकों में सुरक्षा सुनिश्चित करने और डकैती तथा लूट की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई कारगर उपाय किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2000, 2001, 2002 और 2003 (मई, 2003 तक) के दौरान हुई डकैतियों/लूटपाट की घटनाओं, अंतर्ग्रस्त/वसूल की गयी राशियां निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	घटनाओं की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (रु. लाख में)	वसूल की गई राशि (रु. लाख में)
2000	110	1013.39	143.02
2001	107	410.30	26.22
2002	106	619.21	110.73
2003 (मई तक)	32	238.99	27.48

इन घटनाओ के संबंध में 146 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ङ) और (च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रियान्वित सुरक्षा उपायों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा बैठको में समीक्षा की जाती है। इन बैठकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित बैंकरों और राज्य सरकार के अधिकारियों के भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। यह समिति राज्य में सुरक्षा वातावरण की स्थिति, बैंक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों का जायजा लेती है और जब कभी अतिरिक्त सुधार की अनिवार्यता अपेक्षित हो जाती है तो बैंकों को आवश्यक मार्गनिर्देश/अनुदेश जारी किए जाते हैं। बैंकों ने निहित जोखिम नदों पर निर्भर करते हुए अपनी शाखाओं को वर्गीकृत किया है और सशस्त्र गार्ड तैनात किए हैं, जहां कहीं आवश्यक हो, सेंधमारी-रोधी उपाय आदि लगाए गए हैं। जहां राज्य पुलिस द्वारा दिए गए सशस्त्र गार्डों द्वारा बैंक शाखा की पहरेदारी के संबंध में खामियों की सूचना दी जाती है वहां समिति पर्याप्त सशस्त्र गार्ड प्रदान करने के लिए पुलिस अधिकारियों पर जोर देती है।

[अनुवाद]

सीडब्ल्यूसी के गोदाम

1729. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री **यह बताने की** कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश में सेंट्रल वेयरहाऊसिंग **कॉर्पोरेशन के गोदामों की राज्यवार कुल कितनी क्षमता है;**

(ख) क्या वर्तमान में ये गोदाम अपर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो और अधिक खाद्यान्नों तथा चीनी के भंडारण के लिए गोदामों की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) 1.6.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम 91.72 लाख टन की कुल भंडारण क्षमता के 474 भंडागार चला रहा है। राज्यवार भंडारण क्षमता संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) केन्द्रीय भंडारण निगम के पास, उपलब्ध मौजूदा **भंडारण क्षमता फिलहाल भंडारण स्थान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।**

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1.6.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम की भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भंडागारों की संख्या	ढकी हुई क्षमता			कैप क्षमता			सकल	प्रतिशत
		अपनी	किराए की	जोड़	अपनी	किराए की	जोड़	जोड़	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	49	11.63	1	12.63	0.7	0.02	0.72	13.35	47
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	5	0.44	0.02	0.46	0	0	0	0.46	62
बिहार	12	0.85	0.07	0.92	0	0	0	0.92	85
चंडीगढ़	1	0.11	0.02	0.13	0.02	0	0.02	0.15	91
छत्तीसगढ़	10	1.88	0.3	2.18	0.42	0	0.42	2.60	87
दिल्ली	11	1.03	0.23	1.26	0.11	0	0.11	1.37	103
गोवा	2	0.27	0	0.27	0.03	0	0.03	0.30	49
गुजरात	29	2.42	0.77	3.19	1.25	0.36	1.61	4.80	60
हरियाणा	27	3.67	1.06	4.73	0	0	0	4.73	78
हिमाचल प्रदेश	2	0.05	0	0.05	0	0	0	0.05	73
जम्मू–कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
झारखंड	3	0.34	0	0.34	0	0	0	0.34	83
कर्नाटक	37	2.3	1.61	3.91	0.73	0.27	1	4.91	71
केरल	8	1.04	0	1.04	0	0	0	1.04	52
मध्य प्रदेश	31	4.4	1.62	6.02	0.57	0.1	0.67	6.69	81
महाराष्ट्र	48	4.83	1.55	6.38	5.04	0.80	5.84	12.22	75
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
नागालैंड	1	0.13	0	0.13	0	0	0	0.13	92
उड़ीसा	12	1.76	0.04	1.8	0.02	0	0.02	1.82	34
पांडिचेरी	1	0.07	0	0.07	0.02	0.01	0.03	0.10	91
पंजाब	31	5.66	1.82	7.48	1.04	0	1.04	8.52	76
राजस्थान	29	2.06	0.74	2.8	0.44	0.11	0.55	3.35	62
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तमिलनाडु	25	5.41	0.27	5.68	0.88	0.03	0.91	6.59	47
त्रिपुरा	2	0.24	0	0.24	0	0	0	0.24	75
उत्तर प्रदेश	51	9.25	0.66	9.91	0.54	0.28	0.82	10.73	68
उत्तरांचल	7	0.64	0.12	0.76	0	0	0	0.76	67
पश्चिम बंगाल	40	3.45	1.31	4.76	0.42	0.37	0.79	5.55	73
जोड	474	63.93	13.21	77.14	12.23	2.35	14.58	91.72	67

बैंकों में अनियमितताएं

1730. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों में हुई अनियमितताओं के मामलों संबंधी सूचना केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सीवीसी को ऐसे कुल कितने मामले दिए गए;

(ग) उक्त में से ऐसे कितने मामले हैं जिनमें जांच के उपरांत तथ्यों का पता लगा है; और

(घ) कितने लोग दोषी पाए गए और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना होता है, जिनकी जांच संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2000, 2001 और 2002 के दौरान उसके पास 3156 मामले परामर्श हेतु भेजे गए थे।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक सलाहकार निकाय है और वह मामलों की जांच नहीं करता है। तथापि, मामलों की जांच संबंधित बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है और स्केल-III और इससे ऊपर के अधिकारियों के मामले आयोग के पास उसके परामर्श हेतु भेजे जाते हैं। अवार्ड स्टाफ और स्केल-III तक के अधिकारियों के मामलों को परामर्श हेतु आयोग के पास भेजना अपेक्षित नहीं है। वर्ष 2000, 2001 और 2002 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 2181 दोषी अधिकारियों के संबंध में बड़े/छोटे दंड की सिफारिश की है। उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 2792 अधिकारियो पर बड़ा/छोटा दंड लगाया है।

तिलहन का आयात

1731. **डा. मन्दा जगन्नाथ** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में तिलहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका निर्यात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार ने एफ.सी.आई की तर्ज पर विदेशी मुद्रा को बचाने हेतु तिलहन के बफर स्टॉक के लिए गोदाम बनाने की संभावनाओं की तलाश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) सरकारी खाते पर तिलहनों का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ड) लगातार कमी को ध्यान में रखते हुए बफर स्टाक बनाना व्यवहार्य नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंकों का विलय

1732. **श्री गुथ्था सुकेन्दर रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सात सहयोगी बैंकों का विलय करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

बैंकों/वित्तीय संस्थानों की परियोजनाओं का मूल्यांकन

1733. **डा. अशोक पटेल :**

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के लिए निगमों द्वारा बनाए गए परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन में अत्याधिक विलंब न होने देने के लिए तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए आरबीआई की सलाह मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरबीआई ने इस प्रयोजनार्थ कोई टीम गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के समक्ष निगमों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के मूल्यांकन में अत्याधिक विलंब हुआ है; और

(च) यदि हां, तो परियाजेना मूल्यांकन में विलम्ब को न्यूनतम करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं या सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से परियोजना मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे किसी निर्णय की सूचना नही दी गई है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार से परामर्श करके मई, 2003 में "ऋणकर्ताओं के लिए उचित आचार संहिता" के संबंध में बैंकों के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं। मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि सहायता संघ व्यवस्था के तहत ऋण के मामले में भागीदार ऋणकर्ताओं को यथासंभव समयबद्ध तरीके से प्रस्तावों का मूल्यांकन पूरा करने के लिए प्रक्रियाएं बनानी चाहिए और उचित समय के भीतर वित्तपोषण संबंधी या अन्यथा अपने निर्णयों की सूचना देनी चाहिए।

जूट सर्विस सेंटर

1734. **श्री राधा मोहन :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में सोलह जूट सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों को कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्त्र/जूट उद्योगों के व्यापार के शेयर को बढ़ाने के लिए कितनी जूट/वस्त्र मिलों को खोले जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय, सरकार के पास सरकारी क्षेत्र में, नई पटसन वस्त्र मिल की स्थापना करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना

1735. **श्री जे. एस. बराड़ :**

श्री जे. जे. जावीया :

श्रीमती प्रभा राव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थानवार कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किए गए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विद्यमान विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों का कार्य निष्पादन कैसा रहा है;

(ग) वर्ष 2003–04 और 2004–05 के लिए इन क्षेत्रों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्रों पर विशेष रूप से किस तरह ध्यान दिया गया है और क्या रियायतें तथा प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ङ) वर्तमान में केन्द्र सरकार के विचारार्थ विशेष आर्थिक क्षेत्रों/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू वर्ष में किन–किन स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) कांडला और सूरत (गुजरात), सांताक्रुज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), विशखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित सभी 8 निर्यात संसाधन जोनों को विशेष आर्थिक जोनों (एसईजैड) में परिवर्तित किया जा चुका है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ईपीजैड/एसईजैड का निर्यात निष्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु.)
2000–01	8552.30
2001–02	9189.55
2002–03	10056.62

(ग) और (घ) एस ई जैड के लिए सांकेतिक निर्यात लक्ष्य वर्ष–दर–वर्ष आधार पर निर्धारित किया जाता है और वर्ष 2003–04 के लिए उक्त लक्ष्य 13,060 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है। एस ई जैड से संबंधित नीति की लगातार समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक समझा जाता है, उसमें समय पर सुधार किए जाते हैं। विशेष आर्थिक जोनों के लिए हाल ही में घोषित कुछ प्रमुख प्रोत्साहनों में ये शामिल हैं। विशेष आर्थिक जोनों में अपतटीय बैंकिंग एककों के लिए लगातार 3 वर्षों के लिए 100% और अगले 2 वर्षों के लिए 50% आयकर छूट, घाटे को आगे ले जाने की अनुमति तथा एस ई जैड एककों को लगातार तीन वर्षों के लिए 50% की सीमा तक लाभों को पुनः प्रयोग पर आयकर से छूट तथा आयकर छूट के प्रयोजनार्थ घरेलू टैरिफ क्षेत्र से एसईजैड को हुई आपूर्तियों को वास्तविक निर्यातों के समकक्ष मानना।

(ङ) और (च) नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार को किसी नए एस ई जैड की स्थापना नहीं करनी है। तथापि इस नीति में सरकारी, निजी, संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकारों द्वारा एस ई जैड को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। एस ई जैड की स्थापना हेतु संबंधित राज्य सरकारों के जरिए प्राप्त निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन है।

1. बैकमपड़ी, पदुबिदरी और अगसुर (कर्नाटक)

2. दाहेज (गुजरात)

3. मुन्द्रा (गुजरात)

चूंकि निजी संयुक्त क्षेत्र/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित करने के लिए एस ई जैड को अनुमोदित किया जाता है, इस लिए उन स्थानों को बताना संभव नहीं है जहां चालू वर्ष में एस ई जैड की स्थापना की जायेगी।

चाय में नीलामी प्रणाली

1736. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चाय में नीलामी प्रणाली को सुधारने के लिए फुर्गुसन समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) सरकार इनके कार्यान्वयन के लिए पहले ही क्या कदम उठा चुकी है;

(ग) इन कदमों से कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि कतिपय चाय बागान बंद कर दिए गए हैं और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए और भुखमरी से मौतें हुई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) चाय की नीलामी कीमतों में गिरावट और खुदरा कीमतों में ऐसी गिरावट प्रदर्शित न होने के प्रति चिंतित होकर मैं. एएफ फर्ग्युसन एंड कंपनी के जरिए चाय की प्राथमिक विपणन प्रणाली का अध्ययन कराया गया था। नीलामी प्रणाली के संबंध में फर्ग्युसन समिति की प्रमुख सिफारिशों में लाटों के पृथककरण और प्रतिनिधिक बोली को हतोत्साहित करना, न्यूनतम नमूना सीमाएं निर्धारत करना, मात्रा की अपेक्षा भार के अनुसार लाट का आकार परिभाषित करना, बागान स्तर पर बिक्री तथा नीलामी केन्द्रों में बोली लगाने की प्रक्रिया की इलेक्ट्रोनाइजिंग लागू करना शामिल है।

(ख) और (ग) मैं. ए एफ फर्ग्युसन एंड कंपनी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने चाय विपणन नियंत्रण आदेश 1984 के स्थान पर 1.1.2003 को चाय विपणन नियंत्रण आदेश 2003 अधिसूचित किया था। अधिक पारदर्शी एवं कुशल कीमत प्राप्ति तंत्र हेतु चाय बोर्ड द्वारा नीलामी नियमों में परिवर्तनों के बारे में आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। सरकार ने भी चाय उद्योग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सूचना प्रसार योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है जिसमें भारत में चाय नीलामी केन्द्रों की इलेक्ट्रोनाइजिंग शामिल है।

(घ) और (ङ) चाय की कीमतों में लगातार गिरावट के साथ-साथ उत्पादन की लागत में वृद्धि और मांग में कमी के कारण चाय बागानों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप कुछ बागानों की बंदी/तालाबंदी की गई है। उपलबध सूचना के अनुसार वर्ष 2002 के दौरान केरल, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों में 36 बागान वित्तीय संकट के कारण बंद कर दिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप इन बागानों के कामगार बेरोजगार हो गये थे।

कर मुक्त बचत पत्रों (सेविंग बांड) पर ब्याज

1737. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर मुक्त बचतपत्रों पर ब्याज दर को कम करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू बाजार में गैर कानूनी बिक्री

1738. श्री रामजी मांझी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्यात के लिए रखी गयी चीनी और खाद्य वस्तुओं को घरेलू बाजार में अवैध रूप से बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में सरकारी चीनी उद्योग और अन्य सहकारी समितियों द्वारा बेची गयी वस्तुओं का समितिवार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) पुणे, औरंगाबाद तथा नागपुर जोनों के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा-शुल्क आयुक्त के कार्यालय के अनुसार, कुछ निर्यातकों ने निर्यात के लिए अभिप्रेत चीनी को घरेलू बाजार में बेचा है। गत तीन वर्षों के संबंध में अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

2002-2003 में निर्यात के लिए अभिप्रेत चावल को घरेलू बाजार में बेचने का एक मामला भी सूचित किया गया था।

विवरण

निर्यात के लिए अभिप्रेत चीनी को घरेलू बाजार में बेचने/निर्यात का प्रमाण न देने वाली चीनी मिलों/निर्यातकों का ब्यौरा

क्रम सं.	चीनी मिल का नाम	सुपुर्द की गई मात्रा/निर्यात का प्रमाण नहीं दिया (मी.टन में)	
1	2	3	
1.	मैसर्स ध्यानेश्वर एस.एस.के. लि., भेंडे	(तीन निर्यातक)	1900.0
			2496.0
			260.0
		जोड	4656.0
2	मैसर्स श्री शंकर एस.एस.के. लि., सदाशिवनगर	(एक निर्यातक)	6492.9
3.	श्री शकर महर्षि शंकरराव मोहिते पाटील एस.एस.के. लि., अकलुज	(एक निर्यातक)	26995.6
4.	मैसर्स गांधीगलाज तालुक एस.एस.के. लि., गांधीगलाज	(एक निर्यातक)	15445.0
5.	मैसर्स कृष्णा एस.एस.के. लि., कराड	(एक निर्यातक)	13772.3
6.	मैसर्स श्री केदारेश्वर एस.एस.के. लि., शिवगांव	(एक निर्यातक)	4750.0
7.	मैसर्स अगस्ती एस.एस.के. लि., अकोले, अगस्ती नगर	(एक निर्यातक)	1845.0
8.	मैसर्स निफाड एस.एस.के. लि., निफाड	(एक निर्यातक)	9216.7
9.	मैसर्स वसंतराव दादा पाटील एस.एस.के. लि., विथेवाडी	(एक निर्यातक)	5420.5
10.	मैसर्स संत एकनाथ एस.एस.के. लि., पैथान	(एक निर्यातक)	2500.0
11.	मैसर्स पुर्णा एस.एस.के. लि., बासमथनगर	(दो निर्यातक)	5000.0
			5000.0
		जोड	10000.0
12.	मैसर्स हुतात्मा जयवंतराय पाटील एस.एस.के. लि., सूर्य नगर	(एक निर्यातक)	2269.9

1	2	3	
13.	मैसर्स सहयाद्री एस.एस.के. लि., सहयाद्री	(एक निर्यातक)	160.0
14.	मैसर्स संत दामाजी एस.एस.के. लि., मंगलवेधा	(एक निर्यातक)	उपलब्ध नहीं
15.	मैसर्स डोंगाराय सागरेश्वर एस.एस.के. लि., रायगांव	(एक निर्यातक)	1231.5
16.	मैसर्स शेतकरी एस.एस.के. लि., किल्लारी	(एक निर्यातक)	776.0
17.	मैसर्स मुला एस.एस.के. लि., सोनई	(एक निर्यातक)	500.0
18.	मैसर्स तेरना एस.एस.के. लि., तेरनानगर	(एक निर्यातक)	2695.0
19.	मैसर्स दौलत एस.एस.के. लि., हलकरनी	(एक निर्यातक)	80.0
20.	मैसर्स गंगापुर एस.एस.के. लि., रघुनाथनगर	(एक निर्यातक)	3033.0
21.	मैसर्स भोगवती एस.एस.के. लि., इरले, वैराग	(एक निर्यातक)	5000.0

राज्यों के समक्ष वित्तीय संकट

1739. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

श्री प्रकाश वी. पाटील :

श्री चन्द्रकांत खैरे :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वितीय संकट से उबरने के लिए राज्य सरकारों से कोई विशेष प्रस्ताव विशेषकर एकमुश्त अनुदान अथवा आसान ऋण से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) अपनी आय तथा व्यय में व्याप्त विषमता के कारण कई राज्य सरकारें रोकड़ असंतुलन की समस्या से जूझ रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) राज्य द्वारा झेली जा रही वित्तीय समस्याओं से निजात पाने के क्रम में मणिपुर सरकार ने पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 371 करोड़ रुपये के मध्यम आवधिक गैर–योजना ऋण को एकमुश्त अनुदान के रूप में अंतरित किए जाने के संबंध में अनुरोध किया था। उनके इस अनुरोध पर सहमत हो पाना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2002–2003 तथा 2003–2004 में राज्यों की आरंभिक रोकड़ स्थिति

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2002–03	2003–04
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	108.46	3.19
अरुणाचल प्रदेश	−57.76	56.62

1	2	3
असम	−1303.60	−570.54
बिहार	−440.34	−24.53
छत्तीसगढ़	165.65	643.86
गोवा	−46.56	−84.11
गुजरात	−498.38	809.43
हरियाणा	−632.17	−78.26
हिमाचल प्रदेश	−345.34	−369.64
जम्मू–कश्मीर*		
झारखंड	398.69	128.43
कर्नाटक	941.62	467.32
केरल	−355.64	−584.24
मध्य प्रदेश	307.44	−67.80
महाराष्ट्र	408.17	949.78
मणिपुर	−600.07	−367.70
मेघालय	−59.63	48.22
मिजोरम	−118.73	−74.88
नागालैंड	−203.49	118.09
उड़ीसा	−1217.82	−595.95
पंजाब	−342.82	−128.97
राजस्थान	−1141.57	−523.68
सिक्किम*		
तमिलनाडु	−148.21	−1118.18
त्रिपुरा	44.82	7.79
उत्तर प्रदेश	−582.95	−223.79
उत्तरांचल	−92.36	262.07
पश्चिम बंगाल	−2060.23	16.16

* भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकिंग संबंध नहीं है।

निगमित क्षेत्र द्वारा बेहतर परिणामों का प्रदर्शन

1740. डा. बी. बी. रमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में निगमित क्षेत्र की अधिकांश कंपनियों ने 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में बेहतर कार्य परिणाम प्रदर्शित किया है;

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष में कितने प्रतिशत कंपनियों ने बेहतर परिणाम प्रदर्शित किये हैं; और

(ग) इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। अधिकांश कंपनियां जिनके अभी तक वित्तीय परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, 31.03.2003 के समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान बेहतर परिणाम दर्शाए हैं। इसे प्रतिशत में दर्शाना संभव नहीं है।

(ग) कंपनियों के बेहतर कार्य परिणामों से आर्थिक संवृद्धि की प्रक्रिया प्रोत्साहित होगी तथा पूंजी बाजार और अधिक प्रौन्नत होगा।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत आने वाली योजनाएं

1741. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत कितनी योजनाएं आरंभ की गयी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में क्या–क्या कार्य किए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं

ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) I से VIII के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में विभिन्न क्षेत्रों यथा लघु, मझौली एवं प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण पुलों एवं ग्रामीण सड़कों के तहत कुल 19403 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें 1284.61 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है। इस योजना के तहत उड़ीसा को आबंटित श्रृंखला–वार राशि नीचे दी गई है:

श्रृंखला	राशि (करोड़ रुपये में)
आरआईडीएफ–I (1995–96)	169.50
आरआईडीएफ–II (1996–97)	130.05
आरआईडीएफ–III (1997–98)	180.36
आरआईडीएफ–IV (1998–99)	162.56
आरआईडीएफ–V (1999–2000)	134.62
आरआईडीएफ–VI (2000–01)	107.43
आरआईडीएफ–VII (2001–02)	153.25
आरआईडीएफ–VIII (2002–03)	246.83
कुल	1284.61

राज्य सरकारों को निधियों का संवितरण कार्यान्वयन में हुई प्रगति के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि 31 मई, 2003 तक की स्थिति के अनसुार मंजूर की गई 19403 परियोजनाओं में से 11768 परियोजनाएं (11636 सिंचाई, परियोजनाएं, 106 ग्रामीण पुल एवं सड़क परियोजनाएं तथा 26 चक्रवात क्षतिग्रस्त कृषि परियोजनाएं) पूरी की जा चुकी हैं।

रुग्ण चीनी कारखाने

1742. **श्री मानसिंह पटेल :**

डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी कारखाने रुग्ण हो चुके हैं और वे गन्ना उत्पादकों को देय राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार देश में कितनी राशि की चीनी एकत्र की गयी है;

(ग) क्या सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी बेचने और इस क्षेत्र में धन प्रवाह उत्पन्न करने की कोई तात्कालिक योजना है;

(घ) क्या सरकार का विचार गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए उन्हें उचित मूल्य प्राप्त कराने में मदद करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का इकट्ठा हो जाना वित्तीय कठिनाइयों, बिक्री से अपर्याप्त वसूली तथा ऋणात्मक नेटवर्थ जैस कारणों से होता है। 22 जून, 2003 की स्थिति के अनुसार, देश में लगभग 152.60 लाख टन चीनी का स्टॉक था जबकि पिछले मौसम की इसी तारीख को लगभग 154.53 लाख टन चीनी का स्टाक था।

(ग) से (ङ) वर्तमान निर्यात–आयात नीति के अधीन चीनी का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत अनुमत है और इस प्रकार विभिन्न चीनी मिलें/निर्यातक वाणिज्यिक विवेक के आधार पर चीनी का निर्यात कर रही/रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2002–2003 के दौरान लगभग 14.70 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था।

चीनी मौसम 2002–2003 के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) 8.5% की मूल रिकवरी पर 69.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था जबकि 2001–2002 मौसम के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य 62.05 रुपये प्रति क्विंटल था। गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य रिकवरी के स्तर पर निर्भर करते हुए फैक्ट्री–वार (न की राज्यवार) निर्धारित किया जाता है।

बैंक ब्याज दरें

1743. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनभोगियों और विधुरों के हितों के लिए निवेश पर ब्याज की घटती दर से सुरक्षोपाय करने की कोई योजना है;

(ख) क्या इस श्रेणी में चैरिटेबल समितियों/ट्रस्टों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों की ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया गया है। तथापि, वरिष्ठ नागरिकों एवं उनके संगठनों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर अप्रैल, 2001 से बैंकों को विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी भी आकार (साइज) की सामान्य जमाराशियों की तुलना में उच्च एवं नियत ब्याज–दर प्रदान करते हुए सावधि जमा योजना को निरूपित करने की अनुमति दी गई है।

(ख) और (ग) धर्मार्थ (चैरिटेबल) संस्थाओं को 21 मई, 2003 से 8% बचत (कर योग्य) बांड, 2003 में निवेश करने की अनुमति दी गई है।

अतिरिक्त गोदामों का निर्माण

1744. **श्री आर. एस. पाटिल** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न स्थानों पर खाद्यान्नों के लिए अतिरिक्त गोदामों का निर्माण करने का है और क्या सरकार ने अन्नागारों के लिए सार्वभौमिक निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गोदामों का निर्माण करने के लिए निजी फर्मों को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, हां। "बनाओ और चलाओ" आधार पर खाद्यान्नों की एकीकृत बल्क हैंडलिंग, भंडारण और दुलाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने हेतु निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता आमंत्रित की जाएगी और प्रोत्साहित की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम की ओर से राइट्स ने देश में विभिन्न स्थानों पर अनाज के साइलोज सृजित करने हेतु वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की हैं।

(ख) निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के माध्यम से सृजित करने के लिए अनाज के प्रस्तावित साइलोज के राज्यवार स्थान निम्नानुसार हैं:–

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रस्तावित साइलोज का स्थान
1.	पंजाब	(i) बरनाला
		(ii) मोगा
2.	कैथल	(i) सिरसा
		(ii) कैथल
3.	तमिलनाडु	(i) चैन्ने
		(ii) कोयम्बतूर
4.	कर्नाटक	बंगलौर
5.	महाराष्ट्र	न्यू मुम्बई
6.	पश्चिम बंगाल	हुगली

(ग) जी, हां।

(घ) निजी क्षेत्र को "बनाओ और चलाओ" आधार पर भंडारण क्षमताओ का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, जिनमे वे सरकारी एजेंसियो द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों का भंडारण और रखरखाव करेंगे, जिसके लिए वे भंडारण प्रभारों के पात्र होंगे।

कंपनियों द्वारा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग

1745. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात राज्य में स्थित 30 से अधिक कंपनियों और उनके प्रवर्तकों ने शेयरों और डिबेंचरों के सार्वजनिक निर्गम से एकत्र धनराशि का दुरुपयोग करके सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के प्रवर्तक कौन–कौन से हैं;

(ग) इन कंपनियों के प्रवर्तकों द्वारा कुल कितनी धनराशि का दुरुपयोग किया गया/उसे हड़प लिया गया है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

निगमित निकायों के बोर्डों में महिलाओं की निदेशक के रूप में भर्ती

1746. श्री विनय कुमार सोराके :

श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निगमित निकायों के बोर्डों के निदेशक के रूप में महिलाओं की न्यूनतम संख्या को लाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 252 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) दिनांक 7.5.03 को राज्यसभा में पुरःस्थापित किए गए कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2003 में प्रावधान है कि 5 करोड़ रु. या इसस अधिक प्रदत्त पूंजी या 50 करोड़ रु. या इससे अधिक व्यापारावर्त वाली पब्लिक कंपनियों में यथाविनिर्दिष्ट महिला निदेशकों की संख्या होगी।

(ग) अवधि, जिसमें प्रस्ताव पर अमल लाया जा सके, वह इस बात पर निर्भर करेगी कि संसद संशोधन विधेयक को अन्ततः किस रूप में पारित करती है।

[हिन्दी]

सिक्कों का आयात

1747. श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री सुन्दर लाल तिवारी :

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन–कौन से देशों से सिक्कों का आयात किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में विभिन्न मूल्य वर्गों के कितने सिक्कों का आयात किया गया;

(ग) इन सिक्कों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2003–2004 के दौरान सिक्कों का आयात करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सिक्कों का ब्यौरा क्या है और कौन–कौन से देशों से इनका आयात किये जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) देशों के नाम, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में आयातित निभिन्न मूल्यवर्गों के सिक्कों की मात्रा और इन आयातों पर खर्च की गयी विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	देश	मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन अदद)	खर्च की गई विदेशी मुद्रा	
1	2	3	4	5	
2000–2001	स्लोवाकिया	1 रु.	260.304	2175109.76	अमरीकी डॉलर
	यू.के.	2 रु.	300.000	531906.06	पौंड
	रूस	5 रु.	538.600	35407023.56	ड्यूश मार्क

1	2	3	4	5	
2001–2002	स्लोवाकिया	1 रु.	600.000	7021363.75	अमरीकी डॉलर
	रूस	2 रु.	750.000	21225572.54	अमरीकी डॉलर
	रूस	5 रु.	454.100	42124.64	ड्यूश मार्क
				28000258.89	अमरीकी डॉलर
2002–03	रूस	5 रु.	345.220	11979734.65	अमरीकी डॉलर

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चूककर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संपत्ति की कुर्की

1748. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री भास्करराव पाटील :

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां निवेशकों से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की राशि ठग रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चूककर्ता गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सम्पत्ति को बगैर किसी शर्त के कुर्की करने का आदेश देने के लिए कंपनी विधि बोर्ड को अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि गायब होने वाली कंपनियों से निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके;

(ग) यदि हां, तो यह कार्यवाही किस प्रकार से निवेशकों की रक्षा करेगी; और

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरे क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उनके सामने आस्तियों एवं देयताओं के असन्तुलन/नकदी समस्या के रूप में अनियमितताओं के कुछ मामले आये हैं जिनके परिणामस्वरूप गैर–अदायगी/सार्वजनिक जमाराशियों की चुकौती में विलम्ब हुआ है।

(ख) से (घ) वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक, 2000 इस समय सरकार के विचाराधीन है। इसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के लिए न्याय निर्णायक प्राधिकारी बना रहेगा। सीएलबी को अन्य बातों के साथ–साथ चूककर्ता वित्तीय कंपनियों द्वार आस्तियों का अन्य संक्रामण करने से रोकने के लिए तथा जमाराशियों की चुकौती करने के लिए उनकी आस्तियों की कुर्की करने एवं बेचने के लिए शक्तियां प्रदान की जाएंगी। ऐसी आस्तियों का प्रबंध सीएलबी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वसूली अधिकारी के पास होगा।

तृतीय पक्ष मोटर बीमा

1749. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां (जीआईसी) उनके द्वारा तृतीय पक्ष मोटर बीमा के संबंध में उनके द्वारा भुगतान की जा रही अनिश्चित क्षतिपूर्ति राशि के कारण भारी घाटे का सामना कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि बीमा क्षेत्र में गैर–सरकारी कपनियां इसे (तृतीय पक्ष मोटर बीमा) शामिल नही कर रही है क्योंकि यह घाटा कराने वाला व्यवसाय है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने सभी सरकारी/गैर-सरकारी कंपनियों के लिए इसे अनिवार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ताकि सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को अस्थिर अथवा कमजोर होने से रक्षा की जा सके;

(घ) क्या सरकार का विचार निश्चित मुआवजा आरम्भ करने और दुर्घटना त्रासदी के मामले में तृतीय पक्ष दायित्व के संबंध में अधिकतम क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां, कुछ हद तक। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं को मोटर बीमा के अंतर्गत अधिदेशात्मक/अनिवार्य तृतीय पक्ष देनदारी को कवर करने के निर्देश दिए हैं।

(घ) और (ङ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि अधिकतम राशि की देनदारी इत्यादि निर्धारित करने के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किए जाने के प्रश्न पर मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के अगले दौर में विधि मंत्रालय के साथ परामर्श के दौरान समुचित विचार किया जाएगा।

सिंचाई के लिए नाबार्ड सहायता

1750. श्री भान सिंह भौरा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड सिंचाई क्षेत्र का विकास करने के लिए विभिन्न राज्यों की सहायता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गयी ऐसी सहायता का राज्यवाद ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी सहायता के माध्यम से आरंभ की गयी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण अवसंरचना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बड़े, मझौले एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, के विकास के लिए राज्य सरकारों को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर आई डी एफ) के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आर आई डी एफ के तहत परियोजनाओं की संख्या तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत वित्तीय सहायता एवं संवितरित राशि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं हेतु संस्वीकृत परियोजनओं और वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

लघु सिंचाई (करोड़ रुपये)

राज्य	आरआईडीएफ VI 2000-01		आरआईडीएफ VII 2001-02		आरआईडीएफ VIII 2002-03		कुल	
	संख्या	संस्वी.	संख्या	संस्वी.	संख्या	संस्वी.	संख्या	संस्वी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	35	42.67	1848	133.16	40	64.79	1923	240.62
बिहार	0	0	122	22.73	4467	136.41	4589	159.14
गोवा	5	5.02	6	4.48	0	0	11	9.5
गुजरात	12001	241.71	0	0	0	0	12001	241.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	7	12.8	24	35.94	0	0	31	48.74
हिमाचल प्रदेश	206	27.3	166	17.38	53	21.34	425	66.02
जम्मू-कश्मीर	13	12.27	18	13.93	37	52.18	68	78.38
कर्नाटक	36	47.22	70	21.4	64	66.55	170	135.17
केरल	94	36.65	62	6.27	70	7.2	226	50.12
मध्य प्रदेश	18	9.2	23	56.92	54	118.58	95	184.7
महाराष्ट्र	35	120.72	80	143.21	60	151.03	175	414.96
मणिपुर	157	8.33	0	0	0	0	157	8.33
मेघालय	5	2.63	0	0	0	0	5	2.63
मिजोरम	0	0	7	1.86	7	2	14	3.86
नागालैंड	1	1.13	0	0	12	5.05	13	6.18
उड़ीसा	16090	59.36	67	34.56	280	56.46	16437	150.38
राजस्थान	2101	19.23	91	132.85	0	0	2192	152.08
तमिलनाडु	20	37.2	7	6.32	1	13.96	28	57.48
त्रिपुरा	1	26.5	15400	6.79	0	0	15401	33.29
उत्तर प्रदेश	0	0	4	18.74	403	66.26	407	85
पश्चिम बंगाल	235	8.43	1113	18.98	4024	82.49	5372	109.9
छत्तीसगढ़	23	25.09	24	25.26	95	116.57	142	100.92
उत्तरांचल	0	0	0	0	40	14.24	40	14.24
कुल	31083	743.46	19132	700.78	9707	975.11	59922	2419.35

मंझौली सिंचाई (करोड़ रुपये)

राज्य	आरआईडीएफ VI 2000-01		आरआईडीएफ VII 2001-02		आरआईडीएफ VIII 2002-03		कुल	
	संख्या	संस्वी.	संख्या	संस्वी.	संख्या	संस्वी.	संख्या	संस्वी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	2	91.37	0	0	1	21.31	3	112.68
बिहार	0	0	3	32.87	2	3.67	5	36.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जम्मू–कश्मीर	0	0	0	0	2	4.47	2	4.47
केरल	1	10.33	0	0	0	0	1	10.33
मध्य प्रदेश	2	77.93	0	0	1	80.32	3	158.25
महाराष्ट्र	3	54.67	0	0	3	65.89	6	120.56
उड़ीसा	1	0.18	1	2.93	3	19.81	5	22.92
तमिलनाडु	0	0	3	93.72	2	42.74	5	136.46
उत्तर प्रदेश	0	0	1	1.23	1	3.28	2	4.51
छत्तीसगढ़	2	15.24	0	0	1	0.53	3	15.77
कुल	11	249.72	8	130.75	16	242.02	35	622.49

बड़ी सिंचाई **(करोड़ रुपये)**

राज्य	आरआईडीएफ VI 2000–01		आरआईडीएफ VII 2001–02		आरआईडीएफ VIII 2002–03		कुल	
	संख्या	संस्वी.	संख्या	संस्वी.	संख्या	संस्वी.	संख्या	संस्वी.
आन्ध्र प्रदेश	1	15.48	0	0	0	0	1	15.48
गुजरात	0	0	0	0	1	125.12	1	125.12
हरियाणा	0	0	21	63.14	45	54.27	66	117.41
मध्य प्रदेश	7	83.64	4	136.47	9	194.69	20	414.6
महाराष्ट्र	0	0	1	30.58	0	0	1	30.58
राजस्थान	1	106.03	2	126.6	0	0	3	232.63
उत्तर प्रदेश	1	28.2	2	7.79	4	76.73	7	112.72
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	2	33.84	2	33.84
कुल	10	233.35	30	364.58	61	484.65	101	1082.58

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान आर आई डी एफ के तहत सिंचाई परियोजनओं हेतु संवितरित वित्तीय सहायता का राज्य–वार ब्यौरा

लघु सिंचाई (करोड़ रुपये)

राज्य	आरआईडीएफ VI 2000–01	आरआईडीएफ VII 2001–02	आरआईडीएफ VIII 20002–03	कुल
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	14.29	35.84	0.47	50.60

1	2	3	4	5
बिहार	–	4.55	0.00	4.55
छत्तीसगढ़	22.52	11.76	3.86	38.14
गोवा	0.50	3.17	–	3.67
गुजरात	199.38	–	–	199.38
हरियाणा	6.79	13.76	–	20.55
हिमाचल प्रदेश	20.79	9.31	9.62	39.72
जम्मू-कश्मीर	4.82	5.72	16.06	26.60
कर्नाटक	33.02	7.11	6.01	46.14
केरल	15.50	1.50	2.16	19.16
मध्य प्रदेश	5.97	19.47	5.41	30.85
महाराष्ट्र	62.68	42.16	4.03	108.87
मणिपुर	0.00	–	–	0.00
मेघालय	1.46	–	–	1.46
मिजोरम	–	1.86	0.00	1.86
नागालैंड	1.10	–	0.95	2.05
उड़ीसा	21.91	11.75	10.92	44.58
राजस्थान	16.70	66.99	–	83.69
तमिलनाडु	32.43	0.00	0.00	32.43
त्रिपुरा	2.00	0.00	–	2.00
उत्तर प्रदेश	–	1.75	2.88	4.63
उत्तरांचल	–	–	0.64	0.64
पश्चिम बंगाल	3.29	4.81	16.49	24.59
कुल	465.15	241.51	79.50	786.16

मंझौली सिंचाई (करोड़ रुपये)

राज्य	आरआईडीएफ VI 2000–01	आरआईडीएफ VII 2001–02	आरआईडीएफ VIII 2002–03	कुल
आन्ध्र प्रदेश	61.99	–	0.00	61.99
बिहार	–	6.67	0.00	6.67
छत्तीसगढ़	3.05	–	0.00	3.05
जम्मू–कश्मीर	–	–	1.79	1.79
केरल	0.00	–	–	0.00
मध्य प्रदेश	28.33	–	0.00	28.33
महाराष्ट्र	0.00	–	6.31	6.31
उड़ीसा	0.04	1.74	5.98	7.76
तमिलनाडु	–	59.94	14.19	74.13
उत्तर प्रदेश	–	0.25	0.09	0.34
कुल	93.41	68.60	28.36	190.37

बड़ी सिंचाई (करोड़ रुपये)

राज्य	आरआईडीएफ VI 2000–01	आरआईडीएफ VII 2001–02	आरआईडीएफ VIII 2002–03	कुल
आन्ध्र प्रदेश	13.89	–	–	13.89
छत्तीसगढ़	–	–	0.00	0.00
गुजरात	–	–	13.53	13.53
हरियाणा	–	0.00	35.47	35.47
मध्य प्रदेश	26.32	54.85	0.00	81.17
महाराष्ट्र	–	0.00	–	0.00
राजस्थान	99.74	47.60	–	147.34
उत्तर प्रदेश	22.86	2.56	0.00	25.42
कुल	162.81	105.01	49.00	316.82

जनजातियों की अप्रयुक्त धनराशि

1751. **श्री जी. जे. जावीया :**

डा. जसवन्तसिंह यादव :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कतिपय राज्य सरकारों द्वारा अप्रयुक्त जनजातीय विकास निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन धनराशियों को खर्च न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों के पास खर्च न की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा निधियां खर्च न करने के कुछ कारण हैं:–

(i) कुछ योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान की निर्मुक्ति केवल भवन के निर्माण के लिए की जाती है। निर्माण कार्य में क्योंकि समय लगता है अतः भवनों का निर्माण कार्य पूरा होने तक निधियां अप्रयुक्त रह जाती हैं।

(ii) कभी–कभी राज्य सरकारों से देर से प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से निधियां वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में जारी की जाती हैं। अतः यह राशि संबद्ध वित्तीय वर्ष में अप्रयुक्त रहती है।

(iii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत एक विशिष्ट वर्ष में सहायता अनुदान प्रत्याशित व्यय के आधार पर जारी किया जाता है। इसलिए कभी–कभी लाभार्थियों की संख्या कम होने से राज्य सरकारों द्वारा निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जाता।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई:–

(i) मंत्रालय के अधिकारी समय–समय पर परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों का दौरा करते हैं और राज्य सरकारों को यथासंभव शीघ्र निधियों का उपयोग करने के लिए कहते हैं।

(ii) आगे अनुदान देने पर तभी विचार किया जाता है जब पिछले वर्षों में निर्मुक्त अनुदान उपयोग कर लिया जाता है।

(iii) विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में उनके सुझाव लेने और विचार–विमर्श करने के लिए मंत्रालय में आमंत्रित किया जाता है।

(iv) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के मामले में पिछले अनुदानों की अप्रयुक्त राशि को अगले वर्षों के अनुदानों में समायोजित किया जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों (2000–01 से 2002–03 तक) के दौरान अप्रयुक्त धनराशि

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के छात्रावास	आश्रम स्कूल	कोचिंग एवं सम्बद्ध	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	पुस्तक बैंक	अनुसंधान व प्रशिक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	360.52	204.5	–	8.04	–	47.20	5.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	36	–	–	–	–	0.44
3.	असम	–	–	–	1.69	1275.94	–	5.31
4.	छत्तीसगढ़	10	–	400	–	32.07	8.21	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	गुजरात	–	21.57	–	–	–	10.25	6
6.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	2.90	20.27	–	–
7.	जम्मू–कश्मीर	–	–	–	–	6.50	7	0.44
8.	झारखंड	197.37	197.37	–	–	–	–	6
9.	कर्नाटक	15.25	111.08	130	1.76	75.38	20	–
10.	केरल	0.59	22.05	–	–	–	–	2.5
11.	मध्य प्रदेश	484.8	422	820	9.93	–	10.1	101.04
12.	मेघालय	13.75	13.75	–	–	805.98	–	–
13.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	165.02	–	6
14.	मणिपुर	–	–	–	–	820.11	–	–
15.	मिजोरम	–	–	–	–	370.98	–	–
16.	नागालैंड	32.5	32.5	–	–	697.19	–	–
17.	उड़ीसा	33.5	42.75	–	7.31	74.44	5.02	3.64
18.	राजस्थान	–	–	–	–	131.95	5.20	10.78
19.	तमिलनाडु	–	–	–	0.19	7.771	4.7025	6.97
20.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	1.49	5
21.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	0.63	2.3	–	–
22.	उत्तरांचल	–	–	–	2.67	166.54	–	–
23.	पश्चिम बंगाल	–	5	–	–	–	2.85	40.40
24.	अडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	1.59	–	29.50
25.	दमन व दीव	–	–	–	–	1.05	–	–
26.	दिल्ली	–	50	–	–	–	–	–
	कुल	1168.28	1160.57	1350	35.12	4655.081	122.0225	229.5

[हिन्दी]

उपभोक्ता हितों की रक्षा करना

1752. **श्री अधीर चौधरी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर उपभोक्ताओं को सोने और चांदी के ज्वेलरों के उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई नियम तैयार करने पर विचार–विमर्श कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) स्वर्णाभूषण खरीदते समय ठगे जाने से उपभोक्ताओं के बचाव के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अप्रैल, 2000 में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत 'स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग की स्कीम' शुरू की गई। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम उपभोक्ता को उसके द्वारा खरीदे गए स्वर्णाभूषणों की शुद्धता के बारे में आश्वस्त किया जाए ताकि जनता को मिलावट से बचाया जा सके और सुन्दरता का मानक कायम रखने के लिए विनिर्माताओं का मार्गदर्शन किया जा सके। उपभोक्ताओं और चांदी के व्यापारियों की मांग पर भारतीय मानक ब्यूरो चांदी की वस्तुओं के लिए हालमार्किंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात

1753. श्री नरेश पुगलिया :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम एस.टी.सी. और एम.एस.टी.सी. जैसी सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम की बजाए सीधे निर्यात के क्षेत्र में उतरने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकेन्द्रीकृत खरीद नीति हेतु अभिजीत सेन पेनल की सिफारिश लागू की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) दीर्घकालिक अनाज नीति संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि यद्यपि केन्द्र को वसूली की प्राथमिक जिम्मेदारी वहन करना जारी रखना चाहिए, तथापि, इसे अधिक विकेन्द्रित किया जाना चाहिए। खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत वसूली की योजना 1997-98 से क्रियान्वित की जा रही है। केन्द्र सरकार उन राज्यों को भी अपने वसूली प्रयास बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जहां वसूली की संभावनाएं मौजूद हैं।

क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों का विलय

1754. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों को एक अखिल भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश का आगम

1755. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी देने संबंधी नीति करीब एक दशक से लागू है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में विदेशी पूंजी निवेश अब भी एशिया के अन्य बड़े देशों के मुकाबले कम है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2002-2003 के दौरान भारत, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में कितनी विदेशी पूंजी का निवेश हुआ है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान भारतीय कंपनियों ने विदेशों में कितनी धनराशि का निवेश किया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) नई औद्योगिक नीति, जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति भी शामिल है, जुलाई, 1991 से प्रभावी रही है। वर्ष 2002-03 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अनुमानित अंतर्वाह 2.57 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आंकड़ों को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ पुनर्व्यवस्थित करने की जारी प्रक्रिया के तहत इस अंतर्वाह की राशि को संशोधित कर अनंतिम रूप से 4.66 बिलियन अमरीकी डॉलर पर तय किया गया है। वर्ल्ड

इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2002 में केवल 2001 तक के ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आंकड़े शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत तथा अन्य एशियाई देशों में 2001 के दौरान हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह निम्न प्रकार हैं:

देश	वर्ष 2001 (बिलियन अमरीकी डॉलर में)
भारत	3.40
चीन	46.85
मलेशिया	0.55
इंडोनेशिया	−3.28
सिंगापुर	8.61
कोरिया गणराज्य	3.20

(घ) भारतीय कंपनियों द्वारा 2002–2003 के दौरान विदेशों में किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि 0.459 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आंकड़ों को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ पुर्नव्यवस्थित करने की जारी प्रक्रिया के तहत, इसमें संशोधन कर इसे अनंतिम रूप से 1.049 बिलियन अमरीकी डॉलर तय किया गया है।

[अनुवाद]

आयकर की वापसी

1756. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर और अहमदाबाद में आयकर वापसी के आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त शहरों में वापसी आदेश जारी किया जाना अब भी लम्बित है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनके कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) प्रतिदेयों की संख्या जो इन प्रभारों में वित्त वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 के दौरान दायर की गई विवरणियों पर कार्यवाई करने के पश्चात् उत्पन्न हुई हैं, क्रमशः 14,49,220 तथा 24,24,030 हैं।

(ख) उपर्युक्त में से 2,47,720 मामलों में प्रतिदेय अभी तक जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) कर भुगतानों के सत्यापन के लिए बड़ी संख्या में प्रतिदेय के मामले लम्बित हैं। प्रतिदेयों को शीघ्र जारी करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

भारतीय न्यायिक सेवा

1757. श्री वी. एस. शिवकुमार : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार न्यायिक विभाग में भारतीय न्यायिक सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) से (ग) जी, नहीं। न्यायिक विभाग में भारतीय न्यायिक सेवा आरम्भ करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत के विधि आयोग, आल इंडिया जजेज एसोसिएशन के मामले (रिट संख्या 1022/89) में भारत के उच्चतम न्यायलय और प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन की सिफारिश की है। दूसरी ओर राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन विद्यमान प्रणाली का बेहतर विकल्प नहीं होगा।

निर्यात विकास कोष

1758. श्री पी. आर. किंडिया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए निर्यात विकास कोष "अपेडा" के पास होता है;

(ख) यदि हां, तो "अपेडा" द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में धनराशि वितरण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं और गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के निर्यात संवर्धन कार्यकलापों हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और इस कोष का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की सूची क्या है; और

(ग) निर्यात विकास कोष के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों हेतु विस्तृत मार्ग–निर्देश क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) एपीडा शक्ति प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनओं के लिए निधियों का वितरण करता है। पिछले तीन वर्षों में वितरित की गई धनराशियां इस प्रकार हैं:—

(आंकड़े लाख में)

2000–2001	2001–2002	2002–2003
38.14	252.45	659.048

उत्तरपूर्वी क्षेत्र और सिक्किम से निर्यातों को सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजनाएं अनुमोदित की जाती हैं और उनके लाभों में उत्तरपूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के निर्यात समुदाय द्वारा विशेष रूप से उद्यमियों द्वारा सामान्य रूप से भागीदारी की जाती है।

(ग) निर्यात विकास निधि का उद्देश्य क्षेत्र से होने वाले निर्यातों के साथ सीधा संपर्क रखने वाली विशिष्ट परियोजनाओं की सहायता करना है। इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों की प्रतियां मंत्रालय के वेबसाइट (http://commerce.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

एलआईसी बोर्ड समिति की रिपोर्ट

1759. श्रीमती मेनका गांधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार एलआईसी के सिटीजन चार्टर की समीक्षा के लिए गठित समिति की विशेष सिफारिशें क्या हैं, प्रत्येक सिफारिश के औचित्य और कारण क्या हैं तथा प्रत्येक सिफारिश को लागू करने हेतु आज तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या एलआईसी के संशोधित नागरिक चार्टर को जोन, डिवीजन और शाखा स्तर पर लागू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एलआईसी के नागरिक चार्टर की बातों के बारे में एलआईसी के पॉलिसी धारकों को सूचित करने हेतु कौन सी विशेष कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सिफारिशें और उन पर की गई कार्रवाई की सूचना प्रस्तुत की है जो एक विवरण में संलग्न की गई है।

(ख) और (ग) एलआईसी ने सूचित किया है कि संशोधित "सिटीजन चार्टर", बीमा सप्ताह गतिविधियों के एक भाग के रूप मे 1 सितम्बर, 2003 को औपचारिक तौर पर शुरू किया जाएगा।

विवरण

भारतीय जीवन बीमा निगम के सिटीजन चार्टर की समीक्षा करने के लिए समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट

सिफारिशें	की गई कार्रवाई
1	2
सेवा क्षेत्रों में लगने वाले समय का परिकलन	लगने वाले समय को नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी सेवा क्षेत्र में लगने वाला समय निर्धारित मानदंडों से अधिक न हो। इस प्रयोजनार्थ विशिष्ट सॉफ्टवेयर पहले ही विकसित और उसका परीक्षण किया जा चुका है तथा उसे सुधारा जा चुका है।
शखा कार्यालयों में कार्य—निष्पादन के लिए कम्पोजिट इन्डेक्स का प्रयोग	कम्पोजिट इन्डेक्स की अवधारणा को सुधार तथा संशोधन के बाद सभी शाखा कार्यालयों में दोबारा शुरू किया गया है और

1	2
	इसे शाखा कार्यालय के कार्यनिष्पादन का आकलन करने के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
दावों के निपटान में देरी होने की स्थिति में ब्याज की अदायगी	दावों के निपटान में देरी होने पर आईआरडीए के "पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण विनियम, 2002" में निर्दिष्ट दर के अनुसार ब्याज अदा किया जा रहा है।
पॉलिसीधारकों को ग्राहक सेवा मुहैया कराने में कार्यालयों में प्रतिस्पर्धा की भावना	बेहतर ग्राहक सेवा मुहैया कराने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने हेतु पॉलिसी–सेवाओं और दावों के क्षेत्र में व्यापक आधार पर प्रतिस्पर्धाएं नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।
ग्राहक सेवा में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का नीतिगत विकास	सभी 2048 शाखा कार्यालयों को पूरी कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। इनमें से 1700 से अधिक शाखा कार्यालयों को नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है ताकि पॉलिसीधारकों को कहीं से भी प्रीमियम का भुगतान करने की सुविधा दी जा सके।
शाखा कार्यालयों में सेवा गतिविधियों को मॉनीटर करने के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली और ग्राहक सेवा को सुधारने के लिए जवाबदेह सुस्पष्ट प्राधिकार/उत्तरदायित्व निर्धारण की श्रृंखला	सभी कार्यालयों अर्थात् शाखा कार्यालयों, मंडल कार्यालयों आंचलिक कार्यालयों और कानपोरेट कार्यालयों के लिए एक सुस्पष्ट प्रणाली के माध्यम से पालिसीधारकों से संबंधित सेवाओं की आवधिक समीक्षा की जा रही है। प्रत्येक कार्यालय में कार्य योजना को अंतिम रूप देने और समीक्षा की एक व्यवस्था के जरिए प्रबंधन के उच्च स्तर पर महत्वपूर्ण क्षेत्र का निर्धारण तथा उन पर बेहतर कार्रवाई की जाती है।

महाराष्ट्र हेतु विश्व बैंक सहायता

1760. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से विश्व बैंक द्वारा "विशेष ढांचागत समायोजन ऋण" हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर अग्रेषित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने प्रस्ताव की जांच की है और इसे विश्व बैंक को अग्रेषित किया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक से 3750 करोड़ रु. की समकक्ष राशि के 750 मिलियन अमरीकी डॉलर के संरचनात्मक समायोजन ऋण (एसएएल) हेतु अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव की जांच की गई है और एसएएल सहायता के लिए निधियों की सीमित उपलब्धता और बैंक को पहले से ही प्रस्तुत किए गए अन्य राज्यों के प्रस्तावों को देखते हुए विश्व बैंक को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना व्यवहार्य नहीं माना गया है।

जापानी निवेश

1761. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में जापान से प्रत्यक्ष निवेश आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व व्यापक मंदी के बावजूद भारत आर्थिक वृद्धि दर्ज करने वाले कुछ देशों में एक है;

(ग) यदि हां, तो विशेषकर कर्नाटक में और अधिक निवेश किए जाने हेतु जापान कितना सहमत हुआ है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ग) से (ङ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अवस्थिति का निर्धारण नीतिगत, आर्थिक एवं व्यवसाय के माहौल के आधार पर विदेशी निवेशकों के वाणिज्यिक निर्णय द्वारा किया जाता है। निवेश वातावरण के अर्थ में "भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता" के संबंध में विश्व बैंक तथा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संचालित एक संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु को "उत्कृष्ट निवेश माहौल" वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर्नाटक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रमुखतः मारीशस, संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, जापान तथा स्वीडन से प्राप्त हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों के अर्थ में राज्य का स्थान चौथा था।

(ख) भारत उन देशों में से है जिन्होंने विश्व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों में अधोमुखी प्रवृत्ति का परिहार किया है तथा निरंतर आर्थिक वृद्धि दर्ज की है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

1762. श्री शिवाजी माने : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु कोई योजना चलाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और किन व्यवसायों हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन केन्द्रों को केन्द्रवार और राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) क्या सरकार देश में ऐसे और केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जी, हां। यह योजना रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए जनजातीय युवाओं के कौशल का विकास करने के उद्देश्य से वर्ष 1992–93 के दौरान शुरू की गई थी। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों और गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाता है। इस योजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने और उन्हें चलाने के लिए 100% सहायता अनुदान की व्यवस्था है। प्रत्येक केन्द्र को पांच व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करनी पड़ती है और इन केन्द्रों में प्रत्येक केन्द्र में अलग–अलग व्यवसाय होते हैं क्योंकि इनका चयन क्षेत्र की रोजगार संभाव्यता के आधार पर राज्य सरकार/गैर–सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जनजातीय लड़के/लड़की को उनकी रुचि के आधार पर दो व्यवसाय में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय में पाठ्यक्रम की अवधि तीन मास है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को छः मास के अंत में व्यावहारिक अनुभव द्वारा कौशल सीखने के लिए छः मास की अवधि के लिए एक सिद्धहस्त शिल्पकार के साथ रखा जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 350/– रुपए प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति और पूरे पाठ्यक्रम के लिए 1200/– रुपए की कच्ची सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अधिक विवरण मंत्रालय की वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध हैं। इसके विवरण मंत्रालय की वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यू.डब्ल्यू.ट्राइबल.निक.इन.) में भी उपलब्ध है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्रमशः राज्य द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों और गैर–सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों के संबंध में केन्द्रवार, राज्यवार केन्द्रों को निर्मुक्त निधियों की सूचना संलग्न विवरण–I और II में दी गई है।

(घ) और (ङ) यह एक सतत योजना है। इसलिए, मंत्रालय चालू केन्द्रों को चलाने के साथ–साथ और अधिक केन्द्र खोलने पर विचार करेगा। तथापि, इस प्रकार के केन्द्र खोलना, राज्य सरकारों/गैर–सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होंगे।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य का नाम	2000–2001 केन्द्र	2000–2001 निर्मुक्त धनराशि	2001–2002 केन्द्र	2001–2002 निर्मुक्त धनराशि	2002–2003 केन्द्र	2002–2003 निर्मुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	सीथमपेट, श्रीकुलम	14,81,610/–	–	–
		–	–	जीगीराम, विजयनगरम	14,95,110/–	–	–
		–	–	चितापल्ली, विशाखापट्नम	14,81,610/–	–	–
		–	–	मरेदुकिली, ईस्ट गोदावरी	14,68,110/–	–	–
		–	–	येतपाका, खम्माम	15,08,610/–	–	–
		–	–	केरामेरी, आदिलाबाद	10,76,610/–	–	–
		–	–	श्रीसैलम, कुरनुल	12,11,610/–	–	–
		–	–	एथुनगरम, वारंगल	23,96,610/–	–	–
		–	–	कोटा रामचन्द्रपुरम, ईस्ट गोदावरी	23,96,610/–	–	–
2.	असम	–	–	–	–	खासीबाड़ी, गोसाईगांव	4,42,623/–
		–	–	–	–	गुरमोव, रंगिया	4,42,623/–
		–	–	–	–	बगनपारा, नलबाड़ी	4,42,623/–
		–	–	–	–	कापाहेड़ा, मारीगांव	4,42,623/–
		–	–	–	–	नगांव	4,42,623/–
		–	–	–	–	ब्रहमजखिली, गोपालपाड़ा	4,42,623/–

1	2	3	4	5	6	7	8
		–	–	–	–	माजुली	4,42,623/–
		–	–	–	–	धेमाजी	4,42,623/–
		–	–	–	–	लखीमपुर	4,42,623/–
		–	–	–	–	गोहपुर	4,42,623/–
3.	गुजरात	–	–	छोटाउदयपुर, वडोदरा (पुरुष प्रशिक्षण केन्द्र)	6,70,846/–	छोटाउदयपुर, वडोदरा (पुरुष प्रशिक्षण केन्द्र)	2,29,166/–
		–	–	छोटाउदयपुर, वडोदरा (महिला प्रशिक्षण केन्द्र)	7,38,346/–	छोटाउदयपुर, वडोदरा (महिला प्रशिक्षण केन्द्र)	2,29,166/–
		–	–	वंसदा, वलसाद (महिला प्रशिक्षण केन्द्र)	657,346/–	वंसदा, वलसाद (महिला प्रशिक्षण केन्द्र)	2,29,166/–
		–	–	कापर्दा, वलसाद	6,30,346/–	कापर्दा, वलसाद	2,29,166/–
		–	–	दाहोद (पुरुष प्रशिक्षण केन्द्र)	7,38,346/–	दाहोद (पुरुष प्रशिक्षण केन्द्र)	2,29,166/–
		–	–	दाहोद (महिला प्रशिक्षण केन्द्र)	7,38,346/–	दाहोद (महिला प्रशिक्षण केन्द्र)	2,29,166/–
		–	–	राजपीपला, नर्मदा	4,68,346/–	राजपीपला, नर्मदा	2,29,166/–
		–	–	मांडवी, सुरत	5,35,846/–	मांडवी, सुरत	2,29,166/–
		–	–	दांता, बांसकंठा	4,95,346/–	दांता, बांसकंठा	2,29,166/–
		–	–	भिलोडा, साबरकंठा	7,38,346/–	भिलोडा, साबरकंठा	2,29,166/–
		–	–	अंदरखा, साबरकंठा	7,38,346/–	अंदरखा, साबरकंठा	2,29,166/–
		–	–	सोंगध, सुरत	7,38,346/–	सोंगध, सुरत	2,29,166/–
		–	–	डांगघवा, डांग	7,38,346/–	डांगघवा, डांग	2,29,166/–

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	जम्मू–कश्मीर	कंगन, श्रीनगर	6,18,000	कंगन, श्रीनगर	10,07,000/–	कंगन, श्रीनगर	6,71,625/–
						आगलिंग लेह	40,00,000/-
5.	कर्नाटक	–	–	बंगलौर	6,75,000	–	–
		–	–	मैसूर	6,75,000	–	–
		–	–	देवनगेरे	6,75,000	–	–
		–	–	मंगलौर	6,75,000	–	–
		–	–	रायचुर	6,75,000	–	–
		–	–	बेल्लारी	6,75,000	–	–
6.	मिजोरम	लंगलेई	9,63,000	लंगलेई	6,00,000	लंगलेई	12,00,000
		सेरछिप	9,63,000	सेरछिप	6,00,000	सेरछिप	12,00,000
		कोलासिब	9,63,000	कोलासिब	6,00,000	कोलासिब	12,00,000
7.	उड़ीसा	चित्रकोंड	6,34,500	–	–	चित्रकोंड	4,27,667/–
		माताकामबेडा	7,12,146	–	–	माताकामबेडा	4,27,667/–
		कोडिंगा	13,36,500	–	–	कोडिंगा	4,27,667/–
		गोपालपुर, सुन्दरगढ	2,13,281	–	–	गोपालपुर, सुंदरगढ़	4,27,667/–
		बनभूम	13,50,000	–	–	बनभूम	4,27,667/–
		भेजपुर	4,48,577	–	–	भोजपुर	4,27,667/–
		सुनाबेडा	9,18,000	–	–	सुनाबेडा	4,27,667/–

1	2	3	4	5	6	7	8
		कैलाशपुर	8,48,239	–	–	कैलाशपुर	4,27,667/–
		–	–	–	–	नरानपुर	4,27,667/–
		–	–	–	–	बिरकालदिही	4,27,667/–
		–	–	–	–	सरात	4,27,667/–
		–	–	–	–	नालागाज	4,27,667/–
		–	–	–	–	बमनीपुत	4,27,667/–
		–	–	–	–	मोहाने	4,27,667/–
		–	–	–	–	गोपालपुर, कालाहांडी	4,27,667/–
8.	त्रिपुरा	बिश्रामगंज, वेस्ट त्रिपुरा	6,75,000/-	–	–	बिश्रामगंज, वेस्ट त्रिपुरा	6,75,000/–
		केबीआई उदयपुर	6,75,000/-	–	–	केबीआई उदयपुर	6,75,000/–
		बीबीई धर्मपुर, नार्थ त्रिपुरा	6,75,000/-	–	–	बीबीई धर्मपुर, नार्थ त्रिपुरा	6,75,000/–
		कुलाई	6,75,000/-	–	–	कुलाई	6,75,000/–
		मांडी, वेस्ट त्रिपुरा	6,75,000/-	–	–	मांडी, वेस्ट त्रिपुरा	6,75,000/–
		तुलसीखर, वेस्ट त्रिपुरा	6,75,000/-	–	–	तुलसीखर, वेस्ट त्रिपुरा	6,75,000/–
		रुपैचारी, साऊथ त्रिपुरा	6,75,000/-	–	–	रुपैचारी, साऊथ त्रिपुरा	6,75,000/–

1	2	3	4	5	6	7	8
		बैलहोरा, साऊथ त्रिपुरा	6,75,000/-	–	–	बैलहोरा, साऊथ त्रिपुरा	6,75,000/-
9.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	रानीबंध, बांकुरा	6,12,990/-
10.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	सरिया, रायगढ़	9,15,000/-
		–	–	–	–	सरनगढ़, रायगढ़	9,15,000/-
		–	–	–	–	कांकेर	9,15,000/-
		–	–	–	–	नारायणपुर, बस्तर	9,15,000/-
		–	–	–	–	दांतेवाड़ा	9,15,000/-
		–	–	–	–	नागरी, धमतरी	9,15,000/-
		–	–	–	–	कोसा केन्द्र जगदलपुर, बस्तर	9,15,000/-
		–	–	–	–	सा मिल जगदलपुर, बस्तर	9,15,000/-
		–	–	–	–	कोंडागांव, बस्तर	9,15,000/-
		–	–	–	–	दुर्ग	9,15,000/-
		–	–	–	–	रतनपुर, बिलासपुर	9,15,000/-
		–	–	–	–	कुंकुरी, जशपुरनगर	9,15,000/-
		–	–	–	–	रायगढ	9,15,000/-

विवरण-II

(धनराशि रुपयों में)

क्रम सं.	नाम	पता	योजना	वर्षों के दौरान प्रदत्त सहायता 2000–01	2001–02	2002–03
1	2	3	4	5	6	7
राज्य का नाम – आंध्र प्रदेश						
1.	ए.पी. गिरिजन सेवक संघ	चांदमापट, नन्दीगामा – 521185, कृष्णा, आंध्र प्रदेश	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	1325500	723000	1993500
2.	इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एजेंसी	कृष्णा जनपद, रायथूपट, नन्दीगामा – 521185, कृष्णा जनपद, आंध्र प्रदेश	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	1333500	2169000	1297500
3.	प्रियदर्शिनी सर्विस आर्गेनाइजेशन	डी न. 45–56 –9, शालिग्रामपुरम, अक्कयापलेम, विशाखापट्नम–500024	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	963000		
4.	राजेश्वरी महिला मंडली	डी नं. 6/11, सत्यदेव नगर, बाईपास रोड़, अनंतपुर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000
5.	वूमेन अवेयरनेस एंड जनरल एजूकेशन सोसायटी	डी नं. 19, एम.आई.जी. वुडा कॉलोनी, राजीव नगर, विजयवाड़ा, कृष्णा–15	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	1155540		
राज्य का नाम – अरुणाचल प्रदेश						
6.	आर.के. मोसांग मेमोरियल सोसायटी	जयरामपुर जिला – चांगलोंग – 792121	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000
राज्य का नाम – असम						
7.	डॉ. अम्बेडकर मिशन	ग्राम धोपाटारी, पोस्ट–चांगसेरी, जिला–कामरूप	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	1325500	1446000	1419336
8.	ग्राम विकास परिषद्	पोस्ट–जुमारमुर, जिला–नौगांव	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000

1	2	3	4	5	6	7
राज्य का नाम – छत्तीसगढ़						
9.	छत्तीसगढ़ समग्र विकास इंस्टीट्यूट	सी.30, सेक्टर – 1, देवेन्द्र नगर, रायपुर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0	722000	140500
राज्य का नाम–दादरा एंड नगर हवेली						
10.	रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन	आदर्श टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लिम्दावाला, दवाखाना परिसर, स्टेशन रोड़, आनन्द – 388001	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000
राज्य का नाम – गुजरात						
11.	प्रियदर्शनी ग्रामीण एवं आदिवासी सेवाभावी संस्था	संगमनेर, अहमदनगर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000
12.	विवेकानंद ग्रामीण तकनीकी केन्द्र	गुमानदेव पोस्ट कपालसाडी, तालुका झगदिया, जिला भरूच – 393110	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000
13.	जनाना ज्योति एजूकेशनल ट्रस्ट	702, 32वां मेन, 13वीं क्रॉसिंग, जे.पी. नगर, बंगलौर–560078	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000
14.	मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था	डी नं. 4026/9, 10वीं क्रासिंग सिद्ध वीरप्पा, बडावने, देवानगिरी–4	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	248000	923000	1080000
15.	मदर्स केयर एजूकेशनल सोसायटी	2362, एम.आई.जी., थर्ल्ड फेज, बंगलौर–560064	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000
16.	सोशल एजूकेशनल एंड वोकेशनल एसोशिएशन (सेवा)	12.11.61, अरब मोहल्ला, रायचूर–584101	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000

1	2	3	4	5	6	7
राज्य का नाम – मध्य प्रदेश						
17.	अमर महिला एंव बाल उत्थान शिक्षा समिति	श्री नंद किशोर शुक्ला का मकान, ग्राम एवं पोस्ट सरौली, मझगवां, ब्लॉक, सिहोरा, जिला जबलपुर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	963000		
18.	अंकित शिक्षा प्रसार एवं कल्याण समिति	विनय नगर, ग्वालियर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0	82960	1001040
19.	बंधेवाल शिक्षा समिति	92, पुराना नारियल खेड़ा, भोपाल–462038	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	810500	784500	
राज्य का नाम – महाराष्ट्र						
20.	डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर आदिवासी मागासंवर्गीय शिक्षण संस्थान	ग्राम – नवात, अमरावती	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	963000		
21.	कस्तूरबा गांधी ग्रामीण महिला शिक्षण प्रसारक मंडल	ग्राम माना, जिला आकोला–444106	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	963000		
22.	स्वप्न पूर्ति शिक्षण संस्था	बेलोरा, सावलकर भवन, गेडामनगर, यवतमाल–445001	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000
राज्य का नाम – मणिपुर						
23.	हाउबू अकाऊ रूरल डेवलपमेंट सोसायटी (हार्ड)	चिलाव, लियाई, सेनापति	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000
24.	मणिपुर ट्राइबल्स पायनियर एशोसिएशन	मिनूथंग नामदुनलांग, स्टेडियम रोड़, इम्फाल–795001	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र			240000
राज्य का नाम – मेघालय						
25.	नांगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एशोसिएशन	शिलांग	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र			240000

1	2	3	4	5	6	7
राज्य का नाम – नागालैंड						
26.	के.जी. सोसायटी	लेरी, कोहिमा–797001	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	963000		
27.	टीसोकेजी सोसायटी	ग्राम एवं पोस्ट – कोहिमा–797001	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000
28.	विटाले वूमेन सोसायटी	न्यू मार्किट, पोस्ट कोहिमा–797001	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	963000	1269788	1269788
29.	वोखा टाउन वूमेन वेलफेयर सोसायटी	ग्राम सुमंग कॉलोनी, पोस्ट ब्लॉक वोखा, जिला वोखा–797111	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	963000	1446000	
30.	वूमेन वेलफेयर सोसायटी	ग्राम अटाइजू टाउन, पोस्ट–अटाइजू, वाया – अकलुटू जिला जुन्हेबोटा–798627	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र		963000	1446000
राज्य का नाम – उड़ीसा						
31.	ग्लोबल आर्ट एंड कल्चर	एम.3/16, सिविल टाउनशिप राउरकेला–769004, जिला सुंदरगढ़	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0	352500	1331500
32.	इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर स्टडीज	राउरकेला, जिला सुंदरगढ़	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000
33.	विक्टरी	कांटा चक पोस्ट–पल्लाहाट, थाना एवं जिला–खुर्दा–742056	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000
राज्य का नाम – तमिलनाडु						
34.	भरतिहार मक्कल, नलवाल्वू संघम	82, सन्यासी कुण्डू एक्सटेंशन, किचिपलायम, सलेम–639015	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	0		240000
राज्य का नाम – पश्चिम बंगाल						
35.	सद्बुद्धि महिला मंडल	ग्राम–सद्बुद्धि पोस्ट– खालिकपुर, जिला–मिदनापुर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	602500		

[अनुवाद]

कजाकिस्तान के व्यापार प्रतिनिधिमंडल की यात्रा

1763. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कजाकिस्तान के एक प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए हाल में भारत की यात्रा की थी;

(ख) क्या उस प्रतिनिधिमंडल ने कजाकिस्तान में खनिजों के प्रचुर भंडार के कारण विशेषकर ऊर्जा, भेषम, चर्म और हल्के इंजीनियरिंग क्षेत्र में निवेश और कारोबार की संभावना के बारे में भारतीय उद्योग से बातचीत की थी ताकि दोनों देशों को लाभ मिल सके;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कजाकिस्तान द्वारा किए गए प्रस्ताव पर ध्यान दिया है; और

(घ) सरकार का कजाकिस्तान के साथ निवेश और व्यापार में कितनी वृद्धि करने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) ये वार्ताएं व्यावसायिक स्तरों पर आयोजित की गई थीं और इस समय सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) सरकार का प्रयास कजाकिस्तान सहित सी आई एस देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने का रहा है। इस विचार को और अधिक बल देने के उद्देश्य से एग्जिम नीति 2003 के एक भाग के रूप में "फाक्स : सी आई एस कार्यक्रम" की शुरूआत की गई थी। फोक्स: सी आई एस कार्यक्रम का उद्देश्य पहले चरण में कजाकिस्तान सहित सात देशों पर अधिक ध्यान देते हुए सी आई एस क्षेत्र के देशों पर ध्यान केन्द्रित करना है। इस कार्यक्रम का ब्यौरा "ट्रेड प्रमोशन प्रोग्राम्स" शीर्षक के अंतर्गत विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. कामर्स.निक.इन पर उपलब्ध है।

सरकारी बैंकों हेतु पर्यवेक्षक निकाय

1764. श्री अमर राय प्रधान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा मार्ग निर्देश जारी किए जाने के बावजूद राज्य सहकारी बैंकों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंकों और प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियां बडी संख्या में बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अप्रैल 1999 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में सहकारी बैंकों में ऐसी अनियमितताओं की विस्तृत जांच के बारे में एक कृतक बल गठित किया था और क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में सम्पूर्ण पर्यवेक्षण कार्यकरण को हाथ में लेने हेतु एक पृथक पर्यवेक्षण इकाई गठित करने हेतु मौद्रिक और ऋण नीति 2001-2002 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में हर तरह के सहकारी बैंकों हेतु ऐसे पर्यवेक्षक निकायों और कृतक बल गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जैसाकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सूचित किया गया है, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, राज्य सहकारी बैंकों (एस सी बी), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी सी सी बी), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एस सी ए आर डी बी) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पी सी ए आर डी बी) के कुल बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में सकल अनुपयोज्य आस्तियां (एन पी ए) निम्नानुसार हैं:

एजेंसी	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
एस सी बी	10.94	13.02	13.61

1	2	3	4
डी सी सी बी	17.28	17.86	19.01
एस सी ए आर डी बी	18.80	20.40	18.50
पी सी ए आर डी बी	20.10	24.30	30.40

(ग) से (ङ) सरकार ने देश में सहकारी ऋण ढांचे के कार्यकरण का अध्ययन करने और उसे मजबूत बनाने के उपायों का सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप–गवर्नर श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता में अप्रैल 1999 में एक कृतिक बल का गठन किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अलग पर्यवेक्षी निकाय की स्थापना करने के लिए वर्ष 2001–2002 की मौद्रिक नीति में प्रस्ताव किया था, जो शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित समस्त निरीक्षण/पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों को संभालेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में प्रचलित दोहरे नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए सरकार को शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए अन्य शीर्ष निकाय स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि राज्य सहकारी समितियों के अधिनियमों में विधायी परिवर्तन किए बिना शीर्ष निकाय, जैसा कि सुझाव दिया गया है, को उन्हीं विधायी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, जिनका आज भारतीय रिजर्व बैंक को सामना करना पड़ रहा है। अतः राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे राज्य सहकारी समिति अधिनियम में आदर्श सहकारी अधिनियम के अनुरूप परिवर्तन करें। इसके साथ–साथ, सहकारी ऋण प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए उपाय करने के अलावा, केन्द्रीय सरकार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक परिवर्तन करने का भी प्रयास कर रही है, ताकि सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सके।

असम चाय उद्योग में संकट

1765. श्री एम. के. सुब्बा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में चाय उद्योग संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो असम में चाय उद्योग को किस विशेष स्थिति का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या असम सरकार ने स्थिति से निपटने हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा स्थिति से निपटने हेतु असम को कितनी अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी, हां। असम सहित भारतीय चाय उद्योग पिछले कुछ वर्षों से कीमतों में लगातार गिरावट के साथ–साथ उत्पादन की अधिक लागत और मांग में कमी के कारण संकटों का सामना कर रहा है।

(ग) और (घ) इस स्थिति से निपटने के लिए असम सरकार से प्राप्त सुझावों में चाय के शत प्रतिशत उत्पादन पर नीलामी प्रणाली लागू करना, केन्द्र सरकार की गरीबी रेखा से नीचे वाली स्कीम के अंतर्गत चाय बागानों में नियुक्त श्रमिकों की खाद्य आवश्यकताओं को सब्सिडी प्राप्त दरों पर पूरा करना, चाय की हरी पत्तियों पर उपकर को कम करने अथवा माफ करने के लिए केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति करना, चाय उद्योग को उत्पाद शुल्क लगाने से छूट देना और ऋण देने की प्रारंभिक ब्याज दरों पर चाय बागानों को बैंक ऋण उपलब्ध कराना शामिल हैं।

(ङ) असम चाय उद्योग को कोई अलग सहायता अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है। तथापि, टी बोर्ड द्वारा देश में उत्पादित चाय की उत्पादकता गुणवत्ता और विपणनीयता में बढ़ोत्तरी करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न विकासात्मक स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जो असम चाय उद्योग पर भी लागू है।

राज्यों का "जीरो बेस्ड बजट"

1766. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी एक राज्य को केन्द्र सरकार से 'जीरो बेस्ड बजट' बनाने की हरी झंडी मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे बाकी सभी राज्यों में शुरू किए जाने वाला है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य से कर्ज से 'जीरो बेस्ड बजट' को जोड़ने या तोड़ने हेतु कोई तंत्र तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) अपनी वित्त व्यवस्था के प्रबंधन की जिम्मेवारी बुनियादी तौर पर राज्य सरकारों की होती है, जिसके लिए वे अपनी-अपनी विधायिकाओं के प्रति जवाबदेह होती हैं। 'शून्य आधारित बजट' अपनाने के लिए राज्यों को भारत सरकार की सहमति लेने की जरूरत नहीं है, इस संबंध में वे स्वयं ही निर्णय ले सकती हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंक कर्मचारियों को पेंशन

1767. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 1995 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन सुविधा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणामस्वरूप राजकोष पर कितना वित्तीय बोझ आयेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमों को दिनांक 29.9.1995 को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित करवाया गया था। उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन लेने या उस समय विद्यमान अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना जारी रखने के विकल्प का प्रयोग करना था जो अधिसूचित तारीख से पूर्व बैंकों की सेवा में थे और अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में थे। ऐसा ही विकल्प उन कर्मचारियों को भी प्रदान किया गया था जो 1.1.1986 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में थे और अधिसूचित तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए। लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारियों ने पेंशन का विकल्प दिया और शेष कर्मचारियों ने सीपीएफ योजना जारी रखने का विकल्प दिया।

यद्यपि, उन कर्मचारियों की ओर से निरंतर मांग की जा रही है जिन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर पेंशन का विकल्प नहीं दिया था, फिर भी सरकार द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उस पर विचार नहीं किया जा सका कि विद्यमान सदस्यों के संबंध में पेंशन निधि कार्य बैंकों के लिए एक खर्चीला प्रस्ताव साबित हुआ है। जीवनांककीय (एक्चुरियल) परिकलनों के अनुसार, पेंशन के लिए नया विकल्प देने के लिए 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार अनुमानित लागत 10,160 करोड़ रुपए थी। बैंकों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत मांग को स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

हथकरघा क्षेत्र को स्वास्थ्य पैकेज योजना

1768. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य पैकेज योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से लाभान्वित होने वाले हथकरघा बुनकरों की संख्या क्या है; और

(ग) वित्त वर्ष 2002-2003 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) जी, हां। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश में हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य पैकेज योजना कार्यान्वित कर रही है।

(ख) वर्ष 1992-93 में योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में 68,759 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है।

(ग) योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को

निधियां प्रतिपूर्ति आधार पर जारी की जाती हैं। राज्य सरकार से जैसे ही बुनकरों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किए जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निधियों की अवमुक्ति हेतु उन पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

नोटरी पब्लिक की नियुक्ति

1769. डा. चरणदास महन्त : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने नोटरी पब्लिक की नियुक्ति हेतु क्या मानदंड तय किए हैं;

(ख) सरकार को 1 नवम्बर, 2002 से नोटरी पब्लिक की नियुक्ति हेतु राज्य–वार कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) इन आवेदनों में से कितने लोगों को नोटरी पब्लिक नियुक्त किया गया;

(घ) क्या पहले आओ, पहले पाओ आधार पर नोटरी पब्लिक की नियुक्ति की जाती है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) किसी नोटेरी पब्लिक को नियुक्त करने संबंधी मानदंड नोटेरी अधिनियम, 1952 और नोटेरी नियम, 1956 के अधीन अधिकथित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार और साथ ही राज्य सरकारें भी नोटरियों को नियुक्त करने के लिए सशक्त हैं। केन्द्रीय सरकार को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए नोटेरी नियुक्त करने की शक्ति है, जबकि कोई राज्य सरकार संबंधित संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए नोटेरियों की नियुक्ति करने के लिए सशक्त है। नोटेरी नियमों के नियम 3 के अधीन, विधि व्यवसायियों में से कोई व्यक्ति नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है, यदि वह उस रूप में दस वर्ष तक व्यवसाय करता रहा है। यदि नोटेरीशिप का आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का व्यक्ति है या कोई महिला है तो नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्त सात वर्ष का विधि व्यवसाय है। ऐसा कोई व्यक्ति भी नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है, यदि वह केन्द्रीय सरकार के अधीन भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है या वह दस वर्ष के लिए न्यायिक सेवा का सदस्य है या अधिवक्ता के रूप में नामांकन के पश्चात् उसने केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कोई पद धारण किया है या उसने जज एडवोकेट जनरल के विभाग में या सशस्त्र बलों के विधि विभाग में कोई पद धारण किया है। पात्र व्यक्ति नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए विहित प्रारूप अर्थात् अवोदन पत्र में आवेदन कर सकते हैं, जिसे किसी मजिस्ट्रेट, बैंक प्रबंधक, वाणिज्यिक और दो प्रसिद्ध स्थानीय निवासियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना होता है। तत्पश्चात्, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी आवेदन पत्र की जांच करता है और उस राज्य विधिज्ञ परिषद् से, जहां आवेदनकर्ता अधिवक्ता के रूप में नामांकित है, टीका–टिप्पणियों/आक्षेपों की मांग करता है। आवेदक से भी यह कथन करने वाला एक शपथ–पत्र देने का अनुरोध किया जाता है कि वह न तो किसी राज्य सरकार द्वारा पहले से नियुक्त किया गया नोटेरी है, न ही नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए उसका आवेदन संबंधित राज्य सरकार के पास लंबित है और विधि व्यवसाय के वांछित क्षेत्र में न्यायलयों और नोटेरियों की संख्या बताने को भी कहा जाता है। प्राप्त हुए आक्षेपों और नोटेरी नियमों के नियम 7 में वर्णित विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, आवेदक की नियुक्ति के लिए या अन्यथा के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाता है। केन्द्रीय सरकार, सक्षम अधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, उस पर विचार करने के पश्चात् उपयुक्त विनिश्चय करती है।

(ख) और (ग) 1 नवम्बर, 2002 से नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा प्राप्त किए गए राज्यवार आवेदनों और इन आवेदनों में से नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ड) प्रत्येक आवेदन पर इसके अपने गुणागुण के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्राप्त हुए आवेदन	नियुक्त किए गए नोटेरी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	09	–
2.	असम	–	–
3.	बिहार	18	–
4.	गुजरात	24	03
5.	केरल	35	01
6.	मध्य प्रदेश	16	01
7.	तमिलनाडु	13	–
8.	महाराष्ट्र	94	21
9.	कर्नाटक	55	04
10.	उडीसा	01	–
11.	पंजाब	80	08
12.	राजस्थान	46	10
13.	उत्तर प्रदेश	127	24
14.	पश्चिमी बंगाल	20	04
15.	जम्मू–कश्मीर	–	–
16.	नागालैंड	–	–
17.	हरियाणा	83	12
18.	हिमाचल प्रदेश	–	–
19.	मणिपुर	–	–
20.	त्रिपुरा	01	–
21.	मेघालय	–	–
22.	सिक्किम	–	–
23.	मिजोरम	–	–
24.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
25.	गोवा	–	–
26.	उत्तरांचल	03	–
27.	छत्तीसगढ़	02	–
28.	झारखंड	–	–
29.	दिल्ली	35	04
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–
32.	दादरा और नागर हवेली	–	–
33.	दमन और दीव	–	–
34.	पांडिचेरी	–	–
35.	चडीगढ	02	–

भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

1770. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने देश की वित्तीय और आर्थिक विकास की निराशाजनक तस्वीर पेश की है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के तथ्य क्या है; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा जिन समस्याओं का उल्लेख किया गया है उनसे निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने 14 जुलाई, 2003 को जारी "इंडिया: सस्टैनिंग रिफार्म रिड्यूसिंग पॉवर्टी" नामक अपनी विकास नीति समीक्षा में पिछले दो

दशकों के दौरान भारत के विकास–दर में वृद्धि को बड़े देशों में विश्व की अधिकतम वृद्धि दर में से एक मानते हुए केन्द्र और राज्यों की लगातार खराब वित्तीय स्थिति पर चिन्ता प्रकट की है। समीक्षा में विचार व्यक्त किया गया है कि बढ़ते हुए घाटे और अत्याधिक सार्वजनिक व्यय ने विकास को बढ़ाने तथा गरीबी कम करने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है।

(ग) सरकार वित्तीय घाटे को कम करने और उत्पादक प्रयोजनों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के प्रति सचेत है। वित्तीय समेकन, केन्द्रीय बजट 2003–04 में निहित पांच प्राथमिकताओं में से एक है। बजट में निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक धन में वृद्धि करके आधारढांचा सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने, निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देने और वित्तीय समेकन के उपाय किए जाने जैसे कई कदमों का प्रस्ताव किया गया है। इन उपायों से देश के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।

कॉफी हाउस

1771. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी बोर्ड पूरे देश में मॉल और शापिंग काम्पलैक्सो में कॉफी हाउसों की स्थापना को प्रोत्साहित कर । है;

(ख) क्या कॉफी बोर्ड ऐसे उद्यमियों के प्रतिष्ठानों का प्रचार करके उनकी मदद भी कर रहा है;

(ग) देश में भारतीय कॉफी के उपभोग को बढाने हेतु कॉफी बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या देश के अन्दर कॉफी की बिक्री बढाने हेतु कम्पनियों को कोई रियायत अथवा उत्पाद शुल्क में छूट अथवा अन्य वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) कॉफी बोर्ड अब कॉफी के विपणन संबंधी कार्यकलापों में शामिल नहीं है। तथापि, बोर्ड निजी कॉफी उद्यमियों के लाभार्थ अलग–अलग स्थानों पर कॉफी शास्त्र पाठ्यक्रमों के संचालन द्वारा कॉफी के रोस्टिंग तथा ब्रीविंग के संबंध में गहन प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। बोर्ड उपजकर्ताओं की सहकारी संस्थाओं को ब्रांड निर्माण एवं विपणन के लिए भी सहायता उपलब्ध कराता है।

(ग) कॉफी की घरेलू खपत के संवर्धन हेतु बोर्ड ने भारतीय शहरों में एक बाजार अनुसंधान अध्ययन किया और इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर कॉफी की घरेलू खपत बढ़ाने के लिए बोर्ड निम्नलिखित कदम उठा रहा हैः–

- प्रमुख राष्ट्रीय पर्वों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।
- विश्व स्तरीय प्रचार संवर्धन सामग्री तैयार करना।
- देश भर में कॉफी पर्वो का आयोजन करना।
- बोर्ड के संवर्धन एककों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपभोक्तओं के अनुकूल कॉफी बनाने की मशीनों/पर्कोलेटरों की बिक्री।
- जन संपर्क अभियानों के माध्यम से आक्रामक जेनेरिक संवर्धन संबंधी प्रयास करना।
- कॉफी ब्लेड बनाने, इसे आकर्षक निर्वात पैक्ड पाउचों में पैक करने तथा बोर्ड के संवर्धन एककों के जरिए बिक्री करने और उपजकर्ताओं की सहकारी संस्थाओं/संकायों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए बोर्ड में उच्च तकनीक वाली रोस्टिंग एवं पैकेजिंग सुविधा की स्थापना करना।

(घ) और (ड) कॉफी की घरेलू बिक्रियों को बढ़ाने के लिए बोर्ड निजी उद्यमियों द्वारा कॉफी की बिक्री मशीनों की खरीद के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दे रहा है।

विदेशी फंडों द्वारा निवेश

1772. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी द्वारा भारतीय बाजार में विदेशी फंडों के माध्यम से किए ज़ा रहे निवेश की प्रक्रिया पर सूक्ष्म नजर रखी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेबी ने वर्ष 2003–2004 में अब तक किसी विदेशी फंड के माध्यम से की जा रही अवैध गतिविधि का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो निवेश के वे कौन से बड़े क्षेत्र हैं जहां विदेशी फंडों की बड़ी भूमिका है;

(घ) विदेशी फंड किस हद तक हमारे शेयर बाजार के उतार–चढ़ाव को निर्धारित करेंगे;

(ङ) क्या सेबी ने यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं कि विदेशी फंड सच्चे अर्थों में तत्संबंधी कानून का पालन करें; और

(च) यदि हां, तो सेबी द्वारा उठाए गए सुरक्षात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) तथा उनके उप–खातों के संबंध में निवेश डाटा का अनुरक्षण करता है। सेबी (विदेशी संस्थागत निवेशक) विनियम, 1995 के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक घरेलू अभिरक्षकों के माध्यम से स्वयं अपने खाते में या अपने उप–खातों की ओर से किए गए लेनदेनों की सेबी को दैनिक सूचना सुनिश्चित करेंगे। सेबी अपवादात्मक आधार पर तथा एक्सचेंज के कार्यकरण के माध्यम से तथा एक्सचेंज सामान्य निगरानी कार्यों के भाग के रूप में बाजार से किसी असामान्य या असाधारण कारोबार गतिविधि पर नज़र रखते हैं। यह स्टॉक बाजार में कारोबार की समग्र निगरानी पर प्रयोज्य है तथा एफआईआई गतिविधि के लिए विशिष्ट नहीं है।

सेबी को अभी तक वर्ष 2003–2004 में विदेशी संस्थागत निवेश्कों द्वारा किसी अवैध गतिविधि का पता नहीं लगा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सेबी द्वारा दैनिक आधार पर एकत्रित डाटा के अनुसार, अप्रैल, 2003 से जून, 2003 के दौरान एफआईआई तथा उनके उपखातों का सकल टर्न ओवर (क्रय तथा विक्रय) 29,745 करोड़ रुपये है, जबकि इसी अवधि के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का टर्नओवर (एक पक्षीय) 233,513 करोड़ रुपये था। चूंकि समग्र एफआईआई टर्नओवर कुल बाजार टर्नओवर का एक लघु प्रतिशत है, स्टॉक एक्सचेंजों का उतार–चढ़ाव इससे प्रभावित नहीं होगा।

(ङ) और (च) जी, हां। एफआईआई उप–खातों द्वारा भारतीय बाजारों में उचित लेन–देन सुनिश्चित करने के लिए सेबी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः

(i) एफआईआई/उप–खाता–निवेश सीमाएं:–

श्रेणी	सीमा
एफआईआई उप–खाते (विदेशी कार्पोरेटों तथा विदेशी व्यष्टियों के सिवाए)	निवेशिती कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 10%
उप–खाते–विदेशी कार्पोरेटों तथा विदेशी व्यष्टि	प्रदत्त पूंजी का 5%
सभी एफआईआई तथा उप–खाते मिलाकर	प्रदत्त पूंजी का/24%, 49% /क्षेत्रक सीमा तक

(ii) एफआईआई निवेश प्रतिबंध

- एफआईआई केवल खरीदी तथा बेची गई प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेने तथा देने के आधार पर ही व्यवसाय का लेनदेन करेंगे।
- एफआईआई प्रतिभूतियों की कोई अल्प बिक्री नहीं करेंगे।
- प्रतिभूतियों में एफआईआई के लेनदेन केवल पंजीकृत स्टॉक दलालो के माध्यम से ही किए जाएंगे।

(iii) सेबी बोर्ड ने हाल ही में 24 जुलाई, 2003 को हुई अपनी बैठक में सेबी (विदेशी संस्थागत निदेशक), विनियम, 1995 में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित प्रावधानों को अनुमोदित किया है:–

- विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए आचार संहिता;
- एफआईआई अपने द्वारा या अपने संबद्ध व्यक्तियों के द्वारा की गई आफ–शेयर व्युत्पन्न लिखतों यथा सहभागिता

नोट, इक्विटी सहबद्ध नोट या किन्हीं ऐसी लिखतों, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, की शर्तों तथा पक्षकारों में संबंधित जानकारी का, जब और जैसे चाहे जिस रूप में बोर्ड अपेक्षा करे पूर्ण प्रकटन करेंगे।

राज्य परियोजनाओं हेतु बाहरी सहायता

1773. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना और दसवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान देश में राज्य परियोजनाओं हेतु केन्द्र सरकार ने विभिन्न विदेशी एजेंसियों से कितनी धनराशि प्राप्त की है;

(ख) एजेंसी/देश का परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कुल ऋण पर केन्द्र सरकार द्वारा कितना ब्याज देय है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) देश में राज्य परियोजनओं के लिए केन्द्र सरकार को नौवीं पंचवर्षीय योजना और दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष (अर्थात् 2002–03) के दौरान क्रमशः 37,368.09 करोड़ रु. और 8,359.01 करोड़ रु. प्राप्त हुए।

(ख) अभिकरण/देश, परियोजना–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने विदेशी ऋण पर ब्याज के रूप में 21675.33 करोड़ रु. का भुगतान किया है। वर्ष 2002–03 के दौरान ब्याज भुगतान के लिए संशोधित अनुमान 4842.33 करोड़ रु. है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	देश/ एजेंसी	के दौरान संवितरण (करोड़ रु.)	
			नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–98 से 2001–2002)	2002–03
1	2	3	4	5
ऋण				
1.	लघु सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र	जर्मनी	81.85	1.74
2.	उडीसा लिफ्ट सिंचाई	जर्मनी	38.45	0.17
3.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति	जर्मनी	27.07	0.00
4.	उरण गैस संयंत्र का पुनः सुधार, महाराष्ट्र	जर्मनी	0.00	0.25
5.	ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता, महाराष्ट्र	जर्मनी	0.00	2.76
6.	जीटीटीसी, कर्नाटक (105 मि.फ्रांसीसी फ्रांक)	फ्रांस	7.79	1.28
7.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुधार, कर्नाटक	फ्रांस	9.14	19.21
8.	बंगलौर जलापूर्ति एवं मल–निपटान बोर्ड	फ्रांस	0.00	1.31

1	2	3	4	5
9.	इम्फाल मल–निपटान	फ्रांस	0.00	8.83
10.	जयपुर हेतु जल प्रबंधन	फ्रांस	0.62	3.69
11.	सिक्किम में नामची अस्पताल का आधुनिकीकरण	फ्रांस	3.32	1.24
12.	समुद्रतल ब्रीडिंग कल्चर, तमिलनाडु	फ्रांस	0.87	0.80
13.	एस.जीपीजीआई. उत्तर प्रदेश–चिकित्सा उपस्करों की आपूर्ति एवं कार्यान्वयन	फ्रांस	17.05	1.41
14.	105 मि.फ्रांसिसी फ्रांक प्रोटोकोल	फ्रांस	0.00	4.23
15.	सीएमसी लि. कोलकाता	फ्रांस	11.09	7.72
16.	आंध्र प्रदेश डेयरी विकास सहकारी समिति लि.	फ्रांस	10.29	0.00
17.	गुजरात में बांधों पर फ्यूजगेट प्रणाली	फ्रांस	23.33	0.00
18.	सड़क सुधार हेतु विस्तृत अध्ययन, मणिपुर	फ्रांस	4.93	0.00
19.	कांगचुप जलापूर्ति का उन्नयन/वर्धन	फ्रांस	21.84	0.00
20.	भूमिगत जल अन्वेषण परियोजना, इम्फाल	फ्रांस	2.97	0.00
21.	अक्षार जल मे झींगा उत्पत्तिशाला की स्थापना, महाराष्ट्र	फ्रांस	1.63	0.00
22.	अक्षार जल में झींगा उत्पत्तिशाला की स्थापना, गुजरात	फ्रांस	1.47	0.00
23.	भारती भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग सी एल	फ्रांस	7.02	0.00
24.	श्रीसायलन विद्युत पारेषण प्रणाली, आंध्र प्रदेश (आईडीपी–85)	जापान	78.84	0.00
25.	श्रीसायलम लैफ्ट बैंक पीएसपी II	जापान	375.62	0.00
26.	श्री सायलम लैफ्ट बैंक टीपीएस	जापान	273.56	0.00
27.	कोठागुंडम "ए" टीपीएस	जापान	109.55	2.27
28.	सिंहाद्रि एवं विजाग पारेषण प्रणाली	जापान	364.23	28.31
29.	श्री सायलम लैफ्ट बैंक विद्युत केन्द्र	जापान	534.50	58.84
30.	सिंहाद्रि एवं विजाग पारेषण प्रणाली परियोजना–II	जापान	0.00	74.70
31.	कुरनूल–कुडप्पा नहर का आधुनिकीकरण	जापान	198.63	204.21
32.	छत्तीसगढ़ रेशमकीट पालन	जापान	18.42	4.59

1	2	3	4	5
33.	गुजरात वनरोपण एवं विकास	जापान	285.93	20.58
34.	पिपावव पत्तन शिपब्रेकिंग	जापान	230.74	0.00
35.	पूर्वी कर्नाटक वनरोपण	जापान	376.09	84.51
36.	बंगलौर जलापूर्ति एवं मल–निपटान	जापान	453.90	128.29
37.	मैसूर पेपर मिल	जापान	59.28	0.00
38.	आट्टापाडी बंजरभूमि व्यापक पर्यावरण	जापान	13.25	10.35
39.	मणिपुर रेशमकीट पालन	जापान	18.79	0.47
40.	उमियाम जलविद्युत केन्द्र का सुधार	जापान	52.33	11.71
41.	घाटकर टीपी परियोजना	जापान	269.82	163.83
42.	भोपाल झील संरक्षण एवं प्रबंधन	जापान	126.69	27.38
43.	राजघाट नहर सिंचाई	जापान	180.86	69.30
44.	रेंगली सिंचाई	जापान	136.00	47.87
45.	गंधार गैस आधारित सी.सी.वी.	जापान	–0.02	0.00
46.	पंजाब वनरोपण	जापान	203.92	·37.41
47.	वनरोपण विकास–इंदिरा गांधी नहर	जापान	89.60	0.00
48.	अरावली पहाड़ियों में वनरोपण	जापान	113.79	0.00
49.	राजस्थान वानिकी विकास	जापान	123.12	0.93
50.	तमिलनाडु वनरोपण	जापान	345.89	71.31
51.	चेन्नई मल–निपटान आर एंड एफ	जापान	44.50	0.00
52.	अन्पारा बी.टी.पी. परियोजना	जापान	283.95	46.8F
53.	अन्पारा विद्युत पारेषण प्रणाली–II	जापान	245.36	0.00
54.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, पश्चिम बंगाल	जापान	13.90	19.51
55.	तीस्ता नहर जल विद्युत परियोजना (आईडीपी–072)	जापान	68.26	0.00
56.	बक्रेश्वर टीपीएस एवं विस्तार परियोजना	जापान	280.01	0.00

1	2	3	4	5
57.	पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना	जापान	242.82	108.12
58.	बक्रेश्वर टीपीएस एवं विस्तार परियोजना–II	जापान	1072.56	111.59
59.	बक्रेश्वर टीपीएस एवं विस्तार परियोजना–III	जापान	291.97	33.50
60.	पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना–II	जापान	0.00	5.00
61.	कोलकाता परिवहन आधारभूत ढांचा विकास	जापान	104.23	53.65
62.	तीस्ता नहर जल–विद्युत परि. (आईडीपी–040)	जापान	10.92	0.00
63.	पुरूलिया पम्पाचालित भण्डारण	जापान	208.21	131.05
64.	कालीनदी जल–विद्युत परियोजना	कुवैती निधि	12.08	0.00
65.	गुजरात स्वास्थ्य देखरेख हेतु "ओरेट" ऋण	नीदरलैण्ड्स	128.93	0.00
66.	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास (1803 एनडी)	एडीबी	240.71	0.00
67.	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास (1804 एनडी)	एडीबी	10.84	40.32
68.	गुजरात सहकारी क्षेत्र संसाधन	एडीबी	683.20	0.00
69.	गुजरात भूकंप पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण	एडीबी	[illegible].54	122.52
70.	कर्नाटक शहरी आधारभूत ढांचा विकास	एडीबी	217.13	32.95
71.	कर्नाटक शहरी विकास एवं तटीय पर्यावरण प्रबंधन	एडीबी	7.02	11.78
72.	केरल में सरकार का आधुनिकीकरण एवं राजकोषीय सुधार	एडीबी	0.00	481.00
73.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास	एडीबी	9.75	17.89
74.	मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास	एडीबी	0.00	57.76
75.	मध्य प्रदेश जन संसाधन प्रबंधन	एडीबी	801.25	357.23
76.	द्वितीय सड़क परियोजना	एडीबी	283.81	0.00
77.	राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास	एडीबी	6.04	78.46
78.	द्वितीय उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत परियोजना	एडीबी	101.96	0.00
79.	पश्चिम बंगाल गलियारा विकास	एडीबी	0.00	10.09
80.	कोलकाता पर्यावरण सुधार	एडीबी	0.00	19.59

1	2	3	4	5
81.	आंध्र प्रदेश आपदा उपशमन	आईबीआरडी	75.07	70.08
82.	आंध्र प्रदेश विद्युत पुनर्सरचना	आईबीआरडी	567.55	189.47
83.	आंध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग	आईबीआरडी	821.75	433.77
84.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्सरचना	आईबीआरडी	742.52	28.81
85.	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार	आईबीआरडी	608.75	0.00
86.	आंध्र प्रदेश सिंचाई–III	आईबीआरडी	0.00	273.64
87.	दिल्ली जलापूर्ति एवं स्वच्छता	आईबीआरडी	1.38	1.43
88.	गुजरात राज्य राजमार्ग	आईबीआरडी	186.66	144.53
89.	हरियाणा विद्युत क्षेत्र पुनर्निर्माण	आईबीआरडी	152.18	0.00
90.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार	आईबीआरडी	103.83	79.64
91.	कर्नाटक आर्थिक पुनर्सरचना	आईबीआरडी	353.18	0.00
92.	कर्नाटक आर्थिक पुनर्सरचना कार्यक्रम–II	आईबीआरडी	243.50	0.00
93.	केरल राज्य परिवहन	आईबीआरडी	0.00	83.24
94.	मुम्बई मल–निपटान	आईबीआरडी	433.50	106.43
95.	मुम्बई शहरी परिवहन	आईबीआरडी	2.68	98.73
96.	उत्तर प्रदेश विविधीकरण कृषि सहायता	आईबीआरडी	0.00	133.62
97.	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी–II)	आईबीआरडी	3.69	129.74
98.	नाथ्पा झाकडी विद्युत परियोजना	आईबीआरडी	301.59	–44.81
99.	राज्य सड़क आधारभूत ढांचा विकास	आईबीआरडी	173.09	–3.01
100.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता	आईबीआरडी	96.95	28.38
101.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्सरचना	आईबीआरडी	648.72	146.71
102.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्सरचना (4594–आईएन)		97.87	144.43
103.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्सरचना (पी 2350–आईएन)	आईबीआरडी	–1.27	0.00
104.	तमिलनाडु कृषि विकास	आईबीआरडी	39.38	0.00

1	2	3	4	5
105.	द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास	आईबीआरडी	339.51	10.98
106.	द्वितीय चेन्नई जलापूर्ति	आईबीआरडी	284.96	29.92
107.	उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	आईबीआरडी	272.78	227.01
108.	उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना अग्रिम	आईबीआरडी	−6.39	0.00
109.	उत्तर प्रदेश राजकोषीय सुधार एवं सहकारी क्षेत्र पुनर्संरचना	आईबीआरडी	560.83	0.00
110	कोलकाता जलापूर्ति, मल निपटान एवं जल निकासी	आईबीआरडी	3.88	0.36
111.	शिमला मल निपटान	ओपेक	27.64	16.01
112.	रायचूर जिला अस्पताल	ओपेक	29.54	0.00
113.	केरल वर्षा पोषित कृषि विकास	ओपेक	10.32	0.00
114.	रीवा अस्पताल	ओपेक	43.68	0.00
115.	बस्ती जिला अस्पताल	ओपेक	18.00	0.00
116.	आंध्र प्रदेश आपदा उपशमन एवं सीआरपी	आईडीए	374.03	4.15
117.	आंध्र प्रदेश जिला निर्धनता उन्मूलन उपाय	आईडीए	24.73	83.97
118.	आंध्र प्रदेश वानिकी	आईडीए	225.68	0.00
119.	आंध्र प्रदेश सामुदायिक वानिकी प्रबंधन	आईडीए	0.00	12.00
120.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना	आईडीए	521.88	280.67
121.	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली	आईडीए	134.59	0.59
122.	आंध्र प्रदेश आर्थिक कार्यक्रम	आईडीए	615.25	0.00
123.	आंध्र प्रदेश सिंचाई	आईडीए	574.71	27.16
124.	असम ग्रामीण अवसंरचना	आईडीए	313.55	62.62
125.	बिहार पठार विकास	आईडीए	297.60	0.00
126.	गुजरात आपात भूकंप पुनर्निर्माण	आईडीए	0.00	421.96
127.	हरियाणा जल संसाधन समेकन	आईडीए	801.05	26.79
128.	कर्नाटक जलसंभर विकास	आईडीए	14.39	1.98

1	2	3	4	5
129.	कर्नाटक सामुदायिक जलाशय प्रबंधन	आईडीए	0.00	14.58
130.	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना	आईडीए	355.93	0.00
131.	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम–II	आईडीए	247.31	0.00
132.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता	आईडीए	260.83	0.00
133.	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता	आईडीए	0.00	22.14
134.	केरल ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता	आईडीए	45.35	12.71
135.	केरल वानिकी	आईडीए	78.37	35.42
136.	महाराष्ट्र वानिकी	आईडीए	203.50	0.00
137.	मुम्बई शहरी परिवहन	आईडीए	0.00	85.56
138.	मध्य प्रदेश वानिकी	आईडीए	179.83	0.00
139.	मध्य प्रदेश जिला निर्धनता उन्मूलन उपाय	आईडीए	20.77	22.34
140.	झींगा एवं मत्स्य पालन	आईडीए	58.17	0.00
141.	कृषि मानव संसाधन विकास	आईडीए	198.19	5.31
142.	उत्तर प्रदेश विविधिकृत कृषि सहायता	आईडीए	205.98	18.65
143.	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी–II)	आईडीए	291.96	6.75
144.	वानिकी अनुसंधान शिक्षा एवं विस्तार	आईडीए	77.02	0.03
145.	उत्तर प्रदेश वानिकी	आईडीए	137.31	52.41
146.	तकनीकी शिक्षा	आईडीए	271.79	0.00
147.	द्वितीय तकनीकी शिक्षा	आईडीए	501.98	0.00
148.	द्वितीय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास	आईडीए	720.80	248.06
149.	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास	आईडीए	19.38	41.69
150.	तृतीय तकनीकी शिक्षा	आईडीए	16.99	25.87
151.	तकनीकी/इंजीनियरी शिक्षा गुणवत्ता सुधार	आईडीए	0.00	28.57
152.	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी)	आईडीए	4.50	0.00

1	2	3	4	5
153.	बांध सुरक्षा	आईडीए	211.94	0.00
154.	जल विज्ञान परियोजना	आईडीए	272.45	93.04
155.	मिजोरम राज्य सड़क	आईडीए	0.00	19.15
156.	उडीसा स्वास्थ्य प्रणाल विकास	आईडीए	54.46	33.69
157.	उडीसा जल संसाधन समेकन भाग ज	आईडीए	61.93	55.15
158.	उडीसा जल संसाधन समेकन	आईडीए	557.75	67.17
159.	कृषि विकास राजस्थान	आईडीए	165.78	0.00
160.	राजस्थान जिला निर्धारण उपशमन उपाय	आईडीए	1705.91	6.99
161.	राजस्थान द्वितीय जिला निर्धारण उपशमन उपाय	आईडीए	21.43	51.81
162.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	आईडीए	24.36	1.91
163.	द्वितीय तमिलनाडु पोषण परियोजना	आईडीए	2.01	0.00
164.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परि.	आईडीए	604.23	162.37
165.	उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि सुधार परियोजना	आईडीए	137.76	162.37
166.	उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि सुधार परियोजना–II	आईडीए	237.72	157.73
167.	उत्तर प्रदेश राजकोषीय सुधार एवं सहकारी क्षेत्र पुनर्संरचना	आईडीए	546.21	0.00
168.	उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना	आईडीए	305.61	0.00
169.	उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना–II	आईडीए	253.78	0.00
170.	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास	आईडीए	65.12	83.89
171.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र परियोजना–II	आईडीए	24.36	2.39
172.	आंध्र प्रदेश सहभागिता जनजातीय विकास परियोजना	आईएफएडी	51.57	23.60
173.	आंध्र प्रदेश सहभागिता जनजातीय विकास परियोजना	आईएफएडी	34.08	0.00
174.	मेवात क्षेत्र विकास परियोजना	आईएफएडी	20.22	9.14
175.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋणपत्र	आईएफएडी	76.29	0.67
176.	झारखंड–छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास परियोजना	आईएफएडी	4.72	0.00

1	2	3	4	5
177.	तमिलनाडु महिला विकास परि.	आईएफएडी	18.79	0.00
178.	श्री सायलम लैफ्ट बैंक विद्युत केन्द्र	जापान	67.38	0.00
179.	हैदराबाद जलापूर्ति एवं स्वच्छता	आईडीए	66.17	0.00
180.	पर्यावरणीय प्रबंधन क्षमता निर्माण	आईडीए	14.36	0.00
181.	गुजरात वानिकी	जापान	210.32	0.00
182.	हरियाणा राजमार्ग उन्नयन	आईबीआरडी	79.28	0.00
183.	रायचूर टीपीएस	जापान	6.95	0.00
184.	मध्य प्रदेश रेशमकीट पालन	जापान	1.77	0.00
185.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति	आईडीए	133.58	0.00
186.	मुबई मल-निपटान	आईडीए	0.25	0.00
187.	महाराष्ट्र आपात भूकंप एवं पुनर्निर्माण	आईडीए	165.20	0.00
188.	महाराष्ट्र विद्युत	आईबीआरडी	410.69	0.00
189.	मुंबई शहरी परिवहन-II	आईबीआरडी	2.69	0.00
190.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	जर्मनी	24.86	0.00
191.	ऊपरी कोलाब सिंचाई	जापान	24.02	0.00
192.	ऊपरी इन्द्रावती सिंचाई	जापान	35.45	0.00
193.	उड़ीसा जनजातीय विकास	आईएफएडी	10.13	0.00
194.	पंजाब सिंचाई	जापान	93.14	0.00
195.	तमिलनाडु कृषि विकास	आईडीए	65.79	0.00
196.	बेसिन ब्रिज गैस टर्बाइन-II	जापान	17.76	0.00
197.	लिग्नाइट खान एवं विद्युत केन्द्र विस्तार	जर्मनी	298.93	0.00
198.	उत्तर मद्रास तापीय विद्युत	एडीबी	-33.83	0.00
199.	तमिलनाडु शहरी विकास	आईडीए	97.56	0.00
200.	अन्पारा विद्युत पारेषण	जापान	230.02	0.00

1	2	3	4	5
201.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरण	आईबीआरडी	26.61	0.00
202.	पश्चिम बंगाल वानिकी	आईडीए	18.05	0.00
203.	तीस्ता नहर एचएफपी	जापान	28.34	0.00
204.	बक्रेश्वर ताप विद्युत	जापान	697.35	0.00
205.	विसंक्रमण एवं दुग्ध पैकेजिंग एनडीडीबी एवं एपीडीडी *	फ्रांस	2.54	0.00
206.	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी–II)	आईडीए	63.60	0.00
207.	राष्ट्रीय रेशमकीट पालन	आईडीए	14.54	0.00
208.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग	आईडीए	310.71	0.00
209.	सड़क विकास	एडीबी	77.84	0.00
210.	द्वितीय पत्तन	एडीबी	24.57	0.00
211.	द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा	आईडीए	333.99	0.00
212.	मुम्बई पत्तन–न्यास	एडीबी	3.39	0.00
	अनुदान		0.00	
213.	राजस्थान कृषि जल–निकास	कनाडा	17.20	1.24
214.	सेरि–2000 (रेशम कीट पालन परियोजना)	स्विटजरलैंड	1.67	0.00
215.	कर्नाटक सैकेण्डरी स्तर अस्पताल विकास परि.	जर्मनी	27.56	0.00
216.	कर्नाटक जलसंभर विकास कार्यक्रम	जर्मनी	12.14	0.00
217.	बुनियादी स्वास्थ्य, महाराष्ट्र	जर्मनी	7.42	0.00
218.	बहुउद्देशीय चक्रवात शरण–स्थल	जर्मनी	1.49	0.00
219.	ग्रामीण जलापूर्ति, राजस्थान	जर्मनी	30.86	0.00
220.	आवासी विद्यालय परियोजना, राजस्थान	जर्मनी	16.89	0.00
221.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति, चरण–I	जर्मनी	118.82	0.00
222.	राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना, चरण–I	जर्मनी	1.57	0.00
223.	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम, प. बंगाल	जर्मनी	4.22	0.00

1	2	3	4	5
224.	ग्रामीण जलापूर्ति, पश्चिम बंगाल	जर्मनी	72.14	0.00
225.	कर्नाटक जलसंभर विकास परि. चरण–II	डेनमार्क	11.65	3.40
226.	महिला एवं बाल प्रशिक्षण परियोजना चरण–III	डेनमार्क	0.90	3.50
227.	कर्नाटक में महिला एवं बाल प्रशिक्षण विस्तार चरण–II योजना	डेनमार्क	2.00	1.48
228.	ग्रामीण जल एवं स्वच्छता चरण–II कर्नाटक	डेनमार्क	20.50	4.00
229.	मध्य प्रदेश कृषि में महिलाएं	डेनमार्क	3.49	0.00
230.	व्यापक जलसंभर विकास परियोजना तिरूनेलवेली चरण–II	डेनमार्क	17.35	0.00
231.	पशुधन विकास परि. बस्तर छत्तीसगढ़	डेनमार्क	`1.27	2.85
232.	पश्चिम मध्य प्रदेश में जलसंभर विकास	डेनमार्क	8.91	2.70
233.	एमएपीडब्ल्यूए चरण–II	डेनमार्क	0.00	2.50
234.	व्यापक जलसंभर विकास परि. कोरापुट, उड़ीसा	डेनमार्क	8.39	1.50
235.	समेकित पशुधन विकास परि. जिला कोरपुट, उड़ीसा	डेनमार्क	3.19	0.00
236.	तमिलनाडु कृषि में महिलाएं चरण–II	डेनमार्क	20.61	0.00
237.	समेकित जलसंभर विकास परियोजना, रामानाथापुरम	डेनमार्क	7.22	0.00
238.	ग्रामीण जल एवं स्वच्छता चरण–II तमिलनाडु	डेनमार्क	11.00	0.00
239.	पोडुकोटाई पशुधन विकास परि. चरण–I	डेनमार्क	5.70	3.20
240.	हरियाणा सामुदायिक वानिकी परि.	ईईसी	15.67	11.35
241.	केरल बागवानी विकास	ईईसी	9.18	0.00
242.	केरल लघु सिंचाई परियोजना	ईईसी	4.56	0.00
243.	महाराष्ट्र में क्षारीय भूमि सुधार	ईईसी	5.20	0.00
244.	फसल विकास हेतु जल नियंत्रण प्रणाली, महाराष्ट्र	ईईसी	36.59	0.00
245.	उडीसा में लघु सिंचाई	ईईसी	4.96	0.00
246.	जलाशय सुधार परियोजना, पांडिचेरी	ईईसी	5.51	2.15
247.	सिद्धमुख एवं नौहर सिंचाई परि., राजस्थान	ईईसी	30.89	0.00

1	2	3	4	5
248.	तमिलनाडु में जलाशय सिंचाई प्रणाली (चरण–II)	ईईसी	16.61	0.00
249.	उत्तर प्रदेश में संकरी घाटी स्थिरीकरण	ईईसी	0.00	0.25
250.	समेकित जलसंभर प्रबंध दून घाटी	ईईसी	69.57	4.11
251.	कर्नाटक सैकण्डरी स्तर अस्पताल विकास परि.	जर्मनी	0.00	10.73
252.	कर्नाटक जलसंभर विकास कार्यक्रम	जर्मनी	0.43	1.16
253.	बुनियादी स्वास्थ्य, महाराष्ट्र	जर्मनी	0.00	5.86
254.	ग्रामीण जलापूर्ति, महाराष्ट्र	जर्मनी	0.00	0.60
255.	बहुउद्देशीय चक्रवात शरण–स्थल कार्यक्र चरण–II उडीसा	जर्मनी	7.69	3.46
256.	ग्रामीण जलापूर्ति, राजस्थान	जर्मनी	0.00	36.84
257.	आवासी विद्यालय परियोजना, राजस्थान	जर्मनी	0.00	11.20
258.	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम, प. बंगाल	जर्मनी	0.00	2.72
259.	ग्रामीण जलापूर्ति, पश्चिम बंगाल	जर्मनी	7.01	19.14
260.	हरित हैदराबाद पर्यावरणीय कार्यक्रम	नीदरलैंड	0.00	26.30
261.	हरित हैदराबाद कार्यक्रम	नीदरलैंड	0.00	0.35
262.	आंध्र प्रदेश में कृषि मे महिला प्रशिक्षण चरण–II	नीदरलैंड	0.00	0.38
263.	एपवैल परियोजना, आंध्र प्रदेश	नीदरलैंड	0.00	1.35
264.	गुजरात में कृषि में महिला प्रशिक्षण चरण–II	नीदरलैंड	0.00	2.15
265.	घोघा क्षेत्रीय जलापूर्ति	नीदरलैंड	0.00	1.47
266.	गुजरात स्वास्थ्य देखरेख हेतु ओरेट परियोजना	नीदरलैंड	29.39	10.10
267.	गुजरात में प्राथमिक स्कूलों का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत	नीदरलैंड	0.00	19.39
268.	जल एवं स्वच्छता का सामुदायिक प्रबंध विकास–गुजरात	नीदरलैंड	0.00	26.45
269.	हरियाणा की जलावरुद्ध एवं क्षारीय भूमि का सुधार	नीदरलैंड	0.00	0.76
270.	ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परि., कर्नाटक	नीदरलैंड	0.00	1.02
271.	अनुदान भारत 1996–07 गंगा कार्ययोजना सहायता कार्यक्रम	नीदरलैंड	0.00	10.56

1	2	3	4	5
272.	ग्रामीण जलापूर्ति उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना–VIII	नीदरलैंड	0.00	7.02
273.	यूपी उप परियोजना VI	नीदरलैंड	0.00	1.27
274.	एपी ऊर्जा दक्षता परियोजना–94 (अभियांत्रिकी अनुदान) 93	यूके	116.92	83.34
275.	एपी जीविका परियोजना	यूके	4.17	19.39
276.	आंध्र प्रदेश में प्रशासन सुधार कार्यक्रम	यूके	1.46	1.20
277.	एपी जिला शिक्षा परियोजना स्थानीय लागत अनुदान	यूके	129.52	43.74
278.	आंध्र प्रदेश में गरीबों के लिए शहरी सेवा सुधार	यूके	20.00	19.80
279.	हिमाचल प्रदेश वानिकी	यूके	13.69	0.00
280.	पश्चिमी घाट वानिकी	यूके	63.92	0.06
281.	कर्नाटक जलसंभर विकास	यूके	0.00	6.31
282.	कोचीन शहरी गरीबी उन्मूलन परियोजना	यूके	45.32	0.00
283.	महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल तथा स्वच्छता	यूके	5.52	0.00
284.	उड़ीसा में चक्रवात द्वारा क्षतिग्रस्त एलआईपी का पुर्नवास	यूके	9.72	18.17
285.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार	यूके	123.96	0.00
286.	उड़ीसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजना चरण–III	यूके	6.82	5.34
287.	उडीसा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	यूके	0.00	7.20
288.	उड़ीसा में चक्रवात के पश्चात् प्राथमिक विद्यालयों की पुनर्निर्माण परियोजना	यूके	0.00	29.42
289.	उडीसा में सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए बजटीय सहायता	यूके	0.00	223.74
290.	कटक शहरी सेवा सुधार परियोजना	यूके	15.01	0.00
291.	शिक्षा कर्मी परियोजना चरण–III	यूके	36.34	13.21
292.	पश्चिमी भारत वर्षा–पोषित बागवानी परियोजना–II दिनांक 21.4.99	यूके	7.56	10.89
293.	कलकत्ता गंदी बस्ती सुधार परियोजना	यूके	12.93	0.71
294.	भागीदारी जलसंभर विकास, कर्नाटक	स्विटजरलैंड	3.93	0.00

1	2	3	4	5
295.	पीएडब्ल्यूडीआई परियोजना, राजस्थान	स्विटजरलैंड	0.70	0.00
296.	मुम्बई पुनर्वास परियोजना	आईबीआरडी	0.90	0.00
297.	हैदराबाद हरित क्षेत्र	नीदरलैंड	2.49	0.00
298.	कृषि क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षण, आंध्र प्रदेश	नीदरलैंड	1.03	0.00
299.	हरित हैदराबाद कार्यक्रम	नीदरलैंड	19.57	0.00
300.	एपी वैल परियोजना आंध्र प्रदेश	नीदरलैंड	17.81	0.00
301.	कृषि क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षण– गुजरात चरण–II	नीदरलैंड	4.58	0.00
302.	गोघा क्षेत्रीय जल आपूर्ति	नीदरलैंड	1.51	0.00
303.	गुजरात स्वास्थ्य देखभाल परियोजना	नीदरलैंड	70.82	0.00
304.	गुजरात में प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण	नीदरलैंड	169.02	0.00
305.	जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम चरण–I	नीदरलैंड	0.14	0.00
306.	हरियाणा में जलावरुद्ध तथा क्षारीय भूमि का पुनरुद्धार	नीदरलैंड	2.57	0.00
307.	मैसूर कागज कारखाना, चरण III	नीदरलैंड	2.94	0.00
308.	ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना, कर्नाटक	नीदरलैंड	42.14	0.00
309.	तुंगभद्र सिंचाई प्रयोगिक परियोजना चरण–II	नीदरलैंड	0.83	0.00
310.	केरल सामुदायिक सिंचाई	नीदरलैंड	1.25	0.00
311.	केरल जल आपूर्ति	नीदरलैंड	6.84	0.00
312.	ग्रांट इंडिया 1994–01	नीदरलैंड	0.09	0.00
313.	गंगा कार्रवाई योजना सहायता परियोजना	नीदरलैंड	11.52	0.00
314.	ग्रामीण जल आपूर्ति यूपी उप परियोजना–VIII	नीदरलैंड	16.59	0.00
315.	यूपी उप परियोजना–VI	नीदरलैंड	2.81	0.00
316.	उत्तरी बंगाल तराई विकास परियोजना चरण–III	नीदरलैंड	61.42	0.00
317.	नवीकरण संसाधन विकास परियोजना	आईडीए	0.34	0.00
318.	ट्राउट फार्मिंग परियोजना – हिमाचल प्रदेश	नार्वे	0.11	0.00

1	2	3	4	5
319.	हिमाचल प्रदेश पर्यावरणीय कार्यक्रम	नार्वे	0.17	0.00
320.	भारत–नार्वे पर्यावरण कार्यक्रम	नार्वे	9.30	0.00
321.	उड़ीसा पर्यावरण कार्यक्रम	नार्वे	9.18	0.00
322.	उड़ीसा वानिकी/क्षमता निर्माण	स्वीडन	0.90	0.00
323.	डूंगरपुर एकीकृत जल भूमि विकास परियोजना	स्वीडन	9.16	0.00
324.	आईसीडीएस चरण–III	स्वीडन	3.29	0.00
325.	केरल में सरकारी और राजकोषिय सुधार (अनुदान)	एडीबी	0.00	120.30
326.	सौर तापीय विद्युत परियोजना – मथनिया	जर्मनी	0.51	0.10
327.	एकीकृत कृषि मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम	आईबीआरडी	0.00	0.82
328.	एपी ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना	आईडीए	1.21	0.82
329.	गुजरात जिला प्राथमिक शिक्षा हेतु नीदरलैंड से अनुदान	आईडीए	19.50	13.40
330.	कर्नाटक जलसंभर विकास परियोजना	आईडीए	0.84	0.00
331.	कर्नाटक एकीकृत स्वास्थ्य पोषाहार तथा परिवार कल्याण	आईडीए	0.00	0.33
332.	कर्नाटक समुदाय आधारित तालाब सुधार परियोजना	आईडीए	1.43	0.00
333.	द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण	आईडीए	0.20	0.85
334.	ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता, केरल/कर्नाटक	आईडीए	1.49	–0.09
335.	पंजाब जल संसाधन एमजी परियोजना	आईडीए	0.14	0.00
336.	एपी जनजातीय विकास परियोजना	आईएफएडी	6.53	0.00
337.	दीर्घकालिक शुष्क भूमि कृषि	यूएनडीपी	2.48	3.00
338.	ग्रामीण उद्योग हेतु ऊर्जा सेवा	यूएनडीपी	0.73	0.27
339.	जैव–विविधता संरक्षण तथा जनजातीय विकास	यूएनडीपी	0.58	0.00
340.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा महिलाओं के लिए दीर्घकालिक जीविका–उड़ीसा	यूएनडीपी	6.43	1.58
341.	बेहतर अभियांत्रिकी प्रणाली, कोयना ब्लॉक, उड़ीसा	यूएनडीपी	3.50	0.00
342.	वस्त्र उद्योग में प्राकृतिक रंगों का विकास और प्रयोग	यूएनडीपी	1.76	0.00

1	2	3	4	5
343.	हरियाणा एकीकृत महिला अधिकारिता तथा विकास कार्यक्रम	यूएनएफपीए	12.90	2.32
344.	महाराष्ट्र में एकीकृत जनसंख्या तथा विकास	यूएनएफपीए	8.38	8.09
345.	विजयवाड़ा निवासी सुधार परियोजना	यूके	1.90	0.00
346.	डीपीईपी–III	आईडीए	51.20	0.0C
347.	नाबार्ड आदिवासी कार्यक्रम, गुजरात	जर्मनी	3.59	0.00
348.	अरावली पहाडियों में सार्वजनिक भूमि का सुधार	ईईसी	15.45	0.00
349.	लोक जुम्बिश चरण–II	स्वीडन	32.10	0.00
350.	राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना, चरण–II	स्वीडन	13.19	0.00
351.	आईसीडीएस, चरण–III	स्वीडन	17.84	0.00
352.	राष्ट्रीय रेशम कीट पालन	स्विटजरलैंड	6.04	0.00
353.	पीएसएस तथा पीएसआई द्वारा सामाजिक विपणन	जर्मनी	8.84	0.00
354.	पर्यटन आधारभूत ढांचा विकास	जापान	45.01	0.00
355.	परिवार कल्याण	आईडीए	94.88	0.00
356.	तपेदिक नियंत्रण	जापान	23.28	0.00
357.	अजंता एलोरा संरक्षण तथा पर्यटन विकास	जापान	28.67	0.00
358.	आर्थिक विकास	आईडीएफ	9.38	0.00
359.	जिला निर्धनता उन्मूलन संबंधी उपाय	आईडीए	1.44	0.00
360.	ग्रामीण विकास हेतु सिंचाई उपकरणों का आयात	जापान	6.88	0.00
361.	कृषि क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षण	नीदरलैंड	1.04	0.00
362.	केबल प्रकाशन टाईप ड्रिलिंग का आयात	जापान	16.48	0.00
363.	निजी आधारभूत ढांचा	आईडीए	1.74	0.00
364.	टीईडब्ल्यूए उड़ीसा चरण–II	डेनमार्क	2.08	0.00
365.	राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण चरण–II	डेनमार्क	1.00	0.00
366.	स्वास्थ्य देखभाल चरण–III, तमिलनाडु	डेनमार्क	5.00	0.00
367.	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा	यूके	10.45	0.00
368.	आईसीडीएस	आईडीए	7.10	0.00
	राज्य परियोजनाओं के लिए कुल राशि		37368.09	8359.01

सिक्कों का वितरण करने वाली निजी एजेन्सियां

1774. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक उन निजी एजेंसियों को 10 प्रतिशत कमीशन का भुगतान करता है जो करेन्सी नोटों के बदले में समान मूल्य के सिक्कों का वितरण करती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एजेण्टों अथवा एजेंसियों को किस प्रकार से नियुक्त अथवा आबंटित किया जाता है; और

(ग) सिक्कों का वितरण करने वाली ऐसी एजेंसियों की संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में अब तक एजेंटों को कितना कमीशन दिया गया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) व्यापक क्षेत्रों में सिक्कों का वितरण जनसंख्या के बड़े भाग तक पहुंचना सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने डाकघरों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, परिवहन उपक्रमों और गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से अस्थायी आधार पर सिक्कों के वितरण की एक योजना कार्यान्वित की है। इन संस्थाओं द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों से अंकित मूल्य के भुगतान पर सिक्के संग्रहित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन संस्थाओं को संग्रहण, ढुलाई और जनता को अंकित मूल्य पर सिक्कों के वितरण पर होने वाले अपने व्यय की पूर्ति के लिए सिक्के की प्रति थैली (मूल्यवर्ग और मूल्य का ध्यान किए बिना) 250/– रुपए की राशि अदा की जाती है।

(ख) संस्थाओं को सामान्य सुरक्षोपाय के अधीन आवेदन पर कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) उन संस्थाओं, जिन्होंने अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया है, की संख्या निम्नानुसार है:–

सहकारी बैंक	9
क्षेत्रीए ग्रामीण बैंक	6
डाक घर	4
राज्य परिवहन उपक्रम	3
गैर–सरकारी संगठन	5

यह योजना अगस्त, 2002 में प्रारंभ की गई थी और अभी तक संस्थाओं को कुल 93.94 लाख रुपये की राशि अदा की गई है।

वनस्पति की मांग

1775. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनस्पति की मांग इसके उत्पादन और आपूर्ति से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वनस्पति की वास्तविक मांग, उत्पादन और आपूर्ति कितनी रही; और

(ग) सरकार द्वारा वनस्पति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) वनस्पति की मांग का अलग से मूल्यांकन नहीं किया गया है। वनस्पति की कुल उपलब्धता निम्नानुसार रही है:–

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष (अप्रैल–मार्च)	कुल आपूर्ति
2000–01	14.76
2001–02	13.50
2002–03	13.92

(ग) वनस्पति की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:–

(i) खाद्य तेलों के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन दी गयी है ताकि वनस्पति यूनिटों के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध हो सके।

(ii) भारत–नेपाल व्यापार संधि के अधीन सीमा शुल्क मुक्त एक लाख टन वनस्पति का आयात किया जा सकता है।

भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी

1776. **श्री अजय चक्रवर्ती :**

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक में अपनी 55 प्रतिशत हिस्सेदारी छोड़ देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं तथा किन परिस्थितियों की वजह से यह निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य वित्त निगमों में घोटाला

1777. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अशोध्य ऋण और काफी हद तक भ्रष्टाचार को रोकने हेतु स्वीकृति संवितरण, विधिक प्रलेखन, आस्तियों के तकनीकी मूल्यांकन आदि के क्षेत्र में शक्तियों के प्रयोजन सहित मुख्य कार्यकारी और अन्य पदाधिकारियों की जवाबदेही/जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु केन्द्र सरकार की राज्य वित्त निगम बोर्डों को अनुमति प्रदान करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य वित्त निगमों में करीब 60,000 करोड़ रुपये की गैर–निष्पादनकारी आस्तियों के घोटाले की व्यापक जांच हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) राज्य वित्त निगम (एस एफ सी) (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ, एस एफ सी के बोर्डों को पहले से निम्नलिखित शक्तियां दी गई हैं:–

- मंजूरी, संवितरण, विधिक प्रलेखीकरण, आस्तियों का तकनीकी मूल्यांकन तथा इसके साथ–साथ उनसे जुड़े ऐसे मामलों में उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी तय करने के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करना;
- प्रबंध निदेशक अथवा एस एफ सी के अन्य किसी अधिकारी को, जैसा आवश्यक समझा जाए, अपनी शक्तियां तथा कार्य प्रत्यायोजित करना;
- यह निर्देश देना कि अधिनियम के तहत् बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, जैसा इसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक द्वारा भी प्रयोग की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से परामर्श करके नीति संबंधी मामलों पर एस एफ सी को अनुदेश देने की शक्तियां भी दी गई हैं।

अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष संघटक योजना

1778. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या विशेष उपाए किए गए हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उरांव) : (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 21 जनजातीय उपयोजना राज्यों को, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, न केवल परिवार–आधारित रोजगार–सह आयजनित गतिविधियों और उनकी प्रासंगिक आधारभूत संरचनाओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने के उद्देश्य से, अपितु स्व–सहायता ग्रुपों/समुदाय की

गतिविधियों के लिए भी दी जाती है। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता बढ़ाने का मूल उद्देश्य मांग-आधारित आयजनित कार्यकलापों का विकास करना और इस प्रकार जनजातियों का आर्थिक-सामाजिक स्तर ऊंचा करना है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए 497.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

कॉफी का निर्यात

1779. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 30 जून, 2003 तक निर्यात की गई कॉफी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के प्रथम तिमाही में कॉफी के निर्यात में कमी दर्ज दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कॉफी के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या दीर्घावधि उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित कॉफी का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	निर्यातित मात्रा मी.टन में	वसूला गया मूल्य करोड़ रु. में
2000-01	246908	1374.00
2001-02	213586	1050.36
2002-03	201486	1013.09
2003-04 (अप्रैल-जून)	67924*	82.44#

* निर्यात परमिट जारी किए गए

पुष्टि किए गए निर्यातों पर

(ख) और (ग) चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में कॉफी का निर्यात जारी किए गए निर्यात परमिटों के अनुसार 67924 टन होने का अनुमान है जो वर्ष 2002-03 की प्रथम तिमाही में किए गए 70883 टन निर्यात से 4% कम है। इस गिरावट का मुख्य कारण कॉफी का कम उत्पादन होना है जो वर्ष 2001-02 में 3 लाख टन के उत्पादन से घटकर वर्ष 2002-03 के दौरान 2.75 लाख टन हो गया है।

(घ) कॉफी बोर्ड अगले कुछेक वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कॉफी की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने और प्रमुख बाजरों में बाजार हिस्सा प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए एक निजी सलाहकार मैसर्स मैकिंसे एंड कं. द्वारा तैयार की गई एक मध्यावधि निर्यात नीति का कार्यान्वयन कर रहा है। कॉफी का निर्यात बढ़ाने के लिए, कॉफी बोर्ड लक्षित बाजारों जैसे इटली, अमरीका, जर्मनी, जापान, रूस, इत्यादि पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। कॉफी बोर्ड के बाह्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल है:-

- कच्ची कॉफी के निर्यात योग्य ग्रेडों, भारतीय/इंसटेंट कॉफी/चार्टों, ब्लो-अप्स का प्रदर्शन करके चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं व्यापार मेलों में भाग लेना और विभिन्न विदेशी भाषाओं में भारतीय कॉफी के बारे में संवर्धनात्मक साहित्य वितरण करना। भारतीय कॉफी से निर्मित तरल कॉफी भी तैयार की जाती है और इन प्रदर्शनियों में स्टालों के जरिए आगंतुकों को पिलाई जाती है।
- व्यापार शिष्टमंडलों को प्रायोजित करना और प्रमुख लक्ष्य बाजारों से भारत में रोस्टर के शिष्टमंडलों को आमंत्रित करना और इस प्रकार के बाजारों में भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के बीच क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना।
- भारतीय कॉफी की उत्तम विशेषताओं का मूल्यांकन और संवर्धन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता विशेषज्ञों द्वारा भारतीय कॉफियों की कपिंग का आयोजन करना।
- भारतीय कॉफी की गुणवत्ता एवं चयनात्मकता का उल्लेख करते हुए कॉफी व्यापार की उन महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं एवं मैगजीनों में विज्ञापन देना जिनका भारतीय कॉफी के संभावित बाजारों में बहुत परिचालन हो आदि।

इसके अलावा ऐसी बेहतर एवं विशिष्ट कॉफी जिससे विश्व बाजार में आकर्षक लाभांश प्राप्त हो, का उत्पादन करने के लिए भारतीय कॉफी के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार भी शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र हेतु पेंशन योजना

1780. श्री राजैया मल्याला :

श्रीमती कान्ति सिंह :

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र हेतु किसी नयी पेंशन योजना को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इसे अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है और पेंशन निधि में राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात क्या है; और

(ङ) इसे कब तक घोषित व कार्यान्वित करने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) बजट 2003–04 में, सरकार ने सशस्त्र सेवाओं को छोड़कर, सरकारी सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों पर लागू होने वाली एक नयी पेंशन योजना आरम्भ करने तथा इसके अंतिम रूप दिए जाने पर अनेक पेंशन विकल्पों की पेशकश करने की घोषणा की थी। नयी योजना स्वैच्छिक आधार पर सभी नियोजकों के संबंध में उनके कर्मचारियों के लिए तथा स्व–नियोजित व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध होगी। यह नयी पेंशन योजना अन्तरणीय होगी, जिसके अंतर्गत रोजगार परिवर्तन की स्थिति में लाभों के अन्तरण की अनुमति होगी तथा यह पेंशन निधियों के पास व्यक्तिगत पेंशन खाते में जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नयी पेंशन योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं आरम्भ की गयी हैं। तथापि, इसके लिए कोई निश्चित समय तय नहीं किया गया है।

हत्या के लम्बित मामले

1781. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न न्यायालयों में हत्या से संबंधित लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त मामले कितने समय से लम्बित हैं;

(ग) इन मामलों के निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार का विचार इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु न्यायालयों को कुछ निर्देश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) और (ख) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अधीन उच्च न्यायालयों में और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अधीनस्थ न्यायपालिका में लंबित मामलों के संबंध में ब्यौरा विवरण–I और विवरण–II के रूप में संलग्न है। विभाग में उच्चतम न्यायालय से संबंधित मामलों का ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता है।

(ग) अधिक संख्या में मामले, जिसके अंतर्गत हत्या से संबंधित मामले भी हैं, विभिन्न जटिल कारणों से लंबित हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, न्यायधीशों की रिक्तियों का न भरा जाना, अपर्याप्त न्यायधीश पदसंख्या, अन्वेषण में विलंब, साक्षियों को पेश न किया जाना, नागरिकों द्वारा अधिकारों के प्रति जागरूकता के कारण अधिक संख्या में मामलों का संस्थापन, अनेकों विधियों को अधिनियमित किया जाना,

मुकदमेंबाजी के पैटर्न में आमूल परिवर्तन होना, मामलों का बार–बार आस्थगन, वकीलों की हड़ताल, आदि कारण भी सम्मिलित हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(i) त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन – विलंबित मामलों के और विशिष्ट रूप से ऐसे विचाराधीन कैदियों के मामलों के, जो लंबे समय से जेल में हैं, विचारण में शीघ्रता लाने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय गठित किए गए हैं;

(ii) कंप्यूटरीकरण – दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई के चार प्रमुख महानगरों में नगर न्यायालयों की नेटवर्किंग और कंपयूटरीकरण के लिए आदर्श के रूप में एक अग्रणी परियोजना आरंभ की गई है। परियोजना का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से बेहतर न्यायालय प्रबंधन द्वारा न्यायालयों की क्षमताओं को बढ़ाना और उनके द्वारा मामलों के निपटान में शीघ्रता लाना है।

(iii) सुविधा केंद्र/पूछताछ काउंटर – सरकार ने, केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्यों को उच्च न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए निधियों के साथ–साथ, उनके अपने–अपने उच्च न्यायालयों में सुविधा केंद्रों/पूछताछ काउंटरों की स्थापना करने के लिए निधियां मंजूर की हैं।

(iv) रिक्तियों का भरा जाना – सरकार न्यायालयों में बकाया मामलों के संचयन का भी लगातार पुनर्विलोकन करती रही है। सरकार ने, प्रत्येक तीन वर्ष में उच्च न्यायालयों की न्याया–धीश–पदसंख्या का पुनर्विलोकन करने और उसमें वृद्धि करने के अतिरिक्त विवाद समाधान की वैकल्पिक पद्धतियों को, जिनके अंतर्गत सुलह, मध्यकता और माध्यस्थम् भी हैं, स्थापित किया है/बढ़ावा दिया है। राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों से जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों/मजिस्ट्रेटों और सहायक कर्मचावृंदों के रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया गया है।

विवरण-I

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अधीन मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

क्रम सं.	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामले	निम्नलिखित तारीख को	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद	37	31.3.03	16	20	1	–
2.	आंध्र प्रदेश	–	31.3.03	–	–	–	–
3.	बम्बई	6	31.3.03	6	–	–	–
4.	कलकत्ता	–	31.3.03	–	–	–	–
5.	दिल्ली	2	31.12.00	2	–	–	–
6.	गुवाहाटी	1	30.9.02	–	1	–	–
7.	गुजरात	1	31.3.03	1	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	31.3.03	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू-कश्मीर	40	31.12.02	2	18	16	4
10.	कर्नाटक	–	31.12.02	–	–	–	–
11.	केरल	–	31.3.03	–	–	–	–
12.	मध्य प्रदेश	5	31.12.02	4	1	–	–
13.	मद्रास	1	31.12.03	1	–	–	–
14.	उड़ीसा	–	31.3.03	–	–	–	–
15.	पटना	1	30.3.03	1	–	–	–
16.	पंजाब और हरियाणा	5	30.6.02	2	3	–	–
17.	राजस्थान	1	31.12.02	1	–	–	–
18.	सिक्किम	–	31.3.03	–	–	–	–
	योग	100		36	43	17	4

विवरण-II

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन हत्या के लंबित मामलों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	निम्नलिखित तारीख को	लंबित मामलों की संख्या	लंबित रहने की अवधि				
				6 मास से कम	6 से 12 मास	1 से 3 वर्ष	3 से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र पदेश	12/2002	6109	1041	1242	3181	642	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	–	–	–	–	–	–
3.	असम	12/2001	2354	488	695	918	253	0
4.	बिहार	6/2002	24165	1661	4577	9016	7204	1707
5.	छत्तीसगढ़	6/2002	1330	435	436	264	175	20
6.	गोवा	12/2002	64	9	11	36	8	0
7.	गुजरात	12/2002	3731	471	510	1513	1148	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	हरियाणा	12/2002	1395	390	278	553	171	3
9.	हिमाचल प्रदेश	12/2002	160	51	38	54	17	0
10.	जम्मू-कश्मीर	12/1999	2403	846	712	733	78	34
11.	कर्नाटक	12/2002	4387	1109	959	1654	658	7
12.	केरल	6/2002	1263	163	273	621	202	4
13.	मध्य प्रदेश	6/2002	9757	1178	1380	2996	3704	499
14.	महाराष्ट्र	12/2002	12264	2934	1693	3376	3712	549
15.	मणिपुर	12/2002	65	4	8	22	27	4
16.	मेघालय	12/1999	599	96	63	157	180	103
17.	मिजोरम	6/2001	123	18	38	61	6	0
18.	नागालैंड	प्राप्त नहीं हुआ	–	–	–	–	–	–
19.	उड़ीसा	12/2002	1992	400	449	866	277	0
20.	पंजाब	12/2002	1386	293	299	625	167	2
21.	राजस्थान	12/2002	2633	496	451	907	729	50
22.	सिक्किम	12/1999	27	7	11	5	4	0
23.	तमिलनाडु	12/2002	4692	1391	1174	1406	604	117
24.	त्रिपुरा	12/2002	243	74	102	48	17	2
25.	उत्तर प्रदेश	6/2002	39178	4496	6998	13114	13132	1438
26.	पश्चिम बंगाल	6/2002	4140	1147	992	1096	800	105
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6/2002	45	14	13	16	2	0
28.	चंडीगढ़	12/2002	55	2	14	30	9	0
29.	दादरा और नागर हवेली	12/2002	13	2	3	5	2	1
30.	दमन और दीव	12/2002	12	5	1	6	0	0
31.	दिल्ली	12/2002	1292	230	156	556	306	44
32.	लक्षद्वीप	12/2002	0	0	0	0	0	0
33.	पांडिचेरी	12/2002	33	4	11	4	14	0
		योग	125910	19455	23587	43839	342448	4781

पंजाब नेशनल बैंक में एकमुश्त निपटान योजना

1782. श्री बी. वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक ने नयी एक मुश्त निपटान योजना के अंतर्गत गैर–निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली हेतु अपने जोनल प्रबंधकों को शक्तियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या इस योजना को अन्य बैंकों में भी लागू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उपर्युक्त विषय पर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंको पर लागू भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिग परिचालन और विकास विभाग
केन्द्र–1, विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा, मुंबई – 400 005

हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढाइए

संदर्भ : बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 65/ 21.04.117/ 2002–03

29 जनवरी 2003
09 माघ 1924 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय महोदय,

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौता द्वारा निपटान के लिए संशोधित दिशा–निर्देश

कृपया 27 जुलाई 2000 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. 11/21.01.040/99–00 देखें, जिसमें 5.00 करोड़ रुपये तक की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

2. उपर्युक्त योजना के माध्यम से अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान की समीक्षा से यह पता लगा है कि इस तंत्र के माध्यम से अनर्जक आस्तियों की वसूली की प्रगति सामान्य रही है। भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि ऋणकर्ताओं को अपनी देय बकाया राशि के निपटान के लिए आगे आने का एक और अवसर प्रदान किया जाये। इसलिए अब नये दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं जो निर्धारित मूल्य की उच्चतम सीमा से कम की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौता द्वारा निपटान के लिए सरल, अविवेकपूर्ण और अभेदमूलक तंत्र प्रदान करेंगे। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को इन दिशा–निर्देशों को एकसमान रूप से कार्यान्वित करना चाहिए, ताकि निर्धारित समय के भीतर अनर्जक आस्तियों के स्टॉक से प्राप्य राशियों की अधिकतम वसूली की जा सके।

3. संशोधित दिशा–निर्देशों में लघु क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों से संबंधित अनर्जक आस्तियां (निर्धारित उच्चतम सीमा से कम) शामिल होंगी। तथापि, दिशा–निर्देशों में जानबूझकर की गयी चूक, कपट और धांधली के मामले शामिल नहीं होगे। बैंको को जानबूझकर चूक, कपट और धांधली के मामलों का पता लगाना चाहिए और उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तदनुसार, 27 जुलाई 2000 के हमारे परिपत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों को संशोधित करते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी क्षेत्रा की अनर्जक आस्तियों से संबंधित प्राप्त राशियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए संशोधित दिशा–निर्देश नीचे दिये गये हैं:

(अ) 10.00 करोड़ रुपये तक की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए दिशा-निर्देश

(i) व्याप्ति

(क) संशोधित दिशा–निर्देशों में सभी क्षेत्रों की, चाहे उनके कारोबार का स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, ऐसी सभी अनर्जक आस्तियां शामिल होंगी, जो 31 मार्च 2000 को संदिग्ध या हानिवाली हो गयी हैं और निर्दिष्ट तारीख को जिनकी बकाया जमाराशि 10.00 करोड़ रुपये और उससे कम हो।

(ख) दिशा–निर्देशों में ऐसी अनर्जक आस्तियां भी शामिल होंगी, जिन्हें 31 मार्च 2000 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जो बाद में संदिग्ध या हानिवाली श्रेणी में आ गयी हों।

(ग) इन दिशा–निर्देशों में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंकों द्वारा शुरू की गयी कार्रवाई के मामले तथा न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित मामले भी शामिल होंगे, बशर्ते न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से सहमति डिक्री प्राप्त की गयी हो।

(घ) जानबूझकर की गयी चूक, कपट और धांधली के मामले शामिल नहीं होंगे।

(ङ) ऋणकर्ताओं से आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2003 को कारोबार समाप्त होने की होगी। संशोधित दिशा–निर्देशों के अंतर्गत जांच कार्य 31 अक्तूबर 2003 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।

[ii] निपटान फार्मूला - राशि और निर्दिष्ट तारीख

(क) 31 मार्च 2000 को संदिग्ध या हानि वाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अनर्जक आस्तियां

31 मार्च 2000 को संदिग्ध या हानिवाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के संदर्भ में संशोधित दिशा–निर्देशों के अंतर्गत वसूल की जानेवाली न्यूनतम राशि, प्रतिवादित बिल लेखे में अंतरण की तारीख को खाते में बकाया जमाराशि या संदिग्ध अनर्जक आस्तियों के रूप में खाते को वर्गीकृत किये जाने की तारीख को बकाया राशि, इनमें से जो भी पहले हो, का, यथास्थिति, 100 प्रतिशत होगी।

(ख) 31 मार्च 2000 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत ऐसी अनर्जक आस्तियां जो बाद में संदिग्ध या हानिवाली बन गयी हों

31 मार्च 2000 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत जो अनर्जक आस्तियां बाद में संदिग्ध या हानि वाली बन गयी हों, उनके संदर्भ में वसूल की जानेवाली न्यूनतम राशि प्रतिवादित बिल लेखे में अंतरण की तारीख को बकाया जमाराशि या संदिग्ध अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किये जाने की तारीख को विद्यमान राशि, इनमें से जो भी पहले हो, का यथास्थिति, 100 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल 2000 से अंतिम भुगतान की तारीख तक विद्यमान मूल उधार दर पर ब्याज।

[iii] अदायगी

उपर्युक्त दोनों ही मामलों में समझौते द्वारा हिसाब लगायी गयी राशि अधिमानतः एकमुश्त अदा की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां ऋणकर्ता संपूर्ण राशि एकमुश्त अदा करने में असमर्थ है, वहां निपटान की राशि का कम से कम 25 प्रतिशत उसी समय अदा किया जाना चाहिए और 75 प्रतिशत की शेष राशि, समझौते की तारीख से अंतिम अदायगी की तारीख तक विद्यमान मूल उधार दर पर ब्याज सहित एक वर्ष की अवधि के भीतर किस्तों में वसूल की जानी चाहिए।

[iv] मंजूर करनेवाले प्राधिकारी

समझौते द्वारा निपटान तथा बाद में माफी या छूट या बट्टे खाते डालने की मंजूरी के संबंध में निर्णय प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए।

[v] भेदभाव रहित व्यवहार

बैंकों को चाहिए कि वे बिना किसी भेदभाव के संशोधित योजना के अंतर्गत आनेवाली सभी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का पालन करें और संबंधित अधिकारी द्वारा निपटान की प्रगति और ब्योरों की मासिक रिपोर्ट अगले उच्च अधिकारी तथा अपने केन्द्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए। बैंकों को चाहिए कि पात्र चूककर्ता ऋणकर्ताओं को इन दिशा–निर्देशों के अनुसार अपनी बकाया देय राशियों के एक बार में निपटान के अवसर का लाभ उठाने के लिए व्यापक प्रचार करें और 28 फरवरी 2003 तक नोटिस दें। विभिन्न माध्यमों से इन दिशा–निर्देशों के पर्याप्त प्रचार का अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

[vi] बोर्ड को रिपोर्ट देना

बैंकों को संशोधित दिशा–निर्देशों के अंतर्गत बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट हर तिमाही में निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत करनी चाहिए। तिमाही प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति हमें भी भेजी जाये।

(आ) 10.00 करोड़ रुपये से अधिक की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए दिशा-निर्देश

जैसा कि हमारे 27 जुलाई 2000 के पहले के परिपत्र में

पहले ही सूचित किया गया है, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के प्रत्येक मामले पर व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करना चाहिए और निदेशक बोर्ड द्वारा अपनी ऋण वसूली नीति के भाग के रूप में इस परिपत्र के अंतर्गत न आने वाली अनर्जक आस्तियों के एक बार में निपटान के संबंध में नीति संबंधी दिशा–निर्देश तैयार किये जाने चाहिए।

4. **व्यतिक्रम केवल निदेशक बोर्ड द्वारा**

किसी ऋणकर्ता के लिए निपटान संबंधी उपर्युक्त दिशा–निर्देशों में कोई व्यतिक्रम या इनसे हटकर कार्रवाई का प्रस्ताव हो तो वह केवल निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।

5. कृपया प्राप्ति–सूचना दें।

भवदीय

(सी.आर. मुरलीधरन)
मुख्य महा प्रबंधक

खाद्यान्नों की खरीद

1783. **श्रीमती कान्ति सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों की खरीद हेतु स्थानवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वस्तुतः कितनी खरीद की गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान खरीद में कमी दर्ज की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यवार गेहूं और चावल की वसूल की गयी मात्रा और भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों द्वारा खोले गए क्रय केंद्रों की राज्यवार संख्या, विवरण–I और II के रूप में संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा वसूली क्षेत्रों में वसूली की संभावनाओं को ध्यान में रखकर वसूली केंद्रों के स्थान तय किए जाते हैं।

(ख) और (ग) अधिकांश धान उत्पादक राज्यों में सूखे की स्थिति होने, खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट होने और खुले बाजार मूल्य के न्यूनतम समर्थन मूल्य के समान स्तर पर अथवा अधिक होने जैसै कई घटकों के कारण वर्तमान खरीफ/रबी विपणन मौसम के दौरान खाद्यान्नों की वसूली में गिरावट आई है।

विवरण-I

खरीफ विपणन मौसम 1999–2000 से 2002–2003 के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा चावल की राज्यवार वसूली और धान की खरीद के लिए खोले गए क्रय केन्द्रों की संख्या का ब्यौरा

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999–2000		2000–01		2001–02		2002–03*	
	चावल	खरीद केंद्रों की संख्या	चावल	खरीद केंद्रों की संख्या	चावल	खरीद केंद्रों की संख्या	चावल	खरीद केंद्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश		172	7174	405	6425	456	2532	325
असम	20	–	–	–	–	–	–	उ.न.
बिहार	–	153	19	552	89	783	158	927

1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	15	–	16	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	–	–	857	–	1922	2226	1214	1443
दिल्ली	6	4	–	4	–	2	–	2
हरियाणा	987	244	1481	224	1484	231	1325	220
हिमाचल प्रदेश	–	–	1	2	11	4	7	4
कर्नाटक	111	100	230	31	137	9	–	–
मध्य प्रदेश	1104	2177	176	2155	273	428	159	301
महाराष्ट्र	51	255	34	255	129	823	128	748
उड़ीसा	889	42	918	–	1253	–	733	20
पांडिचेरी	9	4	40	4	11	–	–	2
पंजाब	6815	1452	6963	1587	7282	1653	7939	1463
राजस्थान	32	12	26 •	12	39	12	40	12
तमिलनाडु	919	–	1695	–	852	–	107	347
उत्तर प्रदेश	1422	1320	1174	1400	1936	1605	1360	1155
उत्तरांचल	–	–	42	–	235	52	232	50
पश्चिम बंगाल	351	–	434	–	48	–	103	–
जोड़	18229	5935	21280	6631	22126	8597	16036	7130

* 23.7.2003 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-II

***रबी विपणन मौसम 2000–2001 से 2003–2004** के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा गेहूं की राज्यवार वसूली और गेहूं की खरीद के लिए खोले गए क्रय केन्द्रों की संख्या का ब्यौरा*

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–01		2001–02		2002–03		2003–04*	
	गेहूं	खरीद केंद्रों की संख्या	गेहूं	खरीद केंद्रों की संख्या	गेहूं	खरीद केंद्रों की संख्या	गेहूं	खरीद केंद्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	–	26	43	37	41	797	1	923

1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	–	–	12	–	16	–	नग.	–
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	32	नग.	–
दिल्ली	–	2	50	2	35	2	12	2
हरियाणा	4498	380	6407	370	5888	338	5122	340
हिमाचल प्रदेश	–	–	2	2	2	4	1	4
मध्य प्रदेश	351	1035	294	897	424	895	188	930
पंजाब	9424	1548	10560	1584	9863	1652	8938	1520
राजस्थान	539	140	676	144	461	100	259	60
उत्तर प्रदेश	1545	4708	2446	4390	2111	4390	1213	4222
उत्तरांचल	–	–	140	190	183	204	67	202
जोड	16357	7839	20630	7616	19024	8414	15801	8203

* 23.7.2003 की स्थिति के अनुसार।

मसालों का निर्यात

1784. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मात्रा और मूल्य की दृष्टि से मसालों का कुल कितना निर्यात वस्तुवार किया गया;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान कतिपय मसालों के निर्यात में भारी कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मसालों का निर्यात बढाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) एक विवरण सलग्न है।

(ख) जहाँ भारत से मसालों के कुल निर्यातों में पिछले दो वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है, वहीं मसालों की कुछ मदो के निर्यात में कमी आई है, जैसा कि संलग्न विवरण से देखा जा सकता है।

(ग) मसालों के निर्यातों में कमी के मुख्य कारणों में मसालों के नए उत्पादकों का आविर्भाव होना और उनके द्वारा अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों का प्रस्ताव करना शामिल है।

(घ) मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है। मसाला बोर्ड के माध्यम से उठाए गए कुछ कदमों में मूल्यवर्धन के लिए उच्च प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं को अपनाया तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन; बाजार अध्ययन के द्वारा प्रमुख बाजारों में भारतीय मसालों का संवर्द्धन; उत्पाद विकास; बाजार संवर्द्धन; जैव मसाला कृषि को सहायता, समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन, बेहतर फसलोत्तर सुधार कार्यक्रम, अनुसंधान कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

विवरण

मात्रा टनों में; मूल्य करोड़ रुपए में

	2000–01		2001–02 (अ)		2002–03 (अ)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
काली मिर्च	21,830	380.82	24,000	211.93	20,000	166.10
इलाइची (छोटी)	1,545	84.68	900	55.86	550	37.60
इलाइची (बड़ी)	1,506	24.51	1,250	20.38	1,300	18.48
मिर्च	62,448	229.73	75,000	255.84	83,000	301.55
अदरक	6,288	26.82	8,000	25.04	8,500	24.09
हल्दी	44,627	115.58	35,000	84.63	32,000	99.38
धनिया	12,480	37.36	15,000	45.05	15,500	47.85
जीरा	18,891	178.35	14,000	123.35	10,000	76.15
सेलरी	4,565	14.11	4,500	13.57	4,250	13.46
सौंफ	4,417	18.82	4,000	16.28	4,200	16.67
मेथी	9,353	19.78	6,000	15.10	11,250	25.00
अन्य बीज (1)	3,708	14.31	5,000	17.67	12,250	29.24
लहसुन	11,087	12.75	1,100	3.87	1,250	5.71
जायफल एव जावित्री	856	16.30	1,350	19.90	1,400	26.35
वैनिला	22	5.05	27	17.51	25	22.26
अन्य मसाले (2)	18,408	62.86	35,623	144.79	25,975	110.89
करी पाउडर	5,841	43.00	6,250	40.48	6,750	46.40
पुदीने का तेल	4,185	154.98	3,600	127.64	8,500	360.56
मसाला ऑलियोरेजिन्स एवं अन्य तेल	3,860	393.71	4,400	386.48	4,250	362.29
कुल	235,916	1833.53	245,000	1625.35	250,950	1790.00
मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य		400.51		341.60		370.10

(1) सौंफ, अजवायन (अजवायन के बीज) सोआ बीज, पोस्त दाना, सरसों आदि शामिल है।

(2) इमली, हींग, दालचीनी, तेजपत्ता, केसर आदि शामिल है।

स्रोत: मसाला बोर्ड (अ) अनुमानित

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का लाभ/घाटा

1785. श्री सवशीभाई मकवाना :

श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी :

श्री वरकला राधाकृष्णन :

श्री विकास चौधरी :

श्री आर. एस. पाटिल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर. आर. बी.) का लाभ/घाटा कितना था;

(ख) क्या अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विभिन्न राज्यों से नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हेतु प्राप्त निवेदनों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में गंभीर विसंगतियों के कारण किसानों और अन्य क्षेत्रों को बैंकों के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकारण को सुधारने के लिए क्या प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) द्वारा अर्जित लाभ/उठाए गये घाटे के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से केवल 29 बैंक घाटे में चल रहे थे।

(घ) नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के निर्णय के लिए लम्बित नहीं है।

(ङ) और (च) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी ऋण एवं अग्रिम राशि, जो वर्ष 2000–2001 के दौरान 8823 करोड़ रु. थी। वर्ष 2001–02 में बढ़कर 10578 करोड़ रु. हो गई। पिछले वर्ष के दौरान ऋणों एवं अग्रिम राशि में लगातार हो रही वृद्धि से पता चलता है कि किसान और अन्य क्षेत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का लगातार लाभ उठा रहे हैं। ऋणों की मंजूरी में विसंगतियों, यदि कोई हों, की जांच करने और सुधारात्मक उपाय करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धतियां हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :–

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य–निष्पादन में सुनियोजित तरीके से सुधार लाने के लिए वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजना और समझौता ज्ञापन शुरू करना तथा आय का पता लगाने, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी मानदंडों को शामिल करते हुए विवेकपूर्ण मानदंड लागू करना;

(ii) व्यवसाय पोर्टफोलियो और क्रियाकलापों का विविधीकरण;

(iii) अधिशेष गैर–सांविधिक चल निधि अनुपात (एस एल आर फंड) के निवेश के अवसर बढ़ाना;

(iv) घाटा उठा रही शाखाओं का स्थान परिवर्तन एवं विलय सहित शाखा नेटवर्क को युक्ति संगत बनाना;

(v) ब्याज दर संरचना का अविनियम;

(vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन में प्रायोजक बैंकों की भूमिका बढ़ाना; और

(vii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाना।

विवरण

वर्ष 1999–00, 2000–01 एवं 2001–02 के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का राज्यवार लाभ/हानि का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों के नाम	लाभ/हानि 2000	लाभ/हानि 2001	लाभ/हानि 2002
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक	149.87	362.01	365.38

1	2	3	4	5
2.	गुडगांव ग्रामीण बैंक	1507.36	2208.64	2906.8
3.	हिसार सिरसा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक	258.03	352.72	323.47
4.	अम्बाला कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक	176.27	180.4	181.36
	हरियाणा	2091.53	3103.77	3777.01
5.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	404.14	404.14	404.14
6.	परवतिया ग्रामीण बैंक	160.53	160.53	160.53
	हिमाचल प्रदेश	564.67	564.67	564.67
7.	जम्मू रूरल बैंक	531.81	762.1	868.47
8.	इलाकाई दिहाती बैंक	−493.31	−636.61	−618.62
9.	कामराज रूरल बैंक	−253.63	3.61	87.06
	जम्मू-कश्मीर	−215.13	129.1	336.91
10.	शिवालिक क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक	504.25	544.98	751.02
11.	कपूरथला फिरोजपुर ग्रामीण बैंक	141.32	225.46	504.72
12.	गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक	491.4	862.01	1076.65
13.	मालवा ग्रामीण बैंक	401.99	508.89	415.94
14.	फरीदकोट भटिंडा ग्रामीण बैंक	169.61	185.35	176.32
	पंजाब	1708.57	2326.69	2924.65
15.	जयपुर नागौर क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक	828.32	536.71	436.46
16.	मारवाड़ ग्रामीण बैंक	268.38	262.18	390.14
17.	शेखावटी ग्रामीण बैंक	255.9	642.44	890.49
18.	मरूधर ग्रामीण बैंक	−281.18	−447.96	−370.06
19.	अलवर भरतपुर क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक	107.54	413.1	702.62
20.	अरावली क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक	−329.8	−473.27	−65.47
21.	हडोती क्षे. ग्रामीण बैंक	197.05	201.35	113.58

1	2	3	4	5
22.	मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक	101.83	−60.32	2.54
23.	थार आंचलिक ग्रामीण बैंक	−121.66	4.94	57.86
24.	बन्दी चित्तौड़गढ़ क्षे. ग्रामीण बैंक	49.11	77.17	69.48
25.	भीलवाड़ा अजमेर ग्रामीण बैंक	270.97	218.3	261.14
26.	डूंगरपुर बासवाडा ग्रामीण बैंक	6.39	4.34	9.12
27.	श्री गंगानगर क्षे. ग्रामीण बैंक	93.42	143.64	82.39
28.	बीकानेर क्षे. ग्रामीण बैंक	4.03	10.62	28.55
	राजस्थान		1522.62	2580.29
29.	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक		−179.28	−835.94
	अरुणाचल प्रदेश		−179.28	−835.94
30.	प्राग ज्योतिश गांवलिया बैंक		7.83	55.16
31.	लखमी गांवलिया बैंक		375.36	67.48
32.	काचर ग्रामीण बैंक		191.55	179.58
33.	लंगपी डिहांगी ग्रामीण बैंक		−162.66	−99.89
34.	सुबनसिरी गांवलिया बैंक		87.81	93.21
	असम		499.89	295.54
35.	मणिपुर रूरल बैंक		−32.04	−116.07
	मणिपुर		−32.04	−116.07
36.	खासी जयंतिया ग्रामीण बैंक		262.61	387.27
	मेघालय		262.61	387.27
37.	मिजोरम रूरल बैंक		20.27	34.32
	मिजोरम		20.27	34.32
38.	नागालैंड रूरल बैंक		9.14	2.38
	नागालैंड		9.14	2.38

1	2	3	4	5
39.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक		−818.78	25.96
	त्रिपुरा		−818.78	25.96
40.	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक		1017.5	1172.75
41.	चम्पारण ग्रामीण बैंक		−496.69	16.97
42.	मगध ग्रामीण बैंक		1408.01	1884.8
43.	कोशी ग्रामीण बैंक		252.45	556.67
44.	वैशाली ग्रामीण बैंक		20.79	−160.85
45.	मुंगेर ग्रामीण बैंक		−281.1	−56.12
46.	मधुबनी ग्रामीण बैंक		20.23	−226.88
47.	नालन्दा ग्रामीण बैंक		−226	−78.44
48.	मिथला ग्रामीण बैंक		101.61	104.32
49.	समस्तीपुर ग्रामीण बैंक		130.59	−138.77
50.	गोपालगंज ग्रामीण बैंक		450.06	411.17
51.	सारण ग्रामीण बैंक		−34.74	6.59
52.	सिवान ग्रामीण बैंक		422.03	612.1
53.	पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक		70.83	187.34
54.	भागलपुर बांका क्षे. ग्रामीण बैंक		82.96	2.11
55	बेगुसराय क्षे. ग्रामीण बैंक		215.66	123.8
	बिहार		3154.19	4417.56
56.	सथाल परगना ग्रामीण बैंक		174.51	−69.7
57.	सिंहभूम ग्रामीण बैंक		125.69	45.38
58.	पालामू ग्रामीण बैंक		139.58	59.47
59.	रांची क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक		−137.47	−336.86
60.	गिरडीह ग्रामीण बैंक		59.77	161.96
61.	हजारीबाग ग्रामीण बैंक		312.83	189.4

1	2	3	4	5
	झारखंड	930.67	674.91	49.65
62.	पूरी ग्रामीण बैंक	19.33	−148.86	17.96
63.	बोलंगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक	−1405.46	−708.29	−628.95
64.	कटक ग्राम्या बैंक	−209.36	−209.5	−998.89
65.	कोरापूट पंचबटी ग्रामीण बैंक	102.19	178	−399.9
66.	कालाहांडी आंचलिक ग्रामीण बैंक	28.05	17.25	−805.61
67.	बैतारणी ग्रामीण बैंक	−164.75	102.98	14.4
68.	बालासोर ग्रामीण बैंक	−833.5	−926.34	−1056.76
69.	ऋषिकुल्या ग्रामीण बैंक	132.73	305.8	308.76
70.	ढेण्कानाल ग्रामीण बैंक	180.44	280.57	300.58
	उड़ीसा	−2150.33	−1108.39	−3248.41
71.	गोड ग्रामीण बैंक	−831.99	109.75	411.85
72.	माला भूम ग्रामीण बैंक	44.33	266.33	240.78
73.	मथुराकाशी ग्रामीण बैंक	−493.67	155.35	125.13
74.	उत्तर बंगाल क्षे. ग्रामीण बैंक	−331.38	64.42	104.06
75.	नदीया ग्रामीण बैंक	179.5	183.87	107.04
76.	सागर ग्रामीण बैंक	149.72	503.16	512.48
77.	बर्द्धमाल ग्रामीण बैंक	100.2	68.04	323.36
78.	हावड़ा ग्रामीण बैंक	29.59	121.53	298.98
79.	मुर्शीदाबाद ग्रामीण बैंक	27.78	55.81	121.59
	पश्चिम बंगाल			
80.	बिलासपुर रायपुर क्षे. ग्रामीण बैंक	18.54	−230.55	−213.75
81.	सरगुजा क्षे. ग्रामीण बैंक	18.54	61.35	30.77
82.	बस्तर ग्रामीण बैंक	217.36	−437.06	−414.11

1	2	3	4	5
83.	दुर्ग राजनंद गांव ग्रामीण बैंक	58.02	151.68	164.29
84.	रायगढ क्षे. ग्रामीण बैंक	115.37	176.93	110.3
	छत्तीसगढ़	427.83	14.25	−77.98
85.	क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद	−75.38	206.17	220.51
86.	रीवा सिधी ग्रामीण बैंक	−445.6	658.79	408.39
87.	बुन्देलखंड ग्रामीण बैंक	221.48	250.45	178.92
88.	शारदा ग्रामीण बैंक	−180.06	230.65	128.25
89.	झाबुआ धार ग्रामीण बैंक	79.28	−92.16	61.75
90.	शिवपुरी गुणा ग्रामीण बैंक	95.01	123.41	201.21
91.	दमोह पन्ना सागर ग्रामीण बैंक	127.89	263.34	268.96
92.	देवास राजापुर क्षे. ग्रामीण बैंक	114.9	160.25	261.9
93.	निमाड क्षे. ग्रामीण बैंक	40.56	−20.13	−2.86
94.	माण्डलाबाल धार ग्रामीण बैंक	−87.57	21.11	90.42
95.	छिन्दवाडा सिवानी ग्रामीण बैंक	7.78	28.88	83.41
96.	राजगढ़ सिहोर ग्रामीण बैंक	21.82	41.58	78.96
97.	शहडोल ग्रामीण बैंक	−156.18	−76.28	21.14
98.	रतलाम मण्डसौर ग्रामीण बैंक	100.03	117.84	171.27
99.	चम्बल क्षे. ग्रामीण बैंक	51.35	103.53	141.04
100.	महाकोशल क्षे. ग्रामीण बैंक	−240.26	−189.84	−284.41
101.	इन्दौर उज्जैन क्षे. ग्रामीण बैंक	109.68	1.5	−23.53
102.	ग्वालियर दातिया क्षे. ग्रामीण बैंक	61.11	150.74	191.23
103.	विदिशा भोपाल क्षे. ग्रामीण बैंक	191.23	289.53	293.4
	मध्य प्रदेश	37.07	2269.36	2489.96
104.	नैनीताल अलमोड़ा क्षे. ग्रामीण बैंक	2161.83	396.76	365.52

1	2	3	4	5
105.	पिथौरागढ़ क्षे. ग्रामीण बैंक	2669.59	217.15	204.84
106.	गंगा यमुना ग्रामीण बैंक	1143.59	90.67	105.49
107.	अलकनंदा ग्रामीण बैंक	466.54	139.42	86.84
	उत्तरांचल	6441.55	844	762.69
108.	प्रथमा बैंक	356.57	2617.03	2669.1
109.	गोरखपुर क्षे. ग्रामीण बैंक	621.32	2860.11	2879.92
110	संमक्ट क्षे. ग्रामीण बैंक	1622.19	1979.66	2011.49
111.	बाराबंकी ग्रामीण बैंक	533.58	506.24	518.6
112.	रायबरेली क्षे. ग्रामीण बैंक	381.22	347.55	404.43
113.	फरूखाबाद क्षे. ग्रामीण बैंक	726.1	621.92	300.85
114.	भागीरथ ग्रामीण बैंक	569.48	1930.08	1766.33
115.	बलिया ग्रामीण बैंक	1234.23	611.36	682.59
116.	सुल्तानपुर क्षे. ग्रामीण बैंक	210.17	145.79	162.73
117.	अवध ग्रामीण बैंक	76.12	1032.6	760.72
118.	कानपुर क्षे. ग्रामीण बैंक	−170.69	335.42	692.87
119.	श्रावस्थी ग्रामीण बैंक	262.93	966.3	643.87
120.	इटावा क्षे. ग्रामीण बैंक	1265.32	314.26	87.34
121.	किसान क्षे. ग्रामीण बैंक	265.07	202.82	317.43
122.	क्षेत्रिय किसान ग्रामीण बैंक	212.09	−296.64	−101.73
123.	काशी ग्रामीण बैंक	428.91	580.41	908.68
124.	बस्ती ग्रामीण बैंक	70.59	1040.57	1209.78
125.	इलाहाबाद क्षे. ग्रामीण बैंक	503.82	405.14	491.89
126.	प्रतापगढ़ क्षे. ग्रामीण बैंक	708.79	399.29	515.52
127.	फैजाबाद ग्रामीण बैंक	866.45	590.39	626.7

1	2	3	4	5
128.	फतेहपुर क्षे. ग्रामीण बैंक	357.31	132.63	143.29
129.	बरेली क्षे. ग्रामीण बैंक	252.42	510.56	539.05
130.	देवीपाटन क्षे. ग्रामीण बैंक	275.07	697.74	754.57
131.	अलीगढ क्षे. ग्रामीण बैंक	179.39	1168.63	1221.29
132.	तुलसी ग्रामीण बैंक	−462.45	580.28	425.42
133.	एटा ग्रामीण बैंक	281.16	221.46	95.61
134.	गोमती ग्रामीण बैंक	568.23	393.59	641.29
135.	छतरसाल ग्रामीण बैंक	354.43	256.66	281.73
136.	रानी लक्ष्मीबाई क्षे. ग्रामीण बैंक	187.14	−239.09	−273.87
137.	विदूर ग्रामीण बैंक	593.69	332.69	501.71
138.	शाहाजानपुर क्षे. ग्रामीण बैंक	179.09	728.14	768.25
139.	विन्धयावासनी ग्रामीण बैंक	113.27	51.9	63.62
140.	सरयू ग्रामीण बैंक	287.42	754.3	907.72
141.	जमुना ग्रामीण बैंक	68.92	190.19	300.23
142.	मुजफ्फरनगर ग्रामीण बैंक	116.71	136.39	311.11
143.	हिण्डन ग्रामीण बैंक	110.11	202.58	155.47
	उत्तर प्रदेश	14096.06	23106.37	24229.45
144.	कच्छ ग्रामीण बैंक	274.84	359.25	585.33
145.	जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक	301.49	465	339.46
146.	बानसकांठा महसान ग्रामीण बैंक	36.73	181.59	65.27
147.	पंचमहल वडोदरा ग्रामीण बैंक	119	104.75	109.47
148.	सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक	231.18	203.2	288.42
149.	वलसाढ देग ग्रामीण बैंक	279.02	331.47	423.6
150.	सूरत भरूच ग्रामीण बैंक	1.22	42.95	−156.73

1	2	3	4	5
151.	सबरकांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक	209.75	216.09	247.01
152.	जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक	197.62	209.79	154.87
	गुजरात	1650.85	2114.09	2056.7
153.	मराठवाडा ग्रामीण बैंक	201.25	50.79	5.18
154.	औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक	533.2	455.29	592.35
155.	चन्दापुर गढ़ चरोरी ग्रामीण बैंक	37.03	73.15	101.97
156.	अकोला ग्रामीण बैंक	47.27	132.82	159.68
157.	रत्नागिरी सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैंक	10.59	57.31	−135.48
158.	सोलापुर ग्रामीण बैंक	-24.78	37.33	10.86
159.	भंडारा ग्रामीण बैंक	2.16	−24.11	−215.48
160.	यवतमाल ग्रामीण बैंक	108.91	153.6	160.94
161.	बुलडाना ग्रामीण बैंक	117.72	124.57	196.85
162.	थान ग्रामीण बैंक	143.25	205.24	162.68
	महाराष्ट्र	1176.6	1265.79	949.55
163.	नागार्जुन ग्रामीण बैंक	296.28	378.04	101.3
164.	रायलसीमा ग्रामीण बैंक	995.94	1102.41	1566.8
165.	श्री विशाखा ग्रामीण बैंक	366.35	502.54	632.07
166.	श्री अनन्या ग्रामीण बैंक	918.06	1035.4	1112.86
167.	श्री वेंकटेशवरा ग्रामीण बैंक	385.73	548.73	286.82
168.	श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक	418.47	259.11	482.74
169.	संगमेश्वरा ग्रामीण बैंक	483.51	724.75	546.87
170.	मजीरा ग्रामीण बैंक	551.22	612.4	621.64
171.	दिनाकिनी ग्रामीण बैंक	512.93	819.55	312.86
172.	काकातीया ग्रामीण बैंक	116.72	128.86	−319.66

1	2	3	4	5
173.	चैतन्या ग्रामीण बैंक	226.16	165.89	301.45
174.	श्री शातावाहाना ग्रामीण बैंक	208.57	165.16	104.63
175.	गोलकुण्डा ग्रामीण बैंक	228.11	182.12	179.77
176.	श्री रामा ग्रामीण बैंक	263.04	181.23	204.97
177.	कनका दुर्गा ग्रामीण बैंक	228.31	196.6	189.92
178.	गोदावरी ग्रामीण बैंक	159.05	86.52	68.18
	आन्ध्र प्रदेश	6360.47	7080.33	6292.02
179.	तुंग भद्रा ग्रामीण बैंक	1380	1603	1610
180.	मालप्रभा ग्रामीण बैंक	1848.42	1579.51	920.26
181.	कावेरी ग्रामीण बैंक	202.11	197.42	665.5
182.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	613.62	963.87	422.55
183.	चित्रादुर्गा ग्रामीण बैंक	122.06	382.8	543.81
184.	कल्पतरू ग्रामीण बैंक	261.2	500.05	279.91
185.	कोलार ग्रामीण बैंक	310.6	387.58	493.72
186.	बिजापुर ग्रामीण बैंक	902.48	1187.69	1258.36
187.	चिकमगलूर कोडागू ग्रामीण बैंक	301.75	176.88	134.43
188.	शाहिद ग्रामीण बैंक	235.69	252.03	262.72
189.	नेत्रावती ग्रामीण बैंक	50.25	83.27	109.51
190.	वरदा ग्रामीण बैंक	132.55	64.15	205.26
191.	विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक	81.25	100.66	145.55
	कर्नाटक	6391.98	7479.11	7051.58
192.	साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक	1278.47	1474.58	1193.33
193.	नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	1585.36	1785.43	985.16
	केरल	2833.83	3260.01	2098.49

1	2	3	4	5
194.	पाण्डयण ग्रामा बैंक	442.31	515.74	815.91
195.	अधियामान ग्रामा बैंक	169.05	186.75	253.61
196.	वल्लार ग्रामा बैंक	202.29	215.35	177.16
	तमिलनाडु	813.65	917.84	1246.68
	कुल योग	42968.7	60061.69	60787.21

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना

1786. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्य बीमा अधिकारी संघ के राष्ट्रीय परिसंघ ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी उस अधिसूचना का विरोध किया है जिसके जरिए गैर–सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों द्वारा बीमा कंपनियों को प्रत्यक्षतः कारोबार दिए जाने पर मिलने वाले कमीशन (दलाली) पर पांच प्रतिशत डिस्काउंट की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो परिसंघ ने क्या आपत्तियां उठाई हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि उनके द्वारा बीमाकर्ताओं, बीमित व्यक्तियों और अन्यों से प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर प्राधिकरण ने दिनांक 16 जुलाई, 2003 को एक अधिसूचना जारी की है जिसके जरिए आईआरडीए द्वारा पहले जारी की गई उस अधिसूचना को आस्थगित कर दिया गया है जिसमें गैर सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों द्वारा प्रत्यक्षतः कारोबार दिए जाने पर मिलने वाले कमीशन (दलाली) पर 5% डिस्काउंट की सुविधा को समाप्त कर दिया गया था।

कर्नाटक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाएं

1787. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कर्नाटक राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सहायता से कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु कर्नाटक में और परियोजनाओं को मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान वर्ष हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य में 100 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) की परियोजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) परियोजना की स्थापना संबंधी कार्य को निवेशक के वाणिज्यिक अनुमान पर छोड़ दिया जाता है। सरकार ने एक उदार और पारदर्शी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति बनाई है जिसमें कई क्षेत्रों को स्वतः अनुमोदन मार्ग पर 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खोल दिया गया है। सरकारी अनुमोदन वाले मामलों पर समयबद्ध रूप से विचार किया जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	क्षेत्र	विदेशी इक्विटी (रु. लाख में)	सहयोगी	देश
1	2	3	4	5	6
1.	अमेरिका ऑन लाइन इंक	दूरसंचार	46000	अमेरिका ऑन लाइन इंक. वर्जिना	यू.एस.ए.
2.	बेलारी स्टील एंड एलाय लि.	फेरस	10480	वीजा लि.	यू.के.
3.	बी.पी एल यूएस वैस्ट सेलूलर टेलिकम्यूनिकेशनस्	सेल्यूलर मोबाइल/बुनियादी टेलीफोन सेवा	27518	यूएस वैस्ट सेलूलर इन्वेस्टमैन्टस् कं.	मॉरीशस
4.	बिरतानिया न्यूजीलैण्ड फूड्स प्रा. लि.	खाद्य उत्पाद	10488	फोन्टेरा कॉआपरेटिव ग्रुप लि. न्यू	न्यूजीलैण्ड
5.	डेल्फी ऑटोमोटिव सिस्टमस् प्रा. लि.	ऑटोमोबाइल उद्योग	45000	जनरल मोटर्स कार्पोरेशन	यू.एस.ए.
6.	जनरल मोटर्स कार्पोरेशन	ऑटोमोबाइल उद्योग	11260	जनरल मोटर्स कार्पोरेशन	यू.एस.ए.
7.	आई.बी.एम. ग्लोबल सर्विसस इंडिया प्रा. लि.	डिजाइन और इंजीनियरी सेवा	10500	आई बी एम वर्ल्ड ट्रेड कार्पोरेशन यू.एस.ए.	यू.एस.ए.
8.	इन्फॉमेशन टैकनोलॉजी पार्क लि.	गैर–वित्तीय सेवाएं	14000	इन्फॉमेशन टैकनोलॉजी पार्क इन्वैस्टमेंट	सिंगापुर
9.	जिन्दल ट्रकटेबेल पावर कं. लि.	विद्युत	14500	ट्रैकटेबेल एस.ए.	बेल्जीयम
10.	लाइफस्टाइल इन्टरनेशनल लि.	ट्रेडिंग (कार्यकलाप)	10000	लाइफस्टाइल इन्टरनेशनल प्रा. लि. (ओसीबी)	एन.आर.आई.
11.	मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लि.	तेल रिफाइनरी	67100	ओवरसीज फोरेन इन्वेस्टर्स	यूरो इश्यूज (जीडीआर)
12.	पराग्जेर इंडिया प्रा. लि.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	20000	पराग्जेर एयर पेसेफिक लि.	मॉरीशस
13.	भारतीय स्टेट बैंक	वित्तीय	175000	यूरो इश्यूज	यूरो इश्यूज (जीडीआर)

1	2	3	4	5	6
14.	तनीर बावी पावर कं.	विद्युत	10000	शिकागो पावर इंक	यू.एस.ए.
15.	तनवीर बावी पावर कं.	विद्युत	25650	मै. तनीर बावी पावर कं. लि.	मॉरीशस
16.	टाटा ल्यूसेन्ट टैक्नोलोजी लि.	दूरसंचार	14920	ल्यूसेन्ट इंटरनेशनल इंक	यू.एस.ए.
17.	टी एम टी (इंडिया) लि.	पुष्प कृषि	16000	एग्रो एडवाइज ब्यूरो	नीदरलैण्ड
18.	टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स	ऑटोमोबाइल उद्योग	44400	टोयटा मोटर्स कार्पोरेशन	जापान
19.	टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स लि.	ऑटोमोबाइल उद्योग	52200	टोयटा मोटर्स कार्पोरेशन	जापान
20.	टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स कं. लि.	ऑटोमोबाइल उद्योग	62200	टोयटा मोटर्स कार्पोरेशन	जापान
21.	टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स प्रा. लि.	पैसेनजर कार	10000	टोयटा मोटर्स कार्पोरेशन	जापान
22.	उषा आयरन एण्ड फेरो मैटल्स कार्पोरेशन लि.	फेरेस	50000	फेरो स्टाल एक्टलेंग एस्लसचार्ट	जर्मनी
23.	वोल्वो इण्डिया लि.	ऑटोमोबाइल उद्योग	27280	वोल्वो ट्रक कार्पोरेशन	स्वीडन
24.	विप्रो लि.	कंप्यूटर साफ्टवेयर उद्योग	279500	जीडीआर/एडीआर	यूरो इश्यूज (जीडीआर)
25.	बीवाटर इंटरनेशनल लि.	निर्माण कार्यकलाप	42000	बीवाटर इंटरनेशनल लि. यू.के.	यू.के.
26.	इटन कार्पोरेशन	अन्य (परिवहन)	12750	इटन कार्पोरेशन यू.एस.ए.	यू.एस.ए.
27.	यूरोकैपीटल एक्टींगगेसेल्सचाप्ट	विद्युत	15902	यूरोकैपीटल एजी	जर्मनी
28.	इंडियाइन्फो. कोम प्रा. लि.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग	70950	एडीआर इश्यू	यूरो इश्यूज (जीडीआर)
29.	कल्याणी कोक एण्ड कोजनरेशन प्रा. लि.	विद्युत	33000	मै.तेनास्का इंटरनेशनल एनर्जी लि.	मॉरीशस

1	2	3	4	5	6
30.	प्रोटेल इंडिया प्रा. लि.	सेलूलर मोबाइल/ बुनियादी टेलीफोन सेवा	15680	कंपेजनी इंटरनेशनल डीयू रेडियोटेलीफोन (सी.आई.)	फ्रांस
31.	स्मिथ कोजनरेशन (इंडिया) प्रा. लि.	विद्युत	20520	स्मिथ कोजनरेशन इंटरनेशनल इंक	यू.एस.ए.
32.	टैक्टीबल इनर्जी साउथ एशिया प्रा. लि.	आयल रिफाइनरी (अन्य)	311600	ट्रैक्टीबल एस.ए.एण्ड टैक्टीबल पावरफिन पीएलसी	बेल्जीयम
33.	कन्हीया एनर्जी सिस्टम प्रा. लि.	विद्युत	17500	युनिवर्सल वाटर एण्ड पावर लि.	एन आर आई
34.	यूरोकैपीटल एक्टींगगेसेल्सचाप्ट	विद्युत	12588	यूरोकैपीटल एक्टींगगेसेल्सचाप्ट	जर्मनी
35.	इंडीपैन्डैंट पावर कार्पोरेशन	विद्युत	11700	इंडीपैन्डैंट पावर कार्पोरेशन	यू.एस.ए.
36.	निप्पन डेनरो इस्पात लि.	आयल रिफाइनरी	67500	इस्पात ग्रुप ओवरसीज् कंपनीज्	एन आर आई
37.	पुलाकेशी पावर कं. प्रा. लि.	विद्युत	13200	एन आर आई कैपीटल कार्पोरेशन	यू.एस.ए.
38.	कोजेन्ट्रीक्स डेवलेपमैंट कं.	विद्युत	27450	कोजन्ट्रीक्स डेवलेपमैंट कं.	यू.एस.ए.
39.	कोस्टल पावर कं.	विद्युत	11200	कोस्टल पावर कं.	यू.एस.ए.
40.	टोयटा किर्लोस्कर ऑटो पार्टस् प्रा. लि.	आटोमोबाइल उद्योग	30375	टोयटा मोटर कार्पोरेशन	जापान
41.	स्कोटिस एण्ड न्यूकैशल पीएलसी.	फरमैन्टेशन	79000	स्कोटिस एण्ड न्यूकैशल पीएलसी. (एस एण्ड एन)	यू.के.
42.	चाइना कन्सट्रैक्शन (साउथ पेसिफिक) डेवलैपमैन्ट कं. प्रा. लि.	निर्माण कार्यकलाप	10000	आई.आर.ई. कार्पोरेशन लि. सिंगापुर	सिंगापुर
43.	किर्लोस्कर टोयोडा टैक्सटाइल मशीनरी लि.	औद्योगिक मशीनरी	19977	टोयोडा ऑटोमैटिक लूम वर्क्स लि.	जापान
44.	दि वैश्य बैंक लि.	होस्पीटल एण्ड डाइग्नोस्टी.क सैन्टर	34081.07	बैंक ब्रुसैल्स लैम्बर्ट	बेल्जीयम

नेशनल मल्टी-कॉमोडिटी एक्सचेंज

1788. डा. एन. वेंकटस्वामी :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भावी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु 'नेशनल मल्टी-कॉमोडिटी एक्सचेंज' गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह एक्सचेंज चालू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित एक्सचेंज में ट्रेडिंग हेतु किन पण्यों की पहचान/चयन किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) सरकार ने निगमित क्षेत्र में चार राष्ट्र-व्यापी मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज स्थापित करने की मंजूरी दे दी है जिनमें से नेशनल मल्टी कॉमोडिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अहमदाबाद को अंतिम मान्यता प्रदान की जा चुकी है तथा अन्य तीन अर्थात् नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड, इन्दौर, दी नेशनल कॉमोडिटी एण्ड डेरीवेटिक्स एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई और दी मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, मुंबई को अपनी प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी गई है। इन एक्सचेंजों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के निगमित निकायों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। सरकार इन एक्सचेंजों को मंजूरी/मान्यता प्रदान करती है क्योंकि ये अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत विनियमित होते हैं। दी नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, अहमदाबाद ने नवम्बर, 2002 से कार्य करना आरंभ किया, यह 47 मदों में व्यापार कर रहा है जिनमें खाद्य तेल ब्लाक, एलम्यूनियम, निकल, चीनी, रबड़, गुड़, काली मिर्च, सीसा, तांबा, टिन, जिंक, चना, ग्वार और टाट शामिल हैं। अन्य तीन एक्सचेंज आवश्यक आधारढांचागत तथा सांविधिक औपचारिकताएं पूरी करने में लगे हैं, यद्यपि इंदौर स्थित एक्सचेंज क्षेत्रीय एक्सचेंज के रूप में पहले से ही बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहा है। एक बार औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद वे विशिष्ट वस्तुओं में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करेंगे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

1789. श्री सुन्दर लाल तिवारी :

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

डा. चरण दास महन्त :

श्री पी. सी. गढ़वी :

श्रीमती श्यामा सिंह :

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :

श्री अधीर चौधरी :

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने हाल में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त आयोग में कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं, और

(घ) इसके कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) से (घ) राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठन के लिए संसद में पहले ही 9 मई, 2003 को संविधान (अठानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 पुरःस्थापित किया जा चुका है। विधेयक यह उपबंध करता है कि उक्त आयोग में निम्नलिखित होंगे:

(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ....अध्यक्ष;

(ii) उच्चतम न्यायालय के दो ऐसे अन्य न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पश्चात् ज्येष्ठता के क्रम में हैं;

(iii) विधि और न्याय मंत्रालय के प्रभारी संघीय मंत्री;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिष्ठित नागरिक।

प्रस्तावित आयोग :

(i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिशें करेगा;

(ii) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की सिफारिशें करेगा;

(iii) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों के लिए आचार–संहिता तैयार करेगा;

(iv) स्वविवेक से या शिकायत पर या निर्देश किए जाने पर किसी न्यायाधीश के कदाचार के मामलों या उसे हटाए जाने की अपेक्षा करने वाले मामलों से भिन्न किसी अन्य विसामान्य व्यवहार के मामलों की जांच–पडताल करेगा और ऐसी जांच–पड़ताल के पश्चात् भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को इस संबंध में समुचित रूप से सलाह देगा।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव

1790. श्री शिवराजसिंह चौहान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार ने चालू वर्ष के दौरान राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार का निर्णय क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को जम्मू व कश्मीर की राज्य सरकार से कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनवरी, 2000 से मई 2003 के दौरान, जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए कोई एफआईपीबी अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

झींगा आयात पर प्रतिबंध

1791. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री चन्दनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार ने हाल ही में भारतीय झींगे के आयात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रतिबंध को हटवाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) अमरीका द्वारा भारतीय झींगे के आयात पर हाल ही में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तथापि, अमरीका ने इस आधार पर कि यंत्रीकरण साधनों द्वारा झींगा पकड़ने से समुद्री कछुओं की कुछेक प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, भारत सहित ऐसे देशों से झींगे के आयात पर वर्ष 1996 में प्रतिबंध लगाया था जो कछुआ वर्जन उपायों (टी ई डी) संबंधी शिकायत के बारे में अधिप्रमाणित नहीं है। यह प्रतिबंध आज भी लगा हुआ है और अमरीका द्वारा इस प्रतिबंध को वापस लिए जाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय के समक्ष भारत के प्रयासों में सफलता नहीं मिली है। तथापि, जलकृषि मूल के झींगों और गैर – यंत्रीकरण साधनों से पकड़े गए झींगों का अमरीका को निर्यात समुद्री उत्पाद निर्यात विकास

प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा जारी किए गए इस आशय के प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम की शाखाएं

1792. श्री पी. आर. खूंटे :

श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों, विशेषकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जीवन बीमा निगम **और** साधारण **बीमा** निगम की स्थान–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ में उपरोक्त बीमा निगमों की **शाखाओं की** संख्या **पर्याप्त** है; और

(ग) यदि नहीं, तो निकट **भविष्य** में ऐसी और शाखायें **खोलने** हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि निगम की भारत मे, छत्तीसगढ़ स्थित 30 शाखाओं सहित, 2048 शाखाएं है। एलआईसी द्वारा यथा सूचित इसकी शाखाओं का राज्य–वार तथा छत्तीसगढ़ मे स्थित शाखाओं का स्थान–वार ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है। जहां तक साधारण बीमा निगम (जीआईसी) का संबंध है, मुम्बई में उनका कारपोरेट कार्यालय तथा दिल्ली में **संपर्क कार्यालय** स्थित है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

शाखाओं की राज्यवार संख्या और छत्तीसगढ़ में शाखाओं का स्थान नीचे बताया गया है :

क्र.सं.	राज्य	शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	दिल्ली राज्य	70
2.	हरियाणा	31
3.	हिमाचल प्रदेश	23
4.	जम्मू–कश्मीर	17
5.	पंजाब	69
6.	राजस्थान	110
7.	उत्तरांचल	32
8.	उत्तर प्रदेश	215
9.	छत्तीसगढ़	30
10.	मध्य प्रदेश	110
11.	असम	66
12.	बिहार	64
13.	झारखंड	37
14.	उडीसा	56
15.	पश्चिम बंगाल	140
16.	आंध्र प्रदेश	176
17.	कर्नाटक	138
18.	केरल	85
19.	तमिलनाडु	176
20.	गोवा	11
21.	गुजरात	142
22.	महाराष्ट्र	250
	जोड़	2048

छत्तीसगढ़ में स्थान–वार शाखाएं :

क्र.सं.	शाखा संख्या	स्थान
1	2	3
1.	38 जी	भाटपारा
2.	38 के	भिलाई (कैरियर एजेंट शाखा)
3.	38 एल	भिलाई–।

1	2	3
4.	38 ई	भिलाई–II
5.	3065	बिलासपुर (कैरियर एजेंट शाखा)
6.	384	बिलासपुर–I
7.	38 एच	बिलासपुर–II
8.	38 एफ	डाल्ली राजहरा
9.	38 सी	दांतेवाड़ा
10.	379	धामतरी
11.	383	दुर्ग
12.	377	जगदलपुर
13.	3066	कनकर
14.	389	कोरबा–I
15.	38 जे	कोरबा–II
16.	248	महासमुंद
17.	38 डी	मुंगेली
18.	38 ए	नायला
19.	3067	पाठलगांव
20.	385	रायगढ़
21.	390	रायपुर सीबीओ (कैरियर एजेंट शाखा)
22.	382	रायपुर सीबीओ I
23.	298	रायपुर सीबीओ II
24.	38 एम	रायपुर सीबीओ III
25.	249	राजनंदगांव
26.	38 एल	सरायपल्ली
27.	3103	सूरजपुर
28.	386	अम्बिकापुर
29.	38 बी	मानेन्द्रगढ़
30.	3099	चिरीमिरी

[अनुवाद]

इराक को गेहूं की खेप

1793. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्ध के दौरान और युद्ध के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की तेल के बदले अनाज योजना के अंतर्गत इराक को भेजी गई गेहूं की खेप के संबंध में ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : संयुक्त राष्ट्र के तेल के बदले खाद्यान्न कार्यक्रम के अधीन युद्ध छिड़ने से पूर्व इराकी तेल के निर्यात से प्राप्त राजस्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियंत्रित एस्क्रो खाते में जाते थे, जिसमें से इराक में आवश्यक आयातों के लिए भुगतान किया जाता था। आपूर्ति के ठेकों का अनुमोदन और पर्यवेक्षण संयुक्त राष्ट्र की समिति द्वारा किया जाता था।

भारतीय गेहूं निर्यातकों ने युद्ध से पूर्व तत्कालीन मौजूद तेल के बदले खाद्यान्न कार्यक्रम के अधीन ठेकों पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन केवल 2 ठेकों को तरजीह दी गई जिनके तहत 52850 टन गेहूं अन्तर्ग्रस्त था।

एन टी सी मिलों का पुनर्गठन

1794. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **वस्त्र** मंत्री एन टी सी मिलों के पुनर्गठन के बारे में 2 मई, 2003 के तारांकित प्रश्न संख्या 5800 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुनर्गठन की प्रबंध योजना तैयार कर ली गई है और इसे 'सक्षम प्राधिकारियों' द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(घ) पुनर्गठन योजना का अनुमोदन करने वाले सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य किससे है; और

(ङ) योजना के पुनर्गठन के संबंध में एन टी सी प्रबंधन द्वारा रखे गए और मंत्रालय द्वारा पुनर्गठन योजना में सम्मिलित किए गए दृष्टिकोणों का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) सरकार ने एनटीसी की कंपनियों का विलय करने की योजना का अनुमोदन कर दिया है और बीआईएफआर के समक्ष उसका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) योजना में एनटीसी की 9 कंपनियों को, 4 स्वतंत्र क्षेत्रीय कंपनियों में विलय करने का प्रस्ताव है। योजना में एनटीसी की कंपनियों की शक्तियों और दायित्वों का अत्यधिक विकेंद्रीकरण करने के साथ कॉरपोरेट कार्यालयों के आकार को कम करने की व्यवस्था है ताकि उन्हें उनके कार्य–निष्पादन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके।

(ग) इस समय बीआईएफआर इस योजना पर विचार कर रहा है।

(घ) बीआईएफआर, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम के अंतर्गत रुग्ण कंपनियों का विलय करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है।

(ङ) एनटीसी के प्रबंधकों ने आकार को कम करने के विकल्प के पक्ष में होते हुए सभी कंपनियों को एक ही कंपनी में विलय करने का अनुरोध किया है। चूंकि इसके फलस्वरूप और अधिक केन्द्रीकरण होगा, इसलिए इसके प्रति सहमति नहीं हुई।

बीमा कारोबार में सरकारी क्षेत्र के बैंक

1795. डा. अशोक पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के कई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति न मिलने के कारण बीमा क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुमति प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) यह सच नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति न होने के कारण बीमा कारोबार में कार्य करने में समर्थ नहीं हुए हैं। बैंकों को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) से आवश्यक लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करने के अध्यधीन बीमा कारबार में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, बैंक अब एक संयुक्त उद्यम भागीदार बन सकता है अथवा एक कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है अथवा किसी बीमा कंपनी के साथ परामर्श व्यवस्था कर सकता है। उदाहरणार्थ, भारतीय स्टेट बैंक को एक बीमा अनुषंगी – एस बी आई लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड – स्थापित करने की अनुमति दी गई है जबकि इसके सातों सहयोगी बैंकों को कारपोरेट ऐजेन्सी शुरू करने की अनुमति दी गई है। बारह राष्ट्रीयकृत बैंकों को अब तक बीमा कंपनियों के कारपोरेट ऐजेन्ट के रूप मे कार्य करने की अनुमति दी गई है जबकि पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों को विभिन्न बीमा कंपनियो के साथ परामर्श व्यवस्था करने की अनुमति दी गई है।

उपभोक्ता सूचना केंद्र

1796. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक स्थापित हो चुके और कार्यशील जिला उपभोक्ता सूचना केंद्रों की राज्यवार और जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) क्या स्थापना प्रक्रिया में गैर–सरकारी संगठन सम्मिलित हैं; और

(ग) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की स्थापना या जो जिला परिषद या ऐसे प्रतिष्ठित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन/गैर–सरकारी संगठन द्वारा की जाती है जिसको संबंधित राज्य सरकार जिला–कलेक्टर/जिलाधीश द्वारा विधिवत सत्यापित/संस्तुत किया गया हो।

विवरण

स्वीकृत/स्थापित जिला उपभोक्ता सूचना केंद्रो की संख्या दर्शाने वाली सूची।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्वीकृत/स्थापित जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र की संख्या	जिले का नाम	
			2001–2002	2002–2003
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	गुंटूर	
2.	चंडीगढ़	1	चंडीगढ़	
3.	दमन व दीव	1	मोती दमन	
4.	दिल्ली	2	किदवई नगर	मयूर विहार
5.	गुजरात	3	राजकोट, साबरकंटा	वडोदरा
6.	हरियाणा	1	झज्जर	
7.	मणिपुर	6	चंदेल	थौबाल, सेनापति, इम्फाल (2), बिष्णुपुर
8.	मध्य प्रदेश	3	भोपाल (2), ग्वालियर	
9.	महाराष्ट्र	1	अहमदनगर	
10.	मिजोरम	1	आईजोल	
11.	उडीसा	7	मयूरभंज, कंधामल, भद्रक, कालाहाण्डी, बलांगीर, बालासोर, अंगुल	
12.	पांडिचेरी	2	कराईकाल	अयेंकुटिपलायम
13.	राजस्थान	3	चित्तोड़गढ़	दौसा, अजमेर
14.	उत्तरांचल	3	देहरादून, चमोली	अलमोड़ा
15.	पश्चिम बंगाल	6	मिदनापुर, बांकुड़ा, कोलकाता	किदेरपोर, नादिया, हुगली
16.	सिक्किम	1	गंगटोक (पूर्व)	
17.	केरल	1	तिरूवनन्तपुरम	
18.	तमिलनाडु	1	रामनाथपुरम	
	कुल	44		

विशेष आर्थिक जोनों को प्रोत्साहन

1797. **श्री जे. एस. बराड़** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक जोनों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रोत्साहनों का आर्थिक विकास और विशेष आर्थिक जोनों में बेरोजगारी को दूर करने में क्या महत्व है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग

मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए घोषित कुछेक प्रमुख प्रोत्साहनों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपतटीय बैंकिंग इकाईयों को लगातार 3 वर्षों के लिए 100% तथा अगले दो वर्षों के लिए 50% आयकर छूट, घाटों को आगे ले जाने की अनुमति तथा एसईजेड को तीन लगातार वर्षों के लाभों के 50% तक के पुनः प्रयोग पर आयकर से छूट, एसईजेड को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से हुई आपूर्तियों को आयकर छूटों के प्रयोजनार्थ वास्तविक निर्यातों के समान मानना शामिल है।

(ग) एसईजेड को दिए गए प्रोत्साहनों को बढाने से अधिक आर्थिक कार्यकलापों के सृजन तथा इसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों के सृजन में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृत धनराशि

1798. **श्री अशोक ना. मोहोल :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में अब तक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा जनजातियों के लक्षित समूहों के कल्याण हेतु राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) राज्य सरकारों ने इस धन का कितना उपयोग किया है;

(ग) क्या विशेषकर महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितताओं की सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत 10 अप्रैल, 2001 को भारत सरकार के उपक्रम के रूप में निगमित किया गया। निगमित होने के बाद पिछले दो वर्षों और चालू दो वर्ष के दौरान जून, 2003 तक राज्य-वार स्वीकृत राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण मे दिए गए है।

(ख) निगमित होने के बाद विभिन्न राज्यों/केन्द्र प्रशासनों की चैनेलाइजिंग एजेंसियों ने संचयी रूप में 30 जून, 2003 तक 72.39 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त की।

(ग) और (घ) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यकलापों के कार्यान्वयन में कोई गंभीर अनियमितताएं, विशेष रूप से महाराष्ट्र मे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को रिपोर्ट नहीं की गई है।

विवरण

2001–02, 2002–03 और 2003–04 (30.6.03 तक) के दौरान स्वीकृतियों के राज्यवार ब्यौरे

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001–02002 की स्वीकृतियां एनएसटीएफडीसी का शेयर	2002–2003 की स्वीकृतियां एनएसटीएफडीसी का शेयर	2003–2004 की स्वीकृतियां एनएसटीएफडीसी का शेयर
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	372.04	577.81	1.07
2	अरुणाचल प्रदेश	32.64	–	–
3	असम	425.85	124.80	–
4	बिहार	–	76.00	–

1	2	3	4	5
5	छत्तीसगढ़	–	720.86	–
6	गुजरात	867.57	1012.87	–
7	हिमाचल प्रदेश	247.66	116.18	28.70
8	जम्मू–कश्मीर	255.48	78.19	25.50
9	झारखंड	286.50	538.39	–
10	कर्नाटक	324.69	493.94	150.00
11	केरल	15.60	16.10	
12	लक्षद्वीप	7.24	13.18	–
13	महाराष्ट्र	259.75	354.40	7.50
14	मेघालय	–	38.66	–
15	मध्य प्रदेश	753.44	1204.05	136.00
16	मिजोरम	51.85	–	–
17	नागालैंड	88.13	170.79	76.77
18	उड़ीसा	482.81	197.40	–
19	राजस्थान	720.45	508.73	67.75
20	सिक्किम	127.23	174.00	–
21	तमिलनाडु	–	2.80	–
22	त्रिपुरा	69.68	118.45	–
23	उत्तरांचल	142.28	–	–
24	पश्चिम बंगाल	493.69	460.61	40.00
	कुल	6024.58	6998.21	533.29

विपणन समर्थित प्रक्रियाओं में वित्तीय सहायता

1	ट्राइफेड :–			
	विपणन समर्थित प्रक्रियाएं	300.00	–	–

1	2	3	4	5
2	गिरिजन सहकारी निगम लि. (जीसीसी), आंध्र प्रदेश	–	500.00	–
	कुल :–	300.00	500.00	–
विशेष परियोजना : कॉफी प्लांट				
1	ए.पी. अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम लि. आंध्र प्रदेश	–	2400.00	–
	कुल :–		2400.00	
	सर्वयोग	6324.58	9898.21	533.29
कैंसेलेसन और रिवीजन के बाद कुल मंजूरिया		6280.50	9895.28	533.29

बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

1799. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के अन्य राज्यों की तुलना में केरल के राष्ट्रीयकृत और अधिसूचित बैंकों के ऋण–जमा अनुपात में भारी कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इस अंतर को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। केरल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण जमा अनुपात देश के कुछ राज्यों की तुलना में कम है, हालांकि कुछ अन्य राज्यों से तुलना करने पर यह अनुपात अधिक है।

(ख) एक समान आर्थिक विकास के उद्देश्य से बैंकों को अखिल भारतीय आधार पर उनकी ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी शाखाओं के संदर्भ में 60% के ऋण जमा अनुपात को प्राप्त करने की सलाह दी गई है। साथ ही, राज्य में पूर्ण रूप से ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने के लिए अन्यों के साथ, एस एल बी सी, बी एल बी सी और डी एल आर सी बैठकों के रूप में अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों पर ऋण जमा अनुपात से संबंधित नियमित विचार विमर्श होते रहते हैं।

सीमाशुल्क प्राप्तियां

1800. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001–02 हेतु सीमाशुल्क प्राप्तियों के रूझान पर ध्यान दिया है जोकि 54,822 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 40,096 करोड़ रुपये था, जिसके परिणामस्वरूप 27 प्रतिशत की गिरावट हुई;

(ख) क्या निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत 24,799 करोड़ रुपये का कुल सीमाशुल्क छोड़ दिया गया था, जोकि वर्ष 2001–02 के दौरान कुल सीमाशुल्क प्राप्तियों का 62 प्रतिशत था;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) करोड़ों रुपये की बकाया सीमाशुल्क की वसूली करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में, राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार विभिन्न निर्यात संवर्द्धन स्कीमों की सहायता के माध्यम से उन वस्तुओं के संबंध में, जो इस देश से बाहर निर्यात की जाती है, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के शुल्कों में छूट देती है।

(घ) सरकार लंबित सीमाशुल्क राजस्व की वसूली को लगातार मॉनीटर कर रही है। क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश दिया गया है कि बकाया सरकारी राजस्व की वसूली के लिए आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी उपाय शुरू करें। सरकारी राजस्व वसूली के लिए सीमाशुल्क (सरकारी बकाया की वसूली के लिए चूककर्ता की सम्पत्ति की कुर्की) नियम, 1995 के उपबंधों के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के तहत कार्रवाई भी शुरू की गई है। प्रभावशाली मॉनीटरिंग और सरकारी राजस्व की तेजी से वूसली के लिए सभी आयुक्तालयों में विशेष कर वसूली कक्ष स्थापित किए गए हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी

1801. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी ने विशेषकर सूती वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी द्वारा हथकरघा उत्पादों संबंधी डिजाईन एवं शिक्षा में कोई अनुसंधान और विकास कार्य किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का विचार कब तक कदम उठाने का है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) समूचे देश में वस्त्र और परिधान उद्योग के लिए व्यावसायिक जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थान है। निफ्ट द्वारा निर्मित जनशक्ति विभिन्न निर्यातकों, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के साथ काम करती है और इस प्रकार सूती फैब्रिकों सहित समग्र वस्त्र क्षेत्र में निर्यात की वृद्धि में योगदान देती है।

(ग) और (घ) प्रत्येक वर्ष निफ्ट के विभिन्न पाठ्य कार्यक्रमों के अनेक विद्यार्थी महत्वपूर्ण हथकरघा केंद्रों का दौरा करते हैं और क्षेत्रीय स्थिति के आधार पर निष्कर्ष के प्रलेख बनाते हैं और समसामयिक बाजार से संबद्ध डिजायन उत्पाद आदि के क्रियान्वयन के लिए अनेक उपयोगी सुझाव देते हैं। हथकरघा क्षेत्र में डिजायन और उत्पाद विकास पर निफ्ट द्वारा समय–समय पर कई परियोजनाएं शुरू की जाती हैं जैसे खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड (केवीआईबी) के लिए डिजायन विकास, प्रियदर्शिनी हथकरघा, हथकरघा व वस्त्र, डिजायन और प्रोटोटाइप का विकास और हथकरघा फैब्रिक प्रयुक्त खादी उत्पादों, हाई फैशन के पुरूष, महिलाओं और किड्स वीयर का विपणन तथा राजस्थान में कोटा साड़ियों के समूहों और मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ियों के समूहों में परियोजना बनाने की क्षमता आदि।

निफ्ट ने राष्ट्रीय वस्त्र डिजायन केंद्र के लिए हथकरघा फैब्रिकों के लिए पूर्वानुमान लगाने की विधि का भी विकास किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी बैंकों की शाखाएं

1802. श्री ए. नरेन्द्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में विदेशी बैंकों द्वारा अपने संचालनों का विस्तार करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी बैंकों को अन्य व्यवसायिक बैंकों की निष्क्रिय हो चुकी शाखाओं का अधिग्रहण करने की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो उन शाखाओं की संख्या कितनी है जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी बैंकों को संचालित करने की अनुमति दी गई है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शाखाएं बंद न हों?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) आपसी सहमति की शर्तों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के अधिग्रहण के लिए विदेशी बैंकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। तथापि, इस संदर्भ में अनुमति के लिए अब तक किसी भी विदेशी बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क नहीं किया है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बाद ही ग्रामीण शाखाओं को बंद किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण केन्द्रों पर घाटे में चल रही उन शाखाओं को बंद करने की अनुमति नहीं दी जाती है, जहां वाणिज्यिक बैंक की केवल एक शाखा हो। उन केन्द्रों पर जहां वाणिज्यिक बैंकों की दो शाखाएं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) कार्यरत हों, उनमें से किसी एक शाखा को बंद करने के लिए संबंधित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति के साथ पारस्परिक परामर्श द्वारा निर्णय ले सकते हैं।

लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार

1803. **श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का विचार अर्जेन्टिना, ब्राजील, उरूग्वे, पैराग्वे के मरकोजर अलायन्स और अन्य लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार वृद्धि करने हेतु व्यापार समझौता करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001–2002 के दौरान इन देशों में से प्रत्येक देश के साथ मद वार कुल कितना व्यापार हुआ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में इन देशों के बीच व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आवागमन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार मध्य अमरीकी और कैरेबियाई देशों के साथ भी व्यापार संबंधों पर अधिक ध्यान देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यब्रत मुखर्जी) : (क) जी, हाँ। इस समय सरकार मरकोसुर के साथ अधिमानी व्यापार करार करने के प्रस्ताव पर कार्य कर रही है।

(ख) वर्ष 2001–02 के दौरान इन देशों में से प्रत्येक देश के साथ हुए कुल व्यापार का मदवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) (i) ब्राजीलियाई विदेश व्यापार मंत्री के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ–साथ व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल 2002 में भारत का दौरा किया था और भारत ब्राजील वाणिज्यिक परिषद की प्रथम बैठक नई दिल्ली में 8 अप्रैल 2002 को हुई थी।

(ii) संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मरकोसुर के साथ अधिमानी व्यापार करार (पी टी ए) पर प्रथम दौर के विचार विमर्श के संबंध में उरूग्वे और पैराग्वे (25–29 अप्रैल 2003) का दौरा किया था।

(iii) उरूग्वे के एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें स्वास्थ्य, रसायन, इंजीनियरी महानिदेशक, निदेशक स्वास्थय उत्पाद प्रभाग और निदेशक, औषधि प्रभाग शामिल थे, ने समस्त प्रकार की औषधियों का उत्पादन करने वाली भारतीय कंपनियों की प्रयोगशालाओं और संयंत्रों का दौरा करने के संबंध में भारत (12–14 मई 2003) का दौरा किया था।

(iv) वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने जून 2003 में पैराग्वे का दौरा किया था और भारत तथा मरकोसुर के बीच एक ढांचागत करार पर हस्ताक्षर किए थे।

(ङ) और (च) व्यापार मंडलों, निर्यात संवर्धन परिषदों को मध्य अमरीकी और कैरीबियन राष्ट्रों को नियमित रूप से व्यापार शिष्ट मंडल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो इन बाजारों में भारतीय उत्पादों के निर्यात की संभावना और मंत्रालय के पास उपलब्ध बाजार विकास सहायता की मात्रा पर निर्भर करता है।

वर्ष 2001-02 के दौरान भारत का व्यापार अमरीकी डालर में (मिलियन)

	ब्राजील		अर्जेन्टीना		पराग्वे		उरूग्वे	
	उत्पाद का नाम	मूल्य	उत्पाद का नाम	मूल्य	उत्पाद का नाम	मूल्य	उत्पाद का नाम	मूल्य
	1	2	3	4	5	6	7	8
भारत के निर्यात								
1.	पैट्रोलियम उत्पाद	5.55	अकार्बनिक/कार्बनिक/ कृषि रसायन	11.73	औषधि, भेषज और परिष्कृत रसायन	2.28	औषधि, भेषज और परिष्कृत रसायन	14.25
2.	औषधि, भेषज और परिष्कृत रसायन	73.49	औषधि, भेषज और परिष्कृत रसायन	13.29	मसाले	0.61	अकार्बनिक/कार्बनिक/ कृषि रसायन	0.92
3.	अकार्बनिक/कार्बनिक/ कृषि रसायन	16.35	रंजक/मध्यवर्ती एवं कोल तार रसायन	2.50	अकार्बनिक/कार्बनिक/ कृषि रसायन	0.30	रंजक/मध्यवर्ती एवं कोल तार रसायन	0.49
4.	मानवनिर्मित यार्न, फैब्रिक्स, मेड अप्स	9.71	अपशिष्ट रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	1.49	परिवहन उपस्कर	1.62	तैयार चमड़ा	1.72
5.	मशीने और उपकरण	17.01	परिवहन उपस्कर	6.01	तंबाकू अविनिर्मित	0.11	परिवहन उपस्कर	1.69
6.	रंजक/मध्यवर्ती एवं कोल तार रसायन	12.65	मशीनें एवं उपकरण	2.45	आर एम जी कॉटन, अनुषंगी सहित	0.54	इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं	0.12
7.	धातु विनिर्माण	7.82	प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद	0.90	धातु के विनिर्माण	0.42	फुटवियर को छोड़कर रबड़ से निर्मित उत्पाद	1.57
8.	परिवहन उपस्कर	7.48	लोहा एवं स्टील बार/ राड़ आदि	1.00	मशीनें एवं उपकरण	0.32	आर एम जी कॉटन, अनुषंगी सहित	0.66
9.	प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद	7.03	मानवनिर्मित यार्न, फैब्रिक्स, मेड अप्स	2.66	फुटवियर को छोड़कर रबड़ से निर्मित उत्पाद	0.13	कॉटन यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स इत्यादि	0.58
10.	फुटवियर को छोड़कर रबड़ से बने उत्पाद	6.36	धातु विनिर्माण	3.00	मानवनिर्मित यार्न, फैब्रिक्स, मेड अप्स	0.16	मानवनिर्मित यार्न, फैब्रिक्स, मेड अप्स	0.30
11.	अन्य उत्पाद	55.56	अन्य उत्पाद	19.59	अन्य उत्पाद	0.23	अन्य उत्पाद	3.74

1	2	3	4	5	6	7	8
भारत के आयात							
1. वेजिटेबल ऑयल फिक्सड़ (खाद्य)	123.87	वेजिटेबल ऑयल फिक्सड़ (खाद्य)	384.64	रूई कम्बड/अनकम्बड/ अवशिष्ट	16.76	कच्चा ऊन	1.54
2. इलैक्ट्रिक और इलैक्ट्रॉनिक को छोड़कर मशीनें	30.17	चमड़ा	12.19	अन्य वस्तुएं	0.41	चमड़ा	0.38
3. अलौह धातुएं	12.18	लोहा एवं इस्पात	8.90	सुगन्धित तेल एवं सौन्दर्य प्रसाधन	0.06	अन्य वस्तुएं	0.27
4. कार्बनिक रसायन	24.33	अन्य वस्तुएं	4.92	मसाले	0.03	व्यावसायिक उपकरण इत्यादि, इलैक्ट्रॉनिक को छोड़कर	0.02
5. परिवहन उपस्कर	27.19	ऊन, कच्चा	279	लोहा एवं इस्पात	0.03	इलैक्ट्रॉनिक सामान	0.01
6. धातुमय अयस्क एवं धातु छीलन	6.60	इलैक्ट्रोनिक को छोड़कर व्यावसायिक उपकरण आदि	1.00	इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रोनिक को छोड़कर मशीनें	0.39	सुगन्धित तेल एवं सौन्दर्य प्रसाधन	0.6
7. अन्य वस्तुएं	5.78	इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रोनिक को छोड़कर मशीनें	2.29	परिवहन उपस्कर	0.27	अपरिष्कृत खालें एवं चमड़ी	0.11
8. मोती बेशकीमती एवं कीमती पत्थर	5.94	धातुमय अयस्क एवं धातु छीलन	2.69	रसायन सामग्री एवं उत्पाद	0.01	मेड अप्स वस्त्र सामान	0.05
9. सिंथेटिक एवं एक्रिलिक रबड़	1.59	औषधियां एवं भेषज	0.14	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	0.07	जैव कार्बनिक	0.03
10. अन्य कच्चे खनिज	639	मोती बेशकीमती/ कीमती पत्थर	0.01			औषध एवं भेषज	0.20
11. अन्य उत्पाद	64.13	अन्य उत्पाद	16.43			अन्य उत्पाद	0.85
कुल व्यापार	827.18	कुल व्यापार	500.62	कुल व्यापार	24.88	कुल व्यापार	29.46

आंकड़ा स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता

असंग्रहित कर

1804. श्री कोडीकुनील सुरेशः क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट कर सहित असंग्रहित कर 90,180 करोड़ रुपये के बराबर था;

(ख) यदि हां, तो क्या 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान मूल्यांकन संबंधी विलम्ब भी बढ़ा है और यदि हां, तो पूर्व के वर्ष की तुलना में यह कितना था;

(ग) क्या सभी आयुक्तालयों के अन्तर्गत कर वसूली प्रकोष्ठों का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 31 मार्च, 2003 तक इन प्रकोष्ठों द्वारा कुल कितनी वसूली की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं। 31 मार्च, 2002 को आय कर और निगम कर की असंग्रहित राशि 72,671 करोड़ रुपए के बराबर थी।

(ख) 31.3.2001 को मौजूद 101,462 लम्बित मामलों की अपेक्षा 31.3.2002 को कर निर्धारणों के लम्बित मामले में 77,617 तक कमी आई थी।

(ग) जी, हाँ। प्रत्येक आयुक्तालय में एक कर वसूली अधिकारी को तैनात किया जाता है जिसे बकाया देयों की वसूली का कार्य सौंपा जाता है।

(घ) कर वसूली अधिकारी, आयकर अधिकारी के रैंक का अधिकारी होता है और कर बकायों को वसूल करने के लिए आय कर अधिनियम के अध्याय XVII और अनुसूची II के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करता है।

(ङ) मार्च 31, 2003 तक कर वसूली अधिकारी द्वारा की गई कुल वसूली का संकलन किया जा रहा है। तथापि, सितम्बर, 2002 तक कर वसूली अधिकारी द्वारा 143.34 करोड़ रुपए की राशि संग्रहित की गई थी।

चावल निर्यात परिषद

1805. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत को एशियाई चावल निर्यात परिषद में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिषद में किन–किन एशियाई देशों को शामिल किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत को उक्त परिषद में शामिल करने के पश्चात् चावल निर्यात में कोई सहायता प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) सरकार को एशियन राइस एक्सपोर्ट काउंसिल की मौजूदगी की जानकारी नहीं है। तथापि, भारत काउंसिल ऑन ट्रेड कोआपरेशन में शामिल हो गया है, जिसका गठन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कर सूचना नेटवर्क

1806. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के प्रशासन में सुधार करने के उद्देश्य से 'कर सूचना नेटवर्क' लागू करने के लिए योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना किस तिथि से कार्यान्वित की जाएगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) सरकार ने देश में कर प्रशासन में सुधार लाने के लिए कर सूचना नेटवर्क स्थापित करने हेतु डा. विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित प्रत्यक्ष करों पर कार्यबल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

(ख) प्रस्तावित कर सूचना नेटवर्क निम्न के संबंध में सूचना रखेगा :–

(i) स्रोत पर करों की कटौती;

(ii) विभिन्न बैंकों में किए गए प्रत्यक्ष करों का भुगतान;

(iii) उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेनों से संबंधित सूचना;

(iv) आय की विवरणी/देय/प्रतिदेय योग्य करों से संबंधित सूचना;

(ग) प्रस्तावित कर सूचना नेटवर्क के विभिन्न घटक होंगे। इनमें से प्रत्येक को अलग से प्रचालित किया जाएगा। संभावना है कि टी डी एस विवरणियों के डिजिटाइजेशन से संबंधित पहले घटक को चालू वित्त वर्ष में पूरा किया जाएगा। शेष घटकों को वित्त वर्ष 2004–05 में प्रचालनात्मक बनाया जाएगा।

[अनुवाद]

खाद्य तेल का निर्यात

1807. श्री भान सिंह भौरा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात हेतु देशवार और श्रेणीवार कुल कितने खाद्य तेल का निर्धारण किया गया है;

(ख) क्या इसका घरेलू उत्पादन मांग से कम है; और

(ग) यदि हां, तो घरेलू आवश्यकता के मद्देनजर उत्पादन में सुधार और निर्यात रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। फिलहाल, सरकारी खाते पर खाद्य तेल का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:–

(i) उचित उत्पादन प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए एक तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन लागू है।

(ii) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर–परम्परागत तिलहन फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना और वृक्ष तथा वन मूल, चावल की भूसी आदि के तिलहनों का दोहन करना।

(iii) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा होने के कारण नगण्य मात्रा निर्यात की जाती है।

[हिन्दी]

नाबार्ड की ऋण सुविधा

1808. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नाबार्ड की वर्तमान ऋण सुविधा को 6500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15000 करोड़ रुपए करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उत्पादन/विपणन संबंधी पुनर्वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को सामान्य ऋण व्यवस्था की मंजूरी करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2001–02, 2002–03 और 2003–04 में प्रत्येक वर्ष के दौरान 6500 करोड़ रुपए की ऋण सीमा मंजूर की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने मौद्रिक प्रभाव को देखते हुए सामान्य ऋण व्यवस्था की सीमा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है।

[अनुवाद]

राज्यों को विशेष सेवाओं का हस्तांतरण

1809. श्री अधीर चौधरी :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री के 9 मई, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6843 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को कराधान के प्रयोजनार्थ कुछ विशिष्ट सेवाओं को हस्तांतरित करने के संबंध में विधायी उपाय पूरे कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संविधान (95वां संशोधन) विधेयक पहले ही बजट सत्र, 2003 के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है। इस संशोधन में संघ सूची में 92ग की विशिष्ट प्रविष्टि की व्यवस्था की गई है, जो सेवाओं पर कर के लिए प्रावधान करती है। नए अनुच्छेद 268क के साथ-साथ अनुच्छेद 270 का परिणामी संशोधन किया गया है ताकि संसद को कानून द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवाओं पर कर लगाने के लिए रूपात्मकता निर्धारित करने और वसूली करने तथा उसके प्रतिफल को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विनियोजित करने के सिद्धांतों को तैयार करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 368, धारा (2) (ग) के अनुसार संसद द्वारा यथा पारित विधेयक को ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधान-मंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। उसके पश्चात् संविधान संशोधन विधेयक को अधिनियम के रूप में भी अधिसूचित किया जाएगा।

[हिन्दी]

मंत्रालयों का व्यय

1810. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**

श्री बीर सिंह महतो :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के व्यय में 10 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन लक्ष्यों को हासिल कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इन लक्ष्यों को प्राप्त न करने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वर्ष 2002-03 के बजट अनुमान में 2,96,809 करोड़ रुपए पर गैर-योजना व्यय को वर्ष 2002-03 के संशोधित अनुमान में घटाकर 2,89,924 करोड़ रुपए तक लाया गया था। किफायत संबंधी हिदायतों के नतीजे 2002-03 के सरकारी लेखों को अंतिम रूप देने के पश्चात् ही पता चल सकेंगे।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक बैंक के रूप में घोषणा

1811. **श्री मोहन रावले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.डी.बी.आई. और आई.सी.आई.सी.आई. लिमिटेड को वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने आई.एफ.सी.आई. को वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित करने की योजना को छोड़ दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) सरकार ने 4.12.2002 को लोक सभा में "औधोगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) विधेयक, 2002" नामक एक विधेयक पेश किया था। इस विधेयक को जांच करने के लिए संसदीय स्थायी वित्त समिति को भेजा गया था। समिति ने अब कुछ सुझावों सहित अपनी रिपोर्ट सदन में पेश की है जिसकी सरकार जांच कर रही है।

आईसीआईसीआई लि. जो कि एक वित्तीय संस्था है,

आईसीआईसीआई बैंक लि. (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत एक बैंकिंग कंपनी) के साथ 3 मई, 2002 से विलीयत हो गयी थी, हालांकि विलयन की नियत तारीख 30 मार्च, 2002 थी।

(ग) और (घ) आईएफसीआई को एक वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

मुखबिरों को पुरस्कार

1812. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नशीले पदार्थों के तस्करों और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु महत्वपूर्ण सूचना देने वाले मुखबिरों को विधिवत रूप से पुरस्कृत किया है;

(ख) यदि हां, गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मुखबिरों को पुरस्कृत किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मुखबिरों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हाँ।

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों के बारे में सूचना देने वाले पुरस्कृत ऐसे मुखबिरों की संख्या निम्नानुसार है:–

वर्ष	पुरस्कृत मुखबिरों की कुल सं.
2002–2001	9
2001–2002	37
2002–2003	33

(ग) मुखबिरों को पुरस्कार दिए जाने के लिए पुरस्कार योजना को क्षेत्रीय कार्यालयों के सूचना पट्टों पर और उनकी वेबसाइटों पर भी प्रदर्शित किया जाता है ताकि लोगों को सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा गुप्त सेवा निधि का भी प्रावधान है जिसका इस्तेमाल मुखबिरों को तैयार करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही, पुरस्कारों की मंजूरी और उनको प्रदान करने में तत्परता बरती जाती है ताकि मुखबिरों को प्रोत्साहित किया जा सके।

[अनुवाद]

चाय का उत्पादन/खपत

1813. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान और मार्च, 2003 तक देश में सी टी सी और आर्थडॉक्स ब्रांड की चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष–वार घरेलू बाजार में चाय की कुल खपत और निर्यात हेतु कितनी अतिरिक्त चाय उपलब्ध थी;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दार्जलिंग और असम लोग चाय को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या विशेष उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या देश में असम विशेष किस्म और दार्जलिंग किस्म चाय के उत्पादन का कोई विशेष विस्तार कार्यक्रम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में उत्पादित चाय की सी टी सी और परम्परागत श्रेणियों की मात्रा निम्नानुसार रही है:–

(मिलि. किग्रा में)

श्रेणी	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003
सी टी सी	735.18	754.90	761.48	751.02	746.13
परम्परागत	112.79	73.37	79.04	89.82	87.54
अन्य	7.19	8.23	7.84	6.71	4.93
कुल	855.16	836.50	848.36	847.25	837.60

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्पादन, अनुमानित घरेलू खपत और निर्यातों के लिए उपलब्ध अनुमानित अधिशेष के ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

(मिलि. किग्रा में)

वर्ष	उत्पादन	आयात	खपत	निर्यातों के लिए उपलब्ध अनुमानित अधिशेष (उत्पादन + आयात + खपत)
1998–1999	855.16	8.9	620	244.06
1999–2000	836.50	10.4	638	208.90
2000–2001	848.36	15.3	658	205.66
2001–2002	847.25	16.1	678	185.35
2002–2003	837.60	19.6	698	159.20

** आई आई एम, कोलकाता द्वारा यथा अनुमानित खपत के अनुमानित आंकडों पर आधारित।

(ग) चाय बोर्ड द्वारा दार्जिलिंग और असम चाय, जिनके अपने-अपने लोगो अलग-अलग हैं, का संवर्धन विदेशी सुपर बाजार/खुदरा श्रृंखला के सहयोग से और व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से विशेष संवर्धन के रूप मे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सतत् आधार पर किया जाता है। चाय बोर्ड द्वारा विदेशी बाजारों में असम और दार्जिलिंग चाय के संवर्धन के लिए हाल ही में किए गए विशेष प्रयासों/संवर्धन कार्यकलापों में से कुछ निम्नानुसार है–

– 4 से 30 अप्रैल, 2003 तक पेरिस में एक भारत चाय संवर्धन अभियान चलाया गया था जिसमें तीनों क्षेत्रों अर्थात दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी की चाय की 12 चुनिंदा किस्मों को प्रस्तुत किया गया था।

– गुणवत्ता युक्त भारतीय चाय, विशेषकर परम्परागत चाय के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से चाय बोर्ड द्वारा मैलबॉर्न, आस्ट्रेलिया में 7 से 10 अप्रैल 2003 तक सिप्स एंड टिप्स दो घंटे के चाय आस्वादन सत्रों एक श्रृंखला प्रायोजित की गई थी।

– 10 से 17 मई, 2003 तक ओस्टफ्रीजलैंड, जर्मनी में एक सप्ताह का असम चाय संवर्धन अभियान चलाया गया था।

– हेरॉड्स, लंदन में जून, 2003 मे एक भारतीय चाय संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके दौरान दार्जिलिंग और असम की प्रथम फ्लश चाय की श्रेष्ठतम किस्म प्रस्तुत की गई थीं।

(घ) और (ङ) सरकार ने देश में चाय की असम और दार्जिलिंग किस्मों के उत्पादन के लिए कोई विशेष विस्तार कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। तथापि चाय बोर्ड असम और दार्जिलिंग किस्मों सहित देश में उत्पादित चाय की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक विकासात्मक स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

केरल को मिट्टी के तेल का आबंटन

1814. **श्री वी. एस. शिवकुमार** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य को कम किए गए मासिक आबंटन के संदर्भ में मिट्टी के तेल

के मासिक आबंटन की बहाली पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2002 में सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी का तेल (एस.के.ओ.) आबंटित करने के बारे में एक नीतिगत निर्णय लिया। यह निर्णय प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को रिलीज किए गए "एल.पी.जी." कनेक्शनों पर आधारित था। तदनुसार, सरकार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को रिलीज किए गए "एल.पी.जी." कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किए जाने वाले मिट्टी के तेल के आबंटन में कमी करती रही है। उपर्युक्त के मद्देनजर, केरल सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था।

मूल्यांकन संबंधी मामले

1815. **श्री रामजी मांझी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयकर प्राधिकारियों द्वारा 12791 मूल्यांकन मामलों में कम आय का मूल्यांकन करने से देश को 3496.67 करोड़ का घाटा हुआ है, जैसा कि 5 मई, 2003 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो कम आय मूल्यांकन के क्या कारण है और इन मूल्यांकन अधिकारियों को कम आय मूल्यांकन अथवा निर्धारितियों का पक्ष लेने के लिए आरोप पत्र दिए गए है;

(ग) क्या कर निर्धारितियों से धन वसूला गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) राज्य को कम मूल्यांकन के कारण घाटे के लिए कर निर्धारण अधिकारियों को जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उन कारपोरेट घरानों आदि का ब्यौरा क्या है जिनकी आय का एक करोड़ से भी कम का मूल्यांकन किया गया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं, उल्लिखित तथ्य वर्ष 2003 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सं. 12 में विहित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रेक्षण हैं। लेखा परीक्षा प्रेक्षण तथा इनका निपटान एक सतत प्रक्रिया होती है।

(ख) न्यून कर निर्धारण हेतु कारणों में व्यावसायिक आय की गलत संगणना करना, मूल्यह्रास एवं निवेश छूट की गलत अनुमति देना, पूंजीगत व्यय की गलत स्वीकृति देना, हानि को गलत रूप से आगे ले जाना, इसको प्रतिसंतुलित करना, आयकर अधिनियम के अध्याय vi क के तहत कटौती की गलत अनुमति प्रदान करना, अधिक वापसी देना, कर और ब्याज आदि की गलत संगणना करना शामिल है। उपयुक्त मामलों में संबंधित आधिकारिक आयकर आयुक्त द्वारा चूककर्ता कर निर्धारण अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) कर वसूली पर आयकर आयुक्त (अपील), आईटीएटी (आयकर अपीलीय अधिकरण), समझौता आयोग, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है तथा वसूली के अंतिम आंकड़ों को इन अपील प्रभावों को लागू कर देने के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में सही–सही राशि का निर्धारण करने के लिए कोई केन्द्रीय पद्धति नहीं है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्तरों पर करों की वसूली बनती है।

(ङ) निरीक्षणों एवं आंतरिक लेखा परीक्षा में ही ऐसी पद्धति उपलब्ध है जिससे कर निर्धारण अधिकारियों को जिम्मेदार एवं उत्तरदायी ठहराया जा सके।

(च) मंत्रालय स्तर पर केन्द्रीकृत रूप से ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

बी.आई.एस. द्वारा समिति का गठन

1816. **श्रीमती मेनका गांधी** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.आई.एस. ने आई.एस.आई. मार्क हेतु

प्रणालियों, कार्यकुशलता और विश्वसनीयता को सुधारने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसकी कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और कितनी सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक विशिष्ट सिफारिश पर आज तक क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय चार्टर्ड लेखा कंपनियों का कार्यकरण

1817. श्री किरीट सोमैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनेक चार्टर्ड एकाउन्टेंट और विशेषज्ञों से बहुराष्ट्रीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट कंपनियों के कार्यकरण के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या भारतीय लेखा फर्मों द्वारा भी समान अवसर की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति और दिशा-निर्देश क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत, केवल भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई सी ए आई) के सदस्य ही कंपनियों की लेखापरीक्षा कर सकते हैं और इस संस्था के सभी सदस्यों पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 का नियंत्रण है। यदि कोई लेखा परीक्षा इन अधिनियमों में उल्लिखित उपबंधों का उल्लंघन करके की जाती है, तो शास्तिक कार्रवाई की जा सकती है।

बैंकों की शाखाएं

1818. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की कितनी शाखाएं हैं और वे कहां-कहां हैं;

(ख) क्या सरकार का वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान उड़ीसा में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की नई शाखाएँ खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन शाखाओं के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने सूचित किया है कि उडीसा में इसकी पांच शाखाएं हैं जो (1) भुवनेश्वर मेन, (2) जी जी पी ब्रांच – भुवनेश्वर, (3) जगमारा – भुवनेश्वर, (4) कटक और (5) बेरहामपुर में स्थित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजसहायता में कमी

1819. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक बचतों में नगण्य वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उचित उपभोक्ता प्रभार के माध्यम से विद्युत, रेलवे और शहरी जलापूर्ति जैसी लोक सुविधाओं पर राजसहायता कम करने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप अवसंरचनात्मक ढांचे पर निवेश कम हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में राजसहायता घटाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी की गई उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों में सकल घरेलू बचत (जीडीएस) निम्नलिखित है:-

	(करोड़ रुपए)	(चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)
1999–2000	466640	24.1
2000–2001	491761	23.4
2001–2002	549963	24.0

(ख) आर्थिक सहायता का पुनरीक्षण और यौक्तिकीकरण एक सतत एवं अविरत प्रक्रिया है और जब भी आवश्यकता हुई सरकार सुधारात्मक कदम उठाती रही है।

(ग) उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान, प्रमुख आधारढांचा क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण निम्नलिखित है:–

	1999–2000	2000–01	2001–02 (करोड़ रुपए)
बिजली, गैस और जलापूर्ति	34255	37292	38623
परिवहन, भंडारण और संचार	40865	55119	46254
वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	49273	51372	53810
सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	44075	46030	58227
(चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)			
बिजली, गैस और जलापूर्ति	1.8	1.8	1.7
परिवहन, भंडारण और संचार	2.1	2.6	2.0
वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	2.5	2.4	2.3
सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	2.3	2.2	2.5

(घ) और (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) का उद्देश्य आर्थिक सहायता और जनता को सेवाएं मुहैया कराने के लिए मूल्य–निर्धारण प्रणाली में आवश्यक संशोधन करते हुए सरकार की केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर राजकोषीय स्थिति में सुधार करना है।

चाय का आयात

1820. **श्री एम. के. सुब्बा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001–02, 2002–03 के दौरान और चालू वर्ष में अब तक चीन, म्यांमार और अन्य देशों से कुल कितनी चाय का आयात किया गया है;

(ख) क्या इसका आयात भारत में चाय–उत्पादन की लागत से बहुत कम दरों पर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो औसत लागत और स्वदेशी चाय के उत्पादन की औसत लागत क्या है; और

(घ) स्वदेशी चाय उत्पादकों को समान अवसर प्रदान करने और उचित प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने तथा सस्ती दरों पर आयातित चाय के पाटन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) 2001–02 से अप्रैल–मई 2003 तक चीन, म्यांमार तथा अन्य देशों से चाय के कुल आयात निम्नानुसार रहे हैं–

(आंकड़े मिलियन किग्रा में)

देशों से आयात	2001–02	2002–03	2003–04 (अप्रैल–मई)*	2002–03 (अप्रैल–मई)
चीन	0.13	0.26	0.08	0.10
म्यांमार	–	–	–	–
अन्य देश	16.01	19.38	1.26	1.48
कुल	16.14	19.64	1.34	1.58

* अनन्तिम

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान भारत में चाय का आयात 30.30 रुपए प्रति किग्रा से लेकर 400.76 रुपए प्रति किग्रा तक की यूनिट सी.आई. एफ. कीमत पर किया गया था। तथापि, औसत यूनिट सी आई एफ कीमतें 2001–02 में 51.86 रुपए/किग्रा 2002–03 में 46.30 रुपए प्रति किग्रा तथा अप्रैल–मई

2003–04 के दौरान 58.00 रुपए प्रति किग्रा रहीं, जो भारत में चाय की उत्पादन लागत से कम है।

(ग) स्वदेशी चाय की औसत आयात–लागत तथा उत्पादन लागत निम्नानुसार है:–

(रु./किग्रा)

2002–03	
यूनिट सी आई एफ कीमत	भारत में चाय की अनुमानित उत्पादन लागत
46.30	50.00 से 65.00

(घ) भारत में चाय की आयातों में होने वाली किसी वृद्धि को रोकने के लिए चाय पर आयात शुल्क 70% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। आयातित चाय को भी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में निर्धारित उन्हीं मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए जो भारत में उत्पादित चाय पर लागू होते हैं।

शिक्षा हेतु प्रेषण राशि सीमा

1821. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिक्षा तथा अन्य प्रयोजनार्थ विदेशी मुद्रा की सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डालर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस प्रयोजनार्थ बढ़ाया गया हैं;

(ग) क्या ऐसे निर्णय से विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को समान अनुपात में बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेश में शिक्षा ग्रहण करने, चिकित्सा कराने, रोजगार करने, विदेश में रहने वाले नजदीकी संबंधियों की देखभाल और उत्प्रवासन के लिए 1,00,000 अमरीकी डालर तक विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए प्राधिकृत डीलरों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

(ग) और (घ) उदारीकृत सुविधा देश द्वारा धारित सुखद विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार के दृष्टिगत भारतीय निवासियों को भी प्रदान की गई है। वर्धित सीमा का सुखद विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार की स्थिति के दृष्टिगत कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित नहीं है।

हेज फंड द्वारा निवेश

1822. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी ने हेज फंड द्वारा भारी निवेश को नोट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हेज फंड की उपस्थिति सेबी के अनुसार वैध है;

(ग) यदि नहीं, तो सेबी द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि हेज फंड का बाजार में परिचालन न हो, क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सेबी ने देश में ऐसे धन के आगम को रोकने हेतु मारिशस में नियंत्रकों से संपर्क किया है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ड) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खरीद

1823. श्री वी. वेत्रिसेलवन :

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :

श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से बिक्री हेतु नियत गेहूं, चावल, चीनी तथा अनेक अन्य वस्तुओं की खरीद मूल्यों में गत तीन वर्षों के दौरान कई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) क्या मूल्यों में इस वृद्धि ने इन वस्तुओं की कुल खरीद को प्रभावित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खाद्यान्नों की खरीद की अनुमति दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) पिछले 3 विपणन मौसमों के लिए गेहूं और धान के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार हैं:–

(रुपये प्रति क्विंटल)

विपणन मौसम	गेहूं	धान	
		साधारण	गेड–ए
2000–01	580	510	540
2001–02	610	530	560
2002–03	620	530*	560*

* इन न्यूनतम समर्थन मूल्यों के अलावा 20 रुपये प्रति क्विंटल का विशेष सूखा राहत मूल्य अनुमत किया गया था।

पिछले 3 खरीफ विपणन मौसमों के लिए निर्धारित राज्यवार लेवी चावल के मूल्य बताने वाले ब्यौरे विवरण–I, II और III संलग्न हैं।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी का संबंध है, पिछले 3 चीनी मौसमों के लिए निर्धारित लेवी चीनी का जानेवार मूल्य बताने वाला विवरण–IV संलग्न है।

(ख) और (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन निर्गम मूल्यों को केंद्रीय निर्गम मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो पिछले 3 वर्षों से स्थिर बने हुए हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यान्नों का किया जाने वाला उठान केंद्रीय निर्गम मूल्यों और खुले बाजार मूल्यों के बीच समानता, खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक, अंत्योदय अन्न योजना आदि जैसी विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन रिलीज खाद्यान्न, देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आहार आदतों आदि जैसे कई घटकों पर निर्भर करता है।

चीनी का उठान लेवी चीनी के लिए निर्धारित निर्गम मूल्य और लेवी इतर चीनी के प्रचलित बाजार मूल्य पर निर्भर करता है। चीनी फैक्ट्रियों द्वारा प्राप्त किए गए न्यायालय के आदेश के आधार पर बाजार में लेवी इतर चीनी की अधिक आपूर्ति होने के कारण लेवी चीनी का उठान प्रभावित हुआ है।

(घ) और (ङ) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार देश में खाद्यान्नों का व्यापार मुक्त है और इस स्थिति में निजी क्षेत्र खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए स्वतंत्र है। बहु–राष्ट्रीय कंपनियां इस संबंध में सरकार के संगत दिशा–निर्देशों की अनुपालना की शर्त के अध्यधीन खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदने की पात्र हैं।

विवरण-I

खरीफ विपणन 2000–2001 मौसम में लेवी चावल (रॉ और सेला) के राज्यवार मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)

क्रम सं.	राज्य	रॉ चावल		सेला	
		साधारण	ग्रेड 'ए'	साधारण	ग्रेड 'ए'
		2000–2001	2000–2001	2000–2001	2000–2001
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	899.80	949.60	900.90	950.00
2.	असम	845.90	892.50	847.80	893.80
3.	बिहार	861.20	908.80	863.00	909.80
4.	चंडीगढ़	876.70	925.10	878.20	925.90
5.	दिल्ली	896.50	946.20	897.70	946.60
6.	गुजरात	826.60	872.10	828.80	873.70
7.	हरियाणा	904.20	954.30	905.30	954.70

1	2	3	4	5	6
8.	कर्नाटक	830.40	876.20	832.60	877.70
9.	मध्य प्रदेश	839.70	886.00	841.70	887.30
10.	महाराष्ट्र	831.50	877.20	833.70	878.70
11.	उड़ीसा	869.00	917.00	870.60	917.90
12.	पांडिचेरी	822.70	868.00	825.00	869.70
13.	पंजाब	903.60	953.70	904.70	954.00
14.	राजस्थान	881.30	930.00	882.70	930.70
15.	उत्तर प्रदेश	868.90	917.00	870.60	918.00
16.	पश्चिम बंगाल	826.60	872.10	828.80	873.70
17.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–
18.	उत्तरांचल	–	–	–	–

विवरण-II

खरीफ विपणन मौसम 2001–2002 और 2002–2003 में लेवी चावल (रॉ और सेला) के राज्यवार मूल्यों (विशेष सूखा राहत मूल्य के घटक सहित) को दर्शाने वाला विवरण। दिनांक 24.10.2003 का पत्र संख्या 167 (22)/2002–नीति–1

(रुपए प्रति क्विंटल)

क्रम सं.	राज्य	रॉ चावल				सेला			
		साधारण		ग्रेड "ए"		साधारण		ग्रेड "ए"	
		2001–2002	2002–2003	2001–2002	2002–2003	2001–2002	2002–2003	2001–2002	2002–2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	935.10	970.30	985.00	1020.10	931.00	956.20	980.10	1006.20
2.	असम	879.10	914.30	926.00	960.90	875.80	901.00	921.80	947.00
3.	बिहार	895.10	930.30	942.60	977.80	891.60	916.80	938.50	963.70
4.	चंडीगढ़	911.10	946.30	959.50	994.70	907.40	932.80	955.10	980.30
5.	दिल्ली	937.50	972.70	987.40	1022.60	933.40	958.60	982.60	1007.80
6.	गुजरात	859.10	894.30	904.60	939.80	856.10	881.30	901.00	926.20
7.	हिमाचल प्रदेश	863.10	898.30	908.80	944.00	860.10	885.30	905.10	930.30
8.	हरियाणा	939.10	974.30	989.10	1022.80	935.00	960.20	984.30	1009.50
9.	कर्नाटक	863.10	898.30	908.80	944.00	860.10	885.30	905.10	930.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	मध्य प्रदेश	872.70	907.90	919:00	954.20	869.50	894.70	915.10	940.30
11.	महाराष्ट्र	863.10	898.60	909.20	944.40	860.50	885.70	905.60	930.70
12.	उड़ीसा	903.10	938.30	951.10	986.30	899.50	924.70	946.80	972.00
13.	पांडिचेरी	855.10	890.30	900.40	935.60	852.20	877.40	896.80	922.00
14.	पंजाब	939.10	974.30	989.10	1024.30	935.00	960.20	984.30	1009.50
15.	राजस्थान	915.90	951.10	964.60	999.80	912.10	937.30	960.10	986.30
16.	उत्तर प्रदेश	903.10	938.30	951.10	986.30	899.50	924.70	946.80	972.00
17.	पश्चिम बंगाल	875.10	910.30	921.50	956.70	871.90	897.10	917.60	942.80
18.	छत्तीसगढ़	871.10	906.30	917.30	952.50	868.00	893.10	913.50	938.70
19.	उत्तरांचल	903.10	938.30	951.10	986.30	899.50	924.70	946.80	972.00

विवरण-III

खरीफ विपणन मौसम 2001–2002 और 2002–2003 में लेवी चावल (रॉ और सेला) के राज्यवार मूल्यों (विशेष सूखा राहत मूल्य के घटक सहित) को दर्शाने वाला विवरण। दिनांक 23.12.2003 का पत्र संख्या 167 (22)/2002–नीति–1

(रूपए प्रति क्विंटल)

क्रम सं.	राज्य	रॉ चावल				सेला			
		साधारण		ग्रेड "ए"		साधारण		ग्रेड "ए"	
		2001–2002	2002–2003	2001–2002	2002–2003	2001–2002	2002–2003	2001–2002	2002–2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	935.10	940.40	985.00	990.20	931.00	926.80	980.10	976.80
2.	असम	879.10	884.40	926.00	931.10	875.80	871.60	921.80	917.60
3.	बिहार	895.10	900.40	942.60	948.00	891.60	887.40	938.50	934.20
4.	चंडीगढ़	911.10	916.40	959.50	964.90	907.40	903.20	955.10	949.40
5.	दिल्ली	937.50	942.80	987.40	992.80	933.40	929.60	982.60	978.40
6.	गुजरात	859.10	864.40	904.60	909.90	856.10	851.90	901.00	896.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हिमाचल प्रदेश	939.10	944.40	989.10	994.50	935.00	930.70	984.30	980.10
8.	हरियाणा	863.10	868.40	908.80	914.20	860.10	855.80	905.10	900.90
9.	कर्नाटक	863.10	868.40	908.80	914.20	860.10	855.80	905.10	900.90
10.	मध्य प्रदेश	872.70	878.00	919.00	924.30	869.50	865.30	915.10	910.90
11.	महाराष्ट्र	863.10	868.80	909.20	914.60	860.50	856.20	905.60	901.30
12.	उड़ीसा	903.10	908.40	951.10	956.40	899.50	895.30	946.80	942.60
13.	पांडिचेरी	855.10	860.40	900.40	905.70	852.20	848.00	896.80	892.00
14.	पंजाब	939.10	944.40	989.10	994.50	935.00	930.70	984.30	980.10
15.	राजस्थान	915.90	921.20	964.60	970.00	912.10	907.90	960.10	955.90
16.	उत्तर प्रदेश	903.10	908.40	951.10	956.40	899.50	895.30	946.80	942.60
17.	पश्चिम बंगाल	875.10	880.40	921.50	926.80	871.90	867.70	917.60	913.40
18.	छत्तीसगढ़	871.10	876.40	917.30	922.60	868.00	863.70	913.50	909.20
19.	उत्तरांचल	903.10	908.40	951.10	956.40	899.50	895.30	946.80	942.60

विवरण-IV

1999–2000, 2000–01 और 2001–2002 के तीन चीनी मौसमों के लिए लेवी चीनी के ज़ोनवार निकासी मूल्य

क्रम सं.	ज़ोन	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	1075.18	1278.57	1281.80
2.	हरियाणा	1053.25	1150.08	1221.90
3.	राजस्थान	1139.07	1210.14	1269.90
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	1051.67	1135.75	1213.11
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	1075.41	1160.81	1224.87
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	1160.20	1263.48	1303.33
7.	उत्तरी बिहार	1085.43	1165.24	1217.67
8.	दक्षिणी गुजरात	1050.78	1104.90	1115.93
9.	सौराष्ट्र	1126.38	1130.92	1160.80
10.	मध्य प्रदेश	1175.73	1265.34	1245.30
11.	मध्य महाराष्ट्र	1086.45	1119.42	1157.63
12.	दक्षिणी महाराष्ट्र	1118.63	1169.54	1190.19
13.	उत्तरी महाराष्ट्र	1169.03	1186.40	1179.94

1	2	3	4	5
14.	उत्तर-पश्चिमी कर्नाटक	1143.59	1190.72	1218.61
15.	शेष कर्नाटक	1102.72	1147.24	1181.80
16.	आंध्र प्रदेश	1189.34	1239.02	1250.78
17.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	1177.93	1220.49	1227.41
18.	असम/प. बंगाल/ उड़ीसा/ नागालैंड	1091.51	1171.63	1241.27
19.	केरल/गोवा/ तटीय कर्नाटक	1232.44	1283.56	1267.25
20.	अखिल भारत	1110.71	1165.79	1191.72

न्यायाधीशों द्वारा कदाचार

1824. श्री शिवाजी माने :

श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान उच्च न्यायलयों/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध दुर्व्यवहार, कदाचार इत्यादि की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की;

(ग) क्या दोषी न्यायाधीशों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) से (ङ) न्यायिक जवाबदेही के मुद्दे पर 1990 में हुए मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था और विचार-विमर्शों से बनी व्यापक आम-सहमति के आधार पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने स्थिति को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया है:-

"उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, अपने न्यायालय के किसी न्यायधीश के आचरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त करने कि लिए सक्षम है और जब वह कोई शिकायत प्राप्त करता है तो वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या शिकायत गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने योग्य है। जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि उस मामले की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, वहां वह अभिकथनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसी रीति में तथ्य अभिनिश्चित कराएगा, जिसे वह उचित समझे और यदि उसकी यह राय है कि मामला ऐसा है कि इसकी रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को की जानी चाहिए, तो वह ऐसा करेगा।

भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीशों के आचरण और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचरण से संबंधित शिकायतों के संबंध में उसी रीति में कार्य करेगा। यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अभिनिश्चित कराए गए तथ्यों के आधार पर न्यायपालिका के हितों को सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान में रखते हुए ऐसी उपयुक्त कार्रवाई करेगा, जो वह उचित समझे।"

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों पर ऊपर बताई गई रीति में कार्रवाई की जाती है। न्यायाधीशों जांच अधिनियम, 1968 में उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कदाचार/उपापराध के संबंध में कार्रवाई करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है, किंतु सरकार उनके विरुद्ध जांच का आदेश देने के लिए सांविधानिक रूप से सक्षम नहीं है।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन के लिए संविधान (अठानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 तारीख 9.5.2003 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों के लिए आचार-संहिता भी तैयार करेगा।

आयोग, स्वविवेक से या शिकायत पर या निर्देश किए जाने पर भी किसी न्यायाधीश के कदाचार के मामलों या उसे हटाए जाने की अपेक्षा करने वाले मामलों से भिन्न किसी अन्य

विसामान्य व्यवहार के मामलों की जांच-पड़ताल करेगा और ऐसी जांच-पड़ताल के पश्चात् भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को इस संबंध में समुचित रूप से सलाह देगा।

भारतीय रिजर्व बैंक का आधुनिकीकरण

1825. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विभागों के आधुनिकीकरण पर भारी राशि खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो किए गए आधुनिकीकरण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मद में कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) आधुनिकीकरण के नाम पर इतनी बड़ी राशि खर्च करने के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में आधुनिकीकरण का कार्य किया है जिनमें बैंक के परिचालन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु कार्य स्टेशन की स्थापना, नेटवर्क की स्थापना, सुरक्षा उपकरण, अग्नि चेतावनी प्रणाली, लिफ्टों का प्रतिस्थापन आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक का कुल पूंजी व्यय वर्ष 2001-2002 के दौरान 251 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2002-2003 के दौरान 160 करोड़ रुपए था। आधुनिकीकरण का उद्देश्य बदलती बैंकिंग अपेक्षाओं को सहायता प्रदान करते रहने और साथ ही बैंक के ग्राहकों को कार्यक्षम सेवाएं प्रदान करने संबंधी आधारभूत ढांचे में सुधार है।

खाद्य विनियामक प्राधिकरण

1826. **श्रीमती कान्ति सिंह** :

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य उद्योग ने कानूनों में संशोधन करने हेतु एक स्वायत्तशासी खाद्य विनियामक प्राधिकरण गठित करने की मांग की है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में पीएचडी चैम्बर आफ कॉमर्स तथा अन्य ऐसे संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा खाद्य विनियामक प्राधिकरण गठित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (घ) सरकार द्वारा खाद्य उत्पादों के नियमन के लिए मौजूदा कानूनों को एकीकृत और आधुनिक बनाकर आधुनिक समन्वित खाद्य नियम और इससे संबंधित विनियम तैयार करने के लिए विधायी और अन्य परिवर्तनों का प्रस्ताव करने हेतु मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया है।

मेडीक्लेम पॉलिसीधारकों के लिए टीपीए की सेवाएं

1827. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेडीक्लेम पॉलिसीधारकों के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स (टीपीए) द्वारा खराब ग्राहक सेवा के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पॉलिसीधारकों को टीपीए बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय साधारण बीमाकर्ता (सरकारी क्षेत्र) एसोसिएशन (जिप्सा) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को तृतीय पक्ष प्रशासकों (टीपीए) द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवाओं में त्रुटि होने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें, अन्य बातों के साथ-साथ पॉलिसीधारकों को फोटो पहचान-पत्र जारी न किए जाने, कुछ अस्पतालों में नकदी रहित सुविधा उपलब्ध न होने और दावों के निपटान में देरी होने से संबंधित हैं।

(ग) ग्राहक सेवाओं में सुधार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां प्रणाली में सुधार लाने और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए नियमित आधार पर टीपीए के साथ समन्वय बनाए रखती हैं।

बैंकों के लिए एकमुश्त समाधान

1828. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित एकमुश्त समाधान (ओ.टी.एस.) योजना के प्रति बहुत कम उत्साह दिखाई दिया है और उन्हें इस अनुत्साह को देखते हुए इस योजना को दो बार बढाना पडा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूसरी ओर संबंधित सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा घोषित एकमुश्त समाधान योजना पर उत्साहजनक प्रतिक्रिया रही; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक की योजना को कम लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 करोड़ रुपए से कम की बहुत पुरानी अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के लिए विवेकाधिकार रहित एवं अभेदमूलक मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जो समान रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों पर लागू हैं। बैंकों से प्राप्त अनुरोधों पर, इन मार्गनिर्देशों को लागू करने की समय–सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाई गई थी।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को परामर्श दिया गया है कि 10 करोड रुपए से अधिक की बहुत पुरानी अनुपयोज्य आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान का पर्यवेक्षण अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को अलग–अलग मामले के आधार पर व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए और निदेशक बोर्ड एकबारगी निपटान के लिए संशोधित मार्गनिर्देशों के अंतर्गत शामिल न की गई अनुपयोज्य आस्तियों के एकबारगी निपटान के संबंध में नीतिगत मार्गनिर्देश तैयार करे। चूंकि दोनों योजनाओं के क्षेत्र एवं व्याप्ति में अन्तर है, इसलिए इन दोनों योजनाओं के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है।

खाद्यान्नों के निर्यात मूल्यों में वृद्धि

1829. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों के निर्यात मूल्यों में वृद्धि से दीर्घावधि में निर्यात पर कुप्रभाव पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) जी, नहीं। निर्यातकों को गेहूं और चावल फसल–वर्ष, किस्म, स्टाक के स्थान और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के मूल्यों/एक–समान मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। सुपुर्दगी उपरांत और विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुरूप अन्य खर्चों की अनुमति उन्हें दी जाती है।

कारपोरेट धोखाधड़ी

1830. डा. ए. वेंकटस्वामी :

डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

श्री मानसिंह पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट धोखाधड़ी के मामलों को गम्भीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो आज तक एस एफ आई ओ को स्थानांतरित किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन मामलों के निपटारे हेतु कोई समय सीमा तय की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क)

निगमित धोखाधड़ी के गम्भीर मामले गम्भीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा निपटाए जाएंगे।

(ख) से (घ) गम्भीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को अभी तक कोई मामला स्थनांतरित नहीं किया गया है क्योंकि अभी गम्भीर धोखाधडी जांच कार्यालय (एस एफ आई ओ) स्थापित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

सीमाशुल्क अधिकारियों पर छापे

1831. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री नरेश पुगलिया :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री आदि शंकर :

श्री जी. जे. जावीया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में कोलकाता में सीमाशुल्क अधिकारियों के निवास तथा कार्यालयों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) जब्त किए गए माल का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी गैर–कानूनी गति–विधियों को रोकने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) जी, हाँ। कोलकाता में सीमाशुल्क के एक अपर आयुक्त, एक संयुक्त आयुक्त और एक उपायुक्त के निवास/कार्यालय परिसरों की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अभी हाल ही में तलाशी ली गई थी और एक नियमित मामला दर्ज किया गया है।

(घ) तलाशी के दौरान निवास स्थानों से निम्नलिखित बरामदगियां की गई :

(i) अपर आयुक्त – 19,00,100/– रुपये की नकदी, 10,19,540/– रुपये के आभूषण, 22.5 लाख रुपये का निवेश।

(ii) संयुक्त आयुक्त – शून्य; और

(iii) उपायुक्त – 88,28,550/– रुपये की नकदी, 5,09,354/– रुपये के आभूषण, 12.5 लाख रुपये का निवेश।

अभिशंसी कागजात जो प्राप्त हुए हैं, वे भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जब्त किए गए हैं।

(ङ) मुख्य आयुक्तों को, सतर्कता तंत्र को कड़ा करने, संवेदनशील स्थानों पर सत्यनिष्ठ एवं दक्ष अधिकारियों को तैनात करने, विभागीय कार्रवाई के लिए त्रुटियों में संलिप्त अधिकारियों को लाने हेतु संवेदनात्मक और सुगम्य स्थानों की जांच करने, संदेहास्पद निष्ठा वाले एवं बहुत बड़ी शास्ति के लिए दोषारोपित अथवा दंडित अधिकारियों को संवेदनशील तैनाती न देने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजनाएं

1832. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में कितनी योजनाएं विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही हैं; और

(ख) विश्व बैंक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और कहां तक लक्ष्य प्राप्त किया गया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए विश्व बैंक की सहायता से राज्य क्षेत्र की कोई योजनाएं/परियोजनाएं नहीं चलाई जा रही हैं। तथापि, हिमाचल प्रदेश को भी शामिल करती हुई दो बहुराज्यीय परियोजनाएं हैं अर्थात् (i) तकनीकी इंजीनियरी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (टीईक्यूआईपी) और (ii) समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी–II) परियोजना (आईडब्ल्यूडी (एच) पी)।

(ख) टीईक्यूआईपी के लिए, विश्व बैंक की सहायता का उपयोग अभी शुरू किया जाना है। आईडब्ल्यूडी (एच) पी के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष	हासिल किए गए लक्ष्य* (करोड़ रुपए)	विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता (करोड़ रुपए)
2000—01	22.60	16.53
2001—02	25.78	18.98
2002—03	25.46	19.16
जोड़	73.84	54.67

* हासिल किए गए लक्ष्यों में विश्व बैंक की सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार का हिस्सा भी शामिल है।

शेयर बाजार घोटाला

1833. **डा. मन्दा जगन्नाथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शेयर बाजार घोटाला संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में शेयर बाजार घोटाले में इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (एसीएआई), इंस्टीटयूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई) तथा इंस्टीटयूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के सदस्यों के शामिल होने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दोषी सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने की सिफारिश की गई है;

(ग) सरकार द्वारा जेपीसी द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) विद्यमान अधिनियमों को और प्रभावशाली बनाने तथा संस्थाओं की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नए सहकारी बैंकों की स्थापना करना

1834. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास नए सरकारी बैंकों की स्थापना के कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ख) उनके लम्बन के क्या कारण हैं और उनके लिए स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अद्यतन तारीख के अनुसार नया राज्य सहकारी बैंक/मध्यवर्ती सहकारी बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, नए शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास 221 प्रस्ताव लंबित हैं। लंबित प्रस्तावों के निपटान में विलम्ब होने के कारण ये हैं : प्रवर्तकों द्वारा अपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों की प्राप्ति में विलम्ब और प्रवर्तकों के बैंकरों/नियोजकों/अन्य एजेंसियों से सूचना की प्राप्ति में विलम्ब/लंबित प्रस्तावों के संबंध में निर्णय समस्त अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त होने पर ही किया जाता है।

[अनुवाद]

बुनियादी ढांचागत क्षेत्र का विकास

1835. **श्री अशोक ना. मोहोल** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में 2002—03 के दौरान और चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान न्यूनतम विकास हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और कम विकास के लिए जिम्मेदार कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के लिए कोयला, पेट्रोलियम, सीमेंट, विद्युत तथा इस्पात में लक्षित विकास दर तथा वास्तविक विकास दर कितनी रही है; और

(घ) सरकार द्वारा बुनियादी ढांचागत क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) 6 बुनियादी ढांचागत उद्योगों,

अर्थात, क्रुड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों, तैयार इस्पात, कोयला, सीमेंट और बिजली के क्षेत्र में वर्ष 2002–03 में समग्र विकास दर 5.2 प्रतिशत दर्ज हुई, जो वर्ष 2001–02 के 3.5 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। इन 6 बुनियादी ढांचागत उद्योगों ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 4.1 प्रतिशत की समग्र विकास दर दर्ज की है, जबकि विगत वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में यह दर 6.2 प्रतिशत थी। क्रुड पेट्रोलियम के उत्पादन में गिरावट और कोयला, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों तथा सीमेंट के विकास दर में कमी होने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में उक्त 6 बुनियादी ढांचागत उद्योगों के समग्र विकास में कमी आई है।

(ग) वर्ष 2002–03 की अवधि में तथा चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 6 बुनियादी ढांचागत उद्योगों में नियत लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:–

उद्योग	इकाई	2002–2003		2003–04 (अप्रैल–जून)	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
क्रुड पेट्रोलियम	मिलियन टन	33.28	33.07 (3.3)	7.78	8.00 (–2.1)
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	मिलियन टन	116.83	112.56 (4.9)	28.65	27.73 (0.2)
कोयला	मिलियन टन	331.6	336.52 (4.3)	78.21	79.12 (4.6)
सीमेंट	मिलियन टन	11.55	11.63 (8.8)	31.5	31.3 (4.9)
तैयार इस्पात	मिलियन टन	36.88	34.38 (8.7)	9.23	8.72 (7.5)
बिजली	बिलियन यूनिट	545.55	531.43 (3.1)	138.89	135.01 (4.0)

स्रोत: सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। कोष्ठक में दिये गये आंकड़े विगत वर्ष में उसी अवधि में हुई तुलनात्मक विकास दर (%) दर्शाते हैं।

(घ) सरकार ने बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के विकास दर में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की है:–

– वर्ष 2003–04 के बजट में नवीन वित्त पोषण तंत्र के माध्यम से बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के लिए अधिक जोर देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यतया सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाह शामिल हैं। इसके फलस्वरूप, इस्पात व सीमेंट पर विशेष करके अच्छा प्रभाव पड़ने की आशा है। इस व्यापक पहल में निम्नलिखित शामिल हैं:–

  - लगभग 40,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 48 नई सड़क परियोजनाए;
  - 8000 करोड़ रुपये मूल्य की राष्ट्रीय रेल विकास योजना से संबंधित परियोजनाएं;
  - 11,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो हवाई अड्डों, व दो बंदागाहों का नवीनीकरण/आधुनिकीकरण; और
  - 1000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो वैश्विक स्तर के अंतरराष्ट्रीय अभिसमय केन्द्रों की स्थापना करना।

– केन्द्रीय बजट में मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के लाभों का दायरा बढ़ाकर किसी भी ऐसी परियोजना के लिए लागू किया गया है जो कि बड़ी पावर परियोजनाओं के लिए पहले से नियत शर्तों को पूरा करते हों।

– विद्युत क्षेत्र में ट्रांसमिशन को महत्व देते हुए सरकार ने हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए विशेष उपकरणों पर सीमा शुल्क 25% से घटाकर 5% कर दिया है।

– विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत क्षेत्र के लिए उदार विकास रूपरेखा बना करके बिजली के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने की अपेक्षा की गई है।

विदेशी निवेश

1836. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आय में विदेशी निवेश और विदेशी उधार का प्रतिशत कितना है;

(ख) उन प्रमुख पांच देशों का ब्यौरा क्या है जो गत तीन वर्षों से हमारे देश में अधिकतम विदेशी निवेश कर रहे हैं;

(ग) उपर्युक्त निवेशों की शर्तें क्या हैं;

(घ) हमारी अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेश तथा उधार का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय में विदेशी निवेशकों तथा उधार की भूमिका को कम करने हेतु स्वदेशी संसाधन जुटाने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं और दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय रिर्जव बैंक के भुगतान–संतुलन अनुमानों के आधार पर प्रतिशत;

(i) वर्ष 2000–2001, 2001–2002 और 2002–2003 (अनंतिम) के लिए चालू बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय (सकल घरेलू उत्पाद) में विदेशी निवेश क्रमशः 1.27,1.39 और 0.90 है।

(ii) उपर्युक्त गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान, राष्ट्रीय आय में विदेशी सहायता (निवल) जमा व्यावसायिक उधार (निवल) क्रमशः 0.90, (–) 0.95 और (–) 0.82 है।

(ख) गत तीन वर्षों में भारत में अधिकतम विदेशी निवेश करने वाले पांच मुख्य देश हैं : मारीशस (38.7%), यूएसए (17.1%), जापान (6.8%), यू.के. (5.2%) और जर्मनी (5.0%)।

(ग) निवेश और प्रतिफल मुक्त रूप से प्रत्यावर्तनीय हैं, सिवाए जहां अनुमोदन, विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन हो, जैसे कि क्षेत्रक अधिसूचित नीति के अनुसार मूल निवेश में निरूद्धावधि, आदि।

(घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उपलब्ध निवेश योग्य पूंजी के संवर्धन द्वारा भारत में उत्पादन अभिवृद्धि पर सीमा प्रभाव डालता है। तथापि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव उच्चतर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने वाली बहिर्मुखता के माध्यम से है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने, नई प्रौद्योगिकी लाने और घरेलू श्रमिकों में दक्षता अर्जन के लिए विशिष्ट रूप में सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सार्वभौम उत्पादन कड़ियों के लिए एक मंच के रूप में भारत द्वारा प्रयोग की जा रही प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है जिससे सुदृढ़ निर्यात अभिवृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल घरेलू बचतों को बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में 26 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य रखा गया था। इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेशों और उधारों का लक्ष्य बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत रखा गया था ताकि नौवीं योजना योजना अवधि के दौरान 28.2 प्रतिशत का समग्र निवेश का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

इसी तरह, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल घरेलू बचतों को बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के 26.8 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। घरेलू बचतों को मुख्यतया सरकारी क्षेत्र व्ययों में कटौती से उत्पन्न सार्वजनिक क्षेत्र की वर्धित बचतों के परिणाम के रूप में बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। विदेशी निवेश और उधार के सकल घरेलू उत्पाद के बढ़कर 1.70 प्रतिशत होने की प्रत्याशा है। दसवीं योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल निवेश का बढ़कर 28.4 प्रतिशत होना लक्षित है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश

1837. श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिक्की ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश और विस्तार के संबंध में एक सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अवसंरचनात्मक, कानूनी तथा श्रम संबंधी अड़चनों को हटाये जाने पर भारत में अधिक निवेश का समर्थन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या फिक्की ने सर्वेक्षण की रिपोर्ट सरकार को विचारार्थ तथा कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विस्तार योजना हेतु वातावरण को उनके अनुकूल बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। फिक्की ने भारत में वर्ष 2002 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण किया था।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण में सभी क्षेत्रकों से 385 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया। सर्वेक्षण के पांच प्रमुख निष्कर्ष थे :(i) विदेशी निवेशकों का निष्पादन संतोषजनक था जिनमें से 61 प्रतिशत ने लाभ अथवा लाभ–अलाभ की सूचना दी, (ii) 51 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी निकट भविष्य में विस्तार करने की योजनाएं है, (iii) अधिक सकारात्मक समझे जाने वाले राज्यों में निकट भविष्य में अपेक्षाकृत उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने की आशा की जा सकती है, (iv) नीतिगत मुद्दों में पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सुधार प्रदर्शित हुआ है जिनमें से 93 प्रतिशत निर्दिष्ट करते हैं कि केन्द्र में अनुमोदनों संबंधी कार्रवाई अच्छे से औसत के बीच में है तथा नीति संबंधित मुद्दे प्रभावकारी हैं, (v) बाजार संवृद्धि स्थितियां अभी भी मजबूत हैं, (vi) सर्वेक्षण में कर व्यवस्था, श्रम कानूनों तथा विनियामक ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर विशिष्ट जोर दिया गया है।

(घ) फिक्की ने भारत सरकार को सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रस्तुत की।

(ङ) सरकार अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के अग्रिम और तीव्रतर एकीकरण की ओर लक्षित द्वितीय पीढ़ी के सुधार में प्रवेश कर रही है। एक लघु नकारात्मक सूची को छोड़कर सेवा क्षेत्रकों सहित लगभग सभी क्षेत्रकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

संपदा कर निर्धारिति

1838. श्री कोडीकुनील सुरेश :

श्री चन्द्र विजय सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997–98 से 2001–02 के दौरान संपदा कर का वास्तविक संग्रहण संपदा कर मांग के कुल बकाया राशि का मात्र 9 से 19 प्रतिशत ही था;

(ख) यदि हां, तो संपदा कर निर्धारिति की संख्या में लगातार कमी के कारण क्या हैं हालांकि संपदा कर विधि में कोई बड़ा संशोधन नहीं किया गया है; और

(ग) संपदा कर निर्धारितियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हाँ।

तथापि, यह नोट किया जा सकता है कि अधिकतर बकाया धन कर मांग शीघ्र वसूली योग्य नहीं हैं क्योकि यह अभियोजन के विभिन्न चरणों में है और इसमें न्यायालयों/समझौता आयोग/ अपीलीय अधिकरणों और विभिन्न आयकर प्राधिकरणों द्वारा स्थगित मांगे भी शामिल हैं।

(ख) धनकर निर्धारितियों की संख्या इस वजह से क्रमिक रूप से घट रही है कि कर निर्धारण वर्ष 1993–94 से केवल गैर उत्पादक परिसंपत्तियों पर ही धन कर प्रभारित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कर निर्धारिती धन कर से छूट का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से छूट प्राप्त उत्पादक परिसम्पत्तियों जैसे बांडों, शेयरों, प्रतिभूतियों, नियत जमाराशियों आदि में निवेश भी कर रहे हैं। करनिर्धारितियों की संख्या में कमी आने का अन्य कारण यह भी है धन कर विवरणी दाखिल करने की छूट सीमा को करनिर्धारण वर्ष 1993–94 से 15 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, धन कर अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों के कारण दिनांक 1.4.1999 से परिसम्पत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को भी धन कर के प्रभार से छूट प्रदान की गई है:–

(i) कोई आवासीय सम्पत्ति जो पूर्व वर्ष में न्यूनतम 300 दिवस की अवधि के लिए क़िराए पर दी गई है।

(ii) वाणिज्यिक संस्थानों अथवा परिसरों के रूप में कोई सम्पत्ति।

अतः यह देखा जा सकता है कि इस समय धन कर केवल कुछ चुनिंदा "गैर उत्पादक परिसंपसत्तियों" की श्रेणियों पर ही प्रभार्य हैं। ऐसा इन्हीं कारणों से है कि छोटे धन कर करनिर्धारिती कर दायरे से बाहर हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप धन कर निर्धारितियों की संख्या में कमी आई है।

(ग) सरकार अधिक से अधिक लोगों को धन कर दायरे के अन्तर्गत लाने के लिए कई उपाय कर रही है जैसे :–

(i) छः आर्थिक संकेतकों जैसे गृह, कार आदि के स्वामित्व में से किसी एक को पूरा करने वाले व्यक्तियों के लिए आय की विवरणी दायर करने को अनिवार्य बनाते हुए छः में से एक स्कीम को प्रारंभ करना।

(ii) करनिर्धारितियों द्वारा विभिन्न परिसम्पत्तियों के स्वामित्व को रिकार्ड में लाने के लिए आय कर विवरणी फार्मों में परिवर्तन करना।

(iii) इसके अतिरिक्त, आय कर विभाग ने एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसमे पूरे देश में सभी 501 आयकर कार्यालयों को धीरे धीरे अखिल भारतीय कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क पर लाया जा रहा है। उपर्युक्त प्रस्तावित कर सूचना नेटवर्क के साथ ही, यह शीघ्र ही सुनिश्चित करना संभव होगा कि किसी व्यावसायिक कार्यकलाप/वित्तीय लेनदेन करने वाला कोई व्यक्ति कर दायरे के अन्तर्गत आएगा।

विदेशी ऋण

1839. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001–2002, 2002–2003 के दौरान भारत सरकार और सरकारी क्षेत्र द्वारा लिया गया कुल विदेशी कर्ज कितना है;

(ख) क्या सरकार द्वारा संप्रभु गारण्टी दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो संप्रभु गारण्टी देने के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र और भारत सरकार का मार्च, 2001, मार्च, 2002 और दिसम्बर, 2002 के अंत (अद्यतन उपलब्ध) में बकाया कुल विदेशी ऋण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(बिलियन अमरीकी डालर)

		मार्च, 2001 के अंत में	मार्च, 2002 के अंत में	दिसम्बर, 2002 के अंत में
1.	सरकारी ऋण	44.0	43.6	45.8
2.	सरकारी क्षेत्र का ऋण *	9.0	8.2	7.1
3.	सरकारी गारण्टीयुक्त विदेशी ऋण (क+ख+ग)	6.3	7.0	6.4
(क)	वित्तीय क्षेत्र	1.4	1.6	1.4
(ख)	सरकारी क्षेत्र	4.6	5.2	4.9
(ग)	गैर–सरकारी क्षेत्र	0.3	0.2	0.07

* सरकारी क्षेत्र का ऋण गैर–वित्तीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों के उधारों को दर्शाता है।

(ग) भारत सरकार सरकारी क्षेत्र उद्यमों को ऋणदाता की अनिवार्य और अपरिहार्य स्थिति में, उनके विदेशी उधारों के लिए चयनित आधार पर गारण्टिया प्रदान करती है। इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा अपनी "आकस्मिक देनदारी" को पूरा करने के लिए गारण्टी शुल्क लिया जाता है।

युद्धोत्तर इराक में व्यवसाय

1840. श्री भान सिंह भौरा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने युद्धोत्तर इराक में व्यावसायिक पहलू की जानकारी ली है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कंपनियों और उद्योग हेतु संभावनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ भारतीय कंपनियों और उद्योगों को पहले ही कुछ ठेके मिल गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो व्यवसाय की प्रकृति क्या है और भारतीय कंपनियों और उद्योगों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, साख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयम में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) आशा है कि युद्धोतर इराक में भारतीय कंपनियों के लिए अच्छे अवसर उत्पन्न होंगे। एक आकलन के अनुसार, भारतीय उद्योग के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में तथा विनिर्माण संबंधी उप–संविदाओं के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। भारतीय कंपनियों को, इराक में ऐसे क्रियाकलापों का लंबा अनुभव होन के कारण प्राथमिकता दी जा सकती है।

(ग) और (घ) जिन भारतीय कंपनियों को "तेल के लिए खाद्य कार्यक्रम" के अंतर्गत संविदाएं प्राप्त हुई थीं, वे उक्त कार्यक्रम, जिसकी अवधि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ाकर 20.11. 2003 तक कर दी गयी है, के संविदागत दायित्वों को पूरा कर रही हैं। बाद में भारतीय कंपनियों के लिए और अधिक व्यापारिक अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार इससे अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता।

बैंक ऋण चूककर्ता

1841. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कंपनियों/निगमों के उच्च अधिकारी जो बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के बड़े ऋण चूककर्ता हैं, वे अब भी इन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में से कुछ के बोर्ड में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के चूककर्ता अधिकारियों को बैंको तथा वित्तीय संस्थानों के बोर्ड में रखने का क्या कारण है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयात वृद्धि

1842. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के प्रथम तिमाही के दौरान लगभग सभी क्षेत्रों का आयात बिल बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन क्षेत्रों में अधिकतम आयात हुआ है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, साख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयम में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) डी जी सी आई एंड एस के त्वरित अनुमानों के अनुसार, चालू वर्ष के प्रथम दो महीनों के दौरान आयातों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 30.5% की वृद्धि हुई है। जिन मदों में अधिकतम आयत प्रदर्शित हुआ है वे निम्नानुसार हैं– पेट्रोलियम अपरिष्कृत एवं उसके उत्पाद; सोना एवं चांदी, इलैक्ट्रानिक सामान, मोती, बेश कीमती एवं कीमती पत्थर, मशीनरी, इलैक्ट्रिकल

एवं गैर इलैक्ट्रिकल मदें, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन तथा वनसपति तेल (फिक्स्ड)।

आयातों की अधिकांश मदों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने से बाजार मांग के अनुसार किसी मद के आयात का स्तर निर्धारित होता है। तथापि, आयातों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सरकार टैरिफ तथा अन्य तंत्रों के उचित उपयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आयातों के घरेलू उत्पादकों को कोई गंभीर नुकसान अथवा क्षति न हो।

वाणिज्यिक सेवाओं का निर्यात

1843. श्री मोहन रावले : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाणिज्यिक सेवाओं के संदर्भ में भारतीय निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात को बढाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) डब्ल्यू टी ओ की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2002 में भारत द्वारा वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यातो का मूल्य 20.7 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा है जो वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक निर्यातों का 1.3% बनता है। वर्ष 2002 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात की वृद्धि दर पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में डॉलर के रूप में 8% रही थी।

(ख) एक्जिम नीति के तहत सरकार ने एक स्कीम तैयार की है जिसमें सेवा प्रदाताओं को कृषि एवं डेयरी उत्पादों को छोड़कर पुर्जों, कार्यालय उपकरण और फर्नीचर, व्यावसायिक उपकरण और उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिए शुल्क मुक्त ऋण हकदारी की अनुमति दी है। यह हकदारी पर्यटन क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं को छोड़कर पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उनके द्वारा अर्जित औसत विदेशी मुद्रा के 10% के बराबर होगी। तीन स्टार और उससे उच्च श्रेणी के होटलों और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित, पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत होटलों के मामले में उक्त हकदारी उनके द्वारा पूववर्ती तीन लाईसेंसिंग वर्षों में अर्जित औसत विदेशी मुद्रा की 5% होगी। इस स्कीम में केवल वे सेवा प्रदाता शामिल होंगे जिनकी औसत विदेशी मुद्रा आय पूर्ववर्ती लाईसेंसिंग वर्षों में 10 लाख से अधिक होगी।

[हिन्दी]

बकाया राशि में कटौती टल जाना

1844. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से बकाया राशि में कटौती को टाले जाने के विषय मे कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में उल्लिखित मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध मे क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) बकाया राशि में कटौती को टाले जाने के लिए चालू वर्ष के दौरान कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उडीसा सरकार ने 31.3.2003 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार भारत सरकार के उच्च लागत ऋण के 50 प्रतिशत को माफ करने और शेष बकाया ऋणों के समेकन का अनुरोध किया है तथा नागालैंड सरकार ने ब्याज भार को माफ करने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) 2004–05 को समाप्त अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण राहत ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा निर्देशित होती है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के दायरे से परे कोई भी ऋण राहत सुसंगत नहीं होगी।

[अनुवाद]

मूल्य स्थिरीकरण कोष

1845. श्री अधीर चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का पौधारोपण क्षेत्र के लिए

500 करोड़ रुपए की आरम्भिक राशि वाले मूल्य स्थिरीकरण कोष की राशि को बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) पौधरोपण क्षेत्र में इस आरम्भिक राशि को कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) चाय, कॉफी, रबड़ और तम्बाकू के उपजकर्त्ताओं के लाभ के लिए 500 करोड़ रुपए की संग्रह राशि से मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना को हाल ही में अप्रैल, 2003 से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त निधि की संग्रह राशि में किसी वृद्धि पर 2–3 वर्ष तक योजना के निष्पादन का आकलन करने के बाद ही विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन टी सी) की मिलों का आधुनिकीकरण

1846. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एन टी सी की 119 वस्त्र मिलों में से मात्र 24 मिलें अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रही हैं जबकि 53 आर्थिक रूप से कार्य कर रही हैं और 42 बंद हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने 1996–97 से किसी भी राज्य को एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए एक भी पैसा आबंटित नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन मिलों के कारण सरकार को कितना घाटा हुआ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) इस समय एनटीसी की 119 मिलों में से 72 मिलें चल रही हैं। 44 गैर–अर्थक्षम मिलों को, उनके कर्मचारियों को वीआरएस देने के बाद बंद कर दिया गया है। शेष 3 मिलें प्रचालन कारकों के कारण नहीं चल रहीं हैं, लेकिन बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापना योजना के अनुसार उनका पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापना योजना के अनुसार पुनरुद्धार करने योग्य मिलों का आधुनिकीकरण, बेशी भूमि को बेचने से मिलने वाली धनराशि से किया जाएगा। इस समय भूमि को बेचने की प्रक्रिया चल रही है। बेशी भूमि को बेचने से अब तक प्राप्त हुई धन राशि में से 26.42 करोड़ रु., मिलों का आधुनिकीकरण/अनुरक्षण करने के लिए पहली किस्त के रूप में जारी करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

(ङ) एनटीसी को वर्ष 2002–01 में 1,075.57 करोड़ रू., वर्ष 2001–02 में 617.23 करोड़ रु., और वर्ष 2002–03 में 1,488.39 करोड़ रु. का निबल घाटा हुआ।

नई बीमा योजना

1847. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने क्रमशः वर्ष 1995–96 और 1996–97 में शुरु की गयी नई बीमा योजना और निर्यात योग्य उत्पादों का विकास और उनकी विपणन योजना के अंतर्गत हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कर्नाटक सरकार को कोई भी सहायता नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) और (ख) हथकरघा बुनकरों हेतु नई बीमा योजना के अंतर्गत किसी तरह की निधियां अवमुक्त नहीं की गई हैं क्योंकि केरल सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं किए गए।

निर्यात योग्य उत्पाद विकास एवं उनके विपणन की योजना के अंतर्गत वर्ष 2001–2002 के दौरान 15.91 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से पहली किस्त के रूप में 7.95 लाख रुपए की राशि अवमुक्त की जा चुकी है।

चीनी विकास ऋण

1848. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री 9.5.2003 के अतरांकित प्रश्न संख्या 6835 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को चीनी विकास ऋण की स्वीकृति हेतु दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे कितने प्रस्तावों की जांच की गई और ये प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा कब दिए गए थे;

(ग) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के लिए स्वीकृति हेतु सिफारिश की गई धनराशि कितनी है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए गए सभी प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) जनवरी, 2002 से जून, 2003 के बीच महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से ऐसे 66 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जो चीनी विकास निधि से गन्ना विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के बारे में थे। अब तक स्वीकृत प्रस्ताव और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

इस संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों की संगत मानदंडों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जानी अपेक्षित होती है और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा यथापेक्षित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के बाद निर्णय लेना होता है।

विवरण

क्र. सं.	चीनी इकाई का नाम	राज्य सरकार की संस्तुति की तारीख	स्थिति
1	2	3	4
वर्ष 2000			
1.	साहकार महर्षि स्वर्गीय बापूरावजी देशमुख एसएसके लि. जिला वर्धा	4.2.2000	210.13 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
2.	विश्वासराव नाईक एसएसके लि. यशवंतनगर, जिला सांगली	16.2.2000	269.87 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
3.	दि संजीवनी (ताकिल) एसएसके लि. शाहजानन्दनगर, जिला अहमदनगर	31.3.2000	273.60 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
4.	संत एकनाथ एसएसके लि. जिला औरंगाबाद	4.4.2000	262.305 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
5.	यशवंत एसएसके लि. खानापुर, जिला सांगली	5.5.2000	298.08 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
6.	महात्मा एसएसके लि. तालुक सेलू, जिला वर्धा	2.11.2000	132.80 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
7.	मंजारा शेतकारी एसएसके लि. जिला लातूर	3.11.2000	269.75 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
8.	दूधगंगा वेदगंगा एसएसके लि. जिला कोल्हापुर	13.12.2000	252.66 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत

1	2	3	4
वर्ष 2001			
9.	साहकार महर्षि शंकरराव मोहिते पाटिल एसएसके लि. जिला शोलापुर	2.2.2001	297.00 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
10.	हुतात्मा किसान अहीर एसएसके लि. जिला सांगली	16.2.2001	300.00 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
11.	साहकार महर्षि शंकरराव मोहिते पाटिल एसएसके लि. जिला शोलापुर	19.2.2001	297.00 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
12.	श्री ध्यानेश्वर एसएसके लि. तालुका नेवाशा, जिला अहमदनगर	5.9.2001	189.00 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
13.	भीम शंकर एसएसके लि. जिला पुणे	2.11.2001	269.71 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
14.	कृष्णा एसएसके लि. जिला सतारा	19.11.2001	157.50 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
वर्ष 2002			
15.	मै. नेचुरल शुगर एंड एलाईड इंडस्ट्रीज लि., (साई नगर), रंजनी, तालुक कल्लाम, जिला ओसमानाबाद	11.1.2002	137.36 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
16.	श्री संत तुकाराम एसएसके लि. जिला पुणे	11.1.2002	279.00 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत
17.	जरानदेश्वर एसएसके लि. जिला सतारा	7.2.2002	224.64 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत

कंपनियों की लेखा परीक्षा

1849. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लेखा परीक्षकों और उनकी रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाले नियमों के कुछ प्रावधानों की समीक्षा करने का है जो 1 जुलाई, 2003 से लागू हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनियों द्वारा दीर्घकालिक ऋणों का अल्पकालिक निवेशों में इस्तेमाल किया जाना ऐसा विषय है जिसकी भविष्य में कड़ी छानबीन होगी;

(घ) क्या इस प्रकार की धनराशि का कंपनियों द्वारा उचित उपयोग या परंपरागत निवेश नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं कि कंपनियों की कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों द्वारा बराबर नजर रखी जाए?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4क) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 (सीएआरओ, 2003) जारी कर दिया है जिसकी वजह से लेखा परीक्षकों को अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय अतिरिक्त अपेक्षाओं पर रिपोर्ट देनी होगी। कई ऐसे मामलों के अलावा रिपोर्ट में कंपनियों द्वारा अल्पावधि के निवेशों के लिए दीर्घावधि की निधियों के तथा दीर्घावधि के निवेशों के लिए अल्पावधि की निधियों के प्रयोग संबंधी विवरण भी शामिल होगा।

(घ) और (ङ) दीर्घावधि की निधियों के प्रयोग पर लेखापरीक्षकों से रिपोर्ट मंगवाए जाने का उद्देश्य यह जानने के लिए है कि क्या वे कंपनियों द्वारा सही ढंग से प्रयोग की जा रही हैं। जैसे कि जब दुरुपयोग शेयरधारकों, कंपनी के मालिकों के नोटिस में आता है, उसका समुपयुक्त प्रकटीकरण स्वयं ही दुरुपयोग के विरुद्ध एक प्राथमिक सुरक्षोपाय है।

इलैक्ट्रानिक लेन-देन

1850. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर प्राधिकारी बैंकों द्वारा जारी चालान को प्राप्ति के रूप में स्वीकार नहीं करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर विभाग का बैंकों से इलेक्ट्रानिक माध्यम से भुगतान स्वीकार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यह प्रणाली कब तक प्रभावी होगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) डा. विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित कार्य बल ने करों की वसूली और उनके हिसाब के लिए एक संशोधित प्रक्रिया की सिफारिश की है। नई प्रक्रिया के अन्तर्गत बैंक में कर का भुगतान करते समय करदाता को चालान की एक ही प्रति भरनी पड़ेगी। प्रत्यक्ष करों के भुगतान के लिए चालान की चार प्रतियां भरने की वर्तमान अपेक्षा को समाप्त करने का प्रस्ताव है। बैंकों को कर सूचना नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और वे ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करेंगें। बैंकों को करदाता को साथ-साथ कम्प्यूटरीकृत रसीद जारी करनी होगी। कर वसूली के तत्काल लेखाकरण से आय की वार्षिक विवरणी सहित कर भुगतान के साक्ष्य के रूप में चालान की एक प्रति संलग्न करने की अपेक्षा समाप्त कर दी जायेगी। यह भी सिफारिश की गई है कि चूंकि कर सूचना नेटवर्क सभी टी.डी.एस. विवरणियों को डिजीटाइज करेगा, अतः आय की विवरणी के साथ टी.डी.एस. प्रमाणपत्र को दायर करने की अपेक्षा भी समाप्त की जा सकती है। इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से आयकर विभाग को कर भुगतान डाटा ऑनलाइन प्रेषित करने की सुविधाएं स्थापित करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है। बैंकों में इलैक्ट्रानिक भुगतान के मामले की जांच भी सभी बैंक शाखाओं के पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हो जाने के बाद की जाएगी। नई प्रणाली के आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ तक चालू हो जाने की संभावना है।

साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) और कर्मचारी प्रनिनिधियों की बैठक

1851. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 30 जून, 2003 को चार गैर जीवन बीमा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशकों और इस क्षेत्र की यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायी थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका परिणाम क्या रहा है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों से संबंधित यूनियनों/एसोसिएशनों में प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण करने हेतु "चैक-आफ सिस्टम" के बारे में प्रक्रियात्मक मामलों पर विचार-विमर्श करने के संबंध में दिनांक 30.6.2003 के लिए एक बैठक निर्धारित की गई थी। कार्यालय संबंधी आकस्मिकताओं के कारण यह बैठक आयोजित नहीं हो सकी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वस्त्र निधि का गठन

1852. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार वस्त्र उद्योग ने लगभग 20,000 करोड़ रु. का ऋण लिया था जिसमें से 16,000 करोड़ रु. संस्थागत स्रोतों से लिया गया था;

(ख) क्या 5,000 करोड़ रु. के वस्त्र निधि के गठन से संस्थागत ऋण का लगभग 10,000 करोड़ रु. ऋणदाताओं को लौटाया जा सका है;

(ग) क्या ऋण आधारित पूंजी संरचना और ऋण पर भारी ब्याज के कारण बड़ी संख्या में अर्थक्षम इकाइयां अपने ऋण नहीं लौटा पायी थीं।

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें उबारने के लिए सामने आने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) जी, हां।

(ख) आईसीएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार 5000 करोड़ रु. की वस्त्र पुनर्निर्माण निधि का सृजन करने से लगभग 10,000 करोड़ रु. के संस्थागत ऋण का पुनर्निर्माण इस तरह से किया जाए ताकि ऋणदाताओं को पुनर्भुगतान सुनिश्चित की जा सके।

(ग) ऋण का संचालन करने की उच्च लागत, संभाव्य रूप से अनेक अर्थक्षम एककों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान न करने का मुख्य कारण था।

(घ) और (ङ) इस संबंध में अनेक प्रस्ताव सरकार के समक्ष हैं और सरकार सभी स्टेकहोल्डर्स दावेदारों के साथ परामर्श कर रही है।

भारतीय खाद्य निगम के मोटे अनाज

1853. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे और मझोले व्यापारियों ने सरकार से मोटे अनाजों के लिए एफ.सी.आई. द्वारा शुरू किए गए भंडार की उठाई और भुगतान संबंधी नए ठेके के मानदंड को वापस लेने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने छोटे और मझोले व्यापारियों की मांग स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) भारतीय खाद्य निगम को भुगतान के निविदा संबंधी मानदण्डों में परिवर्तन करने और मोटे अनाजों के स्टाक का उठान करने के लिए व्यापारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) महाराष्ट्र रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन, मुम्बई और मैसर्स हंसा इंटरप्राइजेज, मुम्बई से प्राप्त 2 अभ्यावेदनों में निम्नलिखित सामान्य मुद्दे उठाए गए हैं:–

(i) भुगतान करने के लिए समय–सीमा को 10 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया जाए, ब्याज और भंडारण प्रभार मुक्त आदि बनाते हुए और

(ii) 30 कार्य–दिवस की सुपुर्दगी अवधि को भी बढ़ा दिया जाए।

(ग) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम ने छोटे और मझौले व्यापारियों की मांग स्वीकार नहीं की है।

(घ) भुगतान करने के लिए 10 कार्य–दिवस की अवधि (लगभग 15 पंचांग दिवस) और सुपुर्दगी के लिए 30 कार्य–दिवस (लगभग 45 पंचांग दिवस) की अवधि वास्तविक पाटियों को तीव्र डिस्पोजल सुनिश्चित करने के लिए विहित की गयी है। इस अवधि को कम करना प्रशासनिक हित में नहीं होगा।

औद्योगिक बस्ती विकास योजना

1854. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय वर्तमान औद्योगिक बस्तियों में बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक औद्योगिक बस्ती विकास योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अभी तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी, हां। औद्योगिक नीति और

संवर्धन विभाग ने दसवीं पंच वर्षीय योजना में कार्यान्वयन हेतु औद्योगिक समूह विकास योजना के नाम पर चुनिंदा स्थापना–स्थलों में औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव किया है। तथापि, इस योजना का नाम औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आई.आई.यू.एस.) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें वर्तमान औद्योगिक स्थापना स्थलों में अवसंरचनाओं की गुणवत्ता में उन्नयन करने पर मुख्य जोर दिया गया है, ताकि भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ सके। व्यय वित्त समिति ने उक्त योजना का अनुमोदन कर दिया है। उक्त प्रस्तावित योजना को अब मंत्रिमंडल के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु रखा जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा भुगतानों की वापसी

1855. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने संयुक्त राज्य अमेरीका से सामाजिक सुरक्षा भुगतानों को वापस करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वापस किए जाने वाले भुगतान की धनराशि कितनी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत ने संयुक्त राज्य अमरीका को सामाजिक सुरक्षा पर दोहरे कराधान संबंधी करार करने का प्रस्ताव किया है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार अमरीकी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में भारतीय व्यावसायिकों का योगदान लगभग 500 मिलियन अमरीका डॉलर वार्षिक का है। अब तक इस विषय पर कोई करार नहीं हो सका है।

निर्यात कोटा नीति

1856. श्री शिवाजी माने :

श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक निर्यातक मौजूदा कोटा नीति के विरुद्ध शिकायत कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति की कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) से (ग) सरकार ने 1.1.2000 से 31.12.2004 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घावधि कोटा (निर्यात हकदारी) वितरण नीतियों पर सिफारिशें करने के लिए एक कार्यबल गठित किया है। कार्यबल ने निर्यात संवर्द्धन परिषदों (ई पी सी), प्रमुख व्यापार संघों और परिसंघों से नई दिल्ली और मुंबई से संबंधित विभिन्न निर्यातकों और संघों से प्रतिक्रिया आमंत्रित की थी। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कार्यबल ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पूर्व विभिन्न स्रोतों से प्राप्त इनपुट्स पर विचार किया। इस रिपोर्ट को नई कोटा नीति बनाते समय ध्यान में रखा गया था।

विभिन्न वस्त्र संघों, वस्त्र/परिधान निर्यातकों से समय–समय पर सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन पर विधिवत विचार किया जाता है और जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाता है कोटा प्रणाली के निर्बाद्ध कार्यचालन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाते हैं। इन सुझावों के कारण परिधान और निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति (2000–04) और यार्न, फैब्रिक्स व मेडअप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति (2000–04) अधिसूचनों में किए गए कुछ परिवर्तन नीचे दिए गए हैं।

1. तीसरे पक्ष को गैर हस्तांतरणीय कोटाओं के मामले में लदान की अनुमति नहीं दिए जाने से संबंधित मामले को स्पष्ट कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि तीसरा पक्ष लदान वास्तविक हस्तांतरण के सिवा कुछ नहीं है और इसलिए गैर हस्तांतरणीय कोटाओं के प्रति तीसरा पक्ष लदान नीति के प्रावधानों का उल्लंघन है और प्रवर्तन कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं।

2. परिधान के मूल्यवर्धन में प्रत्यक्ष रूप से लगे और परिधान क्रियाकलाप में पूर्णतया समर्पित स्वावलंबी निर्यात एककों को नई निवेशक हकदारी (एन आई ई) कोटा का दावा करने के लिए अनुमति दी गई है। इसके अलावा, अधिसूचना में एन आई ई कोटाधारकों को अगले वर्ष में

हकदारी के लिए अपने पात्र निवेश का अधिकतम 50 प्रतिशत का विकल्प चुनने का भी प्रावधान है। इस प्रावधान को नये निवेशकों द्वारा निर्यात परिचालन में सततः रूप से सुगम बनाने के लिए प्रारम्भ किया गया है।

3. भाग–1 कोटाओं को भाग– 2 अवधि में आगे लाने की अनुमति इस शर्त के अधीन पी पी ई/एन क्यू ई प्रणाली मे दी गई है कि उस देश/श्रेणी का कोटा जो निर्यातक दूसरे भाग तक आगे लाना चाहता है और उस विशेष देश/श्रेणी में दूसरे भाग का कोटा भी संपूर्ण आबंटन वर्ष के दौरान गैर हस्तांतरणीय होगा। इस उपाय को उन वस्त्र श्रेणियों जिनकी मौसम में ही मांग होती है, के निर्यात में आ रही कठिनाईयों को कम करने के लिए शुरू किया गया है।

4. ई टी एस के साथ–साथ पारस्परिक हस्तांतरण प्रणाली की अनुमति दी गई है और महानिदेशक, ए ई पी सी को पहले और दूसरे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित अपीलीय मामलों के संबंध में अपना अस्पष्ट आदेश की समीक्षा करने के लिए अधिकृत किया गया है।

5. एन आई ई कोटा हकदारी के मामले में आधार अवधि को 12 महीने से बढ़ाकर 20 महीने तक किया गया है। यह संशोधन 2001 के दौरान दिए गए छूट को कोटा व्यवस्था की शेष अवधि अर्थात् वर्ष 2004 तक वैध बनाने के लिए किया गया है।

6. वर्ष 2001 के लिए ई एम डी/बी जी/एल यू टी/उत्तर दिनांकित चैक को जब्त करने के उद्देश्य के लिए निष्पादन स्तर में छूट दी गई है।

7. परिधान व निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति 2002–04 के उप पैरा 5 (3) और 7 (4) में 31 अगस्त से निर्यात की वसूली की अंतिम तिथियों को बदलकर 31 दिसम्बर किया गया है।

खाद्यान्नों का निर्यात

1857. श्री ए. नरेन्द्र :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री अरुण कुमार :

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

श्री के. पी. सिंह देव :

श्री मानसिंह पटेल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001–02 और 2002–03 के लिए गेहूं और चावल के लिए कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003–04 के लिए खाद्यान्नों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी खाद्यान्न–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान नैफेड द्वारा खाद्यान्नों का कितना निर्यात किया गया और उनकी किस्में और दर क्या थीं;

(ङ) क्या नैफेड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद निजी व्यापारियों और सहकारी संस्थाओं ने भी ऐसे खाद्यान्नों का निर्यात किया है;

(च) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में घोर अनियमितताएं बरती गई हैं और इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) सरकार ने केंद्रीय पूल से खाद्यान्नों के निर्यात के लिए कोई मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशक, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार गेहूं और चावल की निर्यात की गयी मात्रा और कीमत संलग्न विवरण में दी गयी है।

अमरीकी डालर में देश द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा निर्यातकों द्वारा अनुबंधित दरों पर निर्भर करेगी। देश में प्राप्त होने वाली

वास्तविक राशि निर्यातकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को स्टाक की खरीदारी करने के लिए अदा किए गए मूल्य से अधिक होगी।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. ने सूचित किया है कि वर्ष 2001–02, 2002–03 और 2003–04 के दौरान क्रमशः 1.24 लाख टन, 0.76 लाख टन और 0.05 लाख टन गेहूं निर्यात किया गया है, जिसकी कीमत क्रमशः 56.81 करोड़ रुपये, 37.49 करोड़ रुपये और 5.34 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार, उपर्युक्त अवधियों के दौरान क्रमशः 1.27 लाख टन, 2.49 लाख टन और 0.13 लाख टन चावल का निर्यात किया गया है, जिसकी कीमत क्रमशः 84.17 करोड़ रुपये, 169.53 करोड़ रुपये और 9.15 करोड़ रुपये है।

(ङ) से (छ) नेफेड ने सूचित किया है कि उसने स्वयं तथा अपने सहयोगी शिपर्स के माध्यम से गेहूं और चावल का निर्यात किया है, ये शिपर्स भारत सरकार द्वारा निर्यात घरानों/व्यापार घरानों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। नेफेड ने केंद्रीय पूल से गेहूं और चावल का निर्यात करने के प्रयोजनार्थ किसी प्राइवेट अथवा सहकारी संस्थान को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया है।

विवरण

(मात्रा हजार टन में)
(मूल्य – करोड़ रुपये)
(अनंतिम)

जिंस	अप्रैल, 2001– मार्च, 2002		अप्रैल, 2002– मार्च, 2003	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बासमती चावल	667.07	1842.77	594.87	1729.54
चावल (बासमती से इतर)	1541.49	1331.37	4076.35	3634.08
गेहूं	2649.38	1330.21	3570.90	1700.18

* स्रोत – वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक, कोलकाता

बकाया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

1858. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्राधिकरणों में निर्णय लंबित होने के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की 45,685 करोड़ रुपये की राशि में 150 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) क्या बकाया राशि की वसूली के लिए स्थापित किए गए वसूली प्रकोष्ठ अपनी स्थापना के चार वर्षों के बाद भी केवल 1.58 करोड़ की बकाया राशि ही वसूल कर पाए; और

(ग) यदि हां, तो उत्पाद शुल्क की बड़ी बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

करघों के आधुनिकीकरण हेतु बुनकरों को सहायता

1859. श्री मान सिंह भौरा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों के बुनकरों को उनके करघों के आधुनिकीकरण हेतु सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में कितने करघों का आधुनिकीकरण किया गया; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने करघों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)) : (क) जी, हां। दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बुनकरों को उनके करघों के आधुनिकीकरण हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) करघों के आधुनिकीकरण के लिए दीन दयाल

हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नए करघों, डॉबी, जैकार्ड तथा उपस्करों की खरीद हेतु प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	105.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	90.09
3.	असम	1652.97
4.	छत्तीसगढ़	18.86
5.	गुजरात	425.00
6.	हिमाचल प्रदेश	36.99
7.	जम्मू–कश्मीर	8.10
8.	केरल	16.12
9.	मध्य प्रदेश	4.99
10.	मणिपुर	274.84
11.	मेघालय	3.37
12.	नागालैण्ड	161.10
13.	राजस्थान	1.41
14.	तमिलनाडु	80.24
15.	त्रिपुरा	13.57
16.	उत्तर प्रदेश	415.77
17.	उत्तरांचल	28.88
18.	पश्चिम बंगाल	109.19
	कुल	3446.85

(ग) और (घ) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य नहीं रखे जाते हैं। योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार से प्राप्त व्यावहारिक प्रस्तावों के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पंजाब सरकार से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विदेशी कंपनियों द्वारा नया संयुक्त उद्यम

1860. श्रीमती प्रभा राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय साझेदार के साथ संयुक्त उद्यम से विदेशी कंपनी के निर्गम तथा विदेशी साझेदार के साथ नया उद्यम स्थापित करने का संचालन करने वाली अपनी नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) क्या विदेशी कंपनी के लिए नया संयुक्त उद्यम आरंभ करने हेतु अपने मूल भारतीय साझेदार से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना बाध्यकारी है;

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान नई कंपनी स्थापित करने के लिए अलग हुए व्यावसायिक साझेदारों के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में भारतीय कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए नीति में परिवर्तन, यदि कोई किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) इस संबंध में वर्तमान नीति, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी किए, 1988 के प्रेस नोट संख्या 18, (भारत में पिछले उद्यमों/संवर्धनों के साथ स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी/तकनीकी सहयोग के अनुमोदन से संबंधित दिशानिर्देशों के बारे में) द्वारा अभिशासित है।

(ख) जी, नहीं। 1998 के प्रेस नोट 18, में यह निर्धारित है कि एफडीआई और तकनीकी सहयोग के लिए स्वचालित मार्ग उनके लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिनका भारत में, उसी या उससे संबंधित क्षेत्र में पहले कोई प्रौद्योगिकी अंतरण/व्यापार चिन्ह करार संबंधी संयुक्त उद्यम है या पहले कभी था।

(ग) उन संयुक्त उद्यम सहभागियों का ब्यौरा, जो पिछले एक वर्ष में अलग हुए और जिन्होंने एक नई कंपनी बनाई, संग्रहित किया जा रहा है तथा सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) वर्तमान नीति में भारतीय संयुक्त उद्यम भागीदारों के वैध हितों को पहले ही ध्यान में रखा गया है।

एक्रीलिक फाइबरों का पाटन

1861. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेलारूस से आ रहे एक्रीलिक फाइबरों का देश में पाटन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में बेलारूस से आए एक्रीलिक फाइबरों की कितनी मात्रा का पाटन हुआ है;

(ग) क्या सरकार को देश में एक्रीलिक फाइबर का उत्पादन कर रही प्रभावित कम्पनियों/निगमों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बेलारूस से आए एक्रीलिक फाइबरों के पाटन के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में आने वाली वस्तुओं के पाटन के प्रभाव का आकलन तथा पाटन किए गए माल की सही मात्रा का निर्धारण करने के लिए कोई ऐसा संगठन स्थापित करने का है जो कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) फोरम आफ एक्रिलिक फाइबर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली से प्राप्त एक याचिका के आधार पर पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी) ने दिनांक 1.7.2003 की अधिसूचना द्वारा बेलारूस से एक्रिलिक फाइबर के आरोपित पाटन की पाटनरोधी जांच शुरू की है। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटनरोधी जांच उसकी शुरूआत की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर पूरी करनी अपेक्षित होती है। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में इसे छह माह तक बढ़ाया जा सकता है। बेलारूस से एक्रिलिक फाइबर के पाटन की मात्रा अथवा अन्यथा का निर्धारण जांच के दौरान किया जाएगा तथा प्रारंभिक जांच परिणामों और अन्तिम जांच परिणामों को तदनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

(च) और (छ) सरकार सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत पाटन के मामलों का निपटान करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के संगठन की स्थापना पहले ही कर चुकी है।

सोने और चांदी का आयात

1862. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 2003 के दौरान सोने और चांदी के आयात में तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत के आयात बिल में किस सीमा तक वृद्धि हुई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) अनन्तिम आधार पर उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि मई, 2003 माह के दौरान सोने और चांदी के आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संशोधित निर्यात लक्ष्य

1863. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश व्यापार महानिदेशालय ने घोषणा की है कि इस वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में निर्यात वृद्धि अत्याधिक होने के संभावना है;

(ख) क्या डी जी एफ टी ने भविष्यवाणी की है कि वस्त्र, जवाहरात, बुनियादी रसायनों तथा इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में निर्यात लक्ष्य से अधिक होगा;

(ग) क्या इन चार क्षेत्रों में यह विकास इन क्षेत्रों में पूरे वर्ष के लिए वृद्धि का सूचक है;

(घ) क्या चालू वित्त वर्ष के लिए इन चारों क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों को संशोधित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो निर्धारित किए जा रहे नए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) अप्रैल–जून 2003–04 तक की अवधि के लिए सरकार के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार मूल रसायनों में डालर के अनुसार 6.50% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। रत्न और आभूषण, इंजीनियरी के सामान और वस्त्रों में डालर के अनुसार क्रमशः 14%, 1.90% और 4.2% की कमी दर्ज की गई है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2003–04 के लिए डालर के अनुसार 12% का निर्यात वृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया है और चालू वित्त वर्ष में इस लक्ष्य को संशोधित करने का अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

एन.आर.आई. खातों पर ब्याज दरें

1864. **श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निश्चित किया है कि नए स्वदेश वापस आने वाले अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के खातों पर ब्याज दरें 2.5 प्रतिशत एल.आई.बी.ओ.आर.. से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो एन.आर.आई. खातों पर ब्याज दरें के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के इस नए दिशानिर्देश के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय बैंक एन.आर.आई. खातों पर बहुत ऊंची ब्याज दर का भुगतान कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे खातों पर ब्याज दरों में कमी करके विदेशी मुद्रा के बाहर जाने को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने निदेश जारी किया है जिसमें बैंकों को सलाह दी गई है कि एक वर्ष से तीन वर्षों के लिए अनिवासी विदेशी (एन आर आई) जमाराशियों पर ब्याज दर तदनुरूपी परिपक्वता के लिए यू एस डॉलर हेतु लीबोर/स्वैप दरें 250 आधार बिन्दुओं से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनिवासी भारतीयों के लिए बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में अनुकूलता बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया था।

(ग) और (घ) वर्तमान में, विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बी) जमाराशियों पर ब्याज की दरें तदनुरूपी परिपक्वता ऋण 25 आधार बिन्दुओं के लिए लीबोर/स्वैप दरों की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होती है और आम तौर पर यह यू एस डॉलर, पौंड, स्टर्लिंग, यूरों इत्यादि में विदेशी मुद्रा जमाराशियों में वैश्विक ब्याज दर के अनुरूप होता है।

आसियान एएसईएएन से प्रशुल्क रियायतों के लिए गैर-संवेदी मदों की सूची

1865. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आसियान से सम्भावित शुल्क रियायतों हेतु आसियान के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गैर – संवेदी वस्तुओं की सूची के बदले समान सूची को अंतिम रूप दिया है;

(ख) क्या प्रस्तावित क्षेत्रीय व्यापार और निवेश समझौते में शामिल किए जाने वाली सूची के संबंध में आसियान सदस्य देशों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे जिससे कि आसियान को निर्यात के मामले में भारतीय घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव न पड़े;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम रूप दी गई सूचियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसे सभी आसियान देशों की स्वीकृति मिल गई है; और

(ङ) ऐसी वस्तुओं के निर्यात में प्रस्तावित मदों को शामिल करने से किस सीमा तक देश को लाभ मिलेगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम

कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) आसियान भारत व्यापार आर्थिक सहयोग बढ़ाने और एकीकरण उपायों की सिफारिश करने हेतु आसियान भारत आर्थिक संपर्क कार्यबल (एआई इ एल टी एफ) को एक कार्य ढांचे के करार का प्रारूप तैयार करने के लिए अधिदेशित किया गया है। कार्यढांचा करार में भारत और आसियान के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में मुक्त व्यापार करार के प्रावधानों को शामिल किया गया है। कार्यढांचा करार का एक घटक भारत और आसियान के बीच विश्वास सृजन के उपाय के रूप में शीघ्र उपलब्धि कार्यक्रम (अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम) है। भारत और आसियान के बीच व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से उन सहमत सामान्य मदों की सूची, जिन पर ई एच पी के तहत टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान किया जा सकता है, को अंतिम रूप देने के लिए आसियान के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श जारी है। मदों की एक सहमति प्राप्त सामान्य सूची पर ऐसे तरीके से रियायतों के आदान-प्रदान करने का एक सामान्य प्रयास किया जा रहा है ताकि कुल द्विपक्षीय भारत आसियान व्यापार की 5-10% मात्रा को इस व्यापार में शामिल करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। शीघ्र उपलब्धि कार्यक्रम की मदों को कार्यढांचा करार पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद सौदा की गई और अंतिम रूप दी गई मदों से संबंधित संवार्गपूर्ण मुक्त व्यापार करार में शामिल कर लिया जाएगा।

चीनी जारी करने संबंधी तंत्र

1866. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी जारी करने संबंधी तंत्र की व्यवस्था करने वाले नए मानदंड/नियम लागू हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार कितने क्रेताओं/विक्रेताओं ने नियमों का उल्लंघन किया है तथा कितनों के संबंध में मामला दर्ज किया गया है;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार की कार्रवाई से चीनी प्रबंधन संकट को दूर करने में किस हद तक मदद मिली है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ङ) अन्य बातों के साथ-साथ "विनियमित निर्मुक्ति" व्यवस्था, जिससे लेवी मुक्त चीनी की आपूर्ति शासित होती है, को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 37) के जरिये आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जून, 2003 में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन द्वारा केन्द्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग जुलाई, 2003 के लिए मासिक कोटे की निर्मुक्ति के लिए किया गया था।

यह परिकल्पना की गई है कि लेवी मुक्त चीनी के बाजार मूल्यों में स्थिरता के जरिये गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि के भुगतान करने की चीनी मिलों की क्षमता में भी वृद्धि होगी।

राज्य परियोजनाओं हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूनाइटेड किंगडम द्वारा सहायता

1867. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और आज तक भारत के विभिन्न राज्यों की परियोजनाओं के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूनाइटेड किंगडम द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता का राज्यवार विशेषतः हिमाचल प्रदेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों को मिलने वाली बाहरी सहायता के मुख्य अंशदाता विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जापान और जर्मनी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा प्राप्त सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूनाइटेड किंगडम द्वारा गत दो वर्षों के दौरान तथा दिनांक 30.6.2003 तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) उक्त अवधि में राज्यों द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	निम्नलिखित वर्ष के दौरान संवितरण		
		2001–02	2002–03	2003–04 (30.6.03 तक)
यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
1.	हरियाणा	9.13	11.35	0.00
2.	केरल	9.18	0.00	0.00
3.	महाराष्ट्र	5.20	0.00	0.00
4.	उड़ीसा	0.00	0.00	4.96
5.	पांडिचेरी	3.46	2.15	0.00
6.	राजस्थान	24.91	0.00	0.00
7.	तमिलनाडु	0.00	0.00	3.52
8.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.25	0.00
9.	उत्तरांचल	19.21	4.11	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
यूनाइटेड किंगडम				
1.	आंध्र प्रदेश	527.65	167.52	15.91
2.	हिमाचल प्रदेश	2.36	0.00	0.00
3.	कर्नाटक	3.53	6.37	5.60
4.	केरल	20.04	0.00	0.00
5.	उड़ीसा	15.51	283.88	18.43
6.	राजस्थान	19.36	13.22	1.50
7.	उत्तर प्रदेश	5.61	10.90	2.12
8.	पश्चिम बंगाल	3.97	0.71	0.00

विवरण-II

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	निम्नलिखित वर्ष के दौरान संवितरण		
		2001–02	2002–03	2003–04 (30.6.03 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	3436.91	2022.373	222.518
2.	असम	123.86	62.616	0
3.	बिहार	0.6	0.279	0
4.	छत्तीसगढ़	8	4.59	1.687
5.	दिल्ली	1.38	1.429	0
6.	गुजरात	563.9	738.154	265.441
7.	हरियाणा	305.17	50.372	8.991
8.	हिमाचल प्रदेश	17	16.014	2.75
9.	कर्नाटक	1683.48	429.078	73.735
10.	केरल	56.16	743.022	20.47
11.	मणिपुर	4.1	9.297	0
12.	मेघालय	43.52	11.707	0
13.	महाराष्ट्र	288.07	471.279	30.09
14.	मध्य प्रदेश	505.28	543.855	48.992
15.	मिजोरम	0	19.154	8.505
16.	उड़ीसा	298.98	626.166	118.366
17.	पांडिचेरी	3.46	2.149	0
18.	पंजाब	69.42	37.414	0
19.	राजस्थान	169.7	350.837	128.626
20.	सिक्किम	0.06	1.241	0
21.	तमिलनाडु	293.34	278.586	30.278
22.	उत्तर प्रदेश	677.86	549.301	101.263
23.	उत्तरांचल	19.21	4.112	0
24.	पश्चिम बंगाल	470.62	526.969	85.234
25.	बहुराज्यीय	595.33	768.473	213.395

दोहरे उपयोग के उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध

1868. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मौजूदा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 में संशोधन करके दोहरे उपयोग के उत्पादों के निर्यात को नियंत्रित अथवा प्रतिबंधित करने को उत्सुक है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को ऐसा निर्णय लेने हेतु बाध्यकारी कौन से कारण उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे उत्पादों/उपकरणों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे उत्पादों/उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान में भारत द्वारा किन–किन देशों का ऐसे उपकरणों का निर्यात किया जा रहा है; और

(च) इन उत्पादों के निर्यात को नियंत्रित करने से हमारे विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित भारत की निर्यात एवं आयात नीति तथा निर्यात एवं आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, में दोहरे उपयोग (स्कोमेट) वाली मदों के निर्यात के विनियमन के लिए प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। इन मदों को निर्यात आयात मदों के आई टी सी (एस एस) वर्गीकरण 2002–2007 की अनुसूची 2 की परिशिष्ट–3 में सूचीबद्ध किया गया है।

एग्जिम नीति के मूलभूत उद्देश्यों, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय करारों अभिसमयों तथा संधियों के जरिए हमारी वचनबद्धताओं के संदर्भ में विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के प्रावधानों की समीक्षा समय–समय पर की जाती है।

(ङ) और (च) एग्जिम नीति के अनुसार डी जी एफ टी द्वारा जारी लाइसेंस के आधार पर दोहरे उपयोग वाली मदों का विभिन्न देशों को निर्यात करने की अनुमति दी जाती है। लाइसेसिंग के अंतर्गत दोहरे उपयोग वाली मदों के निर्यात की मात्रा बहुत कम है। इस प्रकार के निर्यात विनियमों का हमारे विदेश व्यापार पर सामान्यतः कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है।

मानव निर्मित फाइबरों का निर्यात

1869. श्रीमती प्रभा राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ के अनेक आयातकों ने मानवनिर्मित फाइबर के आयात के लिए भारत में अपने क्रियाकलापों का विस्तार किया है;

(ख) क्या अब तक इन मदों के निर्यात पर चीन का एकाधिकार रहा है और गत दो वर्षों के दौरान उनके नियांत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार वस्त्र निर्यातक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से उच्च शुल्कों में कमी लाने का है;

(घ) क्या सरकार ने मानवनिर्मित फाइबर मदों के अपने निर्यात संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय देशों में बढ़ाने के लिए संभावनाओं का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो पूर्व के दो वर्षों की तुलना में आने वाले वर्षों में इन मदों के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने समान अवसर पर भारतीय निर्यातकों को बाजार में पैठ प्रदान करने हेतु संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ जैसे बड़े उपभोक्ता देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते पर विचार–विमर्श किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) मानव निर्मित फाइबर के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटिल (वस्नाल)) : (क) वर्ष 2001–2002 की तुलना में वर्ष 2002–2003 में संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय यूनियन से देश में सिन्थेटिक और पुनर्निर्मित फाईबर के आयात में क्रमशः 10.3% और 45.6% की वृद्धि हुई।

(ख) सिन्थेटिक और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई (एस आर टी ई पी सी) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार हालाँकि चीन के मानव–निर्मित फाईबर वस्त्रों के निर्यात की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन पिछले 2 वर्षों के दौरान चीन के मानव निर्मित फाईबर वस्त्रों के निर्यात की मात्रा में विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) सरकार अपनी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के साथ–साथ विश्व की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए घरेलू उद्योग के विकास और उन्नति को ध्यान में रखते हुए मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिल मदों के लिए एक उपयुक्त शुल्क ढाँचे को अपना रही है।

(घ) एस आर टी ई पी सी संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय यूनियन सहित सभी देशों को मानव–निर्मित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रदर्शनियों/क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन करके, बाजार अध्ययन करके, विदेशों में प्रचार करके सीधे आर्डर करके अपने प्रयास कर रही है। परिषद ने पिछले वर्ष टीआईपी 9, बैज्जियम, इन्टरटैक्स, मिलान, इटली, टैक्सवर्ल्ड पैरिस, हंगरी, चैक गणराज्य और पौलेंड में भारतीय वस्त्र प्रदर्शनी जैसी विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लेने के फलस्वरूप निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की है। संयुक्त राज्य अमरीका, को उन मदों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है जिनको पहले चरणों में कोटे को समाप्त कर दिया गया था। चूँकि संयुक्त राज्य अमरीका को भारतीय मानव निर्मित वस्त्रों की निर्यात संभावना कोटों द्वारा प्रभावित हुई है इसलिए वर्ष 2005 तक कोटा व्यवस्था के पूरी तरह से समाप्त हो जाने पर भारतीय निर्यात में और वृद्धि होने में सहायता मिलेगी।

(ङ) वर्ष 2001–02 की तुलना में वर्ष 2002–03 में संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय यूनियन को मानव निर्मित वस्त्रों के निर्यात में क्रमशः 76% और 5.34% की वृद्धि हुई, हालांकि वर्ष 2001–2002 में गिरावट आई थी। परिषद का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय यूनियन के लिए उच्चतर वृद्धि दर को प्राप्त करना है।

(च) और (छ) दिसम्बर, 1994 में, भारत ने संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय यूनियन के साथ बाजार में प्रवेश करने के लिए पृथक रूप से 2 वस्त्र करारों (समझौता ज्ञापनों) पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत–यूरोपीय यूनियन तथा भारत – संयुक्त राज्य अमरीका समझौता ज्ञापनों के अन्तर्गत शुल्क बाध्यताओं और मात्रा संबंधी प्रतिबन्धों को हटाने से बाजार में प्रवेश पाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना था। यूरोपीय यूनियन को हथकरघा उत्पादों और कुटीर उद्योगों के उत्पादों के भारतीय निर्यातों पर लगे सभी प्रतिबन्धों को हटाना था। इसके अतिरिक्त, भारत को मौजूदा रियायतों के अतिरिक्त विशेष रियायतें भी दी जानी थीं। इन रियायतों की मात्रा, वर्ष 1995–97 के लिए 7000 टन प्रतिवर्ष और वर्ष 1998–2004 के लिए 8000 टन प्रतिवर्ष थी।

दिसम्बर, 1994 में हस्ताक्षरित भारत – संयुक्त राज्य अमरीका के समझौता ज्ञापनों के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत को निम्नलिखित प्रावधानों का विस्तार किया है:–

– श्रेणी 369–O पर जिनमें अन्य सूती मेड–अप्स शामिल हैं विशिष्ट सीमा को समाप्त कर दिया गया।

– श्रेणी 218 (यार्न रंजित फैब्रिक), 219 (डक फैब्रिक), 313 (कॉटन शिटिंग), 342/642 (कॉटन और एमएमएफ स्कर्ट), 347/348 (ट्राऊजर/स्लेक्स एण्ड शोर्टस) और समह–II के लिए आधार स्तर को 5% तक बढ़ा दिया गया।

– श्रेणी 334–634 (पुरुषों और लड़कों के कोटे और 351/651 (पायजामा और निटवियर) में हथकरघा फैब्रिकों के निर्मित 100% सूती परिधानों के लिए अतिरिक्त 5% कोटे दिये गये हैं।

– कुछ श्रेणियों में स्विंग, विशेष स्विंग आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ दी गई हैं।

– घाघरों के निर्यात से सम्बन्धित सभी बकाये मामले को हल कर दिया गया है।

(ज) सरकार मानव निर्मित फाईबरों सहित वस्त्रों के निर्यात बढाने के लिए अनेक उपाय कर रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न अनुसार हैं:

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गयी है।

(2) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान की मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यहास की सुविधा का विस्तार किया गया है। राजकोषीय नीतिपरक उपायों से मशीनों की लागत को भी कम कर दिया गया है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलता है।

(3) पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों व अन्य महत्वपूर्ण वस्त्र मशीनरी की मदों पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(4) पारि–परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं सृजित की गई हैं ताकि आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्यातक, परिधानों / वस्त्रों का पूर्व–परीक्षण करवाने में सक्षम हो सकें।

(5) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) नामक एक योजना शुरू की गई है।

खाद्यान्नों की चोरी

1870. **श्री रघुनाथ झा :**

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री शीशराम सिंह रवि :

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 मई, 2003 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "एफ.सी.आई. ईट्स अप, इज आलवेज हंगरी फॉर मोर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति के विरुद्ध क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) जी, हां। 10 मई, 2003 के समाचार (इंडियन एक्सप्रैस) में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की 2003 की अद्यतन रिपोर्ट संख्या 4 की टिप्पणियां दी गयी हैं। इस संबंध में तथ्य निम्नानुसार हैं:–

(i) मार्गस्थ हानियां अन्य बातों के साथ–साथ बहु–हैंडलिंग, लंबी दूरी की ढुलाई, ट्रांस–शिपमेंट और नमी में कमी के कारण होती हैं। भारतीय खाद्य निगम के रिकार्ड के अनुसार 1997–98 से 2000–2001 तक की अवधि के बीच लगभग 758.68 करोड़ रुपये की मार्गस्थ हानियां हुई थीं।

(ii) नमी सूखने, लंबी अवधि तक भंडारण हाने, पक्षियों/मूषकों की समस्या होन और चोरी होने के कारण भंडारण हानियां होती हैं। 1982–83 से 1999–2000 तक की अवधि (अर्थात् 18 वर्ष) में 2,233 करोड़ रुपये की भंडारण हानि होने की सूचना है।

(iii) 1997–98 से 2000–2001 तक 372.89 लाख टन कुल लेवी चावल की खरीदारी की गयी थी और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अनुसार घटिया चावल की वसूली 3.67 लाख टन हुई थी। इस प्रकार, यह प्रतिशत केवल 0.98 प्रतिशत बैठता है।

(iv) पंजाब में संगत नियमों के अधीन स्थापित बाजार समितियों के पास पंजीकृत कच्चा आढ़तियों के माध्यम से वसूली की जाती है। यही कारण है कि किसानों को भुगतान करने से संबंधित संगत कालम रिक्त रखा गया था। तथापि, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसानों को तत्परता से भुगतान नहीं किया गया था।

(v) 2003–04 के लिए खाद्य राजसहायता का बजट अनुमा 27,750 करोड़ रुपये है। पिछले वर्षों में न्यूनतम समर्थ मूल्य में वृद्धि अधिक वसूली होन के कारण बफर स्टा अधिक होने, और अधिक उठान होने के कारण उपभोक राजसहायता के अधिक होने, सामान्य मुद्रास्फीति व

प्रवृत्ति आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से राजसहायता में वृद्धि हुई है।

(vi) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोट किए गए 1997 से भारतीय खाद्य निगम में लंबित 4997 सतर्कता मामलों के आंकड़ों की गणना भारतीय खाद्य निगम में लंबित सतर्कता मामलों के समस्त इतिशेषों को जोड़कर की गयी है। 31. 12.2001 की स्थिति के अनुसार लंबित सतर्कता मामलों की संख्या केवल 1663 थी।

(vii) भारतीय खाद्य निगम अद्यतन रूप से अपने खातों को इसलिए अंतिम रूप नहीं दे सका, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम और प्रधान लेखापरीक्षकों के बीच विवाद था। जून, 2000 में खाद्य निगम अधिनियम में संशोधन करने के बाद केवल नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक बन गए। भारतीय खाद्य निगम के लेखों को 1999–2000 तक नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है। केवल वर्ष 2000–01 और 2001–02 के मामले ही शेष है, जिनकी फिलहाल लेखापरीक्षक चल रही है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम के प्रचालनों की समय–समय पर सरकार द्वारा मानीटरिंग की जाती है और त्रुटियों को रोकने के लिए कड़ाई से दिशा–निर्देश और अनुदेश लागू किए जाते हैं। जहां कहीं विशिष्ट अनियमितताएं पाई गयी हैं, वहां कर्मचारी विनियमों/सतर्कता प्रक्रियाओं के अधीन कार्रवाई शुरू की गयी है ताकि जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके। इस संबंध में वेतन वृद्धि रोकने, पदावन्नत करने, सेवा से बर्खास्त करने आदि भिन्न–भिन्न दण्ड दिए जाते हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है आपराधिक कार्रवाई भी की जाती है।

भारतीय खाद्य निगम डिपुओ का औचक निरीक्षण करने, ढकी हुई भंडारण क्षमता में वृद्धि करने, इलैक्ट्रानिक तोल–सेतु स्थापित करने, संवेदनशील डिपुओं पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल लगाने आदि जैसे विभिन्न निवारक उपाय कर रहा है। इसके अलावा, फील्ड कर्मचारियों को विहित विनिर्दिष्टियों के अनुसार खाद्यान्नों की वसूली करने, सभी लंबित अनुशासनिक मामलों का समयबद्ध ढंग से निपटान करने आदि के लिए भी अनुदेश जारी किए जाते हैं।

गोल्ड बैंक

1871. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसे गोल्ड बैंक स्थापित करने का है जो बैंकों के लिए एक पुनर्वित्तपोषण एजेंसी के रूप में कार्य कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कार्य करने के लिए सरकार के नियंत्रण में चलने वाले गोल्ड बैंक के माध्यम से विदेशों में सोने के व्यापार को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) वर्तमान में, बैंकों के लिए पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में परिचालन करने हेतु गोल्ड बैंक को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) घरेलु उपभोक्ताओं एवं आभूषण निर्यातकों को स्वर्ण उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत/नामित बैंकों द्वारा दो योजनाएं चलायी जा रही हैं। ये दो योजनाएं हैं :– (i) स्वर्ण जमा योजना, (ii) स्वर्ण आयात योजना।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं भारतीय विधि आयोग की निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूं:–

(1) विधि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के प्रस्तावों संबंधी एक सौ चौरासीवां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 7860/2003]

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (खंड 1 से 4) की समीक्षा संबंधी एक सौ पचासीवां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 7861/2003]

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : महोदय, मैं श्री बसनगौडा रामनगौड की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रति–वेदन, लेखापरीक्षित लेखो तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7872/2003)

[अनुवाद]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 521(अ) जो 1 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स ननहाई शानगुआन ऑलियान कंस्ट्रक्शन सेरामिज कंपनी लिमिटेड, चीन द्वारा निर्मित और मसर्स प्रेस्टिज जनरल ट्रेडिंग, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निर्यातित औद्योगिक विटरिफाइड टाइलों के अलावा विटरिफाइड और प्रोर्सिलेन टाइलों के परेषण का अनन्तिम रूप से निर्धारण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 522(अ) जो 1 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 17 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35/99 सी.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 524(अ) जो 3 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 23/2002 सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 525(अ) जो 7 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर चीन में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यात ग्रेफाईट इलेक्ट्रोड पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 526(अ) जो 7 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 5 मई, 1998 की अधिसूचना संख्या 20/98 सी.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 534(अ) जो 9 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर चीनी ताइपे में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित ग्रीन

वेनीर टेप पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 537(अ) जो 10 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मलबरी रॉ सिल्क (नॉट थ्रोन) 2क ग्रेड, पर अन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 543(अ) जो 11 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित टाइटेनियम डाइआक्साइड पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 545(अ) जो 14 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर रूस और ईरान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित अमोनियम नाईट्रेट पर अन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 544(अ) जो 14 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 50/96–सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 547(अ) जो 14 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनका आशय 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी.शु. (एन.टी.) में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ.नि. 603(अ) जो 27 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 604(अ) जो 27 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 729(अ) जो 25 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओ को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 730 (अ) जो 25 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (1) के अंतर्गत सिक्का निर्माण (मानक वजन और गुणवत्ता के अंतर की सीमा से युक्त) एक सौ रुपये (जिसमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जिंक सम्मिलित है), 10 रुपए (जिसमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल सम्मिलित है) और 1 रुपए फेरिटिक स्टेनलेस स्टील (जिसमें 82 प्रतिशत लोहा और 18 प्रतिशत क्रोमियम शामिल है) के स्मृति सिक्के जिन्हें

"महाराणा प्रताप" के सम्मान में निर्मित किया गया है, नियम, 2003 जो 24 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 432(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 7862/2003]

(4) भारतीय स्टेट बैंक (समनुंषी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षा लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा, प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 7863/2003]

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों और अंतरण और अर्जन) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत, निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) आन्ध्रा बैंक के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) विजया बैंक के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7864/2003]

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 499(अ) जो 20 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी कॉल सेन्टरों और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सेंटरों पर उद्ग्रहणीय सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 500(अ) जो 20 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे

तथा जिनका आशय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण और मनोरंजन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले वाणिज्यिक प्रशिक्षण अथवा कोचिंग के संबंध में प्रदान की गयी सेवाओं पर उद्ग्रहणीय सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 501(अ) जो 20 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना में यथाउल्लिखित कतिपय वाणिज्यिक प्रशिक्षण अथवा कोचिंग सेंटरों अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दी गई सेवाओं पर कतिपय शर्तों के अध्यधीन उद्ग्रहणीय सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 502(अ) जो 20 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोटर वाहन को छोड़कर किसी माल अथवा उपस्कर के अनुरक्षण अथवा मरम्मत के संबंध में किसी अनुरक्षण संविदा अथवा करार, जो 1 जुलाई, 2003 से पहले किया गया था के अंतर्गत अनुरक्षण अथवा मरम्मत के संबंध में सेवाओं पर उद्ग्रहणीय सेवा कर में दिनांक 1 जुलाई, 2003 से छूट प्रदान करना है बशर्ते ऐसी सेवाओं के लिए बिल जारी किया गया हो तथा भुगतान 1 जून, 2003 से पहले किया गया हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 503(अ) जो 20 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 जुलाई, 2003 के सभी कराधेय सेवाओं के उतने मूल्य जो सेवा प्रदाता द्वारा सेवा के प्राप्तकर्ता को बेचे गए माल तथा सामग्री के मूल्य के बराबर है, को उस पर उद्ग्रहणीय सेवा कर से कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 504(अ) जो 20 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे कमीशन एजेंट के द्वारा प्रदत्त कारोबार अनुषंगी सेवाओं को छूट प्रदान करना है, जिसे उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कोई प्रतिफल लेकर, जो कि ऐसी बिक्री अथवा खरीद की मात्रा पर आधारित होती है, माल की बिक्री अथवा खरीद करवाता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 505(अ) जो 20 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मण्डप के रूप में किसी धार्मिक स्थल के अहाते के उपयोग के लिए किसी मण्डप अनुरक्षक के द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई कराधेय सेवाओं पर उद्ग्रहणीय सेवाकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 498 (अ) जो 20 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 2003 को ऐसी तारीख के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे सेवा कर उद्ग्रहणीय होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 7865/2003]

(8) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ

(संशोधन) नियम, 2003 जो 21 फरवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2003 जो 17 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 217 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 7866/2003]

(9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 481 (अ) जो 12 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा मुक्त व्यापार क्षेत्र की इकाई द्वारा विनिर्मित और निकासी किए गए ऐसे पुनः प्रसंस्कृत प्लास्टिक कणिकाओं पर देय उत्पाद शुल्क 2 जून, 1998 से प्रारम्भ होने और 9 मई, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाना जरूरी नहीं है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण):-

(एक) इण्डियन ओवरसीज बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी/पीईएन/002/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 जो 5 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईएनः1:2002 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशो-धन) विनियम, 2002 जो 12 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडमिन/5/4370 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आंध्रा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 जो 3 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/20/पी/517 में प्रकाशित हुए थे।

(11) उपर्युक्त (10) के (एक से तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 7867/2003]

(12) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (केन्द्रीय सूचीकरण प्राधिकारी) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 17 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 443(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेश संस्थागत निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 14 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 548(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 29 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 632(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 16 जून, 2003 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 696(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 4 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 763(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 11 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 796(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 7868/2003]

(13) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनः—

(एक) आदिव्यमान ग्राम बैंक, धर्मपुरी

(दो) अलकनंदा ग्रामण बैंक, पौड़ी गढ़वाल

(तीन) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़

(चार) अलवर भरतपुर आंचरिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर

(पांच) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी

(छह) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर

(सात) भण्डारा ग्रामीण बैंक, भण्डारा

(आठ) भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा

(नौ) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीकानेर

(दस) बुलढाना ग्रामीण बैंक, बुलढाना

(ग्यारह) बूंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी

(बारह) चैतन्य ग्रामीण बैंक, तेनाली

(तेरह) छिन्दवाड़ा सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिन्दवाड़ा

(चौदह) कटक ग्राम्य बैंक, कटक

(पंद्रह) दामोह-पन्ना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दामोह

(सोलह) डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डूंगरपुर

(सत्रह) एटा ग्रामीण बैंक, एटा

(अठारह) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद

(उन्नीस) फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर

(बीस) हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा

(इक्कीस) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग

(बाईस) जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक, जूनागढ़

(तेइस) कल्पतरू ग्रामीण बैंक, टुमकूर

(चौबीस) कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला

(पच्चीस) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद

(छब्बीस) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुर

(सत्ताईस) माल प्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़

(अट्ठाईस) मणिपुर ग्रामीण बैंक, केसमपेट, इम्फाल

(उनतीस) मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरू

(तीस) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली

(इकत्तीस) नालंदा ग्रामीण बैंक, बिहारशरीफ

(बत्तीस) पाटलिपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना

(तैंतीस) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़

(चौंतीस) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली

(पैंतीस) राजगढ़ सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिहोर

(छत्तीस) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी

(सैंतीस) रतलाम–मन्दसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मन्दसौर

(अड़तीस) रीवा सिधी ग्रामीण बैंक, रीवा

(उन्तालीस) ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक, बहरामपुर

(चालीस) साबरकांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक, हिम्मतनगर

(इकतालीस) सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़

(बयालीस) सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा

(तैंतालीस) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल

(चौवालीस) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर

(पैंतालीस) शिवपुरी–गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी

(छियालीस) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चाईबासा

(सैंतालीस) सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिवान

(अड़तालीस) श्री सतवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर

(उनचास) श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्रीगंगानगर

(पचास) सुबनसिरी गाओंलिया बैंक, उत्तर लखीमपुर

(इक्यावन) सूरत भरूच ग्रामीण बैंक, भरूच

(बावन) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर

(तिरपन) तुगभद्र ग्रामीण बैंक, बेल्लारी

(चौवन) वलसाड–डांग्स ग्रामीण बैंक, वलसाड

(पचपन) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली

(छप्पन) बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर

(सत्तावन) कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक, कालाहांडी

(अट्ठावन) कोलार ग्रामीण बैंक, कोलार

(उनसठ) शोलापुर ग्रामीण बैंक, शोलापुर

(साठ) श्रीराम ग्रामीण बैंक, नज़ीमाबाद

(इकसठ) यवतमाल ग्रामीण बैंक, यवतमाल

(बासठ) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर

(तिरसठ) जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक, जामनगर

(चौंसठ) काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी

(पैंसठ) मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मांडला

(छियासठ) मुर्शीदाबाद ग्रामीण बैंक, मुर्शीदाबाद

(सड़सठ) पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़

(अड़सठ) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़

(उनहत्तर) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, आदिलाबाद

(सत्तर) सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुलतानपुर

(इकहत्तर) सुरेन्द्रनगर भावनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुरेन्द्रनगर

(बहत्तर) वल्लार ग्राम बैंक, कुड्डालोर

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7873/2003]

(14) सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत सीमा–शुल्क टैरिफ (ट्रांसीशनल इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान तथा भारत गणराज्य के बीच अधिमानी व्यापार समझौते के अंतर्गत माल के उद्गत का अवधारण) नियम, 2002 जो 13 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 542(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7869/2003]

(15) (एक) भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 और 24 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय निर्यात–आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात–आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 7870/2003]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : महोदय, मैं मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 कर धारा 40 के अंतर्गत मसाला बोर्ड (निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2003, जो 30 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या एडमिन/रेग/01/2003 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 7871/2003]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक-सभा पटल पर रखा गया

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:–

"राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 30 जूलाई, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2003 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 30 जुलाई, 2003 को राज्य सभा द्वारा यथापारित वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2003 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.2½ बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करती हूं कि सोमवार, 4 अगस्त, 2003 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:–

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:–

   (i) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2001

   (ii) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, (संशोधन) विधेयक, 2003

   (iii) संविधान (चौरानवेवां) विधेयक, 2002

   (iv) संविधान (निन्यानवेवां विधेयक), 2003

3. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और पारित करना:–

   (i) विदेशी (संशोधन) विधेयक, 2003

   (ii) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2003

   (iii) रेल (संशोधन) विधेयक, 2003

4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, 2003 पर चर्चा; और

5. वर्ष 2003–04 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:–

(एक) देश में कृषि की दशा खराब है। विश्व व्यापार संगठन के समझौतों ने कृषि उत्पादों का भारी आयात लागू कर दिया है जिससे हमारे कृषकों

के लिए गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। कृषकों द्वारा आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। कृषि श्रमिकों को वर्ष में 100 दिनों का भी कार्य नहीं मिल रहा है। लगातार सूखे और बाढ़ ने संकट को और बढ़ा दिया है। कृषकों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इस समस्या पर सभा में चर्चा होनी चाहिए और सरकार द्वारा उपचारात्मक उपायों का पता लगाकर उन्हें लागू करना चाहिए।

(दो) महिला आरक्षण विधेयक लम्बे समय से लम्बित है। यह हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के सामने एक चुनौती है। हमारी आधी आबादी को प्रतिनिधित्व के कक्ष से बाहर रखना सच्चे अर्थ में लोकतंत्र नहीं है। विधेयक पर वर्तमान स्थिति में विचार किया जाना चाहिए और इसे इस सत्र में पारित किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, तहलका और तहलका से जो संबंधित विषय हैं, जिनके बारे में नोटिस पैंडिंग हैं। इस संबंध में दोनों पक्षों को बुलाया था और बातचीत करने के बाद यह निर्देश दिया था कि आप इस विषय पर अंततः निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो विषय प्रस्तुत किया है, उस विषय पर कल बीएसी में चर्चा हुई थी। श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी को इस बात की पूरी जानकारी है। आप उन से बात करें।

...*(व्यवधान)*

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : महोदय, मै निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यवाही की सूची मे शामिल करना चाहता हूं:-

1. महाराष्ट्र सरकार ने जिला नासिक पार और नार यह पश्चिम वाहिनी नदियां, पूर्व वाहिनी करने के लिए भारत सरकार के पास प्रकल्प भेज दिया है। जल्दी से जल्दी मन्जूरी देना।

2. दादर से नागपुर चलने वाली सेवाग्राम ट्रेन नायडोंगरी तहसील नांदगांव यहां थांबा देना तथा मनमाड, धुलिया, नरडाना, इंदौर नई रेल का सर्वे हो चुका है। काम शुरू होने की शीघ्र कार्यवाही करना।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:-

1. संसद के चालू सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की आवश्यकता।

2. पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा रासीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोल्ली हिल्स पर 1x20 मेगावाट हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना हेतु मंजूरी प्रदान करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाये:-

1. बिहार राज्य के एन.एच.-107 से सोनवर्षाराज से सहरसा एवं एन.एच.-106 से मधेपुरा से बीरपुर तक की सड़क की विशेष मरम्मत कराई जाए।

2. बिहार राज्य के सहरसा में एफएम बैंड रेडियो स्टेशन की स्थापना कराई जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा की आगामी कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया जाए:-

जयपुर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाए।

महाराणा प्रताप की मूर्ति संसद भवन में स्थापित की जाए क्योंकि वह पूरे देश के लिए आदर्श हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ने की कृपा करें:-

प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बावजूद भी भारत सरकार द्वारा बजट में शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का प्रावधान 8 प्रतिशत नहीं किया है जबकि अब यह सरकार का प्रथम दायित्व बन गया है।

शिक्षा की उपयोगिता, गुणवत्ता तथा शिक्षण की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर विकास लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:–

1. देश में सूखा और बाढ़ की स्थिति।
2. बार–बार की रेल दुर्घटनाएं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए:–

1. देश के विभिन्न भागों में आतंकवादियों की गतिविधियों में वृद्धि।
2. देश में रबड उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याएं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय को सम्मिलित किया जाए:–

1. देश में नकली दवाओं के बढ़ते कारोबार को रोकने एवं नकली दवाओं के व्यापार में लगे लोगों को सख्त सजा दिलवाने तथा विदेशों में प्रतिबंधित दवाइयों को देश में नहीं बिकने दिए जाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता।
2. दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने वाली देश की जनसंख्या पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु राष्ट्रीय हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम) : निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए:–

1. बहुत पुरानी, चिर–प्रतीक्षित सेतु समुद्रम परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रगति।
2. नदियों को आपस में जोड़ने के प्रस्ताव में हुई प्रगति।

अपराह्न 12.09 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

रबड़ बोर्ड

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:–

"कि रबड नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने मे से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि रबड नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय,

मेरा बेरोजगारी के सवाल पर कार्य स्थगन प्रस्ताव है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार का एक गम्भीर सवाल उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास जीरो ऑवर के लिए बहुत से विषय हैं। अगर आप लोग उन्हें जीरो ऑवर में उठाना चाहते हैं तो आप लोग अपनी–अपनी जगह पर बैठिये। मैं आप सब को मौका दूंगा। आप यदि कोई विषय उठाना ही नहीं चाहते हैं और आप इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं, उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप लोग जानते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? कई सदस्य ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि दूसरों के विषय सदन के सामने आयें। मैं आप लोगों से बार–बार विनती कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को मौका दे सकता हूं, यदि आप लोग अपनी जगह पर जायें। यदि आप इस तरह का बर्ताव करेंगे तो कैसे किसी सदस्य को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा? मेरे सामने ऐसे बहुत से सदस्य हैं जो एक–एक हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले श्री मलहोत्रा जी को मौका दे रहा हूं। मेरे पास लिस्ट है, मैं सब को मौका दूंगा। आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे सामने जो पहला विषय है, उसे पूरा होने दें। यदि आप इस विषय को नहीं होने देंगे तो कैसे चलेगा?

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, पूरा उत्तर बिहार बाढ़ से पीड़ित है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक बार विनती करूंगा और बाद में बैठा रहूंगा। मेरी आप लोगों से विनती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा विषय लेना चाहता हूं। आप अपनी जगह पर जाकर बैठिए। यदि आप नहीं बैठेंगे तो आप लोगों के विषय नहीं आयेंगे, उससे आपको नुकसान होगा।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एडजर्नमेंट मोशन बिहार में आई बाढ़ के संबंध में दिया है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि मैं करना चाहता हूं और मैं करूंगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : पहले मेरा एडजर्नमेंट मोशन डिस्पोज ऑफ किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं करूंगा। आप बैठिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसे नियमसम्मत किया जाये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मलहोत्रा जी आप बोलिए, बाकी सब लोग बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, एक विज्ञापन में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत का गलत मानचित्र प्रकाशित किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। यदि सदस्य सहयोग करें तो आपको अवसर मिलेगा, अन्यथा नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस है, इसे देखा जाये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप शाउट करते रहिये।

[अनुवाद]

मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है। जैसे ही उनका नाम आता है मैं शून्य काल के दौरान उनको अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है कि एडजर्नमेंट मोशन लेने से पहले आपको नम्बर होना चाहिए। आप नियम जानते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को आप सभी मामलों से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है तो वह नियम लागू होगा अन्यथा नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : परन्तु आपको हमें बोलने की अनुमति देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हर समय आप नियम की जानकारी बिना बहस करते रहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मलहोत्रा जी को परमिशन दी है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एडजर्नमेंट मोशन एक्सैप्ट नहीं किया तो आपको बोलने का मौका दिया जाये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एडजर्नमेंट मोशन है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा बिल्कुल रूल नहीं है। आप मुझे रूल दिखाइये। रूल क्या कहता है, पहले पढ़ो।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैंने नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्थगन प्रस्ताव की अनेक सूचनाएं तथा प्रश्न काल के निलम्बन की सूचना प्राप्त हुई हैं। मैंने उन सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है। उचित समय पर मैं उन पर विचार करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मलहोत्रा जी का क्या नोटिस है, हमारा एडजर्नमेंट मोशन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मलहोत्रा जी का नोटिस मेरे पास है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : रघुवंश प्रसाद सिंह जी, मैं बता रहा हूं, आप सुनिये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, यह बोलने का कौन सा तरीका है? आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। मैं आपको सुनूंगा। ऐसा बोलने के लिए रूल नहीं कहता, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं। क्या आप रूल के बाहर जायेंगे और चेयर से कहेंगे कि रूल के मुताबिक काम करो। मैं रूल के मुताबिक काम करने के लिए तैयार हूं, आप रूल बताइये।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्व का सवाल उठाना चाहता हूं कि राज्य सभा के एक सांसद के घर...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले एडजर्नमेंट मोशन का निष्पादन करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने किया है। मैंने सभी को निपटा दिया है। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपने किस कारण से डिसअलाऊ किया है? क्या आप हमारी बात नहीं सुनेंगे?

अध्यक्ष महोदय : हर एक एडजर्नमेंट मोशन पर सुनने का नियम नहीं है। आप नियम जानते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय गम्भीर है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ के साथ तर्क न करें। यह भी नियम के भीतर नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप नियम बताएं। आप नियम की किताब हाथ में लें, मुझसे बात करो, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह मैं नियम ही बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह नियम में नहीं है, मैंने एडजर्नमैंट मोशन डिस्पोज ऑफ कर दिया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस चार बातों पर सुना जा सकता है। यह नियम में है।

अध्यक्ष महोदय : आप किताब का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन मैं करूंगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मुझे सम्पूर्ण किताब याद है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है, इसलिए आप गलतियां करते हो।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको रूल दिखाता हूं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद बिहार का मामला लेना है।

अध्यक्ष महोदय : हां, आपका बिहार का मामला मेरे पूरे ध्यान में है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, संसद के एक सदस्य श्री सुखबीर सिंह बादल के घर पर ...*(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : सर, यह मैटर सबजुडिस है, इसे कैसे उठा सकते हैं। यह सारा मामला अदालत में है, अदालत इसकी तहकीकात कर रही है। स्टेट में करोड़ों-अरबों रुपये की करप्शन चल रही है ...*(व्यवधान)* सारे प्रदेश में इतनी बड़ी लूट हो रही है ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : श्री सुखबीर सिंह बादल के घर पर पंजाब के विजीलैंस डिपाटमैंट ने 25 जुलाई को रेड की, उन पर आरोप लगाया गया कि उनके पास 3500 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी है ...*(व्यवधान)* लेकिन उन्हें वहां कोई चीज नहीं मिली। पंजाब में ...*(व्यवधान)* बादल साहब के पास उन्हें कुछ नहीं मिला ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, हम इसे सपोर्ट करते हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : 18 महीने तक पंजाब सरकार को 3500 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी में से एक पैसा भी नहीं मिला ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए। इनकी बात दो मिनट में पूरी हो जायेगी, उसके बाद आपके विषय पर भी आ सकते हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यह अयोध्या पर बहस कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इन्हें बोलने की इजाजत दे रहे हैं तो कृपा करके हमें भी उनके बाद बोलने की इजाजत दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी एक मैम्बर को बोलने की इजाजत दूंगा। अभी आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : इन्होंने वर्ष 2001 और 2002 में इश्तिहार निकाले कि बादल साहब और उनकी फैमिली के पास 3500 करोड़ रुपये की प्रापर्टी है। सब पेपर्स में बड़े-बड़े इश्तिहार छापे, 189 महीने बीत गये और 18 महीनें में काई कम्पलेंट लॉज नहीं की, कोई एफ.आई.आर. लॉज नहीं

की...*(व्यवधान)* 18 महीने तक कुछ नहीं हुआ और अखबारों में इश्तिहार दिया कि 3500 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी है। हम उन्हें जेल में डाल रहे हैं, कल जेल में डाल रहे हैं, परसों जेल में डाल रहे हैं और कैसी जेल में डालेंगे, यह सब भी लिख दिया। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। पहले इन्होंने एक कमीशन बनाया, कमीशन के चेयरमैन ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि मैं इसमें नहीं रहता। उसके बाद कोई कमीशन भी नहीं बनाया। अचानक इस 24 जून को वहां पर कांग्रेस के एक लीडर से एक दर्खास्त ले ली कि इनकी प्रोपर्टी की जांच की जाए। 24 जून को एप्लीकेशन ली, 24 जून को एफ.आई. आर. लॉज कर दी और 24 जून को ही इनवेस्टीगेशन शुरू कर दी। इन्होंने एक-एक दिन करके 14 प्रोपर्टीज के ऊपर छापे मारे और आज विजीलैंस ने ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, आप उन्हें किसकी अनुमति दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोल सकते हैं। मैं आपकी तरफ से एक व्यक्ति को अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, विजीलैंस ने आज रिपोर्ट में दिया है कि उनकी किसी प्रोपर्टी में कोई चीज नहीं मिली। यानी कि 14 प्रोपर्टीज में कुछ नहीं मिला। यह रिपोर्ट भी विजीलैंस ने लॉज कर दी। इन्होंने कहा दस हजार एकड का फॉर्म आस्ट्रेलिया में है। यह इश्तिहार कांग्रेस पार्टी लिखती है। तीन हजार एकड़ का फार्म कैलिफोर्निया में है, चार मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग मैनहटन में है, दो पार्किंग स्लॉट्स न्यूयार्क में हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके वहां आदमी भेजे, लेकिन एक पैसे की भी प्रोपर्टी नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने सबसे खतरनाक बात लाना चाहता हूं कि जो खालिस्तानी एलीमैन्ट्स हैं, जगजीत सिंह चौहान जो खालिस्तानी है, जिस पर केन्द्र सरकार नजर रखे हुए है, उनकी मदद लेकर पंजाब में अकालियों ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : यह पंजाब को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हैं। आपने खालिस्तान और खालिस्तानी लोगों को बढ़ावा दिया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, वह क्या कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता खोए हैं ... *(व्यवधान)* श्री राजीव गांधी ने अपनी जान गंवाई ...*(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़ : महोदय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने उसके पासपोर्ट की अनुमति दी। यह अनुमति पंजाब सरकार ने नहीं दी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : जगजीत सिंह चौहान आज भी कहता है कि मैं खालिस्तान बनाना चाहता हूं, मैं खालिस्तानी हूं और यह उसकी मदद लेकर बादल साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : सर, इन्हें इतना लम्बा बोलने दे रहे हैं।

[अनुवाद]

यह किसे संबोधित कर रहे हैं? यह भारत के गृह मंत्री को संबोधित कर रहे हैं? हम संसद को क्या बना रहे हैं? ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं जीरो ऑवर में मामला उठा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक बात इस संदर्भ में कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : अभी मैं सोमनाथ जी को सुन रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे विश्वास है कि श्री

मलहोत्रा इसके बारे में गम्भीर हैं और इसीलिए उन्होंने यह मुद्दा उठाया है ...*(व्यवधान)* मैं केवल यह स्पष्टीकरण मांग रहा हूं ...*(व्यवधान)* जो मुद्दा यह उठा रहे हैं उसका कौन जवाब दे सकता है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : रिप्लाई किसी को क्या देना है। मैं तो जीरो ऑवर में मामला उठा रहा हूं। रिप्लाई तो आपको करना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : या तो माननीय गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए अथवा यदि वित्त मंत्री समझते हैं कि यह जवाब देने के लिए सक्षम हैं को उन्हें जवाब देना चाहिए अन्यथा कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए ...*(व्यवधान)* इसीलिए, ऐसे मुद्दे उठाने से पूर्व यह विचार किया जाना चाहिए कि कौन इसका जवाब दे सकता है ...*(व्यवधान)* इसलिए, ऐसे मुद्दे नहीं उठाये जाने चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, कृपया यथाशीघ्र अपनी बात समाप्त करें। बाकी लोग बैठिए अभी मल्होत्रा जी बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, वह भारत सरकार से क्या चाहते हैं? ...*(व्यवधान)* क्या ऐसे मुद्दे सभा में उठाये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : यहां शिवराज जी बैठे हुए हैं, सोमनाथ जी बैठे हुए हैं। मैं यह नही कहूंगा कि एम.पी. के घर पर छापा नहीं पड़ सकता, कोई क्रिमिनल होगा तो ऐसा हो सकता है। मगर जो उसके घर की नपाइश होगी, उसको नापा जायेगा, उसकी कुर्सियां नापी जाएंगी? अगर इनके घरों पर छापा पड़ना शुरू हो जाए,

[अनुवाद]

और यह खेल अधिकांश दल खेल सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी मांग करके अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं कहना चाहता हूं कि*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उस विषय पर मत जाइये। जो विषय आपने लिया है, उसी विषय पर बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उसका जिक्र न करें। मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से हटा दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : इसके लिए सोनिया जी जिम्मेदार होंगी या अमरिन्दर सिंह जिम्मेदार होंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कनक्लूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जगजीत सिंह चौहान को हिन्दुस्तान में आने की इज़ाज़त नहीं थी। आपकी सरकार ने और आपके गृहमंत्री ने उनको यहां आने की इजाज़त दी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, क्या आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* महोदय, क्या ऐसे मुद्दे इस सभा में उठाने की अनुमति है? ...*(व्यवधान)* महोदय, आप हमें सभा के मध्य में आने के लिए बाध्य कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* महोदय, आप हमें ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहे हैं...(व्यवधान) हमें सभा के मध्य आने के लिए बाध्य किया जा रहा है और हमें

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

इसके लिए दोष न दीजिए ...*(व्यवधान)* महोदय, श्री मल्होत्रा जैसा व्यक्ति जानता है कि संसद में क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं कहा जा सकता ...*(व्यवधान)* यह किससे उत्तर चाहते हैं? ...*(व्यवधान)* सभी ओछे और गैर-जिम्मेदारीपूर्ण आरोप लगाए जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। यदि आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो मैं श्री बराड़ को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बराड़ जी आप बोलिये। मल्होत्रा जी आपकी बात हो गई, आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री मल्होत्रा, मैं आपको इससे अधिक अनुमति नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बराड़ जी आप बोलिये। आप बराड़ जी को तो बोलने देंगे। वे आपकी पार्टी के सदस्य हैं। उनको तो बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा अगर इसी विषय पर आप बोलना चाहते हैं। आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। वह विषय सदन के सामने आ गया है। ज़ीरो ऑवर में ज्यादा नहीं बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : पंजाब में अमरिन्दर सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, हम भी प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा से इस विषय पर अपने को सम्बद्ध करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके नाम इसके साथ जोड़ दिए जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जे.एस. बराड़, अब आप बोल सकते हैं।

अपराह्न 12.26 बजे

(इस समय श्री जे.एस. बराड़ और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 15 सदस्यों की ओर से लिखवाकर दिया है। मुझे एक सप्ताह हो गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइये।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में अत्याचार नहीं चलेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब मैं आपको बोलने की इजाज़त दूंगा, तब आप उनको उत्तर दीजिए। इसे कार्यवाही में शामिल किया जाये।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.27 बजे

(इस समय श्री जे. एस. बराड़ और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं क्योंकि आपकी सूचना उसी विषय पर है जो उन्होंने उठाया है। अब श्री बराड़ बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय पर बोलने के लिए लिखकर दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने पहले नोटिस दिया है, उन्हें पहले बोलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में ऐसी परम्परा रही है कि शून्य काल के दौरान यदि अध्यक्ष उचित समझें तो वह विभिन्न नेताओं को बोलने की अनुमति दे सकते हैं। इसलिए, अपने अधिकार से मैंने श्री जे.एस. बराड़ को बोलने की अनुमति दी है। यदि आप सभा को चलने नहीं देना चाहते तो अलग बात है।

[हिन्दी]

उसके बाद मैं आपको इजाज़त दूंगा। यदि आप चाहें तो बोलें और यदि न चाहें तो मत बोलें।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.28 बजे

(इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी आपका इसी विषय पर नोटिस है। मैं आपको इजाज़त देने वाला हूं। यह मैंने आपको पहले भी बताया था।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.29 बजे

(इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। हम लोगों के नोटिस को क्यों नहीं माना जा रहा है। हम जनता का सवाल उठाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : भाजपा एक जिम्मेदार पार्टी है। यह सभा में एक बड़ा वर्ग है। उनकी सभा को चलाने की भी जिम्मेदारी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी-अपनी जगहों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले इस विषय पर तीन सदस्य बोलने वाले थे। अब केवल दो सदस्य होंगे। श्री बराड़ के पश्चात श्री खुराना बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इनके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि मेम्बर्स तय करना शुरू करेंगे कि कौन बाले तो कभी हाऊस नहीं चलेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का मौका देने को तैयार हूं लेकिन आप जब चाहेंगे तभी मौका देना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मुझे बहुत से सदस्यों को बोलने का अवसर देना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने विचारों को अभिलेखित कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ : अध्यक्ष महोदय, इनके चीफ व्हिप ने जो बातें कही हैं, मैं केवल दो मिनट में उनका जवाब दूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बोलने का चांस दूंगा, अभी कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, उन्हें पहले बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, पहले मेरी बात सुनी जाए। हम शांत रहते हैं, इसका मतलब हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)* मैं एक हफ्ते से कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत बातें कही हैं, अब आप मेरी भी कुछ बात सुनेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, आप ही बोलते रहेंगे? खुराना जी, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं, आपका नोटिस मेरे पास है। आपने मेरे ध्यान में यह बात लाई।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं एक हफ्ते से कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं बराड़ जी के बाद आपको परमीशन दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बराड़, क्या आपको उनके बाद बोलने पर कोई आपत्ति है? अब वे बोलेंगे और फिर आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदय, आपने श्री बराड़ को पहले बोलने के लिए कहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

...अगर बराड़ जी को पहले नहीं बोलने दिया जाएगा तो हम इनमें से किसी को भी नहीं बोलने देंगे। ...*(व्यवधान)* इनके किसी मंत्री को भी नहीं बोलने देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं एक हफ्ते से कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बराड़, मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। कृपया बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अगर बराड़ जी को नहीं बोलने दिया जाएगा तो आप में से कोई भी नहीं बोल पाएगा। ...*(व्यवधान)* आप क्या समझते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, हम शांत बैठते हैं इसलिए हमें नहीं बोलने दिया जाएगा। ...*(व्यवधान)* पहले मुझे बोलने दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इनके बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : इन्होंने नोटिस नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे. एस. बराड़ : श्री खुराना, मैंने सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें बोलने दीजिए, इनके बाद मैं आपको बोलने की इजाज़त दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। मैं तीन–चार मिनट में इस मुद्दे को समाप्त करना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : इसके बाद ये बोलेंगे? ...*(व्यवधान)* फिर ये शोर मचाकर भाग जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ : अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस संदर्भ में दो बुनियादी बातें कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जरा सुनिये।

श्री जे. एस. बराड़ : भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल मि. बराड़ बोल रहे हैं, वही रिकार्ड पर जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री जे. एस. बराड़ : पंजाब में 1997 से 2002 तक अकाली पार्टी का राज रहा, उसके बारे में यहां कुछ जिक्र किया है। मैंने विजय कुमार मल्होत्रा जी को सुना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर मत बोलिये, जो विषय है, उस पर बोलिये।

श्री जे. एस. बराड़ : मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। पहली बात मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आप आज का जिक्र करो, जो आज कर रहे हैं। यह नहीं कि 1997 से 2002 के बीच में क्या हुआ। आज यहां पर जो मैम्बरों ने कहा है, उसका क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए। विजय कुमार जी, आप भी बैठिये।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : ये गरीबों की बात कहना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ : मर्यादा और जुल्म से कुर्बानी का क्या ताल्लुक है। जो वाइल्ड एलीगेशंस लगाये गये हैं, हमें इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमारे दो कांग्रेस के प्रधानमंत्री टैरेरिज्म के शिकार हुए हैं, इनसे हमें कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : जो 1984 में चार हजार आदमी मार दिए, उनका क्या हुआ? चार हजार सिखों को मान दिया, उसका जवाब दो। उसी वजह से आज बदला निकाल रहे हो?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : 4000 सिख मारे गये थे।

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ : जिस करप्शन का ये जिक्र कर रहे

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं, पंजाब की जनता ने पांच सालों में देखा है कि जिस तरह से नादिरशाह की तरह पंजाब को लूटा। अकाली पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी थी और 2002 के चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा और अकाली पार्टी का सफाया हुआ। यह बात मैं ऑन रिकार्ड कहना चाहूंगा। मैं यह बात कहना चाहूंगा कि डेढ़ वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन का मुद्दा नहीं उठाया। अब चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि चार प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो प्रैशर डाला गया है, उसकी वजह से बेबुनियाद और निर्मूल ये इल्जामात लगाये जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस सभा के संरक्षक हैं। मैं दावे से और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने उन्हें चुनाव में हराया है। प्रकाश सिंह बादल के परिवार और उनके लड़के को, जिनका ये जिक्र कर रहे थे। पहले बार स्टेट का मुद्दा होने के नाते मैं इनकी बात पर नहीं जाना चाहता। अगली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी पंजाब में मल्होत्रा साहब यह जान लें कि जितनी बादल की जायदाद, उनकी जमीन 80–90 एकड़ है, हजारों किसान ऐसे हैं, जिनके पास इससे ज्यादा है, लेकिन आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तारीन अकाली दल के नेता वे किस तरह से बन गये?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आप किसी कोर्ट में केस लाओ, आप उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस डालो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री जे. एस. बराड़ : उसकी तहकीकात पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री ने शुरू की है और अदालत की तरफ से यह वीडियो टेप्स जो हो रहे हैं, उसके लिए अदालत के आर्डर्स हैं कानून अपना काम कर रहा है। अगर आपने सारा प्रदेश लूटा, नौजवान लूटे, उन्हें भड़काकर टैरेरिज्म अकाली दल और भाजपा ने पैदा किया। आज उसके कांसीक्वेंसेज, उनका सामना उन्हें करना होगा। कानून अपना काम कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब मदनलाल खुराना जी को सुनिये। प्लीज बैठिये।

श्री मदन लाल खुराना : मैं अभी इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहा हूं। मेरे दो मुद्दे हैं। मेरा यह कहना है कि सांसद के घर पर उसके बंगले को पंजाब की सरकार की विजिलेंस जिस तरह से नाप रही है, कोई प्राइवेट होता ...*(व्यवधान)* मेरा कहना है कि यह हिन्दुस्तान कर पार्लियामेंट है, किसी एम.पी. के घर को नापना, पंजाब के किसी अकाली नेता के घर को नापना ...*(व्यवधान)* दूसरी तरह पंजाब के मुख्यमंत्री पर एक्साइज डिपार्टमेंट के 15 करोड़ रुपये बकाया हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष जी, आपको इन्होंने इसका नोटिस दिया है क्या?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर एक सूचना प्राप्त हुई है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मदन लाल खुराना जी, आप बोलिये। आप रुक क्यों गये हैं?

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह कैसे बोलेंगे? आप इन लोगों को पहले बैठाइये। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसर मुद्दा यह है कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने 15 करोड़ रुपये सरकार के देने हैं। मेरे पास एक्साइज डिपार्टमेंट के आर्डर्स है। ...*(व्यवधान)* वे चूककर्ता हैं। मेरा यह कहना है कि कोई भी डिफॉल्टर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता इसलिए उनको बर्खास्त किया जाये। ...*(व्यवधान)* हमने फाइनेंस मिनिस्टर को पत्र दिया है। उस पत्र की प्रतिलिपि मेरे पास है। ...*(व्यवधान)* वे मुकदमा करके दिखाएं। ...*(व्यवधान)* हम उनकी सारी पोल खोलेंगे। ...*(व्यवधान)* मेरे पास जो डाकूमैंट्स हैं, उसमें एक्साइज कमिश्नर के आर्डर्स भी हैं। ...*(व्यवधान)* वे चूककर्ता हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, क्या आप इस मुद्दे पर वाद–विवाद की अनुमति दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : खुराना जी, आप वे पेपर टेबल पर रखिये। ...*(व्यवधान)* आप जिन प्रमाणों की बात कर रहे हैं, उसे आप टेबल पर रखिये। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मेरे पास प्रमाण हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उसे ऑथेंटिकेट करते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मैं उसे ऑथेंटिकेट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप उसे टेबल पर रखिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री प्रभुनाथ सिंह बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहते हैं तो उसे आप ऑथेंटिकेट करके टेबल पर रखिये।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मैं इसकी फोटोस्टेट कॉपी टेबल पर रखता हूं। ...*(व्यवधान)* इसमें संबंधित अधिकारियों के साइन किए हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने पत्रों को प्रमाणित किया है अथवा नहीं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा समाप्त हो चुका है। कृपया बैठिये। अब मैं अगला मुद्दा ले रहा हूं। अब श्री प्रभुनाथ सिंह बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह को बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आप इसे ऑथेंटिकेट करवाइये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रभुनाथ सिंह जी को बोलने की इजाज़त दी है इसलिए अब वह बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी जो बोलेंगे, उसके सिवाय किसी की बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जायेगी।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने 15 करोड़ रुपये एक्साइज डिपार्टमेंट के देने हैं। यहां पर वे प्रूफ रख दिए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, वे पत्र जिनका उन्होंने उल्लेख किया है, उन्हें उनके द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)* उन्होंने पत्रों को प्रमाणित नहीं किया है ...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने दूसरा विषय लिया है। इसलिए आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी की जांच कर रहा हूं। कृपया बैठिये।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बार–बार क्यों बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्हें पहले पत्रों को प्रमाणित करना चाहिए। उन्होंने पत्रों को प्रमाणित नहीं किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : हमने फाइनेंस मिनिस्टर को जो पत्र दिया है, उसमें साइन किये हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, कृपया उनसे पत्रों को प्रमाणित करा लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे यह काम करा लूंगा। कृपया बैठिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि मैंने इस विषय को निपटा दिया है

*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको रिक्वैस्ट कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को जो पत्र दिया है, उसमें इन्होंने साइन किए हुए हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि इसकी जांच करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को सजा मिलनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में इनकी सहयोगी पार्टी क्या कर रही है, उसके बारे में भी ये बतायें। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : उसमें कम्पीटेंट अथॉरिटी के साइन किए हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा पूरी हो चुकी है। अब श्री प्रभुनाथ सिंह बोलेंगे। अब और किसी को बोलने की अनुमति नहीं होगी। मुझे खेद है मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप क्यों नहीं बोल रहे? मैंने आपको बोलने की इजाज़त दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सदन का ध्यान बिहार की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मदनल लाल खुराना ने पत्रों को प्रमाणित नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले इसकी जांच कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल, आप इस सभा के काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं इसकी जांच कर रहा हूं। यदि पत्र प्रमाणित नहीं है तो उन्हें प्रमाणित करने होंगे। यह इस सभा का नियम है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : पूरे बिहार में इस समय स्थिति बद से बदतर हो गई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा समाप्त हो चुका है। मैंने इस मुद्दे को निपटा दिया है। कृपया अपनी सीट पर बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, ये फिर वही बात करने जा रहे हैं जो इन्होंने 1984 से पहले की थी। ये लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। ...*(व्यवधान)* भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बात पर लोगों को भड़का रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह कहा जा रहा है कि अगर यह बात हुई तो पंजाब के हालात बिगड़ जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे. एस. बराड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भिंडरवाले का नाम लिया है। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा। यदि कार्यवाही वृत्तांत में शामिल वाक्य अशिष्ट या सही नहीं हैं तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : इसका देश पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, ये इसका हिसाब नहीं लगा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से बिहार के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। बिहार में विधि व्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही है। यहां तक कि बिहार सरकार के एक मंत्री के भांजे का अपहरण कर लिया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार की लगातार गिरती विधि व्यवस्था के कारण पांचवी बार टिप्पणी की है कि यह राज्य सरकार निकम्मी है। यहां तक कि जिस दिन श्रीमती राबड़ी देवी सरकार की छठी सालगिरह मनाई जा रही थी, उस दिन अपराधियों द्वारा जश्न किया जा रहा था। ...*(व्यवधान)* वहां के अखबार में जो लिखा है, वह हम पढ़ कर सुनाना चाहते हैं – "राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री व कार्यकर्ता जब शुक्रवार को राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने की छठी सालगिरह मना रहे थे तो उसी समय राज्य में अपराधियों ने तीन और लोगों का अपहरण कर इस जश्न के रंग को फीका कर दिया। अपराधियों ने रोहतास जिले में एक कोयला व्यवसायी, एक बैंक मैनेजर और एक किशोर का अपहरण कर लिया। गुरुवार को राज्य के गन्ना विकास मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह के सात साल के भांजे का अपहरण कर लिया गया।" ...*(व्यवधान)* खुद मुख्य मंत्री ने कहा है कि पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह के अपराध होते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मदन लाल खुराना ने इसे प्रमाणित नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री मदन लाल खुराना दस्तावेजों को प्रमाणित नहीं करते हैं तो उनका सारा भाषण कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आपको इसे ऑथेंटिकेट

करना पड़ेगा। अगर आप ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तो आपकी स्पीच रिकार्ड में नहीं जाएगी। क्या आप ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हैं?

श्री मदन लाल खुराना : जी हां।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम कहना चाहते हैं कि पटना उच्च न्यायलय ने पांचवी बार बिहार के संबंध में इस तरह की टिप्पणी की है। बिहार में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधी मुख्य मंत्री निवास में रहा करते हैं। वहां कांग्रेस की मिली–जुली सरकार है। कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार मे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस के लोग बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार सरकार को शीघ्र बर्खास्त करवाइए और जो लोग कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे है, उन लोगों पर अंकुश लगाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आपसे आग्रह किया था कि महाराष्ट्र में सात ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इनके बाद मैं आपको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बजे तक एक के बाद एक नाम पुकारूंगा। एक बजे के बाद मैं उनका नाम नहीं पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैंने कल भी कहा था कि बिहार की स्थिति बहुत बदतर है। ...*(व्यवधान)* अभी हाजीपुर में पांच लोगों के कत्ल कर दिए गए। ...*(व्यवधान)* आरा, झाबुआ, पटना और बेगुसराय के व्यवसाय लगातार त्रस्त है।

कल एक पत्रकार के भाई जो डॉक्टर थे, वह अपने क्लीनिक से आ रहे थे, उनका अपहरण कर लिया गया और वहां कोई सुनने वाला नहीं है। ...*(व्यवधान)* राज्य सरकार के घर में अपराधी बैठे हैं, वे अपहरण का प्लान करते हैं और जो वहां स्थिति है, उसे मैं बता नहीं सकता हूं। ...*(व्यवधान)* गोलियां पुलिस के द्वारा और अपराधियों के द्वारा चलती हैं और गोलियां सरकार चलवाती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष जी, इसमें मंत्री का नाम आया, विधायक का नाम आया, एमपी का नाम आया लेकिन सरकार सुनती नहीं है। ...*(व्यवधान)* बिहार में प्रति दिन दो दर्जन से ऊपर कत्ल होते हैं और सात से आठ बच्चों का अपहरण होता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करिए। आपका समय हो गया।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : बिहार में सरकार की जिससे दुश्मनी होती है, उसे खत्म कर दिया जाता है। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाये। ...*(व्यवधान)* जब तक वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, वहां 8.5 करोड़ जनता सुरक्षित नहीं हो सकती, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक ह। ...*(व्यवधान)* इसके लिए सरकार कुछ जवाब दे। ...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आज़ाद (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को इस के साथ एशोसिएट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैंने आपका नाम एशोसिएट कर दिया।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आज़ाद : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे। ...*(व्यवधान)* टैरेरिस्ट्स भी छिपकर मारते हैं लेकिन बिहार सरकार के जो मंत्री बैठे हैं, वे सामने से मारते हैं। एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। ...*(व्यवधान)* वहां की यह स्थिति है। राज्य सरकार के जो नेता बैठे हुए हैं, वे सरेआम गोलियां चलवाते हैं। ...*(व्यवधान)* वे अपहरण करवाते हैं लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। ...*(व्यवधान)* बिहार सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां राष्ट्रीय राजमार्ग ध्वस्त हो गया है और इस कारण वहां आवागमन ठप्प हो गया है। ...*(व्यवधान)* यह भारत सरकार का विषय है। ...*(व्यवधान)* भारत सरकार ने अभी तक बिहार सरकार को काई भी सहायता नहीं दी है। ...*(व्यवधान)* कैलेमिटी रिलीफ फंड और कैलेमिटी कंटिंजेंसी रिलीफ फंड बिहार सरकार को अभी तक नहीं दिया गया है। ...*(व्यवधान)* भारत सरकार ने पैसा रोक लिया इस कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत देने में कठिनाई हो रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : एनएच 77 और एनएच 104 के बाढ़ से ध्वस्त होने से वहां आवागमन ठप्प हो गया है। लोग वहां बहुत परेशान हैं। ...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से विनती करना हूं कि बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है, उसके संबंध में सरकार ध्यान दे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुषमा स्वराज! क्या आप कुछ कहना चाहती हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, जब आप सूचनाएं देने वाले लोगों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो हम यहां क्यों ठहरें? ...*(व्यवधान)* आप उनको नियंत्रित नहीं कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* सभा में प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैंने सोमवार से सूचना दी हुई है ...*(व्यवधान)* आप मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)* हर रोज ऐसा हो रहा है ...*(व्यवधान)* आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्य आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं – मैं नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको मौका मिलेगा बशर्ते कि आप सभी सहयोग करें। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो आप सभा में बोलने का अवसर खो देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ ऐसे सदस्य हैं जो 'प्रश्न काल' नहीं चाहते हैं। केवल वही सदस्य शोर मचा रहे हैं। वे सभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और उन लोगों का बोलने का समय ले रहे हैं जो बोलना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं। आपने सूचना भी दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को इस पर कुछ कहना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे इसका उत्तर नहीं देना चाहती हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर देना चाहती हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : जो बातें सदन में रखी गई हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस सभा में रुकने का अब कोई मतलब नहीं है। हम बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 12.55 बजे

(इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.56 बजे

तत्पश्चात्, लोकसभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, मैं उस दिन बोल रहा था और मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। मैं और दो मिनट का समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बोल रहे थे?

श्री पी. एच. पांडियन : मैं बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक पर बोल रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। किंतु यह मान लिया गया था कि आपका भाषण समाप्त हो चुका है। फिर भी आप बोल सकते हैं।

श्री पी. एच. पांडियन : मैं अपना भाषण जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अंतिम बार बोलने का अवसर दिया जा रहा है।

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, मैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का उल्लेख कर रहा था, जहां अन्य देशों से मामलों का अंतरण ऐसे न्यायालयों में किया जा सकता है जहां नरसंहार, मानव हत्या और अत्याचार का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय विधि से हो सकता है। महोदय, चर्चा के तीन वर्ष बाद 17 जुलाई, 1998 को रोम में कई देशों की एक बैठक हुई और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गठन का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक में 120 देशों ने ऐसे न्यायालय की स्थापना करने वाले कानून के पक्ष में मतदान किया। भारत सहित 21 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया और अमरीका तथा चीन सहित केवल 7 देशों ने इसके विरुद्ध मतदान किया। मैं गृहमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गठन हेतु रोम सम्मेलन में मतदान क्यों नहीं किया? यदि इसके पर्याप्त कारण हैं तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और राष्ट्रों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने की दिशा में केन्द्र सरकार की भावी कार्यविधि क्या होगी? केवल इस विषय पर काफी चर्चा हुई थी। उक्त सम्मेलन में मृत्यु दंड की आवश्यकता भी विचार-विमर्श का एक हिस्सा था। भारत सरकार, मृत्यु दंड के प्रावधान को समाप्त किए जाने संबंधी संयुक्त राष्ट्र संविदा की एक हस्ताक्षरी है। अतः क्या हमने इस सम्मेलन में सिर्फ इसी बात पर मतदान नहीं किया था या फिर किसी और आधार पर? इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : महोदय, मैं बंदी संप्रत्यवर्तन विधेयक, 2002 के समर्थन में बालने के लिए खड़ा हुआ हूं।

विधेयक पर चर्चा करने से पूर्व मैं इस विधेयक पर चर्चा के दौरान दो दिन पूर्व उत्पन्न हुई कतिपय शंकाओं को दूर करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यर्पण और संप्रत्यावर्तन के बीच एक अंतर है। प्रत्यार्पण का अर्थ है – एक देश के कानून से भागे हुए व्यक्ति को आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु वापस उसी देश में लाने के लिए बाध्य करना जिसमें उसने अपराध किया हो। इसके लिए मैं दाउद इब्राहिम, इकबाल मेमन मिर्ची, नदीम अख्तर, अबू सलेम और क्वात्रोची का उदाहरण दे सकता हूं।

यह वे व्यक्ति हैं जिन्हे भारत में मुकदमे का सामना करने के प्रयोजनार्थ प्रत्यर्पित किया जाना था।

काफी पहले 1962 में इस संसद ने प्रपलायी न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रत्यर्पण अधिनियम बनाया था। प्रत्यर्पण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति पर, जिसने किसी अन्य देश में शरण ले रखी हो, उस देश के आपराधिक कानून के अंतर्गत विचार किया जाना चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 105 और 105 (ग) व्यक्तियों के प्रत्यर्पण से संबंधित है जिसमें केन्द्र सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी व्यक्ति को इस देश में दोषी पाया जाता है और वह विदेशी मूल का है और संबंधित व्यक्ति अथवा उसके सगे-संबंधी अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा मूल सरकार की ओर से कोई अनुरोध किया जाता है तब संप्रत्यावर्तन का प्रश्न उत्पन्न होगा।

जब किसी व्यक्ति को प्रक्रिया दण्ड संहिता की धारा 417 के अंतर्गत दोषी करार दिया जाता है तो उसे जेल भेज दिया

जाता है और जेल भेजा जाना राज्य सरकार का कार्यकलाप है। विशेष जेल भी स्थापित की जा सकती है जैसे श्री लालू प्रसाद यादव को विशेष जेल में रखा जा रहा है और उन्हें सर्किट हाउस में रहने वाले अति–विशिष्ट व्यक्ति को दी जाने वाली सुविधाओं के समान सभी सुविधाएं दी जाती हैं। यह इस तथ्य से परे है किन्तु राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को जेल में रखे जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, भारत में दोषसिद्ध व्यक्ति को इस संहिता के अंतर्गत वापस नहीं भेजा जा सकता है। इसके लिए एक पृथक प्रक्रिया होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक, 2002 में समाहित किया जा रहा है।

यहां पर थोड़ा सा अन्तर है। मैं प्रत्यर्पण अधिनियम और इस विधेयक, जिस पर चर्चा की जा रही है, के बीच अंतर बता रहा हूं। प्रत्यर्पण अधिनियम में, केन्द्र सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जबकि संप्रत्यावर्तन विधेयक में, जिस पर विचार किया जा रहा है, केन्द्र सरकार कोई भूमिका नहीं निभाती है अपितु कैदी अथवा मूल स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस विधेयक में, जेल में रखे गये कैदियों के अंतरण के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। पुरूलिया में हथियार गिराने के मामले को ही लीजिए। एक विशेष व्यक्ति, जो पायलट था को छोड़ने की मांग लगातार की गई है। उस व्यक्ति को उस देश को संप्रत्यावर्तित करने, जहां से वह आया था, की मांग नहीं की जा रही है चूंकि वह उस देश के मामले के अध्याधीन है। जब तक कोई संधि नहीं होगी उसे संप्रत्यावर्तित करना संभव नहीं होगा। कई लोगों को सिद्धदोष किया गया है और उन्हें भारत में जेलों में रखा गया और कई भारतीय मूल के लोगों को अन्य देशों में उनके द्वारा किए गए कतिपय अपराधों के लिए जेलों में रखा गया था, जब स्वदेश वापसी का प्रश्न उठता है वहां ऐसे साक्ष्य जुटाने की जरूरत नहीं है जैसे प्रत्यार्पण अधिनियम में। यहां प्रश्न इस व्यक्ति को दूसरे देश की जेल में स्थानांतरण करने का है, जहां दण्ड प्रक्रिया संहिता पर विचार नहीं किया जाता है, यही कारण है कि बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक को संसद में लाया गया है।

इस विधेयक के अंतर्गत छह शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त उस देश के साथ संधि करने की है जहां से उसे स्वदेश आना है या स्वदेश से वहां भेजा जाना है, यदि कैदी को भारत से दूसरे देश को भेजा जाना है तो उसके साथ संधि होनी चाहिए। यदि संधि न हो तो उस विशेष व्यक्ति के लिए समझौता होना चाहिए और समझौते में ब्यौरों का पूरा उल्लेख होना चाहिए। जब कैदी को दूसरे देश में जाना हो तो इस आशय की अधिसूचना जारी की जायेगी जिसमें शर्तों का विवरण होगा ताकि कैदी की स्वदेश वापसी के संबंध में कोई भ्रम न रहे।

दूसरी शर्त यह है कि उक्त संधि के मूल–पाठ का विस्तृत विवरण देने वाली अधिसूचना होनी चाहिए जैसा कि मैंने कहा 'संधि अथवा कुछ अन्य' । औपचारिकताओं से एक संधि हो सकती है और "कुछ अन्य" का अर्थ व्यक्ति विशेष के लिए है, दोनों देशों के मध्य समझौता हो सकता है लेकिन अधिसूचना में उस समझौते अथवा संधि का संकेत दिया जाना आवश्यक है। जब भी किसी बंदी का स्वदेश भेजा जाना हो तो, उक्त अधिसूचना का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अन्यथा, यह कार्य व्यर्थ और शून्य माना जायेगा।

तीसरे, आवेदन बंदी अथवा बंदी के प्रतिनिधि द्वारा किया जाना आवश्यक है जबकि प्रत्यर्पण के मामले में कार्यवाही सरकार द्वारा की जायेगी। आपराधिक न्यायालयों को प्रस्ताव करना होगा और भारत सरकार को कार्रवाई करनी होगी, लेकिन यहां दोषसिद्ध व्यक्ति अथवा उसका प्रतिनिधि अथवा संभवतः उसका मूल देश भारत सरकार को अभ्यावेदन दे सकता है। संप्रत्यावर्तन का अंतिम निर्णय भारत सरकार पर निर्भर करता है। यह निर्णय भारत सरकार करेगी कि उस व्यक्ति को भारत से उसके मूल स्थान पर भेजा जाए अथवा नहीं। इस बारे में निर्णय लेने की शक्ति केन्द्र सरकार के पास है। लेकिन जहां बंदी को भेजा जाना है उसे स्वीकार करने के लिए उस राष्ट्र का सहमत होना आवश्यक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि उसके इंगलैंड, अमरीका अथवा रूस भेजा जाए तो उसके लिए संबंधित राष्ट्र की सहमति आवश्यक है। अन्यथा कठिनाई होगी। हम किसी बंदी को अन्य देश में भेज सकते हैं लेकिन जब हमें किसी कैदी को अपने देश में लाना है तो उसे रखा जाएगा इस बारे में कठिनाई होगी।

अब, भारत में किसी बंदी को राज्य सरकार की जेल में रखा जाएगा। इसलिए, किसी बंदी को अन्य देश से इस देश में लाते समय, एक विशेष राज्य को उसे अपनी किसी जेल में

(श्री अनादि साहू)

रखने के लिए सहमत करना होगा। यह भी एक पूर्व शर्त है, अन्यथा भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य उस पुरुष अथवा स्त्री को भारत नहीं भेज सकता इसके लिए जेल का पता लगाना आवश्यक है और यह राज्य का विषय है। इसलिए, राज्य का इस पर सहमत होना आवश्यक है।

चौथे, भारत में वारंट जारी करना होगा। आपराधिक मामलों में न्यायिक अधिकारी, कैद के वारंट जारी करते हैं – चाहे वह मजिस्ट्रेट हो या एक जिला न्यायाधीश हो लेकिन यहां बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक के इस उपबंध में राज्य सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के कार्यकारी अधिकारी, अथवा केन्द्र सरकार का एक विशेष अधिकारी सभी शर्तों को पूरा करने के बाद उसके मूल राज्य को बंदी संप्रत्यावर्तन हेतु वारंट जारी करेगा लेकिन आवेदन कर देने मात्र का अर्थ यह नहीं है कि बंदी को भेज ही दिया जाएगा। इसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं। इस विधेयक ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने इसे बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया है। संप्रत्यावर्तन के लिए सीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है; अर्थात, यदि बंदी की मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई नहीं गई है – तो उसे वापस भेजने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तब, यदि कोई मार्शल लॉ का उल्लंघन करने का दोषी है, तो उस विशेष व्यक्ति के संप्रत्यावर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं है।

वास्तव में सजा के मामले में यह आवश्यक है कि दोषी व्यक्ति ने राज्य की संप्रभुता, सुरक्षा और अन्य हितों के प्रतिकूल कार्य किया है अथवा नहीं। इस देश में अनेक लोग आते हैं, उन्होंने संभवतः छोटे अपराध किए होंगे। लेकिन इस देश मे रह कर, कट्टरपंथियों के समूह बना कर अथवा अव्यवस्था उत्पन्न करके, उन्होंने इस देश के लिए सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न किया हो और इस देश की संप्रभुता पर सवाल उठाया हो, तो उनका संप्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता। यह देश के हितों के विरुद्ध होगा और यदि उसके विरूद्ध यदि कोई मामला लंबित है तो उसका संप्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता।

अंतिम विषय यह है कि दीवानी मुकद्मे में बंदी किए गए व्यक्ति का संप्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता। यह भी सही है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को धन का भुगतान नहीं करने पर सजा सुनाई गयी हो और वे सब बातें अथवा दीवानी प्रकृति की मानहानि– आपराधिक प्रकृति का नहीं – तो एक दीवानी मुकद्में में बंदी व्यक्ति का संप्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत अच्छे उपबंध हैं, जो स्वयं इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। वर्ष 1962 और 1969 के बीच कई समझौते हुए हैं। भारत सरकार ने प्रत्यर्पण संधियों से संबंधित अनेक समझौतों का अनुबंध किया है। जहां तक मेरा ज्ञान है आस्ट्रेलिया, अमरीका, ब्रिटेन और अनेक अन्य देशों ने ऐसे कानून पारित किए हैं और संधियां की गई हैं।

अब, जहां तक मोनिका बेदी का संबंध है तो प्रत्यर्पण को लेकर भ्रम बना हुआ है क्योंकि हमारे और उनके कानून एक दूसरे के अनुरूप नहीं हैं। लेकिन जहां तक संप्रत्यावर्तन का संबंध है तो साक्ष्यों को देखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह मानवीय आधार पर प्रश्न है। भारत की जेलों में सजा काट रहे व्यक्ति को मानवीय आधार पर स्वदेश संप्रत्यावर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसे न्यायापालिका द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा काटनी होगी। यह बात अति महत्वपूर्ण है।

इसलिए, यह विधेयक हर प्रकार से एक अच्छा विधेयक है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। यह कदम स्वागत योग्य है और इससे उन कैदियों को बहुत लाभ होगा जो विदेशी जेल में बंद हैं। यह विधेयक इस वर्ष मई में इस सभा में पुरःस्थापित किया गया था। मेरा मानना है कि यह विधेयक स्थायी समिति के पास भेजा गया था और स्थायी समिति ने कतिपय सिफारिशें की हैं। उसके बाद यह विधेयक इस सभा के सामने आया है।

मेरा विचार है कि भारत ने केवल तीन देशों के साथ समझौता किया है और कुछ और देशों के साथ समझौता करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस कानून के पारित हो जाने से उन कैदियों को बहुत लाभ होगा जो विदेशी जेलों में बंद हैं। ऐसा कानून आवश्यक भी है क्योंकि संसद सदस्यों के रूप में हम अनेक पत्र लिख रहे हैं तथा हमें उन व्यक्तियों, विशेषकर जो व्यक्ति खाड़ी देशों की जेलों में बंद हैं उनके संबंध में लोगों से अनेक अभ्यावेदन मिल रहे हैं। मैंने सऊदी अरब की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के संबंध में अनेक पत्र लिखे थे। सऊदी अरब ऐसा देश है जहां उन्हें कठोर सजा दी जा रही है। हमारे दूतावास हमेशा यह बताते हैं कि उनके पास कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाएं नहीं

हैं। भारतीय दूतावास हमेशा से कानूनी सहायता के प्रस्तावों को रद्द करता रहा है।

अब भारत के 80 से अधिक व्यक्ति अनेक कारणों से सऊदी अरब की जेलों में बंद हैं। उनमें से अधिकांश केरल से हैं। उनके साथ मुंबई के औषधि माफिया द्वारा धोखाधड़ी की गई थी। मल्लापुरम, कालीकट और केरल राज्य के अन्य भागों के निर्दोष लोगों को मुंबई में ड्रग माफिया द्वारा गुमराह करके नौकरी के लिए सऊदी अरब भेजा गया था। वास्तव में जब ये व्यक्ति सऊदी अरब जा रहे थे तो उनका बेईमान व्यक्तियों द्वारा ड्रग्स के वाहक के रूप में दुरुपयोग किया गया था और जब वे सऊदी अरब में पकड़े गये तो उन्हें वहां जेल भेज दिया गया। बहुत से व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया। ऐसे भी मामले हैं कि लोगों के हाथ काट दिए गए और इन सब लोगों को ये सारी सजाएं दी गईं। वास्तव में कह रहा हूं कि ये लोग बिल्कुल निर्दोष हैं और वे इस बात के परिणामों से वाकिफ नहीं हैं कि वे क्या कर रहे हैं और उनकी अनभिज्ञता के कारण ही बेईमान लोगों द्वारा उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।

मैं एक अनुरोध करूंगा। उन्होंने जो अपराध किया है, वह निःसंदेह एक घृणित अपराध है जिसे हम स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में, हमें उनको कानूनी सहायता देनी होगी। हमने विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब के दूतावास से सम्पर्क किया। वे कह रहे हैं कि उनके पास किसी प्रकार की कानूनी सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर विधिक सहायता हेतु किसी को कार्य पर रखना अत्याधिक महंगा है। इसलिए, हम व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करना सरकार का कर्त्तव्य है ताकि सऊदी अरब में उनके मामलों पर उचित रूप से बहस की जा सके।

मालदीव के संबंध में भी बहुत से मामले हैं। तमिलनाडु और केरल के कुछ भागों से अनेक लोग मालदीव भी गए हैं, क्योंकि मालदीव जाने के लिए वीजा आवश्यक नहीं है और लोग वहां आसानी से जा सकते हैं। वहां गए लोगों में से कुछ जेल में बंद हैं। हमारे दूतावास की ओर से काई उपयुक्त सहायता प्रदान नहीं की गई है। हमें यह मालूम नहीं है कि मालदीव सरकार के साथ किसी प्रकार का समझौता है या नहीं। एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री ने मालदीव का दौरा किया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस देश के साथ कोई ऐसा समझौता है या नहीं। वे कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रसंविदा का पालन मालदीव द्वारा नहीं किया जाता है। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या मालदीव सरकार और भारत सरकार का कोई समझौता है या नहीं, ताकि जेल में सजा काट रहे ये गरीब व्यक्ति किसी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें।

इस विधेयक के अंतर्गत दोष–सिद्ध और जेल भेजे गये व्यक्ति आते हैं। इस विधेयक के अंतर्गत वे व्यक्ति नहीं आते जिन पर मुकद्में चल रहे हैं। मेरा विचार है कि सरकार को यह जानने के लिए गृह मंत्रालय में एक पृथक प्रकोष्ठ गठित करना चाहिए कि कितने व्यक्तियों पर मुकद्में चल रहे हैं, कितने व्यक्तियों को दोष सिद्ध किया गया है और जेल भेजा गया है, जेल में कितने सजा काट रहे हैं। कितने व्यक्ति कानूनी सहायता चाहते हैं। गृह मंत्रालय के एक प्रकोष्ठ द्वारा इस प्रकार के सभी मामलों की निगरानी की जानी चाहिए। मेरा विचार है कि इस कानून को पारित करने के पश्चात् करने के पश्चात् से ऐसे प्रकोष्ठ की आवश्यकता का पूर्ण औचित्य है ताकि हम उन व्यक्तियों की गणना कर सकें जिन पर मुकद्में चल रहे हैं, जिन्हें दोषसिद्ध किया गया है और जो जेल में हैं तथा जिन्हें वास्तव में कानूनी सहायता की आवश्यकता है।

ये सब विवरण विश्व प्रकोष्ठ द्वारा जुटाए जा सकते हैं और गृह मंत्रालय द्वारा उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके और इस कानून को पारित कर देने मात्र से मदद नहीं मिलेगी। इसका प्रचार भी किया जाना चाहिए। अतः, माननीय गृह मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इसका दूतावासों के माध्यम से समुचित प्रचार किया जाए। अन्य देशों में रहने वाले व्यक्ति इस अधिनियम के बारे में नहीं जानते। इसलिए दूतावासों को इस कानून का समुचित प्रचार करना चाहिए ताकि वे व्यक्ति जो जेल में हैं तथा जिन पर मुकद्में चल रहे हैं वे इस अधिनियम का ब्यौरा जान सकें और सरकार से अनुरोध कर सकें।

ऐसी स्थिति में, मैं एक बात विशेष रूप से जानना चाहूंगा। खर्चा कौन उठाएगा? निःसन्देह, जब हम नियम निर्धारित करते हैं तो हम उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। मेरा विचार है, संविदाकारी राष्ट्र को प्रत्यावर्तन के खर्चे वहन करने चाहिए। यह विशिष्ट बनाया जाना चाहिए। अन्यथा, हमें मालूम है कि क्या होगा। अधिकारी हमेशा यह कहते हैं कि ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है और इसलिए वे इन खर्चों को वहन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में, कानून को उचित प्रकार से लागू नहीं किया जा सकता। कानूनी सहायता की स्थिति में, यही होता है। जब सऊदी अरब अथवा संयुक्त अरब अमीरात की जेल में सजा काट रहे व्यक्ति दूतावासों में जाते हैं उनसे कहा जाता है कि कानूनी मामलों अथवा कानूनी सहायता पर

(श्री रमेश चेन्नितला)

खर्चा करने का कोई उपबंध नहीं है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट किया जाना चाहिए। जब तक आप नियमों में यह बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं करते तब तक उन व्यक्तियों को लाभ नहीं होगा जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।

हाल ही में समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि रोजगार के लिए मलेशिया गये भारतीय व्यक्ति भी बहुत से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें जेल में डाल दिया गया है। वहां उन पर मुकदमा भी चल रहा है। कुछ दोषसिद्ध किए गए हैं और कुछ जेल में सजा काट रहे हैं। इन सभी पहलुओं की जांच की जा सकती है। मेरा विचार है, वह प्रकोष्ठ जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत गठित किया जा सकता है, वह इस पहलू पर नजर रखेगा ताकि इससे इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या का पता चल सके। तब, वे अनुवर्ती कार्रवाई कर सकते हैं और इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे भारतीय नागरिकों को समय पर उचित सहायता दी जा सके।

महोदय, अध्यक्षपीठ भी उन लोगों से भली-भांति परिचित है जो कालीकट और मल्लापुरम में हैं तथा 60, 70 या 80 वर्ष के हैं। एक समय वे पाकिस्तान में थे और अब केरल में बसे हुए हैं। कानूनन, वे बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वे वापस नहीं जा सकते और नागरिकता न होने के कारण उन्हें भारत में कोई सुविधा नहीं मिल सकती। उन्हें यहां आए काफी समय हो चुका है। वे स्वयं जिला मजिस्ट्रेट के पास गए और घोषणा की कि वे भारतीय नागरिक हैं। ऐतिहासिक कारणों की वजह से उन्हें भारतीय नागरिक बनने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन वे वहां रह रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे निर्दोष व्यक्तियों पर ध्यान देने की जरूरत है। केरल के कुछ बुजुर्ग सदस्यों ने इस संबंध में बहुत से अभ्यावेदन दिए थे। कानूनी स्वीकृति की चाह में कष्ट उठा रहे व्यक्ति निर्दोष हैं। इसलिए गृह मंत्रालय को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए।

महोदय, मैं इस कानून का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे उन गरीब व्यक्तियों को मदद मिलेगी जो किसी प्रकार से कुछ बेईमान व्यक्तियों द्वारा गुमराह किए गए और जिन्हें विदेशी जेलों में कठोर सजा भोगना पड़ता है। ऐसे में, मैं यह बात दोहराना चाहूंगा कि नियम बनाते समय हमारा अधिक से अधिक उदार होना जरूरी है। अन्यथा इसे प्रयोज्य नहीं बनाया जाएगा और इसे अधिक प्रभावी नहीं बनाया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो रीपैट्रियेशन ऑफ प्रिज़नर्स बिल लाया गया है, इसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

महोदय, एक सभ्य समाज का यह उत्तरदायित्व है कि हम ऐसे कानून बनाएं जिनसे निर्दोष व्यक्ति ऐसी प्रक्रिया में न फँसा रहे जिसमें उसके मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बंदी संप्रत्यवार्तन विधेयक, 2002 लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह विधेयक मानवता से जुड़े हुए सवाल को छूता है, खासकर भारत के संदर्भ में, जहां से एक बड़ी संख्या में आबादी विश्व के विभिन्न देशों में रोजगार की तलाश या अन्य कारणों से गई है और अज्ञानतावश अपराध या अन्य कई कारणों से अनेक राष्ट्रों में फंसी हुई है। निश्चित रूप से यह विधेयक, ऐसे लोगों को जो विदेशो में फंसे हैं या शातिर अथवा अपराधी किस्म के है या कई प्रकार के अपराधों के कारण अपने देश की पुलिस से बचने के लिए बगल के देशों में जाकर शरण ले लेते हैं और वहां से भी हमारी राष्ट्रीय और आन्तरिक सुरक्षा के लिए समस्याएं खडी करते हैं, उन पर अंकुश लगाने में, इस विधेयक के पारित होने पर सहायता मिलेगी और यह इस दिशा में सरकार की सर्वाधिक पहल का द्योतक है। इसके माध्यम से हम उस प्रक्रिया को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

महोदय, बहुत सारे गरीब लोग जो तटवर्ती क्षेत्रों में मछली पकड़ने का काम करते हैं और ऐसा करते समय अज्ञानतावश देश की जल सीमा से बाहर दूसरे देश की जल सीमा में चले जाते हैं और वहां जाकर उन्हें लम्बे समय तक जेलों में रहना पड़ता है, जिन की सुध लेने वाला भी कोई नहीं होता कि वे जिन्दा हैं या मर गए, ऐसे लोगों को निश्चितरूप से हम इस प्रक्रिया के माध्यम से कानून बनाकर, इसे व्यापक बनाकर, लोगों की मदद करेंगे। जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य श्री रमेश चेन्नितला जी ने कहा कि इसकी एक मानिटरिंग सैल भी डैवलप करनी चाहिए, यह सुझाव भी अच्छा है। आजादी मिलने के बाद देश के गरीब से गरीब और अंतिम सीढ़ी पर रहने वाले व्यक्ति को भी यह आभास होना चाहिए कि इस देश का नागरिक भले ही किसी भी देश में रहता हो, उसके देश की सरकार बराबर चिन्तित है। हमने देखा है कि

कई देश अपने नागरिकों की छोटी–छोटी समस्याओं के लिए भी बहुत चिन्तित हुआ करते हैं।

महोदय, हमारे देश के बहुत सारे लोग विभिन्न कठिन परिस्थितियों में, अज्ञानतावश कोई गलती हुई, उसके कारण कई राष्ट्रों में सजा काट रहे हैं और सही विधिक सलाह तथा विधिक प्रबन्धन नहीं होने से वे काफी कठिनाई में फंसे रहते हैं, लेकिन सरकार इस विधेयक के माध्यम से बहुत अच्छा कानून बना रही है। इससे सरकार की मानवीय संवेदनशीलता झलकती है। सरकार की यह बहुत अच्छी पहल है।

महोदय, इस बिल को लाने की प्रक्रिया में बहुत एहतियात बरती गई है। पहले इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया, वहां इस पर व्यापक विचार–विमर्श हुआ, लेकिन इसके बावजूद मैं यह महसूस करता हूं कि यह और भी कारगर बने, इस पर सरकार को गौर करने की आवश्यकता है। अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक, 2002 सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं इस पुरजोर समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। कई विदेशी बंदी जो काफी लम्बे समय से हमारी जेलों में बंद रहे हैं, जिनके रहने से भारत सरकार के सामने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं, उन बन्दियों को हम यहां से उनके देशों की जेलों में ट्रांसफर कर सकें, क्योंकि आखिरकार उन्हें यहां रखने पर खर्च भी होता है और अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पडता है। इन सारी परेशानियों से बचने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत सुन्दर विधेयक हमारे सामने पेश किया है क्योंकि आखिरकार उन्हें हम उनके देशों में ट्रांसफर कर देंगे, तो जो कुछ भी उनकी जिन्दगी है, उसे वे आजादी से, अपने परिवार के बीच में बैठकर गुजार सकेंगे। उन्हें वहां जो सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए, वह अपने देश में जाकर शेष सजा भोग लेगा।

यह जो इंटर स्टेट ट्रांसफर कैदियों के नाते मंत्री जी बिल लाए हैं, मैं उनका स्वागत करते के लिए खड़ा हुआ हूं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में इस प्रकार के किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए मंत्री जी यह बिल लाए। मंत्री जी एक देश से दूसरे देश में बंदी को ट्रांसफर करने का जो बिल लाए हैं मैं उसका समर्थन कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह व्यक्ति कौन होगा – या तो सजा पाने वाला होगा, जो सजा प्राप्त कर रहा है वह होगा और वह व्यक्ति इस प्रकार से बन्दी होगा, या तो आयु के हिसाब से होगा, मान लो उसकी आयु 70–72 वर्ष पूरी हो गई है और अब वह भगवान को प्यारा होने वाला है तो दर्खास्त देगा कि कहीं मैं इस जेल में भगवान को प्यारा न हो जाऊं इसलिए मेरा यहां से ट्रांसफर करें या उसकी शारीरिक क्षमता ठीक प्रकार से न बची हो या कोई मानसिक तनाव हो रहा हो, इन सारी दशाओं में वह व्यक्ति, या तो जो जेल भोग रहा है, वह, या उसका प्रतिनिधि दर्खास्त देगा। इन तीनों परिस्थितियों में उस दर्खास्त पर भारत सरकार विचार करेगी। इसी प्रकार से एक राज्य जो भेज रहा है वह राज्य भी उसे मंजूर करेगा कि मैं इसे भेजने के लिए तत्पर हूं और जो राज्य उस बंदी को लेना चाहता है उसे भी यह कहना पड़ेगा कि मैं इस बंदी को अपनी जेल में लेने के लिए स्वीकृति दे रहा हूं, इन दोनों की रजामंदी होना भी इस बिल के नाते बहुत आवश्यक है।

मेरा निवेदन है कि भारत में उसे जो सजा मिली है, या तो वह फाइनल हो जाए कि अब उसे पांच–दस–15 वर्ष की सजा भोगनी है। वह सजा अंतिम हो जाए और यदि उसने यहां भारतवर्ष में किसी प्रकार की अपील या रिवीज़न कर रखी है तो उसकी एप्लीकेशन को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और वह व्यक्ति ट्रांसफर नहीं होगा। मेरा कहने का अर्थ यह है कि इन सारी बातों को स्वीकार करने के बाद उस कैदी को हम यहां से भेज देंगे, लेकिन तीन–चार बातें ऐसी हैं जिनके आधार पर हम उस कैदी को यहां से ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहली उसमें यह बात कही गई है कि यदि उसने देश की प्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रहित के विरुद्ध काम किया है, जो व्यक्ति जेल में सजा भोग रहा है तो हम उसे किसी प्रकार से ट्रांसफर नहीं करेंगे, पहली शर्त यह है। दूसरी यह कि उस व्यक्ति के विरुद्ध इंटर स्टेट में कोई अन्य मामला लम्बित न हो। हमारे राज्य में इस प्रकार का कोई अन्य मामला न हो, जिससे उस व्यक्ति को यहां रखा जाना अनिवार्य हो। अगर यह बात होगी तो हम उसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। यदि वह किसी अन्य अपराध में अपराधी पाया गया है तो उसे यहां से ट्रांसफर नहीं करेंगे, यह तीसरी पाबंदी है। चौथी पाबंदी यह है कि इंटर स्टेट में उस बंदी को मृत्यु दंड दे दिया गया हो तो हम यहां से उसे ट्रांसफर नहीं करेंगे।

इन तीन–चार बातों के अलावा यदि कोई व्यक्ति एप्लीकेशन देता है या उसका कोई प्रतिनिधि देता है कि वह व्यक्ति आयु पूरी कर रहा है, शारीरिक क्षमता नहीं रखता है, इसलिए

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

उसका ट्रांसफर करना नितांत आवश्यक है। भारत सरकार उस व्यक्ति को, जिस पर यहां खर्च एवं अपव्यय हो रहा है, जो राष्ट्र उसे लेना चाहेगा उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए मंत्री जी यहां ठीक प्रकार का बिल लाए हैं। निश्चित रूप से जो व्यक्ति यहां से बाहर व्यापार करने के लिए गया है, उससे कोई छोटी-मोटी गलती हो गई है तो उस व्यक्ति के लिए हमने यह काम किया है कि भारत सरकार के बंदी यदि किसी दूसरे स्थान पर हैं तो उन्हें भी हम यहां ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां से कोई व्यक्ति विदेश में व्यापार करने के लिए चले गए और उनसे अगर कोई छोटी सी गलती हो गई तो उन व्यक्तियों को पकड़ लिया। आप क्षमा करेंगे कि पाकिस्तान में भी आज बहुत सारे लोग हमारे भारतवर्ष के बंदी हैं, जिनके हाथ-पांव काट दिए जाते हैं। उन्हें सजा दी जाती है, अंग-भंग कर दिया जाता है। ऐसे कई मुल्क हैं, जहां हमारे बंदियों को रखा हुआ है और आज भी वे बंदी जब भारतवर्ष में अपने परिवार में आना चाहते हैं तो उन्हें वहां आने नहीं दिया जाता। पिछली बार अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक बंदी पाकिस्तान से छूट गया था तो उसके परिवार के लोगों ने उसका किस प्रकार से स्वागत किया। मैं समझता हूं कि यह वास्तव में अच्छा बिल है। भारतवर्ष में जो विदेशी बंदी रह रहा है हम उसे यहां से ट्रांसफर करें और हमारे भारतवर्ष के भी बंदी दूसरे देशों में रह रहे हैं, वहां की जेल में सजा भोग रहे हैं। आजीवन सजा भोग रहे हैं, उस बंदी को भारतवर्ष में लाया जाना नितान्त आवश्यक है। इससे वे अपने परिवार में रह सकेंगे, भारत भूमि में रह सकेंगे और सामाजिक जीवन को व्यतीत कर सकेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं कि ठीक प्रकार से वे बिल लाये हैं। इस बिल के पारित होने के बाद शीघ्र ही इसे क्रियान्वित करने का प्रयास करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बंदी संप्रत्यावर्तन विधेयक, 2002, जो यहां लाया गया है और बन्दियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के बारे में भी जो भारत के बंदी बाहर हों या बाहर के बंदी भारत में हों, उनकी किस प्रकार से मदद की जा सकती है, आपका इसके बारे में यह विधेयक है। लेकिन हमारा यह कहना है कि मुम्बई में गैंगवार बहुत चलती है और मुम्बई में और महाराष्ट्र में क्राइम करके बहुत से लोग बाहर जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, दुबई हो या मलेशिया हो। ये लोग बंदी नहीं हैं, लेकिन वहां की कंट्री के लोग उन्हें वहां का सिटीजन समझकर, व्यापारी समझकर उनके साथ बरताव करते हैं, जबकि इंडिया के रिकार्ड में यह होता है कि उन्होंने क्राइम किया है। इंडिया ने बहुत बार उस कंट्री के साथ बात भी की है, लेकिन दाऊद इब्राहिम हो या अबू सलेम हो, मंत्री महोदय से निवेदन इतना ही है कि आपको यू.एन.ओ. के साथ बात करनी चाहिए। यूनाइटिड नेशंस को एक कानून बनाने की आवश्यकता है कि अगर कोई किसी भी कंट्री में क्राइम करके दूसरी कंट्री में चला जाता है तो उस कंट्री को अगर मालम होता है कि यह क्रिमिनल है और क्राइम करके यहां आया है तो उस कंट्री को उस आदमी को उस देश के हवाले करने की आवश्यकता है। इस बारे में भी नया कानून लाने की आवश्यकता है। हम अपना कानून तो लाएंगे मगर इसके लिए यूनाइटिड नेशंस के साथ बात होनी चाहिए और अमेरिका के साथ बातचीत होनी चाहिए। शायद अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में क्राइम करके भी बहुत से लोग बाहर चले जाते हैं, इसलिए अमेरिका इसे सपोर्ट कर सकता है। इसलिए मेरा इसमें इतना निवेदन है कि आप इस तरह का कानून लाइये कि भारत में जो लोग क्राइम करके बाहर चले गये हैं, उनको भी यहां लाने का मौका मिले और इंडिया में क्राइम कम करने के लिए इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। इसमें मेरा इतना ही सुझाव है।

यह जो बिल आप लाये हैं, इसे हम सपोर्ट करते हैं। अगर इस तरह के कुछ बंदी पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के कुछ बंदी इंडिया में हैं, अगर वे छूट जाते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है और इंडिया के बंदी अगर पाकिस्तान में हैं और अगर वे यहां आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। मगर मुझे तब अच्छा लगेगा, जब भारत और पाकिस्तान एक साथ आ जाएंगे। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इसी तरह का एक और विधेयक आप लायें, इससे हमारे देश में क्राइम कम करने में मदद हो सकती है, इतना ही मेरा सुझाव है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के द्वारा लाये गए संप्रत्यावर्तन विधेयक, 2002 का पुरजोर समर्थन करता हूं।

जैसा सभी वक्ताओं ने कहा, मैं भी कहूंगा कि भारत हमेशा मानवतावादी दृष्टिकोण का समर्थक रहा है और विश्व

के अंदर जहां–जहां भी मानवाधिकारों की बात आई है, भारत हमेशा बढ़–चढ़ कर अपनी बात कहता रहा है। इस बिल के अन्दर भी उसी मानवतावादी दृष्टिकोण का जो मानवीय पक्ष को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है कि बन्दी अगर हमारे देश के अंदर दूसरे देश का हो और उसका दोषसिद्ध भी हो गया हो और अगर उनकी आवश्यकता उनके देश में भेजने की होगी, ताकि वे अपने परिवार के निकट भी रह सकें, उनका सामाजिक पुनर्वसन भी हो सके तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपने देश के अन्दर भेजा जाये और अपने यहां के लोग भी अगर दूसरे देश के अन्दर है और इस तरह की परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा हो तो भी सुधरने का अवसर प्राप्त हो, सामाजिक पुनर्वसन का अवसर प्राप्त हो और वे अपने देश में आकर वापस निकटवर्ती रिश्तेदारों से सम्पर्क वगैरह स्थापित कर सकें और उनके जीवन के अंदर सुधार आ सके और बाद में जेल से मुक्ति के बाद अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, इसका अवसर उन्हें अवश्य प्राप्त होना चाहिए, इस विधेयक के अंदर इन सारी बातों का प्रावधान है। पिछले दिनों 3–4 बातें देखने को मिलीं।

एक भारतीय सद्भावना शिष्ट मंडल पनामा गया था। जब हम माननीय स्पीकर साहब के नेतृत्व में वहां पहुंचे तब हमें पता लगा कि तीन–चार दिन पहले पंजाब के 12 लोगों को कोई वहां छोडकर चला गया कि तुमको यहां नौकरी मिल जायेगी, अच्छा रोजगार प्राप्त होगा। जो ठेकेदार या एजेंट उन्हे वहां ले गया था, वह उन्ही के हाल पर छोडकर चला गया। वे लोग वहां पर गिरफ्तार कर लिए गए। इसी तरह गुजरात के कुछ लोगों को बिना पारपत्र के अमेरिका में ले जाने के बजाए पनामा पहुंचा दिया गया। वहां उन लोगों को भी जेल में डाल दिया गया। उन लोगों का कोई कसूर नहीं था लेकिन बेरोजगारी के कारण या और किसी विशेष परिस्थिति के कारण वे लोग गलत लोगों के चंगुल में फंस कर वहां पहुंच गये। इस कारण उनको जेल में जाना पड़ा। यदि उस देश के साथ हमारी संधि है तो उन भारतीय बंदियों को हम अपने यहां ला सके और उनको सुधरने का अवसर प्रदान कर सकें, ऐसा हमार उद्देश्य है।

यहां अपराध करने वाले, जैसा अभी कहा गया कि मुम्बई मे बम विस्फोट के अंदर सैंकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारने वाले लोग गल्फ कंट्रीज में शरण लिए हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर शरण लिए हुए हैं, चाहे वह दाऊद इब्राहिम हो या अबू सलेम हो, जिनका नाम अभी लिया गया है। यदि आपस में प्रत्यावर्तन संधि हो तो उन अपराधियों को हिन्दुस्तान में लाकर उनके ऊपर कुछ ट्रॉयल वगैरह किए जा सकते हैं या उनको सजा वगैरह दी जा सकती है। उनसे और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी मोनिका बेदी के प्रत्यावर्तन की बात चली। इसी प्रकार एक और समस्या थी कि यहां के कुछ लोग डाक्टरी सीखने के लिए रशिया गये। बाद में वे अपने साथ मेडिकल प्रोफेशन के कुछ मित्रों को भी ले गये। उनका वहां आपस में कुछ झगडा हो गया जिस कारण उन भारतीय मेडिकल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को और उनके मित्रों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया। रूस हमारा मित्र देश है लेकिन हमारे लोग वहां की जेलों में बंद हैं।

मैं इस संबंध में सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारे दूतावास जहां–जहां भी हैं, वहां वे जागरूक रहें कि यदि कहीं निर्दोष भारतियों को छोटे–मोटे अपराध के कारण बंदी बनाया गया है तो वे उन्हें विधिक सहायता प्रदान करें और उन्हें अपने देश में प्रत्यावर्तित करके लाया जा सके ताकि उनको आगे जाकर छिपने का मौका प्राप्त हो या उनको जेल भी काटनी हो तो वे अपने लोगों के सम्पर्क में काटें तथा उनको वातावरण भी बदला हुआ मिल सके।

अभी समाचार–पत्र में एक बात आई थी कि 14 वर्ष का बालक भारत पाकिस्तान की सीमा पर था। वह पाकिस्तान का बालक था। जो केसरीसिंहपुर गंगा नगर के पास हिन्दुस्तान की सीमा के अंदर आ गया और पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। अभी वह जेल में बंद है। उसे अभी तक छोड़ा नहीं गया है। ऐसे मानवतावादी पहलू जहां भी जाते हैं, वहां इस प्रकार के कानून बहुत ही सहायक होते हैं। मैं समझता हूं कि भारत के द्विपक्षीय संधियों के आधार पर जिन–जिन देशों के साथ प्रत्यावर्तन की संधि कर रखी है, उन देशों के साथ या अन्य देशों के साथ हमारी वार्ता चल रही है, निश्चित रूप से हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अपने यहां अपराध करने वाले लोग जो दूसरे देशों में हैं, उनको अपने यहां लाने और अपने भारतीय लोग जो दूसरे देशों में बंद हैं, उनको यहां लाने या विदेशी लोग जो अपने यहां बंदी हैं, उनको वहां भेजने में समर्थ हो सकें क्योंकि हमारे यहां भारतीय दंड संहिता, 1973 या इससे संबंधित जो भी कानून बने हुए हैं, उनमें इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं था कि हम विदेशी अपराधियों को यहां से दूसरे देशों मे भेज सकें।

(प्रो. रासा सिंह रावत)

मछुआरों की बहुत दयनीय स्थिति है। वे मछली पकड़ते हुए बहुत आगे निकलकर विदेशी सीमा क्षेत्र में चले जाते हैं। पाकिस्तान या श्रीलंका उनको अपने यहां ले जाकर बंदी बना लेते हैं जहां वे बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं। इस कानून के बन जाने से उन लोगों को अपने यहां और उनके लोगों को वहां बदलने में आसानी होगी या उन पर जो ट्रायल वगैरह चल रहे हैं, वे ट्रायल यहां चलाने में काफी सहायता मिलेगी।

मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा – एक यह है कि जैसा सरकार ने लीगल ऐड कमेटी बनाई है, इसके अतिरिक्त, ऐसे बंदियों को जिनका कोई सहारा नहीं होगा, जिनको कोई सुनने वाला नहीं है और जो जेलों में बंद हों, उनकी सहायता के लिए विधिक सहायता प्रकोष्ठ हमारे दूतावासों के अंदर कोई लीगल एडवाइजर होना चाहिए ताकि वस्तुस्थिति की जानकारी दे सके और अपने देश के लोगों को या यहां जो दूसरे देशों के लोग जेलों में बंद हों, उन्हें विधिक सहायता प्रदान करके अपने देश में भेजने की व्यवस्था करने में सहूलियत हो सके।

हमारे मित्रों ने मौनीटरिंग की बात कही है। उसका भी मैं समर्थन करना चाहूंगा कि साधारण अपराध करने वाले लोग जेलों में बंद हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए, मौनीटरिंग होनी चाहिए ताकि वे जेलों में सड़ते न रहें, बीमारियों के शिकार न रहें और अपने घरवालों से वंचित न रहें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रासा सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : पिछले दिनों अखबारों में आया था कि भारत ने तो पाकिस्तान के युद्धबंदियों को छोड़ दिया लेकिन 1971 की लड़ाई और उसके पहले की लड़ाई के बहुत से युद्धबंदी अज्ञात थे, खो गए थे या कहीं चले गए थे, जिनके बारे में पता नहीं था कि वे वीरगति को प्राप्त हुए हैं या नहीं, ऐसे लोग भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके उनको छुड़ाने के प्रयास होने चाहिए। सरकार वस्तुस्थिति की जानकारी प्रस्तुत करे कि पाकिस्तान की जेलों में भारत के कितने युद्धबंदी हैं। उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए।

जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, यह बिल मानवीय पक्ष को उजागर करने वाला, सामाजिक पुनर्वसन को प्रोत्साहन देने वाला, कैदियों को अपने निकटवर्ती रिश्तेदारों के सम्पर्क में लाने वाला और एक देश से दूसरे देश के बीच में मानवीय पक्ष को सुदृढ़ करने वाला है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं एक अति महत्वपूर्ण लेकिन अति साधारण, अति अहानिकर, अति समर्थ और मानवतावादी विधि पर इस वाद–विवाद में भाग ले चुके सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। यह विधि इस वक्त विदेशी जेलों में सजा काट रहे तथा भारतीय जेलों में बंद किंतु अपने देश जाने के इच्छुक अनेक व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करेगी।

11 संसद सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिए हैं। विशेष रूप से मैं श्री पांडियन का आभारी हूं जिन्होंने हमें उन अनेक बातों की जानकारी दी है जो इस विधि की परिधि में नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

माननीय सदस्य अनादि साहू ने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया है, उन्होंने पूरी विधि का अध्ययन किया है तथा प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन के बीच का अंतर बताया है और वे सभी शर्तें भी बताई हैं जिन्हें पूरा किया जाना होगा।

इसलिए, मैं अपने आप को सिर्फ कुछ आशंकाओं और धारणाओं को हटाने तक सीमित रखूंगा जो सहयोगी माननीय सदस्यों के मन में हो सकती हैं। श्री सुदर्शन नाच्चीयपन जिन्होंने वाद–विवाद आरंभ किया था, इसे श्री राधाकृष्णन और श्री रमेश चेन्नितला द्वारा भी दोहराया गया है – कि विदेशी जेलों में अनेक कैदी हैं। वे वहां पर विधि की कोई जानकारी किए बिना गए हैं, अथवा अनजाने से वहां विशेष रूप से अरब देशों में गए हैं। उन व्यक्तियों में से अधिकतर मलयाली हैं और यह बताया जा चुका है।

मैं इस विषय पर यह कह सकता हूं कि यह कानून मुख्यतः उन व्यक्तियों की मदद करने के लिए लाया गया है जो विदेशी जेलों में सजा काट रहे हैं ताकि विभिन्न देशों के साथ की गई संधियों के आधार पर, यह कार्य किया जा सके। निःसंदेह सऊदी अरब और अन्य देशों के साथ, उन्होंने कुछ बताया, लेकिन वर्तमान में हमने उनके देशों के साथ कोई संधि

नहीं की है। वर्तमान में हमारी केवल तीन देशों के साथ संधियां हैं। परन्तु इस कानून से भारत सरकार को अनेक अन्य देशों के साथ संधियां करने में मदद मिलेगी।

पहले, कठिनाई यह थी कि जब तक एक शक्ति प्रदान करने वाला कानून बने जिसके द्वारा उन संधियों पर कार्यवाही कर सकें अथवा उन्हें लागू कर सकें तब तक यह संभव नहीं था। अभी तक केवल ब्रिटेन, कनाडा तथा नोर्वे के साथ संधियां हैं। उन संधियों को भी लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि कोई शक्ति प्रदान करने वाला कानून नहीं था।

यदि यह कानून इस सम्मानित सभा द्वारा और राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है और तत्पश्चात् इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान कर दी जाती है तो इससे हम अन्य देशों के साथ भी संधियां कर सकेंगे।

कुछ सदस्य विशेषकर बिहार के सदस्य इस बात को मानते हैं कि यदि अन्य देश उन अनेक अपराधियों, जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं, को स्वदेश भेजना चाहते हैं तो उन्हें छोड़ा जा सकता है क्योंकि उनके कानून उन्हें बचकर निकलने की अनुमति दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। यह कानून केवल सिद्धदोषियों, उन सभी व्यक्तियों जिन पर किसी जघन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुका है, पर लागू होता है विचाराधीन व्यक्तियों पर नहीं। यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जिन पर कतिपय अपराधों जो कि राष्ट्र–विरोधी राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्प्रभुता के लिए नफरत पैदा करता है, के लिए दोष सिद्ध हो चुका है। यह सब करार अथवा सिद्धदोषी, सरकार अथवा उस सिद्धदोषी व्यक्ति की ओर से किसी अधिकृत व्यक्ति के अनुरोध पर केन्द्र सरकार की सहमति से पहले की प्रारंभिक शर्तें हैं। इसलिए, सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिलेगी कि क्या यह देश के हित में है और इस देश की सुरक्षा के हित में है कि हम किसी विशेष कैदी को स्वदेश वापस भेजने पर सहमत हों। देश–प्रत्यावर्तन केवल भारत सरकार के संतुष्ट होने पर किए जा सकते हैं और इस विधेयक के प्रावधानों की शरण ली जा सकती है।

अन्य बात जिसका विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया था वह कुछ ऐसे कैदियों से संबंधित थी जो भगौड़े हो गए। इस कानून में भगौड़ों पर विचार नहीं किया गया है। यदि उस देश के साथ संधि है और यह प्रत्यवार्तन कानून सांविधिक किताब में आ जाता है तो हम निश्चित ही इसकी मदद ले सकते हैं। अब भी भारत सरकार ने उन भगौड़ों जो इस देश से बाहर भाग गए और जिन्हे हम न्याय देना चाहते हैं, को वापस लाने के लिए अपनी गति–विधियों अथवा अपने प्रयासों को कम नही किया है। जो भगौड़े भाग गए हैं उन सभी को शामिल करना इस कानून के दायरे में नहीं है। यह मुख्यतः केवल उन सिद्धदोषियों के लिए बना है जो या तो अपनी इच्छा से वापस जाना चाहते हैं अथवा उनकी तरफ से कोई इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी शर्तें पहले से विद्यमान है और नियम ध्यान चीजों का धन रखेंगे जिनका श्री चेन्नितला ने उल्लेख किया है।

जहां तक खर्चों का संबंध है तो जब नियम बनाये जाते हैं, यह देखा जा सकता है कि क्या एक व्यक्ति को खर्चा उठाना चाहिए अथवा प्राप्तकर्ता देश अथवा राज्य, जिसने आवेदन स्वीकार किया है, को खर्चा उठाना चाहिए। जब नियम बनाए जाएंगे तब उन सब चीजों पर ध्यान दिया जायेगा।

एक अथवा दो सदस्यों द्वारा एक और मिथ्या धारणा सभा के समक्ष रखी गई या और मैं समझता हूं कि श्री पांडियन ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि दोषसिद्धि अथवा सजा को पैसे से खरीदा जा सकता है। कुछ देशों में कुछ चीजें हैं। हम वैसा ही क्यों नहीं कर सकते? यह हमारे देश का विवेक है कि यदि अन्य देशों के नियम अपनाने लायक हैं, यदि वे नियम वास्तव में उसी तरह के हैं तभी भारत सरकार किसी कैदी को स्वदेश वापस भेजने की अपनी सहमति देती है। जहां तक क्षमा, लघूकरण, दया अथवा दया–याचिका का संबंध है तो राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल और न्यायालय की समीक्षा की शक्तियों की पहले ही सुरक्षा दी गई है। जहां कहीं भी कोई दयाशीलता दिखानी पड़ती है वहां यह सभी शक्तियां इस देश की न्यायिक प्राधिकारी देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के पास रहेंगी। कोई अन्य देश, जहां कैदी को स्थानांतरित किया गया है, वह दया दिखा सकता, उसे जाने नहीं दे सकता और सजा खरीद सकता है। यह संभव नहीं है क्योंकि कानून में पहले ही प्रावधान कर दिए गए हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं क्योंकि राजनीतिक मतभेदों को छोड़कर वे सभी सहमत हो गए कि यह ऐसा कानून है जिसकी अति आवश्यकता है। यह उन सभी भारतीय नागरिकों की मदद करेगा जो विदेशी जेलो में सड

(श्री ईश्वर दयाल स्वामी)

रहे हैं अथवा विदेशी नागरिक जो हमारी जेलों में सड़ रहे हैं। उन सभी लोगों को वापस जाना चाहिए क्योंकि वह उन्हें अपने लोगों तथा परिवारों के समीप जाने में ही नहीं बल्कि उनके पुनर्वास में भी मदद करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक अपील करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि कतिपय बंदियों का भारत से, भारत के बाहर किसी देश या स्थान को स्थानांतरण और भारत से बाहर किसी देश या स्थान से भारत में कतिपय बंदियों को ग्रहण करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड–वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 16 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड-1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 2

"2002" *के स्थान पर* 2003 *प्रतिस्थापित किया जाए।* (2)

(श्री ईश्वर दयाल स्वामी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1–

'तिरपन' *के स्थान पर* 'चौवनवें' *प्रतिस्थापित किया जाए।* (1)

(श्री ईश्वर दयाल स्वामी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.04 बजे

संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक-विचाराधीन

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत के संविधान का असम राज्य को, उसके लागू होने में, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

वस्तुतः, बोडो समझौते पर, कुछ समय पूर्व वर्ष 1993 में सचिवालय के दायरे में बोडो लोगों को अधिकतम स्वायत्तता देने के उद्देश्य से ऑल स्टूडेंट्स यूनियन और बोडो पीपुल एक्शन कमेटी के साथ, हस्ताक्षर किए गए थे। परन्तु इस समझौते से बनने वाली बोडो स्वायत्त परिषद समुचित आकार नहीं ले सका क्योंकि न तो कोई चुनाव कराया गया और न ही शक्तियों का कोई हस्तांतरण किया गया। अंततः, यह बेकार

हो गया है। इससे लोगों की आकांक्षाएं भी पूरी नहीं हुई। इससे समझौते का अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

समझौते ज्ञापन पर, जोकि एक त्रिपक्षीय समझौता था, 10.2.2003 को बोडो मुद्दों के स्थायी समाधान करने हेतु असम सरकार, केन्द्र सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के अनुसरण के साथ–साथ बोडो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत असम राज्य मे बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र जिला नामक एक स्वायत्त जिला बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र जिला के प्रशासन हेतु बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् के रूप में ज्ञात एक स्व–शासकीय निकाय गठित की जानी है जिसमें गैर जन–जातीय लोगों को समुचित संरक्षण देने हेतु हमारे पास विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां होगी क्योंकि पूर्व की व्यवस्था से इस विशिष्ट विषय के संबंध मे कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बी टी सी क्षेत्र के असम के कतिपय गैर–जनजातीय लोगों की चिंताओं में से यह भी एक चिंता है। और वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें बी टी सी के लागू होने पर उनके पूर्व से विद्यमान अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ–साथ उनके द्वारा भोगे जा रहे भू–अधिकारों के संबंध में उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। असम सरकार बोडोलैंड स्वायत्त परिषद अधिनियम, 1993 का पहले ही निरसन कर चुकी है – पूर्व में यह व्यवस्था असम सरकार विधायी अधिनियम के अंतर्गत थी – और अंतरिम कार्यप्रणाली परिषद को भी भंग कर चुकी है, जैसा कि मैंने कहा है – कि वह कुछ नहीं कर पाई। अब, यह नया विधेयक, संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2003, जोकि मैंने विचार करने एवं पारित करने हेतु पेश किया है – पर विचार किया जाए और उसे पारित किया जाए ताकि छठी अनुसूची में और संशोधन किया जा सके। ...*(व्यवधान)*

श्री अब्दुल हमीद (धूबरी) : महोदय, लगभग एक लाख आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। इस विधेयक को पारित करने से पहले उनके भविष्य को स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्हें उनके गृहस्थान में जाना चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है। वर्ष 1996 से काफी लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। यह राज्य सरकार का दायित्व होगा। एक लाख से अधिक लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। गृह मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस विधेयक के पारित होने से पहले उनका भविष्य क्या होगा। यह गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल ने इस विधेयक पर बोलने के लिए श्री माधव राजवंशी का नाम दिया है। मैंने उनका नाम पुकारा है। आप सभा में ऐसा आचरण नहीं कर सकते हैं।

श्री अब्दुल हमीद : महोदय, इस मामले पर गौर किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, वाद–विवाद पर जवाब देने के दौरान, आप इस मुद्दे पर कृपा करके ध्यान दें।

श्री हमीद जी, माननीय मंत्री वाद–विवाद का जवाब देने के दौरान इस मुद्दे पर ध्यान देंगे।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दूंगा कि क्षेत्रीय उपद्रवों में प्रभावित लोगों के लिए विशेष पुनर्वास कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : महोदय, मैंने बोलने का नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस विधेयक का संशोधन प्रस्तुत किया है। आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि भारत के संविधान का असम राज्य को उसके लागू होने में, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री माधव राजवंशी (मंगलदोई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी और असम सरकार की ओर से भी विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, इसके साथ ही मैं आपका ध्यान उस पैरा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां यह व्यक्त किया गया है कि, 'परन्तु यह कि इस उप–पैरा की कोई बात इस अनुसूची के पैरा (2) के उप–पैरा (ग) के उपबन्ध के अधीन गठित बोडोलैंड प्रोदेशिक परिषद् क्षेत्र जिला को लागू नहीं होगी।

महोदय, छठी अनुसूची में क्षेत्रीय परिषद् का प्राक्धान है।

(श्री माधव राजवंशी)

परन्तु इस विधेयक में क्षेत्रीय परिषद् का कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रस्तावित बी टी सी क्षेत्र के असम राज्य में रह रहे अनुसूचित जनजाति के रूप में अमान्य गैर–जनजातीय लोगों के प्रति घोर अन्याय है।

आदिवासी लोग, जो बिहार, उड़ीसा और अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजाति है वे, असम में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य नही हैं। वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजातियो की सूची मे सम्मिलित किया जाना चाहिए। 25 जुलाई को पुलिस की गोलीबारी में आठ लोग मारे गए। जब वे अनुसूचित जनजाति की सूची में अपने को सम्मिलित किए जाने की मांग कर रहे थे, तब पुलिस ने उन पर गोली चलाई और आठ लोग मारे गए। वे यह शिकायत कर रहे हैं कि कुछ पुलिस कार्मिकों ने उन पर बिना आदेश के गोली चलाई।

राज्य सरकार की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित बी टी सी क्षेत्र में 28 प्रतिशत लोग जनजाति हैं जबकि 72 प्रतिशत लोग गैर–जनजाति हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : वह जो बता रहे हैं, सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप बोलें तो आप इस बात का खंडन कर सकते हैं।

श्री माधव राजवंशी : इन 72 प्रतिशत लोगों में से अधिकतर लोग कोच राजवंशी, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं।

आप असम के कोच राजवंशी लोगों के बारे में जानते हैं। वे यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें वर्ष 1967 से अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। वर्ष 1996 में उन्हें अध्यादेश के प्रख्यापन के द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया गया था और इसके बाद विधेयक लाया गया था। केन्द्र सरकार ने सभा में विधेयक को पुरःस्थापित किया था जिसे संसदीय प्रवर समिति को भेजा गया था। उक्त समिति ने असम राज्य के दौरे के बाद, 14 अगस्त, 1947 को यह अनुशंसा की थी कि कोच राजवंशी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाए। उसके पश्चात्, असम सरकार, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ असम, भारत के महापंजीयक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और जन–जातीय मामलों संबंधी मंत्रालय की स्थायी समिति ने इस आशय की सिफारिशें की हैं।

18 दिसम्बर, 2002 को इसी सभा में जनजातीय मामलों के माननीय मंत्री श्री जुएल उराम ने अनुसूचित जनजाति संबंधी व्यापक विधेयक पर वाद–विवाद का जवाब देते हुए यह घोषणा की थी कि केवल एक समुदाय, जोकि कोच राजवंशी है, जिसने सभी शर्तों को पूरा किया है, को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाएगा। इसकी सिफारिश आठ दिन पूर्व जनजातीय कार्य संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई थी और यह कहा गया था कि मंत्रिमंडल में निर्णय लिया जाएगा कि इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाएगा। परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। यह इस समुदाय के प्रति अन्याय है। गत सप्ताह, उन्होंने राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न का जवाब दिया है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी कोच राजवंशी और आदिवासी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उसी मंत्री श्री जुएल उराम, जिन्होंने सभा में यह कहा था कि कोच राजवंशी ने सभी शर्तों को पूरा किया है और उनकी अनुशंसा भारत के महापंजीयक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति, असम सरकार, ट्राइबल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ असम और जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थायी समिति द्वारा की गई है और यह कि वह उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करेंगे और अब उन्होंने राज्य सभा में यह जवाब दिया है कि कोच राजवंशी ने अनुसूचित जनजाति के रूप में सम्मिलित किए जाने हेतु अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं किया है।

क्या आपको पता है कि मंत्री महोदय द्वारा यह घोषणा किए जाने के पश्चात् असम में क्या स्थिति है? असम में आदिवासियों को कोच राजबोंगशियों द्वारा अस्सी घंटे के बंद का आह्वान किया गया है। आज असम में एक गम्भीर आक्रोश की स्थिति पैदा हो गयी है।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : मैं माननीय सदस्य से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग क्यों नहीं करते हैं?

श्री बिक्रम केशरी देव : नहीं, महोदय। चूंकि माननीय सदस्य उस राज्य के हैं; अतएव मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या असम सरकार अथवा जनजातीय कार्य संबंधी आयोग ने यह सिफारिश की है कि इस विशेष जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। यदि हां, तो इसे कब भेजा गया?

श्री माधव राजवंशी : असम सरकार ने कोच राजबोंग्शि को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश ही नहीं की है बल्कि इसे अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल भी कर लिया गया है। असम से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के रूप में एक विधायक को निर्वाचित किया गया है। अब असम में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। वर्तमान में कोच राजबोंगशी न तो अनुसूचित जाति, न अन्य पिछड़ा वर्ग और न ही सामान्य जाति के अंतर्गत आते हैं। असम सरकार द्वारा इसकी सिफारिश मात्र एक बार नहीं बल्कि तीन बार की गयी है। ...*(व्यवधान)* मैं माननीय राज्य मंत्री से इस समस्या का समाधान करने का अनुरोध करता हूं। यदि आप प्रस्तावित बी.टी.सी. क्षेत्र में कोच राजबोंगशी और आदिवासीयों की समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो उन क्षेत्रों में कभी भी शांति नहीं होगी। मैं आपसे यह बात गम्भीरतापूर्वक कह रहा हूं। यदि आप कोच राजबोंगशी और आदिवासियो को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं करते हैं तो प्रस्तावित बी.टी.सी. क्षेत्रों में शांति कभी भी स्थापित नहीं हो पायेगी।

मैं आपका ध्यान धारा 2 की उपधारा (2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें उल्लिखित है कि:

"पैरा 2 में, उप–पैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् क्षेत्र जिला छियालिस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेंगी जिनमें से चालीस सदस्यों को व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाएगा, जिनमें से तीस अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे।"

28 प्रतिशत के लिए 30 सीटें दी जाएंगी तथा गैर जनजातीय लोगों के लिए पांच सीटें होंगी। 72 प्रतिशत के लिए मात्र पांच सीटें दी गयी हैं। अन्य समुदायों के लिए पांच सीटें दी गयी हैं तथा शेष सीटों के लिए सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे जिनके पास मत देने के अधिकार सहित वे सारे अधिकार व सुविधाएं होंगी जो अन्य सदस्यों के पास होंगी। जनजातियों के लिए सिर्फ 28 प्रतिशत सीटें हैं और गैर–जनजातीय लोगों के लिए 7-2 प्रतिशत सीटें हैं। आपने जनजातियों के लिए 30 सीटें और गैर–जनजातीय लोगों के लिए 5 सीटें दी हैं। समस्या का समाधान कैसे होगा? हम, कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा इसका स्वागत करते हैं। बोडो समस्याओं से संबंधित समझौता ज्ञापन को असम में सुलझाया जाएगा। परन्तु हम इस प्रकार से सीटों को दिए जाने की समस्या को कैसे सुलझाएंगे?

गैर जनजातीय लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि आपने उनको मात्र पांच सीटें तथा जनजातियों के लिए 28 प्रतिशत सीटें दी हैं। अन्य स्वायत्त परिषदों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप कार्बी अंगलोंग जिला, नार्थ कचर हिल्स अथवा मिजोरम को लें, वहां सीटों के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। सिर्फ असम नार्थ–ईस्ट काउंसिल में, आपने यह प्रावधान रखा है कि अनुसूचित जनजातियों को 30 सीटें, गैर–जनजातीय लोगों को पांच सीटें दी जाएंगी और अन्य लोगों में से छः सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। यह हमारे प्रति न्याय नहीं है। कृपया इस पहलू पर ध्यान दें।

अब मैं मुख्य मुद्दे का उल्लेख करता हूं। संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक कुछ समय के बाद पारित किया जाएगा। परन्तु प्रस्तावित बी.टी.सी. क्षेत्र में गैर–जनजातीय लोगों के अधिकार और सुविधाएं क्या होंगी? किसी व्यक्ति को कोई सुरक्षा नहीं है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री अब्दुल हमीद पहले ही बोल चुके हैं। आज तक, एक लाख से अधिक आदिवासी और 50,000 धार्मिक अल्पसंख्यक राहत शिविरों में रह रहे हैं। जब तक बी.टी.सी. का गठन नहीं हो जाता तब तक वे अपने घरों को नहीं लौट सकते, वे अपनी जमीन पर नहीं जा सकते। आप इस मुद्दे पर माननीय सदस्य श्री बैसीमुथियारी से पूछ सकते हैं। ...*(व्यवधान)* अब, प्रस्तावित बी.टी.सी. क्षेत्र में सेना तैनात की गयी है। कृपया उनसे पूछिए कि क्या वह बिना सेना के प्रस्तावित बी.टी.सी. क्षेत्र में जा सकते हैं।

क्या वह सेना को साथ लिए बिना बी.टी.सी. क्षेत्र में जा सकते हैं और जिन्दा वापस लौट सकते हैं? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकते। वह सेना को साथ लिए बगैर प्रस्तावित बी.टी.सी. क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। एक लाख से अधिक आदिवासी वहां रहते हैं। वे बिहार और उड़ीसा के लोग हैं। वे श्री जुएल उराम और श्री परसुराम माझी के लोग हैं। वे अपने घर तथा अपनी भूमि पर नहीं जा सकते। आप गैर–जनजातीय लोगों के अधिकारों व सुविधाओं को किस प्रकार से सुनिश्चित करने जा रहे हैं? मैं आपसे हमें यह बताने का अनुरोध करता हूं कि प्रस्तावित बी.टी.सी. क्षेत्र में गैर–जनजातीय लोगों को किस प्रकार के अधिकार व सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आपको

(श्री माधव राजवंशी)

गैर–जनजातीय लोगों के अधिकार व सुविधाएं सुनिश्चित करनी है। गैर–जनजातीय लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषायी अल्पसंख्यक वहां काफी संख्या में रह रहे हैं। वहां नेपाली रह रहे हैं। आदिवासी और कोच राजबोंगशी रह रहे हैं। मैंने ऐसी स्थिति नहीं देखी है कि जहां 28 प्रतिशत लोग 72 प्रतिशत लोगों पर शासन करते हों। आपने यह विधेयक 72 प्रतिशत लोगों पर 28 प्रतिशत लोगों को शासन करने देने के लिए लगाया है। आप असम में विद्यमान स्थिति से अवगत हैं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम साठ प्रतिशत सीट गैर–जनजातीय लोगों को तथा चालीस प्रतिशत सीटें जनजातीय लोगों को दी जाएं ताकि प्रस्तावित बी.टी.सी. क्षेत्र में शांति और सौहार्द कायम किया जा सके। अन्यथा, मैं आपसे बार–बार कह रहा हूं कि वहां शांति और सौहार्द कायम नहीं रह पाएगा। ऐसा कभी संभव नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र पर शासन नहीं कर सकता। आदिवासियों और कोच राजबोंगशी लोगों को संतुष्ट किए बगैर, न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार इस प्रस्तावित बी.टी.सी. क्षेत्र पर शासन कर सकती है। आपको गैर–जनजातीय लोगों के अधिकारों व सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। भूमि संबंधी हमारे अधिकार क्या होंगे? हमारे राजनीतिक अधिकार क्या होंगे? हमारे सामाजिक अधिकार क्या होंगे? हमारे भाषा संबंधी अधिकार और शैक्षणिक अधिकार क्या होंगे तथा हमारे रोजगार संबंधी अधिकार क्या होंगे। आपको इसे सुनिश्चित करना है तथा सभा को इससे अवगत कराना है। हमें इस विधेयक को पारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने हमेशा ही असम के इस प्रस्तावित क्षेत्र में शांति चाही है। परन्तु गैर–जनजातीय लोगों के अधिकारों और सुविधाओं को सुनिश्चत किए बगैर, आपको इस विधेयक तथा इस स्वायत्त परिषद् को गैर–जनजातीय लोगों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। कृपया हमारे भूमि संबंधी अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक अधिकारों, रोजगार संबंधी अधिकारों और शैक्षणिक अधिकारों को सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् कोई समस्या नहीं होगी। अन्यथा, कोई भी इस क्षेत्र में शासन करने में सफल नहीं होगा। न तो बी.एल.टी. न श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी और न ही कोई अन्य इस क्षेत्र पर शासन में समर्थ होगा। कोई भी असम में गैर–जनजातीय लोगों की समस्याओं का समाधान प्राप्त किए बगैर तथा कोच राजबोंगशी और आदिवासियों को संतुष्ट किए बगैर इस क्षेत्र में शासन नहीं कर सकता है। मैं केन्द्र सरकार से बार–बार यह अनुरोध करता हूं कि वह हमारे अधिकारों और सुविधाओं को सुनिश्चित करे। मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बीस मिनट समय ले चुके हैं।

श्री माधव राजवंशी : महोदय, मैं उस क्षेत्र से हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसी वजह से आपके भाषण में बाधा नहीं डाली।

श्री माधव राजवंशी : मैंने बी.टी.सी. क्षेत्र के कोच राजबोंगशी की समस्याओं के बारे में इस सभा में अनेक बार बोला है। मैं डॉ. जयंत रंगपी का समर्थन करूंगा परन्तु वह मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि वह कोच राजबोंगशी की मांगों का समर्थन करेंगे। श्री राजेन गोहेन यहां उपस्थित है। वह असम की राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं। आज वह मेरा समर्थन करेंगे।

वह कष्ट उठा रहे हैं। उनके लोग कष्ट उठा रहे हैं। कोच राजबोंगशी की समस्या को असम की भाजपा, असम की कांग्रेस पार्टी, ऑल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ असम तथा असम की अगप का समर्थन प्राप्त है परन्तु केन्द्र सरकार इसका समर्थन नहीं कर रही है ...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार श्री जुएल उराम के माध्यम से हमें हमेशा दिग्भ्रमित करती रही है। एक दिन वह कहेंगे कि कोच राजबोंगशी समुदाय ने अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने हेतु सभी शर्तें पूरी कर ली हैं, परन्तु राज्य सभा में, वह श्री द्रुपद बोर्गोहेन और डॉ. अरुण शर्मा को संतुष्ट करने के लिए यह बोलेंगे कि किसी कोच राजबोंगशी और आदिवासी लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके क्या कारण हैं? इस संबंध में, मैं सभी राजनीतिक दलों और सभी वर्गों के लोगों का समर्थन कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से कोच राजबोंगशी और आदिवासी लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का अनुरोध करूंगा। मैं लोगों के सभी तबकों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, बी.एल.टी. तथा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों से प्रस्तावित बी.टी.सी. क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने का आग्रह करूंगा ताकि सभी समुदाय के लोग प्रस्तावित क्षेत्र में बिना किसी भय के, बिना किसी हस्तक्षेप के इकट्ठे रह सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं ...*(व्यवधान)*

हम सभी बातों को निराशावादी ढंग से आरंभ न करें। हमें सभी बातों में आशावादी होना चाहिए। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए, मैं अंग्रेजी कहावत को उद्घृत करना चाहता हूं:

"टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नम्बर्स

लाइफ इज बट एन एम्पटी ड्रीम।"

हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवन एक स्वप्न है। हमें सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम किसी गंभीर समस्या का समाधान कैसे करेंगे, न केवल बोडो क्षेत्रों की गंभीर समस्या का वरन् पूर्वोत्तर की गंभीर समस्या का। इस मामले के लिए इससे पहले कि मैं विधेयक की चर्चा करूं, मैं श्री हितैश्वर सैकिया और श्री पायलट को अवश्य बधाई दूंगा जिन्होंने बोडो समझौते द्वारा एक शुरूआत की थी। बोडो समझौते में यद्यपि कई त्रुटियों, कतिपय अन्य अंतर्निहित समस्याओं के कारण इसके मार्ग में कई बाधाएं आयी लेकिन यह व्यर्थ नहीं गया है। उन क्षेत्रों के रहने वाले लोग आपसी समझ पैदा न कर सके; वहां चुनाव न कराये जा सके और उचित प्रतिनिधित्व भी वहां न हो सका। मैं यह नहीं कहता कि उन्होने उत्साहपूर्वक ढग से शुरूआत नहीं की थी। उन्होंने ईमानदारी से कार्य आरंभ किया था। लेकिन उस क्षेत्र मे रहने वाले लोगों की समस्या चाहे वे जनजातीय लोग रहे हो चाहे वे गैर–जनजातीय लोग रहे हो उन्हें भली–भांति नहीं समझा गया था जैसा कि अभी–अभी मेरे मित्र बता रहे थे। उनकी आशंकाएं वास्तविक आशंकाएं है। जब भी आशंकाए पनपती हैं तो उनका निराकरण शनैः–शनैः ही होता है। हमें, लोगों के विभिन्न समूहों – जातिगत समूहों, धार्मिक समूहों और भाषायी समूहों की बात को ध्यानपूर्वक सुनकर इन समस्याओं का समाधान समय रहते करना है। भाषायी समूहों की समस्या है। गैर–जनजातीय लोगों की समस्या है। जनजातीय लोगों की समस्याएं हैं। बोडो समस्या कैसे उभरी? इसका कारण भूमि का स्वामित्व परिवर्तन, विभिन्न स्थानों के लोगों की बाढ़ और उस विशेष क्षेत्र में उनकी जाति की बहुसंख्या को चुनौती है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा इसीलिए, वर्ष 1986 से, हमारे सामने बहुत–सी कानून और व्यवस्था की समस्याएं आयीं। वे इस दृष्टि से कि राष्ट्रीय बोडोलैंड लोकतांत्रिक मोर्चे ने समस्याएं उत्पन्न करना आरंभ कर दिया। वे भारत से अलग होना चाहते थे। तत्पश्चात्, वर्ष 1993 में, बोडो लिबरेशन टाइगर्स का गठन किया गया। वे भारत से अलग नहीं होना चाहते थे बल्कि वे भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहते थे। दोनों में यही अंतर था। काफी खूनखराबा हुआ। काफी कटु बातें कही गईं और इस मामले के लिए क्रूरतम हिंसा हुई।

अब, फरवरी, 2003 में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। मैं असम गया था। मैं वहां दो वर्ष कार्य कर चुका हूं। मैं यह देख चुका हूं कि वहा लोग कितने अच्छे हैं। हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि हम कैसे गत पचास, साठ वर्षों से समस्याग्रस्त असम को समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढ सकें। फरवरी, 2003 में हस्ताक्षर किया गया समझौता ज्ञापन मील का पत्थर है। इसके लिए श्री एल.के. आडवाणी, माननीय उपप्रधानमंत्री को बधाई दी जानी चाहिए अथवा इसके लिए असम के मुख्यमंत्री को भी बधाई दी जानी चाहिए क्योंकि दोनों ने, चुने गए प्रतिनिधियों ने, जो इस देश का भला सोचने वाले लोग हैं, ने एक समझौता किया आदि इस प्रकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। आपको कुछ त्रुटियां यहां–वहां मिल सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनादि साहू, आप सोमवार को अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अब हम मद संख्या 12 लेते हैं अर्थात् श्री रामदास आठवले द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, आदि की नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे।

अपराह्न 3.32 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदि के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन - वापस लिया गया**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले द्वारा प्रस्तुत

(उपाध्यक्ष महोदय)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित संकल्प पर आगे की चर्चा फिर से आरंभ की जाए। मैं इस बात का उल्लेख कर दूं कि इस संकल्प पर 2 घंटे 53 मिनट तक चर्चा हुई है। इस संकल्प पर चर्चा के लिए आबंटित समय पहले ही समाप्त हो चुका है। अब संबंधित मंत्री को, जो बोल रहे थे, हस्तक्षेप करना है। इसके पश्चात् संकल्प प्रस्तुतकर्ता को जवाब का अधिकार है। सभा इस बात पर विचार कर सकती है कि इस संकल्प पर आगे की चर्चा के लिए समय बढ़ाया जाए अथवा नहीं।

क्या सभा इस बात पर सहमत है कि इस संकल्प के समय को 15 मिनट बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हाँ।

उपाध्यक्ष महोदय : समय 15 मिनट बढ़ा दिया गया है। इसलिए माननीय मंत्री अब अपना हस्तक्षेप जारी रख सकते हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : उपाध्यक्ष महोदय, हम महान सभा के सुविज्ञ सदस्य संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2003 के लिए चर्चा के समय को बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। हम गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य को पहले ही ले चुके हैं। जिसका मैंने अभी–अभी उल्लेख किया है। अब माननीय मंत्री जी पुनः बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार, चर्चा समाप्त नहीं हुई थी और उस समय मैं बोल रही थी। मुझे अपना भाषण समाप्त करने के लिए एक या दो मिनट दिए जाएं। अभी मैंने इसे पूरा नहीं किया है। यह पूरा नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, माननीय मंत्री जी बोलने के लिए खडे हैं। माननीय मंत्री जी ने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

डा. वी. सरोजा : महोदय, उनके जवाब के बाद, मुझे एक या दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : स्वागत है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष जी, निश्चित रूप से यह प्रस्ताव जो संकल्प के रूप में सदन के सामने आया है, इसमें जो चिन्ता व्यक्त की गई है वह यह है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए नीति और कार्यक्रम के बारे में सरकार कुछ ऐसे प्रबंध करे जो इस समाज के सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान में सहायक बनें और उससे उनके जीवन स्तर में सुधार आए जिससे वे सम्माननीय नागरिक के रूप में अपना जीवन–यापन कर सकें।

हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। उसकी उद्देशिका में जो कुछ कहा गया है, वहीं हमें इस बात के लिए संकल्पबद्ध करता है कि हम इसे कैसे पूरा कर सकें। प्रियैम्बल में ही संविधान की भावनाओं को व्यक्त करने का काम हुआ है। उसमें कहा गया है कि –

"हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न...." अर्थात् किसी भी तरह से हम कमजोर नहीं देखना चाहते हैं। फिर उसमे विशेषता बताते हुए कहा गया है कि "समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को" – इसमें कोई गुंजाइश नही कि किसी को छोड दिया जाए – समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दें।

यह बहुत बड़ी बात है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह होना जरूरी है। फिर उसके बाद तो हमने कहा है सामाजिक, आर्थिक न्याय, विश्वास, धर्म, उपासना सबकी स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता, समता, बंधुता आदि, ये सारी विशेषताएं गिनाई गई हैं। सबसे पहली जो जरूरत है वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय है। यानी जस्टिस सोशल, इकनौमिक एंड पौलिटिकल। सोशल जस्टिस के लिए आर्थिक प्रबंध होना चाहिए। सोशल जस्टिस के लिए राजनीतिक प्रबंध होना चाहिए और एजूकेशन का प्रबन्ध होना चाहिए। शिक्षा और आर्थिक रूप से सम्पन्नता होनी चाहिए। आर्थिक रूप से सम्पन्न होते हुए, राजनीतिकरूप से अधिकारिता कैसे मिले, इन सारी बातों का जो आज उल्लेख हुआ है, उस पर फिर से सदन में चर्चा करने के लिए अवसर उपलब्ध हुआ है। इसमें सरकार ने पिछले 50 वर्षों में जो उपाय किए हैं, उनसे जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, वे हमारे सामने हैं। यह बात

नहीं है कि यह काम पूरा हो गया है, बल्कि इस काम को निरन्तर करते जाना है और जब हम लोग यह काम करते हैं, तो इसमें सब लोगों का सहयोग जरूर अपेक्षित है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि सरकार कोई भी योजना चलाए, उसके लिए वित्तीय प्रबंध होना बहुत आवश्यक है और जिस अनुपात में वित्तीय प्रबंध होते हैं, उसी अनुपात में योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। अर्थ के बिना तो सब कुछ अनर्थ हो जाता है। इसलिए यह बात सरकार के वित्तीय प्रबंध पर ज्यादा निर्भर करती है। इसके लिए हम सभी की चिन्ता है कि कितने वित्तीय प्रबंध की व्यवस्था की जाए जिससे हम सबको समर्थ और सक्षम बनाने का काम कर सकें। इन सारी बातों को करते हुए निश्चित रूपन से हमें एक लम्बा समय हुआ है और उसके माध्यम से हम एक पुनर्विलोकन करने का काम भी कर रहे हैं। जहां हम पहुंचे हैं, वहां से आगे हमें बहुत काम करना बाकी है।

महोदय, शिक्षा की दृष्टि से हमने आरक्षण के प्रावधान किए हैं। इसके अंतर्गत स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति के माध्यम से उनका उन्नयन हो, फिर समय–समय पर छात्रवृत्ति का रिवीजन होना, रिवीजन होने के बाद, समय पर उसका वितरण होना चाहिए और इसमें सार्वदेश्कि रूप से सभी सरकारों को, चाहे वे राज्य सरकारें हों, चाहे वह केन्द्र सरकार हो या और नीचे कोई और निकाय हो, उनका सामंजस्य पूर्ण संबंध ही इस स्थिति मे परिवर्तन लाने का कारण बन सकता है, लेकिन हम देखते है कि इस बारे में कहीं थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से अपेक्षित परिणाम नहीं आते, जिन्हें आना चाहिए और इसमें बहुत लम्बा समय लग जाता है।

महोदय, हमने गत 50 वर्षों में जो सुविधाएं देने का काम किया, उसमे पहली बात यह है कि सामाजिक प्रोटैक्शन मिलने का काम, सामाजिक समता के उपाय और सामाजिक समता के उपाय हेतु कानूनी तरीके से हम किस तरह से उस व्यक्ति के ऊपर, जो अनुसूचित जाति का है, किसी कमजोर वर्ग का है, उसके ऊपर अत्याचार न हों किसी तरह से समाज में उसके हाथ डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए, उसके साथ मनुष्यता का व्यवहार हो, नागरिकता का व्यवहार हो। एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए, वह व्यवहार हो और इसलिए यह कहना कि सामाजिक समानता, मनुष्यता का जन्मसिद्ध अधिकार है, यह युक्तियुक्त है और यह बात, हमारे संविधान के मौलिक सिद्धान्तों के निष्कर्ष के रूप में आती है। इसलिए पहली बात यह है कि मनुष्य का मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार होना चाहिए। एक नागरिक को दूसरे के साथ नागरिकता का ही व्यवहार करना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए और यदि कोई इससे कम व्यवहार रहता है, तो वह भारत के संविधान के प्रति जो आस्था और सम्मान है, उसे पूरा करने का काम नहीं करता है। इसलिए हम सभी की जरूरत और चाहत निश्चित रूप से यही है और हमारा यही प्रयास होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे इतने वर्षों के प्रयास के बाद भी अज अन्तर है। यदि अंतर नहीं रहा होता, तो इसे यहां लाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन निश्चितरूप से अन्तर आज भी विद्यमान है, पहले भी था। इस अंतर को कैसे कम करें और कैसे उसे सम्मानित करने का काम करें, यह उपाय करने की दृष्टि से यह कानून बनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, रामजी लाल सुमन जी ने कहा था कि कमजोर वर्गों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाए। मैं उन्हें बताना चाहता हू कि कमजोर वर्गों पर अत्याचारो को रोकने के लिए ही हमने कानून का प्रबंध किया है। जहां–जहां अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसे प्रभावी ढंग से, सख्ती से, कड़ाई से रोका जाए और दोषी के खिलाफ किसी भी प्रकार की रियायत न बरतते हुए, किसी प्रकार का पक्षपात न करते हुए, कानून का उपयोग किया जाना चाहिए, किन्तु हम देखते हैं कि कानून के रहते हुए भी इस प्रकार की घटनाएं निरन्तर होती जा रही हैं। इस सदन में और सदन के बाहर, जनता का ध्यान, लोगों का ध्यान इस ओर जाता है। आज हम इस स्थिति मे हैं कि हम पूर्ण रूप से अनुसूचित जाति के लोगों, कमजोर लोगों के साथ हैं, सरकार उनके साथ है, ऐसा कहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि ऐसा करने का जो माद्दा है वह तभी आएगा जब कि हम सब सामाजिक रूप से जागरूक होकर इस बात को कहें।

हमने पीसीआर एक्ट 1955 और पीओ एक्ट 1989 बना कर, इन सारे प्रावधानों को बनाने का काम हमने जरूर किया है, परन्तु इसमें जो प्रोसिक्यूशन और कानूनी कार्यवाही होती है, उस कानूनी कार्यवाही को पुरजोर तरीके से रखे जाने में जिस प्रकार की परेशानी और अन्याय का शिकार वह व्यक्ति या उन व्यक्तियों का समूह हुआ है। हम जब देखते हैं कि जब कार्यवाही होती है तो उसमें ठीक प्रकार से ध्यान न देने के अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके

(डा. सत्यनारायण जटिया)

लिए वित्तीय संसाधन न हों, अन्य बातें प्रायोरटी पर रखें और इन बातों को कम प्रायोरटी मिलती हो। इसके कारण कानून होते हुए भी अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। हमारे यहां कई प्रकार के कानून बने हुए हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के रहते हुए भी अपराध तो जरूर हैं परन्तु अपराध होने का अर्थ यह है कि जिसने अपराध किया है उस दंड मिलना चाहिए। इसका प्रबंध कानून में किया है, लेकिन वह तब तक नहीं होता है जब तक कानून का भय लोगों में नहीं रहता है और इस दृष्टि से कानून के माध्यम से भी उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम बहुत जरूरी है।

महोदय, हम जानते हैं कि संविधान में भी इस प्रकार के सारे उपाय हुए हैं, उसके आधार पर हमने कहा है कि किसी के साथ भेद नहीं किया जाए। हमने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है। संविधान में कहा है कि जहां अस्पृश्यता का बर्ताव है, निश्चित रूप से मनुष्य के साथ ठीक प्रकार का बर्ताव न होना हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। एक व्यक्ति पवित्र है और दूसरा अपवित्र है, क्या किसी को स्पर्श करने से कोई अपवित्र हो जाएगा? मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि उसकी पवित्रता ही कमजोर है, इस कारण वह स्पर्श करने से अपवित्र हो गया है। इसलिए यह जो मानसिकता है, इसे बदलने की जरूरत है। इसमें धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है, धीरे-धीरे ये बाते कम हो रही हैं। 50 वर्ष का समय कम नहीं होता है, इसलिए यह हम सब और सरकार के लिए भी चिन्ता का विषय है कि हम किस तरह से जागरूकता पैदा करके लोगों को इस प्रकार के अधिकार दें, जिसमें उन्हें सम्मान मिले। इसलिए अनेक स्थानीय निकाय, पंचायतें हैं, उनमें उनके लिए आरक्षित पद करके, उन्हें प्रतिष्ठित करने का काम करना चाहिए – कहीं सरपंच, नगरपालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर-निगम के अध्यक्ष और कहीं संसद एवं विधानसभा के सदस्य बन कर, उनमें पद प्राप्त करा कर उन्हें सम्मान देने की कोशिश हमारी जारी है, परन्तु फिर भी यह केवल राजनैतिक अधिकारिता है, निश्चित रूप आर्थिक अधिकारिता भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं। हमने सरकार की तरफ से ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें कम ब्याज पर कर्ज देने का काम हो। जो छोटे-छोटे काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, उसे ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती है। कोई आदमी अपना ठेला चला कर, जमीन पर बैठ कर, नुक्कड़ पर दुकान लगा कर काम करता है, उसे ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती है, उसे दो, पांच, दस, 20 या 25 हजार रुपऐ की जरूरत होती है। हमने जो कार्पोरेशंस बनाए हैं, उनके माध्यम से हम पांच प्रतिशत पर ऋण देने का काम करते हैं और उनके माध्यम से वे अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं।

महोदय, हमने पिछले वर्ष इस योजना को शुरू किया है और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। बड़ा कर्जा लेने के लिए बड़े बैंक हैं। इस समझ का जो आदमी है कि हमें कर्ज मिल सकता है, जो पढ़ा-लिखा है वह तो अपने लिए कोई उपाय कर सकता है, लेकिन जिसके पास शिक्षा एवं ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें भी लाभान्वित करने के लिए हमने कोशिश की है और इसके कारण ही अच्छी संख्या में लोग आगे आए हैं। उसके लिए भी जो चेनालाइजिंग एजेंसियां हैं, राज्य सरकारें हैं, जिनके माध्यम से इसे किया जाना है, उन तक पहुंचने के लिए हितग्राही समूह है, उनके माध्यम से जिन्हें सहायता पहुंचानी है, उन्हें ठीक से सहायता पहुंच पाए, इसके लिए कम इंटरेस्ट पर हम उन्हें लोन देते हैं। यहां से जब हम शुरू करते हैं तो दो प्रतिशत से शुरू करते हैं, लेकिन स्टेट में जाने के बाद दो-तीन प्रतिशत लेने का वे काम करते हैं और यदि आगे कोई चेनालाइजिंग एजेंसी है या किसी हितग्राही तक पहुंचने के लिए, उसे सहायता पहुंचानी हो तो उसमें भी ज्यादा खर्च हो जाता है। उसके कारण हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए हमारी कोशिश यह है कि कैसे उन तक सीधे लाभ पहुंचाया जा सके, इस प्रकार का उपाय करने का हम प्रयास करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नयी छात्रवृत्तियां शुरू करने का काम हमने किया है और एजुकेशन के स्तर में सुधार करने का काम किया है। पिछले वर्ष अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का काम किया और उसका अच्छा रेस्पोंस आया है। देशभर से इसमें विद्यार्थी आए हैं। जिनका कि मैट्रिक के बाद ड्राप आउट हो जाता है, वे आगे नहीं पढ़ पाते हैं। मैं अभी हैदराबाद में था, आंध्र प्रदेश में यह कार्यक्रम हुआ, काफी लोगों का रैस्पोंस हमें मिला है। यहां भी दिल्ली में जब हमने प्रोग्राम किया था तो 10-11 प्रदेशों से लोग आये थे और हमने ऐसी एक विशेष स्कॉलरशिप शुरू की है, यानी जो प्रथम स्थान बोर्ड में प्राप्त करता है, यह स्कीम अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए है, उसे हमने 60 हजार रुपये, जो दूसरे स्थान प्राप्त करता है, उसके लिए 50 हजार रुपये, तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए 40 हजार रुपये का प्रावधान है। यदि उसमें कोई छात्रा नहीं है तो उसके लिए भी अतिरिक्त छात्रवृत्ति का प्रावधान करते हुए 40 हजार रुपये का प्रावधान

है। इतना ही नहीं, राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संख्या के अनुपात में, वहां की आबादी में उनकी जनसंख्या का जो अनुपात है, उस अनुपात के आधार पर भी और 10 हजार रुपये की 250 छात्रवृत्तियां देकर उनको प्रोत्साहन देने का, शुरू करने का हमने काम किया है। मुझे प्रसन्नता है कि यह योजना प्रारम्भ हो चुकी है।

आगे भी हम यह चाहते हैं कि अच्छे रेजीडेंशियल स्कूल्स, अच्छे पब्लिक स्कूल्स में उन्हें एण्ट्री मिलने का काम हो सके, यह योजना अभी प्रक्रिया में है। शीघ्र ही वह योजना आने के लिए तैयार है। पैसे का अभाव भी एक कारण है। आजकल पैसा ही शिक्षा का एक माध्यम बन गया है, अच्छा पैसा, अच्छी शिक्षा और गरीब आदमी के पास, कमजोर वर्ग के आदमी के पास, अनुसूचित जाति के आदमी के पास पैसा नहीं होने के कारण उसकी शिक्षा भी उसी प्रकार की कमजोर हो जाती है, क्योंकि वह ज्यादा पैसा देकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए शिक्षा के स्तर में जो विभेद हो गया है, इस विभेद को दूर करने की दृष्टि से भी सरकार ने एक योजना की शुरूआत करने का निश्चय किया है और उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि ऐसे विद्यार्थी को, जो पढ़ने के लिए आगे आने के लिए अपने आपको तैयार करता है, जिसमें टेलेंट है, जो पढ़ना चाहता है, किन्तु उसके पास पैसा नहीं है तो ऐसे विद्यार्थी को भी ऐसे पब्लिक स्कूल में या ऐसे स्कूल में, जहां कि अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध हुआ है, उस प्रबन्ध में हम उसे जितना उसका शुल्क लगता है, चाहे वह 10 हजार, 20 हजार, 25 हजार या 50 हजार हो और अच्छी उच्च शिक्षा के लिए एक लाख रुपये भी वर्ष भर का लगता है तो उसे हम सहायता के रूप में देकर उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने की योजना हमने बनाई है। वह योजना भी सरकार के विचाराधीन है।

इसी प्रकार से अच्छे रेजीडेंशियल स्कूल जो हैं, हम जानते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य के विकास का आधार है। यदि शिक्षा न हो तो मनुष्य मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं करेगा। हम जानते हैं कि प्रारम्भ से यदि शिक्षा का स्तर ठीक प्रकार का हो जाये तो आगे उसे जाने में कठिनाई नहीं होती। प्राथमिक शिक्षा उसकी ठीक हो जाये, उसके बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा उसकी ठीक हो जाये, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से भी अच्छा मौका उसे मिल जाता है। फिर यदि प्रोफेशनल स्टडीज में कहीं उसे जाना है और उसमें हमारे अनेक साइंसेज हैं, उसमें उसे जाना है तो मौका मिल सकता है तो इस प्रकार की सहायता करने के लिए भी जो संसाधन चाहिए, जो धन चाहिए, वह भले ही हमारे पास पर्याप्त नहीं है, किन्तु हमारी इच्छाशक्ति है, हम चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से विकास करने का काम करें, शिक्षा के माध्यम से हम उनका उन्नयन करने का काम करें। इतना ही नहीं जो लोग जिस काम में लगे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के लिए आबंटित समय पहले ही समाप्त हो चुका है। हम इस प्रस्ताव पर 15 मिनट का समय बढ़ा सकते हैं। क्या सभा इस प्रस्ताव के लिए 15 मिनट का समय बढ़ाने पर तैयार है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। इस प्रस्ताव के समय को 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : इतना ही नहीं, हम उनको कोचिंग देने का, उन्हें प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, जिससे कि वे कम्पीटीटिव एग्जाम में भाग ले सकें। यह विषय तो बहुत बड़ा है और इसका महत्व भी काफी है। संसद सदस्यों सहित माननीय शिवराज पाटिल जी, सुमन जी सहित इसमें आप सभी ने भाग लिया है। रामदास आठवले जी ने जो प्रस्ताव किया है, इसके पीछे देश के कमजोर वर्ग को आगे लाने का एक संकल्प है और एक इच्छाशक्ति है कि हमें जरूर इन लोगों को आगे लाना चाहिए। इस दृष्टि से इस संकल्प पर चर्चा करते हुए जितने महत्वपूर्ण प्रस्ताव आये हैं, उनके प्रकाश में बहुत सारी बातों को कहने के लिए यहां पर जरूर मुझे अवसर मिला। मैं उन्हें कह सकता हूं, परन्तु समय की सीमा को देखते हुए यह मेरे लिए भी कठिन हो जायेगा। किन्तु सरकार का और मंत्री होने के नाते मेरा अपना सीधा दायित्व को देखते हुए मेरी हरसम्भव कोशिश होगी कि हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हर प्रकार का उपाय करने का काम करें और उसमें जरूर सब लोगों की जरूरत होती है। समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्थान जो शिक्षा के बने हुए हैं और निजी संस्थाएं भी बहुत बड़ी–बड़ी संख्या में होती हैं, किन्तु उन निजी संस्थाओं में अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग और जनजाति के लोगों के लिए, बैकवर्ड क्लास के लोगों के

(डा. सत्यनारायण जटिया)

लिए कोई स्थान आरक्षित करके स्वतः रखती होंगी, ऐसा बहुत कम होता है। जहां–जहां रखती होंगी, उनकी जरूर अभिनन्दन और बधाई देनी चाहिए। किन्तु जैसे ही कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन बनती है, उसे ज्यादा फीस लेकर, ज्यादा शुल्क लेकर उसमें भर्ती होने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, इस प्रकार का मामला लगता है। यदि किसी के पास 50 हजार रुपये हैं तो 50 हजार की इंस्टीट्यूशन में जायेगा, किसी के पास 10 हजार रुपये हैं तो वह 10 हजार वाले में जायेगा और किसी के पास कुछ भी नहीं है तो फिर वह ऐसे स्कूलों में जायेगा, जहां पढ़ाने के लिए न तो कोई साधन है, न पढ़ाने वाला कोई है। न ऊपर छत है और न नीचे बैठने का कोई माध्यम है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सरकार ने जिस नयी चीज की शुरूआत की है, हम उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से भी हम उस नयी चीज की शुरूआत कर सकेंगे। सरकार की सर्व शिक्षा अभियान की योजना को साकार करने के लिए राज्य सरकारें पर्याप्त सहयोग करें, समाज में जागरूकता लाने का काम करें। एक बच्चा शिक्षा के लिए जाये तो वह सभी पढ़े हुए नागरिकों का दायित्व हो जाये। जिसने भी जनप्रतिनिधि के कारण कुछ प्राप्त किया है, यदि हम भी उसे इनीशिएट करने का काम करें, यदि हम सब लोग सांसद निधि के माध्यम से भवन निर्माण का काम करते हैं तो जरूर गांव का छात्र, जिसके पास पढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं है, उसे भी मदद मिल सकती है। हम वे सारे काम करना चाहते हैं लेकिन उनको ज्यादा महत्व देने की जरूरत है।

शिक्षा के इन सब क्षेत्रों में काम हुआ है। हम देखते हैं कि जो लोग अस्वच्छ कामों में लगे हुए हैं, सफाई के कामों में लगे हुए हैं, उनकी तरफ समाज का उतना ध्यान नहीं जाता। उस दृष्टि से हमने सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम बनाने का काम किया है, उनको ट्रेनिंग देने का काम किया है, उन्हें प्रशिक्षण देने का काम किया है, उनको रिहैबिलिटेट करने का काम किया है। हम आज भी उस काम को तेजी से करना चाहते हैं किन्तु जैसा मैंने कहा, हमारी वित्तीय संसाधनों की सीमाएं हमारे काम को बढ़ाने की दृष्टि से उतनी समर्थ नहीं हो पातीं। लेकिन इस दिशा में काम करते हुए हमें जो अनुभव मिला, मुझे कहते हुए कोई कठिनाई नहीं कि हमने नवीं योजना में अस्वच्छ व्यवसायों में काम करने वाले 19 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को सहायता देने का काम किया है, जिनमें 36 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। वर्ष 2002–03 में यह संख्या 5 लाख 55 हजार हुई जिनमें 19 लाख 8 हजार रुपये की सहायता देने का हमने काम किया। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग इन अस्वच्छ कामों में लगे हुए हैं, उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान गया है। नवीं योजना में हमने 48,500 बच्चों को कोचिंग देने के लिए 11 करोड़ 19 लाख रुपये खर्च करने का काम किया है। वर्ष 2002–03 में 12 हजार 81 विद्यार्थियों पर 5 करोड़ 50 लाख रुपये खर्चा करने का काम किया गया। शैक्षिक न्याय की दृष्टि से हम सारी बातें पुस्तक बैंकिंग की दृष्टि से करते हैं। इन सारी बातों को करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज भी काम बाकी है। यहां हुई बहस में आप सब महानुभाव, जिनमें प्रो. रासा सिंह रावत, श्री रामदास आठवले, राम जी लाल सुमन आदि ने अपने सुझाव दिये हैं। इस लम्बी बहस में जिस प्रकार के सुझाव हमें प्राप्त हुए, आने वाले समय में वे हमारी सहायता करने में मदद करेंगे।

अभी डा. सरोजा जी बोल रही थी कि वे एक सुझाव देना चाहेंगी। मैं उनके सुझाव का स्वागत करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि जो विचार–विमर्श हुआ है, उस विचार–विमर्श के आलोक में हम जरूर चाहेंगे कि सरकार पुरजोर कोशिश करते हुए, माननीय सदस्यों की भावना का सम्मान करते हुए इस काम को करे। माननीय सदस्य ने जो सकल्प दिया है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे उस संकल्प को वापिस लेने का काम करें तो बहुत अच्छा होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा. वी. सरोजा, कार्यवाही–वृत्तांत को देखकर मैंने पाया कि आप इस विषय पर पहले ही बोल चुकी हैं।

डा. वी. सरोजा : महोदय, मैं केवल एक सुझाव दूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के बोलने के पश्चात्, केवल प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्य बोल सकता है। यह स्थापित परंपरा को तोड़ना है। विशेष मामले के रूप में मैं आपको एक मिनट का समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, क्या मैं इस महत्वपूर्ण मुददे के संबंध में कतिपय सुझाव दे सकता हूं। ... *(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुझाव देने की अनुमति प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

तिहत्तरवॉं संशोधन विधेयक पारित करने के पश्चात्, 34 लाख चुने गये प्रतिनिधियों में से हमने 10 लाख महिला प्रतिनिधि चुनी हैं, 3.64 लाख अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि चुने हैं और 2.59 लाख अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि चुने हैं।

मैं यह कहना चाहूंगी कि तमिलनाडु में हमने पुरूष स्व-सहायता समूह बनाये हैं और हम अर्थाभिमुखी योजनाएँ भी बना रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त निगम के माध्यम से, हम इन पददलित समूहों की ओर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या वह ठोस और विशेष आर्थिक कार्यक्रम लेकर आयेंगे ताकि हम पुरुष स्वसहायता समूहों को न केवल आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनायें बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों की समस्या का समाधान ढूंढ सकें। मैं यही एक सुझाव देना चाहती थी। महोदय, आप सभी चुने गये प्रतिनिधियों, संबधित संसद सदस्यों और विधायकों को भी शामिल कर सकते हैं ताकि हम वास्तव में इस समुदाय के साथ न्याय कर सकें।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए वर्ष 1994 में तमिलनाडु में विशेष संघटक योजना के अंतर्गत एक आदर्श योजना शुरू की गई थी। तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम से 130 करोड़ रुपये की क्रय राशि ली गई। इसमे से 41 प्रतिशत धन-राशि का भुगतान इस आदर्श योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उद्यमियों के आयात शुल्क प्रभार की मद में करना है। आर्थिक रूप से शोषित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए यह भारत में एक मात्र योजना है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को भी लिखा है। मैं छूट प्रदान करने हेतु यह प्रति उन्हें दूंगी। कृपया वे इस मामले को देखें और न्याय करें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इस प्रकार की योजना सभी राज्यों के लिए होनी चाहिए ताकि इसका लाभ सभी को मिले। अनु. जाति और अनु. जनजाति आयोग और स्थायी समिति दोनों ने कोयम्बटूर जिले के त्रिपुर में स्थित इस स्थान का दौरा किया है। वे अत्याधिक संतुष्ट हैं। मैं भारत के सभी राज्यों में इस योजना को लागू करने का अनुरोध करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विशेष मामला होने के कारण आपको अनुमति दे रहा हूं। चूंकि ऐसा करके, हम स्थापित परम्पराओं से हट रहे हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी : महोदय, वास्तविकता यह है कि कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने यह देखा है कि पंचायत चुनाव लड़ने के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर एक उत्पीड़क कानून लगाया जा रहा है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी लगाई गई इस शर्त की हाल में ही पुष्टि की है। भारत के उच्चतम न्यायालय का नवीनतम आदेश है यदि किसी प्रत्याशी के दो से अधिक बच्चे हैं तो वह प्रत्याशी चुनावों में यहां तक कि पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की जनसंख्या सामान्य श्रेणी की जनसंख्या से कम होने के कारण उन पर इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने में कुछ ढील दी जाए। अतः इसमें ढील दी जाए। भारत सरकार से मेरी यही विनम्र प्रार्थना है। कृपया इस पर ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस भावना से, इस उद्देश्य से यह संकल्प लाए थे कि आज़ादी के 53 वर्ष बाद भी समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिला है। हमने जब कौन्सटीट्यूशन को स्वीकार किया था, तब उसमें कहा था-

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यकित, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्राप्त करने के लिए, तथ उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए....."

जब भारत का संविधान स्वीकार किया गया था, तब सब लोगों को न्याय देने की बात कही गई थी।

अपराह्न 4.00 बजे

अभी मंत्री महोदय श्री जटिया साहब ने कुछ स्कीम यहां बताई हैं लेकिन हर साल के बजट में इसी तरह की स्कीम्स

(श्री रामदास आठवले)

दी जाती हैं लेकिन यहां लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। यहां अगर हम देखते हैं तो एससीएसटी के लैंड लैस लोगों का प्रतिशत 70 है और कल्टीवेशन का प्रतिशत 20 है और रूरल एरिया के वर्कर्स का प्रतिशत 65 है और अर्बन एरिया में तीस है। लिटरेसी का 1961 में 10.3 प्रतिशत था और 1991 में सात प्रतिशत बढ़ गया है लेकिन इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। यहां जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो क्लास-वन है, इसमें 1999 के आंकड़ों के मुताबिक क्लास-वन में 9.83 प्रतिशत रिजर्वेशन एससी का बढ़ गया है और एसटी का 3.1 प्रतिशत है। क्लास-टू में एससी का 11.4 प्रतिशत है और एसटी का 2.78 प्रतिशत है। क्लास-थ्री में एससी का 17.5 प्रतिशत है और एसटी का 5.94 प्रतिशत है और क्लास-फोर में एससी का 19.20 प्रतिशत है और एसटी का 7.64 प्रतिशत है। इस संख्या को और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। एससीएसटी की पोपुलेशन का प्रतिशत 2001 की जनगणना के मुताबिक बढ़ गया है। 1951 की जनगणना के मुताबिक एससीएसटी की पोपुलेशन का 22.5 प्रतिशत थी लेकिन अभी 28-29 प्रतिशत हो गयी है। इसीलिए इस रिजर्वेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन देना बहुत जरूरी है और इसके लिए एक्ट बनाने की आवश्यकता है। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी जब थी तो उसमें रिजर्वेशन रखने के संबंध में विचार रखने की आवश्यकता थी लेकिन रिजर्वेशन खत्म करने के लिए ही ब्राह्मणवादी मनोवृत्ति ने एससीएसटी को खत्म करने के लिए ही प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा यहां लाया गया है। हमारी मांग है कि प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन रखना चाहिए। अगर हम प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन नहीं रखेंगे तो एससीएसटी के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी और उन्हें देश छोडकर जाना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति है। इस तरह जब इन्हे नौकरी नहीं मिलेगी तो गंभीर परिस्थितियां बनने वाली हैं और इसीलिए प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन के संबंध में हमारे एक्स प्रेसीडेंट श्री के.आर. नारायणन ने भी बोला था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले आपको कितना समय और चाहिए। चूंकि तद्नुसार समय बढ़ाना है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : टाइम बढ़ाइए। आधा घंटा चलेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस संकल्प के लिए आबंटित समय में 15 मिनट की और वृद्धि करना चाहेगी?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, समय में 15 मिनट की और वृद्धि की जाती है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : टाइम ही बढ़ाने को कह रहे हैं, पैसा बढ़ाने को नहीं बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं आप सब्जेक्ट को हटा दो।

श्री रामदास आठवले : श्री के.आर. नारायणन जी ने 26 जनवरी 2001 को रिजर्वेशन के संबंध में बोला था कि प्राइवेट सैक्टर में एससीएसटी का रिजर्वेशन रखना चाहिए। इसलिए भारत सरकार से हमारी मांग है कि प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन लाने के लिए इसी सैशन में कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता है। प्राइवेट सैक्टर में यदि रिजर्वेशन नहीं लाया गया तो इस देश का गरीब आदिवासी आदमी, दलित आदमी रास्ते पर आ जाएगा। उधर के लोगों को, रतिलाल वर्मा जी को भी हम अपने साथ ले लेंगे।

अपराह्न 4.05 बजे

(**श्री के. येरननायडू** *पीठासीन हुए*)

हमारी एक मांग यह भी है। आरक्षण को संरक्षण देने के लिए और इस पर अमल करने के लिए आरक्षण कानून बनाने की आवश्यकता है। मैं मांग करता हूं कि आरक्षण को नौंवे शिड्यूल के तहत लाना चाहिए। दलितों को सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अगर हम इन लोगों को मजबूत नहीं बनायेंगे, तो देश मजबूत नहीं बन सकेगा। अगर हम मजबूज नहीं बनेंगे, तो आप सब भी खोखले हो जायेंगे। इसलिए आरक्षण को नौंवे शिड्यूल में लाना चाहिए।

डा. भीमराव अम्बेडकर ने एस.सी., एस.टी. के लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए 1947 में करीब तीस साल तक आरक्षण की मांग को लेकर संघर्ष किया था और साउथ ब्यूरो कमीशन से यह मंजूर कराया था। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ इस सम्बंध में पूना पैक्ट भी किया था। अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो यह महात्मा गांधी

के साथ भी धोखा होगा। अटल जी और अन्य सभी लोग, चाहे इधर के हों या उधर के हों, महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। महात्म गांधी का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन उनके विचारों को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है, इसलिए दलितों को आरक्षण की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान में यह सिफारिश की गई है कि दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। 1902 में महाराष्ट्र में छात्रपति साहूजी महाराज ने कोल्हापुर में एक संस्थान में आरक्षण चालू किया था। आज उसको 100 साल हो गये हैं। उनके भी आदर्श को हमें आगे लाना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, वह कोई भिक्षा नहीं है, यह भारतीय संविधान द्वारा दिया हुआ हक है। संविधान में कहा गया है कि एस.सी. और एस.टी. के लोगों को राष्ट्र की मुख्या धारा में लाना है। सोशल जस्टिस इन दि प्रिएम्बल ऑफ दि कांस्टीट्यूशन, यह मुख्य हेतु हम सब लोगों का है। इसलिए इसका अमल करने के लिए सब लोगों को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने 2001 की जनगणना को स्वीकार किया है। मेरी मांग है कि 2001 में जितनी आबादी थी, उसे मुताबिक लोक सभा और विधान सभाओं की सीट्स बढ़ाने की आवश्यकता है। एस.सी. और एस.टी. के लोगों के आर्थिक विकास के लिए हर दलित को गांव में पांच से दस एकड़ जमीन देनी चाहिए। चाहे केन्द्र सरकार यह काम करे या राज्य सरकार करे। अगर सरकार के पास जमीन नही है तो उसको जमीन खरीद कर मुहैया करानी चाहिए। हर विभाग में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के नाम पर जो पैसा आबंटित होता है, वह हमारी आबादी के मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए खर्च होना चाहिए। अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा है।

मंत्री जी का नाम सत्य नारायण जटिया है। आप सत्य भी हैं, आपके नाम में नारायण भी है और जटिया भी है। आपको अब मौका मिला है इसलिए जो पैसा आपके मंत्रालय को मिला है, उसका उपयोग करना चाहिए। अगर वह कम है तो आप उसके लिए आवाज उठाएं। हम भी आपका साथ देंगे। सरकार को दलितों को जमीन देने के लिए कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता का जो अधिकार है, उसको अमल में लाने की आवश्यकता है। अधिक प्रापर्टी पर बैन होना चाहिए। आज अम्बानी और मफतलाल के पास हजारों एकड़ जमीन है। दूसरी ओर दलितों के पास आज भी जमीन नहीं है। इस तरह देश में आर्थिक असमानता है इसलिए प्रापर्टी पर बैन होना चाहिए। जिसके पास ज्यादा जमीन है, उससे सरकार को जमीन ले लेनी चाहिए। एक परिवार के पास 50 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, बाकी जमीन दलितों में बांट देनी चाहिए।

अगर आपकी सरकार यह काम नहीं कर सकती है तो सत्ता छोड़ दीजिए, हम लोग यह काम करेंगे। यह दलितों की भलाई का काम है। इसलिए प्रॉपर्टी और जमीन पर एक हद के बाद बैन लगाने की आवश्यकता है। मेरा कहना यह है कि एससीएसटी के लोगों को इस क्षेत्र में समान अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं व्यावसायिक क्षेत्र में भी उनको रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट कम्पनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में एससीएसटी के लोगों को रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विधान परिषदों में, केन्द्र और राज्यों के मंत्रिमंडलों में भी एससीएसटी के लोगों को रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। जब लोक सभा, विधान सभा में रिजर्वेशन है तो मंत्रिमंडल में भी एससीएसटी के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मंत्रिमंडल में 30 प्रतिशत हमारे समाज के मंत्री होने चाहिए। हमारे समाज के अगर 30 प्रतिशत मंत्री मंत्रिमंडल में आ जाते हैं तो हमारे समाज को ऊपर उठाने में उनका अच्छा उपयोग हो सकता है।

एससीएसटी पर एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही हैं। एट्रोसिटीज एकट भी बना हुआ है लेकिन उस पर कहीं अमल हो रहा है और कहीं पर नहीं भी हो रहा है और अभी सामाजिक समानता देश में आई नहीं है। उनको अभी तक मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता है। हम प्रधान मंत्री जी से इस बारे में अपील करते हैं कि वे सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाएं और चर्चा करें कि जिस भी पार्टी का सदस्य एससीएसटी के लोगों के खिलाफ अत्याचार करता है उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा और ऐसे लोगों को दूसरी पार्टी में भी नहीं लेना चाहिए। यह नहीं हो कि इस पाटी से निकला तो दूसरी पार्टी ने ले लिया। इधर से निकला तो उधर चला जाए और उधर से निकला तो इधर चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उनका बॉयकट करने की आवश्यकता है। एससीएसटी के लोगों को सामाजिक समानता कैसे प्राप्त हो, इस पर भी मजबूती से विचार करने की आवश्यकता है। सोशलिज्म को

(श्री रामदास आठवले)

मजबूत करने के लिए भी हम सबको काम करने की आवश्यकता है।

जहां तक शिक्षा की बात है तो एससीएसटी के स्टूडेंट्स को अगर हमें अच्छी तरह से शिक्षित करना है तो नॉन–गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जिनमें डोनेशन देना पड़ता है, वहां भी एससीएसटी के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास डोनेशन देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। केजी के बच्चों के लिए जो अच्छे स्कूल हैं उनमें भी 20–25 हजार रुपया देना पड़ता है। पेमेंट सीट पर मैडीकल कॉलेज में एडमीशन के लिए 30–35 लाख रुपये हमारे लोग नहीं दे सकते हैं, वे कहां से इतना पैसा लायेंगे। इसलिए चाहे जूनियर स्कूल हो, सीनियर स्कूल हो, कॉलेज हो या फैकल्टी हो, एससीएसटी के स्टूडेंट्स को उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्रवेश मिलना चाहिए। साथ ही यह बंधन मैनेजमेंट पर होना चाहिए और उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह का आदेश भी आपके मंत्रालय से जाना चाहिए।

एनएसबीसी को ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है, उसको ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। एनएसबीसी के माध्यम से या बैंकों के माध्यम से जो लोन मिलता है, उसके लिए सिक्योरिटी आवश्यकता होती है। 10–20 लाख रुपये या एक करोड़ रुपये के लोन के लिए हमारे लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलती है। इसलिए एनएसबीसी से या बैंकों से लोन देना है तो उसके लिए सिक्योरिटी केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों को देने की आवश्यकता है। इस तरह से हमारे लोगों को जो समस्या होती है उस पर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।

इसी तरह से दलितों पर हो रहे अत्याचारों को कम करने की आवश्यकता है। आपने कहा है कि इस प्रस्ताव को वापिस लिया जाए, मैं यह प्रस्ताव वापिस नहीं ले सकता हूं। यह प्रस्ताव भारत को मजबूत करने वाला है, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला प्रस्ताव है। मैं यह प्रस्ताव वापिस नहीं ले सकता हूं। मैं दलितों को धोखा नहीं दूंगा। धोखा देने के लिए हम यहां संसद में नहीं आए हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि इसी तरह का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आना चाहिए। दलितों, आदिवासियों और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए सरकार की तरफ से प्रयत्न करने चाहिए। मंत्रिमंडल द्वारा प्रयत्न करना चाहिए। अटल जी द्वारा प्रयत्न करना चाहिए। श्री जार्ज फर्नांडीस द्वारा प्रयत्न करना चाहिए। श्रम मंत्री डॉ. साहिब सिंह वर्मा जी द्वारा प्रयत्न करना चाहिए। अगर यह सरकार एससी और एसटी लोगों के लिए काम नहीं करेगी, तो आने वाले चुनाव में वह इधर आ जाएगी। मैं सभापति जी से निवेदन करना चाहता हूं, आप आंध्र प्रदेश से आते हैं, अगर आपकी पार्टी हमारे साथ आएगी, तो हम अच्छी सरकार बनायेंगे। अभी आप इस संकल्प को पूरा करने का वायदा देते हैं, तो मैं यह संकल्प वापिस ले सकता हूं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो भी सुझाव आए हैं, उन पर गम्भीरता से विचार करिए और दलितों के कल्याण के लिए आपको काम करने की आवश्यकता है और आपकी सरकार को प्रयत्न करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले जी, क्या आप यह संकल्प वापिस ले रहे हैं अथवा नहीं?

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं और आप भी आश्वासन दें।

सभापति महोदय : व्यक्तियों, विशेषकर दलितों आदिवासियों और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के संबंध में मैं आपको हमेशा के लिए आश्वस्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप केवल एक स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : सभापति महोदय, पीएसयू के डिसइन्वैस्टमेंट के बाद, प्राइवेटाइजेशन के बाद अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। अन्य सदस्यों ने जो रिजर्वेशन के बारे में सुझाव दिए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे संबंधित बिल में संशोधन करने के लिए प्रयत्न करें।

डा. सत्यनारायण जटिया : महोदय, निश्चित रूप से इस विषय पर सदन में विचार विमर्श बहुत उपयोगी हुआ है। अभी

डा. सरोजा जी ने स्पेशल कम्पोनेंट प्रोग्राम और स्पेशल सैन्ट्रल एसिसटैंस के बारे में कहा है और इस दिशा में काम करने के लिए राज्य सरकारों को अवसर है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो एसिसटैंस केन्द्र से जाती है, निश्चित रूप से वह राशि इस काम में लेनी चाहिए, जिसके लिए नीयत की गई है। हम सब की कोशिश है और इस काम को करने के लिए सबका सहयोग मिलना चाहिए। जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, उसको मैंने नोट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि संकल्प वापिस लेने से सारी बातें वापिस हो जायेंगी। सरकार इस दिशा में गम्भीरता से काम कर रही है और आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है और आगे भी जो सुझाव देंगे, सरकार उन सुझावों पर विचार करेगी। इस आलोक में मैं कहना चाहता हूं कि हम और आप इस समस्या के प्रति गम्भीर है।

इसका उपाय भी निकलना चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि आप संकल्प वापस लें।

श्री रामदास आठवले : मैं संकल्प वापस ले लूंगा लेकिन प्राइवेट कंपनियों में इन वर्गों के रिजर्वेशन के लिए आपसे साफ तौर पर आश्वासन चाहता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मंत्री जी ने इस बारे में पूरा आश्वासन दे दिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले जी, सरकार आपके सभी सुझावों पर पूरी तरह ध्यान देगी।

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैंने यहां अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए जो सुझाव दिए, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए यदि सरकार राजी और गम्भीर है तो मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं। केवल जटिया जी के तैयार होने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए पूरी कैबिनेट तैयार होनी चाहिए। आपने इसे कार्यान्वित करने के लिए जो आश्वासन दिया है, उसे देखते हुए मैं कुछ दिन के लिए अपने इस संकल्प को वापस लेना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा श्री रामदास आठवले द्वारा प्रस्तुत संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अपराह्न 4.22 बजे

(दो) श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए उपाय-विचाराधीन

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब यह सभा श्री वसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए उपाय सकल्प पर विचार करेगी। हमें संकल्प पर चर्चा शुरू करने से पहले चर्चा का समय नियत कर लेना चाहिए। अभी इसके लिए दो घण्टे का समय आबंटित किया गया है। यदि सदन सहमत हो, तो इस पर चर्चा के लिए दो घण्टे का समय आबंटित किया जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि यह सभा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा में निरन्तर हो रही कमी पर अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह सभी असंगठित श्रमिकों के लिए भविष्य निधि योजना आरम्भ करके; भविष्य निधि की ब्याज दर को पुनः 12 प्रतिशत करके; बोनस भुगतान की सीमा को समाप्त करके; श्रमिकों को सभी सांविधिक बकायों का भुगतान सुनिश्चित करके; पर्याप्त स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाएं प्रदान करके; कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए एक व्यापक विधान अधिनियमित करके और ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करके श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए उपाय करे।"

महोदय, यह एक विस्तृत विषय है अतः आप अपर्याप्त समय में बढ़ोत्तरी को स्वीकार करें।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी, इसका निर्णय दो घंटे बाद किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह मुद्दा 40 करोड़ कर्मकारों से जुड़ा है।

सभापति महोदय : अभी हमने इसके लिए 2 घण्टे आबंटित किए हैं और समय बढ़ाने का निर्णय बाद में किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आज मैं देश के 40 करोड़ कर्मकारों की ज्वलंत समस्या को उठा रहा हूं। महोदय, कुल 400 मिलियन कर्मकारों में से संगठित क्षेत्र में मात्र 28 मिलियन कर्मकार ही हैं जबकि शेष कर्मकार असंगठित क्षेत्र में हैं।

महोदय, भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति-उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीति, को अपनाने के बाद, इसने समुदाय, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों पर दुष्प्रभाव डाला है।

महोदय, असंगठित क्षेत्र के साथ ही साथ संगठित क्षेत्र पर चौतरफा हमला हो रहा है। कर्मकारों को जो सामाजिक सुरक्षा मिल रही है वे पर्याप्त नहीं हैं। हमारे देश में कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा पर हमला बढ़ता जा रहा है।

महोदय, भारत के संविधान में भी कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। महोदय, अनुच्छेद 43 में कहा गया है:

"राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा ओर विशिष्टतया ग्रामों और कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।"

अपराह्न 4.25 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)

संविधान के अनुच्छेद 43 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात् कर्मकारों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के कर्मकारों, कृषि क्षेत्र से जुड़े कर्मकारों, कुटीर उद्योगों और ग्राम्योद्योगों के कर्मकारों को काम और शिष्ट जीवन स्तर की सुविधा मिलेगी और निर्वाह मजदूरी मिलेगी। तथापि, संविधान को अंगीकार करने के 50 वर्षों के पश्चात् भी कर्मकारों के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ विधान पारित कर देने के सिवाए देश के करोड़ों कर्मकारों की जीवन दशा में सुधार के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। आज इन सभी विधानों का अस्तित्व मात्र कागज़ पर है और न तो सरकार और न ही नियोक्ता इनके उपबन्धों का अनुपालन कर रहे हैं। नियोक्ता इन उपबन्धों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में सामाजिक सुरक्षा के बारे में क्या कहा गया है? मैं सामाजिक सुरक्षा के संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र से उद्धृत करता हूं।

"संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल करके एकल विधान बनाकर सामाजिक सुरक्षा संबंधी एकीकृत व्यापक योजना बनाई जाएगी।"

नौवीं पंचवर्षीय योजना में सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल करने वाले एकल विधान का सुझाव दिया गया है। योजना आयोग के कार्यदल द्वारा अन्य सिफारिशें की गई हैं:

(क) सामाजिक सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा;

(ख) सामाजिक सुरक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय की जांच और अभिपुष्टि: 1952 का न्यूनतम मानक;

(ग) सामाजिक सुरक्षा के लिए बजटीय समर्थन का प्रावधान और इसका आर्थिक विकास एवं योजना प्रक्रिया के साथ समेकन;

(घ) श्रम मंत्रालय में सामाजिक सुरक्षा हेतु पृथक विभाग;

(ङ) संगठित क्षेत्र में अंशदायी रोजगार आश्वासन योजना;

(च) सामाजिक सुरक्षा कामगारों की सार्वभौम आवश्यकता है; सामाजिक सुरक्षा का संजाल उन लोगों के लिए बनाया जाना चाहिए जो किसी तरह से अस्थायी या स्थायी रूप से रोजगार से निकाल दिए गए हों, आज हजारों कामगार इस समस्या का सामना कर रहे हैं, या तो वे अस्थायी रूप से बेरोजगार हो गए हैं या स्थायी रूप से रोजगार से निकाल दिए गए हैं

(छ) असंगठित ग्राम श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की एकल प्रणाली और लाभ कम लागत पर एवं आसानी से प्राप्त हों;

(ज) किस तरह के प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं अथवा कितना वेतन पाता है, इन सब बातों को ख्याल न करते हुए संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना;

(झ) इ.एस.आई.सी. में सुधार प्रक्रिया; और

(ञ) ई.पी.एफ. और इ.पी.एस. में निवेश प्रणाली।

योजना आयोग द्वारा नियुक्त कृतिक बल ने इन सभी सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करने पर जोर दिया है। हालांकि, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अब तक इनमें से किसी भी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति, जिसकी सिफारिश योजना आयोग के कृतिक बल द्वारा की गई थी, की घोषणा नहीं की गई है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में बीडी कामगारों के लिए मौजूद कल्याण कोष के अनुभव के आधार पर कामगारों के कल्याण हेतु केन्द्रीय निधि की भी सिफारिश की गई थी। वह अनुभव अच्छा नहीं रहा है। यह कहा गया है कि मत्स्य प्रसंस्करण और नमक कामगारों आदि के लिए कुछ कल्याण कोष गठित करने का अवश्य प्रयास किया जाना चाहिए।

मेरे पास श्रम सांख्यिकी के पॉकेट बुक का 2000 का संस्करण है। मैं नहीं जानता कि इसके बाद का संस्करण प्रकाशित किया गया है। डा. सत्यनारायण जटिया यह कहने में समर्थ होंगे क्योंकि वे पूर्व श्रम मंत्री हैं। यदि आप उस पॉकेट बुक को देखेंगे तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई मामलों में कल्याण कोष में जमा की गई उपकर राशि के रूप में संग्रहित राशि का पूर्ण व्यय नहीं किया गया है। मैं बीडी कामगारों का मामला बाद में उठाऊंगा जब मैं बीड़ी कामगार कल्याण कोष के बारे में बोलूंगा।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना की सिफारिश की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन वर्ष पूर्व असंगठित कामगारों के लिए भविष्य निधि–सह–पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना एक आदर्श योजना है जिसे अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी क्रियान्वित किया जा सकता है। असुरक्षित श्रमिक समूह जैसे बाल श्रमिक, बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर, भवन और निर्माण मजदूर, और भूमिहीन कृषि मजदूरों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसे असुरक्षित श्रमिक वर्ग के लिए पेंशन योजना शुरू करने का सुझाव दिया है। मुझे नहीं पता कि वर्ष 1999 में गठित सामाजिक सुरक्षा संबंधी कृतिक बल द्वारा दिए गए सुझावों को क्रियान्वित किए जाने के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

इस कृतिक बल ने कई सिफारिशें की हैं। मेरा अनुभव है कि उनमें से अब तक किसी भी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। सबसे नया है द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन। सभा में यह बात कही गयी थी कि द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामगारों के हितों की रक्षा करने हेतु कुछ उपायों की सिफारिश करने का था असंगठित कामगारों का प्रतिशत 80 से 85 है और इनमें से अधिकांश कामगारों का शोषण किया जा रहा है। यद्यपि कुछ विधान बने हैं, नियोक्ताओं द्वारा इन विधानों के प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

महोदय, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने व्यापक विधान की सिफारिश की है। श्रम मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक, 2003 पर प्रारूप का वितरण किया है। इसे अभी तक पुरःस्थापित भी नहीं किया गया है। लेकिन इस विधेयक के प्रारूप को मजदूर संघों के बीच उनकी राय जानने के लिए वितरित किया गया है।

श्रम मंत्री ने विस्तार से बताया है कि भारत सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले कल्याणकारी अपायों के बारे में उनके विचार क्या हैं। बी.एम.एस. से लेकर सी.आई.टी.यू. तक सभी मजदूर संघों ने इस विधेयक के प्रारूप के विभिन्न प्रावधानों पर गंभीरतापूर्वक आपत्ति जताई है। और, उन्होंने संयुक्त रूप से श्रम मंत्रालय के पास विचारण हेतु अपने सुझाव भेजे हैं।

उनके सुझाव क्या हैं? वे हैं : (क) असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक, 2003 में सुधार करना; बड़े और विशिष्ट वर्ग के लिए एक पृथक विधेयक होना चाहिए जैसे कृषि कामगार। इस विधेयक के साथ–साथ रोजगार की स्थिति, कल्याण, सुरक्षा पक्षों के संबंध में एक पृथक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

महोदय, मैंने प्रारूप विधेयक का अध्ययन किया है। मेरा यह भी विचार है कि मौजूदा प्रावधानों के साथ इस विधेयक से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह कामगारों के हितों की रक्षा करने

(श्री बसुदेव आचार्य)

में समर्थ नहीं होगा। कुछ बोर्डों और समितियों का गठन करने के अलावा विधेयक में ऐसा काई प्रावधान नहीं है।

तब दूसरा (ख) सुझाव है कि असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक सहित इस विधेयक मे केन्द्र और राज्य सरकारों से प्रारंभिक धनराशि और नियमित योगदान प्रावधान होना चाहिए।

उनका सुझाव (ग) है कि सरकार द्वारा अधिनियम के प्रशासन के पूर्ण लागत का वहन किया जाना चाहिए, कम से कम पांच वर्षों के लिए, और स्थिति की समीक्षा और परीक्षण किया जा सकेगा। विशिष्ट अवधि के बाद प्रतिबद्धता तैयार की जानी चाहिए।

उनका सुझाव (घ) है कि योजना में शामिल किए गए न्यूनतम मूलभूत कल्याण और पेंशनरी लाभ को विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वह विधेयक में नहीं है।

उनका सुझाव (ङ) नियोक्ता–कर्मचारी संबंध के बारे में है। आज कुछ वर्गों में, आवास आधारित कामगार हैं, विशेषकर बीड़ी उद्योग में। सभापति महोदय, वही स्थिति आपके राज्य में भी है। बीड़ी क्षेत्र में क्या हो रहा है? बीड़ी एक जगह नहीं बनाई जाती, कामगारों को सुबह में तम्बाकू और पत्ते मिलते हैं; अपने घर में जाते हैं और बीड़ी का रोल बनाते हैं; और तब शाम में वे अपने नियोक्ता के यहां बीड़ी लाकर जमा करते हैं और वापस चले जाते है, इसलिए, वहां काई नियोक्ता–कर्मचारी संबंध नहीं है। जब नियोक्ता की पहचान नहीं होती, तो कामगार अपना रोजागर बदलने को बाध्य हो जाता है। निर्माण मजदूर और बीड़ी कामगारों के मामले में, कर्मचारी अपना नियोक्ता आसानी से बदल देते हैं। इसलिए, नियोक्ता के योगदान का भुगतान सरकार और बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए। यह सभी मजदूर संघों का संयुक्त सुझाव है। अधिनियम के अंतर्गत गठित बोर्ड, एक ऐसा निकाय होना चाहिए जिसके पास बोर्ड के विभिन्न कार्यों और योजनाओं को नियंत्रित करने के लिए सांविधिक शक्तियां हों।

ये सुझाव हैं: सरकार ने अब तक इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है या उन्हें शामिल करने पर अपनी सहमति नहीं दी है, बाद में मूल प्रारूप बदल दिया गया, लेकिन दूसरा प्रारूप लाने के बावजूद, मजूदर संघ के एक भी सुझाव को शामिल नहीं किया गया था।

कई विधान बनाए गए हैं, ठेके श्र[illegible] के संबंध में विधान हैं – ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970। एक संयुक्त समिति थी; उस समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं। तब, विधान तैयार किया गया था और वर्ष 1970 में संसद में अधिनियमित किया गया था। इसमें ठेका श्रमिकों के लिए बहुत सी अच्छी बाते हैं। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या ठेकेदार इन सभी उपबंधों का पालन कर रहे है अथवा ध्यान दे रहे हैं?

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है कि धारा 16, 17, 18 और 19 के अंतर्गत ठेका श्रमिकों के लाभ के लिए कोई सुख–सुविधा उपलब्ध कराना अपेक्षित है और यदि नियोक्ता प्रतिष्ठान है तथा विहित अवधि में उपलब्ध नहीं करा रहा है, तो प्रधान नियोक्त द्वारा ऐसी सुविधाएं निर्धारित अवधि में, उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कहीं ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मुख्य नियोक्ता अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं?

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के बारे में यह उपबंध है कि ठेका श्रमिकों को, नियमित श्रमिकों अथवा स्थायी श्रमिकों को दी जा रही मजदूरी के समतुल्य मजदूरी दी जाएगी। यह भुगतान दैनिक आधार पर होगा। क्या मैं यह जान सकता हूं कि सीपीएसयू द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों अथवा भारतीय रेलवे द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों को नियमित श्रमिकों के समतुल्य मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। धीरे–धीरे अनेक श्रमिकों को अब ठेकदारों के सुपुर्द किया जा रहा है। कुछ मामलों को छोड़कर, क्या ऐसा कोई स्थान है जहां ठेका श्रमिकों को स्थाई श्रमिकों के समतुल्य मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है?

आज भारतीय रेल में ठेका श्रमिक रेल पथ के अनुरक्षण का कार्य कर रहे हैं। रेलवे गैंग मैन भी रेल पथ अनुरक्षण कार्य में लगे हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या रेलवे पथ के अनुरक्षण में लगे ठेका श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों के समतुल्य मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है?

कोल इंडिया की एक अनुषंगी कम्पनी महानदी कोल फील्ड्स है, मैंने महानदी कोल फील्ड्स के बसुन्धरा क्षेत्र में, जहां 22000 ठेका श्रमिक और 17000 स्थाई श्रमिक नियोजित हैं, का दौरा किया था। मैंने वहां यह देखा कि ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी तक का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इसे न्यूनतम मजदूरी कहा जाता है, अधिकतम मजदूरी नहीं। मजदूरी, सरकारी अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी से न्यून नहीं होनी चाहिए। परन्तु महानदी कोल फील्ड्स में मैं एक विशेष क्षेत्र को जानता हूं क्योंकि मैंने वहां का दौरा किया था, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एफ सी आई के अदरा गोदाम में भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान जिसका तात्पर्य नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान होता है, को भी श्रमिकों के वेतन से काटा जा रहा है। श्रम मंत्रालय और ठेका श्रम बोर्ड दोनों की जानकारी में यह बात लाई गई परन्तु आज भी नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के अंशदान को श्रमिक के वेतन में से काटा जाता है।

मुझे इस बात की जानकारी है कि रेलवे में में ठेका श्रमिकों के लिए भविष्य निधि का कोई प्रावधान नहीं है। पुरुष और महिला श्रमिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, परन्तु अभी भी ऐसा हो रहा है। ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है, फिर स्थाई श्रमिकों के समतुल्य मजदूरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहां लगभग 40 लाख बीड़ी कामगार हैं। पहले 1000 बीड़ियों पर 50 पैसे का उपकर संग्रहित किया जा रहा था, अब यह दो रुपया है। यह उपकर बीडी कामगारों के कल्याणार्थ है। भारत सरकार में इस समय विशेषकर वित्त विभाग में गैर–योजना व्यय समिति है। समिति ने निर्णय किया है कि बीडी कामगारों के लिए कोई चिकित्सालय नहीं होगा। महोदय, इन बीडी कामगारों को जिन दशाओं में कार्य करना पडता है, आप उससे अवगत होंगे। उनकी सम्पूर्ण जीवन–प्रत्याशा अन्य श्रेणी के श्रमिकों की तुलना में काफी कम है। ऐसा अस्वास्थ्यकर दशाएं, तम्बाकू की गंध के कारण है। जहां उनको कार्य करना पडता है। उनको इन अस्वास्थ्यकर दशाओं में 12 घंटे तक कार्य करना पड़ता है, इस वजह से उनकी सम्पूर्ण जीवन प्रत्याशा अन्य श्रेणी के श्रमिकों की तुलना में काफी कम है।

भारत सरकार ने 1996 में यह निर्णय लिया था कि मजदूरी का समान राष्ट्रीय स्तर होगा। यह धारणा 1996 में बनाई गई थी। केन्द्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि किसी भी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी इस राष्ट्रीय स्तर से कम नहीं होनी चाहिए।

वर्ष 1991 में गठित राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की संस्तुतियों के आधार पर इसे प्रारम्भ में 35 रुपए प्रतिदिन नियत किया गया था और मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुरूप इसकी आवधिक रूप से समीक्षा की गई थी। एक समान राष्ट्रीय मजदूरी को दिनांक 1.9.2002 से संशोधित करके 50 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों में आज क्या स्थिति है? मेरे पास आंकड़े हैं, पश्चिम बंगाल में यह दर सबसे अधिक 61.62 रु. है, और मध्य प्रदेश में यह सबसे कम 32.42 रु. है जो 1996 में नियत 35 रु. से भी कम है। अब यह 50 रु. से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में बीड़ी कामगारों को 32.50 रु. की दर से भुगतान किया जा रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी बीड़ी कामगारों को शामिल किया जाना चाहिए। मेरे जिले में बीड़ी कामगार 50,000 हैं। दो–तीन विकास प्रखंडों में है। मैंने यह देखा है कि यद्यपि भविष्य निधि योजना आवश्यक और आदेशात्मक है परन्तु इन 50,000 श्रमिकों में से मात्र 17,000 श्रमिक ही अभी तक इस योजना में शामिल किए गए हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में वर्कर्स कॉआपरेटिव ऑफ बाकुड़ा के बारे में जानता हूं। मैंने श्रम मंत्री महोदय से सम्पर्क करके यह अनुरोध किया था कि सहकारी संस्था के स्वामी श्रमिक हैं और वे बकाए के रूप में 50 से 60 लाख रु. जमा नहीं कर सकते अतः उनके लिए इसमें छूट दी जानी चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो उस सहकारी संस्था का समापन हो जाएगा और सभी 300 बीड़ी कामगार बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन बीड़ी कामगारों को उस सहकारी संस्था को कोई छूट नहीं दी गई। उन्हें किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दी गई। जहां तक निजी नियोक्ताओं का संबंध है, यदि वे भविष्य निधि योजना को शुरू नहीं करते हैं, तो भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मंत्री महोदय हमें यह बताएंगे कि भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत अब तक कितने नियोक्ताओं को अभियोजित किया गया है। मुझे ऐसे एक भी अभियोजना की जानकारी नहीं है।

महोदय, मैं कल्याण निधि का मात्र उल्लेख कर रहा हूं। वर्ष 2001–02 के आंकडों के अनुसार बीड़ी उपकर से 67 करोड रुपए का संग्रहण किया गया था। इन 67 करोड़ रुपए मे से केवल 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मेरे जिले में बीड़ी कामगारों के लिए एक चिकित्सालय को स्वीकृति दी गई थी। डा. जटिया ने मुझे एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया है:

(श्री बसुदेव आचार्य)

"मुझे यह सूचित करते हुए खुशी है कि झाल्दा में बीड़ी कामगारों के लिए 30 शय्याओं वाले चिकित्यालय की स्थापना को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है। बीड़ी कामगारों के कल्याण निधि में अपेक्षित धनराशि उपलब्ध होते ही चिकित्सालय और आवासी परिसर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।"

निधियों की उपलब्धता को दर्शाने के लिए हमारे पास आंकड़े हैं। वार्षिक प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि 67 करोड़ रुपए में से मात्र 35 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं। राज्य सरकार ने उन्हें बारह एकड़ भूमि निःशुल्क सौंपी थी। तत्पश्चात्, मुझे सचिव, श्रम मंत्रालय का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि गैर योजना व्यय सबंधी समिति द्वारा विचार करने के पश्चात् ही परियोजना स्थापित की जाएगी। गैर योजना व्यय संबंधी समिति को कुछ मुद्दों पर संतुष्ट करने में परियोजना में होने वाले संभावित विलम्ब को देखते हुए सी.एन.ई. का विचार था कि कर्मचारी संगठनों, राज्य सरकारों और गैर–सरकारी संगठनों की चिकित्सालय का प्रबंध का कार्य सौंप देना चाहिए। सी.एन.ई. इस कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात् नए प्रस्ताव पर विचार करेगी। श्रम मंत्रालय के पास निधियां उपलब्ध हैं। यह धनराशि बीड़ी कामगारों के कल्याणार्थ है न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे जिले से कितना राजस्व संग्रहित किया जा रहा है और पुरुलिया तथा बांकुरा जिले के बीड़ी कामगारों के कल्याण पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है। वह चिकित्सालय किसी एक जिले के लिए नहीं है, अपितु इसका मतलब तीन जिलों के एक लाख बीड़ी कामगारों की सेवा करना है। राज्य श्रम बोर्ड, बीड़ी कामगार बोर्ड ने इसकी सिफारिश की थी और माननीय मंत्री महोदय ने भी इसको अनुमोदन दिया है। भूमि उपलब्ध करा देने के बावजूद भी पिछले दो वर्षों में कोई कार्य नही किया गया है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ऐसी कई बातें हैं जिन्हें शामिल किया जाना है। प्रस्ताव अपने आप में परिपूर्ण है। यदि आप देखेंगे, तो पाएंगे कि मैंने इनमें से केवल एक या दो बातों पर चर्चा की है।

महोदय, अब मैं निर्माण कार्यों से जुड़े कामगारों की बात करना चाहता हूं। उन्हें जोखिम भरी शर्तों के आधार पर काम करना होता है। निर्माण कार्यों से जुड़े कामगारों के लिए वर्ष 1996 में एक विधान बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि इन लोगों के कल्याणार्थ एक कल्याणकारी कोष बनाया जाएगा। हालांकि यह विधान 1996 में बनाया गया, किन्तु इसे अब तक केवल दो राज्यों – असम और केरल ने अधिनियमित किया है और पश्चिम बंगाल सहित चार राज्यों ने नियम बनाए हैं और अन्य पाँच–छह राज्यों ने विशेषज्ञ समिति गठित की हैं। काफी अनुनय–विनय और लम्बे अरसे से मांग के पश्चात् भारत सरकार ने यह विधान बनाया था, किन्तु दो या तीन राज्यों को छोड़कर कहीं भी इसका कोई प्रावधान अब तक लागे नहीं हो सका है। श्रम मंत्रालय इस संबंध में क्या कर रहा है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले को राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में उठाया गया था या नहीं और इसे राज्य श्रम मंत्रियों की जानकारी में दी गई या नहीं। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में क्या कठिनाइयां हैं? इस अधिनियम में कई अच्छी चीजें निहित हैं। किन्तु, उन्हें राज्य सरकारों द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। कल्याणकारी बोर्ड बनाया जाएगा, कल्याणकारी कोष बनाया जाएगा, निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। ये सभी चीजें उसमें हैं। किन्तु हम देख रहे हैं कि इस संबंध में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। निर्माण कार्यों से जुड़े लगभग दो करोड़ कामगार हैं। वर्ष 1999 में, यह आंकड़ा 1,76,00,000 का था। आज यह दो करोड़ का है।

अपराह्न 5.00 बजे

कोई भविष्य निधि नहीं, कोई उपदान नहीं, कोई पेंशन नहीं और यहां तक कि इन कामगारों को जो मजदूरी दी जाती है वह भी कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं है, जबकि उन्हें जोखिम भरे हालात में काम करना पड़ता है।

जैसाकि आप को मालम है कि देश मे बीस करोड़ से अधिक कृषि कामगार हैं। असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कामगार कृषि कार्यों से जुड़े रहे हैं। 1991 में कृषि श्रमिकों के मामलों में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने विशेष रूप से कतिपय सिफारिशें की थीं। जिस बात की सिफारिश की गई थी वह यह थी कि कृषि कामगारों को रोजगार सुरक्षा कार्य के निर्धारित घंटे, निर्धारित मजदूरी का भुगतान और विवादों के निपटान हेतु तंत्र प्रदान करने हेतु केन्द्रीय विधान होना चाहिए। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि कृषि कामगारों के पंजीकरण का प्रावधान होना चाहिए और उन्हें पहचान पत्र दिए जाएं। विधान में कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा उपायों हेतु योजनाएं तैयार करने का समर्थकारी प्रावधान होना चाहिए।

वर्ष 1991 में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय को एक भारी भरकम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, अब यह वहां धूल चाट रही है। अब तक कम से कम कुछ सिफारिशों को लागू करने विशेष कृषि कामगारों के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया है। कृषि कामगारों हेतु व्यापक विधान की मांग की जाती रही

है, लेकिन अब तक ऐसा विधान क्यों नहीं बन पाया है। अन्य श्रेणी के कामगारों हेतु हमारे पास कई विधान है, लेकिन ऐसे कामगारों जिनकी संख्या 20 करोड़ से अधिक है, जो अत्याधिक शोषित हैं, वे किसी विधान के अंतर्गत नहीं आते हैं।

आप जानते हैं कि बिहार के कृषि श्रमिक अपने राज्य से काम की तलाश में हरियाणा और पंजाब को प्रवास कर जाते हैं। क्या उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नियमित रूप से कार्य मिलता है? क्या कृषि श्रमिकों के लिए कोई कल्याणकारी योजना है? पश्चिम बंगाल के अलावा कृषि श्रमिकों के लिए कोई योजना नही है जहां भविष्य निधि योजना लागू की भी है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार किया गया है। कहीं भी किसी विधान अधिनियमित करने का प्रयास नहीं किया गया है। वर्ष 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने विधेयक का मसौदा तैयार किया था। इस मसौदा विधेयक का परिचालन भी किया गया था।

वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुछ राज्य सरकारें इससे सहमत नहीं हैं। राज्य सरकार सहमत हो सकती है या नहीं, जब पोटा अधिनियमित किया गया था तो क्या सभी राज्य सरकारें ऐसे कठोर कानून से सहमत थीं ? महोदय, आप भी सहमत नही थे और आपने भी इसका समर्थन नही किया था। बावजूद इसके, इस कठोर कानून को अधिनियमित किया गया है। लेकिन, जब कृषि कामगारो के लिए कानून बनाने का प्रश्न आता है तो राज्य सरकारों से विरोध का प्रश्न उठाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी सरकार की मंशा को समझ सकता है। जब तक एक व्यापक विधान तैयार नहीं किया जाता, जब तक करोड़ों कृषि श्रमिकों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपाय नहीं किए जाते तब तक गैर संगठित क्षेत्र मे सुधार नही हो सकता है। हमें कृषि कामगारो के कल्याण हेतु कुछ करने के लिए सहमत होना चाहिए।

अब कितने सांविधिक बकायों का भुगतान किया जाना है? उपदान, भविष्य निधि, पेंशन और वेतन का क्या होगा? मेरे पास आंकड़े हैं, वे हर माह बढ़ते जा रहे हैं। मार्च में मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मुझे बताया गया कि वहां 1700 करोड़ रुपये हैं और आज यह 2022 करोड़ रुपये हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आरंभ में, मैंने कहा था कि यह 40 करोड़ कामगारों से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए, मुझे लगभग 10 मिनट और दीजिए। मैं बेरोजगारी की समस्या, बोनस और अन्य मुद्दों पर नही आया हूं।

महोदय, इन्हे सांविधिक बकाया कहा जाता है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कामगारों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि श्रम मंत्री को इस बात की जानकारी है या नहीं। हमारे यहां मजदूरी संदाय अधिनियम है, लेकिन महीनों से कामगारों को वेतन नहीं मिल रहा है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि बर्न स्टैंडर्ड के कामगारों को तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की कुछ इकाइयों के कामगारों को आठ महीनों से वेतन नहीं मिला है। इस तरह के बहुत से मामले हैं। एक प्रमुख केबल उत्पाद कंपनी, हिन्दुस्तान केबल्स में 4000 कामगारों को पिछले पाँच महीनों से वेतन नहीं मिला है। मैंने मंत्री महोदय को बहुत से पत्र लिखे हैं। केवल किसान ही नहीं कामगार भी आत्महत्या कर रहे हैं। मैं आपको उन कामगारो की सूची दे सकता हूं जिन्होंने आत्महत्या की है। भूख से मौतें हुई हैं। उन्हें भविष्य निधि, उपदान तथा संविधिक बकाया राशियों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

गत वर्ष अगस्त के महीने में मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। एक वर्ष बीत चुका है। लेकिन विचार विमर्श और बैठकों के सिवाय कोई परिणाम नही निकला है। इन कामगारों के बकाया सांविधिक बकाया हैं। जब कंपनी की स्वामी भारत सरकार हो तो, किसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है? श्रम मंत्री मजदूरी संदाय अधिनियम मुझ से बेहतर जानते हैं। यदि अगले महीने तक वेतन का भुगतान नहीं दिया जाता है तो प्रावधान यह है कि कार्रवाई की जा सकती है। जब भारत सरकार कंपनी की स्वामी हो तो किसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है? मैंने यह मुद्दा अनेकों बार उठाया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कहीं कर्मकार प्रतिकर अधिनियम कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं, विशेषकर संविदाकार कामगारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मामले में। आप निर्यात प्रसंस्करण जोन में जाइए जहां आप श्रमिकों को 12 घंटों तक काम करते हुए देख सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को भी कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। महोदय, वह समस्या से भली–भांति परिचित हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने माइका डिवीजन को बंद करने के लिए एम एम टी सी को अनुमति देने से मना कर दिया।

लगभग 827 कामगारों की छँटनी की जा रही है। उन्होंने 7 अगस्त को पुनः बैठक बुलाई है। मैं नहीं जानता कि 7 अगस्त को क्या होगा। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को उनके प्रस्ताव पर सहमत नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माइका डिवीजन भी एम एम टी सी के अन्य डिवीजनों की तरह है और माइका डिवीजन के कामगार भी एम एम टी सी के अन्य डिवीजन के कामगारों की तरह हैं, विशेषकर इसके एम एम टी सी के साथ विलय के बाद से। उनमें एक

(श्री बसुदेव आचार्य)

दूसरे के विपरीत भेदभाव नहीं किया जा सकता। मैंने माइका की दो इकाईयों अर्थात् गिरीडीह और झूमरी तलैया का दौरा किया है। मैंने देखा है कि उनका मूल वेतन केवल 300 रुपये है। उनके वेतनमान में वर्ष 1987 से संशोधन नहीं किया गया है। उन्होंने माइका के कामगारों के वेतनमान में संशोधन करने से मना कर दिया। सामाजिक सुरक्षा से बेरोजगारी की समस्या भी जुडी हुई है। यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है। आज हम सबने इस मुद्दे पर, जोकि एक ज्वलंत मुद्दा है। स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचनाएं दी हैं। रजिस्टर के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग छह करोड़ है। लेकिन संख्या उससे भी अधिक है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को बंद किया जा रहा है। उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने के बाद हमने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। हमारे अपने स्वदेशी उद्योग धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 1991 से अब तक लगभग चार लाख लघु और मध्यम उद्योग बंद हो गये हैं। आज इन इकाइयों में काम में लगे अनेक श्रमिकों का रोजगार छिन गया है। इस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रति वर्ष एक करोड रोजगार प्रदान करने का वादा किया था। बेरोजगार युवकों को एक करोड रोजगार! दो महीनों बाद यह सरकार अपने कार्यकाल के चार वर्ष पूरे करेगी। इसका अर्थ है कि चार करोड बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन वास्तव मे, यह संख्या कितनी है? माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार, 75 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है, और वह भी स्थायी रोजगार नहीं। उनके लिए रोजगार का अर्थ ग्रामीण विकास कार्य मे रोजगार से है। ऐसा औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के कारण हुआ है क्योंकि बंद हुई इन इकाइयों मे काम करने वाले श्रमिकों का रोजगार छिन गया है।

संगठित श्रेत्र के श्रमिकों की संख्या धीरे-धीरे घट रही है जबकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका कारण यह है क्योंकि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक अब असंगठित क्षेत्र में जा रहे हैं। आज ऐसी गंभीर स्थिति बनी हुई है। भविष्य निधि पर ब्याज दरों की पुरानी दरें दिए जाने की मांग की गई है। तीन वर्ष पूर्व ब्याज दर 12 प्रतिशत थी। आज यह 9.5 अथवा 9 प्रतिशत है।

मैं कर्मचारी पेंशन के एक मामले का उल्लेख करूंगा। कर्मचारी बीमा योजना, 1995 नवंबर 1995 में लाई गई तथा यह तत्काल कार्यान्वित कर दी गई थी। कर्मचारी बीमा योजना 1995 ने एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार/विधवा को पेंशन देने वाली परिवार पेंशन योजना, 1971 का स्थान लिया था। अंशदान थाः कुल मजदूरी का कर्मचारी 1.16 प्रतिशत, नियोक्ताओं से समान अंशदान और भारत सरकार द्वारा समान धनराशि। अतः वह कर्मचारियों के स्वामित्व वाली भविष्य निधि की राशि और सरकार की ओर से 1.16 प्रतिशत से कुल 2.32 प्रतिशत है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का वित्तपोषण नियोक्ताओं के अंशदान 8.33 प्रतिशत द्वारा किया जाता है, जोकि सभी कारणों से कर्मचारियों की राशि भी है।

इंजीनियर्स इंडिया लि. यूनियन तथा स्टीन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को चुनौती दी और कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया।

भारत सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। उच्च न्यायालयों से सारे मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए गए हैं। दिनांक 2.5.2001 को सुनवाई पूरी हुई लेकिन निर्णय आज तक सुरक्षित रखा गया है। वर्ष 1995-96 से हजारों करोड़ रुपये उंचत खाते में फंसे हुए हैं। उंचत खाते में फंसी हुई सारी राशि उन कर्मचारियों को वापस की जाए जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अथवा यदि कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का विकल्प नहीं चुना है तो उनके भविष्य निधि के खाते में वापस जमा की जाए।

अब मैं बोनस सीमा पर आता हूं। सभी पक्षों और सभी ट्रेड यूनियनों की ओर से यह मांग रही है कि बोनस पर लगी सीमा को हटाया जाना चाहिए। बोनस पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार को एक निर्णय ले लेना चाहिए क्योंकि दो महीनों बाद पूजा त्यौहार आ रहा है। इसलिए, उससे पूर्व एक निर्णय लेने की आवश्यकता है।

मैं विश्व श्रम रिपोर्ट, 2000 से अपना उद्धरण समाप्त करना चाहूंगा। यह रिपोर्ट मुख्यतः कामगारों की सामाजिक सुरक्षा पर थी। यह रिपोर्ट कहती है:

"21वीं सदी के आरंभ में अधिकांश लोगों में गरीबी की स्थिति बने रहने के कारण बहुत से समाज के वर्गों में गहरी दरारें आ रही हैं। आय सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना संभवतः मुख्य चुनौती है जो इस समय राष्ट्रीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने आ रही है। लाभपूर्ण कार्य – चाहे वह रोजगार हो या स्वरोजगार – वह निःसंदेह उक्त चुनौती के लिए प्रत्युत्तर में मूक तत्व है। लेकिन सामाजिक संरक्षा कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन यह किसी भी कीमत पर कार्य ही नहीं होना चाहिए बल्कि वह उचित कार्य होना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से चुना जाए और मानव प्रतिष्ठा का सम्मान करे।

अंततः सामाजिक संरक्षा न सिर्फ नैतिक रूप से अनिवार्य है बल्कि आर्थिक रूप से अर्थक्षम भी है। और सामाजिक संरक्षा की कार्यक्षम अर्थव्यवस्था और प्रभावी प्रणाली दोनों अन्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं। एक तथा अन्य के बीच संतुलन बनाना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार है जो अपने समय की आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के सभी महिलाओं और पुरुषों को उचित कार्य देना सुनिश्चित करेगा।"

यह मेरा अंतिम विषय है। अब मैं कोयला उद्योग, विशेषकर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पर आता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से सही–सही सूचना प्राप्त करने का अनुरोध करूंगा। एक समय, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 30000 से अधिक महिला कर्मी कार्यरत थीं। आज क्या स्थिति है? यह संख्या घट कर कुछ हजार ही रह गई है। महिलाकर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। धीरे–धीरे महिला कर्मियों की संख्या कम की जा रही है।

मैं यह संकल्प इस इरादे के साथ लेकर आया हूं कि अब समय आ गया है कि हम सभी को सबसे अधिक शोषण किए जाने वाले कामगारों के वर्ग के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। वे असंगठित श्रमिक – ईंट–भट्टा कामगार, निर्माण–कार्य श्रमिक, ठेका श्रमिक, कृषि श्रमिक और बीड़ी श्रमिक हैं। इन सभी श्रमिकों का शोषण किया जाता है। हम इनके लिए कितनी राशि खर्चकर रहे हैं? भारत सरकार सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.4 प्रतिशत खर्च कर रही है जबकि एक छोटा देश, श्रीलंका सामाजिक सुरक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत खर्च कर रहा है।

इन शब्दों के साथ, मैं उन चालीस करोड़ श्रमिकों की समस्याओं पर आज मुझे बोलने हेतु समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं जोकि अधिकांशतः हमारे देश के असंगठित श्रमिक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"यह सभा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा में निरंतर **हो रही कमी पर** अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती **है और सरकार से आग्रह करती है कि वह सभी** असंगठित **श्रमिकों के लिए भविष्य निधि योजना** आरंभ **करके;** भविष्य निधि **की ब्याज दर को पुनः 12 प्रतिशत करके;** बोनस भुगतान की सीमा **को समाप्त करके; श्रमिकों को** सभी सांविधिक **बकायों** का भुगतान **सुनिश्चित करके; पर्याप्त स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाएं प्रदान करके; कृषि श्रमिकों के कल्याण** के लिए एक व्यापक विधान **अधिनियमित करके और ठेका श्रमिकों** को न्यूनतम मजदूरी का **भुगतान सुनिश्चित करके श्रमिकों** के हितों के संरक्षण के लिए उपाय करे।"

श्री रामजीलाल सुमन।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : क्या मैं श्री सुमन के बोलने से पूर्व एक अनुरोध कर सकता हूं? अगला संकल्प भी इसके समान है। यह भी श्रमिकों से संबद्ध है। कृपया आप इन दोनों संकल्पों को साथ मिला लें।

सभापति महोदय : उस संकल्प को इसके बाद लिया जाएगा।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं केवल आपकी ओर से निदेश चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* कृपया आप दोनों संकल्पों को साथ मिलालें, उसके बाद हम बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : यह लगभग एक समान है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह लगभग वैसा ही है। यह पुनः देश में रोजगार की स्थिति पर चिंता व्यक्त करता है। कृपया आप दोनों संकल्पों को मिला लीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप इस विषय पर चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, बोल तो सकते हैं, लेकिन इन दोनों को अगर क्लब कर दिया जाए, तो कांप्रिहैंसिव डिसकशन हो जाएगा। दोनों प्रस्ताव एक ही तरह के हैं ...*(व्यवधान)*

चौधरी तालिब हुसैन (जम्मू) : हमारी भी यही राय है कि दोनों को क्लब कर दिया जाए, तो दोनों पर डिसकशन एक साथ हो जाएगा।

چودھری طالب حسین (جموں): ہماری بھی یہی رائے ہے کہ دونوں کو کلب کر دیا جائے تو دونوں پر ڈسکشن ایک ساتھ ہو جائے گا۔

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि दोनों रिजोल्युशन में काफी चीजें समान हैं। अगर दोनों पर एक साथ डिसकशन हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, नियमों के तहत ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वे दोनों क्लब करके बोलना चाहें, तो बोल सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, श्री बसुदेव आचार्य जी ने सदन में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी और मोटे तौर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जो

(श्री रामजीलाल सुमन)

प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। श्री बसुदेव आचार्य जी ने अपने प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा की है। काश, आपने उनको और समय दिया होता, तो श्री बसुदेव आचार्य जी किसी और के बोलने के लिए कुछ नहीं छोड़ते। आपने बड़ी कृपा की कि उनकी वाणी पर विराम लगाया, नहीं तो बसुदेव आचार्य जी के लक्षण अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे।

महोदय, हमारे देश में 94 फीसदी असंगठित मजदूर हैं और 6 फीसदी संगठित श्रमिक हैं। भारत सरकार ने दूसरा श्रम आयोग बनाया और दूसरे श्रम आयोग ने जो संस्तुतियां प्रस्तुत की थीं, उन संस्तुतियों में यह भी था कि असंगठित मजदूरों की आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार कानून बनाए। 24 फरवरी के दिन महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने की सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। श्री साहिब सिंह वर्मा, श्रम मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, वे लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार सुविधा उपलब्ध करायेगी और इसी मानसून सत्र में सरकार असंगठित श्रमिकों को सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए कानून बनाने के लिए काम करेगी। 10 जुलाई तक बराबर साहिब सिंह वर्माजी के बयान अखबारों में छपते रहे हैं और उससे पहले विभिन्न मंचों पर एलान करते रहे हैं कि असंगठित मजदूरों के लिए सरकार इसी मानसून सत्र में विधेयक ला रही है।

12 जुलाई को समाचार पत्रों में छपा कि साहिब सिंह जी की नीयत 37 करोड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के लिए विधान बनाने की थी जिसे कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी लेकिन वित्त मंत्रालय ने मंजूर नहीं किया। यह एक बहुत गंभीर सवाल है और आम जनता की जिन्दगी से जुड़ा सवाल है। यह देश के करोडों लोगों के भविष्य से भी जुडा सवाल है। इसे पास कराने के लिए आप वित्त मंत्री से बात करें। मेरी प्रार्थना है कि यह विधेयक जल्द आना चाहिए।

कृषि श्रमिकों के लिए विधान बने, ऐसा मसौदा 1975 से आपके मंत्रालय में लम्बित है। 1980 में फिर से इसका मसौदा तैयार हुआ। 1997 में आपने कुछ संशोधन किए। इसके बाद भारत सरकार ने श्रम मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया। 18 जनवरी, 2002 को राज्यों के श्रम मंत्रियों का फिर सम्मेलन बुलाया गया। उसके बाद घोषणा की गई कि राज्यों के श्रम मंत्रियों की इस बारे में एक राय नहीं है, सहमति नहीं है और ऐसा विधान बनाने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। आचार्य जी ने ठीक कहा कि यदि भारत सरकार की नीयत ठीक होती है, मंशा ठीक होती है तो वह कमी-कमी राज्य सरकार के बगैर संस्तुति के विधान बना देती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह करोडों कृषि श्रमिकों से जुडे सवाल पर एक बार फिर राज्य के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाएं। यदि इसके लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करना पडे तो वह भी किया जाए क्योंकि यह देश के भविष्य का सवाल है। मुझे माफ करना, आपको याद होगा मैंने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि आज समाज में तनाव के पीछे यदि कोई कारण है तो वह बेरोजगारी के अलावा दूसरा नहीं है। यदि हम लोगों को रोजगार नहीं देंगे, वे खाली हाथ बैठे रहेंगे और उनके पास श्रम नहीं होगा तो खाली दिमाग दूसरी दिशा में चला जाएगा। उसी का परिणाम है कि आज समाज में तनाव पैदा हो रहा है। समाज में अमन-चैन रहे इसके लिए आवश्यक है कि लोगों को काम मिले। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संरक्षण के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए आप जो कानून इसी सत्र में लाने वाले थे जिसे वित्त मंत्रालय ने मंजूर नहीं किया, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो प्रधान मंत्री से बात करें। यह 1975 से लम्बित पडा है। कृषि मजदूरों की समस्याओं पर विधान बनाने के लिए एक मसौदा बना पड़ा है। उसमें अनिश्चितता का वातावरण बना है जो टूटना चाहिए।

ग्रामीण श्रमिकों का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि 1991 में ग्रामीण श्रमिकों के हितों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक हित आयोग का गठन किया गया था और इसके बाद न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई थी जो 35 रुपये प्रति-दिन थी। 1.12.99 से खेतिहर मजदूरों की दैनिक मजदूरी 45 रुपये प्रतिमाह हुई। 30 परसैंट जो गांव के लोग हैं, उनकी मासिक आय 327 रुपए प्रति-माह है। उन्हें 365 दिनों में से सौ दिन काम मिलता है। उनके लिए स्थायी काम का कोई बंदोबस्त नहीं है। जहां तक रोजगार के अवसरों के सृजन का सवाल है, 1983 से 1994 के बीच 2.04 परसैंट रोजगार के अवसर बढे। 1994 से 2000 के बीच में जब 1998 में श्री वाजपेयी जी की सरकार आई, उस समय यह प्रतिशत और ज्यादा हो गया। हम किस दुनिया में जी रहे हैं? सरकार एक वर्ष में एक करोड नये रोजगार पैदा करने की बात करती है। हम जो कुछ करते हैं, जब तक व्यक्ति को हकीकत रूप से अहसास नहीं होगा तो वह वास्तविकता से दूर चला जायेगा। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में एक धोखा है।

सभापति महोदय, 1999-2001 में 2.8 करोड़ श्रमिक संगठित क्षेत्र में थे और असंगठित क्षेत्र में 36.9 करोड़ श्रमिक थे जिनमें 23.7 करोड़ श्रमिक सिर्फ कृषि क्षेत्र के हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि 3 करोड़ श्रमिकों को 183 दिन से कम काम मिलता है और सरकार एक करोड़ श्रमिकों को काम देने की बात करती है। जबकि हर साल 70 लाख नये बेरोजगार इस देश में पैदा हो रहे हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना

के अंत तक अगर यह स्थिति यथावत् रही तो यह संख्या 21 बिलियन तक हो जायेगी।

सभापति महोदय, सरकार ने 01.07.2001 से कृषि श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरु की थी जिसमें जीवन सह श्रम योजना, धनराशि वापसी पेंशन वर्ष लाभ जिसके तहत 18 से 50 वर्ष के श्रमिकों को उसका लाभ मिलना था। सरकार ने कहा था कि श्रमिक इस योजना में अपनी तरफ से प्रतिरोज एक रुपया देगा और सरकार उसमें दो रुपये प्रतिरोज डालेगी। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उत्तर में पूरा ब्यौरा दें कि इस योजना को किस तरह से अमलीजामा पहनाया जा रहा है। कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए वर्ष 2000 में एक कोष की स्थापना की गई थी कि मालिकों के आंशिक योगदान से मजदूरों के कल्याण के लिए एक कोष बनायेंगे लेकिन वह योजना आज तक कार्यान्वित नहीं हो सकी।

इस देश में 60 प्रतिशत श्रमिक कृषि पर निर्भर करते हैं, 13 प्रतिशत मजदूरी उद्योगों पर आधारित हैं, 27 प्रतिशत वे लोग हैं जिनका संबंध सेवा क्षेत्र से है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस नीति के पीछे सरकार का विरोधाभास है। माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण, जो एक प्रकार से सरकार का सौगन्धनामा होता है, उसमें एक करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाने की बात की गई थी। 15 अगस्त, 1998 को माननीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक करोड लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दिए जाने की बात कही थी। यह बात बराबर चलती रही। गत वर्ष राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ कहा, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं:–

> "प्रधान मंत्री जी ने कहा कि रोज़गार का प्रश्न टेढ़ा है, आर्थिक विकास जरूरी है, उन्हें सही दिशा में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है लेकिन रोजगार के अवसर भारी उद्योगों में कम हो रहे हैं, तकनीकी कारणों से भविष्य में और कम होने की सम्भावना है।"

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब बहस हुई तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी आर्थिक उदारीकरण नीति के चलते हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या और जटिल हो जायेगी। सरकार घोषणा कुछ भी करे लेकिन सरकार खतरों को वास्तविक रूप से जानती है। आज सब से बुनियादी और अहम सवाल यही है कि अगर इस देश में इस मूल समस्या का अंत करना है तो उसके लिए दो ही विकल्प हैं – कृषि आधारित बजट और श्रम पर आधारित उद्योग।

दुनिया में जहां आबादी कम है, लोग कम हैं, वहां पूंजी और तकनीक को हम प्रोत्साहित करें तो बात समझ में आती है, लेकिन हिन्दुस्तान जैसा देश, जहां सौ करोड़ से ज्यादा की आबादी है, वहां पूंजी और तकनीक पर आधारति उद्योग यदि हम चलायेंगे तो सौ वर्षों में भी इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक हमारे देश का बजट कृषि पर आधारित नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। कहा जाता है कि किसान अन्नदाता है, देश में 60–70 परसेन्ट लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के बजट में निरन्तर कृषि की उपेक्षा होती रही है। इसलिए यदि इस देश को बचाना है तो देश की सामाजिक परिस्थिति को नजरअंदाज करके हम देश का कल्याण नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रोजगार के माध्यम हैं, उन माध्यमों में यह भी कहा गया कि सड़क निर्माण के कार्यों में ग्रामीण अंचलों के श्रमिकों को रोजगार देने का काम किया जायेगा। लेकिन जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसे वर्ष 2003 से 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पहले एक हजार की आबादी के गांव और उसके बाद पांच सौ की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की बात है। इसका जो लक्ष्य है, उसके हिसाब से वर्ष 2007 तक यह कार्यक्रम समाप्त हो जायेगा और सरकार के मुताबिक अगर इस कार्य में विलम्ब भी हुआ तो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का जो कार्यक्रम है, वह वर्ष 2010 तक खत्म हो जायेगा। मंत्री जी जब आप जवाब दें तो यह भी बतायें कि वर्ष 2010 के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि योजना की प्रगति बहुत आहिस्ता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को रोजगार की गारंटी हो और उनसे रोजगार न छीना जाए।

सभापति महोदय, इस बार दसवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया, जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि हम एक वर्ष मे एक करोड लोगों को राजगार देंगे। मैं रोजगार की बात नहीं जानता, लेकिन कमेटियों की बात जरूर जानता हूं। प्रधान मंत्री जी के 15 अगस्त, 1998 के भाषण के बाद तत्काल श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया कमेटी और द्वितीय श्रम आयोग हमने बना दिया। डा. एस.पी. गुप्ता कमेटी हमने बना दी और राज्यों में टास्क फोर्स गठित करने का काम भी हमने किया। एक वर्ष में एक करोड लोगों को रोजगार देने का जो लक्ष्य था, उसमें बकौल श्री एस.पी. गुप्ता जो योजना आयोग के सदस्य हैं, उनका कहना था कि एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोजगार यानी पांच वर्ष में पांच करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो हमारा आधार होगा, वह इस प्रकार है कि तीन करोड़ लोगों को रोजगार हम वार्षिक विकास की दर से देंगे और दो करोड़ लोगों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से देंगे।

(श्री रामजीलाल सुमन)
वर्मा जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार ने विकास दर का जो लक्ष्य घोषित किया है, वह आठ फीसदी है। पिछले वर्ष साढ़े चार फीसदी विकास दर रही है और इस बार मौसम अच्छा रहने के कारण विकास दर छः फीसदी रहने की संभावना है। वार्षिक दर का जो लक्ष्य हम हासिल करना चाहते हैं, वह लक्ष्य हमें नहीं मिल रहा है और वार्षिक विकास दर का आठ फीसदी का जो लक्ष्य हमने घोषित किया है, उसके निकट भी हम नहीं जा पा रहे हैं तो फिर हम लोगों को रोजगार कैसे दे पायेंगे। निश्चित रूप से यह एक विचारणीय सवाल है।

मैं एक निवेदन करना चाहता हू कि जब सरकार कहती है कि हम एक वर्ष में एक करोड लोगों को रोजगार देंगे तो मंत्री जी आप यह भी बताने का कष्ट करें कि हमने ऐसे कौन से क्षेत्रों को चिह्नांकित किया है, जहां से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मैं मिसाल के तौर पर उदाहरण देना चाहता हूं कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना मे वर्ष 1999-2000 में 4217 करोड रुपये का आबटन हुआ जो वर्ष 2000-2001 में यह घटकर 3868 करोड़ रह गया, वर्ष 2001-2002 मे यह घटकर 3792 करोड़ रह गया और वर्ष 2002-2003 मे यह और घटकर 3698 करोड़ रुपये रह गया। गाव के लोगों को जिस योजना से लाभ मिल सकता था, रोजगार मिल सकता था, उसके बजट को बढ़ाने के बजाय हम क्रमशः कम कर रहे है तो रोजगार कैसे बढेगा। इसके अलावा ग्रामीण स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में वर्ष 1999-2000 में 959 करोड़ रुपये आबंटित हुए।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 2000-2001 में 116 करोड रुपये, 2001-2002 में 969 करोड रुपये और 2002-2003 में सिर्फ 659 करोड रुपये दिये गये। ग्रामीण अंचल में जिन योजनाओं पर दौलत खर्च करके आप लोगो को रोजगार दे सकते थे, उनके बजट में आप निरंतर कमी करते जा रहे हैं। ग्रामीण अंचल में संचालित जो योजनाएं है, जिनसे ग्रामीण लोगों को काम मिल सकता था, एक राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी समझ से यह परे है कि सरकार एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोजगार कैसे दे पायेगी?

अंत मे मैं आपके माध्यम ये निवेदन करना चाहता हूं कि स्थिति बहुत भयावह है और बेरोजगारी की समस्या अत्याधिक जटिल है। हम लोगे आंकडों के आधार पर बात करते हैं कि इतने लोगों के नाम रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं, इतने लोग हमारे देश में बेरोजगार है - मैं समझता हूं कि ये आंकडे ठीक नहीं है। साहिब सिह वर्मा जी दिल्ली के मुख्य मंत्री रहे हैं और दिल्ली के रोज़गार कार्यालय में साढ़े दस लाख लोगों के नाम पंजीकृत थे। साढ़े तीन करोड़ रुपये से ज्याद, उस दफ्तर पर खर्च किए और तीन वर्ष में सिर्फ 215 लोगों को रोजगार मिला। यह समस्या बहुत गंभीर है और मैं समझता हूं कि आज की चर्चा जो बसुदेव आचार्य जी ने शुरू की है, उसका सार्थक मतलब यही होगा कि हम रोज़गार के नए अवसर पैदा कर सकें, बेरोज़गारों को काम दे सकें, उनके संरक्षण और सुरक्षा का, उनके बीमे का, उनको मिलने वाले लाभों का भुगतान करा सकें, उसके लिए कोई विधान ला सकें। मुझे यही निवेदन करना था।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति जी, बसुदेव आचार्य जी जो संकल्प लाए हैं, श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए उपाय करने के बारे में कि हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे हम कामगारों का कल्याण कर सकते हैं, श्रमिकों को सुरक्षा दे सकते हैं, उनको कैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, आर्थिक सुरक्षा कैसे दे सकते हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उसका समर्थन करता हूं।

महोदय, शिवसेना पार्टी हमेशा से ही कामगारों के हित में काम करने वाली पार्टी रही है। मैंने ध्यानपूर्वक बसुदेव जी का भाषण सुना। उनका भाषण सुनने के बाद श्रमिकों के बारे में ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। हमारा हिन्दुस्तान सौ करोड़ से अधिक की आबादी वाला देश है। हमारा देश ग्रामीण इलाकों में बसा हुआ है। इस सौ करोड़ की आबादी में से 40 करोड़ आबादी कामगार लोगों की है। 40 करोड़ लोगों का सवाल इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें संगठित और असंगठित मजदूर दोनों हैं। जो संगठित कामगार हैं, वे अपना हित जानते है, यूनियन के माध्यम से, धरना आदि के माध्यम से वे अपना हित-साधन करते हैं।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जो असंगठित श्रमिक हैं, उनका अपना कोई संगठन नहीं है। खासतौर पर जो खेती-बाड़ी में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनका अपना कोई संगठन नहीं है। देश में 12 करोड़ से अधिक लोग खेती में काम करते हैं। इन सबका अपना कोई संगठन नहीं है। मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कृषि श्रमिकों की स्थिति बहुत दयनीय है। वे बहुत दुरावस्था में अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। उनके न कोई काम के घंटे निर्धारित हैं और न कोई और सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। वे दिन में 10-10 और 12-12 घंटे काम करते हैं। उन्हें जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, वह भी नहीं मिलती है। उनके लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। उनके लिए किसी भी प्रकार की चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। वे दिन-रात खेती में काम करते हैं,

लेकिन हमारे देश में कोई श्रम कानून नहीं है जो उनकी सुरक्षा कर सके, उनके हक उन्हें दिला सके। हमारे देश में श्रम कानूनों की कमी नहीं है, लेकिन उनका फायदा संगठित श्रमिक उठा लेते हैं, लेकिन असंगठित श्रमिकों को उनका लाभ नहीं मिलता। हमारे देश में ऐसा कोई सिंगल लेबर लॉ नहीं है जो एग्रीकल्चर लेबर की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का प्रबन्ध कर सके।

महोदय, देश में कानून तो बहुत हैं। सरकार हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, लेकिन असंगठित श्रमिकों के लिए सरकार सुविधाएं उपलबध कराने हेतु जो प्रयास कर रही है, वे पर्याप्त नहीं हैं। सरकार की ओर से उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना, बीमा योजना, काम आधारित योजना, लेकिन ये सब योजनाएं सीमित हैं। ये जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जाती हैं, इनका स्वरूप व्यापक होना चाहिए, इनका दायरा व्यापक होना चाहिए। जो असंगठित श्रमिक हैं, उनकी समस्याएं बहुत व्यापक हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक बिखरे हुए हैं। सामान्यतः उनके पास सौदेबाजी की शक्ति नहीं होती है और यदि होती है, तो बहुत कम होती है। असंगठित श्रमिकों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं।

महोदय, असंगठित श्रमिक, जो खेती में काम करते हैं, उनके सामने रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या खराब मौसम की आती है। उनके रोजगार का कोई स्थिर साधन नहीं है। हमारी आजादी को 55 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए रोजगार के स्थाई साधन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। हमारे माननीय सांसद श्री रामजी लाल सुमन ने अभी अपने भाषण में कहा कि देश के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक को कब तक स्थाई रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा, इस बारे में सरकार क्या सोचती है, उसे कब तक स्थाई रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा।

एग्रीकल्चर में काम करने वाली जो लेबर है, बहुत सारे कानून बनाए हैं लेकिन अभी तक हम एग्रीकल्चर में रात–दिन काम करने वाली जो लेबर है उनके लिए जल्दी से जल्दी सर्वसम्मति से एक कॉम्प्रीहैंसिव कानून बनाने की जरूरत है। हमारे लेबर मिनिस्टर, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने, 40 करोड़, जो असंगठित लेबर है, उनके लिए रोजगार देंगे, ऐसा महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में वायदा किया था।

महोदय, हमारे पंथ प्रधान, देश के श्रम मंत्री, साहिब सिंह वर्मा जी काश्तकारों का दुख जानते हैं। हमारे देश के छोटे–मोटे किसान, 12 करोड़ से अधिक किसानों का भी दुख–दर्द जानते हैं। सही मायनों में हमारे लेबर मिनिस्टर ने वायदा किया था कि लेबर के हित, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए इस मानसून सत्र में हम कानून बनाएंगे, उसका क्या हुआ, मुझे पता नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आपने जो वायदा किया था उसे पूरा करने के लिए कदम उठाएं। ग्रामीण इलाकों में जो छोटे–छोटे बिल्डर के पास काम करते हैं, उनकी उपेक्षा ज्यादा होती है। उनके पास जो कांट्रेक्टर हैं, काम करने वाले हैं, उनकी उपेक्षा ज्यादा होती है। उसके लिए कोई कानून नहीं है। उन्हें मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलता है। आठ–आठ, दस–दस, 12–12 घंटे तक उन्हें काम करना पड़ता है।

महोदय, मैं आंध्र प्रदेश में शिवसेना का इंचार्ज हूं। मैंने देखा है कि वहां बीड़ी कामगारों की समस्या बहुत ज्यादा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, छोटे–छोटे तालुक होते हैं, वहां जो काम करने वाले लोग हैं, छोटी–छोटी दुकानों में काम करने वाले हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई सुरक्षा का उपाय नहीं है। यह सवाल 40 करोड़ आबादी से जुड़ा हुआ, इस देश का अति महत्व का है। यह असंगठित लोगों का सवाल है। जब तक हम इस सवाल को हल नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश में अमन एवं शांति कायम नहीं होगी। यह जो असंगठित कामगार लागों का सवाल है, इसके लिए कुछ कारगर कदम उठाने की जरूरत है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अपील करूंगा कि 40 करोड़ लोगों से जुड़े हुए इस सवाल को सर्वसम्मति से एक कॉम्प्रीहैंसिव बिल लाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें, आर्थिक सुरक्षा दें और देश के कल्याण के लिए काम करें।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्री बसुदेव जी आचार्य द्वारा लाये गये इस श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए उपाय बिल का समर्थन करता हूं।

लेकिन उन्होंने जिस ढंग से एक कारुणिक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जैसे श्रम के क्षेत्र में एन.डी.ए. सरकार कुछ कर ही नहीं रही है या वर्तमान श्रम मंत्री के द्वारा कोई प्रयास ही नहीं किए जा रहे हैं अथवा इस समय सार्वजनिक उपक्रमों की जो स्थिति हो गई है या श्रमिकों की जिस प्रकार की उन्होंने स्थिति का चित्रण किया है, वह एक निराशाजनक पहलू है। हर चीज के दो पक्ष होते हैं, एक उज्जवल पक्ष और एक अन्धकारपूर्ण पक्ष, उन्होंने स्थिति को जिस नजरिए से देखने का प्रयास किया है, उस नजरिये से उन्होंने वह चित्र खींचा है। हो सकता है कि उनकी दृष्टि से

(प्रो. रासा सिंह रावत)

वह सही हो, लेकिन उसमें कुछ अतिरेक मुझे दिखाई देता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब से एन.डी.ए. सरकार आई है, उसके बाद से निरन्तर श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए उपाय बरते जा रहे हैं। यहां पर वर्तमान श्रम मंत्री जी विराजमान हैं, जो स्वयं एक किसान के बेटे हैं। जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से वे आते हैं, उसमें वे जानते हैं कि कृषि श्रमिकों की क्या समस्या है या आम मजदूरों को क्या परेशानी है। यहां पूर्व श्रम मंत्री जी भी विराजमान हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में और वर्तमान श्रम मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में जो कुछ किया है, वह सारे देश के सामने है। वे जो कुछ वर्तमान परिस्थितियों में कर पाये हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, असंगठित श्रमिकों के लिए और श्रमिक मात्र के लिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। वे वह सब करने का प्रयास कर रहे हैं। हां, गिलास पूरा भरा हुआ होना चाहिए, पूरा भरा हुआ नहीं, आधा भरा हुआ है, आप यह कह सकते हैं, लेकिन गिलास बिल्कुल ही खाली है, खाली है, यही रटन्त लगाते रहें तो मैं समझता हूं कि वे केवल समस्या का केवल एक ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

सुमन साहब और आचार्य जी मुझे क्षमा करेंगे, यह ठीक है कि देश के अन्दर 94 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र के हैं और केवल छः प्रतिशत ही संगठित क्षेत्र के हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भी आज जो कारुणिक स्थिति हुई है, बंगाल और केरल में, जो राज्य औद्योगिक दृष्टि से आज पिछड़े हुए हैं, आखिर उनके लिए जिम्मेदार कौन सी नीतियां हैं। बार–बार यह कहना कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारे मांगे पूरी हों, इससे हमारे सार्वजनिक उपक्रमों की क्या स्थिति हो गई है, जो आधुनिक भारत के तीर्थ कहलाते थे, जिनके ऊपर हम गौरव का अनुभव करते थे कि हजारों लोगों को वहां रोजगार मिलेगा और हमारे देश के अन्दर औद्योगिक दृष्टि से हम समृद्धशाली बन जायेंगे, लेकिन वहां यूनियन, संगठित श्रमिक और एक विशेष विचारधारा के लोग कभी एक झंडा, कभी दूसरा झंडा, कभी एक मांग, कभी दूसरी मांग और कभी तीसरी मांग करते रहे, परिणामस्वरूप आज सार्वजनिक उपक्रमों की दयनीय स्थिति हो गई है तो आखिर हमें आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति हो गई कि ठेका श्रमिक लाने पड़े। आज बड़ी–बड़ी मिलें मुम्बई के अन्दर थीं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र ब्यावर के अंदर थीं या अहमदाबाद के अंदर थीं, वे सब आज बन्द पड़ी हैं। अगर कोई एकाध चल भी रही है तो वह भी घाटे में चल रही है, क्योंकि यूनियन का ऐसा हाल है। हालांकि श्रमिकों के संरक्षण के लिए यूनियन का गठन करना उनका वैधानिक अधिकार है और वे अपने हक के लिए लड़ती हैं, अपने पसीने का हक मांगती हैं, उनको अपना हक मांगने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। होना तो यह चाहिए कि देश के हित में काम करेंगे और काम के बदले पूरे दाम लेंगे। अगर यह भावना हो कि हम देश के लिए, हमारे देश की औद्योगिक समृद्धि के लिए काम करेंगे तो एक वह दृष्टिकोण सामने आता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो चित्र सार्वजनिक उपक्रमों का खींचा गया है, वह किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी वर्णन किया गया कि जैसे बेरोजगारी बढ़ाने वाली केवल यही सरकार हो। आखिर 50 सालों के अन्दर जिन लोगों के हाथ में शासन था, देश के शसन की बागडोर थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कितने रोजगार के साधन जुटाये। आखिर यह बेरोजगारी तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। जस–जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासो दुनि कपि रूप दिखावा। जैसे रामचरित मानस में आता है कि सुरसा ने जिस प्रकार से अपना मुंह हनुमान जी को निगलने के लिए फाड़ा, हनुमान जी उससे डबल हो गये। जैसे–जैसे सरकारें प्रयत्न करती रहीं, बेरोजगारी बढ़ती हुई आबादी के कारण दिन दूनी चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। फिर भी एन.डी.ए. सरकार आने के बाद, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, मैं रासा सिंह रावत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह निशुद्ध नकारात्मक प्रयास है। कोई न कोई कारण रहा होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रासा सिंह रावत जी, आपका भाषण आगे जारी रहेगा।

[अनुवाद]

अब सभा सोमवार, 4 अगस्त, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 4 अगस्त, 2003/13 श्रावण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एस० एस० — 48/35/10/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।